राजकमल वर्ष-बोध

सम्पादक

श्री ओंप्रकाश

प्रोफेसर बलराज एम० ए०



राजकमल प्रकाशन

दिल्ली बम्बई नई दिल्ली

प्रकाशक,
राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड,
दिल्ली।

मूल्य
पाँच रुपये

मुद्रक,
गोपीनाथ सेठ, नवीन प्रेस,
दिल्ली।

दो शब्द

राजकमल वर्ष-बोध का नये वर्ष का संस्करण पाठकों के सामने है। १९४९ के वर्ष-बोध का हार्दिक स्वागत करते हुए जो एक बात सभी समालोचकों ने लिखी थी वह यह थी कि इसका प्रकाशन रुकना नहीं चाहिए। प्रतिवर्ष वर्ष-बोध के नये संस्करण निकलते रहें, यह हिन्दी के सभी हितेच्छुओं की अभिलाषा थी। जन्म के समय ही मृत्यु से बचने की प्रार्थना भारत में अनोखी चीज़ नहीं है। यही बात इस प्रकाशन के सम्बन्ध में भी कही गई। हमारी हार्दिक इच्छा यही है कि हम अपने पाठकों की सहायता और आलोचकों के सुझावों को सदा ध्यान में रखते हुए इस वर्ष-बोध की कड़ी को जारी रख सकें और इस प्रकार राष्ट्र-भाषा हिन्दी के शाश्वत भंडार को भरते रहें।

पिछले वर्ष-बोध में समालोचकों ने कुछ कमियों का उल्लेख किया था; कुछ ऐसी कमियां थीं जिन्हें स्वयं हमने भी स्वीकार किया था। इस वर्ष इन्हें दूर करने का भरसक प्रयत्न किया गया है। आशा है कि इस वर्ष-बोध को अधिक उपादेय और सर्वाङ्गीण बनाने का जो प्रयत्न हुआ है उससे इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इसमें हमने १९५० के मध्य तक के सभी उपालब्ध आंकड़े संकलित करने का प्रयास किया है।

वर्ष-बोध के इस संस्करण के अधिक सुन्दर, सम्पूर्ण और उपादेय बनाने का प्रायः सारा ही श्रेय भाई बलराज को है। उनका अमूल्य सहयोग प्राप्त न होता तो शायद इस संस्करण के प्रकाशन में अभी काफी देर हो जाती; शायद यह तैयार ही न हो पाता। इस संस्करण से भाई बलराज और मैं दोनों ही वर्षबोध का सम्पादन कर रहे हैं। परन्तु सुसम्पादन पाठकों और आलोचकों के सुझावों पर ही निर्भर है। पाठकों से हमारा सविनय निवेदन है कि वे हमें अपने सुझावों से अनुगृहीत करते रहें। इन सुझावों का सदैव स्वागत किया जायगा।

—ओंप्रकाश



सूची

देश और जनता

जन संख्या

भारत सरकार की आज्ञानुसार देश के सेन्सस कमिश्नर ने १ मार्च १९५० को देश की आबादी का अनुमान लगाया। उस दिन इस अनुमान के अनुसार देश की आबादी ३४ करोड़ ७२ लाख ४० हज़ार थी। यह भी अनुमान लगाया गया कि १ मार्च १९५१ को यह जन-संख्या ३५ करोड़ ६ लाख ७० हज़ार होगी, क्योंकि जनसंख्या में प्रति वर्ष ३१ लाख ९० हज़ार की वृद्धि हो रही है। १५ अगस्त १९४७ को जन्म लेने वाले स्वतंत्र भारत की आबादी ३३ करोड़ ७० लाख के लगभग थी।

देश के भिन्न-भिन्न राज्यों की आबादी १ मार्च १९५० को इस प्रकार थी—

(०००० और जोड़िये)

राज्य		रियासती संघ	
आसाम	८५.१	हैदराबाद	१,७६.९
बिहार	३,९४.२	जम्मू व काश्मीर	४३.७
बम्बई	३,२६.८	मध्य भारत	७८.७
मध्य प्रदेश	२,०९.२	मैसूर	८०.७
मद्रास	५,४२.९	पटियाला और पंजाब रियासती संघ	३६.२
उड़ीसा	१,४४.१	राजस्थान	१,४६.९
पन्जाब	१,२६.१	सौराष्ट्र	३९.६
उत्तर प्रदेश	६,१६.२	त्रावंकोर कोचीन	८५.८
बंगाल	२,४३.२		

केन्द्रीय सरकार के आधीन प्रदेश—

अजमेर	७.३	कच्छ	५.५
भोपाल	८.५	मणिपुर	५.४
बिलासपुर	१.३	त्रिपुरा	५.८
कुर्ग	१.७	विंध्य प्रदेश	३८.८
दिल्ली	१५.१	हिमाचल प्रदेश	१०.८

अविभाजित हिन्दुस्तान की आबादी (१९४१ में) ३८,८९,९७,९५५ थी। पिछले १० वर्षों से प्रतिवर्ष आबादी में १.५ प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी। १८८१ से इस वृद्धि का हिसाब इस प्रकार है :

वर्ष	संख्या (०००)	वृद्धि का प्रतिशत	कम वृद्धि का कारण
१८८१	२५,०१,२५	....	
१८९१	२७,९५,४८	९.०	
१९०१	२८,३८,२७	१.४	अकाल
१९११	३०,२९,९५	६.७	
१९२१	३०,५६,७४	०.९	इन्फ्लुएन्ज़ा
१९३१	३३,८८,००	१०.६	
१९४१	३८,८९,९८	१५.०	

१८७० और १९३० के बीच भिन्न-भिन्न देशों की आबादी की वृद्धि की भारत की आबादी की वृद्धि से तुलना कीजिए—

अमरीका	—१२५ प्रतिशत	इङ्गलैंड और वेल्स	—७७प्रतिशत
रूस	—११५ ,,	यूरोप(रूस को छोड़कर)	—५६ ,,
जापान	—११३ ,,	हिन्दुस्तान	—३०.७ ,,

१९४६ में दुनिया की आबादी का हिसाब इस प्रकार था :

कुल दुनिया—	लगभग २ अरब २५ करोड़
चीन	४३.० करोड़
भारत (पाकिस्तान सहित)	४१.५ ,,
रूस	१९.२५ ,,

अमरीका	१४.३	,,
जापान	७.६	,,
जापान, चीन व भारत को छोड़कर एशिया के बाकी देश	२६.७	,,
रूस को छोड़कर यूरोप के बाकी देश	३८.२	,,
संयुक्त राष्ट्रों को छोड़कर अमरीका के बाकी देश	१६.१	,,
अफ्रीका	१७.३	,,
आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड आदि	१.२	,,

क्षेत्र अविभाजित भारत का क्षेत्रफल १९४१ के सेन्सस के अनुसार १५,८१,४१० वर्गमील था। १९४७ के विभाजन के बाद यह क्षेत्र घटकर १२,२०,०९९ वर्ग मील रह गया।

स्त्री पुरुष भारत की आबादी में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम है। स्त्रियों की कमी का अनुमान इस वक्त १ करोड़ ११ लाख के लगभग है। इस कमी का हिसाब इस प्रकार रहा है—

वर्ष	१००० पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या
१९०१	९६३
१९११	९५४
१९२१	९४५
१९३१	९४०
१९४१	९३५

प्रति १००० पुरुषों के पीछे प्रान्तों में स्त्रियों की संख्या (१९४१) इस प्रकार है—

मद्रास	१००९	मध्यप्रान्त	९९४

बम्बई	९२७	आसाम	८९६
बंगाल	८९९	सीमाप्रान्त	८४०
उत्तर प्रदेश	९०६	उड़ीसा	१०६९
पंजाब	८४७	सिन्ध	८१८
बिहार	९९४	दिल्ली	७१५

ग्रामीण नागरिक १९४१ में हिन्दुस्तान में २७०३ कस्बे और ६,५५,८९२ गाँव थे। २७०३ कस्बों में वह सब स्थान आ गए हैं जिनकी आबादी ५००० से अधिक थी अथवा जहाँ म्यूनिसिपैलिटियाँ और छावनियाँ बनी थीं। हिन्दुस्तान के इन गाँवों में ८७ प्रतिशत जनता रहती थी, कस्बों में १३ प्रतिशत। कस्बों और गाँवों में रहने वाली जनता का हिसाब १८९१ से इस प्रकार रहा है—

वर्ष	गाँवों में प्रतिशत	कस्बों में प्रतिशत
१८९१	९०.५	९.५
१९०१	९०.१	९.९
१९११	९०.६	९.४
१९२१	८९.८	१०.२
१९३१	८९	११
१९४१	८७	१३

देश में उन शहरों की संख्या, जिनकी आबादी १ लाख से ऊपर है, ४९ है। इन शहरों की कुल आबादी लगभग १ करोड़ ४४ लाख है तथा इनका प्रान्तवार हिसाब यह है— (१९४१ की गणना के अनुसार)

पश्चिमी बंगाल	२	उत्तर प्रदेश	१२
मद्रास	६	मध्य प्रान्त	२
बम्बई	५	बिहार	३
पूर्वी पंजाब	३	रियासतें	१४
अजमेर मारवाड़	१	दिल्ली	१

विदेशों में शहरों में रहने वालों की तुलना भारत से इस प्रकार रहेगी —

इंग्लैंड और वेल्स	८० प्रतिशत	फ्रांस	४९ प्रतिशत
अमरीका	५६.२ ,,	हिन्दुस्तान	१३ ,,

घनत्व — भारत में एक वर्गमील में रहने वाली आबादी का घनत्व १९४१ में २४६ था। १९०१ से इसकी वृद्धि का हिसाब इस प्रकार रहा है—

१९०१	१७९	१९३१	२१२
१९११	१९१	१९४१	२४६
१९२१	१९३	विभाजित भारत में	२६२

जीविका के साधन — कहा जाता है कि भारत की आबादी का तीन-चौथाई हिस्सा खेती-बारी करके या खेती-बारी पर आश्रितों पर निर्भर रहकर रोजी कमाता और पेट पालता है। १९४१ में जीविकोपार्जन के अलग-अलग साधनों का हिसाब इस प्रकार था—

खेती-बारी	६५.६०	शासन कार्य	२.८६
खनिज उत्पत्ति	०.२४	यातायात	१.६५
कल-कारखाने	१०.३८	विविध	१३.७४
व्यापार	५.८३		

कल-कारखानों की १०.३८ प्रतिशत की संख्या कुछ भ्रममूलक है। उन लोगों की संख्या जो सुसंगठित उद्योग-धन्धों में लगे थे, केवल १.५ प्रतिशत थी। शेष छोटी-मोटी घरेलू दस्तकारियों में लगे थे।

खेती-बारी पर आश्रित जनता का प्रतिशत अनुपात १८९१ से इस प्रकार रहा है—

१८९१	६१	१९३१	६७
१९०१	६६	१९४१	६५.६
१९२१	७२		

१९३१ में संख्या के ५ प्रतिशत कम हो जाने को सेन्सस कमिश्नर हट्टन ने भ्रममूलक बताया, क्योंकि उन स्त्रियों ने, जिनका निर्वाह खेती पर ही था, अपनी गणना घरों के नौकर-चाकरों में करवाई।

शिक्षा १९४१ की जन-गणना के अनुसार केवल १२.६ प्रतिशत जनता पढ़-लिख सकती थी। इस पढ़ने-लिखने से मतलब गाँव से बाहर खत द्वारा अपना समाचार भेज सकना और उत्तर पढ़ सकना ही है। १९३१ और १९२१ में इस तरह के पढ़े-लिखों का अनुपात ८.० प्रतिशत और ७.१ प्रतिशत था।

विदेशों से तुलना करने से मालूम पड़ता है कि हम इस दिशा में कितना पीछे हैं —

अमरीका	९५.९७ % (१९३०)	रूस	९० % (१९३३)
तुर्की	४४.९ % (१९३४)	इटली	७१.२ % (१९२१)

जन्म मरण जो देश जितना गरीब होता है, उसमें जन्म वा मरण का अनुपात उतना ही अधिक होता है। जन्म और मरण के हिसाब में शायद हमारा देश ही सर्वप्रथम ठहरेगा। १९४१ की जनगणना के समय हिन्दुस्तान में जन्म और मरण का अनुपात १००० लोगों के पीछे क्रमशः ३३ और २२ था।

इस अनुपात में पिछले पचास वर्षों में कोई बड़ा भेद पड़ा हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन दोनों के अनुपात में सभ्यता और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के प्रसार के साथ ही फ़र्क पड़ सकता है। १८८५ से इस सम्बन्ध का ब्योरा देखिए—

वर्ष	जन्म संख्या	मृत्यु संख्या
१८८५-९०	३६	२६
१८९०-०१	३४	३१
१९०१-११	३८	३४
१९११-२१	३७	३४
१९२१-३१	३५	२६

१९३१-३५	३५	२४
१९४१	३३	२२

तुलना में विदेशों में जन्म और मरण का हिसाब देखिए—

देश (१९३१-३५)	जन्म संख्या	मृत्यु संख्या
ब्रिटेन	१५.५	१२.२
फ्रान्स	१६.५	१५.७
अमरीका	१७.३	१०.९
जापान	३१.६	१८.१
भारत	३५	२४

तुलना में विदेशों में किस तरह जन्म व मरण के अनुपात में समय के साथ-साथ कमी हो रही है, यह इस तालिका से पता लगेगा—

जन्म संख्या

	१८८१-९१	१९२१-२५	१९२६-३०
ब्रिटेन	३२.५	२०.४	१७.२
फ्रान्स	२३.९	१९.३	१८.२
अमरीका	....	२२.५	१९.७
जर्मनी	३६.८	२२.१	१८.४

मृत्यु संख्या

	१८८१-९१	१९२१-२५	१९२६-३०
ब्रिटेन	१९.२	१२.४	१२.३
फ्रान्स	२२.१	१७.२	१६.८
अमरीका	....	११.८	११.८
जर्मनी	२५.१	१३.३	११.८

मृत्यु का अखाड़ा

भारत में हर हजार पैदा हुए बच्चों में से १९४० में १६० पहले वर्ष ही मृत्यु के ग्रास बनते थे। १९२० में यही संख्या १९५ थी और तब से इसमें इस प्रकार परिवर्तन हुआ—

१९२०— १९५ १९२१— १९७ १९२२— १८७

१६२३—	१६८	१६२६—	१७३	१६३५—	१६४
१६२४—	१७५	१६३०—	१७८	१६३६—	१६२
१६२५—	१७६	१६३१—	१७८	१६३७—	१६२
१६२६—	१८६	१६३२—	१७६	१६३८—	१६७
१६२७—	१७४	१६३३—	१६६	१६३६—	१५६
१६२८—	१८६	१६३४—	१७१	१६४०—	१६०

विदेशों में जन्म के समय बच्चों की मृत्यु-संख्या से भारत के बच्चों की मृत्यु-संख्या की तुलना कीजिए—

(यह आँकड़े १६३१–३५ के हैं।)

ब्रिटेन	६५	जापान	१२४
अमरीका	५६	भारत	१७४

ब्रिटेन में १६४८ में यह संख्या ४१ है।

हैजे, चेचक और प्लेग से भारत में मृत्यु-संख्या यह रही है—

वर्ष	हैज़ा	चेचक	प्लेग
१६२०	०.६	०.४	०.४
१६२१	१.६	०.२	०.३
१६२२	०.५	०.२	०.३
१६३०	१.३	०.३	०.३
१६३१	०.६	०.१	०.२
१६३२	०.३	०.२	०.२
१६३८	०.६	०.१	०.०६
१६३६	०.४	०.२	०.१
१६४०	०.३	०.३	०.७

जो मौत से बच जाते हैं

जन्म लेने वालों में से मर जाने वालों की संख्या घटाकर शेष बच जाने वालों का अनुपात १८६० से हिन्दुस्तान और कुछ दूसरे देशों में इस प्रकार रहा है—

देश	१८६०-०१	१६०१-११	१६२१-२५	१६२६-३०	१६३१-३५
ब्रिटेन	११.७	११.८	८.०	४.६	३.३
अमरीका	....	....	१०.७	७.६	६.४
जापान	८.६	११.४	१२.८	१४.२	१३.५
जर्मनी	१३.६	१५.६	८.८	६.६	४.६
फ्रांस	०.६	१.२	२.१	१.४	०.८
भारत	४.१	४.३	६.७	६.०	१०.२

रियासती जनता

१५ अगस्त १६४७ से जो भेद भारत की अंग्रेजी और रियासती प्रजा में हुआ करता था, वह नहीं रहा। नये विधान के लागू हो जाने पर यह भेद बिलकुल ही मिट गया।

भारत के समस्त क्षेत्र में ५,८७,८८८ वर्ग मील का क्षेत्र, जो कि भारत के क्षेत्र का ४८ प्रतिशत भाग है, रियासती प्रदेश है। इस रियासती प्रदेश की आबादी ८,८८,०८,४३४ है जो कि भारत की कुल आबादी का २७ प्रतिशत हिस्सा है।

भाषाएँ

कहने को कहा जाता है कि भारत में २८२ भाषाएँ हैं। लेकिन यह भाषाएँ नहीं हैं, कुछ मुख्य भाषाओं का स्थानान्तर पर अपभ्रंश हैं। भारत की मुख्य भाषाएँ और वह प्रदेश जहाँ उनका प्रयोग होता है, इस प्रकार हैं—

१. काश्मीरी	काश्मीर
२. पंजाबी	पूर्वी पंजाब का पश्चिमी भाग, उत्तरी प्रदेश के पहाड़ी इलाके।
३. हिन्दी	राजपूताना, उत्तर प्रदेश पूर्वी पंजाब का पूर्वी हिस्सा, मध्यप्रांत, बिहार।
४. उड़िया	उड़ीसा।
५. गुजराती	सौराष्ट्र, बम्बई।
६. मराठी	बम्बई, मध्यप्रांत।

७. बंगाली　　पश्चिमी बंगाल ।
८. आसामी　　आसाम ।
९. तेलुगू　　हैदराबाद, मद्रास, मैसूर ।
१०. कन्नाड़ी　　मद्रास, हैदराबाद, मैसूर ।
११. तामिल　　मद्रास, त्रावंकोर ।
१२. मलयालम　　त्रावंकोर, कोचीन, मद्रास ।

भौगोलिक स्थिति

भौगोलिक दृष्टि से समस्त भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। सबसे अधिक दक्षिणी भाग कुमारी अन्तरीप ८ अंश तथा अधिकतम उत्तरीय भू-भाग भूमध्य रेखा से ३७ अंश उत्तर में है। इस प्रकार कर्क रेखा देश के ठीक बीचोंबीच गुज़रती है तथा आधा भारत जिसमें सारा गंगा और सिन्ध का मैदान सम्मिलित है, भूमध्य प्रदेश से बाहिर है। फिर भी भारत को भूमध्यप्रदेश ही कहा जाता है। इसका कारण यह है कि दुर्लङ्घनीय पर्वतों की दीवार के कारण, जो उत्तर में स्थित है, यह देश शेष दुनिया से एक प्रकार कट गया है। यह संसार-प्रसिद्ध पर्वतमाला इस देश की अकाट्य एकता स्थापित करती है। दूसरा कारण समस्त देश की एक-सी जलवायु है, जिसे भूमध्यप्रदेशीय मानसून के नाम से पुकारा जा सकता है।

अक्षांश की दृष्टि से भारत ६६ अंश से लेकर ९७ अंश तक के बीच में स्थित है। पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक इस देश का विस्तार दोनों ओर दो हजार मील तक है। देश की सामुद्रिक सीमा ४००० मील और भूमि से ५५०० मील के लगभग है। समुद्र तट बहुत कम कटा-फटा है, इसलिए प्राकृतिक उत्तम बन्दरगाह इस देश

में बहुत ही कम हैं। अधिकांश प्रसिद्ध बन्दरगाहों का निर्माण कृत्रिम रीति से किया गया है।

विभाजन के बाद का भारत पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, मद्रास, बम्बई व आसाम इन ९ राज्यों तथा हैदराबाद, मैसूर व काश्मीर इन तीन रियासतों व त्रावंकोर-कोचीन, मध्यभारत, विन्ध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, पूर्वी पंजाब रियासती संघ इन रियासती संघों तथा हिमाचल प्रदेश, रामपुर, भोपाल, कच्छ, मनीपुर, सिक्किम, अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूहों के सीधे-शासित प्रदेशों में बँटा हुआ है। इनके अतिरिक्त कुछ फ्रांस और पुर्त्तगाल द्वारा शासित प्रदेश भी हैं, जिनकी गणना भी इसी देश में की जाती है।

प्राकृतिक दृष्टि से इस देश को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—१—उत्तर की पर्वतीय दीवार; २—मध्य का गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का समतल मैदान; ३—दक्षिण की उच्च समतल भूमि का पठार।

उत्तरीय पर्वत की दीवार में मुख्य पर्वत हिमालय है, जो एक कतार की शक्ल में संसार के सबसे ऊँचे और सबसे बड़े पामीर पठार से प्रारम्भ हो दो हजार मील तक की लम्बाई में फैला हुआ है। शेष एशिया से इस पर्वत ने हिन्दुस्तान को, जिसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित है, पूरी तरह काट रक्खा है। केवल कुछ ही दर्रे ऐसे हैं, जिनसे एक सीमा तक यातायात हो सकता है। उत्तर पश्चिम में बोलन, खैबर व गोमल तथा समुद्र-तटवर्त्ती मकरान दर्रा है। प्राचीन काल में यूनानी सिकन्दर तथा बाद के मुस्लिम अभ्युन्नति काल में ग़ज़नी, गौरी, खिलजी, मुग़ल तथा दूसरे आक्रमणकारी इन्हीं मार्गों से हिन्दुस्तान आये। विभाजन के अन्तर्गत ये सब दर्रे पाकिस्तान में चले गए हैं और उसका सम्बन्ध अफ़गानिस्तान व ईरान आदि से स्थापित करते हैं। भारत के उत्तर में जोज़िला, कराकुर्रम और शिपकी ये तीन प्रसिद्ध दर्रे हैं। इन

के बाद कई सौ मील तक हिमालय में कोई प्रवेश द्वार नहीं। कई सौ मील बाद उत्तर में ही दार्जिलिंग का प्रवेश-द्वार या दर्रा है। लेकिन उत्तर के समस्त प्रवेश-द्वार या दर्रे सरदियों में बर्फ से पूरी तरह ढक जाने के कारण यातायात के अयोग्य हो जाते हैं। पूर्व दिशा में भारत को बर्मा से मिलाने वाले आधी दर्जन के लगभग मार्ग हैं। लेकिन इनमें से किसी भी मार्ग का विशेष प्रयोग किसी भी काल में नहीं किया गया। मणिपुर के रास्ते सबसे अधिक यातायात संभव है। इससे थोड़े उत्तर में तुम्यांग घाटी और तुजु दर्रे के रूप में दो अन्य मार्ग हैं, जो उत्तर बर्मा से इस देश को मिलाते हैं।

पर्वतीय दीवार के एक ओर अर्द्धचन्द्राकार में १५०० मील लम्बा और १५० से २०० मील तक चौड़ा गंगा का मैदान है, जो बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस आश्चर्यजनक समतल भूमि की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। प्रथम यह कि इसकी भूमि बिलकुल समतल है। कहीं कोई पर्वत तो दूर की बात है, कोई टीला भी नज़र नहीं आता। समुद्र तट तक इस भूमि का ढलान इतने धीरे-धीरे और नियमित रूप से होता है कि पता तक नहीं लगता। दूसरी विशेषता यह है कि इस समतल भूमि पर हिमालय की महान पर्वतमाला सहसा ही उत्तरीय सिरे पर उग आई-सी दीख पड़ती है। इस पर्वतमाला से पूर्व किसी प्रकार की उच्च भूमियाँ व छोटे-छोटे पर्वत नज़र नहीं आते। तीसरी विशेषता इस मैदान की इसकी अत्यधिक चौड़ाई और इस पर बिछी मिट्टी की मोटाई और सादृश्यता है।

समस्त दक्षिणी भारत, जो कि एक बड़े प्रायद्वीप के रूप में है, एक पठार है। इसकी ऊँचाई ३००० फुट से २००० फुट तक के बीच में है। पश्चिम में ऊँचाई अधिक और पूर्व में कम है। प्राचीन काल में विन्ध्या और अजन्ता पर्वतमालाएँ इस प्रायद्वीप को शेष भारत से अलग रखने का मुख्य कारण बनी हैं। आर्यों की प्रगति को भी इस पर्वतमाला ने रोक दिया। तब से इस देश के मूल निवासी द्राविड़ियनों

की यह प्रायद्वीप भूमि है तथा यहाँ द्राविड़ियन भाषाएँ ही बोली जाती हैं।

समतल मैदान की प्रमुख नदियाँ गंगा, जमुना, घाघरा, गण्डक आदि हैं। ये सब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। केवलमात्र ब्रह्मपुत्र पश्चिम से पूर्व की दिशा में बह घूमती हुई, फिर पश्चिम की ओर जा, अन्त में दक्षिण की ओर बह गंगा में मिल जाती हैं।

सिन्ध और उसकी कुछ सहायक नदियों के उद्‌गम स्थान अब भी भारत में हैं। किन्तु विभाजन के बाद इन नदियों के मैदानों का लगभग समस्त भू-भाग पाकिस्तान में चला गया है। केवल पूर्वी पंजाब के एक छोटे से मैदान में सतलज और ब्यास मिलकर बहती हैं।

विंध्य पर्वत से दो नदियाँ नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप की सब नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पश्चिम से निकल पूर्वी समुद्र में गिरती हैं। यह नदियाँ अधिकांश में वर्षा-काल में चलती हैं।

भू-तत्व की बनावट की दृष्टि से देश का बँटवारा पाँच भागों में किया जा सकता है। उत्तर में विभिन्न प्रकार की पर्वतीय चट्टानें हैं। इसके अनन्तर नदियों के मैदान हैं जिनकी उत्पत्ति हाल ही की या कुछ समय पूर्व की है तथा जहाँ मिट्टी का रंग पीला है। इसके अनन्तर विन्ध्य पर्वत की पथरीली भूमि है जो दिल्ली, आगरा, राजस्थान, मध्य-प्रदेश, विन्ध्य-प्रदेश और दूर तक दक्षिण में कोकोनाडा तथा वहाँ से आगे बढ़ मद्रास, मैसूर तक फैली हुई है। इसके साथ ही लावा की विस्तृत भूमियाँ हैं जो कच्छ, मध्यभारत, बम्बई, हैदराबाद, और मध्य-प्रदेश के कुछ भाग में स्थित हैं। अन्तिम गोंडवाना की लाल भूमि है जो मध्यप्रदेश, सौराष्ट्र, हैदराबाद के कुछ भाग तथा मद्रास प्रान्त में फैली हुई है। उत्तर में इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम के कुछ भूमि-भागों तक है। विन्ध्य-प्रदेश की पथरीली भूमि अपने इमारती पत्थरों, लावा की भूमि रूई की उपज और गोंडवाना की भूमि कोयले,

लोहे व अन्य खनिज पदार्थों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

मौसम की दृष्टि से सारे देश की जलवायु एक-सी ही है। इसे भूमध्य-प्रदेशीय मानसून के नाम से पुकारा जा सकता है। तीन ऋतुएँ इस देश में होती हैं। ग्रीष्म, मार्च से जून के मध्य तक। वर्षा ऋतु, जून के मध्य से सितम्बर तक। शीत ऋतु, अक्तूबर से फरवरी तक। पश्चिमी तट के किनारे पर मद्रास से लेकर कुमारी अन्तरीप तक शीत ऋतु में भी वर्षा होती है।

जंगलों की दृष्टि से देश में भूमध्य प्रदेश की किस्म के जंगल हैं। ८० इंच से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में, जो कि हिमालय पर्वत की तराई में स्थित हैं, सदैव हरे-भरे रहने वाले जंगल हैं। यहाँ भाँति-भाँति के वृक्ष पाये जाते हैं। वृक्ष बहुतायत में तथा दो सौ फुट तक लम्बे होते हैं। इनकी लकड़ी सख्त है। लेकिन व्यापारिक रूप में इनसे अधिक लाभ अभी नहीं उठाया गया। ४० इंच से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में मानसूनी जंगल हैं। इनका क्षेत्र आस-पास की भूमियाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा दक्षिण में मैसूर के जंगल हैं। देश को सम्पदा के रूप में इन जंगलों का बहुत महत्त्व है। इनमें साल अत्यधिक मात्रा में मिलता है। हिमालय की तराई में कहीं-कहीं सागोन और दक्षिणी जंगलों में चन्दन का वृक्ष भी पाया जाता है। आधे से अधिक देश ऐसे जंगलों से पूर्ण है। ४० इंच से कम वर्षा के क्षेत्रों में सूखे जंगल हैं। दक्षिण में ऐसे जंगलों की बहुतायत है। इनमें वृक्षों की जड़ें बहुत लम्बी तथा पेड़ छोटे-छोटे होते हैं। इनकी लकड़ी जलाने के अतिरिक्त किसी उपयोग की नहीं होती। समुद्र-तटवर्त्ती क्षेत्रों में नारियल, ताड़ी व इसी किस्म के अन्य उपयोगी जंगल मिलते हैं, जिनकी हर चीज़ से लाभ उठाया जाता है। रेगिस्तान व अर्द्ध रेगिस्तानों में भी अनुपयोगी छोटे-छोटे पेड़-पौदे पाये जाते हैं।

भारतीय वैधानिक प्रगति का सिंहावलोकन

भारतीय वैधानिक प्रगति का इतिहास कोई सौ वर्ष पूर्व से प्रारम्भ होता है। १८५७ के प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम के बाद, जिसे सिपाही-विद्रोह के नाम से भी पुकारा जाता है, किन्तु जो वास्तव में गुलामी से मुक्ति पाने की इच्छुक जनता का प्रथम संघर्ष था, बृटिश पार्लिमैन्ट ने इस देश का शासन-भार ईस्ट इण्डिया कम्पनी से ले अपने हाथों में संभालने का निश्चय किया। फलस्वरूप १८५८ का प्रथम एक्ट बृटिश पार्लिमैन्ट में पास किया गया, जिसके अनुसार भारत के शासन के समस्त अधिकार कम्पनी के हाथों से निकल बृटिश सम्राट् और उसकी पार्लिमैन्ट के हाथ में आ गए। बृटेन में भारतमन्त्री की नियुक्ति की गई तथा भारतीय कौंसिल की स्थापना हुई, जो भारत सरकार के सहयोग में भारत के शासन का कार्य-भार संभालने लगी। इसी अवसर पर बृटिश सम्राज्ञी की ओर से वह ऐतिहासिक घोषणा-पत्र भी जारी किया गया, जिसके अन्तर्गत देशी नरेशों में फैली बेचैनी को दूर करने के लिए उन्हें अभय-दान तथा सर्व-साधारण जनता को धार्मिक कृत्यों में पूरी स्वतन्त्रता देने का आश्वासन दिया गया।

स्पष्ट है कि इस प्रथम एक्ट में भारतीयों को देश के शासन और उसके कानून-निर्माण में कोई स्थान नहीं मिला। उस समय के बृटिश शासकों के अनुसार भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि किसी प्रकार की उदार नीति बरती जावे।

१८५८ के एक्ट के अनुसार देश का शासन भारत में रहकर चलाने के लिए जिस गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल की नियुक्ति हुई थी, उसके दोष और कमियाँ शीघ्र ही दृष्टिगोचर होने लगीं। फलतः पहले सन् १८६१ तथा बाद में सन् १८९२ में दो एक्ट और पास किये गए। १८६१ के एक्ट के अनुसार गवर्नर-जनरल की कौंसिल के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण, धारा-सभा या कानून-निर्मात्री-संस्था और शासक-संस्था

के बीच में अन्तर तथा लैजिस्लेटिव कौंसिल के अधिकारों को कानून निर्माण तक सीमित कर दिया गया। १८९२ के एक्ट के अनुसार शासक संस्था तथा कानून-निर्मात्री संस्था के अधिकारों के बीच के अन्तर को और भी व्यापक कर दिया गया तथा लैजिस्लेटिव कौंसिल में कुछ संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दे उसका रूप अधिक प्रजातन्त्रात्मक बना दिया गया।

इनमें १८६१ का विकेन्द्रीकरण का एक्ट अत्यधिक ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। इस एक्ट का ढांचा आज तक भी उपयोग में आ रहा है। बाद में जितने भी कानून बने, सबने इस ही का उपयोग किया। १८६१ में बम्बई और मद्रास की सरकारों को शान्ति और व्यवस्था की स्थापना के लिए जो कानून निर्माण के अधिकार मिले, बाद में वह दूसरे प्रान्तों और देश के दूसरे भागों को भी प्राप्त होते गए। साथ ही इनका विस्तार भी होता गया। आज भी यह क्रम चालू है।

१८६१ के एक्ट का एक फल यह भी हुआ कि देश को वैधानिक प्रगति के लिए अस्पष्ट रूप से द्वार खुल गया। केन्द्र और प्रान्तों में लैजिस्लेटिव कौंसिलों को स्थापना से जनता को अपने कष्ट अपने शासकों के सामने रखने का प्रथम अवसर मिला। फलस्वरूप जनता के कष्टों को वाणी देने के लिए इसी काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने अधिक-से-अधिक जनता का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की।

सन् १८९२ के एक्ट तक भारतीयों को भारत के शासन प्रबन्ध में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। समस्त उच्च नौकरियाँ तथा कौंसिलों की सदस्यता अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थी। भारतीयों के अधिकाधिक संख्या में पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद इस प्रकार के प्रतिबन्ध उन्हें बहुत अखरे। फलस्वरूप उनमें असन्तोष की मात्रा बढ़ती गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस असन्तोष को अधिकाधिक मात्रा में व्यक्त किया गया। फलस्वरूप १९०९ में विधान में कुछ सुधार किये

गए, जिन्हें मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से पुकारा जाता है।

इन सुधारों के अन्तर्गत भारतीय कौंसिलों और वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों के प्रवेश के लिए मार्ग खोल दिया गया तथा साथ ही गैर-सरकारी सदस्यों के प्रवेश के लिए चुनाव की पद्धति प्रथम बार स्वीकृत की गई। किन्तु इस सम्बन्ध में जो योजना उपस्थित की गई वह अत्यन्त निकृष्ट थी। जमींदारों को अपने हाथ में करने के लिए उनके लिए कुछ सीटें सुरक्षित रखी गईं। साथ ही भारतीय एकता में बाधा डालने के हेतु मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। साफ़ तौर पर इन दोनों बातों में भारतीयों को भारतीयों से लड़ाने की बृटिश चाल काम कर रही थी। बाद में यह एक विष-वृक्ष बनकर भारत के विभाजन का कारण बनी।

बृटिश फूट-नीति को समझते हुए समझदार भारतीयों द्वारा, जो इन सुधारों की बड़ी आशा से प्रतीक्षा कर रहे थे और इसके सम्पूर्ण रूप को देखे बिना ही इसका स्वागत बारम्बार कर चुके थे, इन सुधारों का कड़ा विरोध किया गया।

इसके साथ ही दमन के इतिहास का प्रारम्भ होता है। लोगों की क्रान्तिकारी वृत्ति के दमन के लिये प्रेस एक्ट और मीटिंग एक्ट पास किये गए। १९१३ में भारतीय फौजदारी एक्ट में संशोधन कर षड्-यन्त्र को एक स्वतन्त्र अपराध का रूप दे दिया गया। इस प्रकार भीषण दमन का सहारा ले भारतीयों की आत्मा को कुछ देर के लिए कुचल दिया गया।

किन्तु टर्की के प्रति बृटिश नीति को देख भारतीय मुसलमानों की आँखें खुल गईं और उनके जागरण से भारतीय राष्ट्रीयता आन्दोलन में फिर जान आ गई। १९१३ में ही राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक झण्डे के नीचे प्रथम बार एकत्रित हुईं; कांग्रेस-लीग समझौता हुआ और उसके अनुसार मुसलमानों को अल्पमत प्रदेशों में विशेषा-धिकार देना कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया।

१९१७ में भारतीय राजनीतिक आन्दोलन अपने तीव्रतर रूप में था। दक्षिण-अफ्रीका में भारतीयों की दुर्दशा का चित्र इसी समय भारतीयों के समक्ष आया, जिसने यह बात और भी स्पष्ट कर दी कि जब तक वे अपने घर के स्वयं स्वामी नहीं बनते, विदेशों में भी उनसे अच्छा व्यवहार होने की आशा नहीं। समस्त भारतीय राजनीतिक दल इस बात से फिर एक राजनीतिक मंच पर एकत्रित हो गए। स्वराज्य-आन्दोलन बड़े वेग से उठ खड़ा हुआ।

इस बीच प्रथम महायुद्ध ने एक ख़तरनाक सूरत अपना ली। बृटेन को इस युद्ध के जीतने के लिए भारतीयों की सहायता की आवश्यकता अधिकाधिक महसूस हुई। फलतः मि० मोंटेगू को भारत-सचिव के पद पर बैठाया गया। आप भारत में बृटिश नीति के कड़े आलोचक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। आपने १७ अगस्त को पदारूढ़ होते समय एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसमें भारतीयों को क्रमशः स्वराज्य की ओर अग्रसर करने का विश्वास दिलाया गया।

किन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद बृटेन द्वारा अपना वायदा भुला दिया गया। १९१९ के मौन्ट-फोर्ड सुधारों के अन्तर्गत भारतीयों को केवल स्वराज्य की छाया दी गई। धारा-सभाओं को विस्तृत रूप दे उसके सदस्यों को आलोचना करने का यद्यपि अधिकार मिल गया, किन्तु सरकार को ठीक रास्ते पर चलाने के अधिकार उन्हें नहीं मिले। वे केवल नपुंसक विरोध ही कर सकते थे।

फिर भी १९१९ के एक्ट की कुछ विशेषताएँ स्वीकार करनी पड़ेंगी। इसके द्वारा भारतीय नरेशों को भारत के शासन प्रबन्ध के अन्तर्गत लाने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही भारतीय लोक-मत को शासकों को नैतिक पराजय प्रदान करने के अधिकार मिले। स्थानीय संस्थाओं को बाहिरी प्रभावों से अधिक-से-अधिक मुक्त कर दिया गया। प्रान्तों को जिम्मेवार सरकार देने की बात स्वीकार की गई। भारतीय धारा-सभा का रूप विस्तृत कर दिया गया। यह बात

भी स्वीकार की गई की भारत की केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों पर ब्रटिश पार्लिमैन्ट और भारत-सचिव के अधिकार क्रमशः कम कर दिये जायँगे।

स्पष्टतया स्वराज्य की यह छाया भारतीयों को भरमाने और उनमें फूट डालने के लिए पर्याप्त थी। उदारपक्षीय दल ने इस एक्ट का स्वागत किया तथा इसके विरुद्ध उग्रपक्ष ने इसका कड़ा विरोध कर गांधीजी के नेतृत्व में खिलाफ़त आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इससे पूर्व जलियाँवाला बाग की रोमांचकारी घटना ने भी, जहाँ जनरल ओ डायर ने कई सौ व्यक्तियों को गोली से भून दिया था तथा अमृतसर की गली कूचों में बाल-वृद्ध महिलाओं को पेट के बल ज़मीन पर रींगने के लिए विवश किया था, देश भर में आग लगा दी। फलतः ख़िलाफ़त आन्दोलन से देश एक बार सोते से जाग उठा। चौरा-चौरी काण्ड के साथ ही यद्यपि यह आन्दोलन समाप्त कर दिया गया और देश में दमन का ज़बरदस्त दौर-दौरा प्रारम्भ हो गया, फिर भी इसने देश की आत्मा में नवजीवन उत्पन्न कर दिया।

१९१९ का एक्ट भारतीय राजनीतिक दलों की एकता को समूलोच्छेद करने वाला सिद्ध हुआ। इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। उग्र दल के लोग जब कि खिलाफत-आन्दोलन में कूद पड़े, तब उदारपक्षीय लोगों ने इन सुधारों को कार्यान्वित करने का निश्चय किया। १९२१ तक ये सुधार कार्य में लाये जा सके। किन्तु कार्य में लाते ही इनकी पोल खुल गई। १९२१ में भारत सरकार के गृह-सदस्य की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें जिम्मेवार सरकार की मांग उपस्थित करते हुए १९२९ से पूर्व ही १९१९ के सुधारों में सशोधन करने का ब्रटिश सरकार से अनुरोध किया गया। केन्द्रीय धारा-सभा में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। किन्तु नये सुधारों के कार्यान्वित होने के तत्काल बाद इसमें किसी प्रकार के संशोधन की बात

बृटिश सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दी गई। इस अस्वीकृति से उदार-पत्ती लोगों को गहरी निराशा हुई।

प्रान्तीय धारा-सभाओं में भी उदारपत्ती दल की प्रतिक्रिया ऐसी ही निराशाजनक रही। बंगाल और युक्त प्रान्त में, जहाँ कि स्वराज दल बहुमत में था, सप्लाई के मामले में वोटिंग होने पर सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा। फलस्वरूप इन दोनों प्रान्तों में धारा-सभाओं को भंग कर गवर्नरों ने अधिकार पूर्ववत् अपने हाथ में ले लिये।

सन् १९२१ के सर्वसम्मत प्रस्ताव के बाद सन् १९२४ में फिर केन्द्रीय धारा-सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें फिर १९१९ के सुधारों में संशोधन की मांग की गई। साफ़ तौर पर यह कहा गया कि प्रान्तों को तत्काल पूर्ण स्वायत्त शासन प्रदान कर भारत को औपनिवेशिक पद दिया जावे। भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए एक गोलमेज़ कांफ्रेन्स बुलाने की भी मांग की गई। यह प्रस्ताव ४८ के विरुद्ध ७६ मतों से स्वीकार किया गया। इस मांग पर जब ध्यान नहीं दिया गया, तब अर्थ-बिल के उपस्थित किये जाने पर उसकी मांगों को रद्द कर प्रथम बार वैधानिक संकट उपस्थित कर दिया गया। गवर्नर जनरल ने इस अवसर पर अपने विशेषाधिकारों का उपयोग कर इस वैधानिक दलदल से अपना उद्धार किया।

१९२५ में फिर रद्द मांग पेश की गई। लेकिन अगले दो साल तक बृटिश सरकार के कानों पर जूं तक न रेंगी। अकस्मात ८ नवम्बर १९२७ को बृटिश सरकार की ओर से वैधानिक सुधारों की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त करने की घोषणा की गई। साधारणतया इस घोषणा का भारत में स्वागत किया जाता। किन्तु इस कमीशन के सदस्यों के नामों की सूची की जब घोषणा की गई, तब इसका भारतीयों द्वारा कड़ा विरोध किया गया। कमीशन के सब सदस्य अंग्रेज थे तथा इनका चुनाव बृटिश पार्लिमैंट में से किया गया था। भारतीयों को यह बात असहनीय प्रतीत हुई। फलतः इस साइमन-

कमीशन का भारत में सर्वत्र काले झण्डों से स्वागत किया गया तथा इसके मुकाबिले में अखिल भारतीय दलों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से विख्यात है।

नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक पद को स्वीकार कर गवर्नर जनरल को बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में रक्खा गया था। प्रधानमंत्री का चुनाव गवर्नर जनरल के हाथ में था, किन्तु शेष मंत्रियों के चुनाव के लिए वे प्रधानमंत्री के परामर्श पर चलने के लिए बाध्य थे। दो धारा-सभाओं में से पहली का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा तथा दूसरी का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में प्रान्तीय धारा-सभाओं पर निर्भर रखा गया था। भारतीय धारा-सभा को सेना के खर्च पर भी मत देने का अधिकार था तथा यह विभाग भी एक उत्तर-दायी भारतीय रक्षा-मन्त्री के अंतर्गत रखा गया था।

साइमन कमीशन के बायकाट के बाद उस समय के गवर्नर जनरल लार्ड इरविन ने १६२६ की शीत ऋतु में एक घोषणा की, जिसमें भारत को औपनिवेशिक पद देने के अतिरिक्त साइमन कमीशन की रिपोर्ट तैयार होने के बाद एक गोलमेज कांफ्रेन्स बुलाने का आश्वासन दिया गया था। इस घोषणा का भारतीयों द्वारा स्वागत तथा विलायत में विरोध किया गया। निदान भारतीय जनता में भ्रम फैलना स्वाभाविक था। उन्होंने लार्ड इरविन से इस बात के स्पष्टीकरण की मांग की कि "क्या गोलमेज़ कांफ्रेन्स में 'भारत को औपनिवेशिक पद कब दिया जावेगा' इस बात पर विचार न हो केवल औपनिवेशिक विधान की रूपरेखा पर ही विचार किया जावेगा ?" बृटेन में हो रहे विरोध को देखते हुए स्पष्ट था कि ऐसी कोई स्पष्ट बात कहने में लार्ड इरविन असमर्थ थे।

फलतः लाहौर में जब कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, तब गोलमेज़ कांफ्रेस का प्रस्ताव सर्वप्रमुख भारतीय राजनीतिक दल कांग्रेस द्वारा ठुकरा दिया गया। औपनिवेशिक पद को अस्वीकृत कर प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता

की भी तब मांग की गई। साथ ही सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया।

यहाँ साइमन कमीशन की सिफारिशों का संक्षेप में उल्लेख भी अप्रासंगिक नहीं होगा। इन सिफारिशों में प्रांतीय स्वायत्त शासन, मताधिकार को कुछ और व्यापक करने तथा प्रांतों की शांति व सुरक्षा को बनाये रखने का और अल्पमतों की रक्षा के लिए प्रांतीय गवर्नरों को कुछ विशेषाधिकार देने के सुझाव रखे गए थे। केन्द्रीय शासन के सम्बन्ध में कमीशन की सिफारिश फैडरल सरकार की स्थापना की थी। प्रत्येक प्रांत को अपनी जनसंख्या के अनुपात से सीटें देने का सुझाव रखा गया था। किन्तु जहां तक केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायी बनाने का प्रश्न था, कमीशन ने इस सम्बन्ध में प्रांतीय स्वायत्त शासन के परिणाम को देखने के बाद ही कुछ निर्णय करने की सिफारिश की थी। इसी प्रकार भारत की रक्षा के सम्बन्ध में भी इसका भार बृटेन पर ही छोड़ना उचित समझा गया। उच्च नौकरियों की भरती के बारे में भी भारत-सचिव के अधिकार को पूर्ववत् रखने की सिफारिश की गई थी।

देश में सत्याग्रह संग्राम छिड़ा हुआ था। उधर बृटेन में गोलमेज़ कांफ्रेंस की तैयारियां हो रही थीं। पहली गोलमेज़ कांफ्रेन्स इस विचित्र वातावरण में १२ नवम्बर १६२० को हुई। इसकी एकमात्र सफलता इस बात में निहित समझी जा सकती है कि देशी नरेशों ने भारतीय फैडरेशन के अंतर्गत आना स्वीकार कर लिया। इस कांफ्रेंस की समाप्ति के बाद बृटिश प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया, जिसमें सत्याग्रह बन्द कर देने की अपील की गई। इससे उत्साहित हो लार्ड इरविन ने कांग्रेस से समझौता करने की फिर एक बार चेष्टा की। इसमें उन्हें सफलता मिल गई। फलस्वरूप गांधी-इरविन समझौता ४ मार्च १६३१ को हो गया और गांधीजी ने दूसरी गोलमेज़ कांफ्रेंस में जाना स्वीकार कर लिया।

दूसरी गोलमेज़ कांफ्रेंस १७ सितम्बर १६३१ को हुई। इसमें

कांग्रेस की ओर से गांधीजी सम्मिलित हुए। बृटिश फूट-नीति इस कांफ्रेंस में अच्छा रंग लाई। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न को ले अल्पमतों पर डोरे डाले गए। फलतः इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हो सका। बृटिश कूटनीतिज्ञों को बन्दरबांट के अधिकार प्राप्त हो गए। अल्पमतों की रक्षा के नाम पर विशेषाधिकार उन्होंने अपने हाथ में रखने की घोषणा की। इस कशमकश के वातावरण में १७ नवम्बर १९३२ को तीसरी गोलमेज कांफ्रेंस हुई। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी बृटिश प्रधानमंत्री के अस्पष्ट आश्वासनों से सन्तुष्ट नहीं हो सके। वे कांफ्रेंस को अधूरा छोड़ वापिस भारत लौट आये, जहां आते ही उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस और बृटिश सरकार में फिर संघर्ष प्रारम्भ हो गया। दूसरी ओर बृटेन में गोलमेज कांफ्रेंस चालू रही और बृटिश सरकार की ओर से साम्प्रदायिक-निर्णय (कम्युनल अवार्ड) की घोषणा कर दी गई।

साइमन कमीशन की सिफारिशों और तीन गोलमेज़ कांफ्रेंसों के फलस्वरूप १९३५ का भारतीय एक्ट अस्तित्व में आया, जिसे श्वेत-पत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके फलस्वरूप प्रथम बार प्रांतों को स्वायत्त-शासन के अधिकार प्राप्त हुए। किन्तु केन्द्र में तब भी दोहरी शासन-पद्धति चालू रही ; प्रांतीय गवर्नरों और गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार पूर्ववत् बने रहे ; इसलिए देश की सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था द्वारा १९३५ का एक्ट अमान्य कर दिया गया तथा इससे टक्कर ले इसे चकनाचूर कर देने की ठान ली गई।

इस एक्ट के अनुसार १९३७ में चुनाव हुए, जिनमें देश के ११ प्रान्तों में से ८ में कांग्रेस के उम्मीदवार बहुमत में आये। शेष तीन प्रान्तों में भी कांग्रेस-दल सबसे बड़ा दल साबित हुआ। इस सफलता के बाद कांग्रेस ने इस एक्ट की धज्जियाँ उखाड़ फेंक देने का निश्चय किया। किन्तु ठीक समय पर देश के शासकों द्वारा प्रच्छन्न रूप से हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दे दिये जाने के कारण कांग्रेस इस एक्ट को कार्यरूप

में लाई। लगभग डेढ़ वर्ष तक कांग्रेस दल ने प्रान्तों का शासन सफलता और शान्तिपूर्वक चलाया। किन्तु इस बीच यूरोप में द्वितीय महायुद्ध का सूत्रपात हो गया। इस महायुद्ध में भारत को ज़बरदस्ती घसीट ले जाने के शासकीय निर्णय के फलस्वरूप १६३६ में कांग्रेस ने प्रान्तीय धारासभाओं का त्याग कर एक वैधानिक संकट उपस्थित कर दिया।

अगले दो वर्ष कांग्रेस और सरकार के संघर्ष में बीते। १६४२ में युद्ध का स्वरूप बड़ा विकट हो गया। जापान बर्मा तक आ पहुँचा। फलस्वरूप भारतीय लोकमत को अपने अनुकूल बनाने की फिर बृटिश शासकों को चिन्ता हुई। सर क्रिप्स देश के राजनीतिक दलों से समझौता करने के लिए भारत भेजे गए।

सर क्रिप्स जो समझौते की शर्तें लाये थे, उनमें मुख्य इस प्रकार थीं: १—भारत को औपनिवेशिक पद देने को बृटिश सरकार प्रस्तुत है। २—इस कार्य के लिए युद्ध की समाप्ति पर एक वैधानिक सभा आयोजित की जावेगी, जिसमें रियासतों और प्रान्तों दोनों के प्रतिनिधि रहेंगे। ३—बृटेन व भारत में जो संधि होगी, उसमें अल्पमतों की रक्षा के संबंध में विशेष प्रबन्ध किये जावेंगे। ४—युद्धकाल में देश की रक्षा की जिम्मेवारी बृटिश सरकार पर ही रहेगी।

क्रिप्स की शर्तें इस आधार पर कांग्रेस द्वारा ठुकरा दी गईं कि तत्काल शासन-व्यवस्था में परिवर्त्तन करने के लिए बृटिश सरकार तैयार नहीं है। भविष्य के वायदों पर कांग्रेस को कोई संतोष नहीं हुआ। रियासती प्रतिनिधियों का चुनाव न किया जाकर राजाओं की ओर से उनको मनोनीत किये जाने के प्रबन्ध पर भी उसे आपत्ति थी। फलस्वरूप कांग्रेस ने इन्हें ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग द्वारा भी यह योजना ठुकरा दी गई। कारण, इससे पाकिस्तान की उनकी माँग पूरी नहीं होती थी।

क्रिप्स की वापसी के बाद फिर सरकार और कांग्रेस में 'भारत-छोड़ो' युद्ध शुरू हो गया। यह संघर्ष युद्ध की समाप्ति तक चला। यद्यपि इस बीच १६४४ में लार्ड वेवल ने वायसराय पद पर रहते हुए

दो बार समझौते की चेष्टा की। लार्ड वेवल की योजना में वायसराय की कार्यकारिणी में कमाण्डर इनचीफ़ को छोड़ शेष सब के भारतीयकरण का आश्वासन देते हुए क्रिप्स-योजना को कार्यान्वित करने का बृटिश सरकार की ओर से वचन दिया गया था। किन्तु किस दल को कितना प्रतिनिधित्व दिया जावे इस सम्बन्ध में भारतीय राजनीतिक दलों में कोई समझौता नहीं हो सका। फलतः यह विफल रही। दूसरी बार शिमला में नेताओं की कान्फ्रेन्स बुलाई गई। यह भी सफल नहीं हो सकी।

युद्ध की समाप्ति के बाद का युग एक विद्रोही युग है, जिसमें सर्व-साधारण जनता का विद्रोह आगे बढ़ फौज व पुलिस में भी फैल गया। युद्धकाल में जब श्री सुभाषचन्द्र बोस ने बर्मा में आज़ाद हिन्द फौज की स्थापना की, तब बर्मा, मलाया आदि की लड़ाई में पकड़े बहुत से फौजी इस फौज में सम्मिलित हो गए। प्रथम बार भारतीय फौजों में आज़ादी की आग इस प्रकार फैली।

युद्ध की समाप्ति के बाद यह आग नौ-सैनिकों के विद्रोह, भारतीय हवाई सेना की भूख-हड़ताल तथा पुलिस के प्रदर्शनों के रूप में प्रकट हुई। फलतः बृटिश सरकार एक बार फिर भारतीयों की माँग पर विचार करने के लिए विवश हुई। इसके अतिरिक्त बृटेन में नया चुनाव हो जाने के फलस्वरूप एक उदार मज़दूर सरकार तब शासनारूढ़ भी थी, जिसने भारतीय झंझट को निबटा देना ही उचित समझा।

फलस्वरूप एक मन्त्रिमण्डल-मिशन भारत भेजा गया। २३ मार्च १९४६ को यह मिशन भारत आया। विभिन्न दलों से बातचीत करने के उपरान्त १६ मई को इस ने अपनी योजना प्रकाशित की। इसके अनुसार देश को तीन वैधानिक इकाइयों में बांटने का प्रस्ताव रक्खा गया था। केन्द्र में एक यूनियन बना इन तीनों इकाइयों को एक स्थान में एकत्रित कर दिया जाता।

भाग अ

प्रान्त	आम	मुस्लिम	कुल
मद्रास	४५	४	४९
बम्बई	१९	२	२१
युक्तप्रान्त (वर्त्तमान उत्तर-प्रदेश)	४७	८	५५
बिहार	३१	५	३६
मध्यप्रान्त	१६	१	१७
उड़ीसा	९	०	९
योग	१६७	२०	१८७

भाग ब

प्रान्त	आम	मुस्लिम	सिख	कुल
पंजाब	८	१६	४	२८
सीमाप्रान्त	०	३	०	३
सिन्ध	१	३	०	४
योग	९	२२	४	३५

भाग स

प्रान्त	आम	मुस्लिम	कुल
बंगाल	२७	३३	६०
आसाम	७	३	१०
योग	३४	३६	७०

बृटिश भारत कुल	२९२
देशी रियासतें	९३
योग	३८५

इसके साथ ही अन्तरीय समय के लिए एक काम-चलाऊ

अस्थायी सरकार केन्द्र में बनाने की भी एक योजना मिशन द्वारा प्रस्तुत की गई। मिशन तीन मास बाद वापिस विलायत चला गया। एक गम्भीर साम्प्रदायिक कलुषित वातावरण में देश के राजनीतिक दल फँस गए। अन्त में २ सितम्बर १९४६ को कांग्रेस ने अन्तरीय अस्थायी सरकार में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। किन्तु मुस्लिम लीग तब भी शासन-प्रबंध से बाहर थी। १५ अक्तूबर को लीग भी अस्थायी सरकार में सम्मिलित हो गई। किन्तु फूट-नीति भीतर-ही-भीतर अपना कार्य कर रही थी। अस्थायी सरकार में सम्मिलित होने के बाद भी लीग ने वैधानिक-सभा से अपना असहयोग जारी रखा।

२० जून १९४८ को बृटिश प्रधानमन्त्री एटली ने लन्दन से वह ऐतिहासिक घोषणा की जिसमें जून १९४८ तक भारत से बृटिश वापसी का विश्वास दिलाया गया था। साथ ही भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से आपसी झगड़े मिटा देश का शासन अपने हाथ में लेने की प्रार्थना की गई थी, ताकि वे शासन-भार के बोझ को अपने कन्धों पर संभाल सकें। इस घोषणा में यह भी कहा गया था कि यदि निश्चित समय में भारतीय राजनीतिक दल भारत के लिए किसी विधान का निर्माण न कर सके, तब किस प्रकार भारत का शासन यहाँ के लोगों को सौंपा जाय, इसका अन्तिम निर्णय बृटिश सरकार स्वयं करेगी।

भविष्य में शासनाधिकार किस दल को सौंपा जायगा, इस सम्बंध में अस्पष्ट घोषणा का स्पष्ट अर्थ भारत के विभिन्न दलों को और भी उलझा देने वाला था अपने-अपने दल का बल प्रदर्शित करने के लिए देश में राजनीतिक प्रदर्शन होने लगे। बाद में साम्प्रदायिक दंगों का सूत्रपात हुआ तथा सर्वत्र देश में अशान्ति फैल गई।

देशव्यापी दंगों को ध्यान में रखते हुए अन्त में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस ने देश के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस कूटनीतिक सफलता का श्रेय लार्ड माउन्टबेटन को है। बारम्बार मिली असफलता के बाद लार्ड वेवल को २४ मार्च १९४७ को

वापिस बुला लिया गया तथा आपके स्थान में लार्ड माउन्टबेटन इस देश में गवर्नर जनरल बनाकर भेजे गए। ३ जून को भारत के विभाजन की लन्दन और भारत दोनों स्थानों में एक साथ घोषणा की गई।

देश के विभाजन के लिए पंजाब और बंगाल को मुस्लिम बहुमत और गैर-मुस्लिम बहुमत इन दो हिस्सों में राय देने के लिए बाँट दिया गया। सिन्ध के प्रतिनिधियों की भी राय ली गई। सीमाप्रान्तों में चूँकि कांग्रेस सरकार पदारूढ़ थी, इसलिए विभाजन के सम्बंध में उनका मन्तव्य स्पष्ट ही था। ऐसी अवस्था में विभाजन को सफल बनाने के लिए बृटिश छत्रछाया में पुनः मत-गणना करने का निश्चय किया गया। इस मत-गणना में स्थानीय कांग्रेस दल ने कोई क्रियात्मक हिस्सा नहीं लिया। बंगाल के विभाजन की अवस्था में सिलहट में भी, जहाँ मुस्लिम जनता बहुमत में थी, मत-गणना करने का फैसला किया गया। इन समस्त कूटनीतिक दांव-पेचों के फलस्वरूप देश के विभाजन की अन्तिम तैयारियाँ हो गईं।

अन्तिम बृटिश एक्ट स्वतंत्रता एक्ट के नाम से ५ जुलाई को बृटिश पार्लिमैंट में पेश होकर १५ जुलाई को पास हो गया। १८ जुलाई के दिन यह कानून के रूप में परिवर्त्तित हो गया। इसके अनुसार देश का विभाजन पूर्ण कर १५ अगस्त १९४७ से दो स्वतन्त्र देश हिन्दुस्तान और पाकिस्तान अस्तित्व में आ गए। इन दोनों देशों को अपनी इच्छानुसार विधान बनाने के अधिकार भी दे दिये गए। जब तक ये प्रदेश अपना विधान स्वयं बनाकर नई शासन-प्रणाली चालु नहीं करें, तब तक के लिए १९३५ का एक्ट कानून के रूप में स्वीकृत किया गया। शान्ति व शासन की समस्त ज़िम्मेवारी इन दोनों देशों की जनता पर छोड़ दी गई। भारतीय रियासतों पर बृटिश सम्राट् की जो सार्वभौमिक सत्ता थी, उसकी समाप्ति कर इन रियासतों से हुई समस्त संधियाँ भी समाप्त कर दी गईं।

२६ जनवरी १९५० को भारत ने संविधान सभा द्वारा पास किया गया अपना स्वतंत्र विधान अपना लिया और अपने को सम्पूर्ण सत्ताधारी प्रजातंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया।

देशी रियासतें

स्वतन्त्रता से पूर्व अंग्रेजी शासनाधीन भारत के सामने जो प्रमुख राजनीतिक समस्याएँ थीं उनमें एक देशी नरेशों और उनकी रियासतों की समस्या भी थी। यद्यपि समस्त भारत पर अंग्रेजों का अक्षुण्ण प्रभुत्व था, फिर भी शासन की दृष्टि से देश दो भागों में बंटा था— (१) बृटिश भारत जो दो प्रान्तों में विभक्त था और जहाँ केन्द्रीय तथा प्रांतीय धारा-सभाओं की सहायता से गवर्नर शासन करते थे, और (२) नरेशीय भारत, जहाँ देशी रजवाड़ों का शासन था और जो केन्द्रीय धारा-सभा तथा वाइसराय की कार्यकारिणी की शासन-परिधि से बाहर था। भारत का यह भाग करीब ५८० रियासतों में बंटा था। हरेक रियासत एक राजा अथवा नवाब के अधीन थी और शासन की दृष्टि से अलग इकाई मानी जाती थी। इन रियासतों में एक तरफ हैदराबाद और काश्मीर जैसी रियासतें थीं जो यूरोप के साधारण देशों जितनी बड़ी थीं, और दूसरी तरफ सैकड़ों इतनी छोटी रियासतें भी थीं जिनका क्षेत्रफल २० वर्गमील से कम और आबादी २५ हजार तक ही थी।

इसीलिए भारत की राजनीतिक समस्या का सिंहावलोकन करते समय रियासतों का प्रश्न आते ही प्रत्येक समीक्षक को रुक जाना पड़ता था। जहाँ तक बृटिश भारत का सम्बन्ध था उसे राजनीतिक तथा वैधानिक इतिहास क्रमबद्ध मिलता था, परन्तु रियासतों का प्रश्न सामने आते ही एक विकट समस्या उपस्थित हो जाती थी। प्रान्तों में शासन

की एक नियमित प्रणाली थी, परन्तु रियासतों में सभी-कुछ निराला था। सिवाय इसके कि ये सभी रियासतें कहलाती थीं और बृटिश भारत से इनका कोई शासनिक प्रबन्ध नहीं था, इन रियासतों में कोई बात सामान्य नहीं थी। सब अपने-अपने ढर्रे पर चलती थीं और अपनी ही दुनिया में रहती दिखाई देती थीं। आज स्वतंत्र भारत में जबकि शासन की कुल इकाइयों की संख्या २४ है, रियासतों की समस्या तथा संख्या की कल्पना मात्र से सिर घूमता है। परन्तु इसके कारण इस प्रश्न की अवहेलना नहीं की जा सकती। रियासतों की उत्पत्ति, उनका विकास और दो वर्ष में ही उनका विलोप एक रोचक कहानी है।

रियासतों की उत्पत्ति

भारत की देशी रियासतें प्राक् बृटिश-कालीन मुगल साम्राज्य, मराठा और सिख साम्राज्य की अवशेष कही जा सकती हैं। जैसे-जैसे अंग्रेज देशी राज्यों को जीतते गए अथवा उन्हें अपने संरक्षण में लेते गए, ईस्ट इंडिया कम्पनी और इन राज्यों में संधिगत सम्बन्ध स्थापित होते गए। इस कहानी का अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों के इतिहास से सम्बन्ध है।

(१) प्रथम चरण—रियासतों की उत्पत्ति का प्रथम चरण १७५७ में प्लासी के युद्ध से आरम्भ होता है और १८१३ में समाप्त होता है। इस काल की विशेषता यह थी कि अंग्रेज लोग मुख्यतः अपने व्यापार को सुरक्षित रखना चाहते थे और अपने अधिकार-क्षेत्र में विस्तार बाध्य होकर ही करते थे। वे स्थानीय राज्यों के झगड़ों में कम-से-कम उलझना चाहते थे। इस काल में ईस्ट इंडिया कम्पनी की नीति अपने अधिकार-क्षेत्र को रखने की रही। जो राज्य इस अवधि में अंग्रेजों के संरक्षण में आये, उन्होंने अंग्रेजों की आधीनता स्वीकार की और अक्षुण्ण बने रहे।

(२) द्वितीय चरण (१८१३–१८५७)—सभी ओर सफलता होने के कारण अंग्रेजों ने अपनी नीति को बदल दिया। अब व्यापारी लोग

साम्राज्य के स्वप्न देखने लगे। भारत को एक मूल्यवान शिकार समझ ईस्ट इंडिया कम्पनी के कार्यकर्त्ता अब भारत को बृटेन का उपनिवेश बनाने में तत्पर हो गए। इस चरण की दो विशेषताएँ हैं। अब अंग्रेजों को अपना अधिकार-क्षेत्र सीमित रखने का चाव नहीं रहा। सफलता उन्हें अभयदान दे चुकी थी और अब वे सारे देश को अपने अधीन करना चाहते थे। दूसरे अब अंग्रेज अपने को सबसे बड़ी सत्ता मानने लगे तथा संधियों में भारतीय नरेशों को स्पष्ट शब्दों में अपना मातहत कहने लगे। इसी अवधि में बहुत-से राज्य अनेक कारणों से अंग्रेजों ने अपने प्रत्यक्ष शासन में ले लिये। उन्हें रजवाड़ों से कोई मोह नहीं था और जहाँ भी उनका वश चला उन्होंने रियासतों को बृटिश भारत में मिला दिया। यह क्रम १८५७ तक रहा।

(३) तृतीय चरण (१८५७–१९३५)—१८५७ की क्रांति ने अंग्रेजों की आँखें खोल दीं। अपने साथी भारतीय नरेशों की सहायता के कारण ही अंग्रेज यहाँ जमे रह सके। रियासतों ने कम्पनी की उदारतापूर्वक सहायता की। ईस्ट इंडिया कम्पनी समाप्त कर दी गई और देश का शासन अब बृटिश सरकार के हाथों में चला गया। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भविष्य में कोई रियासत बृटिश भारत में नहीं मिलाई जायगी और नरेशों के अधिकारों की रक्षा की जायगी।

कुछ समय के बाद अंग्रेज समझ गए कि भारत में अपनी जड़ें मजबूत बनाने के लिए ये असंख्य रियासतें उनके लिए बहुत बड़ा वरदान हैं। इस प्रकार देश का एक-तिहाई भाग बिलकुल उनकी मुट्ठी में रहेगा। स्वराज्य के लिए राष्ट्रवादी तत्वों के आन्दोलन का दमन भी रियासतों की सहायता से सहज ही हो सकेगा।

और हुआ भी यही। गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो आन्दोलन चलाया उसके फलस्वरूप प्रान्तों में वैधानिक सुधारों की व्यवस्था हुई, किन्तु रियासतें उनसे बिलकुल अछूती रहीं। १९१९ तथा १९३५ के सुधारों के कारण प्रान्तीय शासनों में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए, पर

देश का एक-तिहाई भाग टस-से-मस नहीं हुआ। अ० भा० प्रजाजन परिषद् ने रियासतों में कहीं-कहीं सुधारों के लिए आन्दोलन किया, परन्तु राष्ट्रवादियों का दमन करने में रियासतों के निरंकुश शासनों को कोई कठिनाई नहीं हुई। अब अंग्रेजों को यथेष्ट प्रमाण मिल गया कि, लार्ड मिण्टो के शब्दों में, स्वतन्त्रता आन्दोलन रूपी बाढ़ को रोकने के लिए बांध का काम जितना सुन्दर रियासतें कर सकती हैं और कोई युक्ति अथवा संस्था नहीं कर सकती।

प्रान्तीय सरकारों से संघर्ष

गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट १९३५ के अनुसार १९३७ में बृटिश भारतीय प्रान्तों में प्रजातन्त्रीय शासन पद्धति के आधार पर लोकप्रिय मंत्रिमण्डल स्थापित हो गए। मुस्लिम बहुमत प्रान्तों को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस पदारूढ़ हुई। इन प्रान्तीय सरकारों और चारों ओर बिखरी हुई रियासतों की सरकारों में आकाश-पाताल का अन्तर था।

(४) मार्च १९३९ में अ० भा० देशी राज्य लोकपरिषद् के लुधियाना अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने निम्न बातों पर प्रकाश डाला।

(क) यदि देशी राज्य अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहते हैं तो उनकी शासन-व्यवस्था प्रांतों की भाँति लोकप्रिय एवं प्रजातन्त्रीय होनी चाहिए।

(ख) चूंकि अधिकांश देशी राज्य छोटे होने के कारण अपने आप प्रजातंत्रीय सरकार स्थापित करने के लिए साधनहीन तथा अक्षम हैं, अतः या तो उनका यथासम्भव आपस में वर्गीकरण हो जाना चाहिए, या उन्हें पड़ोसी बड़ी रियासतों अथवा बृटिश भारतीय प्रान्तों में मिला देना चाहिए।

(ग) उक्त दोनों बातें पूरी होते ही समय रहते राजवर्ग की वर्त्तमान आन-बान को भी विदा देनी होगी।

(घ) कुछ नरेश अपने प्राचीन सन्धि-पत्रों को आज भी अपनी सीमित स्वतंत्रता अथवा सर्वनिष्ठ सत्ता की गारंटी समझते हैं। इस बारे में पं० नेहरू ने कहा—'जिस सन्धि से मानव-अधिकारों की उपेक्षा होती है, उसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्येक प्रान्त की सीमा के भीतर अथवा ऊपर कोई-न-कोई रियासत मौजूद थी। किसी-किसी रियासत की सीमा तो प्रान्तीय सीमाओं को अनेक स्थानों पर छूती थी। बृटिश प्रान्त तथा उसके पड़ोसी देशी राज्य के लोगों के जीवन-प्रवाह तथा सामाजिक चाल-ढाल में कोई अन्तर नहीं था। दोनों के बीच यातायात तथा भौगोलिक एकता होने के कारण किसी प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक दीवार खड़ी करना असम्भव था। अतः उन दोनों की स्थिति का एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। यही कारण है कि बृटिश प्रान्त अपनी सीमा के भीतर अथवा ऊपर स्थित देशी राज्य की घटनाओं को तमाशबीन की तरह दूर खड़े रहकर नहीं देख सकते थे। उदाहरण के लिए १९३९ में राजकोट की घटना से सम्पूर्ण भारत की शान्ति को खतरा पैदा हो गया था। बम्बई के कांग्रेस मन्त्रिमण्डल को राजकोट तथा अन्य पड़ोसी देशी राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ जो गड़बड़ी फैली हुई थी, उसका बम्बई की जनता पर पूरा असर पड़ रहा था और उसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था।

१९३७ में बृटिश प्रान्तों में स्वायत्त-शासन व्यवस्था का आविर्भाव हुआ। उनके शासन की बागडोर जनता के प्रतिनिधि मंत्रिमण्डलों के हाथ में आ गई। किन्तु अधिकांश रियासतों में अब भी निरंकुश राजा ही शासन चलाते थे। मैसूर, त्रावंकोर, कोचीन, बड़ौदा आदि कुछ देशी राज्यों में अवश्य लोकप्रिय धारा-सभाएँ स्थापित हो चुकी थीं, जिनमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत था। तीन-चौथाई से भी अधिक रियासतों को यह तक मालूम न था कि जनप्रतिनिध्यात्मक शासन-व्यवस्था किस चिड़िया का नाम है। फलतः वहाँ की जनता की

अपनी शासन-व्यवस्था में कोई भी आवाज़ न थी। इसी समय अ० भा० देशी राज्य लोकपरिषद् को नवस्फूर्ति मिली और वह परम शक्तिशाली भारतव्यापी संस्था बन गई। इस परिषद् ने घोषणा की कि उसका ध्येय देशी राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। चूँकि देशी राज्य जन-आन्दोलन के कर्णधार पं० जवाहरलाल नेहरू तथा डा० पट्टाभि सीतारामय्या जैसे श्रेष्ठ कांग्रेसी नेता रह चुके हैं, अतः देशी राज्य लोकपरिषद् को बृटिश भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का रजवाड़ी संस्करण कहना अनुचित न होगा। पिछले कुछ वर्षों में देशी राज्यों की जनता ने अपने यहां उत्तरदायी सरकार स्थापित कराने के लिए अनेक बार व्यापक आन्दोलन किये। इस सिलसिले में त्रावंकोर, मैसूर, राजकोट तथा जयपुर के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। अपनी उद्घोषित नीति के अनुसार अ० भा० देशी राज्य लोकपरिषद् की स्थानीय शाखाओं को विभिन्न रजवाड़ों में उक्त जन-आन्दोलन छिड़ने पर उनका संचालन करना पड़ा। राष्ट्रीय कांग्रेस और देशी राज्य लोक-परिषद् के बीच भाईचारे का नाता था। इसीलिए लोकप्रिय प्रान्तीय मंत्रिमण्डलों की रियासतों में होनेवाले आन्दोलनों के साथ सहानुभूति होनी स्वाभाविक थी। इसी समय उड़ीसा की रियासतों, विशेष कर ढ्रु ग की छोटी-सी रियासत में हुई घटना ने इस स्थिति को और भी गम्भीर बना दिया। शासकों के दमन से उत्पीड़ित होकर ढ्रु ग की सारी जनता राज्य खाली करके बृटिश उड़ीसा में आ डटी। इसी प्रकार काठियावाड़ के कुछ रजवाड़ों में अकाल पड़ने तथा वहां के शासकों द्वारा भूखों मरती जनता के लिए उचित अन्न-व्यवस्था न हो सकने के कारण लोग हज़ारों की संख्या में अपने घर-द्वार छोड़कर बम्बई प्रान्त में चले गये। इन भूखे-नंगे लोगों की देख-रेख की ज़िम्मेवारी अचानक उड़ीसा और बम्बई सरकारों पर आ पड़ी। ऐसी हालत में रियासतों के प्रति उनके रुख में कठोरता आ जाना स्वाभाविक था। उन्होंने देशी राज्यों की शासन-व्यवस्था की खुले-आम आलोचना करनी आरम्भ कर दी और प्रत्येक

रियासत में प्रजातन्त्रीय शासन पद्धति के अनुसार अविलम्ब उत्तरदायी सरकार स्थापित करने पर ज़ोर दिया। इस प्रकार देशी नरेशों के विरुद्ध दो मोर्चे खुल गए। एक ओर तो, उनसे कांग्रेस हाई कमान लोहा लेने लगा और दूसरी ओर उनकी गर्दन पोलिटिकल विभाग ने दबानी शुरू कर दी। इस कशमकश ने बढ़ते-बढ़ते व्यापक संघर्ष का रूप धारण कर लिया। राजकोट की दुर्घटना तथा भयपुर, त्रावंकोर और मैसूर के सत्याग्रह इसी संघर्ष की चिनगारियां थीं।

युद्ध-पूर्व काल में देशी नरेशों और उनके दीवानों ने जिस मनोवृत्ति का परिचय दिया वह अत्यन्त शोचनीय थी। उत्तरदायी अथवा प्रजातंत्रीय सरकार तथा उसकी स्थापना करनेवाले जन-आन्दोलनों के बारे में इस शासन वर्ग के क्या विचार थे उन्हें जानना आवश्यक है। त्रावंकोर के दीवान सचिवोत्तम सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने राज्य में उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले जन-आन्दोलन को ठंडा करने के लिए एक नये सूत्र का आविष्कार किया। उन्होंने कहा कि त्रावंकोर और बृटिश ताज के बीच सन्धि के अनुसार त्रावंकोर के शासक सारी शासन-शक्ति अपने अथवा अपने मनोनीत उत्तराधिकारियों के हाथ में सुरक्षित रखने को निरंतर वचनबद्ध हैं। इसी भांति सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने राज-सत्ता, तथा रजवाड़ों और प्रभुशक्ति के बीच विद्यमान संधियों के समर्थन में ढोल पीटना आरम्भ कर दिया। निजाम-हैदराबाद के मामले में लार्ड रीडिंग ने जो अपना निर्णय दिया था तथा देशी राज्यों की सर्वनिष्ठ सत्ता के सम्बन्ध में बटलर कमेटी ने जो अपना मत व्यक्त किया था, उससे वे अनभिज्ञ न थे, फिर भी त्रावंकोर तथा प्रभुशक्ति के बीच हुई सन्धि की दुहाई देकर त्रावंकोर की स्वतंत्र सत्ता के लिए बारम्बार अपने युक्ति-युक्त दावे पेश किये। इस सिलसिले में महात्मा गांधी, डा० पट्टाभि सीतारामय्या, डाक्टर कैलाशनाथ काटजू प्रभृति अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं से उनका वादविवाद छिड़ गया जिन्होंने इस कथन का स्पष्ट

विरोध किया कि देशी राज्यों की अपनी कोई पृथक् स्वतंत्र सत्ता भी है और ब्रिटिश सरकार के साथ उन्हें समानता का पद प्राप्त है।

हैदराबाद राज्य ने भी सर रामास्वामी अय्यर के पद-चिह्नों का अनुकरण किया। हैदराबाद में कांग्रेस संस्था पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। हैदराबाद राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री के० एस० वैद्य ने उक्त प्रतिबन्ध हटाने के लिए निजाम कार्यकारिणी कौंसिल के अध्यक्ष से लिखा-पढ़ी की। इस सिलसिले में हैदराबाद के गृहमंत्री ने श्री वैद्य को निम्न उत्तर दिया।

"आपकी संस्था का उद्देश्य एक ऐसी सरकार की स्थापना करना है जो धारा सभा के बहुमत के आदेश अथवा निर्णय के अनुसार काम करे। किन्तु सरकारी घोषणा में निहित सिद्धान्त के अनुसार अपनी प्रजा की हित-रक्षा के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था का अविभाज्य उत्तरदायित्व शासक निजाम पर है। आपका उद्देश्य इस सिद्धान्त के प्रतिकूल है।"

कुछ समय तक यह नाटक इसी प्रकार चलता रहा। किन्तु बाद में देशी नरेश और उनके दीवान संधियों की जो काल्पनिक व्याख्या कर रहे थे उसे सुनकर स्वयं प्रभुशक्ति का माथा ठनक उठा। अतः पोलिटिकल विभाग के प्रवक्ताओं को विवश होकर उस गलत फहमी का प्रतिवाद करना पड़ा जो सर सी० पी० रामास्वामी और उनके नक्कालचियों ने काफी देर से फैला रखी थी। तत्कालीन भारतमंत्री लार्ड जटलैंड ने २ मार्च, १९३९ को लिवरपूल व्यापारमंडल के एक भोज के अवसर पर भाषण देते हुए भारतीय देशी राज्यों के जन-आन्दोलन का उल्लेख किया। भारतमंत्री ने कहा—"हम भारतीय नरेशों को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए वचनबद्ध हैं। किन्तु इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि यह नरेश अपनी प्रजा की वैध तकलीफ़ों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दें और जहाँ सम्भव हो उन्हें दूर करने का उचित उपाय करें।........मेरी समझ से वह समय आ गया है जब कि अतीत काल की अपेक्षा तनिक अधिक सक्रिय रूप से प्रभुशक्ति को इन

राज्यों के मामलों में दखल देना चाहिए। यह हस्तक्षेप उनकी सर्वनिष्ठ सत्ता छीनने के उद्देश्य से नहीं, वरन् उन्हें यह सलाह देने के लिए होना चाहिए कि समय द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें भी अपनी शासन-व्यवस्था के मापदण्ड को ऊँचा करने में पीछे न रहना चाहिए।"

'लन्दन टाइम्स' पत्र अपनी विचार-गम्भीरता और देशी नरेशों के प्रति अपने मैत्रीपूर्ण रुख के लिए चिर-प्रसिद्ध है। उसने रजवाड़ों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में चालू जन-आन्दोलनों तथा नरेन्द्र-मण्डल द्वारा संघ-योजना ठुकराये जाने के बारे में अनेक सम्पादकीय टिप्पणियां लिखीं। उक्त पत्र में लिखा था, "जो नरेश यह ख्याल करते हैं कि संघ-योजना के बाहर रहने पर भी उनका कोई बालबांका नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभुशक्ति उनकी हमेशा रक्षा करने के लिए वचन-बद्ध है, वे स्वयं अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और बृटिश राजनीतिक विकास के ऐतिहासिक तथ्यों को बिलकुल भूल रहे हैं। ब्रिटिश पार्लमेंट एक प्रजातंत्रीय संस्था है जिसकी छत्रछाया में निस्सन्देह संसार का सबसे अधिक सुरक्षित राज-सिंहासन मौजूद है। किन्तु वास्तव में यह बृटिश राजसिंहासन क्या है? बृटिश पार्लमेंट—खासकर कामन-सभा—अधिकतम विस्तृत बालिग-मताधिकारी द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों की सभा है। इसमें अपने प्रतिनिधियों द्वारा जनता का जो व्यापक मत व्यक्त और संग्रहीत होता है, उसी की प्रतिध्वनि बृटिश ताज से सुनाई देती है। दर-असल सम्राट् और वाइसराय की शक्ति लोकमत पर निर्भर है। बृटिश का लोकमत स्वप्न में भी लोकप्रिय सरकार के मुक़ाबले निरंकुश शासन-व्यवस्था को प्रश्रय देना नहीं जानता। अतः बृटेन के लोकमत द्वारा उन नरेशों के समर्थन किये जाने की तनिक भी सम्भावना नहीं जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते, जिसका अन्तिम ध्येय बृटिश राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत भारत को अन्य राष्ट्रों के समान पद प्राप्त करने के योग्य

बनाना है। क्या ऐसी दशा में बृटेन के लोक-मत से प्रभुशक्ति द्वारा स्वीकृत अपनी स्वेच्छाचारिता को अनिश्चित काल तक के लिए कायम रखने की आशा करना भ्रमपूर्ण धारणा नहीं ?''

देशी राज्यों में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के सम्बन्ध में चालू-जन-आन्दोलनों के प्रति नरेशों ने जो रुख अख्तियार किया, भारत में उसकी जबर्दस्त प्रतिक्रिया हुई। नरेशों के इस रुख के समर्थन में, उनके दीवानों अथवा मंत्रियों को छोड़कर, भारत के किसी दल अथवा राजनीतिज्ञ ने दो शब्द तक नहीं कहे।

भारत में प्रतिक्रिया

लार्ड लिनलिथगो भी राज्यों की दुरवस्था के प्रति अपने क्षोभ को अधिक समय तक छिपाये न रख सके। जब कभी वे रजवाड़ों का निरीक्षण करने गए, उस समय उन्होंने जो भाषण दिये उनसे यह क्षोभ अभिव्यक्त होता है। नरेन्द्र-मण्डल में अभिभाषण करते हुए उन्होंने देशी राज्यों में सुव्यवस्था की आवश्यकता पर नितांत जोर दिया जिसे सुनकर नरेशों के कान खड़े हो गए। इस बारे में लार्ड लिनलिथगो की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता कि उन्होंने जब कभी अवसर मिला राजाओं और नवाबों को यह बताने की भरसक चेष्टा की कि उनका भावी अस्तित्व अपने राज्य की सुव्यवस्था तथा वैधानिक उन्नति पर निर्भर है। वाइसराय ने छोटे रजवाड़ों के भविष्य के बारे में भी इसी अवसर पर दो-टूक बात कह दी और उन्हें छोटी इकाइयों को मिलाकर बड़े गुट बनाने का परामर्श दिया।

मई १९४६ ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा हुआ मंत्री-मिशन भारत आया। इस मिशन का उद्देश्य यहाँ की सभी राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करना था। १२ मई १९४६ को मन्त्री-मिशन ने नरेशों से की गई सन्धियों के विषय पर नरेन्द्र-मंडल के चान्सलर को एक मैमोरैंडम पेश किया। मिशन ने अनुभव

मंत्री-मिशन का आगमन

किया कि ब्रिटिश भारत को नूतन अधिकार देने का जो प्रस्ताव वह कर चुका है, उसके कारण सर्वोच्च सत्ता और रियासतों के बीच हुई संधियों में परिवर्तन की आवश्यकता पैदा हो गई। इस मैमोरेंडम में निम्न बातें कही गई थीं—

(१) "बृटिश लोक-सभा में प्रधान मंत्री श्री एटली की हाल की घोषणा से पूर्व नरेशों को आश्वासन दिया गया था कि सम्राट् के प्रति उनके संबन्धों तथा उनके साथ हुई सन्धियों और करारों द्वारा गारण्टी-शुदा उनके वर्तमान अधिकारों में उनकी स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन करने का सम्राट् का इरादा नहीं। साथ ही यह भी कह दिया गया कि समझौते की चर्चा के परिणामस्वरूप होनेवाले परिवर्तनों के सिलसिलों में स्वीकृति को अनुचित रूप से रोका भी नहीं जायगा। इसके बाद नरेन्द्र-मण्डल भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि देशी राज्य भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की तात्कालिक प्राप्ति की लोक-व्यापी इच्छा का पूर्ण समर्थन करते हैं। सम्राट् सरकार ने अब घोषणा की है कि यदि ब्रिटिश भारत की उत्तराधिकारी सरकार या सरकारें स्वाधीनता के लिए इच्छा करेंगे तो उनके मार्ग में कोई रुकावट न डाली जायगी। बृटिश-भारत के भविष्य में रुचि रखनेवाले सब चाहते हैं कि भारत ब्रिटिश-राष्ट्र-मण्डल के भीतर अथवा बाहर स्वाधीनता का स्थान प्राप्त करे। भारत द्वारा इस आकांक्षा के पूरी करने में जो भी कठिनाइयाँ हैं, बृटिश-मंत्री-मिशन उन्हें दूर करने के लिए यहाँ सहायता प्रदान करने के लिए आया हुआ है।

(२) संक्रान्ति काल में, जिसकी अवधि एक ऐसे नये वैधानिक ढाँचे के कार्यान्वित होने से पूर्व अवश्य समाप्त हो जानी चाहिए, जिसके अन्तर्गत ब्रिटिश-भारत स्वतन्त्र अथवा पूर्णतया स्वशासित होगा, सर्वोच्च-सत्ता कायम होगी। परन्तु ब्रिटिश सरकार किसी भी परिस्थिति में यह सत्ता भारतीय सरकार को हस्तान्तरित नहीं कर सकती और न करेगी।

(३) संक्रान्ति काल में रियासतों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे

ब्रिटिश भारत के साथ सामान्य मामलों, विशेषकर औद्योगिक एवं आर्थिक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले मामलों की भावी व्यवस्था पर ब्रिटिश-भारत से बातचीत चलाएं। यह बातचीत हर हालत में आवश्यक है, चाहे रियासतें नवीन विधान-निर्माण में भाग लें अथवा नहीं। यह बात-चीत संभवतया अभी समय लेगी और नये विधान के लागू होने के समय भी कई दिशाओं में अधूरी रह सकती है। अतः शासन-सम्बन्धी अड़चनों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि रियासतों तथा नई उत्तराधिकारी सरकार अथवा सरकारों के भावी सूत्रधारों के बीच किसी प्रकार का सम-झौता हो जाय ताकि उस समय तक सामान्य मामलों में वर्त्तमान व्यवस्था जारी रह सके जब तक कि नया समझौता सम्पूर्ण नहीं हो जाता। यदि इस सम्बन्ध में सहायता के लिए इच्छा प्रकट की गई तो ब्रिटिश सरकार और ताज-प्रतिनिधि मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।

(४) जब ब्रिटिश भारत में पूर्णतया नई सरकार अथवा सरकारें कायम हो जायँगी तब सम्राट् की सरकार का इन सरकारों पर इतना प्रभाव नहीं रहेगा कि सर्वोच्च-सत्ता के कर्तव्यों का पालन कर सकें। इसके अतिरिक्त वह ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती कि इस कार्य की पूर्त्ति के लिए भारत में ब्रिटिश सेना रख ली जायगी। अतः यह युक्ति-संगत तथा देशी राज्यों की इच्छा के अनुकूल है कि सम्राट्-सरकार अपनी सर्वोच्च-सत्ता का प्रयोग बंद कर दे। उसका तात्पर्य यह होगा कि देशी राज्यों के ताज-सम्बन्धी अधिकारों का अस्तित्व विलुप्त हो जायगा और सर्वोच्च-सत्ता उन अधिकारों को किसी अन्य सरकार के हाथ न देकर उन्हें ही वापिस कर देगी। देशी राज्यों का ब्रिटिश ताज तथा ब्रिटिश भारत के साथ जो राजनीतिक सम्बन्ध होगा उसका अन्त कर दिया जायगा। इस रिक्त स्थान की पूर्तियाँ तो देशी राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारत की उत्तरा-धिकारी सरकार या सरकारों से संधिगत सम्बन्ध स्थापित करने पर या

ऐसा न होने पर उक्त सरकार या सरकारों के साथ कोई विशेष राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने से होगी।

(५) शासन-सम्बन्धी कठिनाइयाँ हल करने तथा शेष भारत से सम्पर्क कट जाने की सम्भावना पर काबू पाने के लिए, देशी राज्य अंतःकालीन अवधि में ब्रिटिश भारत की प्रधान शक्तियों से सामान्य हितों की भावी-व्यवस्था के सम्बन्ध में समझौते की चर्चा करेंगे।

यह घटना-चक्र छोटे-बड़े समस्त देशी राज्यों के भविष्य के बारे में सोचने के लिए बाध्य करता है। भारत अति शीघ्र स्वाधीन होने जा रहा है और देशी नरेश अपने बचाव के लिए जिस व्यक्ति का मुँह ताका करते थे वह विलीन होनेवाली है। इस विषम स्थिति में अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें इन दो महत्त्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। (१) अपने राज्य की शासन-व्यवस्थाको प्रजातन्त्र के उच्चतम धरातल की परिधि पर पहुँचाना तथा (२) यदि अपने न्यून साधनों के कारण वह अपने राज्य को इस योग्य न बना सकें तो उसमें अन्य छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित कर लें या स्वयं इकाइयों में जा मिलें।"

कैबीनट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार हिन्दुस्तानी और रियासती प्रतिनिधियों में तब तक बातचीत होती रही, जब तक कि ३ जून १९४७ का सत्ता हस्तान्तरित करने का नया प्रस्ताव पेश नहीं हुआ। ३ जून की क्रान्तिकारी घोषणा में रियासतों के प्रति नीति को और भी स्पष्ट कर दिया गया था। घोषणा में कहा गया था—'ब्रिटिश सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि जिन निर्णयों का ऊपर वर्णन किया गया है, वे केवल अंग्रेजी भारत से सम्बन्ध रखते हैं और देशी रियासतों के प्रति कैबीनट-मिशन के १६ मई १९४६ के प्रस्ताव में लिखी गई नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।'

जुलाई १९४७ में पास हुए इन्डियन इन्डिपैन्डैन्स एक्ट ने रियासतों को ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता से पूर्णरूप से मुक्त कर दिया। २७ जून की हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि

रियासतों से साँझे प्रश्नों पर सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से रियासती विभाग की स्थापना की गई है।

सरदार पटेल ने इस विभाग का उत्तरदायित्व संभाला। ५ जुलाई को सरदार पटेल का रियासतों के नाम एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित हुआ। इसमें रियासतों के प्रति भारत सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि रियासतों से रक्षा, विदेशी सम्बन्ध और यातायात के अधिकारों के अतिरिक्त सरकार और कोई अधिकार नहीं लेना चाहती। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार रियासतों की स्वतंत्र सत्ता का सदा आदर करेगी।

इस वक्तव्य का रियासती नरेशों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उनसे समझौते की ओर दूसरा कदम २५ जुलाई को नरेन्द्र मण्डल का अधिवेशन बुलाकर उठाया गया। इस अधिवेशन में लार्ड माउंटबैटन ने भाषण दिया और कहा कि जिन विषयों के अधिकार नरेशों से मांगे जा रहे हैं, उनके विषय में न तो उन्हें अनुभव ही है और न पर्याप्त साधन। उन्होंने कहा—'यह आपके ही हित में है कि आप किसी-न-किसी डोमिनियन से नाता जोड़ लें। लेकिन आपमें से प्रायः अधिकांश की भौगोलिक स्थिति आपको हिन्दुस्तान से नाता जोड़ने पर मजबूर कर देगी। इसमें जहाँ हिन्दुस्तान का हित है, वहाँ आपकी भी परम हित साधना है। जिन अधिकारों को आप हिन्दुस्तान को सौंप रहे हैं, उनके लिए कोई आर्थिक उत्तरदायित्व आप पर नहीं आता। आपकी आन्तरिक अधिकार सत्ता में हस्तक्षेप करने की हिन्दुस्तान की कोई इच्छा नहीं है।'

इस अधिवेशन में इन नरेशों ने उस समिति का निर्वाचन किया जिसे हिन्दुस्तान से मिलने की शर्तों को तय करना था।

हिन्दुस्तान स्वतन्त्र होने जा रहा है, इस सत्य ने रियासतों और हिन्दुस्तान की पारस्परिक सम्बन्ध-विषयक नीति को काफी हद तक और वास्तविक बना दिया था। जो दीवारें रियासती नरेशों को हिन्दुस्तान के

राष्ट्रीय नेताओं से अलग रखती थीं वह टूट रही थीं। इस अड़चन के हटने से बातचीत को सफल होने में बड़ी सहायता मिली। कुछ नरेशों ने देश-प्रेम भी दिखाया और आगे बढ़कर नरेशों की सामूहिक झिझक को तोड़ दिया। हैदराबाद, काश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर हिन्दुस्तान की भौगोलिक सीमाओं की सभी रियासतों ने हिन्दुस्तान से मिल जाने की घोषणा कर दी। इन रियासतों ने हिन्दुस्तान से सम्मिलित होने के घोषणापत्रों (इन्स्ट्रुमेंट्स आफ एक्सेशन्स) पर और यथापूर्व प्रबन्ध के समझौतों (स्टैंडस्टिल ऐग्रीमेंट्स) पर दस्तखत कर दिए।

स्वाधीनता के दिन के बाद

१५ अगस्त १९४७ के दिन रियासतों और हिन्दुस्तान के बीच विदेशी हितों ने जो खाई खोद रखी थी वह पट गई। शेष हिन्दुस्तान ने राजनीतिक आन्दोलन के फलस्वरूप जो आजादी पाई थी, उसे पाने के लिए रियासती प्रजाओं में बेचैनी जाग उठी।

बहुत-सी रियासतों में प्रजा-आन्दोलन पिछले कुछ बरसों से चल रहे थे। बहुत-सी ऐसी रियासतें भी थीं जहां की प्रजा आज़ादी की मांग को मुखरित न कर पाई थी। दोनों में अब स्वतंत्रता-आन्दोलन सफल होने को बेताब होने लगे।

एक ओर इस प्रकार प्रजा में अधिकार पाने की लालसा उठी, दूसरी ओर छोटी-छोटी तथाकथिक रियासतों को मिलाकर शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से योग्य इकाई बनाने के उद्देश्य से उनकी सीमाओं का पुनर्निर्माण शुरू हुआ. पश्चिमी हिन्द की कुछ रियासतों को, जिनका क्षेत्र ७००० वर्गमील और आबादी ८० लाख थी, १९४३ में पोलिटिकल डिपार्टमेंट ने बड़ी रियासतों के साथ मिला दिया था, लेकिन वह आन्दोलन अंग्रेजों के काल में जोर न पकड़ सका।

अब इस ओर प्रयास शुरू हुए। देश के एकत्रीकरण के लिए जरूरी था कि रियासतों की संख्या, उन्हें प्रान्तों से मिलाकर या उनका समूहीकरण करके, घटा दी जाय। छोटी-छोटी रियासतें थोड़ी भी कठिनाइयां

पेश होने पर उनका मुकाबला करने में अपने आपको अपर्याप्त पाती थीं। उदाहरण के लिए पूर्वी रियसतों में, जो उड़ीसा व छत्तीसगढ़ को रियासतों के नाम से प्रसिद्ध थीं, इतनी अशान्ति फैल चुकी थी कि स्थिति वहाँ के शासकों से संभाले न संभलती थी।

दिसम्बर १९४७ के दूसरे सप्ताह में रियासती विभाग के मंत्री श्री वल्लभभाई पटेल कटक और नागपुर गए। उन्होंने उड़ीसा व छत्तीसगढ़ रियासतों के राजाओं से बातचीत की। इन राजाओं ने पड़ोसी प्रान्तों में अपनी सत्ता को मिला देना स्वीकार कर लिया।

रियासतें—जो प्रान्तों में विलीन हुईं

परिणामस्वरूप १४ दिसम्बर १९४७ और इसके बाद की तारीखों को उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की ३८ रियासतों का, जिनका कि क्षेत्र ५६ हजार वर्गमील, आबादी ७० लाख और आय २ करोड़ रुपये के लगभग थी, अस्तित्व लोप हो गया। इनका शासन-प्रबन्ध १ जनवरी १९४८ से उड़ीसा ने संभाल लिया। छत्तीसगढ़ की १५ रियासतें उसी दिन मध्य-प्रान्त से मिल गईं।

उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की रियासतें

इन रियासतों से जो समझौता हुआ, वैसा ही शेष रियासतों से भी हुआ। इन राजाओं को उत्तराधिकार, खर्चे, व्यक्तिगत जायदादों, अधिकार, खिताब और मान की रक्षा की गारन्टी दी गई। इनके जो खर्चे स्वीकृत हुए, उनके हिसाब का ब्योरा यह है। औसत वार्षिक आमदनी के पहले १ लाख रुपये का १५ प्रतिशत, २ से ५ लाख तक १० प्रतिशत, ५ लाख से ऊपर ७½ प्रतिशत। यह भी निश्चित हुआ कि किसी का स्वीकृत खर्चा १० लाख से अधिक नहीं होगा।

मध्य-भारत की मकाई रियासत (क्षेत्रफल १५१ वर्गमील, आबादी १५ हजार, वार्षिक आय ३५ हजार रुपये) ने १ फरवरी १९४८ को एक ऐसे ही समझौते पर दस्तखत कर दिए और मध्य-प्रान्त से मिल गई।

मकाई रियासत

उड़ीसा में मिलने वाली रियासतों में दो रियासतें थीं—सरायकेला (क्षेत्रफल ४६६ वर्गमील, आबादी १२ हजार) और खरसवाँ (क्षेत्रफल १२७ वर्गमील, आबादी ५० हजार) दोनों की आय ६ लाख ४५ हजार थी। शासन-प्रबन्ध की सहूलियत देखकर १८ मई १६४८ से इन्हें बिहार के प्रान्त से मिला दिया गया।

दक्षिण की रियासतें

इसके बाद १६ फरवरी १६४८ को दक्षिण की रियासतों ने बम्बई प्रान्त से मिलने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। कोल्हापुर रियासत ने ऐसा नहीं किया। जो १७ रियासतें बम्बई से मिलीं उनका क्षेत्र ७६५१ वर्गमील, आबादी १७ लाख और आय लगभग १ करोड़ ४० रुपये वार्षिक थी।

गुजरात की रियासतें

गुजरात की रियासतों में से उत्तरी प्रदेशों की कुछ रियासतें हिन्द और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। इस प्रदेश के शासन को दृढ़तर करने के लिए छोटी-छोटी रियासतों का एकत्रीकरण अथवा बम्बई प्रान्त में मिल जाना आवश्यक प्रतीत हुआ। इस प्रश्न पर विचार करने के बाद गुजरात की १५७ रियासतों ने १६ मार्च १६४८ को बम्बई प्रान्त से मिल जाने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और १० जून १६४८ से बम्बई ने इनका शासन संभाल लिया। इन रियासतों, जागीरों, तालुकों और थानों की संख्या १५७ थी, क्षेत्रफल १६३०० वर्गमील, आबादी २७ लाख और आय २ करोड़ ६५ लाख रुपया वार्षिक।

डांग और दूसरी जागीरें

बत्रक कंठ थाने की डांग और कुछ दूसरी जागीरें जिनका क्षेत्रफल ८७० वर्गमील और आबादी ४८ हजार पांच सौ थी—१६ जनवरी १६४८ को बम्बई से मिल गईं।

१७ फरवरी १६४८ को लोहारू, ३ मार्च ४८ को दुजाना और १८ मार्च ४८ को पटौदी की रियासतें पूर्वी पंजाब के प्रान्त के साथ

लोहारू, दुजाना और पटौदी

शामिल हो गईं। इनका क्षेत्रफल ३७० वर्ग मील, आबादी ८० हजार और आय १० लाख ३८ हजार थी।

बंगनपल्ले, पुदुकोट्टाई

१८ और १९ फरवरी १९४८ को यह दो रियासतें मद्रास प्रान्त के साथ मिल गईं। इनका क्षेत्रफल १४४४ वर्गमील, आबादी ३ लाख ८३ हजार और आय ३२ लाख थी।

कच्छ

कच्छ रियासत का क्षेत्रफल ८४६१ वर्गमील है, आबादी ५ लाख से ऊपर और आय ८० लाख रुपये वार्षिक। यह रियासत भारतीय उपनिवेश से मिल गई है और केन्द्र के मातहत, चीफ कमिश्नर के प्रान्त की तरह, इसका शासन चलता है। इस सम्बन्ध में समझौता ४ मई १९४८ को हुआ। १ जून १९४८ से शासन-प्रबन्ध हिन्द सरकार को सौंप दिया गया।

उत्तर प्रदेश की रियासतें

उत्तर प्रदेश की सीमा में तीन रियासतें आती थीं—टेहरी गढ़वाल, रामपुर और बनारस। ये तीनों छोटी-छोटी रियासतें थीं और एक-दूसरी से दूर स्थित थीं। अगस्त १९४९ में टेहरी गढ़वाल को उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया। इसी प्रकार रामपुर और बनारस की रियासतें भी अक्तूबर १९४९ तक उत्तर प्रदेश में मिला दी गईं।

कूच बिहार को जो पश्चिमी बंगाल के उत्तर में स्थित है, जनवरी १९५० में पश्चिमी बंगाल में मिला दिया गया।

आसाम की रियासतें

आसाम की सीमा में तथा उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित खासी रियासतें ही ऐसी थीं जिन पर एकीकरण का अभी तक प्रभाव नहीं पड़ा था। इन पहाड़ी रियासतों की अधिकांश जनता जनजातियों (कबीलों) से सम्बन्ध रखती है। इन रियासतों में नरेश वंशानुक्रम के

आधार पर पदासीन नहीं होते थे, बल्कि प्रायः प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा नरेश का निर्वाचन होता था।

१९४७ में सभी खासी की रियासतें हिन्दुस्तान में मिल गईं। इन्होंने अपना संघ बना लिया। इस संघ को आसाम में मिला देना उचित नहीं समझा गया। इसलिए इन रियासतों से मिलते-जुलते जैन्तीय हिल डिस्ट्रिक्ट के जनजाति क्षेत्र के साथ खासी संघ को मिलाकर एक पृथक् ज़िला बना दिया गया। यह ज़िला आसाम राज्य का भाग है, परन्तु इसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं।

रियासती संघों का निर्माण

बहुत-सी रियासतें ऐसी थीं जो आपस में मिलकर आबादी के सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषा-सम्बन्धी एक्य के कारण शासन की इकाई बन सकतीं थीं। भारत सरकार ने रियासतों के ऐसे संघों के निर्माण में पूर्ण सहायता दी, केवल एक शर्त पर कि प्रजा को राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो जाने चाहिए।

इस तरह से जो संघ बने उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

सौराष्ट्र संघ

रियासतों के संघ बनाने का पहला अवसर काठियावाड़ की २१७ रियासतों और जागीरों के एकीकरण में प्रस्तुत हुआ। ये सब रियासतें और जागीरें शासन-प्रबन्ध के लिए एक इकाई कर दी गईं। राजनैतिक शक्ति प्रजा के हाथों में आ गई। एक मंत्रिमण्डल बनाया गया, जो धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी था। इस प्रदेश के वैधानिक प्रमुख, राज-प्रमुख के निर्वाचन के लिए रियासतों के सब नरेशों की एक कौंसिल बनाई गई। सौराष्ट्र का विधान बनाने के लिए एक विधान-परिषद् की व्यवस्था की गई।

सौराष्ट्रसे सम्बंधित रियासतों के समझौते पर २३ जनवरी १९४८ को हस्ताक्षर हुए और १५ फरवरी १९४८ से यह संघ प्रारम्भ हुआ। अभी तक जूनागढ़ का शासन केन्द्र द्वारा किया जा रहा था। कुछ समय बाद

मतगणना द्वारा जूनागढ़ की प्रजा ने हिन्दुस्तान में सम्मिलित होने का निश्चय किया। भौगोलिक तथा सांस्कृतिक समानता के कारण जूनागढ़ को सौराष्ट्र में मिला दिया गया। जूनागढ़ समेत सौराष्ट्र संघ का क्षेत्रफल २१०६२ वर्गमील है और जनसंख्या ३५ लाख से कुछ ऊपर।

सौराष्ट्र के राजप्रमुख नावानगर के जाम साहब हैं। मंत्रिमंडल इस प्रकार बना :—

श्री धेबर (मुख्य मंत्री) ; श्री मनु भाई शाह (उद्योग) ; श्री कोटक (खाद्य) और श्री रसिकलाल पारिख (गृह और वित्त)।

राजस्थान संघ

मार्च १९४८ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतों के एकीकरण द्वारा मत्स्य-संघ बनाया गया। उधर दक्षिण-पूर्व में बांसवाड़ा, कुशालगढ़ बूँदी, डूँगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टौंक की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ की स्थापना की गई। कोटा नरेश को संघ का राजप्रमुख बनाया गया। महाराजा उदयपुर ने राजस्थानसंघ बन जाने के बाद रियासती विभाग को लिखा कि यदि उनकी रियासत को संघ में उचित स्थान प्राप्त होने का आश्वासन मिले तो वे इस संघ में मिलने को तैयार हैं। इस पर एक नये समझौते के अनुसार महाराणा उदयपुर को जीवन-भर के लिए राजप्रमुख बनाया गया और उदयपुर भी संघ में शामिल हो गया।

राजपूताना की जो रियासतें मत्स्य और राजस्थानसंघ से बाहर रह गई थीं, अब उन्हें संघ में मिलाकर महाराजस्थान की स्थापना के विषय में बातचीत आरम्भ हुई। इस बातचीत के फलस्वरूप जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर की रियासतों को राजस्थान संघ में मिलाकर महाराजस्थान की स्थापना की गई। यह ३० मार्च १९४९ को हुई। महाराणा उदयपुर को नये संघ का महाराजप्रमुख तथा जयपुर नरेश को राजप्रमुख नियत किया गया।

अब मत्स्य-संघ की रियासतों को महाराजस्थान संघ में मिलाये

जाने की माँग पेश की जाने लगी। करौली और अलवर के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं था, किन्तु भरतपुर और धौलपुर के जनमत का एक भाग राजस्थान की बजाय उत्तर प्रदेश में मिलना चाहता था। इन दो रियासतों की प्रजा का मत आंकने के लिए रियासती विभाग द्वारा श्री शंकरराव देव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। समिति के सदस्य श्री आर० के० सिधवा तथा श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंह थे। समिति ने निर्णय दिया कि भरतपुर और धौलपुर के अधिकांश लोग राजस्थान में सम्मिलित होना चाहते हैं। अतः १५ मई १९४९ को मत्स्य संघ तोड़ दिया गया और उसकी चारों रियासतें महाराजस्थान में मिला दी गईं। महाराजस्थान का क्षेत्रफल १,२८,४२४ वर्गमील है और जनसंख्या १ करोड़ ३१ लाख।

राजपूताने की सब रियासतें संघ में मिल गईं, केवल सिरोही इससे बाहर रही। इस रियासत के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद होने के कारण ५ जनवरी, १९४९ को इसे केन्द्र की ओर से शासनार्थ बम्बई सरकार के सुपुर्द कर दिया गया। सिरोही की जनता के एक भाग ने तथा अन्य रियासतों ने इसका घोर विरोध किया। कुछ महीने बाद ही सिरोही का विभाजन कर दिया गया—आबू रोड तहसील तथा दिलवाड़ा तहसील का कुछ भाग बम्बई में मिला दिया गया और शेष रियासत राजस्थान संघ में मिला दी गई।

राजस्थान संघ के मंत्रिमण्डल में ८ मंत्री हैं:—

श्री हीरालाल शास्त्री	मुख्यमंत्री
श्री सिद्धराज डड्ढा	व्यापार तथा उद्योग
श्री भूरेलाल बया	स्वायत्त शासन
श्री वेदपाल त्यागी	पुनःसंस्थापन
श्री प्रेमनारायण माथुर	वित्त तथा शिक्षा
श्री नरसिंह कछवाहा	श्रम

श्री रघुबर दयाल गोयल — कृषि और सफ़ाई

राव राजा हनुवन्तसिंह — स्वास्थ्य

राजस्थान का राजनीतिक वातावरण दो वर्ष से डावांडोल स्थिति में रहा है। संघ की कोई धारासभा नहीं। राज्यीय कांग्रेस कमेटी में श्री हीरालाल शास्त्री अल्प संख्या में हैं और दूसरे दल के नेता श्री जयनारायण व्यास को भारी बहुमत प्राप्त है। इसीलिए वर्तमान मंत्रि-मण्डल का भविष्य संकटमय है। कभी भी श्री व्यास श्री हीरालाल शास्त्री का स्थान ले सकते हैं और दूसरा मंत्रिमण्डल बना सकते हैं।

राजस्थान के बाद मध्यभारत और मालवा की रियासतों की बारी आई। २८ मई १९४८ को मध्यभारत संघ का जन्म हुआ, जिसमें ग्वालियर, इन्दौर और मालवा की सभी रियासतें शामिल हुईं।

मध्यभारत संघ

जीवन-भर के लिए ग्वालियर और इन्दौर के नरेश इस संघ के क्रमशः राजप्रमुख और उपराजप्रमुख नियुक्त हुए। इस संघ का क्षेत्रफल ४६२७३ वर्गमील, आबादी ७१ लाख और आय लगभग ८ करोड़ रुपये वार्षिक है। राजप्रमुख को जागीरों और जागीरदारों के उत्तराधिकार का निश्चय करने का अधिकार दे दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि इस अधिकार में परिवर्तन मध्यभारत संघ की धारा-सभा ही कर सकेगी।

मध्यभारत संघ के पहले प्रधान मंत्री श्री लीलाधर जोशी हुए। किन्तु कांग्रेस पार्टी में दलबन्दी के कारण कुछ ही महीनों बाद जोशी मंत्रिमण्डल को त्यागपत्र देना पड़ा। उनके स्थान पर श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय ने दूसरा मन्त्रिमण्डल बनाया। संघ की राजधानी कहां हो—इस प्रश्न पर आरम्भ से ही मध्यभारत के नेताओं तथा शासकवर्ग में मतभेद रहा है। अभी तक संघ की दो राजधानियाँ हैं—ग्वालियर तथा इन्दौर। गर्मियों में संघ सरकार के अधिकांश कार्यालय कुछ महीनों के लिए इन्दौर चले जाते हैं। किन्तु इस व्यवस्था से सभी

असंतुष्ट हैं। यह अनुभव किया जा रहा है कि अन्ततोगत्वा एक ही नगर को राजधानी बनाना पड़ेगा। आजकल इस प्रश्न पर तीव्र मतभेद है और एक मन्त्री ने इसी प्रश्न को लेकर मन्त्रिमण्डल से हाल ही में त्यागपत्र भी दे दिया है।

मध्यभारत का वर्तमान मंत्रिमण्डल इस प्रकार है :—

श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय	मुख्य मंत्री
श्री लीलाधर जोशी	राजस्व
श्री श्यामलाल पाण्डवीय	खाद्य
श्री जगमोहनलाल श्री वास्तव	कानून
श्री कालूराम विरूलकर	शिक्षा
डा० प्रेमसिंह	स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन

पटियाला और पूर्वी-पंजाब रियासती संघ

५ मई १९४८ को पटियाला, कपूरथला, जींद, नाभा, फरीदकोट, मालेरकोटला, नालागढ़ और कलसिया की रियासतों ने मिलकर यह संघ बनाया। पटियाला नरेश संघ के जीवन-भर राजप्रमुख रहेंगे। उप-राजप्रमुख स्व० कपूरथला नरेश थे, जिनका उत्तराधिकारी अभी तक नहीं चुना गया। इस संघ का उद्घाटन सरदार पटेल ने १५ जुलाई १९४८ को पटियाला में किया। संघ का क्षेत्रफल १०११९ वर्गमील, आबादी ३४ लाख २४ हज़ार और वार्षिक आय लगभग ५ करोड़ रुपये है।

इस राज्य का प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमण्डल १९४८ के आरम्भ में सरदार ज्ञानसिंह रारेवाला के नेतृत्व में बना। राज्य का कोई भी राजनीतिक दल मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं हुआ—न कांग्रेस और न अकाली दल। स्वतन्त्र जागीरदारों तथा एक नव-निर्मित दल। लोक-सेवक सभा की सहायता से यह मंत्रिमण्डल बना था। दोनों पुराने राजनीतिक दलों ने सरकार का घोर विरोध किया और मंत्रिमण्डल को

प्रतिक्रियावादी बताया। राज्य में तथा दिल्ली में इसके विरुद्ध आन्दोलन किया गया।

६ महीने बाद ही दूसरा मंत्रिमण्डल बना जिसमें तीन कांग्रेस के नेता शामिल हो गये। किन्तु ये लोग राज्यीय कांग्रेस की अनुमति के बिना मंत्री बने थे, इसलिए उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। इस मंत्रिमण्डल के मुख्य मंत्री भी स० ज्ञानसिंह रारेवाला थे।

इसके परिणामस्वरूप स्थिति और भी विकट हो गई। कांग्रेस तथा अकाली दल के तीव्र विरोध के कारण मंत्रिमण्डल की रही-सही लोकप्रियता पर भी आघात पहुँचा। सरकार और विरोधियों में साधारण विषय पर भी ठन जाती थी और विवाद उठ खड़ा होता था राज्य की कोई धारा सभा नहीं थी। मंत्रिमण्डल शासन के लिए केन्द्रीय रियासती मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी था।

इस स्थाई जिच से ऊब कर केन्द्रीय सरकार ने १९५० में "लोकप्रिय" मंत्रिमण्डल को बरखास्त कर दिया और राज्य का शासन सरकारी अधिकारियों के हाथों में सौंप दिया। श्री रारेवाला अभी भी मुख्य मंत्री हैं। उनके साथ दो आई० सी० एस० अफसर हैं। ये तीनों मिलकर समस्त शासन का कार्य करते हैं।

त्रावंकोर-कोचीन संघ

दक्षिण भारत की ये दोनों रियासतें भौतिक दृष्टि से सम्पन्न और साक्षरता तथा शासन की दृष्टि से उन्नत मानी जाती थीं। भाषा, संस्कृति और भूगोल की दृष्टि से त्रावंकोर और कोचीन में पर्याप्त एकरूपता है। कोचीन नरेश के नेतृत्व में मालाबार के एकीकरण का आन्दोलन १९४६ से समस्त प्रदेश में चल रहा था। अप्रैल १९४९ में दोनों रियासतों की धारा-सभा ने संघ के रूप में मिल जाने का निश्चय किया और दोनों रियासतों के नरेशों ने मई में तत्सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। पहली जुलाई १९४९ को इस संघ का उद्घाटन हुआ और शासन का भार एक संयुक्त मन्त्रिमण्डल को सौंपा गया।

त्रावंकोर नरेश आजीवन संघ के राजप्रमुख होंगे। इस संघ का क्षेत्रफल ६१५५ वर्गमील, जनसंख्या ७५ लाख और वार्षिक आय १३॥ करोड़ है।

त्रावंनकोर—कोचीन का मंत्रिमण्डल—

श्री टी० के० नारायण	मुख्य मंत्री
श्री पी० गोविन्द मेनन	खाद्य, श्रम तथा शिक्षा
श्री जौन फिलिपोज	कृषि
श्री कुंञ्जीरमन	उद्योग

बाघेलखंड और बुन्देलखंड की ३५ रियासतों को मिलाकर अप्रैल १९४८ में विन्ध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। निर्माण के समय से ही यह संघ नरेशों की परम्परागत ईर्ष्या का अखाड़ा बन गया। किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर बुन्देलखंड और बाघेलखंड के नरेश तथा नेता सहमत नहीं हो पाते थे। अनेक कठिनाइयों के बाद एक सम्मिलित मन्त्रिमण्डल बनाया गया, किन्तु यह बारह महीना भी ठीक से काम नहीं कर पाया। अप्रैल १९४९ में मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया और उसी दिन शासन का सारा कार्य सरकारी कर्मचारियों को सौंप दिया गया। दिसम्बर १९४९ में इस प्रदेश के नरेशों और भारत सरकार के रियासती विभाग के बीच एक और समझौता हुआ जिसके अनुसार नरेशों ने अपने समस्त राज्याधिकार भारत सरकार को सौंप दिए और विन्ध्यप्रदेश केन्द्र द्वारा शासित प्रान्त घोषित कर दिया गया।

विन्ध्य प्रदेश

पूर्वी पंजाब की छोटी-बड़ी २१ पहाड़ी रियासतों ने अपना पृथक् संघ बनाने का निश्चय किया। नरेशों और रियासतों की प्रजा की इच्छानुसार भारत सरकार ने इन रियासतों के संघ को केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत लेने का निश्चय किया। १५ अप्रैल १९४८ को इन रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश की नींव रखी गई। कई कारणों से विलासपुर और चम्बा

हिमाचल प्रदेश

रियासतों को शासन की अलग इकाई मानकर हिमाचल प्रदेश से पृथक् रखा गया। किन्तु ये रियासतें बहुत छोटी हैं, और वहाँ की प्रजा की बराबर यह मांग रही कि उन्हें भी हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित कर दिया जाय।

केन्द्र द्वारा शासित अन्य रियासतें

कूच विहार के पश्चिमी बंगाल में मिल जाने के बाद केवल चार रियासतें ही ऐसी रह गईं जो शासन की पृथक् इकाइयां हैं और जो केन्द्र द्वारा शासित होती हैं। वे रियासतें हैं कच्छ, भोपाल, त्रिपुरा और मणीपुर। इन सभी रियासतों के नरेशों ने एक समझौते के अनुसार शासन-सम्बन्धी समस्त अधिकार केन्द्रीय सरकार को सौंप दिए हैं।

एकीकरण के लाभ

रियासतों के एकीकरण से प्रजा को अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हुए। रियासतों का पृथक् अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया। इनके निवासी अब अन्य राज्यों के लोगों की तरह केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं और जनकल्याण की योजनाओं से पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। वे सभी मौलिक नागरिक अधिकार जो भारत के विधान से देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं रियासत के लोगों के लिए भी सुरक्षित हो गए हैं।

रियासती संघों की शासन-प्रणाली में सुधार एकीकरण के साथ ही आरम्भ हो गया। वास्तव में इन संघों और भूतपूर्व प्रान्तों में अब किसी प्रकार का अन्तर नहीं रह गया। गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट की २९०-ए धारा द्वारा विलीन रियासतों को प्रत्येक दृष्टि से सम्बद्ध प्रान्तों का भाग माना गया। वही कानून, वही नियम और वही विधान अब इन रियासतों पर भी लागू होने लगा जो प्रान्तों के अन्य भागों पर होता था।

संघों में प्रशासन का आधार प्रान्तीय सरकारों की कार्यविधि बना

जिससे कि सभी शासन की इकाइयाँ एक समान हो जायें। न्यायपालिका और कार्यपालिका में आवश्यक सुधार किये गए। अखिल भारतीय सेवाएँ (सर्विसेज) अब समस्त देश के लिए हो गईं, पहले ये केवल प्रान्तों तक ही सीमित थीं। आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्त-सम्बन्धी मामलों में भी रियासती संघ और प्रान्तों में कोई अन्तर नहीं रहा।

रियासती सेनाएँ

ऐसी रियासतों की संख्या जो निजी सेनाएँ रखती थीं, विभाजन के बाद ४४ थी। इनमें से बहुत-सी प्रान्तों में मिल गईं और कुछ रियासती संघों में। अब केवल ५ रियासती संघों में, काश्मीर में, हैदराबाद तथा मैसूर में ही निजी सेनाएँ हैं। इनके नियमन के लिए भी केन्द्र ने अनेक नियम बनाये हैं जिनका प्रभाव इन सेनाओं को केन्द्रीय सेना के अधीन लाने की दिशा में पड़ेगा। शीघ्र ही ये सब सेनाएँ भारतीय प्रधान सेनापति के अधीन हो जायंगी और केन्द्रीय सेना का ही अंग बन जायंगी।

अन्य राज्यस्थित क्षेत्रों का विनिमय

रियासतों के एकीकरण से पहले एक विचित्र प्रादेशिक गड़बड़ देखने को मिलती थी। अनेक रियासतों के क्षेत्र प्रान्तों की सीमा के भीतर पड़ते थे और प्रान्तों के रियासतों की सीमा के भीतर। रियासतों के एकीकरण से इस दिशा में आंशिक सुधार ही हुआ। १९४९ में यह महसूस किया गया कि शासन, विशेष रूप से नियंत्रणों, को उचित रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे बिखरे हुए क्षेत्रों की अदला-बदली की जाय ताकि किसी प्रान्त अथवा संघ का क्षेत्र उसकी सीमा से बाहर न रहे। इस उद्देश्य से केन्द्र द्वारा विशेष आदेश निकाले गए, जिनसे मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा हैदराबाद और बम्बई के इस प्रकार के अन्य राज्य-स्थित क्षेत्रों का आदान-प्रदान हो सका। इस वर्ष एक आदेश द्वारा पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासती संघ तथा पंजाब के क्षेत्रों का भी विनिमय हो गया। इस आवश्यक सुधार द्वारा

इन सभी प्रदेशों को पर्याप्त लाभ हुआ है और इनकी सीमाएँ अधिक ठोस हो गई हैं।

हैदराबाद

हैदराबाद रियासत का क्षेत्रफल ८२,३१३ वर्गमील और आबादी १,६३,३८,५३४ है। मीर उस्मान अली रियासत के निजाम हैं। इन्होंने १९११ में गद्दी संभाली थी।

निजाम मीर उस्मान अली ने जून १९४७ में यह देखकर कि हिन्दुस्तान आजाद होने जा रहा है, घोषणा की कि वह अपनी रियासत को स्वतन्त्र बनाकर रखेंगे और हिन्दुस्तान में शामिल नहीं होंगे।

भारत सरकार ने पहले अगस्त १९४७ और फिर अप्रैल १९४८ में निजाम को लिखा कि रियासत के राजनीतिक भविष्य का फैसला प्रजा द्वारा होना चाहिए क्योंकि राज्य-सत्ता राजा में नहीं प्रजा में निहित है। यदि हिन्दुस्तान छोड़ते समय अंग्रेज अपने छत्राधिकार समेटकर चले गए हैं तो मूल स्वत्वाधिकार प्रजा को प्राप्त हो गए हैं, न कि राजाओं को।

रियासत की आबादी का ८६.५ प्रतिशत भाग हिन्दू है, १२.५ प्रतिशत मुसलमान और १ प्रतिशत शेष जातियों का। लेकिन रियासत के शासन-प्रबन्ध में ७५ प्रतिशत अधिकार मुसलमानों को, २० प्रतिशत हिन्दुओं को और ५ प्रतिशत शेष जातियों को दिया गया था। रियासत ४ सूबों में बंटी है और १९४७-४८ में चारों सूबों के सूबेदार मुसलमान थे। रियासत के कुल १८० मजिस्ट्रेटों में से १४७ मुसलमान और ३३ हिन्दू थे। १२ विभाग मंत्रियों में से १०, ६३ सहायक मंत्रियों में से ५५, भिन्न-भिन्न विभागों के ४७ मुखियाओं में से ४० व पुलिस के ६१ बड़े

अधिकारियों में से ७३ मुसलमान थे। फौज में तो बहुसंख्या को नाममात्र को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था।

बीसवीं सदी में बहुसंख्या के इस प्रकार केवल सब अधिकार ही नहीं छीने गए, अल्पसंख्यक मुसलमानों की एक फासिस्ट संस्था—इत्तहाद-उल-मुसलमीन और इसके स्वयं-सेवकों का संगठन—रजाकार—बहुसंख्या के धन व मान पर लगातार हमले करने लगे।

रियासत हैदराबाद की २६०० मील लम्बी सीमा हिन्दुस्तान के तीन प्रान्तों, बम्बई, मध्यप्रान्त व मद्रास, को छूती है। रियासत की ७० लाख के लगभग जनता तेलगू, ४० लाख के लगभग मराठी व २० लाख के लगभग कन्नड़ बोलती है। रियासत की आर्थिक व्यवस्था, यातायात डाक व तारघर के काम-काज पूर्णतया हिन्दुस्तान पर निर्भर हैं।

रियासत में निम्न पदार्थों का उत्पादन अपनी आवश्यकताओं से अधिक होता है: कपास, दालें, मूंगफली, अलसी वा एरंड के बीज, कोयला, सीमेंट और कुछ हद तक कागज। लेकिन इन सभी पदार्थों का एक हिन्दुस्तान ही ग्राहक है। केवल तिलहन का विदेशों को निर्यात होता है। उन्हें भी हिन्दुस्तान के रास्ते बाहर भेजना होता है।

हैदराबाद रियासत को निम्न आवश्यकताओं के लिए हिन्दुस्तान पर निर्भर रहना पड़ता है: सूती कपड़ा, नमक, गुड़, फल, सब्जियाँ, गेहूँ, चावल, लोहा व इस्पात, रसायन, दवाइयाँ, चाय, तम्बाकू और निर्मित वस्तुएं। पेट्रोल, डीज़ल आयल, मशीनरी के काम आनेवाला व मिट्टी का तेल, मशीनरी व पुर्जे भी हिन्दुस्तान के बन्दरगाहों से होकर ही रियासत में पहुँच सकते हैं।

रियासत में अपनी मुद्रा प्रचलित है जो हिन्दुस्तान की मुद्रा से निश्चित दरों पर बंधी है। रियासत की कागजी मुद्रा के पीछे स्वर्ण व कोई दूसरी धातु नहीं, हिन्दुस्तान के रुपये व सिक्युरिटियाँ रखी जाती हैं। हैदराबाद के प्रायः सभी बैंक हिन्दुस्तान के बैंकों की शाखाएं हैं।

निजाम को रियासत से ५० लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलता था।

अपनी जागीरों से उसे प्रतिवर्ष २ करोड़ रुपये की आमदनी थी। इसके अलावा उसके दो बेटों और परिवार के शेष सदस्यों को रियासती कोष से अलग रुपया-पैसा प्राप्त होता है।

रियासत की धारा-सभा के निर्वाचित सदस्यों में अल्पसंख्या व बहुसंख्या के बराबर संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते थे। निजाम द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत भी किये जाते थे। सितम्बर १९४८ तक धारा-सभा के कुल १३२ सदस्यों में अल्पसंख्या के प्रतिनिधियों की संख्या बहुसंख्यक जाति के प्रतिनिधियों से १० अधिक थी। धारा-सभा बजट पर कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकती थी।

इत्तहाद-उल-मुसलमीन के उद्देश्यों में एक वाक्य था—"निजाम व रियासत का ताज मुसलमानों व मुसलमानों की संस्कृति के प्रतीक हैं।" रजाकार संस्था में भर्ती होने के समय हर स्वयंसेवक शपथ लेता था और प्रतिज्ञा करता था कि इत्तहाद, हैदराबाद व अपने नेता के प्रति और दक्षिण में मुसलमानों की राज्य-सत्ता बनाए रखने के लिए वह अपने प्राणों तक का होम कर देगा।

रजाकारों के पास हर तरह के फौजी अस्त्र-शस्त्र, मोटरें, ट्रकें व जीपकारें थीं। इस संस्था के प्रचार को जारी रखने के लिए १ अंग्रेजी भाषा में तथा ७ उर्दू भाषा में दैनिक, और ६ उर्दू में साप्ताहिक अखबार निकलते थे। संस्था का रोज का खर्च १० से ३० हजार रुपया था जो बहुसंख्यकों से बलात् इकट्ठा किया जाता था। इस अत्याचार तथा अव्यवस्था को देखते हुए बहुसंख्यकों के प्रतिनिधियों का निजाम की कौंसिल में रहना दूभर हो गया और उन्हें त्यागपत्र देने पड़े। बीदर व वारंगल ज़िले में रजाकारों के अत्याचार की वारदातें रोज़-रोज़ दुहराई जाने लगीं।

इनकी आक्रमणात्मक कार्रवाइयाँ न केवल रियासत की सीमा के अंदर जारी थीं बल्कि भारतीय सीमा तक भी फैलने लगीं।

१९३८ में हैदराबाद की रियासती कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी

वर्ष इस कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। इस पर सत्याग्रह हुआ। सर मिरजा इस्माइल के दीवान बनने पर कांग्रेस पर से प्रतिबंध उठा लिया गया।

सर मिरजा इस्माइल को दीवान पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि हिन्दुस्तान से समझौता कर लेने की मंत्रणा निजाम को पसन्द नहीं थी। फिर नवाब छतारी इस पद पर आये। जुलाई १९४७ में रियासत का एक शिष्ट-मण्डल हिन्द सरकार से बातचीत करने के लिए दिल्ली आया और प्रस्तुत प्रश्नों पर फैसला करने के लिए रियासत के लिए उसने दो मास की मुहलत मांगी, जो दी गई। रियासत के इस शिष्ट-मंडल को नवाब छतारी के नेतृत्व में २७ अक्तूबर १९४७ को दिल्ली के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन रजाकारों ने अपना बल प्रदर्शित करके उन्हें दिल्ली आने से रोक दिया। नवाब छतारी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। बातचीत को जारी रखने के लिए एक नया शिष्ट-मण्डल तैयार किया गया। रियासत के दीवान का पद रजाकार-संस्था के पिट्ठू, हैदराबाद के एक बड़े कारख़ानेदार, मीर लायक अली ने संभाला।

यह शिष्ट-मण्डल यथास्थित समझौते की शर्तों को बदलवा न सका। फलस्वरूप २९ नवम्बर १९४७ को इस समझौते पर निजाम व हिन्दुस्तान के गवर्नर-जनरल के दस्तखत हो गए।

इस फैसले के अनुसार हिन्दुस्तान ने सिकन्दराबाद की छावनी से अपनी फौजें हटा लीं। समझौते के अनुसार जो कर्तव्य निजाम से अपेक्षित थे, निजाम ने उन्हें नहीं निभाया। उन्होंने अपनी रियासत में अस्त्र-शस्त्र व सब तरह का सैनिक सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। समझौते की शर्तों के विरुद्ध उन्होंने २० करोड़ रुपये का ऋण पाकिस्तान को दिया, फौज़ की संख्या बढ़ाई और रियासत में हिन्दुस्तानी मुद्रा का प्रचलन बन्द कर दिया।

मार्च १९४८ में हैदराबाद का एक शिष्ट-मण्डल दिल्ली आया ताकि रियासत व हिन्दुस्तान में किसी स्थायी समझौते की सूरत बन सके।

हिन्दुस्तान की सरकार ने इस शिष्ट-मण्डल को बताया कि किस तरह रियासत समझौते को तोड़ रही है तथा असहाय जनता पर रजाकारों के उपद्रव सह रही है। जवाब में रियासत की सरकार ने हिन्दुस्तान पर समझौता तोड़ने के आरोप लगाए।

कई महीनों तक यह होता रहा कि हैदराबाद से शिष्ट-मण्डल आता कुछ शर्तें मान लेता, आश्वासन देता और वापिस जाकर उन शर्तों और आश्वासनों से फिर जाता। जून १९४८ तक यही सिलसिला जारी रहा। जून में हैदराबाद के शिष्ट-मण्डल का भारत सरकार से एक समझौता हुआ। समझौते के पत्र, व उसकी घोषणा पर निजाम को जो फरमान निकालना था उसे लेकर यह शिष्ट-मण्डल निजाम के दस्तखतों के लिए हैदराबाद लौटा। निजाम ने इस समझौते को मानने से इन्कार कर दिया।

गवर्नर-जनरल लार्ड माउन्टबेटन ने अपना पद छोड़ने से पहले बहुत कोशिश की कि निजाम हिन्दुस्तान से किसी समझौते पर पहुँच जाए। लेकिन हिन्दुस्तान की शान्तिपूर्वक किसी समझौते पर पहुँचने की इच्छा को दुर्बलता का सूचक समझा गया और सभी सुविधाएँ व सुझाव ठुकरा दिये गए।

इस पर हिन्दुस्तान ने रियासती सीमा पर प्रतिबन्ध लगा दिए ताकि वहां फौजी सामान न जा सके। विदेशी उड़ाके मि० सिडनी काटन आदि लोग "पाकिस्तान और हैदराबाद को अस्त्र-शस्त्र से लैस करने पर तुले हुए थे।"

हिन्दुस्तान ने हैदराबाद द्वारा हिन्दुस्तानी सिक्युरिटियों की बिक्री पर रोक लगा दी और रियासत को आर्थिक सुविधाएं देने से इन्कार कर दिया। हिन्दुस्तानी फौजों को आज्ञा दी गई कि यदि रियासत की सीमा के भीतर भी जाना पड़े तो भी सीमा पर आक्रमण के लिए आये हुए रजाकारों का पीछा करें और उन्हें दंड दें।

निजाम से मांग की गई कि वह रजाकारों की संस्था को अवैध

घोषित करे, लोकराज के सिद्धान्तों को अपनाते हुए रियासत का शासन-सूत्र एक नई सरकार को सौंपे तथा हिन्दुस्तान से मिल जाय। यह भी मांग की गई कि सिकन्दराबाद की छावनी में फिर से हिन्दुस्तानी फौज को ठहरने की आज्ञा दी जाय। निजाम ने इन सब मांगों को ठुकरा दिया।

अब समस्या का केवल एक ही हल रह गया था—इन मांगों को मनवाने के लिए हिन्दुस्तान बल का प्रयोग करे।

अन्तिम बार चेतावनी देने के बाद हिन्दुस्तान की फौजों ने १३ सितम्बर १९४८ को हैदराबाद में चारों ओर से प्रवेश किया। अत्याचार और झूठे दंभ की नींव पर खड़ा किया गया निजाम की स्वतन्त्रता के दावों का किला हिन्दुस्तानी "पुलिस कार्रवाई" के पहले ही झटके को न सह सका। १०९ घंटे युद्ध करने के बाद, १७ सितम्बर को निजाम ने हार मान ली; फौजों को हथियार डाल देने को कहा और रजाकार-संस्था को अवैध घोषित कर दिया।

"पुलिस कार्रवाई" समाप्त होते ही समस्त रियासत में शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया गया।

"पुलिस कार्रवाई" के बाद

रजाकारों के हमलों से त्रस्त होकर जो लोग बाहर चले गये थे उन्हें फिर से हैदराबाद में बसने के लिए बुलाया गया। दूसरे प्रांतों से हजारों मुसलमान यहाँ इकट्ठे हो गए थे उन्हें वापस अपने-अपने घरों को भेजा गया। शासन-कार्य को व्यवस्थित करने के लिए मेजर-जनरल चौधरी को हैदराबाद का मिलिटरी गवर्नर नियुक्त किया गया। एक वर्ष तक यही व्यवस्था रही। मेजर-जनरल चौधरी ने हैदराबाद में शांति ही स्थापित नहीं की बल्कि शासन के विभिन्न विभागों का कार्य अन्य राज्यों में प्रचलित प्रणाली के अनुरूप फिर से संगठित किया। सरकारी काम-काज की भाषा पहले उर्दू थी, उसे हटाकर सारा काम अंग्रेजी में होने लगा। मुसलमानी पंचांग के स्थान पर अंग्रेजी

पंचांग जारी किया। संक्षेप में, अगस्त १९४९ तक, शासन की दृष्टि से, हैदराबाद देश के अन्य राज्यों के अधिक-से-अधिक निकट आ गया।

अब निजाम को हैदराबाद का राजप्रमुख नियुक्त कर दिया गया और मिलिटरी गवर्नर के स्थान पर श्री एम० के० वेलोडी को वहां का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया। रियासती मंत्रालय ने ही चार और मंत्री मनोनीत किये। इस नीति के विरुद्ध हैदराबाद की प्रजा तथा कांग्रेस में काफी असन्तोष था। दूसरे रियासती संघों की तरह यहां भी लोग लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना चाहते थे। इसमें सबसे बड़ी रुकावट रियासत की कांग्रेस में फूट थी। फिर भी लोकप्रिय सरकार के लिए आन्दोलन चलता रहा। गत अप्रैल (१९५०) में रियासती मंत्रालय ने हैदराबाद में प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमण्डल बनाने की अनुमति दी। प्रधान मंत्री सरकारी अफसर (श्री वेलोडी) ही रहे, किन्तु उनके सहयोगी मंत्री सार्वजनिक नेता नियुक्त किये गए। राज्यीय सरकार के प्रायः सभी विभाग इन मंत्रियों के अधीन हैं।

मंत्रिमण्डल के लोकप्रिय मंत्री निम्नलिखित हैं :—

श्री रामकृष्ण राव, श्री विनायक राव, श्री फूलचन्द गांधी, श्री एस० राजू।

मुख्य मंत्री श्री एम० के० वेलोडी आई० सी० एस० हैं।

हैदराबाद के अनुभवी कांग्रेस नेता श्री रामानन्द तीर्थ अभी भी सन्तुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि हैदराबाद राज्य का अस्तित्व अस्वाभाविक और अप्राकृतिक है। जब तक राज्य के भाषा के आधार पर तीन टुकड़े नहीं हो जाते, लोग सन्तुष्ट नहीं होंगे। ये तीनों टुकड़े—मराठवाड़, तिलंगाना और कर्नाटक—समीपवर्ती प्रान्तों में मिलाये जा सकते हैं। इस प्रकार हैदराबाद के जनमत का एक भाग राज्य के अस्तित्व को छिन्न-भिन्न करने की मांग पेश कर रहा है। सम्भवतः आगामी चुनावों में स्थिति अधिक स्पष्ट हो जायगी और जनमत के रुख का ठीक-ठीक पता लग सकेगा।

काश्मीर

काश्मीर का क्षेत्रफल ८४,४७१ वर्गमील है। हिन्दुस्तान की रियासतों में यह सबसे बड़ी रियासत है।

भौगोलिक स्थिति काश्मीर की रियासत का मुख्य महत्त्व इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण है। इसकी सीमा को उत्तर-पूर्व में तिब्बत, उत्तर में चीनी तुर्किस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और दक्षिण में पाकिस्तान व हिन्दुस्तान की सीमाएँ छूती हैं।

प्रायः सारा रियासती प्रदेश पहाड़ी है। इसके तीन विभाजन किये जा सकते हैं: (१) सरहदी इलाका—जिसमें लद्दाख और गिलगित के तिब्बती प्रदेश आ जाते हैं, (२) काश्मीर की घाटी, (३) दक्षिण का प्रायः समतल प्रदेश जिसमें जम्मू का प्रान्त शामिल है।

सर्दियों की राजधानी जम्मू है और गर्मियों की श्रीनगर। पाकिस्तान से मुख्य सम्बन्ध जेहलम वैली रोड द्वारा है जो श्रीनगर से रावलपिंडी तक जाती है, और हिन्दुस्तान से मुख्य सम्बन्ध बनिहाल रोड द्वारा है जो जम्मू से साम्बा-कठुआ होती हुई पठानकोट जाती है।

१९४१ की जनगणना के अनुसार आबादी का ब्योरा निम्न प्रकार है:

कुल आबादी	४०,२१,६१६
मुसलमान	७७.११ प्रतिशत
हिन्दू	२०.१२ प्रतिशत
सिक्ख, बौद्ध और शेष	२.७७

१८४६ में डोगरा वंश के राजा गुलाबसिंह का राज्य जम्मू, लद्दाख और बलूचिस्तान पर फैला था।

स्वतन्त्रता संग्राम उस समय लाहौर के सिक्ख राजाओं का काश्मीर और गिलगित पर अधिकार था।

लाहौर के सिख राजाओं की अंग्रेजों के साथ युद्ध में पराजय हुई।

अंग्रेजों ने काश्मीर व गिलगित के प्रदेश अमृतसर की सन्धि (१८४६) द्वारा राजा गुलाबसिंह को दे दिए। राजा गुलाबसिंह का प्रभुत्व इस, और आस-पास के प्रदेश पर पहले ही था; अंग्रेजों ने इस सन्धि से उसके प्रभुत्व पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी।

डोगरा वंश के आधुनिक महाराजा हरिसिंह के शासन के विरुद्ध रियासत में, विशेषतः काश्मीर प्रान्त में, एक लोकप्रिय आन्दोलन १९३१ में आरम्भ हुआ। जनता की ग़रीबी की हद नहीं रही थी; शिक्षा का नितांत अभाव था। जागीरदारों और चकदारों ने काश्मीर की अतीत सौन्दर्यमय घाटी को निष्प्राण कर रखा था। उन दिनों शेष हिन्दुस्तान में स्वराज्य हासिल करने के लिए कांग्रेस ने युद्ध छेड़ रखा था। इस युद्ध की चिनगारियाँ किन्हीं-किन्हीं रियासतों को भी अपनी लपेट में ले रही थीं। काश्मीर के स्वातन्त्र्य-संग्राम का नेतृत्व शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने किया।

इस युद्ध में हिन्दुस्तान के स्वातन्त्र्य-युद्ध के समान उतार-चढ़ाव आए। नेशनल कान्फ्रेंस के प्रधान शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों को कितनी ही बार कारागारों की यातनाएं भुगतनी पड़ीं। रियासत की राज्य-सत्ता का इस आन्दोलन के प्रति वही रवैया था जो हिन्दुस्तान में अंग्रेजी सरकार का कांग्रेस के प्रति था।

काश्मीर की बहुसंख्यक जनता मुसलमान है। लेकिन नेशनल कांफ्रेंस की मांगों ने कभी साम्प्रदायिक रूप नहीं लिया। इस आन्दोलन में मुसलमान, हिन्दू और सिखों के प्रगतिवादी तत्वों ने साथ दिया।

हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के निपटारे का समय समीप आ रहा था। बृटिश सरकार ने रियासतों के प्रति अपनी स्थिति १६ मई १९४७ और ३ जून १९४७ के बयानों में स्पष्ट की। अंग्रेजों ने रियासतों से हुई सभी संधियां और आश्वासन वापस ले लिए लेकिन अपना छत्राधिकार (पैरामाउंट्सी) हिन्दुस्तान की नई सरकार को नहीं सौंपा। सब रियासतों को छुट्टी थी कि चाहें तो पाकिस्तान से मिलें, चाहें

हिन्दुस्तान से मिलें अथवा स्वतंत्र रहें। अराजकता के इस बीज को बोकर अंग्रेज यहाँ से चम्पत हुए।

लीगी दाव-पेंच

महाराजा हरिसिंह पशोपेश में फँसे थे। काश्मीर की जनता का एक ही हिस्सा था जो कि पाकिस्तान के घृणा के संदेश पर थूक सकता था। वही हिस्सा बरसों से राजा के विरुद्ध युद्ध कर रहा था और अब भी जेल के सींकचों के पीछे बन्द था। काश्मीर के सब राष्ट्रीय अंशों को दबा दिया गया था। कुछ समय से ऐसी घातक नीति बरती जा रही थी कि रियासत के साम्प्रदायिक अंशों को, जो कि राजनीति में मुस्लिम लीग से प्रेरणा पाते थे, उभारा जा रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का काश्मीर में आगमन असह्य था लेकिन स्वास्थ्य-लाभ के बहाने मिस्टर जिन्ना श्रीनगर आकर भोली-भाली जनता को विनाशी घृणा के पाठ पढ़ा सकते थे। स्टेट मुस्लिम लीग के नेता अपना प्रचार खुले-आम कर सकते थे लेकिन नेशनल कान्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं के लिए सब प्रकार की रोक थी, जेल थी, यातनाएँ थीं।

इसी नीति के फलस्वरूप १२ अगस्त को रियासत ने पाकिस्तान से यथास्थिति (स्टेंड-स्टिल) समझौता कर लिया। देश के सच्चे नेता इन दिनों जेल में तड़प रहे थे कि धीरे-धीरे पाकिस्तान का असर बढ़ेगा और काश्मीर का वही हाल होगा जो पंजाब का हुआ है।

लेकिन पाकिस्तान की चाल गहरी थी। उसने काश्मीर पर दबाव डालना शुरू किया कि किसी तरह यह प्रदेश पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दे। पहले आर्थिक दबाव डाला गया। समझौते के अनुसार खाद्यान्न, पेट्रोल, नमक व दूसरी जो-जो ज़रूरी चीजें रियासत में जाती थीं रोक ली गईं। बैंकों से रुपया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिये गए। अप्रैल, मई और जुलाई-अगस्त का चावल का कोटा नहीं भेजा गया; चने और १७ हजार मन गेहूँ, जो कि दो मास का कोटा था, नहीं जाने दिया गया। काश्मीर में आने के लिए कपड़े की १८६गांठें रावलपिण्डी

में पड़ी थीं, उन्हें जब्त कर लिया गया। नमक की दस वैगनें रावलपिंडी में ही रोक ली गईं; कुछ नमक चुंगीखाने से लौटा दिया गया। ३ लाख ८४ हजार गैलन पेट्रोल के कोटे पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इसमें से एक टैंकर को तो कोहाला के कस्टम-पोस्ट से वापस लौटा दिया गया।

रियासत ने इन आर्थिक प्रतिबन्धों का पाकिस्तान से विरोध किया। पाकिस्तान का जवाब केवल यह था कि यह सब केवल दंगों के कारण, स्वाभाविकतया ही हो रहा है।

इस दबाव के साथ-साथ आक्रमण व लूटमार का दबाव भी शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान व काश्मीर की सांझी सीमा पर अशान्ति फैलने लगी। सितम्बर १९४७ में छोटे-मोटे सशस्त्र गिरोहों में विदेशी आक्रमणकारी रियासत में घुसने लगे। जहाँ-तहाँ लूटमार व बलात्कार का जोर बढ़ा। अक्तूबर में इस अनधिकार-प्रवेश की वारदातें बढ़ गईं। पुंछ, मीरपुर, कोटली, भिम्बर और मुज़फ्फराबाद से गड़बड़ की खबरें आने लगीं।

आक्रमण

पाकिस्तान के सरहदी सूबे के कबायलियों को इस्लाम के खतरे के नाम पर उभारा गया। हज़ारों की तादाद में वजीरी, महसूद, मोहमन्द, सुलेमानखेल और शिनवारी पठान सरगोधा, ऐबटाबाद वजीराबाद और जेहलम में इकट्ठा होने लगे। रावलपिंडी, गुज्जरखां, गुजरात और स्यालकोट में भी ये जमा हो रहे थे। इनकी बड़ी-बड़ी टोलियाँ अब काश्मीर पर हमला कर रही थीं।

अक्तूबर के आरम्भ में ही स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान की ओर से आक्रमण होने वाला है। १९ अक्तूबर को रियासती फौजों को फोर्ट ओवन खाली करना पड़ा। १८ अक्तूबर को कोटली-पुंछ की सड़क तोड़ दी गई। २३ अक्तूबर को कोटली से भयंकर युद्ध होने की खबरें आईं।

अब मुजफ्फराबाद और दोमेल को पार करके कबायली लुटेरे बारामूला की ओर बढ़ रहे थे।

इस बीच नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकर्ता रिहा हो चुके थे और पं० रामचन्द्र काक प्रधान मन्त्री के पद से हटा दिये गए थे। २४ अक्तूबर को रात के ११ बजे महाराज की ओर से हिन्द सरकार को फौजी सहायता के लिए पहली चिट्ठी मिली।

यह सहायता तब मांगी गई जब पानी सिर से गुज़र चुका था। हमलावर बढ़ रहे थे, रियासती फौज टुकड़े-टुकड़े हो रही थी, पंजाब का विष जम्मू के हिन्दुओं के शरीर में भी फूटने लगा था। २४ अक्तूबर को मुजफ्फराबाद पर कबायलियों का कब्जा हो गया। २५ अक्तूबर को हिन्द सरकार से मन्त्रणा होती रही। इस बीच लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला दिल्ली पहुँचे और उन्होंने प्रजा की ओर से हिन्द सरकार को सहायता के लिए कहा। राजा और प्रजा दोनों का निमन्त्रण पाकर हिन्दुस्तान ने २६ अक्तूबर को काश्मीर को अपने साथ मिला लिया। हिन्द सरकार ने एक शर्त भी लगा दी कि हमलावरों को रियासत से निकाल देने के बाद, सम्पूर्ण शांति हो जाने पर हिन्दुस्तान काश्मीर की जनता को कहेगा कि वह अपना भविष्य मतगणना द्वारा, स्वयं निश्चित करे।

२६ अक्तूबर को ही बारामूला पर कबायलियों की विजय हुई।

हिन्द की हवाई सेना की पहली टुकड़ी २७ अक्तूबर को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी।

अक्तूबर मास का तीसरा व चतुर्थ सप्ताह श्रीनगरवासियों को कभी नहीं भूलेगा। खूंखार कबायली लुटेरा श्रीनगर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बारामूला व उड़ी में उसके अत्याचार की कहानियाँ उसके भारी कदमों की टाप से उड़ रही धूल की तरह चारों ओर फैल रही थीं। काश्मीर का राजपूत नरेश प्रजा को छोड़कर, अपने महलों के सब

वे क्रांतिकारी दिन

साजोसामान लेकर, अपनी सारी पुलिस, अपनी सारी फौज, अपना सर्वस्व समेटकर, रातों-रात भाग चुका था। लाख से ऊपर हिन्दू व सिख अपनी दौलत और इज्जत की फिक्र में संख्या में अपने से कहीं ज्यादा मुसलमानों को मुट्ठी में श्रीनगर में बेचैनी की घड़ियाँ गुजार रहे थे। युद्धघोष की आवाजें आने लगीं थीं। लेकिन श्रीनगर के गम्भीर शान्त तल पर तूफान नहीं उठ सका। उसे रोक रही थी नैशनल कांफ्रेंस की प्रेरणा पर लाखों राष्ट्रीय मुसलमानों की नेकनियती की भारी चट्टान। इस चट्टान को चकनाचूर करने के लिए आक्रमणकारी के हमलों की लहरें बार-बार बढ़ रही थीं और चट्टान से टकरा कर लौट रही थीं।

एक अजीब घटना घट रही थी। हजारों की तादाद में मुसलमान अपने हिन्दू व सिख पड़ोसियों के घरों पर, दौलत पर, इज्जत पर अपनी जान की बाजी लगाकर पहरा दे रहे थे। अपने असहाय पड़ोसियों की बेचैनी उन्होंने अपने दिलों में ले ली थी। सदियों से कायर कहलाए जाने वाले काश्मीरी अवाम ने हाथों में बन्दूकें संभाल लीं, लकड़िएं उठा लीं, झंडे पकड़ लिए। कबायली लुटेरों के विरुद्ध, जो इस्लाम के नाम पर जहाद करने आ रहे थे, वे डटकर खड़े होगए।

हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने श्रीनगर में पहुंचते ही दुश्मन से लोहा लिया। दुश्मन इनका पहला वार भी न सह सका। इसी बीच हिन्दुस्तानी फौज के पैदल दस्ते सड़क की राह श्रीनगर पहुँचने लगे। कबायलियों से पहली बड़ी टक्कर पट्टन में हुई और उन्हें पछाड़ा गया। ८ नवम्बर को बारामूला और १४ नवम्बर, ४७ को उड़ीपर हिन्द की फौजों ने कब्जा कर लिया। साथ-ही-साथ जम्मू प्रान्त की ओर से भी मीरपुर, कोटली, पुंछ, झंगर, नौशेरा और भिम्बर के इलाकों की ओर हमारी फौजों ने बढ़ना प्रारम्भ किया। उपयुक्त सड़कों के अभाव में हमारी प्रगति धीमी थी। आरम्भ की लड़ाइयों में लेफ्टिनेंट कर्नल डी० एच० राय, मेजर एस० एन० शर्मा व हवलदार महादेव सिंह ने अपनी जानें दे दीं। इन्फेन्टरी ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान व कितने ही शूरवीरों ने रण-भूमि में बलि-

दान देकर अपने क्षत्रियत्व की भूरि-भूरि सराहना पाई।

जहाँ हमारी फौजें जंग के मैदान में बढ़ रही थीं वहाँ काश्मीर की जनता एक दूसरी लड़ाई पर मोर्चे संभाले हुई थी। यह मोर्चा लोकतंत्र, शान्ति-संगठन और साम्प्रदायिक ऐक्य का मोर्चा था। श्रीनगर में, और फिर उस प्रान्त के सब शहरों व कस्बों में,

काश्मीर की दूसरी जंग

सलामती फौज (पीस ब्रिगेड्स) का निर्माण हुआ। इनका एक ही नारा था—"शेरे काश्मीर का क्या इरशाद, हिन्दू, मुस्लिम, सिख इत्तहाद।" इनका काम शहर-शहर, गली-गली व कूचे-कूचे में घूमकर साम्प्रदायिक शान्ति बनाए रखना था। यदि श्रीनगर में साम्प्रदायिक रंग की एक भी घटना हो जाती तो बिना लड़े पाकिस्तान काश्मीर को हथिया लेता। काश्मीर में एक भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ काश्मीरियों के हाथ हिन्दुओं की हत्या हुई हो। इसके अतिरिक्त कौमी-फौज (नेशनल मिलीशिया) बनी जिसने पहली बार निरस्त्र काश्मीरियों के हाथों में बन्दूकें संभलवाईं। इस फौज में प्रविष्ट होने के लिए किसीको भी धर्म के नाम पर रुकावट नहीं थी। सांस्कृतिक मोर्चे पर अवामी राज्य को इस लड़ाई के सन्देश को पहुँचाने के लिए कौमी-मुहाज (नैशनल कल्चरल-फ्रन्ट) की स्थापना हुई। इस मोर्चे पर हिन्दू व मुसलमान कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर बढ़ रहे हैं। इस पर कलाकार चित्र तैयार करते हैं, कवि अपनी ओजस्विनी लेखनी से गीत लिखते, नाट्यकार नाटक करते और नृत्यकार नाचते हैं। उद्देश्य सबका एक ही है—जनता समझे कि देश में आजादी आ गई है, यह आजादी केवल राजनैतिक नहीं है, यह आर्थिक भी है, सामाजिक भी और नैतिक भी। यह सर्वांगीण आजादी है। इस आजादी की पुकार जम्मू व काश्मीर की घाटी के कोने-कोने में पहुँचाने के लिए इनकी टोलियाँ नाटक, नृत्य व चित्र प्रदर्शित करती हुई निकलती हैं।

कौमी फौज का एक हिस्सा स्त्रियों का है। इस फौज में हिन्दू

व मुसलमान घरानों की स्त्रियाँ पर्दा उतार कर शस्त्र संभालना सीख रही हैं।

आत्म-बलिदान

आत्म-बलिदान की पराकाष्ठा के उदाहरण काश्मीर में बहुत मिलते हैं। मुजफ्फराबाद में एक मास्टर अजीजअहमद थे जो नेशनल कान्फ्रेंस के उत्साही सदस्य थे। कबायलियों के अत्याचार से बड़ी संख्या में हिन्दू व सिख मौत के घाट उतारे जा रहे थे, स्त्रियों की लाज हरी जा रही थी। त्राहि-त्राहि मची थी। मास्टर अजीजअहमद ने सैकड़ों हिन्दू और सिखों को अपने घर पर शरण दी।

बारामूला के मकबूल शेरवानी हिन्दू व सिखों को बचाते, कबायलियों को चकमे में डालते और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते-रोकते अमर हो गए। शहीद शेरवानी ने कबायलियों को गलत खबरें दे-देकर बारामूला में ही चन्द दिन न रोक रखा होता तो शायद हिन्दुस्तान की फौजों के उतरने से पहले ही श्रीनगर पर उनका कब्जा हो जाता।

अक्तूबर-नवम्बर-दिसम्बर—इन महीनों में युद्ध जारी रहा। काश्मीर बर्फ की चादर से ढक गया। सब पहाड़, नदी-नाले, पुल, रास्ते बर्फ से पट गए। श्रीनगर तक सामान पहुँचाने का रास्ता केवल बनिहाल टनल से ही था—वहाँ सौ-सौ फुट गहरी बर्फ रास्ता रोक रही थी। श्रीनगर तक सड़क का रास्ता तो बन्द ही था, हवाई जहाज भी वहाँ नहीं उतर सकते थे। कितने-कितने दिन टेलिफोन और तारों का सिलसिला भी टूटा रहता था। सर्दियों के इस काल में भी हिन्दुस्तानी फौज ब्रिगेडियर सेन के नेतृत्व में जोशोखरोश से काम करती रही।

सभी कबायली हमलावर पाकिस्तान से होकर आ रहे थे। पाकिस्तान ही उन्हें फौजी सामान और पेट्रोल व लारियाँ दे रहा था।

मामला राष्ट्र-संघ में

इस सहायता के बिना वह एक दिन भी लड़ाई जारी नहीं रख सकते थे। जहाँ-तहाँ पाकिस्तानी फौज के सिपाही भी लड़ रहे थे। हिन्दुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान

के अधिकारियों को इस सहायता को रोकने के लिए लिखा लेकिन पाकिस्तान ने यह मानने से इन्कार किया कि वह कबायलियों को किसी तरह की सहायता दे रहा है।

गांधीजी इस बात के विरुद्ध थे कि राष्ट्र-संघ में किसी तरह का मामला भेजा जाय, फिर भी उनकी मन्त्रणा के विरुद्ध ३१ दिसम्बर ४७ को एतत्सम्बंधी हिदायतें वाशिंगटन स्थित हिन्दुस्तानी राजदूत को भेज दी गईं।

जैसा कि पंडित नेहरू ने बाद में कहा—"हमारी शिकायत के अतिरिक्त सुरक्षा-समिति में शेष सभी प्रश्नों पर विचार हुआ।" लन्दन के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक "न्यू स्टेट्समैन एंड नेशन" के सम्पादक किंग्स्ले मार्टिन ने २० फरवरी ४८ को एक लेख में लिखा—"यह उचित था कि हिन्दुस्तान की शिकायत पर इमानदारी से सोच-विचार होता और उससे टालमटोल न होती....। सुरक्षा-समिति ने एक सीधे प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया है और हिन्दुस्तान में प्रायः प्रत्येक को विश्वास हो गया है कि मामले पर न्यायपूर्ण विचार नहीं हुआ, वरन् इसे वैदेशिक राजनीति के दंगल में खदेड़ दिया गया है। विशेषतया यह कहा जाता है कि इसका एक विशिष्ट कारण एंग्लो-अमेरिकन ताकतों की पाकिस्तान में फौजी अड्डे हथियाने की इच्छा है।"

राष्ट्र-संघ ने जो निर्णय किया उसके बहुत-से महत्वपूर्ण अंशों को हिन्दुस्तान ने मानने से इन्कार कर दिया। पाकिस्तान ने भी उस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन नहीं किया। इस पर भी उस निर्णय के अनुसार एक जांच-कमीशन हिन्दुस्तान भेजा गया। पांच राष्ट्र इस कमीशन के सदस्य थे।

कमीशन ने दोनों देशों तथा युद्ध-क्षेत्र का दौरा किया। ३० जुलाई १९४८ को काश्मीर-कमीशन के सामने पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया कि उसकी फौजें काश्मीर के युद्ध में हिस्सा ले रही हैं।

कमीशन ने अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) दोनों देशों को भेज दिया।

प्रतिवेदन में जो सुझाव रखे गए थे उनका उद्देश्य तथा आधार काश्मीर में निष्पक्ष जनमत-संग्रह करना था। सुझावों में कहा गया था कि पाकिस्तान के नागरिक, उसकी फौजें और सब कबायली काश्मीर की सीमा से बाहर चले जायँ। भारतीय सेना को भी क्रमशः काश्मीर से हट जाना चाहिए। उतनी ही फौज वहाँ रखनी चाहिए जो रियासत में शान्ति स्थापित रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक हो। उन क्षेत्रों में जो तथाकथित "आजाद काश्मीर" के अधीन हैं शासन का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ की देख-रेख में स्थानीय अधिकारी करेंगे। रियासत के सभी प्रजा-जनों को जो उपद्रवों के बाद बाहर चले गए हैं फिर रियासत में लाया जायगा और वे सब बाहर के लोग जो रियासत में आ बसे हैं वहाँ से हटा दिए जायंगे। "आजाद काश्मीर" की सेनाओं को उचित स्थानों पर हटा दिया जायगा ताकि लोग स्वतन्त्र रूप से मत दे सकें। जब रियासत में शान्तिपूर्ण वातावरण स्थापित हो जाय तो जनमत-संग्रह किया जाय।

काश्मीर कमीशन के ये सुझाव थे। भारत सरकार के स्पष्टीकरण पर सुझावों में साधारण-सा संशोधन भी हुआ। इसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनमतसंग्रह-प्रशासक भी मनोनीत कर दिया। यह भार अडमिरल चेस्टर निमिट्ज को सौंपा गया। किन्तु काश्मीर सरकार का कहना था कि जनमत-संग्रह के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा नहीं हुआ है।

बात वहीं अटक गई। फिर से मन्त्रणा होने लगी। अनेक कठिना-इयाँ सामने आईं। विराम-पंक्ति की रेखा कौन और कैसे खींचेगा? भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं का काश्मीर से हटने का कार्यक्रम कौन निश्चित करेगा? काश्मीरी शरणार्थियों को फिर से रियासत में कैसे लाया जाय? सच्चे और झूठे शरणार्थी की कौन परख करे? क्या जन-मत-संग्रह जिलावार होगी अथवा सारी रियासत में एक साथ ही? इन सभी प्रश्नों ने विकट समस्याओं का रूप धारण कर लिया।

इधर भारत और पाकिस्तान की ओर से एक-दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप होने लगे। प्रत्येक देश का कहना था कि दूसरे देश की सेनाएं निश्चित-अधिकार सीमा से आगे बढ़ गई हैं। दोनों देशों का ध्येय बराबर एक ही रहा है—अर्थात् निष्पक्ष जनमत-संग्रह द्वारा काश्मीर भारत या पाकिस्तान के साथ मिलने का निश्चय करे। दोनों देश रियासत के विभाजन का घोर विरोध करते हैं।

जब लोग काश्मीर कमीशन के प्रयास को असफल मान चुके थे और सभी ओर निराशा के बादल उमड़ रहे थे, १ जनवरी १९४९ को अचानक काश्मीर का युद्ध स्थगित किए जाने की घोषणा हुई। भारत और पाकिस्तान में विराम-संधि हो गई। विराम-रेखा खींच दी गई। इस सुखद गतिविधि का श्रेय सबसे अधिक पण्डित जवाहर लाल नेहरू को है।

विराम-संधि से काश्मीर के मोर्चे पर तनातनी में निस्संदेह कमी हुई। वातावरण कुछ साफ हुआ। भारतीय फौजों का बहुत बड़ा भाग काश्मीर से हटा लिया गया है। यद्यपि एक-दो बार पाकिस्तानी फौजों द्वारा विराम-रेखा पार कर इधर आने की खबरें मिली हैं, फिर भी दोनों देशों ने प्रायः सच्चाई से विराम-संधि पर अमल किया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधि और दोनों देशों से विचार-विनिमय के परिणामस्वरूप गत मार्च में यह निश्चय हुआ कि प्रस्तुत झगड़ों के निबटारे के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाय। अतः मई १९५० में सर ओवन डिक्सन को मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

सर ओवन डिक्सन ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों से कई महीने विस्तार से बात की। अन्त में वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके, क्योंकि ऐसा कोई सुझाव वे नहीं रख सके जो भारत और पाकिस्तान दोनों को मान्य हो। असफलता स्वीकार कर गत अगस्त में संयुक्त राष्ट्रीय मध्यस्थ यहाँ से चले गये।

सर ओवन के प्रस्ताव गुप्त रखे गए हैं, किन्तु सरकारी वक्तव्यों से

यह पता लगता है कि उनका आधार आंशिक जनमतसंग्रह और काश्मीर का विभाजन था।

जम्मू और काश्मीर रियासत के भारत के साथ मिलते ही, महाराजा ने ३० अक्तूबर, १९४७ को रियासत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी शेख अब्दुला को नियुक्त कर दिया। यह आपत्कालिक व्यवस्था थी। कुछ महीनों में ही जैसे स्थिति में सुधार हुआ, महाराजा ने एक और घोषणा की जिसके अनुसार शेख अब्दुला को रियासत का प्रधान मन्त्री नियुक्त किया गया और अपना मंत्रिमण्डल बनाने का अधिकार दिया गया। इस निर्णय द्वारा जिसकी घोषणा ५ मार्च १९४८ को की गई, प्रशासन सत्ता प्रजा के नेताओं के हाथों में सौंप दी गई।

काश्मीर का शासन

लोकप्रिय सरकार ने पदारूढ़ होते ही क्रान्तिकारी सुधारों की ओर कदम बढ़ाया। आन्दोलन के दिनों में "नया काश्मीर" के नाम से जो योजना नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं ने बनाई थी, अब्दुल्ला सरकार अब उसे धीरे-धीरे कार्यान्वित करने लगी। जो सुधार पहले ही साल में लागू कर दिये गए, उनमें मुख्य ये हैं:—जागीरदारी की समाप्ति, आर्म्स ऐक्ट की मंसूखी अर्थात् अनुमति लेकर सभी को शस्त्रास्त्र रखने की छूट, सुरक्षित भूमि की किसानों को वापसी, ग्रामीण अधिकारियों की नामजदगी की बजाय चुनाव द्वारा नियुक्ति, मालगुजारी के कानून में सुधार जिसके अनुसार भूमि जोतनेवाले को उत्पादन का तीन-चौथाई मिलने लगा।

इन सुधारों के परिणामस्वरूप जम्मू तथा काश्मीर रियासत में आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात हो चुका है। भारत के अन्य राज्यों की भाँति काश्मीर भी उन्नति के पथ पर अग्रसर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई है। काश्मीरी तथा डोग्री को प्रदेशीय भाषाएँ घोषित किया गया है। काश्मीर और जम्मू के स्कूलों में ये भाषाएँ शिक्षा

का माध्यम बनेंगी। काश्मीर विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा इन भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

काश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने, रियासती मन्त्रालय के परामर्श पर दो वर्ष हुए, सिंहासन-त्याग की घोषणा की और अपने स्थान पर युवराज करणसिंह को मनोनीत किया। इससे राजनीतिक वातावरण में पर्याप्त सुधार हुआ क्योंकि महाराजा हरिसिंह और नेशनल कांफ्रेंस में वर्षों से मनमुटाव चला आ रहा था।

१९४९ में काश्मीर के चार प्रतिनिधियों ने भारत की विधान-परिषद् में अपने स्थान ग्रहण किये।

यद्यपि सिद्धान्तरूप से जम्मू तथा काश्मीर के भाग्य का निबटारा स्वतन्त्र जनमत गणना के आधार पर होना शेष है, फिर भी वहाँ के लोगों ने इस सम्बन्ध में किसीको सन्देह में नहीं रखा है। प्रतिवर्ष नेशनल कांफ्रेंस यह ऐलान करती है कि काश्मीर सदा के लिए भारत से नाता जोड़ चुका है। भारत के सम्पूर्ण प्रभुत्त्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य में काश्मीर को आज वही स्थान प्राप्त है जो दूसरे राज्यों को।

काश्मीर के मंत्रिमण्डल में निम्नलिखित नेता शामिल हैं :—

१—शेख मुहम्मद अब्दुल्ला	मुख्य मंत्री
२—गुलाम मुहम्मद बख्शी	उप-मुख्य मंत्री
३—श्री श्यामलाल सराफ	स्वास्थ्य और स्वायत्त शासन
४—श्री गिरधारी लाल डोगरा	वित्त
५—मिर्जा मुहम्मद अफजल बेग	राजस्व
६—श्री गुलाम मुहम्मद सादिक	उन्नति
७—कर्नल पीर मुहम्मद खां	परिवहन

अभी हाल में स० बुधसिंह ने मंत्री पद से त्याग-पत्र दिया था जो स्वीकार कर लिया गया है।

केन्द्रीय बजट

(१९५०—५१)

२८ फरवरी १९५० को पार्लमेंण्ट में भारत के संपूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का प्रथम बजट पेश करते हुए अर्थ-मंत्री श्री डा० जौन मथाई ने घोषणा की कि आर्थिक दृष्टि से अब हम निश्चित रूप से संकटकालीन परिस्थिति से गुजर चुके हैं और हमें अपना भविष्य आशाप्रद प्रतीत होता है। अब हमें निराशा का कोई कारण नहीं दिखाई देता।

बजट के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं :

मुद्रास्फीति को नियन्त्रण में रखने की समस्या अब भी देश के सामने है। इसे रोकने के लिए जो उपाय किये गए हैं, उनसे कुछ स्थिरता आई है।

अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि हुई है, और भुगतान-संतुलन की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

पाकिस्तान के साथ होने वाले व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। प्रतीत होता है, पाकिस्तान के मुद्रा अधिमूल्यन से उसकी भुगतान-सन्तुलन की स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ। भारत जूट और कपास के सम्बन्ध में देश को आत्मभरित बनाने का प्रयत्न कर रहा है।

१९४९ में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होना एक शुभ लक्षण है। बड़े-बड़े उद्योगों में से वस्त्र और जूट उद्योग के उत्पादन में, विशेष कठिनाइयों के कारण कुछ कमी हुई है।

कर-निर्धारण के वर्त्तमान स्तर पर आगामी वर्ष राजस्व ३४७.५ करोड़ और व्यय ३३७.८८ करोड़ रुपया होने का अनुमान है। इस प्रकार ९.६२ करोड़ रुपये की बचत होगी। वर्त्तमान वर्ष की ४९ लाख रुपये की छोटी सी बचत ३.७४ करोड़ रुपये के घाटे में परिवर्तित हो जायगी।

परिरक्षा-सेवाओं पर इस वर्ष १७०.०६ करोड़ और आगामी वर्ष १६८.०१ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, परिरक्षा पर इस वर्ष १२ करोड़ और आगामी वर्ष ८.१५ करोड़ रुपये के मूलधन-व्यय का अनुमान है।

आयातित अन्न को लागत से भी सस्ते दामों पर बेचने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में इस वर्ष २९.६७ करोड़ और आगामी वर्ष २१ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है।

संघीय वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप केन्द्रीय वित्त साधन से ९½ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।

आगामी वर्ष सरकार बाजार से अनुमानतः ७५ करोड़ रुपया उधार लेगी।

रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् गत दिसम्बर में सरकार की समस्त आर्थिक नीति की समीक्षा की गई और स्थिति का सामना करके के लिए एक अष्ट सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था—मुद्रा विनिमय को सुरक्षित रखने के लिए भावी व्यापार का नये आधार पर संगठन, कच्चे माल को विदेशों से उचित मूल्य पर प्राप्त करने की व्यवस्था, सट्टेबाजी से मूल्यों के बढ़ने पर रोकथाम, अवमूल्यन द्वारा प्राप्त लाभ के निर्यातक, आयातक तथा सरकार में उचित वितरण के लिए दुर्लभ मुद्रा वाले देशों को जाने वाले सामान पर निर्यात कर लगाना, पूँजी लगाने को प्रोत्साहन देना, देहाती क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, सरकारी व्यय में, विशेषकर मूलधन व्यय में, कमी करना तथा उत्पादित वस्तुओं और अनाज सहित आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में १० प्रतिशत की कमी करना।

औद्योगिक उत्पादन का रुख निश्चय ही वृद्धि की ओर रहा। गत वर्ष इस्पात का उत्पादन ८,५४,००० टन से बढ़कर ९,२५,००० टन, सीमेंट का १५ लाख टन से बढ़कर २० लाख टन, कोयले का २,९९,००,००० टन से बढ़कर ३,१०,९०,००० टन, कागज ९७,९००

टन से बढ़कर १,०३,८०० टन, यंत्र-सुरा का ३५ लाख गैलन से बढ़कर ३,१०,९०,००० गैलन, सुपर फास्फेट का २१,००० टन से बढ़कर ७३,००० टन और डीजल इंजनों का १,०२५ से बढ़कर २,०४८ हो गया। सूती कपड़े और जूट के उत्पादन में कुछ कमी हुई। सूती कपड़े के उत्पादन में कमी का कारण स्टाक का बहुत अधिक जमा हो जाना तथा कपास मिलने की कठिनाई था। कच्चा जूट प्राप्त करने की कठिनाई से जूट उत्पादन में कमी रही।

अनाज के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। १९४८ में ४१० लाख टन अनाज उत्पन्न हुआ था। इस वर्ष का उत्पादन २० लाख टन अधिक रहा। खाद्य-भरित बनाने का आन्दोलन तेजी से चलाया गया और अनुमान है कि १९५० में अनाज के उत्पादन में २८,००,००० टन की और वृद्धि होगी। आगामी वर्ष अनाज प्राप्ति का लक्ष्य इस वर्ष की अपेक्षा १० लाख टन अधिक होगा। साथ ही विदेशों से आने वाले अनाज में अगले वर्ष १५ लाख टन की कमी की जायगी। इस अनाज से सुरक्षित अन्न-कोष बनाया जायगा।

जूट और कपास के उत्पादन में वृद्धि करने की योजनाएँ इस वर्ष तैयार की गईं। अगले वर्ष जूट और कपास के उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः ५० लाख गाँठें तथा २६ लाख गाँठें निश्चित किया गया है। इस वर्ष इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन क्रमशः ३० लाख तथा २८ लाख गाँठें रहा है।

कर सम्बन्धी प्रस्ताव

आगामी वर्ष ९.६२ करोड़ रुपये की बचत की दृष्टि से, बजट में कोई नया कर लगाने की व्यवस्था नहीं की गई। करों में केवल कमी की घोषणा की गई है।

प्रत्यक्ष-कर-निर्धारण के क्षेत्र में प्रथम प्रस्थापना व्यापार-लाभ-कर हटाने के सम्बन्ध में है। यह कर १९४७ में अतिरिक्त-लाभ-कर के स्थान पर लगाया गया था, परन्तु वास्तव में यह तब भी जारी रहा जब

अतिरिक्त लाभ नहीं होता था। इसकी समाप्ति से अनुमानतः ८ करोड़ का घाटा होगा, जिसमें से ३·६३ करोड़ अधिकर (सुपर-टैक्स) और आय-कर के रूप में वापस आ जायगा।

दूसरी प्रस्थापना यह है कि कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले आय-कर को ५ आना से घटा कर ४ आना कर दिया जाय और साथ ही कम्पनी के अधिकर (सुपर-टैक्स) में आध आने की वृद्धि कर दी जाय। इस कमी से कम्पनियाँ अपने लाभ में से अधिक रकम कारोबार में लगा सकेंगी और उद्योगों की साधारण उन्नति में सहायता कर सकेंगी। इस कमी के पश्चात्, आयकर और अधिकर (सुपर-टैक्स) सहित, किसी कम्पनी पर कर की जो दर (अर्थात् साढ़े ६ आना) लागू होगी वह १९४६-४७ की दर से आध आना अधिक ही होगी। आयकर में इस कमी से १०.५६ करोड़ का घाटा पड़ेगा, किन्तु अधिकर पर अतिरिक्त आध आने से प्राप्त होने वाली ५.२८ करोड़ रुपये की रकम से वह कम हो जायगा।

तीसरी प्रस्थापना यह है कि १०,००० और १५,००० रु० के बीच वाले स्तरों पर कर में आध आने की कमी कर दी जाय। अर्थात् कर की दर साढ़े ३ आने से ३ आने कर दी जाय।

पिछले वर्ष मध्यम श्रेणी के लोगों को, जो हाल के वर्षों में मूल्यों की वृद्धि से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, राहत देने का जो कार्य प्रारम्भ हुआ है उसे आगामी वर्ष और बढ़ाया जा रहा है। इससे सरकार को १.०१ करोड़ रुपये का घाटा रहेगा।

रुपया बचाने तथा पूँजी को कारोबार में लगाने के कार्य को और अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से १५,००० रु० से अधिक के आय खंडों पर कर की दर ५ आना से घटा कर ४ आना करने की प्रस्थापना रखी गई है। इससे सरकार को ६.५ करोड़ का घाटा रहेगा।

वैयक्तिक अधिकर के क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन प्रस्थापित किये गए हैं। उपार्जित और अनुपार्जित आय में १९४७ में जो भेद लागू किया

गया था वह हटा दिया जायगा। इस समय उपार्जित तथा अनुपार्जित आय पर अधिकर (सुपर-टैक्स) की अधिकतम दर क्रमशः ९ तथा १० आने है। अब यह दर घटाकर ८$\frac{१}{२}$ आना कर दी जायगी, किन्तु यह १ लाख ५० हजार से अधिक की आय पर ही लागू होगी। विभिन्न आयकर खंडों के लिए भी दरों में परिवर्तन करने की प्रस्थापना है। इस प्रस्थापना के अनुसार अर्जित आय पर वर्तमान दर की अपेक्षा १ आना अधिक लिया जायगा। इन परिवर्तनों से अनुमान है कि राजस्व में २.२६ करोड़ रु० की वृद्धि होगी।

हिन्दू संयुक्त परिवारों के लिए आयकर सम्बन्धी मुक्ति की सीमा ५,००० रु० से बढ़ा कर ६,००० रु० निश्चित करने की प्रस्थापना है। इससे सरकार को १२ लाख रु० का घाटा होगा।

आयकर में परिवर्तन करने की उपर्युक्त प्रस्थापनों के फलस्वरूप कुल १४.६६ करोड़ रु० का घाटा होगा, जिस में से ७.१२ करोड़ रु० राज्यों के जिम्मे और ७.८७ करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार के जिम्मे होगा।

मार्च १९५० तक बनाये गए मकानों से होने वाली आय पर दी जाने वाली वर्तमान छूट और इस तिथि तक बनाई गई दूकानों के लिए बढ़ा हुआ प्रारम्भिक मूल्य ह्रास भत्ता और दो वर्षों तक जारी रहेगा।

एक स्थान से उसी स्थान के किसी दूसरे भाग को भेजे जाने वाले लिफाफों का डाक महसूल घटा कर १ आना कर दिया जायगा और कार्डों का दो पैसा। बहुत से प्रगतिशील देशों में, डाक की स्थानिक बँटाई तथा स्थान से बाहर की बँटाई में इस प्रकार का अन्तर रखा जाता है। साधारण तारों के महसूल में एक आने की और 'एक्सप्रेस' तारों के महसूल में दो आने की कमी कर दी जायगी। 'ट्रंक काल' की दरें भी कुछ कम कर दी जायँगी। ३ मिनट की साधारण 'कालों' का महसूल १६ रु० की जगह १२ रु० हो जायगा और इन्हीं 'अर्जेंट' कालों का महसूल ३२ रु० से घटा कर २४ रु० कर दिया जायगा। रियायती दामों में 'ट्रंक काल' कर

सकने के लिए जो समय नियत था, वह कुछ और बढ़ा दिया जायगा। अनुमान है कि इन रियायतों से सरकार को ४४ लाख रु० का घाटा रहेगा।

विभिन्न प्रस्तावित परिवर्तनों के फलस्वरूप, राजस्व में ८.२१ करोड़ रु० की कमी रहेगी, किन्तु अंततोगत्वा १.२१ करोड़ रु० की बचत का अनुमान है।

बजट का खुलासा

आमदनी (राजस्व)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित १९४९-५०	अनुमानित १९५०-५१
आयात-निर्यात कर	१२०,४३	१०६,५४
संघीय आबकारी कर	६६,१६	७१,५५
कारपोरेशन टैक्स	४०,६०	३८,७२
		— ६२*
कारपोरेशन टैक्स से भिन्न अन्य आमदनी पर टैक्स	१०८,४०	१४३,६०
		— १४,३७*
अफीम	१,२८	१,५५
व्याज	१,३२	१,१४
नागरिक शासन	७,१७	७,८७
मुद्रा और टकसाल	६,६६	६,५२
नागरिक निर्माण कार्य	१,१३	१,२७
आय के शेष साधन	७,८२	६,७६
डाक और तार विभाग का अंशदान	३,७७	४,४८
		— ४४*

(लाख रुपयों में)

	संशोधित	अनुमानित
रेलों का अंशदान	७,००	६,३७
इसमें से कम कीजिए—		
आयकर का प्रान्तीय भाग	—४५,७४	—५५,२०
		+७,१२
कुल आमदनी का जोड़	३३२,२६	३३६,१६

व्यय

(लाख रुपयों में)

	संशोधित	आनुमानित
राजस्व में से प्रत्यक्ष व्यय	१३,६६	१३,८१
सिंचाई	११	२३
ऋण सम्बन्धी व्यय	३८,८१	३६,५०
नागरिक शासन	४०,८६	५०,०६
मुद्रा और टकसाल	१,४३	१,७६
नागरिक निर्माण-कार्य	८,१३	६,६७
पेंशन	२,६८	७,४५
विविध—		
शरणार्थियों और उत्थापितों पर व्यय	१३,७०	६,००
आयातित अनाज को लागत से भी सस्ते दामों पर बेचने के लिए दी गई आर्थिक सहायता	२६,६७	२१,००
दूसरे खर्च	४,६७	४,२४
राज्यों (प्रान्तों) इत्यादि को दी गई रकम	२,६६	१५,४१

	(लाख रुपयों में)	
	संशोधित	अनुमानित
विशिष्ट व्यय	१,७०	१,४४
रक्षा व्यय (विशुद्ध)	१७०,०६	१६८,०१
विभाजन से पूर्व के भुगतान	६,६०	२,००
कुल व्यय	३३६,१०	३३७,८८
घाटा	—३,७४	नफा +१,३१

※बजट प्रस्ताव

रेलवे बजट

लाभ के अंक

१६४८-४६	१६.६८ करोड़ (वास्तविक)
१६४६-५०	११.०२ करोड़ (अनुमानित)
१६५०-५१	१४.०१ करोड़ (,,)

भारतीय संसद् में २१ फरवरी, १६५० को १६५०-५१ का रेलवे बजट उपस्थित करते हुए रेलवे तथा परिवहन मंत्री माननीय श्री एन० गोपालास्वामी आयंगर ने बताया कि उक्त वर्ष १४ करोड़ रुपये की बचत का अनुमान लगाया गया है। चालू वर्ष के बजट में ६.४४ करोड़ रु० की बचत का अनुमान लगाया गया था, किन्तु अनुमान है कि बचत की यह राशि ११.०२ करोड़ रु० होगी।

महत्वपूर्ण पहलू

आगामी वर्ष के रेलवे-बजट की कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय बातें नीचे दी जाती हैं :

भारत में ही रेल के इंजन बनाने के नये कारखाने में कार्य शुरू हो गया है और सवारी के डिब्बे, सारे के सारे इस्पात से ही बनाने के लिए कारखाना खोलने का प्रबन्ध हो रहा है।

आसाम और शेष भारत के बीच रेल सम्बन्ध स्थापित करने के लिए जो रेल-मार्ग बनाया जाने को था, वह निश्चित समय से पहले ही बना लिया गया है। 'संघीय वित्तीय एकीकरण व्यवस्था' के परिणामस्वरूप पहली अप्रैल १९५० से १० रियासती लाइनें, जिनके मार्ग की लम्बाई ६,५०० मील से कुछ अधिक होगी, केन्द्र के नियन्त्रण तथा प्रबन्ध के अधीन आ जायँगी।

चालू वर्ष की कुल आय का अनुमान २१० करोड़ रु० लगाया गया था, किन्तु आशा है कि यह राशि २२५.१५ करोड़ रु० हो जायगी।

रेलों की आय से जो बचत हुई है, उसमें से ७ करोड़ रुपये की राशि साधारण राजस्व खाते में डाल दी जायगी, जबकि बजट में यह राशि ४.७ करोड़ रु० की ही रखी गई थी। बचत का शेषांश, जो ४.०२ करोड़ रु० है, 'मूल्य-ह्रास रक्षित निधि' में डाल दिया जायगा।

१९५०-५१ के बजट में रेलों की कुल आमदनी का अन्दाज २१५.५ करोड़ रु० लगाया गया है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से ९.६५ करोड़ रु० कम है। इसके अतिरिक्त, पहली अप्रैल १९५० से केन्द्र के अधीन आनेवाली रियासती रेलों की आमदनी १७ करोड़ रु० के लगभग आँकी गई है। इस प्रकार भारतीय रेलों की कुल आमदनी २३२.५० करोड़ रु० होती है। भारत सरकार की रेलों का कार्य-संचालन व्यय १५६.०१ करोड़ आंका गया है, जो चालू वर्ष के इस खर्च संशोधित अनुमान से १.९९ रु० कम है। रियासती रेलों के कार्य-संचालन का व्यय १०.५८ करोड़ रु० आंका गया है।

आगामी वर्ष १४.०१ करोड़ रु० की बचत का अनुमान है, जिसे नीचे लिखे अनुसार वितरित करने की व्यवस्था सोची गई है:— रेल उन्नति निधि १० करोड़ रु०, रेल रक्षित निधि २.०१ करोड़ रु० और मूल्य-ह्रास रक्षित निधि २.०० करोड़ रु०।

यात्रियों की सुख-सुविधाओं पर होनेवाला व्यय २५ लाख रु० से बढ़ाकर १.७५ करोड़ रु० कर दिया गया है। आगामी वर्ष के लिए

पूँजी लगाने के कार्यक्रम में, रियासतों की रेलों सहित, भारतीय रेलों के लिए ३६.७५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त विकास-निधि से आर्थिक सहायता पानेवाले कार्यों के लिए ६ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। आसाम-रेल सम्बन्ध को पूर्ण करने के लिए १५० लाख रु० और चितरंजन कारखाने के लिए ४२३ लाख रु० दिये गए हैं। कांदला और दीसा के बीच एक छोटी लाइन बनाने और मनीहारी-सकरी गली घाटों पर पर्याप्त नावों आदि की व्यवस्था-सम्बन्धी दो महत्त्वपूर्ण योजनाओं को विकास-निधि से आर्थिक सहायता दी जा रही है।

अनुमान है कि मूल्य-ह्रास सुरक्षित निधि में १०४.७७ करोड़ रु० शेष रहेंगे और रेलवे सुरक्षित निधि में, जिसका नाम बदलकर राजस्व सुरक्षित निधि कर दिया जायगा, ३१ मार्च १९५१ को १०.४१ करोड़ रु० शेष रहेंगे।

विभाजन से लेकर ३१ जनवरी १९५० तक की अवधि में ४४७ बड़ी लाइन के और ५१ छोटी लाइन के इंजन प्राप्त हुए हैं। चालू वर्ष में अन्य २०९ बड़ी लाइन के १५६ छोटी लाइन के और २० संकरी लाइन के इंजन प्राप्त होने की आशा है।

चित्तरंजन नामक स्थान पर इंजन बनाने के लिए ब्रिटेन की इंजन बनानेवाली कम्पनी के साथ एक शिल्पी सहायता करार किया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन उक्त कम्पनी चित्तरंजन में इंजन बनाने के सम्बन्ध में आवश्यक मंत्रणा, शिल्पी और कुशल निरीक्षक कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी और ब्रिटेन में आवश्यक संख्या में भारतीय शिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए भी सुविधाएँ देगी। चित्तरंजन में इंजन बनाने का जो लक्ष्य स्वीकार किया गया है वह यह है: १९५० में ३ इंजन, १९५१ में ३३, १९५२ में ४५, १९५३ में ६६ और १९५४ में ९०। पाँच वर्ष के बाद हम पूर्णतः भारत ही में बने इंजन तैयार करने लगेंगे और प्रति वर्ष १२० इंजन बनने लगेंगे।

गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष यात्रा-मीलों में बड़ी लाइन पर २.७२ प्रतिशत और छोटी लाइन पर १.२६ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

गाड़ियों के ठीक समय पर छूटने और पहुँचने में पर्याप्त सुधार हुआ है। नवम्बर १९४८ में विभिन्न रेलों पर गाड़ियाँ ५३.४ प्रतिशत से ८६.५ प्रतिशत तक ठीक समय पर छूटी और पहुँची जबकि १९४९ में यह प्रतिशत ६१.१ से बढ़कर ९१.९ हो गया था।

प्रतिवर्ष ३ करोड़ रु० की व्यवस्था से यात्रियों के लिए और अधिक सुख-सुविधाओं की एक पंचवर्षीय योजना १९५०-५१ से कार्यान्वित होगी।

रेलों द्वारा माल की ढुलाई में की गई वृद्धि इस बात से सिद्ध होती है कि १९४८ की अपेक्षा १९४९ में बड़ी तथा छोटी लाइन पर क्रमशः १९.६ प्रतिशत तथा १६.४ प्रतिशत अधिक टन मीलों की ढुलाई हुई। इसी प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा बड़ी तथा छोटी लाइन पर माल-गाड़ियों ने क्रमशः १९ प्रतिशत तथा ९ प्रतिशत अधिक मील तय किये। नवम्बर १९४९ में बड़ी लाइनों के स्टेशनों पर स्थानान्तरण के लिए आधे दिन की लदाई का माल शेष था जबकि नवम्बर १९४८ में दो दिन की लदाई का माल बचा हुआ था। चालू वर्ष के प्रथम ९ मास में १९४८-४९ की इतनी ही अवधि की अपेक्षा १५.५ प्रतिशत अधिक टन माल की ढुलाई हुई।

एक जनवरी १९४९ को १, ६३, ४२५ दावे ऐसे थे जिनका भुगतान नहीं हुआ था, किन्तु आठ मास में यह संख्या घटकर ६४, ९५९ रह गई। भेजे जानेवाले माल पर पता साफ लिखने तथा ठीक पैकिंग करने आदि के सम्बन्ध में जनता के सहयोग के लिए जो देश-व्यापी प्रचार आंदोलन किया गया उससे नये दावों की संख्या में काफी कमी हुई और १९४९-५० के प्रथम आठ मास में कुल २, ४९, ४६०, नये दावे हुए जबकि १९४८-४९ की इसी अवधि में वह संख्या ४, २१, ८४० थी।

रेलवे दुर्घटनाओं में मरने अथवा घायल होने वालों को क्षतिपूर्ति के

रूप में रुपया देने के सम्बन्ध में चालू वर्ष में भारतीय रेलवे कानून (इण्डियन रेलवे एक्ट) में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। दावों का शीघ्रतापूर्वक भुगतान करने के लिए सरकार को विशेष दावा कमिश्नर नियुक्त करने का कानूनी अधिकर दिया गया है। जोखिम के दायित्व का फार्म भरवाये बिना माल बुक करने की प्रणाली को और आसान बनाने के सम्बन्ध में एक और संशोधन किया गया।

रेलवे के श्रमिकों की उत्पादन-शक्ति १९३८-३९ में १०० थी जब कि १९४८-४९ में यह केवल ६९.३८ रह गई है।

भारत में ट्रेड यूनियन आन्दोलन की प्रगति

संसार के अधिकांश देशों की भांति भारत के ट्रेड यूनियन आन्दोलन का श्रीगणेश भी देश की औद्योगिक उन्नति के साथ-साथ ही हुआ। यों तो भारतीय मज़दूर आन्दोलन का प्रथम बीजारोपण १८९० में बम्बई में, बम्बई-मिल-कर्मचारी-संघ की स्थापना के रूप में हुआ। परन्तु आधुनिक मजदूर आन्दोलन का सूत्रपात प्रथम महायुद्ध (१९१४–१९१८) के पश्चात् हुआ। युद्ध का देश की आर्थिक व्यवस्था तथा जन-साधारण के रहन-सहन के मान पर बहुत प्रभाव पड़ा। जीवन-निर्वाह की आम वस्तुओं की कीमतों में बहुत तेजी आगई थी। साधारण उपयोग की वस्तुओं का उपलब्ध होना कठिन हो गया था। प्रायः समस्त उत्पादन युद्ध की आवश्यताओं की पूर्ति की दृष्टि से ही हो रहा था। मुद्रा-बाहुल्य का प्रकोप था, परन्तु मजदूरों के वेतन में उसी अनुपात से वृद्धि नहीं हो रही थी।

ऐसी परिस्थिति में भारत के कल-कारखानों में अशान्ति और असन्तोष की लहर का फैल जाना स्वाभाविक ही था। परिणाम यह हुआ कि अपनी मांगों की पूर्ति के लिए मजदूरों ने अपने एकमात्र साधन हड़तालों का आश्रय लेना प्रारम्भ कर दिया। इसके लिए उन्होंने हड़-ताली कमेटियाँ स्थापित कीं। मजदूर-संघों के आन्दोलन के बीजारोपण का श्रेय इन्हीं हड़ताली कमेटियों को है। इसके अतिरिक्त १९१७ की रूसी राज्यक्रांति, १९१९ में अंतर्राष्ट्रीय-श्रम-संगठन की स्थापना, १९२० में अखिल भारतीय-ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की स्थापना तथा १९२१–२४ के स्वराज्य-आन्दोलन से भी इसे अत्यधिक प्रोत्साहन मिला।

मजदूर-संघ स्थापित करने और उसमें व्यवस्थित रूप से सदस्य भर्ती करने का प्रथम प्रयास १९१८ में मद्रास में श्री वी० पी० वाडिया ने किया। उन्होंने मद्रास लेबर यूनियन का संगठन किया। यह संघ मजदूरों की शिकायतों का प्रतिकार कराने में सफल हुआ। लेकिन १९२१ में मिल-मालिकों ने हाईकोर्ट की आज्ञा प्राप्त करके इसकी कार्रवाइयों को बन्द करवा दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने इन ट्रेड यूनियनों की स्थापना को अवैध षडयन्त्र घोषित कर दिया। इस घटना के परिणामस्वरूप लोगों का ध्यान देश में एक ट्रेड यूनियन सम्बन्धी कानून बनाने की आव-श्यकता की ओर आकृष्ट हुआ। उस समय तक मजदूर-संघों की स्थापना और संगठन के संबन्ध में कोई कानूनी सुविधाएं प्राप्त नहीं थीं।

इसी बीच १९२० में अहमदाबाद के मजदूरों ने एक यूनियन बनाई जो कई वर्ष तक श्री गुलजारीलाल नन्दा के (जो इस समय योजना कमीशन के उप-प्रधान हैं) नेतृत्व में रही और जिसका पथ-प्रदर्शन स्वयं महात्मा गांधी ने किया। अहमदाबाद-टैक्सटाइल-लेबरर्स-एसोसियेशन ने देश के मजदूर वर्ग के सम्मुख ऐक्य और सुदृढ़ संगठन का एक आदर्श उपस्थित किया। इसकी कोशिशों के फलस्वरूप अहमदाबाद के ही नहीं बल्कि देश के अन्य कपड़ा-मिलों के मजदूरों को भी कितनी ही सुविधाएं प्राप्त हुईं। मजदूरों के लिए स्कूल, रिहायशी मकान, वाच-

नालय, व्यायामशाला आदि की स्थापना की गई। यह यूनियन प्रतिवर्ष लगभग ६०,००० रुपया मजदूरों के लिए दवाइयों, शराबबन्दी, शिक्षा और दूसरे सामाजिक प्रचार पर खर्च करती है। इस मजदूर-संघ ने अहमदाबाद-मिलओनर्ज-एसोसिएशन के साथ कोई झगड़ा उठ खड़ा होने की स्थिति में समझौता व निपटारा करवाने के साधन भी स्वयं ही जुटा रखे हैं। फलस्वरूप अहमदाबाद जैसे बड़े उद्योग केन्द्र में हड़तालों की घटनाएं नहीं के बराबर होती हैं।

१९२० में ही आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में मुख्य प्रेरणा अन्तर्राष्ट्रीय-श्रम-संगठन के साथ भारत के सम्पर्क से मिली। मजदूरों को यह भय हो रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मिल-मालिकों के पिट्ठू ही मजदूरों के प्रतिनिधि बनाकर इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भेज दिए जाया करें।

फलतः १९२६ में हिन्दुस्तान की केन्द्रीय धारा-सभा ने इण्डियन-ट्रेड-यूनियन-एक्ट पास किया। इस कानून द्वारा मजदूर-संघों की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया और कानून की दृष्टि में उन्हें उचित स्थान भी दिया गया। इसके अनुसार यूनियनों के अधिकारी वर्ग पर हड़तालों के लिए कोई दीवानी अथवा फौजदारी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा मजदूर-संघों को औद्योगिक झगड़ों पर और सदस्यों को सुविधाएं दिलाने में मजदूर-संघों के कोष से रुपया खर्च करने की आज्ञा भी दे दी गई। यह युग देश में राजनैतिक व सामाजिक जागृति का युग था। देश की राजनीति में उग्रवादियों और नरमदलवादियों में कश-मकश चल रही थी। मजदूर-संघ-आन्दोलन में भी इसी विचारधारा के अनुसार अग्रगामी और नरमदलवादियों में फूट पड़ गई। नरमदल के लोगों ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और श्री एन० एम० जोशी के नेतृत्व में नेशनल फेडरेशन आफ ट्रेड-यूनियन्स बनाई। यह फूट ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नागपुर के अधिवेशन के बाद जिसका सभापतित्व प० जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पड़ी। इस अधिवेशन में

ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस ने अपना नाता अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संस्थाओं से जोड़ने और मजदूर-प्रश्नों पर अनुसंधान करने वाली रायल कमीशन—इन्टर्नैशनल लेबर आर्गेनिजेशन और राउंड टेबल कान्फ्रेंन्सों के बहिष्कार का फैसला किया था।

ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस के अगले वर्ष के अधिवेशन (१९३१) में एक नया मतभेद उठ खड़ा हुआ। यह मतभेद और फूट ६ वर्ष तक बनी रही। इसके बाद १९३६ में सब ट्रेड यूनियनों ने आल-इण्डिया ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस को फिर अपनी केन्द्रीय संस्था मान लिया। १९३८ में नेशनल फेडरेशन और ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस मिलकर एक हो गई। ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस ने साम्यवादी बाह्य चिह्नों को तिलांजलि दे दी।

द्वितीय महायुद्ध के दौरान (१९३९-४५) में १९४० में एक बार फिर मजदूरों में फूट पड़ गई। ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस के विचार में मजदूर-संघों को युद्ध के प्रति निष्पक्षता का दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए था। लेकिन श्री एम० एन० राय की अध्यक्षता में मजदूरों के एक वर्ग और कलकत्ता की सीमेन्स यूनियन ने युद्ध प्रयास में सहायता देने का निश्चय किया। इस पर इण्डियन फेडरेशन आफ लेबर की स्थापना हुई। इसके प्रधान श्री जमनादास मेहता और मन्त्री श्री एम० एन० राय थे।

१९४६ में सरकार ने आज्ञा दी कि इस बात की खोज की जाय कि आल-इण्डिया-ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस और इण्डियन फेडरेशन आफ लेबर दोनों संस्थाओं में कौन संस्था मजदूरों का कितना प्रतिनिधित्व करती है। यह छानबीन चीफ लेबर कमिश्नर ने की। परिणामस्वरूप आल-इण्डिया-ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस को ही मजदूरों की मुख्य प्रतिनिधि संस्था माना गया।

हिन्दुस्तान के सबसे मजबूत मजदूर-संघों में उन संघों को गिना गया है जो रेलवे और डाक व तारघर के मजदूरों से सम्बन्धित हैं। आल इण्डिया रेलवे-मेन्स फेडरेशन से १५ यूनियनें सम्बन्धित हैं और

इनकी सदस्य संख्या १,२६,०७४ है।

द्वितीय महायुद्ध के बाद देश में राजनैतिक क्षोभ की एक लहर दौड़ गई। मजदूरों की दुनिया भी इससे बची नहीं रही। हड़ताल व झगड़ों का जोर बढ़ा। उस समय मई १९४७ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने मजदूरों की एक नई संस्था इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को जन्म दिया। इस संघ की नीति मजदूरों की राजनैतिक हड़तालों से रोकने की है। यह संस्था हड़ताल को मजदूरों का आखिरी हथियार मानती है जिसका प्रयोग बहुत सोच-विचार के बाद और अन्तिम अवस्था में ही होना चाहिए।

दिसम्बर १९४७ में इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने दावा किया कि वह देश में मजदूरों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण केन्द्रीय संस्था है। इस संस्था ने सरकार से अनुरोध किया कि वह उसके उक्त दावे की सरकारी तौर पर जाँच-पड़ताल करके उसे ही मजदूरों का प्रमुख संगठन स्वीकार करे। तदनुसार भारत सरकार ने १९४८ में यह जानने के उद्देश्य से कि आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में से कौनसी संस्था मजदूरों का अधिक प्रतिनिधित्व करती है, सरकारी तौर से जांच-पड़ताल की। इसके परिणामस्वरूप यह पता चला कि आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्यों की संख्या ८,१५,०११ और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सदस्य-संख्या ९,७३,१७९ थी। फलतः सरकार ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को मजदूरों की सर्वप्रमुख संस्था स्वीकार कर लिया है और इसी कारणवश उसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है।

दिसम्बर १९४८ में हिन्द मजदूर पंचायत, इंडियन फेडरेशन आफ लेबर तथा बहुत से स्वतंत्र मजदूर नेताओं ने कलकत्ता में एक सम्मेलन बुलाया और हिन्द मजदूर-सभा के नाम से एक नई संस्था की स्थापना की। इंडियन फेडरेशन आफ लेबर की अन्त्येष्टि की घोषणा कर दी गई।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से कुछ समय पूर्व जो लोग अलग हो गए थे—वे भी यद्यपि कलकत्ता के इस सम्मेलन में शामिल हुए, परन्तु उन्होंने हिन्द मजदूर-सभा में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया। बाद में अप्रैल-मई १९४९ में इन लोगों ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से एक नई केन्द्रीय संस्था को जन्म दिया। १९४९ में इन मजदूर संस्थाओं से सम्बन्धित यूनियनों और सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी :

संगठन का नाम	सूचना की अवधि	संबन्धित यूनियनों की संख्या	सदस्यों की संख्या
(१) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (कांग्रेस से प्रभावित संस्था)	जून १९४९	८४७	१०,२२,११७
(२) आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (साम्यवादियों से प्रभावित संस्था)	१९४९	७५४	७,४१,०३५
(३) हिन्द मजदूर-सभा (समाजवादियों से प्रभावित संस्था)	जुलाई, १९४९	४१९	६,७९,२८७
(४) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (अग्रगामी दल से प्रभावित संस्था)	मई १९४९	२५४	३,३१,९९१

देश में मजदूर-संघ आन्दोलन अभी अपनी परिपक्व अवस्था में नहीं पहुँचा। अब तक विभिन्न राजनैतिक पार्टियाँ अपने हित-साधन के लिए

मजदूर-क्षेत्र के दुरुपयोग की कोशिश करती रहती हैं। केवल मजदूरों का हित ही इनका उद्देश्य नहीं रहा। विगत कुछ समय से मजदूर-संघों को श्रमिक वर्ग की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने और सुधारने का साधन न बनाकर उनके द्वारा दलगत राजनीति को प्रोत्साहन देने का एक मुख्य साधन बनाने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई दे रही है।

ट्रेड यूनियनों का विकास

१९४७ में देश के विभाजन के बावजूद भी १९४६–४७ की तुलना में १९४७–४८ में रजिस्टरी-शुदा ट्रेड यूनियनों की संख्या में लगभग ५४ प्रतिशत की वृद्धि देखने में आई।

१९२७–२८ से लेकर १९४७–४८ तक हिन्दुस्तान में ट्रेड यूनियनों की गतिविधि व विकास का ब्योरा नीचे की तालिका से जान पड़ेगा :

१	२	३	४	५
वर्ष	रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों की संख्या	उन ट्रेड यूनियनों की संख्या जिनने एक्ट के अनुसार आँकड़े भेजे	कालम ३ में गिनाई ट्रेड यूनियनों की सदस्य-संख्या	इनमें स्त्री सदस्यों का अनुपात (प्रतिशत)
१९२७-२८	२९	२८	१००,६१९	१.२
२८-२९	७५	६५	१८१,०७७	२.१
२९-३०	१०४	९०	२४२,३५५	१.४
३०-३१	११९	१०६	२१९,११५	१.४
३१-३२	१३१	१२१	२३५,६९३	१.५
३२-३३	१७०	१४७	२३७,३६९	२.१
३३-३४	१९१	१६०	२०८,०७१	१.४
३४-३५	२१३	१८३	२८४,९१८	१.७
३५-३६	२४१	२०५	२६८,३२६	२.७
३६-३७	२७१	२२८	२६१,०४७	३.५

३७-३८	४२०	३४३	३९०,११२	३.८
३८-३९	५६२	३९४	३९९,१५९	२.७
३९-४०	६६७	४५०	५११,१३८	३.६
४०-४१	७२७	४८३	५१३,८३२	३.८
४१-४२	७४७	४५५	५७३,५२०	३.०
४२-४३	६९३	४८९	६८५,२९९	३.८
४३-४४	७६१	५६३	७८०,९६७	२.७
४४-४५	८६५	५७३	८८९,३८८	४.१
४५-४६(क)	१,०८७	५८५	८६४,०३१ (ख)	४.५
४६-४७(घ)	१,७२५	९९८	१,३३१,९६२	४.९
४७-४८	२,६६६	१६,२८	१,६६२,९२९(ग)	६.२

(क) इसमें पंजाब के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

(ख) ये आंकड़े ५८४ यूनियनों के सम्बन्ध में हैं।

(ग) ये आंकड़े १,६२० यूनियनों के सम्बन्ध में हैं।

(घ) १९४६-४७ और १९४७-४८ के आंकड़े केवल भारत के सम्बन्ध में हैं और उससे पूर्व के वर्षों के आंकड़े अविभाजित भारत के सम्बन्ध में हैं। पूर्वी पंजाब के सम्बन्ध में १९४६-४७ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और १९४७-४८ के आंकड़े अपूर्ण हैं।

इस तालिका में उन्हीं यूनियनों के आंकड़े दिये गए हैं जो एक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड हैं लेकिन हरेक ट्रेड यूनियन अपने को ज़रूर रजिस्टर्ड करवाए, ऐसा कानून नहीं है। बिना रजिस्ट्री के देश में कितनी ही ट्रेड यूनियनें काम कर रही हैं। बम्बई प्रान्त के अलावा ऐसी यूनियनों के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं; बम्बई में १ अक्तूबर १९४८ को ट्रेड यूनियनों की संख्या ७१४ और सदस्य-संख्या ५,९९,५९९ थी। इनमें से केवल ३८९ यूनियनें रजिस्टर्ड थीं, और इनकी सदस्य-संख्या ४,४७,१८८ थी।

मध्यप्रांत और बरार तथा दिल्ली के अलावा सभी प्रांतों में रजिस्टर्ड यूनियनों की संख्या में वृद्धि हुई। इस अवधि में पश्चिमी बंगाल में ३७९, मद्रास और बम्बई में से प्रत्येक में १४४, बिहार में १२७ और उत्तर प्रदेश में ८४ यूनियनें अधिक बनीं।

प्रान्तवार ट्रेड यूनियनों का विवरण
(१९४६–४७ और १९४७–४८)

प्रान्त	रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों की संख्या		उन ट्रेड यूनियनों की संख्या जिनने एक्ट के अनुसार आंकड़े भेजे		कालम ३ में उल्लिखित यूनियनों की सदस्य संख्या	
	१९४६–४७	१९४७–४८	१९४६–४७	१९४७–४८	१९४६–४७	१९४७–४८
अजमेर-मारवाड़	८	११	८	११	५,१४८	६,०३१
आसाम	३६	८०	२५	४३	१३,५१८	४६,७०६
बिहार	१११	२३८	४७	१०४	३५,५८५	१२३,१३७
बम्बई	१६८	३०६	१२६	२४६	२६७,००९	३१६,६२२
मध्यप्रान्त और बरार	९६	९४	४८	५५	२०,१४९	४०,१९८
दिल्ली	५२	४७	३२	३२	४३,२०४	२०,४४४
पूर्वी पंजाब	—	७	—	७	——	७६० (केवल ५ यूनियनों के आंकड़े)
मद्रास	३६८	५१२	२७३	३४६	१८२,१८९	२४२,६२८ (केवल ३४० यूनियनों के आंकड़े उपलब्ध हैं)

संयुक्त प्रान्त	१९९	२८२	११३	२०९	९०,९१९	१२७,६८२
पश्चिमी बंगाल	५६९	९२६	२५९	४८३	४८८,६९७	४१८,९०६
उड़ीसा	४२	५४	३१	२५	८,७६६	५,६३४
केन्द्रीय यूनियनें	७६	१०९	३६	६७	१७६,७४२	३१४,१८१
योग	१,७२५	२,६६६	९९८	१,६२८	१,३३१,९६२	१,६६२,९२९

उद्योगों के अनुसार ट्रेड यूनियनों की संख्या और सदस्यता का विवरण
१९४६–४७ और १९४७–४८

उद्योग	१९४६–४७ आंकड़े भेजने वाली यूनियनों की संख्या	१९४६–४७ वर्ष के अन्त में सदस्यों की संख्या पुरुष	स्त्री	योग	१९४७–४८ आंकड़े भेजने वाली यूनियनों की संख्या	१९४७–४८ वर्ष के अन्त में सदस्यों की संख्या पुरुष	स्त्री	योग
रेलें, रेलवे वर्कशापों सहित तथा अन्य यातायात उद्योग (ट्राम्बेज छोड़कर)	११७	४४०,८२९	८३४	४४१,६६३	१५०	३८३,६८३	१,१८०	३८४,८६३
ट्राम्बेज	४	१४,२३१	१४३	१४,३७४	६	१७,६३४	५२	१७,६८
सूती कपड़ा उद्योग	१६६	३०१,३७३	४३,६७६	३४७,९१२ (क)	२२२	३८५,०९९	४५,७४५	४३०,८४४

छपाई के कारखाने	४२	२१,६६७	३४	२२,०३१	६३	२५,६७०	६७	२५,७३७
म्युनिसिपल	४५	२५,४४१	३,८६७	३५,६५६ (क)	७०	३४,५६७	४,५८७	३६,१५४
जहाजी उद्योग (सीमेन)	११	६५,१६६	....	६५,१६६	६	६४,६१६	....	६४,६१६
डाकों (Docks) और पोर्ट-ट्रस्टों (बन्दरगाहों) से संबंधित उद्योग	२८	४२,२३१	४५७	४२,६८८	२८	४२,८६१	२३२	४३,०६३
कृषि	....	....	....	....	१३	१०,२६२	३३५	१०,६२७
इंजीनियरिंग	१०१	५५,६३६	५८०	५६,२१६	१६२	६७,२०१	१,१३२	६८,३३३
विविध	४८४	२६०,८६१	१५,२०७	३०६,२५३ (क)	८६२	४६६,००७	४८,६६६	५४७,६७६
योग	६६८	१,२५७,७६५	६४,७६८	१,३३१,६६२	१,६१५ (ख)	१,५६०,६३०	१०२,२६६	१,६६२,६२६

(क) ६,३६६ सदस्यों के सम्बन्ध में स्त्री-पुरुषों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इनमें से २,८६३ सदस्यों का सम्बन्ध सूती कपड़ा मिलों, ६,३५१ म्युनिसिपल और १८५ विविध उद्योगों से है।

(ख) १३ यूनियनों के सम्बन्ध में स्त्री-पुरुषों के अलग-अलग आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके। इनमें से ६ सूती-कपड़ा-यूनियनों, २ बन्दरगाहों से सम्बन्ध रखनेवाली यूनियनें और ५ विविध उद्योगों से सम्बन्धित यूनियनें हैं।

,सदस्य-संख्या के अनुसार रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों का विश्लेषण
१९४६–४७ और १९४७–४८

सदस्यता	१९४६–४७ यूनियनों की संख्या	सदस्यों की संख्या	कुल सदस्यता से अनुपात	१९४७–४८ यूनियनों की संख्या	सदस्यों की संख्या	कुल सदस्यता से अनुपात
जिनकी सदस्य-संख्या ५० से कम थी	७१	२,३०५	०.२	१६२	५,२९८	०.३
,, ,, ५० से ९९ तक	९६	७,११०	०.५	२१४	१५,१७७	०.९
,, ,, १०० से २९९ तक	२७४	५२,६३८	४.०	४९२	९०,१९४	५.४
,, ,, ३०० से ४९९ तक	१४६	५६,२६३	४.२	१८०	६९,००६	४.२
,, ,, ५०० से ९९९ तक	१९१	१३३,४४४	१०.२	२६७	१८६,२६८	११.२
,, ,, १,००० से १,९९९ तक	१०२	१४४,६८३	१०.९	१६६	२३०,४८०	१३.९
,, ,, २,००० से ४,९९९ तक	७२	२०५,२६०	१५.४	८३	२३७,३०५	१४.३
,, ,, ५,००० से ९,९९९ तक	२२	१५६,५३३	११,८	२६	१८०,६४४	१०.९
,, ,, १०,००० से १९,९९९ ,,	१०	१३१,८६८	९.९	१३	१८८,६५३	११.३
,, ,, २०,००० और उससे ऊपर	१४	४४१,८५८	३३.२	१७	४५९,९०४	२७.६
योग	९९८	१,३३१,९६२	१००.०	१,६२०(क)	१,६६२,९२९	१००.०

(क) आठ यूनियनों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दैनिक काम सम्बन्धी आंकड़े

यद्यपि १६३१ की जनगणना के अनुसार देश की समस्त आबादी का लगभग ४२ प्रतिशत भाग आर्थिक रूप से लाभकारी कार्यों में संलग्न है, परन्तु एतत्सम्बन्धी पूर्ण आंकड़े केवल कतिपय, सुसंगठित और सुव्यवस्थित उद्योग-धन्धों व औद्योगिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में ही उपलब्ध हैं। इनमें से देश के कारखानों, खानों, रेलों, डाक और तार तथा बगीचा-उद्योगों आदि से सम्बन्धित आंकड़े विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस समय लगभग २८ लाख व्यक्ति कारखानों में, ५ लाख खानों में, ११$\frac{3}{2}$ लाख बगीचा-उद्योगों में (चाय, कहवा आदि), ६ लाख रेलों में, १$\frac{3}{2}$ लाख डाक और तार-विभाग में, १ लाख से ऊपर केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग में, ६० हजार से अधिक बन्दरगाहों में और लगभग ३ लाख व्यक्ति जहाजियों आदि के रूप में काम कर रहे हैं। ये आंकड़े समस्त भारत के सम्बन्ध में हैं जिसमें प्रान्त और रियासतें दोनों ही शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्यों में संलग्न व्यक्तियों का लगभग दो-तिहाई भाग केवल कृषिजीवी है। कृषि और उपर्युक्त सुव्यवस्थित उद्योग-धन्धों के अलावा देश की जनता का एक बहुत बड़ा भाग घरेलू उद्योग-धन्धों, थोक और खुदरा व्यापार, सड़क यातायात, भवन-निर्माण कार्य, तथा म्युनिसिपल सर्विसों इत्यादि में काम कर रहा है। परन्तु इनके सम्बन्ध में कोई विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

निम्नांकित तालिका से कारखानों में प्रतिदिन काम करनेवाले मजदूरों की औसत संख्या का पता चलता है। १६४७ और १६४८ के आंकड़ों को छोड़कर शेष सभी आंकड़े अविभाजित भारत के सम्बन्ध में हैं। ये आंकड़े १६२६ और १६३६ से लेकर १६४८ तक की अवधि के हैं। इन आंकड़ों में वर्ष-भर काम करनेवाले तथा वर्ष के कुछ भाग (अल्पकालीन) में काम करनेवाले दोनों ही प्रकार के कारखाने शामिल हैं।

कारखानों में दैनिक काम करनेवाले मजदूरों की औसत संख्या १९२९ और १९३९ से लेकर १९४८ तक

वर्ष	कारखानों की संख्या	प्रतिदिन काम करनेवाले मजदूरों की औसत संख्या
१९२९	७,१५३	१,४५५,०९२
१९३९	१०,४६६	१,७५१,१३७
१९४०	१०,९१९	१,८४४,४२८
१९४१	११,८६८	२,१५६,३७७
१९४२	१२,५२७	२,२८२,२८८
१९४३	१३,२०९	२,४३६,३१२
१९४४	१४,०७१	२,५२२,७५३
१९४५	१४,७६१	२,६४२,९४९
१९४६	१४,२०५	२,३१४,५८७
१९४७	१४,५७६	२,२७४,६८९
१९४८	१५,९०६	२,३६०,२०१

उक्त तालिका से पता चलता है कि १९४८ में कारखानों की संख्या में ९.१ प्रतिशत की तथा उनमें काम करनेवाले मजदूरों की संख्या में ३.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९४८ में भी देश के युद्धकालीन कारखानों जैसे कि युद्ध-सामग्री तैयार करनेवाले कारखानों और सेना के लिए कपड़ा इत्यादि तैयार करनेवाले कारखानों में मजदूरों की युद्धोत्तर-कालीन छटनी जारी रही, यद्यपि १९४७ की तुलना में कम संख्या में मजदूर नौकरी से हटाये गए। उधर देश के शान्तिकालीन कारखानों में जैसे कि सूती कपड़ा, इंजीनियरिंग और रासायनिक पदार्थ बनानेवाले कारखानों में अधिक संख्या में मजदूरों को नौकरी दी गई।

प्रान्तवार कारखानों तथा उनमें काम करनेवाले मजदूरों की संख्या
१९४७–४८

प्रान्त	कारखानों की संख्या		प्रतिदिन काम करनेवाले मजदूरों की औसत संख्या	
	१९४७	१९४८	१९४७	१९४८
अजमेर-मारवाड़	३३	३५	१५,८६४	१५,८७७
आसाम	७३५	७६७	५६,११९	५९,५६३
बिहार	५०५	६५७	१३६,८३४	१४८,२०८
बम्बई	४,७०३	५,२५४	७०२,४६५	७३७,४६०
मध्य प्रान्त और बरार	९३८	१,००३	९७,२१९	१०१,६४६
कुर्ग	१०	९	११७	७४
दिल्ली	२१९	२८७	३१,३२०	३६,८९४
पूर्वी पंजाब	५४७	५९४	३७,४८६	३६,६२५
मद्रास	३,७६१	३,९६०	२७६,५८६	२८८,७२२
उड़ीसा	१८४	२२२	१०,५९२	१२,३२९
संयुक्तप्रान्त	९६७	१,०४०	२४०,३९६	२४२,०८३
पश्चिमी बंगाल	१,९६८	२,०७२	६६७,६२६	६७८,७०१
अंडमान और निकोबार द्वीप	६	६	२,०६५	२,०१९
योग	१४,५७६	१५,९०६	२,२७४,६८९	२,३६०,२०१

उक्त आंकड़ों से पता चलता है कि इस अवधि में देश के अधिकांश प्रान्तों में अधिक संख्या में लोगों को काम मिला। बम्बई, मद्रास तथा बिहार और पश्चिमी बंगाल में क्रमशः पहले की अपेक्षा लगभग ३५,०००, १२,००० और ११,००० अधिक लोगों को काम पर लगाया गया। इस

बढ़ती का मुख्य कारण यह था कि इन प्रान्तों में बहुत-से नये कारखाने खोले गए हैं।

उद्योगों के अनुसार कारखानों तथा उनमें प्रतिदिन काम करनेवाले मजदूरों की औसत संख्या
१९४७-४८

	कारखानों की संख्या		प्रतिदिन काम करनेवालों की औसत संख्या	
उद्योग	१९४७	१९४८	१९४७	१९४८
वर्ष-पर्यन्त चलने वाले कारखाने				
सूती वस्त्र उद्योग	१,६८६	१,७५५	१,००८,३८१	१,०३२,९४५
इंजीनियरी उद्योग	२,३१६	२,६८८	३५६,६५६	३८०,९४१
खनिज और धातु उद्योग	४१८	५८३	८५,३५२	१०१,३१६
खाद्य, पेय और तम्बाकू	३,०२१	३,१५७	१४१,६०६	१५१,६७४
रंग व रासायनिक उद्योग	१,२०२	१,४६५	६३,५३३	१०६,६५६
कागज और छपाई	१,०५२	१,१६०	७७,६६३	८०,०८३
लकड़ी पत्थर और शीशा	१,०५३	१,१२८	६४,३२५	६८,२७६
चमड़ा और खालें	३३०	३२८	२६,३८२	२७,२३१
रुई धुनाई और बेलने का उद्योग	२१२	२१७	१७,४८१	१३,६२४
युद्ध-सामग्री से सम्बन्धित उद्योग	६३	५४	७८,४४०	७४,२३६
विविध	४००	४५५	५२,१५०	५३,०३३

अल्पकालीन उद्योग (ऐसे कारखाने जो वर्ष के केवल थोड़े-से भाग में चालू रहते हैं)				
खाद्य, पेय और तम्बाकू	१,५८८	१,६१६	१६१,०७४	१६७,३८६
रंग व रसायन	२२	५०	१,६३४	३,०४४
रुई धुनाई और बेलने का उद्योग	१,१७८	१,१७०	६५,६१६	६५,४८६
विविध	२६	४५	४८६	६५८
योग	१४,५७६	१५,६०६	२,२७४,६८६	२,३६०,२०१

१६४८ में देश भर के कारखानों में कुल मिलाकर २३,६०,२०१ वयस्क व्यक्ति काम कर रहे थे। इनमें से २०,६०, ५१८ वयस्क पुरुष, २,६४,८७६ वयस्क स्त्रियाँ २३,३६५ प्रौढ़ और ११,४४४ बच्चे थे।

१६४६ के अन्त में देशी राज्यों के २,७४५ कारखानों में कुल मिलाकर ५ लाख से भी ऊपर मजदूर काम कर रहे थे, जब कि १६३६ में यह संख्या क्रमशः १,७५० और लगभग ३ लाख थी। औद्योगिक दृष्टि से उन्नत और महत्वपूर्ण रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावनकोर, कोचीन, बड़ौदा, ग्वालियर, इंदौर और काश्मीर हैं।

कतिपय अन्य उल्लेखनीय उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या १६४८ में इस प्रकार थी :

(क) खनिज उद्योग—३६५,८६५ इनमें ६८, ८८५ पुरुष और (खानें) ४६,५४४ स्त्रियाँ थीं।

विभिन्न खानों के अनुसार संख्याः—

कोयला—३०८,३६३

अबरक— ३१,४६०
मैंगानीज— १६,०६८
कच्चा लोहा— ७,०६८
अन्य खानें— ३२,६७६

मैसूर में कोलार की सोने की खानों में अगस्त १६४६ में २१,६६६ मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से २०,५६४ पुरुष, ६२५ स्त्रियाँ और १५० बच्चे थे।

(ख) बगीचा-उद्योग—चाय, कहवा और रबड़ के बगीचों की संख्या और उनमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या १६४८ में इस प्रकार थी :

	बगीचों की संख्या	मजदूरों की संख्या
चाय—	६,७६०	६४४,११८
कहवा—	६,५४७	१५२,०७७
रबड़—	१५,५६७	४८,१७१

नोट:—कहवा के आंकड़े ३० जून, १६४८ तक के हैं।

(ग) रेलें—१६४८-४६ में सभी श्रेणियों की रेलों, रेलवे बोर्ड और रेलों के अन्य दफ्तरों में काम करनेवाले कर्मचारियों की कुल संख्या ६१२,७२४ थी।

(घ) डाक और तार—३१ मार्च १६४६ को प्राप्त होने वाले आंकड़ों से पता चलता है कि उस अवधि में भारतीय डाक और तार विभाग में १६७,७०१ व्यक्ति काम कर रहे थे।

(च) ट्राम्बे—जून १६४८ के अन्त में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में चलने वाली ट्रामों में क्रमशः ७,३४१,४,५१६, १,६४६, और ३०४ कर्मचारी काम कर रहे थे।

(छ) बन्दरगाह—भारत के पांच प्रमुख बन्दरगाहों—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापट्टनम् और कोचीन में अगस्त

१९४९ के अन्त में क्रमशः १७,३००, २३,५१४, ५,७००, २,३७०, और १,८०० मजदूर काम कर रहे थे।

(ज) केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग—इस विभाग में सितम्बर १९४९ के अन्त में विभाग की ओर से १२,२५५ पुरुष, २५५ स्त्रियाँ और १५ बच्चे काम कर रहे थे। इसके अतिरिक्त इस विभाग के लिए इसी अवधि में ठेकेदारों की ओर से ९६,८३६ पुरुष, १३,८४४ स्त्रियाँ और २,६०१ बच्चे काम कर रहे थे। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि इस विभाग की ओर से सीधे तौर पर प्रति माह औसतन १४,००० मजदूरों को काम पर लगाया गया और लगभग ११८,००० मजदूरों को ठेकेदारों के जरिये काम दिया गया।

कामदिलाऊ केन्द्रों के सम्बंध में आंकड़े

इस समय देश में ५४ कामदिलाऊ केन्द्र काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा बेकार लोगों को काम दिलाने में सहायता दी जाती है। इन केन्द्रों में जहां अक्तूबर १९४८ में ६८,००० व्यक्तियों के नाम काम दिलाने के लिए रजिस्टर किये गए वहां जुलाई १९४९ में यह संख्या १०८,००० तक पहुँच गई। इनमें से जनवरी १९४९ में जहां २४,००० व्यक्तियों को काम दिलाया गया वहां सितम्बर १९४९ में यह संख्या घट कर १८,००० रह गई। इसी प्रकार काम ढूंढ़ने वालों की कुल संख्या अक्तूबर १९४८ में जहां २२९,००० थी, वहां यह संख्या बढ़कर अगस्त १९४९ के अन्त में २३७,००० तक पहुँच गई।

रियासतों में काम करनेवाले कामदिलाऊ केन्द्रों के सम्बंध में यद्यपि विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु जो कुछ भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता है कि ३० सितम्बर १९४९ तक ११२,६९८ व्यक्तियों के नाम काम दिलाने के लिए दर्ज किये गए, जिनमें से २१,८६४ व्यक्तियों को काम दिलाया गया।

औद्योगिक झगड़ों का इतिहास

दूसरे महायुद्ध के बाद देश के औद्योगिक क्षेत्रों में काफी बेचैनी और अशान्ति देखने में आई, जो बढ़ते-बढ़ते १९४७ में अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई। परन्तु १९४८ में स्थिति में अपेक्षाकृत बहुत-कुछ सुधार होता दिखाई दिया। इस अवधि में १९४७ की तुलना में औद्योगिक झगड़ों में ३०.९ प्रतिशत की कमी, इनसे सम्बन्धित मजदूरों की संख्या में ४२.९ प्रतिशत की कमी और जनदिनों की हानि में ५२.७ प्रतिशत की कमी देखने में आई।

इसी प्रकार झगड़ों की औसत अवधि में भी कमी देखने में आई, जो १९४७ में ९ दिनों की अपेक्षा १९४८ में घटकर ७.४ दिन तक रह गए।

१९४८ में देश की श्रम-संबंधी साधारण स्थिति में प्रायः सभी दृष्टियों से शनैः-शनैः सुधार होता दिखाई दिया। आलोच्य वर्ष की प्रथम तिमाही में जनदिवसों की हानि की संख्या जहां ३८.६ लाख थी, वहां यह संख्या घटकर वर्ष की अन्तिम तिमाही में ११.६ लाख ही रह गई।

कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के संबंध में १९४७ और १९४८ में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं और जो सरकारी निर्णय किये गए, उनका देश की साधारण स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव १९४८ के श्रम-संबंधी सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इन घटनाओं में से सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना दिसम्बर १९४७ के त्रिपक्षीय उद्योग-सम्मेलन का वह प्रस्ताव है, जिसके द्वारा सरकार, मिल-मालिकों और मजदूरों ने तीन वर्ष तक देश में औद्योगिक शान्ति बनाए रखने का निर्णय किया। इस सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने औद्योगिक उत्पादन से संबंध रखने वाले सभी मामलों में मजदूरों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का वचन दिया। तदनुसार

सरकार ने केन्द्रीय और प्रादेशिक श्रम सलाहकार बोर्ड, वर्क्स कमेटियां और उत्पादन कमेटियां बनाने का निर्णय किया। दूसरे, औद्योगिक ट्रिब्यूनलों, औद्योगिक अदालतों और पंचों द्वारा दिये गए निर्णयों के कारण मजदूरों की आम स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तीसरे, देश के प्रायः सभी बड़े-बड़े उद्योगों में काम करनेवाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है। उनकी मजदूरी का स्तर भी काफी ऊँचा उठ गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने मजदूरों की साधारण अवस्था सुधारने और उनकी सुख-सविधा की व्यवस्था के लिए जो कदम उठाए हैं और कार्यक्रम निर्धारित किया है, उसका भी इस स्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है।

आलोच्य अवधि में मजदूरों की स्थिति में जो सुधार देखने में आया है, उसका श्रेय यद्यपि किसी एक विशेष कारण को नहीं दिया जा सकता, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि औद्योगिक झगड़ों के कारण १९४८ में कारखानों को समय-संबंधी जो हानि उठानी पड़ी, वह १९४७ की तुलना में आधे से भी कम थी।

औद्योगिक झगड़े
१९३९ से १९४८ तक

वर्ष	झगड़ों की संख्या, जबकि कारखाने बंद पड़े रहे	इनसे सम्बन्धित मजदूरों की संख्या	मजदूरी के दिनों की हानि	हानि के औसत दिन
१९३९	४०६	४०९,१८९	४,९९२,७९५	१३.२
१९४०	३२२	४५२,५३९	७,५७७,२८१	१६.७
१९४१	३५९	२९१,०५४	३,३३०,५०३	११.४
१९४२	६९४	७७२,६५३	५,७७९,९६५	७.५
१९४३	७१६	५२५,०८८	२,३४२,२८७	४.५

१९४४	६५८ (क)	५५०,०१५	३,४४७,३०६	६.३
१९४५	८२० (ख)	७४७,५३०	४,०५४,४९९	५.४
१९४६	१,६२९ (ग)	१,९६१,९४८	१२,७१७,७६२	६.५
१९४७	१,८११ (घ)	१,८४०,७८४	१६,५६२,६६६	९.०
१९४८	१,२५९ (च)	१,०५९,१२०	७,८३७,१७३	७.४

(क) ५ झगड़ों के परिणाम और १ झगड़े की मांग के बारे में कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके ।

(ख) १ झगड़े का परिणाम और ६ झगड़ों की मांग का पूरा विवरण नहीं मिला ।

(ग) ३५ झगड़ों के परिणाम और २ की मांग के आंकड़े नहीं मिले ।

(घ) २६ झगड़ों के परिणाम और १७ की मांगों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं मिले ।

(च) २८ झगड़ों के परिणाम और १२ की मागों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं मिले ।

औद्योगिक झगड़ों का कारण के अनुसार विश्लेषण
१९३९ से १९४८

वर्ष	मजूरी	बोनस	व्यक्तिगत	छुट्टी और काम करने का सम्बन्ध	शेष
१९३९	२३२	२	७४	१२	८६
१९४०	२०२	९	५४	१०	४७
१९४१	२१८	९	५५	१५	६२
१९४२	३५९	७९	६३	७	१८६
१९४३	३४२	५५	५३	१४	२५२
१९४४	३७२	५०	८२	३५	११८

१९४५	३५६	११०	१४५	५६	१४७
१९४६	६०४	७९	२८०	१३०	५३४
१९४७	५७४	१९५	३४९	९४	५८२
१९४८	३८३	११२	३६३	११०	२७९

परिणाम के अनुसार झगड़ों का विश्लेषण
१९३९—४८

वर्ष	सफल	आंशिक रूप से सफल	असफल	अनिश्चित	चालू झगड़े
१९३९	६३	१४४	१८५	....	१४
१९४०	८६	८०	१५०	....	६
१९४१	७५	१११	१६८	....	५
१९४२	११७	१६९	३७८	१७	१३
१९४३	१३८	२१०	३१४	४९	५
१९४४	११९	१७५	२९७	४९	१३
१९४५	१३४	१५५	३७०	१३५	२५
१९४६	२७८	२७४	६९६	३१७	२९
१९४७	३१०	२९८	७००	४१६	६१
१९४८	२३४	१४३	५२८	३०५	२१

औद्योगिक झगड़ों का प्रान्तवार विश्लेषण
१९४८

प्रान्त	झगड़ों की संख्या	इनसे सम्बन्धित मजदूरों की संख्या	मजदूरी के दिनों की हानि
अजमेर मेरवाड़	४३	२८,६३८	३६,२८६
आसाम	६१ (क)	१३,८८०	२९,९६३
बिहार	६१	५७,९०२	५३३,७२२
बम्बई	५३६	३८४,३८५	१,८१०,७९३

मध्यप्रान्त और बरार	५३	७४,६७७ (ग)	२७६,०३०
दिल्ली	२७	६३,३००	१२०,७७०
पूर्वी पंजाब	१५	६,६५७	२४,८३२
मद्रास	१६१	११७,४०१	२,२६६,१२४
उड़ीसा	२	१,४८७	४,०६६
संयुक्तप्रान्त	१०३ (ख)	८६,६३१	३१४,७७५(घ)
पश्चिमी बंगाल	१६७	२२०,८६२	२,३१६,७८२
योग	१,२५६(ङ)	१,०५६,१२०(ग)	७,८३७,१७३ (च)

(क) १२ झगड़ों की मांगों और १६ के परिणामों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) १२ झगड़ों के परिणामों का पता नहीं चल सका।

(ग) ४ झगड़ों के बारे में कोई विवरण नहीं मिला।

(घ) ८ झगड़ों के बारे में कोई विवरण नहीं मिला।

(ङ) १२ झगड़ों की मांगों और २८ के परिणामों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(च) १२ झगड़ों के बारे में कोई विवरण नहीं मिला।

प्रान्तों में कारण के अनुसार झगड़ों का विश्लेषण
१६४८

प्रान्त	मजदूरी	बोनस	व्यक्तिगत	छुट्टी और काम का समय	शेष
अजमेर-मेरवाड़	१२	....	१०	....	२१
आसाम	१३	७	२५	४	....
बिहार	१४	१०	७	३	२७
बम्बई	२२४	६०	१४७	४६	५६
मध्यप्रान्त और बरार	१३	४	१७	५	१४

दिल्ली	६	४	....	१३	१
पूर्वी पंजाब	७	१	६	....	१
मद्रास	२७	१०	६४	२०	४०
उड़ीसा	१	....	....	....	१
संयुक्तप्रान्त	१८	४	२४	८	४६
पश्चिमी बंगाल	४५	१२	६३	११	६६
योग	३८३	११२	३६३	११०	२७६

प्रान्तों में परिणाम के अनुसार झगड़ों का विश्लेषण

१६४८

प्रान्त	सफल	आंशिक रूप में सफल	असफल	अनिश्चित	चालू झगड़े
अजमेर-मेरवाड़	४	४	३१	४	....
आसाम	२८	८	५	४	....
बिहार	१४	११	७	२६	....
बम्बई	११०	४१	२७७	१०४	४
मध्यप्रान्त और बरार	६	४	२१	१६	३
दिल्ली	३	१३	१०	....	१
पूर्वी पंजाव	४	३	७	१	....
मद्रास	२६	४	२२	१०२	४
उड़ीसा	....	....	१	१	....
संयुक्तप्रान्त	११	१६	४६	१५	....
पश्चिमी बंगाल	२५	३६	६८	२६	६
योग	२३४	१४३	५२८	३०५	२१

उद्योगों के अनुसार झगड़ों का विश्लेषण
१९४८

उद्योग	झगड़ों की संख्या	मजदूरों की संख्या	मजदूरी के दिनों की हानि
सूती, रेशमी व गर्म कपड़ा	३९३ (क)	४९४,२५९	३,७४८,५५१ (च)
पटसन	४६	१३९,३८२	१,१०७,९१७
इंजीनियरिंग	१४३ (ख)	६५,८९७	८५१,४९८ (च)
रेलें	४१	६४,०४५	११३,६१४ (च)
खानें	१५	२३,११४	२२४,२८९
शेष	६२१ (ग)	२७२,४२३ (ङ०)	१,७८५,३०४ (छ)
योग	१,२५९ (घ)	१,०५९,१२० (ङ)	७,८३७,१७३ (ज)

(क) ५ झगड़ों के परिणाम मालूम नहीं हो सके।

(ख) १ झगड़े की मांग और ३ के परिणाम के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) ११ झगड़ों की मांगों और २० के परिणामों के बारे में कोई विवरण नहीं प्राप्त हुआ।

(घ) १२ झगड़ों की मांगों और २८ के परिणामों के बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) ४ झगड़ों से सम्बन्धित मजदूरों की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(च) १ झगड़े से सम्बन्धित हानि के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(छ) ९ झगड़ों से सम्बन्धित हानि के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ज) १२ झगड़ों से सम्बन्धित हानि के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उद्योगों के अनुसार कारण और परिणाम के आधार पर झगड़ों का विश्लेषण
१९४८

उद्योग	कारण के अनुसार					परिणाम के अनुसार				
	मजूरी	बोनस	निजी	छुट्टी और काम का समय	शेष	सफल	आंशिक रूप में सफल	असफल	अनिश्चित	चालू
सूती, रेशम व गर्म कपड़ा	८६	३३	१३१	५०	९३	६९	२४	१९५	९५	५
पटसन	१३	....	१२	२	१९	१२	२	२१	११	....
इंजीनियरिंग	३०	१९	३८	११	४४	१४	२६	६२	३४	४
रेलें	२१	....	९	२	९	४	५	१८	१४	....
खानें	४	१	५	....	५	५	....	४	६	....
शेष	२२९	५९	१६८	४५	१०९	१३०	८६	२२८	१४५	१२
योग	३८३	११२	३६३	११०	२७९	२३४	१४३	५२८	३०५	२१

१६४८ के झगड़ों के सम्बन्ध में निष्कर्ष—

(१) कुल झगड़ों में से एक-तिहाई झगड़े सूती, ऊनी और रेशमी कारखानों में हुए। इन झगड़ों में कुल मिलाकर मजदूरी के दिनों का आधा नुकसान हुआ।

(२) पटसन के कारखानों में केवल ४६ झगड़े हुए, जिनकी वजह से मजदूरी के दिनों की लगभग १४ प्रतिशत हानि हुई। औसतन हर झगड़े में ३,०३० मजदूर शामिल हुए। इन मिलों में झगड़े का औसत-काल ७. ६ दिन रहा जबकि प्राति झगड़ा २४,०८५ जन-दिनों की हानि हुई।

(३) इंजीनियरिंग से सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों में १४३ झगड़े हुए, जिनके कारण मजदूरी के लगभग ८॥ लाख दिनों का नुकसान हुआ।

(४) इस वर्ष कुल झगड़ों में से लगभग आधे झगड़े विविध उद्योगों के अन्तर्गत आते हैं।

(५) इन झगड़ों के कारण सूती, ऊनी व रेशमी कपड़े के उद्योगों को १.८ प्रतिशत नुकसान उठाना पड़ा, जबकि १६४७ में यह ३.६ प्रतिशत था। इसी प्रकार जूट की मिलों को १.१ प्रतिशत नुकसान उठाना पड़ा, जबकि १६४७ में उन्हें १.४ प्रतिशत नुकसान पड़ा था। इंजीनियरिंग उद्योगों के सम्बन्ध में ये आंकड़े १६४७ के १.५ प्रतिशत की तुलना में घटकर ०.६५ प्रतिशत ही रह गए।

(६) कारण के अनुसार १६४७ और १६४८ में झगड़ों का अनुपात इस प्रकार रहा—

	१६४७		१६४८
(१) मजदूरी और भत्ते से सम्बन्धित झगड़े	३२.०	प्रतिशत	३०.७
(२) बोनस	१०.६	,,	६.०
(३) निजी मामले	१६.५	,,	२६.१
(४) छुट्टी और काम का समय	५.२	,,	८.८

(५) शेष ३२.४ प्रतिशत २२.४

(७) वेतन और बोनस से सम्बन्ध रखने वाले झगड़ों में पिछले वर्ष की अपेक्षा कमी हुई। परन्तु निजी, तथा छुट्टी और काम के समय के कारणों की श्रेणी के अन्तर्गत आनेवाले झगड़ों में वृद्धि हुई। सूती, ऊनी और रेशम की मिलों में मजदूरी और भत्ते से सम्बन्धित झगड़ों का अनुपात २२ प्रतिशत रहा, जबकि निजी कारणों के अन्तर्गत आने वाले झगड़ों का प्रतिशत ३३ प्रतिशत रहा। जूट की मिलों में बोनस सम्बन्धी कोई झगड़ा नहीं हुआ।

(८) परिणामों के अनुसार झगड़ों का विश्लेषणः—

		१९४७	१९४८
(क)	सफल	१७.८	१६.३
(ख)	आंशिक रूप में सफल	१७.५	११.८
(ग)	असफल	४४.५	४३.६
(घ)	अनिश्चित	२०.२	२५.३

(९) सबसे अधिक झगड़े बम्बई में हुए, जहां इनका अनुपात ३ प्रतिशत रहा। झगड़ों में दूसरा नम्बर बिहार और संयुक्तप्रान्त का रहा।

उद्योगों के अनुसार कारखानों के मजदूरों की औसत

उद्योग	१९३९	१९४०	१९४१	१९४२
वस्त्र उद्योग	२९३.५ (१००.०)	३०२.९ (१०३.२)	३१४.० (१०७.०)	५७१.५ (१९४.७)
सूती कपड़ा	३२०.२ (१००.०)	३२५.१ (१०१.५)	३४३.६ (१०७.३)	६८२.६ (२१३.५)
जूट (पटसन)	२३०.८ (१००.०)	२६५.९ (११५.२)	२५६.२ (१११.०)	३५५.५ (१५४.०)
इंजीनियरिंग	२६३.५ (१००.०)	३४५.० (१३०.९)	३७१.५ (१४१.०)	५२९.० (२००.७)
खनिज और धातुएं	४५७.२ (१००.०)	४९१.५ (१०७.५)	४७६.१ (१०४.१)	५०२.१ (१०९.८)
रंग व रसायन	२४४.८ (१००.०)	२२९.६ (९३.८)	२३८.१ (९७.३)	३९८.० (१६२.६)
कागज व छपाई	३३२.७ (१००.०)	३६०.३ (१०८.३)	३२४.८ (९७.६)	४१४.० (१२४.४)
लकड़ी, पत्थर और शीशा	१९४.२ (१००.०)	१७५.३ (९०.४)	१९९.१ (१०२.६)	३०३.१ (१५६.२)
चमड़ा और खालें	२८५.८ (१००.०)	३२७.१ (११४.५)	३५७.९ (१२५.२)	४११.० (१४३.८)
आर्डनेंस (युद्धसामग्री उत्पादन के कारखाने)	३६१.९ (१००.०)	४०८.५ (११२.९)	४२९.४ (११८.७)	५२७.४ (१४५.७)
टकसाल (mints)	३६७.४ (१००.०)	४६२.७ (१२५.९)	४९१.२ (१३३.७)	५७४.४ (१५६.३)
विविध	२८१.२ (१००.०)	२६१.० (९२.८)	२६१.२ (९२.९)	३९२.० (१३९.४)
सब उद्योग	२८७.५ (१००.०)	३०७.७ (१०७.०)	३२४.५ (११२.९)	५२५.० (१८२.६)

नोट:—कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े सूचकांकों के द्योतक हैं। (आधार सम्बन्ध के हैं। १९४६ के आंकड़े भी यद्यपि बृटिश भारत के ही सम्बन्ध सम्मिलित नहीं हैं। १९४७ और १९४८ के आंकड़े केवल भारतीय संघ

वार्षिक कमाई की प्रवृत्ति (रुपयों व अनुपात में प्रदर्शित)

१९४४	१९४५	१९४६	१९४७	१९४८
६३३६.	६१३.७	६२४.५	७७१.७	९३१.९
(२१५.९)	(२०८.९)	(२१२.८)	(२६२.९)	(३१७.५)
७७२.२	७२३.४	७२१.८	९०९.३	१०९४.४
(२४१.२)	(२२५.९)	(२२५.४)	(२८४.०)	(३४१.८)
३६३.२	३९०.५	४२५.०	४९७.६	६३७.७
(१५७.४)	(१६९.२)	(१८४.१)	(२१५.६)	(२७६.३)
५८९.८	६५३.१	६९६.१	६९८.७	८७९.४
(२२३.८)	(२४७.९)	(२६४.२)	(२६५.२)	(३३३.७)
५७३.५	६०१.९	५९९.८	८८६.२	१०६५.१
(१२५.४)	(१३१.६)	(१३१.२)	(१९३.८)	(२३३.०)
४८४.६	४४५.२	४९२.४	५९२.६	६६३.८
(१९८.०)	(१८१.८)	(२०१.१)	(२४२.१)	(२७१.२)
४७४.१	५६८.८	६३८.४	७२८.५	८३५.३
(१४२.५)	(१७०.१)	(१९१.९)	(२१९.०)	(२५१.१)
३६८.४	४१३.६	४३४.३	४९५.४	५६७.६
(१८९.९)	(२१३.२)	(२२३.६)	(२५५.१)	(२९२.३)
५३२.१	५३६.७	५५८.२	६०३.९	८२६.३
(१८६.२)	(१८६.८)	(१९५.३)	(२११.३)	(२८९.१)
५४६.८	६४२.८	७२१.२	७५५.२	९१८.०
(१५१.१)	(१७७.६)	(१९९.३)	(२०८.७)	(२५३.७)
६९५.२	६६७.०	८५८.७	१०७१.२	१३७८.२
(१८९.२)	(१८१.६)	(२३३.७)	(२९१.६)	(३७५.१)
५१३.८	५०३.२	६११.८	६६३.१	७९६.९
(१८२.७)	(१७८.९)	(२१७.६)	(२३५.८)	(२८३.४)
५८६.५	५९५.८	६१९.४	७३७.०	८८९.७
(२०४.०)	(२०७.२)	(२१५.४)	(२५६.३)	(३०९.५)

—१९३९ = १००) १९३९ से १९४५ तक के आंकड़े बृटिश भारत के के हैं, परन्तु उसमें पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के आंकड़े के उस समय के सम्बन्ध के हैं ।

संविधान और श्रमनीति

भारत के नये संविधान की प्रस्तावना के अन्तर्गत कहा गया है कि 'हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिकन्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़-संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद २३ के अनुसार मानव का पराय और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध घोषित किया गया है। इसी प्रकार २४ वें अनुच्छेद के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने अथवा खान में नौकर न रखने और न किसी दूसरी संकटमय नौकरी में लगाये जाने का प्रतिषेध किया गया है।

संविधान के भाग ४ के अन्तर्गत राज्य की नीति के कुछ निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि 'ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।'

चौथे भाग के अनुच्छेद ३९, ४१, ४२ और ४३ का सम्बन्ध चूंकि राज्य की श्रमनीति से है, अतः पाठकों के लाभार्थ उन्हें हम यहां उद्धृत करते हैं—

३९. राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम रूप से उपयोग हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;

(ङ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

(च) शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो।

४१. कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक-सहायता पाने का अधिकार—

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अङ्गहानि तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।

४२. काम की न्याय्य तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध—

राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति-सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

४३. श्रमिकों के लिए निर्वाह-मजूरी आदि—

उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा, अथवा और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह-मजूरी, शिष्ट जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उप-

भोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर-उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

संविधान के ग्यारहवें भाग के पहले अध्याय में संघ और राज्यों के विधानी सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है। विधि-सम्बन्धी विषयों का वितरण तीन सूचियों में किया गया है—

(१) संघ सूचीः—संसद को इस सूची में अगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है;

(२) समवर्ती सूचीः—संसद और किसी राज्य के विधान-मण्डल को भी इस सूची में प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति है; और

(३) राज्य सूचीः—कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधान-मण्डल को इस सूची में प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में ऐसे राज्य अथवा उसके किसी काम के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

इन सूचियों में प्रगणित विषयों में से निम्नांकित विषयों का श्रम से विशेष रूप से सम्बन्ध है—

(१) संघसूची—

१३. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संस्थाओं और अन्य निकायों में भाग लेना तथा उनमें किये गए विनिश्चयों की अभिपूर्ति।

२८. पतन-निरोध, जिसके अंतर्गत उससे सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं—नाविक और समुद्रीय चिकित्सालय।

५५. श्रम का विनिमयन तथा खानों और तैल-क्षेत्रों में सुरक्षितता।

६१. संघ के नौकरों से संयुक्त औद्योगिक विवाद।

६५. संघ—अभिकरण और संस्थाएं जो

(क) वृत्तिक, व्यावसायिक या शिल्पी प्रशिक्षण, अथवा

(ख) विशेष अध्ययनों या गवेषणा की उन्नति के लिए हैं।

६४. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए जांच, परिमाप और सांख्य की।

(२) समवर्ती सूची—

२०. आर्थिक और सामाजिक योजना।

२१. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य, गुट्ट और न्यास।

२२. व्यापार-संघ; औद्योगिक और श्रमिक विवाद।

२३. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नौकरी और बेकारी।

२४. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की शर्तें, भविष्य-निधि, नियोजक-उत्तरवादिता, कर्मकार-प्रतिकर, असमर्थता और वार्धक्य-निवृत्ति-वेतन और प्रसूत-सुविधाएं भी हैं।

२५. श्रमिकों का व्यावसायिक और शिल्पी-प्रशिक्षण।

३६. कारखाने।

(३) राज्य सूची—

९. अंगहीनों और नौकरी के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता।

संविधान में उल्लिखित उक्त अनुच्छेदों, खण्डों, उपबन्धों और विभिन्न सूचियों के अंतर्गत निर्दिष्ट विषयों के अतिरिक्त भारत सरकार की श्रम-संबंधी नीति के मूलभूत सिद्धान्त १८ दिसम्बर, १९४७ को दिल्ली में आयोजित उद्योग-सम्मेलन में पास किये गए। औद्योगिक शान्ति स्थापना-सम्बन्धी प्रस्ताव तथा ६ अप्रैल, १९४८ को भारतीय पार्लमेण्ट द्वारा पास किये औद्योगिक नीति-संबंधी प्रस्ताव में निहित हैं। इन दोनों प्रस्तावों का विस्तृत विवरण उद्योग संबंधी अध्याय में दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नींव १९१९ में पड़ी। मई १९४४ में फिलेडल्फिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने संगठन के उद्देश्यों की पुनः घोषणा करते हुए बताया कि इसका प्रधान

उद्देश्य संसार के सभी व्यक्तियों के लिए जाति, धर्म अथवा स्त्री-पुरुष के भेद-भाव के बिना समान रूप से उनकी भौतिक और आत्मिक उन्नति तथा सम्पन्नता के लिए एक ऐसी व्यवस्था करना है, जिसमें मानवमात्र को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ अपनी आर्थिक सुरक्षा करने तथा समान रूप से जीवन-निर्वाह करने का अधिकार प्राप्त हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह संगठन श्रम-क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भाव बढ़ाने में प्रयत्नशील रहता है। जब से यह संगठन बना है, भारत इसका एक सक्रिय और प्रभावशाली सदस्य रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के सदस्य-राष्ट्रों की संख्या ३० सितम्बर १९४९ को ६० तक पहुँच गई थी। भारत की गणना संसार के प्रमुख आठ उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों में की जाती है। इस संगठन का १९४९ का कुल बजट ५,२१५,५३९ अमरीकी डालर था। इसमें से भारत का भाग २४७,३९६ अमरीकी डालर अथवा ४.७४ प्रतिशत था।

सम्मेलन का कार्य-संचालन तीन मुख्य संस्थाओं के द्वारा होता है, अर्थात् (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, जोकि स्थायी संगठन है, (ख) प्रबन्ध कर्तृ सभा, अर्थात् कार्यपालिका और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में भारत सदा से ही प्रमुख भाग लेता रहा है। दिसम्बर १९४८ में इसकी कार्यपालिका के प्रधान-पद को सुशोभित करने का गौरव भारत के प्रतिनिधि श्री एस० लाल को प्राप्त हुआ। १९५० में पुनः यह गौरव भारत को ही प्राप्त हुआ। जून १९५० में जनेवा में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन के अध्यक्ष भारत के श्रम मंत्री श्री जगजीवनराम निर्वाचित हुए।

१९४८ के सम्मेलन ने कुल मिलाकर ९८ समझौते (Conventions) और ८७ सिफारिशें की थीं, जिनमें से भारत ने अब तक १७ समझौतों को कार्यान्वित किया है। इसके अतिरिक्त भारत ने अपने

संविधान में भी विभिन्न समझौतों की मुख्य बातों को सम्मिलित किया है।

मजदूरों के प्रमुख पत्र

भारत में मजदूरों के सम्बन्ध में प्रकाशित होने वाले कुछ प्रमुख पत्र-पत्रिकाएं—

१. श्रमजीवी (हिन्दी), उत्तर प्रदेश।
२. मजदूर आवाज (अंग्रेजी) जमशेदपुर, बिहार।
३. जनवाणी (मराठी) पूना।
४. कामगार (मराठी) बम्बई।
५. जनता (अंग्रेजी) बम्बई।
६. इंडियन लेबर गजट (अंग्रेजी) दिल्ली।
७. एम्प्लायमेण्ट न्यूज (अंग्रेजी) नई दिल्ली।
८. मजदूर (उर्दू) जालंधर।
९. जनशक्ति (तामिल) मद्रास।
१०. श्रमजीवी (तेलुगू) मद्रास।
११. मजदूर (हिन्दी) कानपुर।
१२. समाजवाद (हिन्दी) कानपुर।
१३. मजदूर की कहानी (उर्दू) कलकत्ता।
१४. संदेश (हिन्दी) इन्दौर।
१५. मजदूर संदेश (हिन्दी) इन्दौर।
१६. मजदूर सन्देश (गुजराती) अहमदाबाद।
१७. क्रौस रोड (अंग्रेजी) बम्बई।
१८. एशियन लेबर (अंग्रेजी) बंगलौर।

योजना-आयोग

कार्यक्षेत्र

१५ मार्च १६५० को एक घोषणा द्वारा सरकार ने योजना-आयोग (Planning Commission) को निम्न कार्य सौंपा है—

१. देश के भौतिक, मूलधनीय तथा मानवीय प्रसाधनों का पता लगाना तथा इनकी अभिवृद्धि की संभावनाओं की जांच करना।

२. देश के प्रसाधनों के सर्वाधिक प्रभावकर तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना निर्धारण।

३. प्राथमिकता की दृष्टि से योजना के अंशों का निश्चय करना।

४. देश की आर्थिक उन्नति में बाधक तत्वों का पता लगाना।

५. योजना के प्रत्येक अंश की पूर्ति के लिए आवश्यक यंत्र या व्यवस्था के स्वरूप का निश्चय।

६. योजना के प्रत्येक अंश को कार्यान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है, समय-समय पर इसका पता लगाते रहना तथा आवश्यक परिवर्तनों के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

७. आयोग को दिये गए कर्तव्यों के पालन की सुविधा के लिए, जो भी मध्यवर्ती उपाय आवश्यक समझे जायँ, उन्हें प्रस्तुत करना।

योजना-आयोग केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और राज्यीय सरकारों के परामर्श से कार्य करेगा और मंत्रिमंडल के सामने अपनी सिफारिशें उपस्थित करता रहेगा। निर्णय करने और उन्हें पूरा करने का दायित्व केन्द्रीय और राज्यीय सरकारों पर होगा।

पंचवर्षीय योजना

इस अवधि में आयोग ने एक पंचवर्षीय विकास-योजना बनाने का कार्य आरम्भ किया है और इसमें प्रगति भी काफी हुई है। यह योजना दो खंडों की है। पहला खंड १६५१–५२ से आरम्भ होकर दो वर्षों का तथा दूसरा तीन वर्षों का है।

यह जानने के लिए कि सार्वजनिक हित की दृष्टि से किस कार्य को कितनी प्राथमिकता दी जाय आयोग देश की वर्तमान आर्थिक स्थितियों, नियंत्रणों से सम्बन्धित समस्याओं और केन्द्रीय व राज्यीय सरकारों के विकास-विषयक कार्यक्रमों का अध्ययन करता रहा है। आयोग की पहली बैठक २८ मार्च १९५० को हुई थी। तब से इसकी ४७ बैठकें हो चुकी हैं और इसका कार्य अब इन ६ शाखाओं द्वारा होता है—(१) साधन एवं आर्थिक पर्यवेक्षण, (२) वित्त, (३) खाद्य एवं कृषि, (४) उद्योग, व्यापार तथा संचार साधन, (५) प्राकृतिक साधनों का विकास और (६) नियोजन तथा सामाजिक सेवाएं।

आयोग के सदस्य साधारणतः एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। परन्तु प्रत्येक पर एक-एक शाखा के कार्य का विशेष दायित्व भी है और वह उस शाखा से सम्बद्ध समस्याओं के अध्ययन का निर्देशन करता है।

परामर्श

आयोग ने परामर्श के लिए उचित व्यवस्था की है। योजना-आयोग मंत्रणा बोर्ड में मुख्यतः उद्योग, वाणिज्य और काम-सम्बन्धी संगठनों के प्रतिनिधि तथा सामाजिक, आर्थिक और शैल्पिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं। मंत्रणा देने के लिए अन्य व्यक्तियों की सूची भी बनाई जा रही है। इस सूची में विशेष ज्ञान एवं अनुभव वाले सरकारी अधिकारी और गैर-सरकारी व्यक्ति सम्मिलित होंगे जिनसे बोर्ड के विशिष्ट विभागों में सम्मिलित होने के लिए निवेदन किया जायगा।

आयोग के सदस्य

अध्यक्ष	पं० जवाहरलाल नेहरू
उपाध्यक्ष	श्री गुलजारीलाल नन्दा
सदस्य	श्री वी० टी० कृष्णामाचारी
,,	श्री चिन्तामन देशमुख
,,	श्री गगन बिहारीलाल मेहता
,,	श्री आर० के० पाटिल

मंत्री श्री एन० आर० पिल्ले
उपमंत्री श्री त्रिलोकसिंह

भारत की औद्योगिक नीति

उद्योग सम्मेलन

१८ दिसम्बर, १९४७ को माननीय डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जो उद्योग-सम्मेलन हुआ था उसमें मजदूरों के झगड़े रोकने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया था। इसमें मजदूरों तथा कारखानेदारों से अनुरोध किया गया था कि वे तीन वर्ष तक औद्योगिक झगड़े न होने दें।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मेलन ने निम्न सिफारिशें कीं—

(क) औद्योगिक झगड़ों को निबटाने के लिए कानूनी तथा अन्य व्यवस्था का पूरा उपयोग किया जाय। जहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं वहां यह अविलम्ब स्थापित होनी चाहिए।

(ख) काम करने की अच्छी हालत, उचित वेतन तथा पूंजी पर उचित लाभ निश्चित करने के लिए केन्द्रीय और प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किये जायं।

(ग) दिन-प्रतिदिन के झगड़ों को निबटाने के लिए प्रत्येक कारखाने में एक समिति नियुक्त की जाय जिसमें कारखानेदार तथा मजदूरों के प्रतिनिधि हों।

(घ) कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए रहने के मकानों की व्यवस्था की जाय और इसका खर्चा सरकार, कारखानेदारों और

मजदूरों में ठीक अनुपात से बांटा जाय। मजदूर अपना हिस्सा किराये के रूप में देंगे।

औद्योगिक नीति-सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव

६ अप्रैल, १९४८ को भारतीय पार्लमेंट में भारत सरकार के औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में होने वाली बहस के समय प्रस्तुत मूल सरकारी प्रस्ताव नीचे दिया जा रहा है—

"भारत सरकार ने उन आर्थिक समस्याओं पर बड़े ध्यानपूर्वक सोच-विचार किया है जिनका देश को सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्र ने अब एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का बीड़ा उठाया है जिसमें सभी व्यक्तियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होगा और प्रत्येक को उन्नति का समान अवसर दिया जायगा। तात्कालिक उद्देश्य एक बहुत व्यापक पैमाने पर शिक्षा और स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, देश-के अज्ञात साधनों का प्रयोग करके जनता के रहन-सहन मान को जल्दी-से-जल्दी उन्नत करना, उत्पादन-वृद्धि और समाज-सेवा में सभी व्यक्तियों को काम करने का मौका देना है। इसके लिए राष्ट्रीय कार्रवाई के सम्पूर्ण क्षेत्र में सुविचारित योजना-निर्माण और संयुक्त प्रयत्न आवश्यक हैं और भारत सरकार उन्नति-सम्बन्धी कार्यक्रम के निर्धारण और उसे कार्यान्वित करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना-निर्माण कमीशन की स्थापना करना चाहती है। परन्तु वर्तमान वक्तव्य का सम्बन्ध केवल सरकार की औद्योगिक नीति से है।

सम्पत्ति में वृद्धि आवश्यक

देश की अधिक अवस्थाओं में किसी प्रकार की उन्नति के लिए राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि होना नितान्त आवश्यक है। वर्तमान सम्पत्ति के पुनर्वितरण-मात्र से जनता को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा और उसका अर्थ तो केवल निर्धनता का पोषण ही होगा। इसलिए एक क्रान्तिकारी नीति का लक्ष्य सभी सम्भव साधनों द्वारा विस्तर उत्पादन-वृद्धि और समान वितरण व्यवस्था होना चाहिए।

राष्ट्र की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में जबकि आम जनता जीवन-निर्वाह के साधारण स्तर से भी नीचे के स्तर पर रह रही है हमें अधिक जोर कृषि-सम्बन्धी और औद्योगिक दोनों ही प्रकार के उत्पादन-विस्तार पर देना चाहिए—विशेषकर पूंजीगत सामान तथा जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सामान और ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर जिनसे हमारी विदेश मुद्रा-विनिमय की रकम में अधिक वृद्धि हो सके।

उद्योग में सरकारी सहयोग की समस्या और किन शर्तों पर गैर-सरकारी सूत्रों को निजी उद्योग चलाने की आज्ञा दी जाय, इस प्रश्न पर हमें इसी दृष्टि से विचार करना चाहिए। निःसंदेह सरकार को उद्योगों की उन्नति में क्रमशः सक्रिय भाग लेना चाहिए परन्तु प्रधान उद्देश्यों को प्राप्त करने की योग्यता के आधार पर ही सरकारी उत्तरदायित्व की तात्कालीन सीमा और निजी रूप से उद्योग-संचालन की सीमा का निर्धारण होना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में सरकारी साधनों और सरकारी संगठन के स्वरूप के कारण सम्भवतः उसके लिए तुरन्त ही उद्योग में वांछित व्यापक पैमाने पर भाग लेना सम्भव न हो सके। भारत सरकार इस स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इस सम्बन्ध में यह विशेष रूप से एक ऐसी संस्था की स्थापना करने के प्रश्न पर सोच-विचार कर रही है जिसमें कारबारी तरीकों और प्रबन्ध-व्यवस्था में सुशिक्षित व्यक्ति रहेंगे। फिर भी उसका ख्याल है कि कुछ समय तक सरकार इस समय तक जिन कार्रवाइयों में हाथ बटा रही है उनमें अपना सहयोग और अधिक बढ़ाकर, और वर्तमान उद्योगों पर अधिकार करने अथवा उन्हें चलाने के बजाय अन्य क्षेत्रों में उत्पादन कें नये उद्योगों पर अपना विचार केन्द्रित करके राष्ट्रीय सम्पत्ति में अधिक शीघ्रता के साथ वृद्धि कर सकती है। इस बीच सुव्यवस्थित और सुसंचालित निजी उद्योग महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं।

इन बातों पर सोच-विचार करने के बाद सरकार ने यह फैसला

सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग

किया है कि शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद के उत्पादन, परमाणु शक्ति के उत्पादन और नियंत्रण तथा रेलवे यातायात के स्वामित्व और शासन-प्रबन्ध पर केन्द्रीय सरकार का विशिष्ट एकाधिकार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी संकट के समय सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक किसी भी उद्योग पर अपना कब्जा करने का अधिकार प्राप्त रहेगा। निम्नलिखित उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार को इस उद्देश्य के लिए जिसमें केन्द्रीय, प्रांतीय और रियासती सरकारें तथा म्यूनिसिपल कारपोरेशनों जैसी अन्य सार्वजनिक संस्थाएं भी शामिल हैं, विशिष्ट रूप से नये कारखाने स्थापित करने का विशिष्ट एकाधिकार रहेगा। परन्तु जहां राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से स्वयं सरकार निजी रूप से संचालित उद्योगों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक समझेगी उन पर इस प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। फिर भी इन उद्योगों पर ऐसा नियंत्रण और नियमन अवश्य रहेगा जिसे केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझेगी।

(१) कोयला। इस सम्बन्ध में साधारणतः भारतीय कोयला क्षेत्र-समिति के प्रस्तावों पर आचरण किया जायगा।

(२) लोहा और इस्पात।

(३) वायुयान निर्माण।

(४) जहाज निर्माण।

(५) रेडियो सेटों के अलावा टेलीफोन, बेतार और तार के तार से सम्बन्ध रखने वाले यन्त्रों का निर्माण।

(६) खनिज तैल।

यद्यपि सरकार का वर्तमान औद्योगिक कारखानों पर कब्जा करने का सदा ही अधिकार रहेगा और जब कभी सार्वजनिक हितों की दृष्टि से आवश्यक समझा जायगा वह उसका प्रयोग भी करेगी फिर भी सरकार ने १० साल के लिए इन क्षेत्रों में वर्तमान उद्योगों को पनपने का

अवसर देने का फैसला किया है और इस अवधि में उन्हें कुशलतापूर्वक अपना कार्य-संचालन करने और उचित रूप से परिवर्तन-सम्बन्धी सभी सुविधाएं दी जायंगी। इस अवधि की समाप्ति पर सम्पूर्ण विषय पर फिर से सोच-विचार किया जायगा और उस समय जैसी परिस्थितियां होंगी उन्हें देखते हुए कोई फैसला किया जायगा। यदि यह फैसला किया गया कि किसी उद्योग पर सरकार को अधिकार कर लेना चाहिए तो विधान द्वारा जिन मालिकों को अधिकारों का आश्वासन दिया गया है उन पर दृढ़ता से अमल किया जायगा और उचित आधार पर क्षतिपूर्ति की जायगी।

साधारणतः सरकार द्वारा संचालित उद्योगों का शासन-प्रबन्ध सार्वजनिक कारपोरेशन द्वारा किया जायगा या केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में होगा जिन्हें इस सम्बन्ध में आवश्यक अधिकार प्राप्त करने का हक होगा।

भारत सरकार ने हाल में विद्युत शक्ति के उत्पादन और वितरण पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में एक कानून लागू किया है। उक्त कानून की शर्तों के अन्तर्गत इस उद्योग का नियमन होता रहेगा।

जहां तक शेष औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है साधारणतः व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार के निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायगा। इस क्षेत्र में सरकार धीरे-धीरे शामिल होगी। जब कभी निजी रूप से संचालित किसी उद्योग की प्रगति असंतोषजनक समझी जायगी तो सरकार हस्तक्षेप करने में आनाकानी न करेगी। केन्द्रीय सरकार पहले ही बड़े-बड़े नदी घाटी बहुमुखी विशाल नदी घाटी योजनाओं को संचालित करने का बीड़ा उठा चुकी है। इनके परिणामस्वरूप बड़े विशाल पैमाने पर जल विद्युत पैदा की जायगी और सिंचाई की व्यवस्था की जायगी, और ख्याल किया जाता है कि बहुत थोड़े अरसे में ही इन योजनाओं के फलस्वरूप देश के बड़े-बड़े इलाकों की कायापलट हो जायगी।

दामोदर घाटी योजना, कोसी बांध योजना, हीराकुंड बांध योजना-जैसी बड़ी-बड़ी योजनाएं तो स्वयं ही इतनी विशाल हैं कि उनको तुलना अमरीका अथवा किसी भी अन्य देश की ऐसी ही बड़ी-बड़ी योजनाओं से आसानी के साथ की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद पैदा करने का भी निश्चय किया है। इसके अलावा जरूरी दवाएं और कोयले से नकली तेल पैदा करने का भी निश्चय किया है। कितनी ही प्रान्तीय और रियासती सरकारें भी इसी रूपरेखा का अनुसरण कर रही हैं।

चौथे पैरे में वर्णित उद्योगों के अतिरिक्त कुछ ऐसे आधारभूत महत्व-पूर्ण उद्योग भी हैं जिनका, राष्ट्रीय हित की दृष्टि से, केन्द्रीय सरकार द्वारा संयोजित तथा नियमित होना आवश्यक है। ऐसे निम्न उद्योगों पर, जिनका स्थान सम्बन्धी निश्चय अखिल भारतीय आयात के आर्थिक पहलुओं के आधार पर होना है अथवा जिनके लिए उच्च टेक्निकल कुशलता चाहिए, केन्द्रीय नियमन तथा नियन्त्रण होगा :—

१. नमक।
२. मोटर गाड़ियां तथा ट्रैक्टर।
३. प्राइम मूवर्स।
४. बिजली इंजीनियरिंग।
५. अन्य प्रकार की भारी मशीनें।
६. मशीनों के औजार।
७. उच्च प्रकार के रसायन, खाद, औषधियां आदि।
८. बिजली तथा रसायन-सम्बन्धी उद्योग।
९. लौह-रहित धातुएं।
१०. रबड़ की वस्तुएं।
११. बिजली तथा औद्योगिक मद्यसार (अल्कोहल)।
१२. सूती तथा ऊनी कपड़ा।
१३. सीमेंट।

१४. चीनी ।
१५. कागज तथा न्यूजप्रिंट ।
१६. हवाई तथा समुद्री यातायात ।
१७. खनिज पदार्थ ।
१८. सुरक्षा-सम्बन्धी उद्योग ।

उपर्युक्त सूची विस्तृत नहीं है । इस सम्पूर्ण उद्योग-क्षेत्र का निर्देशन अपने हाथ में रखते हुए भी भारत सरकार तत्सम्बन्धी योजनाएं बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में प्रान्तों और रियासतों की सरकारों से सलाह लेगी और उनसे सम्पर्क बनाए रखेगी । इन सरकारों के अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार परिषद् में उद्योगों तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों और औद्योगिक सम्मेलनों द्वारा सुझाई गई अन्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित होगा ।

राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में घरेलू तथा छोटे उद्योगों का एक विशेष स्थान है । ये लोगों, ग्रामों तथा सहकारिता संस्थाओं के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं और बेघरबार व्यक्तियों को पुनस्संस्थापन की सुविधाएं प्रदान करते हैं । इन उद्योगों से विशेष रूप से स्थानीय साधनों को लाभ पहुँचता है तथा खाद्य, कपड़ा और कृषि-सम्बन्धी औजारों आदि वस्तुओं के उत्पादन से छोटे-छोटे स्थान आत्म-निर्भर हो जाते हैं । कच्चा सामान, सस्ती बिजली, टेक्निकल सलाह, उत्पत्ति की सुसंगठित हाट-व्यवस्था, बड़े-बड़े उत्पादकों द्वारा प्रतियोगिता से संरक्षण तथा उपलब्ध मजदूरों की शिक्षा पर इन छोटे उद्योगों की उन्नति निर्भर है । इनमें से बहुत-सी बातें तो प्रान्तों के कार्यक्षेत्र में आती हैं और प्रान्तों तथा रियासतों की सरकारें इनकी ओर उचित ध्यान दे रही हैं ।

औद्योगिक सम्मेलन के एक प्रस्ताव द्वारा केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह इन उद्योगों का सम्बन्ध बड़े-बड़े उद्योगों से स्थापित करने के विषय में छानबीन करे । भारत सरकार इस सिफा-रिश को स्वीकार करती है कि कपड़ा मिल-उद्योग तथा खड्डी-उद्योगों में

एक दूसरे का मुकाबला करने की अपेक्षा सहयोग स्थापित करने आदि के सम्बन्ध में छानबीन करनी होगी। खड्डी-उद्योग देश का सबसे अधिक सुसंगठित गृह-उद्योग है। कृषि औजारों तथा कपड़े की मिलों तथा अन्य मशीनों के पुर्जों का उत्पादन गृह उद्योगों में होना चाहिए और बाद में उन पुर्जों को फैक्टरी में जोड़ना चाहिए। केन्द्रीय उद्योगों का लाभपूर्ण ढंग से विकेन्द्रीकरण करने की सम्भावनाओं पर भी छानबीन की जायगी।

छोटे उद्योगों की सहायता

औद्योगिक सम्मेलन के प्रस्ताव में सरकार छोटे उद्योगों की सहायता के लिए एक गृह-उद्योग बोर्ड की स्थापना करने की सिफ़ारिश को स्वीकार करती है और इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की जायगी। उद्योग तथा रसद के डाइरेक्टरेट जनरल के अन्तर्गत एक गृह तथा छोटे उद्योगों का डाइरेक्टरेट स्थापित किया जायगा।

इसका मुख्य उद्देश्य इस उद्योग को सहकारिता के आधार पर लाना है। पिछले युद्ध के दौरान में तथा उससे पूर्व चीन जैसे कृषि प्रधान देश ने भी यह दिखा दिया है कि इस दिशा में कहां तक उन्नति की जा सकती है। जापान के युद्ध में वहां के चलते-फिरते औद्योगिक सहकारिता यूनिटों ने बड़ी सहायता पहुँचाई। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से यह ज्ञात होता है कि हमें बड़े उद्योगों के लिए अब कम पूंजीगत माल उपलब्ध होगा और इसलिए सारे देश में सहकारिता के आधार पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

सरकार यह समझती है कि सरकारी तथा निजी उद्योगों के कार्य-क्षेत्र निर्धारित करने से ही अधिकाधिक उत्पत्ति नहीं उपलब्ध की जा सकेगी, वरन् मजदूरों और व्यवस्थापकों में सहयोग तथा स्थायी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना भी उतना ही आवश्यक है। पिछले दिसम्बर मास में हुए औद्योगिक सम्मेलन में इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से एक

प्रस्ताव पास हुआ था। अन्य बातों के अतिरिक्त प्रस्ताव में कहा गया था—'........पूंजी तथा मजदूरों का भाग इस प्रकार से निकालना चाहिए कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हित के दृष्टिकोण से उचित करों तथा अन्य तरीकों से अधिक मुनाफाखोरी न हो सके और मजदूरी, उद्योग में लगी हुई पूंजी, रख-रखाव के खर्च तथा उद्योग की वृद्धि के लिए उचित रकम मिल सके।'

भारत सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है। वह यह समझती है कि लाभ में से मजदूरों का भाग उत्पत्ति के आधार पर ही मिलना चाहिए। सरकार द्वारा इस उद्योग का नियमन करने के अतिरिक्त उचित मजदूरी-सम्बन्धी सलाह देने, पूंजी को उसका उचित भाग देने तथा श्रमिकों की स्थितियों को सुधारने की व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है। सरकार औद्योगिक उत्पत्ति-सम्बन्धी सब मामलों से मजदूरों का सहयोग स्थापित करने की भी व्यवस्था करेगी।

सरकार इस सम्बन्ध में सब कार्रवाई केन्द्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर करेगी। केन्द्र में एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद् होगी जो सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को संभालेगी और अपने नीचे प्रत्येक बड़े उद्योग के लिए एक-एक उपसमिति कीस्थापना करेगी। ये समितियां उप-समितियों के रूप में फैलाई जा सकेंगी जो उत्पादन औद्योगिक-सम्बन्धी, मजदूरी निर्धारण तथा लाभ-वितरण आदि के सम्बन्ध में विचार करेंगी। प्रांतीय सरकारों के अधीन प्रादेशिक सलाहकार बोर्ड बनेंगे जो केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के समान प्रांत के सब उद्योगों से सम्बन्धित होंगे और उनके अन्तर्गत प्रत्येक बड़े उद्योग के लिए एक प्रांतीय समिति होगी। प्रांतीय समितियां भी विभिन्न उप-समितियों में बट जायंगी जिनके अन्तर्गत उत्पादन, मजदूरी-निर्धारण तथा औद्योगिक सम्बन्ध होंगे। प्रांतीय समितियों के बाद कारखाने-समितियां तथा उत्पादन-समितियां होंगी जो प्रत्येक बड़ी औद्योगिक संस्था के साथ काम करेंगी।

कारखाना-समितियों तथा उत्पादन-समितियों में बराबर-बराबर मजदूरों तथा मालिकों के प्रतिनिधि होंगे।

समितियों में प्रतिनिधित्व अन्य समितियों में सरकार, मालिकों तथा मजदूरों के प्रतिनिधि होंगे। सरकार को आशा है कि इस प्रकार औद्योगिक झगड़ों में कमी हो सकेगी। विवाद-ग्रस्त झगड़ों के सम्बन्ध में सरकार का यह विश्वास है कि अपने तथा सम्पूर्ण देश के हितों को देखते हुए मजदूर तथा मिल-मालिक झगड़ों का आपस में फैसला कर लेंगे या पंच के निर्णय को स्वीकार कर लेंगे। केन्द्र तथा प्रांतों की औद्योगिक सम्बन्ध-व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया जा रहा है और बड़े-बड़े झगड़ों को सुलझाने के लिए विशेष रूप से औद्योगिक ट्रिब्यूनल स्थापित किये जा रहे हैं।

भारत सरकार औद्योगिक कर्मचारियों के मकानों को उन्नत करने के लिए भी विशेष कार्रवाई कर रही है। १० वर्ष में मजदूरों के १० लाख मकान बनाने की एक योजना पर विचार हो रहा है और इस कार्य के लिए एक हाउसिंग बोर्ड बनाया जा रहा है। इसका खर्च उचित अनुपात में सरकार, मालिकों तथा मजदूरों पर पड़ेगा। मजदूरों का भाग उचित किरायों के रूप में लिया जायगा।

औद्योगिक सन्धि प्रस्ताव से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर शीघ्र ही निर्णय करने के लिए सरकार एक विशेष अफसर को नियुक्त कर रही है।

भारत सरकार उद्योग-सम्मेलन के इस विचार से सहमत है कि विशेषतया औद्योगिक विशेष ज्ञान तथा जानकारी के विषय में विदेशी पूंजी और उद्योग का सहयोग देश के शीघ्रतापूर्वक उद्योगीकरण के लिए मूल्यवान सिद्ध होगा। किन्तु यह आवश्यक है कि भारतीय उद्योग के साथ यह सहयोग जिन शर्तों पर किया जाय उनका राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से सावधानतापूर्वक निरीक्षण होना चाहिए। इस उद्देश्य के निमित्त कानून भी बनाया जायगा। ऐसे कानून द्वारा केन्द्रीय सरकार का यह

अधिकार होगा कि वह उद्योग में प्रत्येक विदेशी पूंजी के प्रयोग तथा प्रबन्ध की देख-भाल कर सके तथा अनुमति दे सके। इस कानून द्वारा यह भी व्यवस्था की जायगी कि स्वामित्व का प्रधान भाग तथा आवश्यक कन्ट्रोल सदा भारतीय हाथों में ही रहे। किन्तु राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए असाधारण मामलों के विषय में निर्णय करने का अधिकार सरकार का होगा। योग्य भारतीय व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए जोर दिया जायगा, जिससे कि वे अकस्मात आवश्यकता पड़ने पर विदेशी विशेषज्ञों की स्थान पूर्ति कर सकें।

सरकार का उत्तरदायित्व

भारत सरकार उन उद्योगों के विकास के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व को भली भांति अनुभव करती है जिन्हें उसने यह आवश्यक समझा है कि केवल राज्य द्वारा संचालित हों। यातायात-सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करके तथा अधिक-से-अधिक कच्चे माल की आयात की सुविधा देकर भारत सरकार अन्य औद्योगिक क्षेत्र में भी वैयक्तिक तथा सामूहिक उद्योगों को अपनी सहायता देने के लिए तैयार है। भारत सरकार की जकात नीति का उद्देश्य अनुचित विदेशी प्रतियोगिता को रोकना तथा ग्राहक पर बिना अनुचित बोझ डाले भारतीय साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना है। कर नीति पर पुनः विचार किया जायगा तथा बचत और रकम लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किये जायंगे जिससे कि जनता के छोटे से वर्ग के हाथ में सम्पत्ति एकत्रित न हो जाय।

भारत सरकार आशा करती है कि औद्योगिक नीति के आधारभूत तत्वों के विषय में किये गए इस स्पष्टीकरण से सारी भ्रांति दूर हो जायगी और उसका यह विश्वास है कि श्रम, पूंजी तथा साधारण जनता द्वारा एक संयुक्त तथा दृढ़ प्रयत्न किया जायगा जिससे देश के शीघ्रतापूर्वक उद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।"

देश के उद्योग-धन्धे

भारत की औद्योगिक स्थिति पर द्वितीय महायुद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा है। १९३९ से १९४५ तक की अवधि ने भारतीय उद्योगों को राजनीतिक दासता की स्थिति में भी पनपने का अवसर दे दिया। इस अवधि में उत्पादन-वृद्धि का अनुमान इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है—१९३७ में जहाँ इन वस्तुओं का उत्पादन १०० था वहां १९४६ में लोहे का १२०, रासायनिक पदार्थों का १११, कागज का १९३, सीमेंट का १८१, रंग का १७७ और पेट्रोल का १३४ हो गया।

१९४७ में देश के विभाजन से उद्योगों को बहुत धक्का लगा। १९४१ की जनगणना के अनुसार विभाजन के बाद देश की कुल जनसंख्या का ८२ प्रतिशत भारत में रहा और १८ प्रतिशत पाकिस्तान में। विभाजन के पूर्व भी देश खाद्य के सम्बन्ध में पराश्रित था। किन्तु विभाजन ने इस कठिनाई को और भी बढ़ा दिया। यद्यपि जूट की सब मिलें भारत में थीं, फिर भी जूट पैदा करने वाली भूमि हमारे भाग में केवल एक-चौथाई आई। इसी प्रकार ९९ प्रतिशत सूती कपड़े की मिलें भारत में होते हुए भी हमें लगभग १० लाख रुई की गांठों के लिए दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ा। यही हाल सिंचाई की भूमि का हुआ।

प्राकृतिक तथा औद्योगिक सम्पत्ति पर विभाजन का जो प्रभाव पड़ा वह नीचे की तालिकाओं से जाना जा सकता है—

प्राकृतिक सम्पत्ति	भारत	पाकिस्तान
कुल जोत का क्षेत्रफल	८४	१६
कुल सिंचाई का क्षेत्रफल	६९	३१
खाद्यान्न	७५	२५
तेलहन	६०	४०
कच्चा जूट	१९	८१

तम्बाकू	७८	२२
खनिज-पदार्थ	६७	३

कारखाने	भारत	पाकिस्तान
सूती मिलें	६८	२
जूट मिलें	१००	०
लोहा-इस्पात	१००	०
चीनी मिलें	६३	७
कागज मिलें	१००	०
सीमेंट	६०	१०
खालें	६७	३

इस कच्चे माल की पैदावार और कारखानों की संख्या को देखते हुए हमारी स्थिति विभाजन के फलस्वरूप काफी कठिन हो गई थी, किन्तु स्वतन्त्रता के इन तीन वर्षों में स्थिति कुछ संभल गई है।

प्रमुख उद्योग

भारत का कपड़ा उद्योग देश के अन्य उद्योगों में ही प्रथम स्थान नहीं रखता है, अपितु अवमूल्यन के पश्चात्

सूती कपड़े का उद्योग तो विदेशों में भारतीय कपड़े की इतनी माँग बढ़ गई है कि उसे निर्यात-व्यापार में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है। मार्च १९५० के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण निर्यात जहाँ ४५.३० करोड़ रुपयों का हुआ वहां कपड़े तथा सूत निर्यात १२.३६ करोड़ रुपये का रहा। इस प्रकार देश के निर्यात में वस्त्र का भाग लगभग २७ प्रतिशत रहा।

नई दिल्ली में दिसम्बर ४७ में हुई इंडस्ट्रीज़ कांफ्रेंस (उद्योग सम्मेलन) की एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस वक्त देश में लगभग १ करोड़ १ लाख स्पिंडल और २०,००० लूम्ज़ (खड्डियां) हैं। यह सब मिलाकर प्रति वर्ष १ अरब ६१ करोड़ ५०

लाख पाउण्ड सूती धागा व ४ अरब ७० करोड़ गज कपड़ा निर्माण कर सकती हैं। मिलें जिस धागे का प्रयोग नहीं कर सकतीं वह हाथ की खड्डियों पर कपड़ा बुनने के इस्तेमाल में आ जाता है। इस समय लगभग १ अरब २० करोड़ गज कपड़ा खड्डियों पर बुना जाता है। कपड़े के उद्योग पर लगभग १ अरब रुपये की पूंजी लगी हुई है और ६ लाख मजदूरों या दूसरे लोगों को इस उद्योग में काम मिलता है। सारे उद्योग के उत्पादन का मूल्य आजकल की कीमतों के अनुसार ४ अरब रुपया होता है। अनुमान है कि हाथ की खड्डियों का व्यवसाय लगभग १ करोड़ लोगों के निर्वाह का साधन बनता है; इस दृष्टि से देश की आर्थिक व्यवस्था में इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है।

१९४५ से कपड़े व धागे के उत्पादन में सतत कमी हो रही है—

वर्ष	धागा (पाउंड)	कपड़ा (गज)
१९४३	१ अरब ६७ करोड़	४ अरब ७१ करोड़ ५० लाख
१९४४	१ अरब ६२ करोड़ ३० लाख	४ अरब ८१ करोड़ १० लाख
१९४५	१ अरब ६२ करोड़ ५० लाख	४ अरब ६८ करोड़ ८० लाख
१९४६	१ अरब ३९ करोड़ ६० लाख	४ अरब ०० करोड़ ३० लाख
१९४७	१ अरब ३२ करोड़	३ अरब ८३ करोड़ ८० लाख
१९४८	१ अरब ४४ करोड़ ७६ लाख	४ अरब ३१ करोड़ ९३ लाख
१९४९	१ अरब ३५ करोड़ ९१ लाख	३ अरब ९० करोड़ ४२ लाख

१९४८ में धागा और कपड़ा दोनों का उत्पादन कुछ बढ़ा था, किन्तु १९४९ में यह फिर गिर गया। १९५० के प्रथम ६ महीनों का उत्पादन इस प्रकार है—

	धागा (हजार पौंडों में)	कपड़ा (हजार गजों में)
जनवरी	१०,२५,६०	३०,९६,७६
फरवरी	९,७१,४९	२९,४०,०९
मार्च	१०,२३,२२	३१,६७,८५
अप्रैल	१०,१२,२३	३१,६७,९५

मई	१०,००,००	३३,१०,००
जून	१०,१०,००	३३,४०,००

१९५० की दूसरी छमाही में उत्पादन कम रहेगा, क्योंकि बम्बई के कपड़ा मिलों में मजदूरों की हड़ताल बहुत लम्बी हो गई। १९५० के उत्पादन को १९४९ के उत्पादन से तुलना कीजिए—

	धागा (हजार पौंडों में)	कपड़ा (हजार गजों में)
जनवरी	१२,१८,१०	३४,०८,९६
फरवरी	११,५३,१७	३१,९०,७०
मार्च	१२,०८,३३	३३,५८,६८
अप्रैल	११,९९,३४	३३,८३,७५
मई	११,३०,९०	३२,८७,०४
जून	११,३०,४८	३२,५१,४९
जुलाई	११,१९,७७	३२,२६,३१
अगस्त	११,०४,१६	३२,५१,५९
सितम्बर	१०,८०,२७	३१,७१,०२
अक्तूबर	१०,०८,५१	२९,१५,२७
नवम्बर	१०,७६,९०	३१,८६,०४
दिसम्बर	११,५२,९४	३४,७२,७२

१९४९ के अन्त में उत्पादन में कुछ कमी हो गई, क्योंकि स्टाक इकट्ठा हो जाने से कुछ मिल बन्द हो गए थे। इसका कारण यह था कि एक तो पाकिस्तान ने समझौते के अनुसार अपना कपड़ा नहीं उठाया, दूसरे, राज्यों द्वारा चुने हुए व्यापारियों ने अपना पूरा कोटा नहीं लिया और तीसरे, मिलों ने ऐसा कपड़ा बनाया जो जनता को पसन्द नहीं था। सितम्बर में मिलों के पास २९७२२४ गांठें जमा हो गईं। फलतः सरकार ने वितरण-व्यवस्था में कुछ संशोधन किया और गांठें मिलों से निकलने लगीं।

जुलाई १९४९ में सूती कपड़े के मूल्यों में संशोधन किया गया।

नवम्बर १९४९ में एक्स-मिल मूल्यों में ४ प्रतिशत की कमी की गई और वितरकों की अधिकतम लाभ की दर २० प्रतिशत से घटाकर १४ प्रतिशत कर दी गई। जनवरी १९५० में सरकार ने सुपरफाइन और फाइन कपड़े पर से उत्पादन कर घटाकर क्रमशः २५ से २० तथा ६$\frac{1}{4}$ से ५ प्रतिशत कर दिया।

गत १० वर्षों से भारत में कपास के उत्पादन में कमी रही है। देश की मिलों को प्रति वर्ष कम-से-कम रुई की ४० गांठों की आवश्यकता है। किन्तु कपास का उत्पादन आवश्यकता का केवल दो-तिहाई है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ने कपास के मूल्य, सप्लाई और आवागमन पर नियंत्रण कर दिया है। इसके अन्तर्गत (१) रुई की सभी किस्मों के अधिकतम मूल्य निश्चित कर दिये गए हैं। (२) भारत को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और बिना अनुमति के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रुई का आवागमन बन्द कर दिया है और (३) प्रत्येक मिल के लिए रुई का कोटा निश्चित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान से व्यापारिक समझौता हो जाने के कारण कपास की प्राप्ति कुछ सुलभ हो जायगी।

हाथ का बना और मिल का बना, दोनों ही प्रकार के कपड़ों का निर्यात १९४९ में उत्साहजनक रहा। इस वर्ष ४८६००००० गज कपड़ा तथा धागे की ८४,००० गांठें विदेशों को भेजी गईं। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने आरम्भ में निर्यात-कर २५ से घटाकर १० प्रतिशत कर दिया और बाद में इस कर को बिलकुल ही उठा लिया। इस कारण से और कुछ अवमूल्यन से अन्तिम छमाही में निर्यात में बहुत वृद्धि हुई। १९५० में निर्यात के लिए ८०००००००० गज कपड़े का कोटा निर्धारित किया गया है।

करघे के उद्योग में लगभग ४००००००० पौंड सूत की खपत होती है और इससे वह १२००००००० गज कपड़ा तैयार करता है। मिल का कपड़ा सस्ता पड़ने के कारण यह उद्योग कठिनाई से गुजर

रहा है। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने कपड़े की मिलों द्वारा कुछ किस्म का कपड़ा बनाने की मनाही कर दी है—जैसे चौड़ी किनारी की धोतियां और साड़ियां, चैक साड़ियां, चैक लुङ्गी, रंगीन किनारों की चादरें आदि।

कपड़े का उत्पादन प्रतिव्यक्ति (१० लाख गजों में)

वर्ष	आयात	मिलों का उत्पादन (निर्यात छोड़कर)	करघे का कपड़ा	कुल कपड़ा प्राप्त	प्रतिव्यक्ति औसत	
१९१९–२०	९००	१४००	५६०	२९९०	९.३४	गज
१९३९–४०	५६०	३७९०	१८२०	६१७०	१६.६७	,,
१९४१–४२	१२०	३७२०	१६००	५५००	१४.२०	,,
१९४२–४३	१०	३२९०	१५००	४५००	१२.००	,,
१९४३–४४	३	४४१०	१६००	६०१०	१५.०	,,
१९४४–४५	५	४३००	१५००	५८००	१४.५	,,
१९४५–४६	३	४२३०	१३७०	५६००	१४.०	,,
१९४६–४७	१०	३५४०	१३५०	४९१०	१२.२	,,
१९४७–४८	२७	३५७८	१४००	५००५	१४.६४	,,
१९४८–४९	४७	४२४५	१४००	५६९२	१६.६	,,
१९४९–५०	५०	३४००	१४००	४८५०	१४.३	,,

इस्पात का उत्पादन

उचित औद्योगिक विकास के लिए हिन्दुस्तान को प्रति-वर्ष २५ लाख टन इस्पात की जरूरत है। आज के देशी कारखानों में केवल १६ लाख ४४ हजार टन इस्पात बन सकता है। परन्तु यह मात्रा भी यातायात की कठिनाइयों और मजदूरों से अशान्ति के कारण नहीं बन पा रही। १९४९ में इस्पात का उत्पादन १३,५३,००० टन था।

आशा है १९५० में विदेशों में २,१०,००० टन इस्पात मंगाया जायगा जब कि १९४९ में ३,९७,९६४ टन मंगाया गया था। आयात में इस कमी का कारण विदेशी मुद्रा का अभाव है।

१९४९ में जो इस्पात निर्धारित किया गया उसमें से ३,२१,३७१ टन रेलों को, ४,११,००० टन संगठित उद्योगों को तथा छोटे-छोटे उद्योगों को २,०२,००० टन मिला। कृषि-कार्यों के लिए इस वर्ष कोटा बढ़ाकर ६४,५१८ टन कर दिया गया।

१९५० के पहले ५ महीनों का उत्पादन इस प्रकार है—

मास	उत्पादन टनों में	१९४९ की तुलना में	वास्तविक उत्पादन क्षमता की तुलना में
जनवरी	१,२०,६३६	१११.९ प्र० श०	८८.१ प्र० श०
फरवरी	१,०६,२९५	९८.६ ,,	७७.६ ,,
मार्च	१,२८,३७०	११९.१ ,,	९३.७ ,,
अप्रैल	१,१४,२७४	१०६.० ,,	८३.४ ,,
मई	१,१४,६७२	१०६.४ ,,	८३.८ ,,

इस समय देश में चार बड़े कारखाने इस्पात बना रहे हैं—टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल, इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी, और मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। टाटा के कारखाने में ३८,५८,९५,३२९ रु० तथा स्टील कारपोरेशन और इंडियन आयरन में १३,२०,०३,१५२ रु० लगा हुआ है।

इस्पात तैयार करने का एक कारखाना मध्य भारत में तथा दूसरा उड़ीसा में स्थापित करने का सरकार ने निश्चय कर लिया है। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होते ही यह कार्य आरम्भ होगा।

उत्पादन में २ लाख टन की वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल को ५ करोड़ रु० का ऋण देना स्वीकार किया है। टाटा के कारखाने में भी विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है।

१९५० की दूसरी तिमाही के लिए इस्पात निर्धारण का विवरण इस प्रकार है—

	निर्धारण (टनों में)
रक्षा सेना	१०,०००
रेलें	६४,६४७
औद्योगिक आवश्यकताएं और पैकिंग	२४,१८६
सरकारी विकास योजनाएं	३६,०७४
इस्पात-शोधन उद्योग	७२,६०२
मकान बनाने की सरकारी योजनाएं	३,११६
प्राइवेट उद्योग	१२,६३३
कृषि	३८,६८२
राज्य	२३,१६६
शरणार्थियों के लिए गृह-निर्माण	३,७३१
निर्यात	१८,०००
शरणार्थी फैब्रीकेटर्स	१,४५०
हरिजन	२००
सुरक्षित	४००
जोड़	३,१३,३००

सीमेंट

प्रथम महायुद्ध के बाद हिन्दुस्तान में सीमेंट बनाने का उद्योग ठीक ढंग पर शुरू हुआ। अब तो यह उद्योग सुस्थापित हो चुका है। सीमेंट बनाने के कारखाने विशेषतया उत्तरी और मध्य भारत में बने हैं। सीमेंट के बनाने में चूने के पत्थर (लाइम स्टोन), (जिप्सम) और कोयले का प्रयोग होता है। जहाँ यह पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ ही सीमेंट का कारखाना खड़ा किया जा सकता है।

द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने पर हिन्दुस्तान में १५ लाख ३३ हजार टन सीमेंट प्रतिवर्ष बन रहा था और ५ कम्पनियां समस्त उद्योग का नियन्त्रण करती थीं—एसोशियेटिड सीमेंट कम्पनीज़ लि० बम्बई,

डालमिया सीमेंट लि० डालमिया नगर, आसाम बंगाल सीमेंट कम्पनी लि० कलकत्ता, सोनवैली पोर्टलैंड सीमेंट कम्पनी लि० कलकत्ता और आन्ध्र सीमेंट कम्पनी लि० बेजवाड़ा।

युद्ध के समय सीमेंट के निर्यात की मांग पैदा हुई और मध्य और सुदूर पूर्व की मण्डियों को हिन्दुस्तान से सीमेंट पहुँचने लगा। देश की मांग भी बढ़ी। उन दिनों सीमेंट बनाने वाले कारखाने २४ घण्टे चल रहे थे।

१९४३ से सीमेंट का उत्पादन इस प्रकार रहा—

१९४३	१६,९८,८१५ टन
१९४४	१६,५९,४६६ टन
१९४५	१६,५५,७५० टन
१९४६	१५,३७,४७२ टन
१९४७	१४,४१,३३५ टन
१९४८	१५,५३,००० टन
१९४९	२१,०२,००० टन

१९४७ के अविभाजित हिन्दुस्तान में २४ कारखाने सीमेंट बना रहे थे जिनकी सीमेंट बनाने की कुल ताकत २८ लाख २५ हजार टन थी। विभाजन के बाद इनमें से २२ लाख ४५ हजार टन सीमेंट बना सकने वाले १९ कारखाने हिन्दुस्तान में रह गए।

१९५० की दूसरी तिमाही के लिए सीमेंट का निर्धारण—

	टन
राज्यों का कोटा	४,३८,३९०
केन्द्रीय कोटा	२,६९,७६०
कृषि	१,५१,०८०
पुनःसंस्थापन	२९,६१०
शिक्षा	५,७१२
जोड़	८,९१,५५२

१९४९ में सीमेंट उत्पादन की वृद्धि का कारण यह है कि इस वर्ष कुछ तो उत्पादन-शक्ति में विस्तार हुआ और कुछ यातायात में सुधार तथा कोयला सुलभ हो गया। इस समय देश में सीमेंट के २१ कारखाने काम कर रहे हैं। इनमें से तीन ने १९४९ में ही काम करना आरम्भ किया है।

सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने की इस समय ९ विस्तार योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इनके अन्तर्गत ४ तो नये कारखाने स्थापित किये जायंगे। आशा है कि १९५० में सीमेंट के उत्पादन में ३,७०,००० टन की तथा १९५१ में अतिरिक्त ८,००,००० टन की वृद्धि हो जायगी।

इस वर्ष ही सम्भवतः सीमेंट पर से कंट्रोल हटाया जा सकेगा। फिलहाल बिना अनुमति-पत्र के प्रतिमास प्रति व्यक्ति १० बोरी सीमेंट बेचने की छूट दी गई है।

मन्त्रणा-समिति ने कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत-सरकार के सम्मुख एक योजना प्रस्तुत की है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। योजना के आंकड़े इस प्रकार हैं—

कागज

कागज की किस्म	अनुमानित वार्षिक खपत (टनों में)		देश में उत्पादन का लक्ष्य (टनों में)	
	१९५१	१९५६	१९५१	१९५६
अखबारी कागज के अतिरिक्त सभी किस्म का कागज	२,२०,०००	३,१२,०००	१,६९,०००	३,०२,०००
गत्ता	७५,०००	१,१९,०००	७५,०००	१,१९,०००

समिति की राय है कि इस उद्योग में विस्तार के लिए अब बंगाल में नई मिलें न खोली जायँ। नई मिलों के लिए ये क्षेत्र उपयुक्त बताये गए हैं—मद्रास, बम्बई, आसाम, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, मध्य भारत उत्तर प्रदेश और बिहार।

इस समय देश में कागज बनाने के छोटे-बड़े २८ कारखाने हैं जिनका १९४९ में कुल उत्पादन १,०३,१९५ टन रहा है जो गतवर्ष की तुलना में केवल ६ हजार टन ही अधिक है।

१९५० के प्रारम्भिक तीन महीनों का उत्पादन विवरण यह है—

जनवरी १९५०	८,२८७ टन
फरवरी ,,	८,४३१ ,,
मार्च ,,	८,६०० ,,
जोड़	२५,३१८ टन

देश में इस समय जितना कागज बनता है उससे लगभग दूने की खपत है। इस प्रकार कागज के लिए और विशेषकर अखबारी कागज के लिए भारत को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ३ जुलाई १९४८ से ५ मई १९४९ तक कागज का आयात खुले-आम लाइसेंस के अन्तर्गत रहा। फलतः विदेशों से बहुत-सा कागज भारत में आ गया। यदि मुद्रा दुर्लभता की कठिनाई न होती तो कागज पर से पिछले वर्ष ही नियंत्रण हट गया होता।

१९४८ में पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज का आयात हो जाने तथा १९४९ में स्टर्लिङ्ग क्षेत्र से सुलभता से कागज मिल जाने की आशा से १५ जून १९४९ से अखबारी कागज पर और मई १९५० से दूसरे काग़ज़ पर से नियंत्रण हटा लिया गया।

जूट

जूट उद्योग पर भारत का एकाधिकार रहा है। सरकार के लिए भी विदेशों से आय का यह एक मुख्य साधन है। किन्तु देश के विभाजन से पूर्वी बंगाल का वह भाग जहाँ जूट पैदा होता है, पाकिस्तान के अधिकार में चला गया। जूट की सभी मिलें भारत में हैं जिनकी संख्या १४० है। भारतीय जूट उद्योग की आज समस्या यही है कि पक्का माल तैयार करने के लिए कच्चा माल कैसे प्राप्त किया जाय। अवि-

भाजित भारत के जूट-उत्पादन का लगभग ७१ प्रतिशत प्रदेश पाकिस्तान को मिल गया।

विभाजन के पश्चात्, भारत-पाकिस्तान समझौते के अनुसार जूट की ५०,००,०००गांठें पूर्वी बंगाल से आती रहीं। परन्तु पाकिस्तान सरकार द्वारा अपने रुपये का अवमूल्यन न करने से, यह माल आना बन्द हो गया। इससे भारत का जूट उद्योग कठिनाई में पड़ गया। अब फिर भारत और पाकिस्तान का व्यापारिक समझौता हो गया है और मिलों को पाकिस्तान से कच्चा जूट मिलने लगा है।

देश को कच्चे जूट की आवश्यकता इस प्रकार है—

जूट मिलों की आवश्यकता	६०,००,००० गांठें
(१ गांठ = ४०० पौंड)	
निर्यात के लिए	८,००,००० गांठें
आन्तरिक उपयोग	२,५०,००० गांठें

इस प्रकार कुल ७१,००,००० गांठों की आवश्यकता है। इतना जूट मिलने पर ही इस उद्योग पर भारत का एकाधिकार बना रह सकता है। १९४७ में भारत में जूट की पैदावार केवल १७,००,००० गांठें थीं। किन्तु सरकार के विशेष प्रयत्नों से १९४८ में यह उत्पादन २१,००,००० गांठें हो गया। १९४९ में उत्पादन में और भी वृद्धि हुई, परन्तु फिर भी लगभग ५०,००,००० गांठों की कमी थी। इस कमी का कुछ अंश पाकिस्तान से प्राप्त किया गया।

१९५० के प्रथम ६ महीनों में भातीय जूट मिलों का उत्पादन (हजार टनों में) इस प्रकार रहा—

	उत्पादन	१९४६ की तुलना में प्रतिशत
जनवरी	७१	७८.२
फरवरी	७२	७९.३
मार्च	७१	७८.२

अप्रैल	४०	४४.०
मई	७२	७६.३
जून	७७	८४.८

१६४६ का कुल उत्पादन १६४६ की तुलना में ८६.६ प्रतिशत रहा।

जूट की खेती में वृद्धि करने का सरकार प्रयत्न कर रही है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा आसाम (जो जूट की खेती के प्रमुख केन्द्र माने जाते हैं) को छोड़कर त्रिपुरा, कूचबिहार, उत्तर प्रदेश, त्रावंकोर, कोचीन तथा मद्रास आदि क्षेत्रों पर जूट की खेती करने की व्यवस्था की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में जूट-क्षेत्र ५,००० एकड़ से बढ़कर १३,००० एकड़ हो रहा है। उड़ीसा ने भी अपना जूट-क्षेत्र २३,००० एकड़ से ५१,००० एकड़ कर दिया है। अन्य राज्यों में भी इस क्षेत्र में वृद्धि की जा रही है। सरकार की योजना है कि १६५० में जूट की पैदावार ४०,००,००० गांठें और १६५१ में ६२,००,००० गांठें हो जायं। १६५०–५१ में जूट की पैदावार में वृद्धि करने के लिए सरकार ने २४,०८,७१० रुपये की योजना तैयार की है।

कोयला

१६४६ में कोयले का उत्पादन सर्वोपरि रहा। १६४७, १६४८ और १६४६ में खानों से कोयला क्रमशः ३०००००००‌ टन, २६७००००० टन तथा ३१४००००० निकाला गया। जहाँ तक कोयले का सम्बन्ध है, देश में इस समय कोयले की कमी नहीं है।

१६४६ में कोयले की स्थानान्तरण व्यवस्था में भी सुधार हुआ। इस वर्ष २८० लाख टन कोयला खानों से भेजा गया जबकि १६४८ में २५८ लाख टन भेजा गया था।

कोयले का निर्यात इस वर्ष पहले स्तर पर ही नहीं रहा, अपितु इसमें वृद्धि हुई। अब आस्ट्रेलिया भारतीय कोयले का नियमित ग्राहक

बन गया है। पूरे वर्ष-भर भारत समझौते के अनुसार, पाकिस्तान को कोयला भेजता रहा, किन्तु परिस्थितियों के कारण दिसम्बर १९४९ में यह निर्यात बन्द कर देना पड़ा। समझौते के पश्चात् १९५० में यह पुनः प्रारम्भ हो गया है।

१९५० की प्रथम छमाही का उत्पादन इस प्रकार है—

	टन	१९४६ की तुलना में प्रतिशत
जनवरी	२६,०९,८६६	१०८.४
फरवरी	२९,३५,५९९	१२२.०
मार्च	२८,७५,२१९	११९.४
अप्रैल	२७,१५,८५७	११२.८
मई	२७,०६,४६७	११२.४
जून	२४,३९,७६०	१०१.३

१९४७ में कोयले के जो मूल्य स्थिर किये गए थे उनमें १९४९ में संशोधन किया गया। अप्रैल में बंगाल-बिहार कोयला-क्षेत्रों में ३-ए और ३-बी के मूल्यों में १ रु० ७ आ० तथा २ रु० ४ आ० की कमी कर दी गई। नवम्बर १९४९ में, स्टीम कोयला के मूल्य में रु०-९-० की तथा स्लेक कोयला के मूल्य में रु०-१०-० की कमी की गई। कोक के मूल्य में रु०-१५-० प्रति टन कमी हुई। सूती कपड़े की मिलों, कागज की मिलों तथा सीमेंट के कारखानों को जाने वाले कोयले के रेल किराये में १ दिसम्बर १९४९ से, १२½ प्रतिशत की छूट दे दी गई।

आसाम की सरकार और केन्द्रीय सरकार ने गैरो पहाड़ी से कोयला निकालने का निश्चय कर लिया है। एक अंग्रेजी फर्म की सहायता से मध्यप्रदेश की सरकार कामरी क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ कर रही है। इंडियन माइनिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने बोखारो कोयला क्षेत्र में ६० लाख टन कोयले का पता लगा लिया है। यह कम्पनी खारगाली की खान में भी काम कर रही है।

चीनी

१९३२ में भारत सरकार ने देश में चीनी बनाने के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बाहर से आने वाली चीनी पर आयात-कर लगाया था। उसके फलस्वरूप चार-पांच वर्षों में ही बाहर से आने वाली चीनी बिलकुल बन्द हो गई और चीनी के लिए भारत स्वावलम्बी हो गया।

उत्पादन के आंकड़े

वर्ष	चीनी मिलों की संख्या	चीनी की पैदावार (हजार टनों में)
१९४४–४५	१४०	९५३
१९४५–४६	१४५	९४४
१९४६–४७	१४०	९०१
१९४७–४८	१३४	१,०७५
१९४८–४९	१३४	१,०३०
१९४९–५०	१३४	१,०००

इस उद्योग में लगभग ३५ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है।

१९४२ में भारत सरकार ने चीनी का मूल्य निश्चित कर दिया। १९४२ में चीनी का नियन्त्रित औसत मूल्य रु० १२-४-० मन रहा। १९४३ और १९४४ में यह बढ़ाकर क्रमशः रु० १४-०-० तथा रु०१५-६-० कर दिया गया। १९४५ में भी इसमें वृद्धि करनी पड़ी और यह मूल्य रु० १६-१२-० हो गया। १९४६-४७ में यह मूल्य रु० २०-१४-० निश्चित किया गया। मूल्य के साथ-साथ गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया जाता रहा।

१० दिसम्बर १९४७ को चीनी पर से नियन्त्रण हटा लिया गया और चीनी का अधिकतम मूल्य रु० ३५-७-० मन निश्चित किया गया। १९४८-४९ में यह मूल्य घटाकर रु० २८-८-० किया गया।

१ अप्रैल १९४९ से उत्पादन-कर ३ रु० से बढ़ाकर ३ रु० १२ आ० मन कर दिया गया।

इस समय देश में चीनी की कमी दिखाई दे रही है। अनुमान है कि भारत सरकार १९५० में कुछ चीनी विदेशों से मंगा रही है। उसके आने से स्थिति में सुधार हो जायगा।

यह उल्लेखनीय है कि संसार में भारत सब से अधिक चीनी (गुड़ सहित) पैदा करने वाला देश है और चीनी के उद्योग को भारत के उद्योगों में दूसरा स्थान प्राप्त है। पहला स्थान सूती कपड़े के उद्योग का है।

अमरीका और ब्रिटेन जैसे उन्नत देशों की तुलना में हमारा मोटर-गाड़ी उद्योग अभी शैशवावस्था में ही है। द्वितीय महायुद्ध के पहले भारत में केवल दो कारखाने थे (जनरल मोटर्स लि० और फोर्ड मोटर्स लि०) जो विदेशों से आई हुई मोटरकारों और मोटर-ठेलों के पुर्जों व हिस्सों को जोड़कर पूरी गाड़ी तैयार करने का काम करते थे। अब देश में १२ कम्पनियां इस काम को कर रही हैं। द्वितीय महायुद्ध से पहले देश में प्रतिवर्ष कुल ३०,००० मोटरगाड़ियाँ ही हिस्से जोड़कर तैयार की जाती थीं, किन्तु अब यह संख्या ८०,००० तक पहुँच गई है। मोटर के इन कारखानों में इस समय ९२० लाख रुपया लगा हुआ है।

मोटर गाड़ी

१९४४ में, हिन्दुस्तान मोटर्स के नाम से, मोटर का पहला भारतीय फर्म, १० करोड़ रुपये के स्वीकृत मूलधन से कलकत्ते में खुला था। इस समय इस कारखाने में प्रतिवर्ष १६,२०० गाड़ियां तैयार करने की क्षमता है। १९४८ में इसने २,३८८ और १९४९ में २,५६६ कारें व ट्रकें जोड़ीं।

दूसरा भारतीय फर्म प्रीमियर आटोमोबाइल्स, ५ करोड़ रु० के स्वीकृत मूलधन से, १९४६ में स्थापित किया गया। इसकी वार्षिक

उत्पादन क्षमता १२,६०० कारों व ठेलों की है। १९४८ में मद्रास में एक और फर्म अशोक मोटर्स के नाम से स्थापित हुआ है। इसने सितम्बर १९४९ से काम शुरू कर दिया है। यह प्रतिवर्ष ६००० गाड़ियां जोड़ सकेगा। इनके अतिरिक्त, दो और फर्म—मैसर्स स्टैंडर्ड मोटर्स कम्पनी (इंडिया) तथा ब्रिटेन का रुट्स ग्रुप नाम से खुले हैं।

कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में पुर्जे जोड़ने के और भी कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त, युद्ध से पहले के दो कारखाने भी हैं जिनकी वार्षिक क्षमता क्रमशः १५,००० तथा १४,४०० गाड़ियां जोड़ना है।

विदेशी विनिमय की कमी के कारण, विदेशों से मोटर के पुर्जों का आयात सीमित ही रहा है। १९४८-४९ में कुल ३८,७२१ मोटरों व ट्रकों का आयात हुआ, जिनमें १७,४८२ मोटरकार थीं। १९४९-५० (३१ दिसम्बर तक) कुल १६,१४५ कारों व ट्रकों का आयात हुआ, जिनमें ५,४९४ मोटरकार थीं।

इस समय मोटरगाड़ियों की बिक्री तथा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। जनवरी से जून १९५० तक के लिए, डालर क्षेत्रों से ४ करोड़ रुपये के मूल्य की और गैर डालर क्षेत्रों से ७½ करोड़ रुपये के मूल्य की मोटरगाड़ियों का आयात स्वीकृत हुआ था। भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण अमरीकन गाड़ियों का मूल्य बढ़ गया है।

अबरक

अबरक के उत्पादन में, भारत, संसार का सबसे बड़ा देश है। सारे संसार को जो अबरक प्राप्त होता है, उसका ८० प्रतिशत भारत तैयार करता है।

अनेक उद्योग-धन्धों में प्रयोग में आने के कारण, अबरक एक बहुत उपयोगी खनिज है। विद्युत्-वाहक न होने के कारण, अबरक का उपयोग, बिजली के अनेक सामान में, शक्ति अवरोधन के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऊँची शक्ति के मोटरों, रेडियो, टेलीफोन आदि के

लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कहते हैं कि अबरक का प्रयोग ३० से अधिक प्रकार से होता है।

भारत का अधिकांश अबरक बिहार राज्य में पैदा होता है, जहाँ हजारीबाग, गया और मुंगेर जिलों में इसकी बड़ी-बड़ी खानें हैं। कुछ अबरक राजस्थान और मद्रास के निल्लोर जिले से भी प्राप्त होता है। किन्तु स्वयं इस देश में कोई ऐसे उद्योग नहीं हैं जिनमें इसका उपयोग किया जा सके। अतः प्रायः सारा-का-सारा अबरक विदेशों को भेज दिया जाता है। यह निर्यात उत्तरोत्तर बढ़ता गया है और पिछले १० वर्षों में ही इसमें लगभग ४०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। १९४९ में ६६९ लाख रु० का अबरक विदेश भेजा गया था।

देश का अधिकांश अबरक अमरीका को ही जाता है। भारतीय अबरक लेनेवाला दूसरा सबसे बड़ा देश ब्रिटेन है। १९४९-५० में जो अबरक निर्यात किया गया उसमें से ४९३ लाख रु० का अमरीका ने और १०२ लाख रु० का ब्रिटेन ने लिया। शेष माल जापान, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों को गया।

अब अबरक का उपयोग देश में भी किया जाने लगा है, यद्यपि बहुत ही स्वल्प रूप में। 'माइके नाइटीन' बनाने का एक छोटा-सा कारखाना कलकत्ता में खुला है और दूसरा मद्रास के पास खुलने वाला है।

भारतीय जहाजी उद्योग में १९४९ में भी प्रगति हुई है। भारत के अपने तथा भारत में ही रजिस्टर्ड मालपोतों की संख्या में वृद्धि होने से उनकी माल ढोने की कुल क्षमता ३,९३,८२१ टन की हो गई जबकि अगस्त १९४७ में यह क्षमता केवल $2\frac{1}{2}$ लाख टन की ही थी। कुल मिलाकर १५,७०० टन की क्षमता के चार जहाज सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के बेड़े में सम्मिलित कर दिये गए हैं। बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी और इंडियन कोओपरेटिव नेवीगेशन एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी ने ब्रिटेन के बने कुल १०,००० टन की क्षमता के कुछ जहाज प्राप्त

जहाजी उद्योग

किये हैं। १४,४०० टन की क्षमता के दो जहाज 'पश्चिमी बंगाल' और 'बम्बई' सरकार ने नवनिर्मित पोतचालन निकाय के लिए खरीदे।

भारतीय कम्पनियों ने अप्रैल १९५० में, भारत के तटीय व्यापार में कुल १,८७,७०० टन के मालपोतों का प्रयोग किया, जबकि १९४८ के अन्त में केवल १,४६,९६० टन के पोतों का ही प्रयोग किया गया था।

सरकार-समर्थित पोत-चालक निकाय की रजिस्ट्री 'पूर्वी पोतचालन निकाय' के नाम से २४ मार्च १९५० को हुई। अभी यह निकाय भारत-आस्ट्रेलिया मार्ग पर ही जहाज चलाता है। शीघ्र ही मलाया और सिंगापुर और सुदूरपूर्व को भी भेजने लगेगा।

नमक

भारत में नमक के उत्पादन स्रोत सांभर झील, बम्बई और मद्रास हैं। राजस्थान में नमक बनानेवाले कारखाने सरकार के अधीन हैं। विभाजन के पश्चात् देश में नमक की प्रतिवर्ष आवश्यकता ६ करोड़ ८४ लाख मन प्रतिवर्ष है। १९५० में, अनुमान है, ७ करोड़ ७ लाख मन नमक पैदा होगा, फिर भी सरकार ने इस वर्ष विदेशों से ३० लाख मन नमक मंगाने का निश्चय किया है।

विदेशों से नमक मंगाने का कारण यह है कि भारत में नमक का उत्पादन मौसम पर निर्भर है। दूसरे मद्रास और बम्बई का नमक बहुत घटिया किस्म का होता है और लोग उसे पसन्द नहीं करते। आशा है कि १९५२ में विदेशों से नमक बिलकुल नहीं मंगाया जायगा।

शीशा

१९४९ में शीशे का उत्पादन ६८७६० टन रहा जबकि १९४८ में यह ६९५६१ टन था। जर्मनी के शीशा उद्योग के सम्बन्ध में डा० आत्माराम ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, आशा है उससे उत्पादन-वृद्धि में सहायता मिलेगी। यह रिपोर्ट सभी कारखानों को भेज दी गई है। शीशा उत्पादन-लक्ष्य समिति ने १९५०-५१ के लिए इस उद्योग का लक्ष्य १,१०,००० टन निर्धारित किया है। सभी कारखानों को सोडा

ऐश सुलभ कराने की व्यवस्था कर दी गई है।

चीनी मिट्टी के बर्तन

१९४९ की अन्तिम तिमाही में उत्पादन ८,२३० टन रहा। इसमें इन्स्यूलेटर के आंकड़े शामिल नहीं हैं। १९४९ की तीसरी तिमाही की अपेक्षा अन्तिम तिमाही के उत्पादन में १९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सामान की किस्म में निरन्तर सुधार हो रहा है।

लाख

द्वितीय महायुद्ध से पहले भारत में लाख का उत्पादन आवश्यकता से अधिक था और मूल्य बहुत कम था। किन्तु युद्ध के प्रारम्भ में उत्पादन घट गया और मूल्य चढ़ गया। फलतः सरकार ने मूल्य पर नियंत्रण कर दिया। युद्ध के पश्चात् सरकार ने नियंत्रण हटा लिया, किन्तु फिर भी उत्पादन कम है।

भारत में कच्चे लाख का उत्पादन लगभग ५०,००० टन है और साफ करने के पश्चात् यह ३०,००० टन रह जाती है। संसार में लाख की मांग अब भी उत्पादन से अधिक है। विदेशों में नकली लाख बनाने के परीक्षण सफल हो रहे हैं।

इस समय देश में लाख साफ करने के लगभग ३५० छोटे कारखाने बिहार में तथा एक बड़ा कारखाना कलकत्ता के पास है।

रबड़

देश में इस समय लगभग १६,५०० टन रबड़ पैदा होता है जो समस्त विश्व-उत्पादन का केवल एक प्रतिशत से कुछ ही अधिक है। इस उद्योग में लगभग १२ करोड़ रुपया लगा हुआ है। कच्चा रबड़ लगभग १५८३२२१४५ एकड़ भूमि में पैदा किया जाता है। १९४७ के कानून के अन्तर्गत रबड़ भूमि की रजिस्ट्री जारी है।

पावर अलकोहल

इस समय देश में पावर अलकोहल की १४ डिस्टलरी हैं। अनुमान है कि १९५० की प्रथम तिमाही में इस उद्योग का उत्पादन १४,९७,०६८ गैलन था।

१९४९ में यह उत्पादन ३० लाख गैलन था। आशा है १९५० के अन्त तक बढ़कर ४० लाख गैलन हो जायगा। फिर भी यह देश की आवश्यकता से बहुत कम है।

कहवा

हाल के वर्षों में कहवा उत्पादन १८,००० टन रहा है। अनुमान है कि १९५० में भारत में २०,००० टन कहवा पैदा होगा। देश में कहवा की खपत १६,००० और १७,००० टन के बीच है। डालर मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय कहवा को विदेशों में भेजने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। १९४८-४९ की फसल में से लगभग २,००० टन कहवा का निर्यात किया गया था। १९४९-५० की फसल में से इस उद्देश्य के लिए ३,००० टन की मात्रा निर्धारित की गई है।

कहवा का आयात कानून द्वारा बन्द है।

रेशम

इस समय देश में कीड़ों से २१ लाख पाउंड रेशम प्रतिवर्ष पैदा किया जाता है। योजना बनाई गई है कि पहले पांच वर्षों में आधुनिक उद्योग को ही सुव्यवस्थित किया जाय। उसके बाद पांच वर्षों में शहतूत के वृक्षों का रोपन कुल १,६२,५०० एकड़ भूमि में हो। बाद के ५ वर्षों में इस संख्या को बढ़ाकर १,८७,५०० एकड़ कर दिया जाय। अल्पकालीन योजना में रेशम का उत्पादन ३२ लाख ६२ हज़ार पाउंड व दीर्घकालीन योजना में ४० लाख पाउंड हो जायगा।

इस उद्योग में लगभग साढ़े बाईस करोड़ रुपया लगा हुआ है।

वनस्पति तेल

जमा हुआ तेल तैयार करने के इस समय देश में ४२ कारखाने चालू हैं तथा १७ और खड़े किये जा रहे हैं। १९४९ में वनस्पति तेल का उत्पादन १,५०,००० टन था और अनुमान है कि १९५० में यह मात्रा ४ लाख टन तक पहुँच जायगी। १९४८ में सरकार को

इस उद्योग से लगभग साढ़े ४ करोड़ रु० की आय हुई। मौजूदा कारखानों में लगभग १५,००० मजदूर काम करते हैं।

१९४३ से पहले इस उद्योग के कारखाने केवल गिने-चुने थे। १९४५ और १९४७ के बीच में इनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई।

पं ठाकुरदत्त भार्गव का एक बिल केन्द्रीय पार्लमेंट में विचाराधीन है जिसमें वनस्पति तेल के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गई है। वनस्पति तेल को रंगने के भी कई सुझाव विभिन्न राज्यों में विचाराधीन हैं।

उत्पादन के आंकड़े

	कारखानों की संख्या	उत्पादन (टनों में)
१९४५	२१	१३४,०००
१९४६	२१	१३८,०००
१९४७	२३	९६,०००
१९४८	२६	१२७,०००
१९४९	४२	१,५०,०००

घरेलू उद्योग

भारत जैसे कृषि-प्रधान देश की अर्थ-व्यवस्था में घरेलू और छोटे-मोटे उद्योगों का स्थान महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार के उद्योग स्थानीय साधनों का अधिक अच्छा उपयोग करने तथा खाद्य, कपड़ा और कृषि-सम्बन्धी औजार आदि आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं।

उद्योग सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार सरकार ने एक घरेलू उद्योग बोर्ड की स्थापना की है। इस बोर्ड का कार्य घरेलू उद्योगों के संगठन एवं विकास तथा बड़े उद्योगों के साथ उनके एकीकरण के सम्बन्ध में सरकार को मन्त्रणा देना है।

दिसम्बर १९४८ में इस बोर्ड ने जो सिफारिशें की थीं उनमें से कुछ ये हैं:—दिल्ली में एक केन्द्रीय घरेलू उद्योग बिक्री-केन्द्र की स्थापना

घरेलू उद्योगों के विषय में शैल्पिक तथा व्यापारिक सूचना देने के लिए एक पत्र का प्रकाशन और सहकारी आधार पर घरेलू उद्योगों का संगठन। भारत सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और इन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया है।

एक अस्थायी समिति स्थापित की गई है जो भारतीय घरेलू उद्योगों की वस्तुएं खरीदेगी और उन्हें अमरीका भेजेगी। जापानी घरेलू उद्योगों की प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए एक शिष्ट-मण्डल जापान भेजा गया था।

स्थायी करघा उपसमिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने एक करघा-विकास निधि स्थापित की है और १९४९ में इस निधि में १० लाख रु० का प्रारंभिक अनुदान भी दिया है।

फरवरी, १९५० में जयपुर में हुई दूसरी बैठक में अखिल भारतीय घरेलू उद्योग बोर्ड ने कई संकल्प स्वीकार किये जिनमें ये सिफारिशें की गईं—घरेलू उद्योगों के लिए संरक्षण, इन उद्योगों की वस्तुओं की सरकार द्वारा खरीद, निर्यात-व्यापार के विकास, कच्चे माल की सप्लाई, औद्योगिक सहकारी संस्थाओं का संगठन और ऋण देने की सुविधाओं में विस्तार। सरकार ने इनमें से अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

करघा उद्योग को छोड़कर अन्य घरेलू उद्योगों के लिए केन्द्रीय राजस्व से कुल १६ लाख रु० देने की व्यवस्था है। करघा उद्योग के विकास के लिए १९४९ में करघा-विकास निधि से विभिन्न राज्यों को कुल ३,४०,००० रु० के अनुदान दिये गए थे।

औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े

उद्योग	१९४७	१९४८	१९४९	१९५० मई तक
कोयला (हजार टनों में)	३००००	२९८२२	३१४५०	१३८३४
चीनी (हजार टनों में)	९०१	१०७५	१००१	९६८

कहवा (टनों में)	१६८४६	१६१२५	२२३८०	१४७५९
नमक (हजार टनों में)	५१६०२	६३५२४	५५६१६	४४४१९
सिगरेट (लाखों में)	१८८७९०	२१८२४६	२१८९०९	९२२७९
सूती कपड़ाः—				
(क) सूत (लाख पौंडों में)	१२९५७	१४४७६	१३५९१	५०३३
(ख) कपड़ा (लाख गजों में)	३७६२०	४३१९३	३९०४२	१८६८३
जूट (हजार टनों में)	१०५२	१०९२	९४६	३२६
ऊनी सामान (हजार पौंडोंमें)	२४०००	२००००	२१०००	४७
कागज और गत्ता (टनों में)	९३०९९	९७९०५	१०३१९४	४३९२३
सीमेन्ट (हजार टनों में)	१४४८	१५५३	२१०२	१०५३
सल्फ्यूरिक एसिड (टनों में)	६००००	८००००	९९४५८	३९५६०
कास्टिक सोडा (टनों में)	३३१४	४३८३	६३०३	४३६०
सोडा ऐश (टनों में)	१३६२४	२९१५०	१७९१८	१९५५६
क्लोराइन लिक्विड (टनों में)	१७०६	१८००	२६४९	१७६७
ब्लीचिंग पाउडर (टनों में)	२५५०	२८३६	२४६८	१३६७
सुपर फोस्फेट्स (टनों में)	५०००	२१३५८	४६७२४	१५८०५
सल्फेट आफ अमोनिया (टनों में)	२१२७३	३५२१०	४५९३५	१९३९२
बाइक्रोमेट्स (टनों में)	२३०६	२९३९	१७२०	८०७
रोगन और वार्निश (टनों में)	३८६०२	३५७२५	३०९२९	११६०३
दियासलाई (पेटियों में)	४६५७१३	५३३२४३	५२५००७	२१२३१५
मद्यसार-औद्योगिक (हजार गैलनों में)	४८२०	२९४०	२९८८	१६५९

मद्यसार-पावर (हजार गैलनों में)	२२६०	३६७६	४२३०	२१३६
शीशे की चादरें (हजार वर्गफुटों में)	५७१६	६२५५	३४५१	३८६२
रिफ्रैक्टरीज (हजार टनों में)	१७५	१८६	२०८	६६
इन्स्यूलेटर्स-एच० टी० (संख्या)	७४१७७	८६८७६	१३६७५०	६३५१८
इन्स्यूलेटर्स-एल० टी० (संख्या)	१४३०	२५०३	२२३६	८२०
शौर्टेज बैटरियां (संख्या)	७०.०२८	११००००	१०७०६५	७६१८८
ड्राई सेल्स (हजारों में)	८७६१७	१२३८३०	१५२२१६	५४२०३
बिजली की मोटर (अश्वशक्ति में)	३८०००	६००००	६८०५०	२८५६१
पावर ट्रांसफार्मर्स (के० वी० ए०)	३२०००	८११७३	१०८७७५	६८५२६
बिजली के लैम्प (हजारों में)	७६२०	६२४६	१३६४१	६३४५
बिजली के पंखे (हजारों में)	१६०	१८०	१७६	६०
बिजली के तारः—				
(क) तांबे के कंडक्टर्स (टनों में)	....	५८८०	५७२५	२०१५
(ख) वाइंडिंग वायर (टनों में)	....	३३०	३४०	१०७
(ग) रबड़ इन्स्यूलेटिड केवल्स और फ्लेक्सी-वल्स (हजार गजों में)	....	२२०००	१६३५६	११६६४

मोटरगाड़ियाँ (संख्या)	....	....	२१६६६	५७०१
बाइसिकल (संख्या)	४८८२७	६४७४०	८७९२२	४०१३४
मशीनी औजार (हजार रुपये के मूल्य में)	४५८७	५४७३	४७२९	९२२
डीजल इंजन (संख्या में)	६८५	१०२५	२०७६	१६४१
सीने की मशीनें (संख्या)	५८६०	२००१९	२५०२९	१२२२३
अबरेजिव (रिमों में)	४०६००	४६०९१	२४७९१	१२५७९
एसबेस्टस सीमेन्ट की चादरें (टनों में)	....	७६६७८	७६८२८	३५८९५
इस्पात (हजार टनों में) (सिल्ली और ढलाई)	१२५६	१२५६	१३५३	५८४
एल्यूमीनियम धातु (टनों में)	३२१५	३३६२	३४९०	१४४१
एंटीमनी धातु (टनों में)	२२५	३३०	१००	९०
तांबा (टनों में)	५९३१	५८६३	६३९०	२५९३
सीसा (टनों में)	१९०	६२५	५९३	१६४
स्वर्ण (औंसों में)	१७१७८२	१८०४६८	१६०९९१	६९९७३
लालटेन (हजारों में)	९१०	९७९	१७२८	८८४
इनेमल वेयर (हजारों में)	८५३२	६७६३	६५९०	२३२७
रबड़ का सामान :—				
टायर और ट्यूब				
(क) साइकिलों के (हजारों में)	७५५०	७१६०	७७४०	२७०५
(ख) मोटरों के (हजारों में)	१६३०	१५२०	१३८८	....
(ग) जूते (हजार जोड़ों में)	....	१८७०२	१७७१५	५७२९

(घ) अन्य (हजार दर्जनों में)	....	२३६५९	६८१५	२८५०
चमड़ा और चमड़े का सामान :—				
(क) क्रोम टेन्ड चमड़ा (हजारों में)	....	१०८७	५८१	२००
(ख) वनस्पति टेन्ड चमड़ा (हजारों में)	....	११५८	१८३५	६६०
(ग) विलायती जूते (हजार जोड़ों में)	....	३२०२	२८५०	१०३०
(घ) देसी जूते (हजार जोड़ों में)	....	२०६८	२१०९	६७८
(च) बैल्टिंग (टनों में)	६१५	६६१	४०३	१५४
प्लाई वुड :—				
(क) चाय की पेटियां (हजार वर्गफुटों में)	२८५५६	४५११२	३८३९६	१६०६६
(ख) व्यापारिक (हजार वर्गफुटों में)	५७३३	८६२२	९२३७	३४५०
रेडियो सेट (संख्या)	३०३३	२५०००	१६०३२	१५८४९

औद्योगिक वित्त कारपोरेशन

औद्योगिक वित्त कारपोरेशन को स्थापित हुए दो वर्ष हो चुके हैं। जून १९५० को समाप्त होनेवाले वर्ष में इसे २ लाख रु० से कुछ अधिक का लाभ हुआ है। इस वर्ष कारपोरेशन ने देश के उद्योग-धन्धों को २७७ लाख रुपये का ऋण दिया, जबकि १९४-८४९ में ३४२.२५ लाख रु० का ऋण दिया था। कारपोरेशन की अपनी कुल चुकता पूंजी ५ करोड़ रुपये की है। इस वर्ष इसने ७½ करोड़ रुपये के ३½ प्रतिशत ब्याज वाले बौंड जारी किये, जिनका भुगतान १९६४ में किया जायगा।

गत वर्ष कारपोरेशन ने कपड़े की २ मिलों को मशीन आदि खरीदने के लिए ऋण दिया। गल्ला बोने वालों की एक सहकारिता समिति को भी २० लाख रु० का ऋण दिया गया। यह समिति चीनी बनाने का एक कारखाना खोल रही है। वैसे तो कारपोरेशन ने देश के कितने ही उद्योगों को ऋण दिया है, किन्तु उनमें प्रथम स्थान सूती कपड़े के उद्योग का है।

प्रादेशिक दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान बम्बई का है। गत वर्षों में वहाँ के १५ उद्योगों को २२६ लाख रुपये का ऋण मिला है। दूसरा स्थान पश्चिमी बंगाल का है। वहाँ के ६ उद्योगों ने १७६ लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया है। तीसरा स्थान मद्रास का है जहाँ के ४ उद्योगों ने ७६ लाख रु० कारपोरेशन से ऋण लिया है।

अब तक जो ऋण दिये गए हैं उनमें औसत ऋण की रकम १६ लाख रु० बैठती है। एक उद्योग को ४० लाख रु० का भी ऋण दिया गया है। गत दो वर्षों की यह उच्चतम मात्रा है।

कारपोरेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस समय बाजार में रुपये का तोड़ा है। मध्यम श्रेणी के लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने से तथा राजाओं और जमींदारों से रुपया आना बन्द हो जाने के कारण उद्योगों में पूंजी नहीं आ रही है। कारपोरेशन कुछ उद्योगों को यह चेतावनी दे रहा है कि यदि उन्होंने कुशल शैलिपक कर्मचारी नियुक्त कर अपनी उत्पादित वस्तुओं के स्तर में सुधार नहीं किया तो वे अपने लिए खतरा उत्पन्न कर लेंगे।

बैंकिंग

आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की स्थापना भारत में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् हुई। उस समय के बैंक अपने-अपने नोट चलाते थे। प्रारम्भ

में जो बैंक स्थापित हुए उनका नाम प्रेसीडेंसी बैंक था और ये कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थित थे। १८६२ में इन बैंकों को नोट चलाने का अधिकार नहीं रहा। १९२० में प्रेसीडेंसी बैंकों को इम्पीरियल बैंक में मिला दिया गया।

१९२० में एक कानून पास करके इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया स्थापित किया गया। इस समय इस बैंक की १८९ शाखाएं हैं और २०० से अधिक सब-आफिस हैं। जहां रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है और इम्पीरियल बैंक की है, वहां इम्पीरियल बैंक ही रिजर्व बैंक का काम करता है।

इम्पीरियल बैंक की तल पट इस प्रकार है —

(३० जून १६४८)

देनदारी	रु०	लेनदारी	रु०
चुकता मूलधन	५,६२,५०,०००	ऋण दिया हुआ	६७,६०,८०,७८६
सुरक्षित कोष	६,२५,००,०००	मकान, फर्नीचर आदि	१,५३,६४,६४०
जमा (डिपाज़िट)	२८६,६३,५१,४६०	कारोबार में लगा रुपया	१४७,१८,४७,४६६
डिविडेंड	४७,७६,०१४	अन्य मदें	१,५५,५६,४६६
लाभ और हानि खाता	४८,४६,८४८	नकद और बैंक में शेष	५४,५८,४४,६३१
योग	३०२,४७,२७,३२२	योग	३०२,४७,२७,३२२

१९३५ में भारत सरकार ने देश के लिए एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता को स्वीकार किया और इसके फलस्वरूप रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्थापना उसी वर्ष की गई। इसके पूर्व देश की करेंसी-मुद्रा का नियंत्रण वित्त-विभाग द्वारा किया जाता था।

रिजर्व बैंक की स्थापना के समय उसकी द्वितीय अनुसूचि (Second schedule) में केवल ५० बैंकों का नाम था। इस सूची में केवल उन्हीं बैंकों को शामिल किया जाता है जिनकी निस्तीर्ण पूँजी (Paid up capital) तथा संचिती कम-से-कम ५ लाख रुपयों की है। १९४७ में इन बैंकों की संख्या ९७ थी। बहुत-से ऐसे बैंक भी हैं जो इस कारण अनुसूची की गणना में नहीं आते। उनकी संख्या १९४७ में लगभग ८०० थी।

द्वितीय महायुद्ध की अवधि में बैंकों की संख्या में वृद्धि होने के अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। १९३९ में बैंकों की शाखाओं की संख्या १८०० थी। १९४८ में यह बढ़कर ५२७७ हो गई। इस संख्या में उन बैंकों की शाखाओं को शामिल नहीं किया गया है जिनकी निस्तीर्ण पूँजी और संचिती एक लाख रुपये से कम है।

नीचे की तालिका से ज्ञात होता है कि १९४८ के अन्त में १५३४ स्थानों में एक लाख रुपये से अधिक की पूँजी वाले बैंकों के ५,२७७ कार्यालय थे। १९४८ में एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले ५० स्थानों में बैंकों के १६०२ कार्यालय थे।

जनसंख्या	स्थानों की संख्या	कार्यालयों की संख्या
१ लाख से ऊपर	५०	१६०२
५० हजार से १ लाख तक	८४	७३३
१० हजार से ५० हजार तक	६६२	१८९५
५ हजार से १० हजार तक	३६०	५६८
५ हजार से नीचे	१७१	२३७
अन्य	२०७	२४२
योग	१५३४	५,२७७

इस तालिका में केवल उन्हीं बैंकों को शामिल किया गया है जिनकी लागत पूँजी १ लाख रुपये अधिक है।

५० हजार से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सहकारी बैंकों के अधिक कार्यालय हैं; बड़े शहरों में इनकी संख्या कम है।

बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और त्रावंकोर-कोचीन के राज्यों में बैंकों के ३,६१७ कार्यालय हैं जो समस्त भारत के बैंक-कार्यालयों के ६६ प्रतिशत हैं। मद्रास और बम्बई का पद प्रतिशत लगभग ३८ बैठता है। उड़ीसा और आसाम में बैंकों के बहुत कम कार्यालय हैं। त्रावंकोर-कोचीन, बम्बई, पंजाब और मद्रास में क्रमशः १५६००, ३७८२४, ३९६५४, ४६५६१ जनसंख्या पीछे बैंक का एक कार्यालय है, जबकि समस्त भारत में ६५,८८४ जनसंख्या के पीछे एक कार्यालय है। यद्यपि औद्योगिक प्रगति वाले राज्यों में बैंकिंग की अच्छी सुविधाएँ हैं, फिर भी वहां बैंकों के कार्यालय अधिकतर उन्हीं स्थानों में हैं जहाँ की जनसंख्या १० हजार से अधिक है। बम्बई और मद्रास में क्रमशः ६७४ और ९२७ कार्यालय बड़े-बड़े नगरों में हैं तथा क्रमशः १९० और २३९ ऐसे स्थानों में हैं जिनकी जनसंख्या १० हजार से कम है।

बैंकों के सम्बन्ध में फरवरी १६४८ में भारतीय पार्लमेंट ने एक महत्त्वपूर्ण कानून पास किया है। यह कानून सहकारी बैंकों पर लागू नहीं है। इस कानून की मोटी-मोटी बातें ये हैं—सभी बैंकों को रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। लाइसेंस देते समय रिजर्व बैंक, प्रार्थी बैंक की आर्थिक स्थिति की जांच करेगा। बैंकों की पेड-अप पूँजी तथा सुरक्षित कोष के सम्बन्ध में कानून के अन्तर्गत निम्नतम मात्रा निश्चित कर दी गई है। अनुसूचित बैंकों को कुछ रुपया रिजर्व बैंक में जमा रखना पड़ेगा और उन्हें साप्ताहिक आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। इस कानून के लागू होने के १ वर्ष बाद सभी बैंकों को अपने तात्कालिक जमा तथा निर्धारित समय की देनदारी का २० प्रतिशत रुपया नकद, सोने में या स्वीकृत सिक्यूरिटियों में अपने पास रखना होगा। किसी डायरेक्टर को या किसी ऐसे फर्म को जिसमें डायरेक्टर का स्वार्थ है, रुपया उधार नहीं दिया जा सकेगा।

इस कानून के पास होने से देश के सभी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण हो गया है। प्रतिवर्ष अब रिजर्व बैंक को केन्द्रीय सरकार के सम्मुख देश के बैंकों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के आंकड़े (लाख रुपयों में)
प्रचार विभाग (Issue Department)

	परिभ्रमण में नोट	बैंकिंग विभाग में नोट	प्रचारित नोटों की कुल संख्या	सोने के सिक्के तथा सिक्यूरिटियाँ	विदेशी सिक्यू-सोना-चांदी	रुपया सिक्का	रुपया सिक्यूरिटियाँ	३ के अनुपात में (४ + ५ — (प्रतिशतक)
१९४८-४९	१२,३१,८४	२२,०२	१२,५३,८६	४२,४९	९०७,४७	४२,९६	२६५,६२	७५.४३
१९४९-५०	११,२८,९४	२४,००	११,५२,९४	४०,०२	६४७,०४	५०,५३	४१५,३६	५९.५९
जनवरी १९५०	११,२३,००	१३,७४	११,३६,७४	४०,०२	६२७,८४	५३,६५	४१५,२३	५८.७५
फरवरी ,,	११,४१,३७	१३,३१	११,५४,६८	४०,०२	६४७,८४	५१,५७	४१५,२५	५९.५७
मार्च ,,	११,६१,०२	१७,४०	११,७८,४२	४०,०२	६५०,३४	५०,७८	४३७,२७	५८.५८
अप्रैल ,,	११,८८,५४	१४,९५	१२,०३,४९	४०,०२	६५०,३४	५५,३५	४५७,७७	५७.३६
मई ,,	११,८९,५७	१५,६१	१२,०५,१८	४०,०२	६४७,३०	५४,७४	४६३,१२	५७.०३
जून ,,	११,७९,११	२५,३६	१२,०४,४७	४०,०२	६३८,१५	५४,६४	४७१,६७	५६.३०
शुक्रवार								
जून २ १९५०	११,८२,५३	२१,९१	१२,०४,७९	४०,०२	६३८,१५	५४,६१	४७१,६७	५६.३१
,, ९ ,,	११,९१,२९	१२,५९	१२,०३,८८	४०,०२	६३८,१५	५४,०४	४७१,६७	५६.३३
,, १६ ,,	११,८३,१०	२१,०५	१२,०४,१५	४०,०२	६३८,१५	५४,३१	४७१,६७	५६.३२
,, २३ ,,	११,७०,११	३४,६५	१२,०४,७६	४०,०२	६३८,१५	५४,९२	४७१,६७	५६.२९
,, ३८ ,,	११,६३,५३	३६,६१	१२,०५,१४	४०,०२	६३८,१५	५५,३०	४७१,६७	५६.२७

बैंकिंग विभाग (लाख रुपये में)

	बाहर की कुल रकम जमा या देनदारी	नोट और सिक्के	विदेशों में बैंक का रुपया	सरकार को दिया ऋण	अन्य दिया हुआ ऋण	खरीदी हुई हुँडियाँ	अन्यत्र लगा हुआ रुपया (investment)	अन्य जमा रकम
१९४८–४९	४१६,०५	२२,१२	३०७,७८	१,७१	३३४	४२८	७५६५	४१४
१९४९–५०	३२१,४५	२४,१२	१८०,९१	३,३५	८३९	४३०	९६०४	४३४
जनवरी १९५०	३२७,६४	१३,८६	२०३,२७	४,७०	७९४	५३६	८७९९	४५२
फरवरी ,,	३२१,८९	१३,४३	१९५,८४	१,४१	८७४	४८६	९३००	४६०
मार्च ,,	३२१,३२	१७,५०	२०३,७४	२,५१	१०८९	३४१	७८३४	४९३
अप्रैल ,,	३०२,५२	१५,०८	२०१,०९	५,२८	१०५५	३०७	६२०४	५४१
मई ,,	२९४,४४	१५,७५	१९७,६६	२,८०	१०३३	३०३	५९५२	५३६
जून ,,	२९५,५०	२५,४७	१९१,१४	३,६८	१००४	२१५	५८२३	४७९
शुक्रवार								
जून २ १९५०	२९२,९१	२१,९८	१९२,०८	१,६२	१०११	२९८	५८९२	५२२
,, ९ ,,	२८४,५३	१२,७०	१९०,८७	४,३२	१००६	२७२	५८४२	५४५
,, १६ ,,	२९४,७५	२१,१५	१९१,९७	६,०६	१००१	१९५	५८४५	५४६
,, २३ ,,	३०७,५०	३४,७९	१९१,५६	५,४५	१००२	१९३	५८३२	५७३
,, ३० ,,	२९७,८३	३६,७४	१८९,२५	९३	१००१	१७६	५७०५	२१०

रिजर्व बैंक का स्टर्लिंग कारोबार

	खरीद		बिक्री		कुल खरीद (+) / बिक्री (—)	
	पौंड (हजारों में)	रुपया (लाखों में)	पौंड (हजारों में)	रुपया (लाखों में)	पौंड (हजारों में)	रुपया (लाखों में)
१९४८—४९	१०,०३०	४,००४	८२,६८८	११,०३५	—५२,६५८	— ७,०३१
१९४९—५०	२००,२६८	२६,७०२	६०,७२०	८,१०४	+१३९,५४८	+१८,५९८
जनवरी १९५०	१८,१८५	२४२५	१,०४५	१३९	+१७,१४०	+२२८५
फरवरी ,,	१५,०१८	२००२	१,६९०	२२६	+१३,३२८	+१७७७
मार्च ,,	७,३४०	९७९	३,४९५	४६६	+३,८४५	+५१२
अप्रैल ,,	१०,३५५	१३८१	१३,१६२	१७५६	—२,८०७	—३७६
मई ,,	३२,५२०	४३३६	१४,८०९	१९७६	+१७,७११	+२३६०
जून ,,	१५,१९०	२०२५	१७,८२०	२३७८	—२,६३०	—३५२

१६४६ में छः प्रमुख बैंकों के आंकड़े
(करोड़ रुपयों में)

विवरण	इम्पीरियल बैंक	सेंट्रल बैंक	बैंक आफ इंडिया	पंजाब नेशनल बैंक	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	कुल जोड़	अन्य अनु-सूचित बैंक
चुकता पूंजी	५.६२	३.१५	१.६६	०.८७	२.००	१.००	१४.६४	——
रिजर्व फंड	६.३०	३.१६	१.६६	१.००	०.७३	१.१४	१४.१३	——
फिक्स्ड डिपाजिट तथा सेविंग बैंक डिपाजिट	७१.२५	४८.६०	१७.३०	२५.६७	११.३६	१६.६२	२०१.१०	२६६.०४
तात्कालिक (डिमांड) डिपाजिट	१७६.४८	६२.८३	४२.०८	१७.२७	१६.३६	१४.०७	३३५.१२	५८३.८५
कुल डिपाजिट	२५०.७३	१२१.७३	५६.३८	४२.६४	३०.७५	३०.६६	५३६.२२	८५३.८६
रोकड़ बाकी तथा रिजर्व बैंक में जमा	५२.४३	१६.०७	५.६५	४.२६	४.०८	४.०६	८६.५३	११३.४३
तत्काल मिलनेवाली रकम (money at Call & short notice)	१.२३	२.६०	—	—	—	—	३.८३	—

सिक्यूरिटियां	६८.४२	५२.०८	२६.८५	२१.५७	१४.५७	११.६६	२२५.४६	—
प्रिफरेंस तथा आर्डिनेरी शेयर और डिबेंचर	.०१३	४.७८	०.२४	१.१८	०.३३	१.७०	८.३६	—
हुंडियाँ खरीदीं तथा भुनाई गईं	५.६६	६.५३	२.२६	१.५६	२.३६	१.०२	१६.४७	१५.३५
ऋण	८४.६३	३६.२१	२५.६१	१७.२२	१६.०३	१३.५७	१८६.५७	३६५.२५
पिछले वर्ष से इस वर्ष लाया गया लाभ	०.५५	०.२२	०.०५	—	०.०३	०.०४	०.८६	—

अनुसूचित बैंकों के आंकड़े
(लाख रुपयों में)

	रिपोर्ट भेजने वाले बैंकों की संख्या	भारत में देनदारी	भारत में नकद रुपया	रिजर्व बैंक में शेष	भारत में लगा हुआ रुपया (एडवान्स)	हुँडियाँ भारत में
१९४८–४९	९४	९७८,४४	३७,५१	७६,४६	४२४,८५	१६,४४
१९४९–५०	९४	८७०,३८	३४,४७	६५,८५	४२६,७४	१५,३५
जनवरी १९५०	९४	८५७,०८	३३,६०	६१,२६	४०९,९७	१५,८६
फरवरी ,,	९४	८६५,३२	३५,१२	५३,३२	४२५,५१	१६,५८
मार्च ,,	९४	८५६,८१	३३,५२	५०,९८	४३६,६६	१६,७३
अप्रैल ,,	९५	८६६,७७	३४,२७	४८,७९	४६६,७९	१४,४३
मई ,,	९५	८६१,६६	३४,९२	५०,९६	४६१,७१	११,९२
जून ,,	९५	८१८,६७	३६,६८	५३,१६	४४८,४४	११,११

बीमा

किसी भी देश में साधारण बीमा-व्यापार की प्रगति मुख्यत: उस देश की आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। भारत में व्यापार और विभिन्न उद्योगों की ज्यों-ज्यों उन्नति होगी, त्यों-त्यों बीमा कारोबार में वृद्धि होना अनिवार्य है। देश में बीमे की साधारण परिस्थिति का परिचय निम्न आंकड़ों से प्राप्त होगा। ये आंकड़े दिसम्बर १९४८ तक के हैं।

पाकिस्तान में भारतीय कम्पनियों ने जो कारोबार किया है, उसके आंकड़े भी इन्हीं में शामिल हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का हिसाब-किताब अलग-अलग रखने में उन्हें काफी कठिनाइयां थीं। भारत सरकार के बीमा सुपरिन्टेन्डेन्ट की रिपोर्ट से पता चलता है कि आगामी वर्ष से दोनों देशों का हिसाब-किताब अलग-अलग उपलब्ध हो सकेगा।

१९३८ के भारतीय बीमा एक्ट के अन्तर्गत ७ अक्तूबर, १९४९ तक रजिस्टर-शुदा भारतीय और अभारतीय बीमा कम्पनियों की संख्या ३३९ थी। इनमें से २३४ भारतीय और १०५ अभारतीय थीं।

देश में बीमा कारोबार की प्रगति के सम्बन्ध में निम्न आंकड़े विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—

	भारतीय कम्पनियां			भारत में स्थित विदेशी कम्पनियां	
	१९४६	१९४७	१९४८	१९४७	१९४८
बीमा कम्पनियों की संख्या	२३९	२३६	२३४	१०१	१०५
केवल जीवन-बीमा कारोबार करने वाली कम्पनियां	१५२	१४८	१४१	२	५
जीवन व दूसरा बीमा	४८	४६	४८	१२	१५

केवल अन्य विभिन्न श्रेणियों का बीमा	३६	४२	४५	८६	८५

देशी कम्पनियां

	१६४६	१६४७	१६४८
पालिसियों की कुल संख्या	२५,६६,०००	२७,०७,०००	२७,६१,०००
	(लाख रुपयों में)		
बीमे की कुल मद	५,१४,५०	५,४७,१७	५,६६,३८
बीमे की वार्षिक रकम	२५,५६	२६,६८	२७,६८

विदेशी कम्पनियां

	१६४६	१६४७	१६४८
पालिसियों की कुल संख्या	२,२८,०००	२,२६,०००	२,३४,०००
	(लाख रुपयों में)		
बीमे की कुल मद	१,००,८५	१,०१,६०	१,०१,०८
बीमे की वार्षिक मद	५,६५	५,८३	५,६८

	देशी कम्पनियां		विदेशी कम्पनियां	
	१६४७	१६४८	१६४७	१६४८
नई पालिसियों की संख्या	५,२४,०००	४,६७,०००	२०,०००	१६,०००
नये बीमे की मद	१,१४,०६	१,०७,६८	१२,३४	११,६७
	(लाख रुपयों में)			
इस बीमे की वार्षिक रकम	६,२२	५,७७	७१	७१

देशी कम्पनियों द्वारा देश से बाहर किये गए व्यापार के आंकड़े

	१९४७	१९४८	अब तक कुल
पालिसियों की संख्या	१६,५००	२१,१००	२,०२,२००
	(लाख रुपयों में)		
बीमे की मद	५,२७	७,०४	४५,३०

बीमा करने वाली कम्पनियों की आमदनी और खर्च के आंकड़े

जिन्दगी का बीमा करने वाली

(लाख रुपयों में)

	देशी कम्पनियां		विदेशी कम्पनियां	
	१९४७	१९४८	१९४७	१९४८
कुल आमदनी	३३,१३	३७,५०	७,४३	७,४३
कुल खर्च	१७,०७	२०,०१	६,५३	६,५३
शेष जमा	१५,५६	१७,४९	९०	८०
ब्याज की दर	३.०३%	३.०२%	३.१०%	३.१५%

जिन्दगी के अतिरिक्त विविध प्रकार के बीमों के आंकड़े

(हजारों में)

	देशी कम्पनियां		विदेशी कम्पनियां	
	१९४७	१९४८	१९४७	१९४८
आग	४,७४,०६	५,०२,०६	२,१३,०४	२,३७,३५
समुद्री	१,५१,०७	१,७७,५६	१,३९,४९	१,८७,०२
विविध	२,१६,०९	२,४८,२३	१,८४,४१	१,५५,८७

इन बीमों के सम्बन्ध में देशी व विदेशी बीमा कम्पनियों पर किये गए दावों का अनुमान निम्न प्रकार रहा—

	१९४७	१९४८
आग का बीमा	३४%	३२%

समुद्री बीमा	४८%	५१%
विविध बीमा	३५%	३६%

प्राविडेण्ट सोसाइटियां

३० सितम्बर, १६४६ को ६६ प्राविडेण्ट सोसाइटियां (६८ भारत में स्थापित और १ पाकिस्तान में स्थापित सोसाइटी, भारत में बीमा-कारोबार कर रही थीं। इन कम्पनियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आंकड़े उल्लेखनीय हैं—

	१६४७	१६४८
चालू पालिसियों की कुल संख्या	७६,८३५	७३,०३३
नई पालिसियों की संख्या	११,६२६	१७,६०६
बीमे की कुल मद (रुपयों में)	३,०१,६७,३००	३,१८,१३,६००
ब्याज की दर	३.०८%	३.३१%

बीमा बुक करने वाले एजेण्टों की संख्या

	१६४७	१६४८
कुल संख्या	१,७४,१६६	१,७०,०१६
जिन्हें नये लाइसेन्स दिये गए	८५,२४५	८२,३२०
जिन्होंने पुराने लाइसेन्स जारी रखे	८८,६२४	८७,६६६

१६४८ में रजिस्टर्ड १,७०,०१६ एजेन्टों में से ३६,२८४ (२१.३ प्रतिशत) एजेन्ट स्त्रियां थीं।

१६३८ के बीमा कानून में संशोधन

इस उद्देश्य से कि स्वार्थी अर्थपति जीवन-बीमा कम्पनियों का नियन्त्रण प्राप्त करके, बीमा-धन का उपयोग बीमादारों के हितों के विरुद्ध, सट्टेबाजी के लिए न कर सकें, व्यवस्थापिका विधान परिषद् के १६४६ के शरद्कालीन अधिवेशन में एक बिल, १६३८ के बीमा कानून में उपयुक्त संशोधन करने के लिए पेश किया गया था, और बाद में, विचारार्थ विशेष समिति को सौंप दिया गया था। इस विशेष समिति को अपनी रिपोर्ट पिछले अधिवेशन में ही दे देनी थी, किन्तु कार्याधिक्य के कारण

वह ऐसा न कर सकी और उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने की अवधि, १९५० के बजट अधिवेशन के द्वितीय सप्ताह तक के लिए बढ़ा दी गई थी।

जब सुझाया गया कि उक्त बिल के कानून बनने में देरी होने से शायद कुछ स्वार्थी अर्थपति कोई अनुचित लाभ उठा लें, जिससे बीमा-दारों को अपूरणीय क्षति उठानी पड़े। अतएव, उस समय तक के लिए, जब तक कि उक्त बिल कानून नहीं बन जाता, १९ जनवरी, १९५० को एक आर्डिनेन्स निकाला गया जिसमें प्रायः वे ही व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं, जो उक्त बिल में रखी गई हैं। इस आर्डिनेन्स को मुख्य व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं—

१. किसी भी व्यक्ति के लिए ५ प्रतिशत से अधिक और किसी भी बैंक के लिए २½ प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त हिस्से खरीदने की मनाही।

२. यदि किसी के पास इस सीमित संख्या से अधिक हिस्से हैं, तो भी उसके मद देने के अधिकार अधिक न होंगे, बल्कि निश्चित सीमा के ही अनुसार रहेंगे।

३. स्वीकृत मदों की एक सूची होगी, और बीमा कम्पनियाँ उन्हीं मदों में रुपया लगा सकेंगी, और बाहरी किसी काम में नहीं।

४. बीमा करने वाली किसी भी कम्पनी के काम-काज की जांच करने के लिए, केन्द्रीय सरकार को परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार होगा।

५. यदि केन्द्रीय सरकार को मालूम हो कि कोई कम्पनी बीमा-दारों के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है, तो सरकार को अधिकार होगा कि उस बीमा कम्पनी की प्रबंध-व्यवस्था चलाने के लिए वह स्वयं एक प्रबंधक नियुक्त कर दे।

भारत की राष्ट्रीय आय, गरीबी और मंहगाई

भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार की १९४६-४७ की राष्ट्रीय आय सम्बन्धी रिपोर्ट से पता चलता है कि जहाँ १९४५-४६ में भारत के हर आदमी की औसत वार्षिक आमदनी २०४ रु० थी, वहाँ १९४६-४७ में बढ़कर यह आय प्रति व्यक्ति पीछे २२८ रु० हो गई। १९४६-४७ में देश की कुल राष्ट्रीय आय ५,५८० करोड़ रुपये थी। ये आंकड़े विभाजन के बाद के समस्त भारतीय संघ के सम्बन्ध में हैं।

कृषि, पशुपालन, वन्य और खनिज-वर्गों के अन्तर्गत भी वृद्धि हुई है। इन्हीं वर्गों के अन्तर्गत १९४५-४६ में २,००१ करोड़ रु० की आमदनी थी। तुलना में १९४६-४७ में २,३९१ करोड़ रु० की आमदनी हुई। केवल कृषि की मद में हीं १९४६-४७ में १,७७० करोड़ रुपये की आमदनी हुई, जबकि १९४५-४६ में यह रकम १,४९५ करोड़ रु० थी।

शहरी इलाकों के हिसाब से, जहाँ काम करनेवाली (रोजी कमाने वाली) जनता की आबादी १ करोड़ ८८ लाख व्यक्ति थी, कुल आमदनी २,१०७ करोड़ रुपये बैठती है, जबकि गाँवों में रोजी कमानेवाली ८ करोड़, ७१ लाख जनता की आमदनी ३,४८३ करोड़ रु० थी। इस प्रकार शहरों में प्रति काम करने वाले व्यक्ति पीछे जहाँ यह आमदनी १,१२१ रु० बैठती है, वहाँ गाँवों में यह रकम ४०१ रु० बैठती है।

१९४८-४९ के अस्थायी और प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार कुल राष्ट्रीय आय लगभग ६,९८६ करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस हिसाब से १९४८-४९ में प्रति व्यक्ति पीछे २७२ रुपये औसत वार्षिक आमदनी होने की आशा है। जो लोग आर्थिक दृष्टि से लाभदायक कामों पर लगे हुए हैं, उनकी कुल संख्या से यह अनुमान किया जाता है कि पिछले देशी राज्यों की कुल राष्ट्रीय आमदनी १९४८-४९ में भारतीय राज्यों की तुलना में एक-तिहाई बैठेगी।

भारत के नागरिकों की उक्त औसत वार्षिक आमदनी की तुलना में विदेशों के नागरिकों की आमदनी इस प्रकार है—

अमरीका	४,६६८ रु०
कैनेडा	२,८६८ रु०
इंगलैण्ड	२,३५५ रु०
आस्ट्रेलिया	१,७७६ रु०

परन्तु भारतीय लोगों की आमदनी में यह वृद्धि वास्तविक नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसी अवधि में कीमतों के साधारण स्तर में लगभग १२.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुद्रा-बाहुल्य की रोक-थाम के लिए सरकार ने जो विभिन्न कदम उठाए हैं और उपाय काम में लाए हैं, उनके बावजूद भी कीमतों में वृद्धि जारी रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि १९३९ की तुलना में जब कि प्रतिव्यक्ति पीछे औसत आमदनी ७० रु० थी, १९४८-४९ में यद्यपि आमदनी २७२ रु० तक पहुँच गई है, फिर भी रहन-सहन के मान की दृष्टि से वास्तविक आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हुई।

सन् १९४९-५० में वस्तुओं के मूल्य में किस प्रकार उतार-चढ़ाव हुआ है तथा उसका लोगों के रहन-सहन के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अनुमान नीचे दिये गए आंकड़ों से चलेगा—

मार्च १९५० को समाप्त होने वाले वर्ष की समीक्षा

भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के अनुसार मार्च १९५० में समाप्त वर्ष के लिए भारत के थोक दर का सूचकांक (आधार—अगस्त १९३९—१००) २-४ प्रतिशत ऊँचा रहा। इस वर्ष का औसत ३८५.२ रहा जबकि १९४८-४९ का ३७६.२ था।

जुलाई १९४९ में सूचकांक, मार्च के उच्चतम स्थान ३८९.६ से क्रमशः घटकर ३७०-२ पर आ गया था परन्तु उसके बाद धीरे-धीरे ऊपर बढ़ने लगा और अवमूल्यन के ठीक बाद अक्तूबर १९४९ में सूचकांक ३९३.३ पर पहुँच गया। आगामी दो महीनों में घटकर सूचकांक

दिसम्बर १९४९ में ३८१.३ तक गया परन्तु फिर सूचकांक ऊपर को चढ़ने लगा; वर्ष के अन्त में ३९२.४ पर पहुँच गया।

वर्ष-भर में खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चा माल, अर्धनिर्मित वस्तुओं, निर्मित वस्तुओं तथा विविध वस्तुओं का सूचकांक क्रमशः २.२, ६.०, १.३, ०.३ तथा ८.७ प्रतिशत बढ़कर ३९१.३, ४७१.७, ३३१.६, ३४७.२ तथा ५७०.७ पर था।

खाद्यान्न

यद्यपि चावल का दाम साल-भर ऊँचा ही बना रहा, गेहूँ का दाम मार्च १९४९ के ७४८ के स्तर से धीरे-धीरे घटकर जनवरी १९५० में ५०२ हो गया, परंतु फिर रुख बदल गया और मार्च के अन्त में ५२१ पर पहुँच गया। ज्वार के दामों में इस वर्ष काफी तेजी दिखलाई पड़ी। गन्ने का मूल्य नवम्बर तक तो मार्च १९४९ के स्तर ४६७ पर रहा, परन्तु आगामी दो महीनों में अचानक घटकर ३४१ हो गया। परन्तु बाद में बढ़कर गत वर्ष से ३ प्रतिशत नीचे ४५४ पर स्थिर हुआ। दालों का मूल्य अप्रैल १९४९ के ४३९ से बढ़कर अगस्त में ४६३ हो गया। फिर घटकर यह दिसम्बर में ३८२ तक गया था, परन्तु मार्च १९५० से ४४० पर पहुँच गया।

अन्य खाद्य वस्तुओं में चाय का दाम प्रथम दो मासों में तो कम हुआ परन्तु उसके बाद अचानक बढ़कर नवम्बर १९४९ में ४९८ पर पहुँच गया, जबकि अप्रैल तथा मई में क्रमशः २८४ तथा २६८ था। बाद में मूल्य घटकर वर्ष के अन्त में ४१३ पर आ गया था। कॉफी का मूल्य वर्ष के पूर्वार्द्ध में तो बढ़ा, परन्तु उत्तरार्ध में कम होता गया।

अगस्त १९४९ में अचानक वृद्धि के पूर्व चीनी का दाम स्थिर-सा रहा। सितम्बर १९४९ में उसका दाम स्थिर किया गया और दिसम्बर में उसमें ३ प्रतिशत की कमी की गई। अक्तूबर १९४९ तक गुड़ का दाम दुगुना होकर ४१९ तक पहुँच गया था, परन्तु फिर एक बार गिरकर दिसम्बर में २९२ पर पहुँच गया। फिर धीरे-धीरे बढ़कर मार्च के अन्त

में ३७४ था। यद्यपि नमक का दाम स्थिर रहा, परन्तु अन्तिम त्रैमासिक में कुछ बढ़कर उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।

इस प्रकार अन्य खाद्य पदार्थों का सूचकांक जहाँ गत वर्ष २४६ था वहाँ अप्रैल १९४९ में २४९, नवम्बर में ३२४, दिसम्बर में २८४ तथा मार्च में ३०३ रहा।

यद्यपि कपास के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु जूट, जिसका सूचकांक जुलाई १९४९ में अप्रैल के

औद्योगिक कच्चा माल ३५२ से ४८५ तक आ गया था तथा सिल्क में वृद्धि के कारण रेशे का सूचकांक गत वर्ष के मार्च के ४५८ के बजाय इस वर्ष ४६९ पर था।

तेलहन सरसों तथा अरण्ड के कारण सूचकांक वर्ष-भर में ५६३ से बढ़कर ६४२ पर पहुँच गया।

यद्यपि बंगाल-बिहार में कोयले के दामों में कमी आई परन्तु मैंगनीज के ऊँचे दाम तथा लोहा और अबरक के

खनिज-पदार्थ दामों में क्रमशः नवम्बर-दिसम्बर में वृद्धि से इसका सूचकांक लगभग ५ प्रतिशत बढ़कर मार्च १९५० में ३३७ पर पहुँच गया था।

अन्य औद्योगिक पदार्थ, जिनमें खाल तथा चमड़ा, चपड़ा तथा रबड़ शामिल हैं, का सूचकांक प्रायः साल-भर घटता रहा परन्तु सितम्बर १९४९ के बाद खाल तथा चमड़े के दामों में वृद्धि के कारण जिसका सूचकांक, मार्च १९४९ के ३६४ से घटकर सितम्बर में ३४२ हो गया था, और वर्ष के अन्त में ३६६ पर रहा, वह बढ़कर जनवरी १९५० में ३८४ हो गया।

अर्ध-निर्मित वस्तुएँ संस्कारित चमड़ा-खाल तथा चमड़े की तेजी के कारण बनाये हुए चमड़े का दाम वर्ष-भर में २० प्रतिशत बढ़ गया।

किरासन तेल के दाम में जून १९४९ में कमी के बावजूद भी नवम्बर में पेट्रोल का दाम ≡) प्रति गैलन बढ़ा देने से (यद्यपि फिर फरवरी १९५० में दाम की कमी कर दी गई थी) इसका सूचकांक लगभग ६ प्रतिशत बढ़कर १९९ हो गया।

खनिज तेल

वनस्पति तेल सरसों तथा तीसी तेल में १७.३ प्रतिशत वृद्धि के कारण इसका सूचकांक ५७८ से बढ़कर ६७८ पर पहुँच गया।

अक्तूबर में सरकार द्वारा सूत के मूल्य में कमी के पूर्व इसका सूचकांक स्थिर रहा, परन्तु इस कमी से सूचकांक सितम्बर में ४३५ से घटकर ४१२ हो गया जिस पर वह प्रायः कायम है।

सूत

इनका सूचकांक प्रारम्भ में २-३ प्रतिशत घटकर १६७ तक गया परन्तु धीरे-धीरे बढ़कर नवम्बर में १८१ हो गया। लोहे के दामों में कमी से सूचकांक १७२ हो गया और इसी स्तर पर साल-भर कायम रहा।

धातुएं

खली का सूचकांक साल-भर में प्रायः ८ प्रतिशत बढ़ा।

नारियल के रेशे के दामों में कमी के कारण इसके सूचकांक में प्रारम्भ में कमी दिखलाई पड़ी, परन्तु अगस्त १९४९ के बाद सूचकांक में विशेष वृद्धि हुई और वास्तव में नारियल के रेशे का दाम इस अवधि में दुगुने से अधिक हो गया।

जूट की निर्मित वस्तुओं का दाम कुछ समय तक घटता रहा, परन्तु जुलाई १९४९ से दाम बढ़ रहे हैं। अवमूल्यन के कारण दामों में वृद्धि से इसका उच्चतम मूल्य निर्धारित कर दिया गया है जो अवमूल्यन के पूर्व के दामों के समान ही है।

निर्मित वस्तुएं

सूती कपड़े का सूचकांक अप्रैल में १४ प्रतिशत बढ़ गया था। यद्यपि इसके दामों में दो बार जुलाई और नवम्बर में कमी की गई फिर भी सूचकांक मार्च १६४६ की तुलना में ६ प्रतिशत ऊँचा रहा।

रेयन तथा सिल्क का सूचकांक ५६७ से घटकर जुलाई में ४३२ हो गया था परन्तु फिर बढ़कर वर्ष के अन्त में ६६८ पर पहुँच गया।

ऊनी कपड़े का सूचकांक साल-भर स्थिर-सा रहा। इस प्रकार यदि सब प्रकार के वस्त्र को मिलाकर देखा जाय तो उनका सूचकांक अप्रैल १६४६ में मार्च की तुलना में ८ प्रतिशत बढ़ गया था और उसके बाद नाममात्र बढ़कर उसी स्तर पर कायम रहा।

धातुवित वस्तुओं के सूचकांक में अगस्त १६४६ तक १० प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी परन्तु लोहे के दाम में ३०) प्रति टन की कमी से सूचकांक में जनवरी में ८ की कमी आ गई।

अन्य निर्मित वस्तुओं के सूचकांक में जस्ता, शीशा तथा केमिकल को छोड़कर, अन्य वस्तुओं का भाव कुछ नरम रहा, और नगण्य परिवर्तन हुआ।

विविध

जून १६४६ को छोड़कर विविध वस्तुओं के सूचकांक में साल-भर नियमित वृद्धि हुई जिससे मार्च १६५० तक सूचकांक गत वर्ष के ५१५.२ से २२.४ प्रतिशत बढ़कर ६३०.६ पर पहुँच गया। सूचकांक में विशेष वृद्धि वनस्पति, मसाला, (काली पीपर) सुपारी तथा तम्बाकू के कारण हुई।

विभिन्न वस्तुओं के थोक दाम किस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसका अनुमान नीचे दी गई तालिका से लगेगा—

भारत में विभिन्न वस्तुओं के थोक दरों के सूचकों की विस्तृत तालिका
(मार्च १९४९ से जुलाई १९४९ तक)

आधार—अगस्त १९३९—१००

समूह और उप-समूह	१९४८-४९	१९४९-५०	१९४९				
			मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई
१–खाद्यन्न	३८२.९	३९१.३	३७६.५	३७३.८	३७७.०	३८१.६	३९५.९
१. आवश्यक खाद्य	४६२.७	४५७.२	४६७	४५९	४६४	४७०	४६९
२. दालें	४३४.२	४३१.०	४४५	४३६	४६३	४६४	४६४
३. अन्य वस्तुएं	२६४.६	२८९.६	२४६	२४९	२४७	२५१	२८२
२–औद्योगिक कच्चा माल	४४४.९	४७१.७	४६२.८	४६२.८	४६३.८	४५९.७	४४९.४
१. रेशे	४५०	४४८	४५८	४५२	४५१	४४०	४१५
२. तेलहन	५२०	६१८	५६३	५८१	५८८	५९३	६०५
३. खनिज पदार्थ	३१२	३३४	३२०	३२१	३२८	३३१	३३१
४. अन्य वस्तुएं	३४८	३५८	३६४	३५४	३४१	३४४	३५३
३–अर्ध-निर्मित वस्तुएं:	३२७.२	३३१.६	३२२.४	३२५.२	३२४.५	३२६.३	३२६.७

१. चमड़ा	३०५.५	३२३.५	३०६	३०२	२९६	२९६	३०४
२. खनिज तेल	१८०.३	१९०.७	१८८	१८८	१८८	१८५	१८३
३. वनस्पति तेल	५४३.१	६३९.३	५७८	५९४	५९५	५८९	५९६
४. सूत	४६६.६	४२५.१	४२५	४३५	४३८	४३८	४३६
५. धातुएं	१६९.७	१७३.४	१७१	१६९	१६७	१७३	१७४
६. खलि	३९६.०	४०९.३	३९४	४०२	३९७	३९९	४१०
७. अन्य वस्तुएं	२४८.८	२६१.७	२५६	२५०	२४६	२४९	२४५
४–निर्मित वस्तुएं	३४६.१	३४७.२	३२९.४	३४७.०	३४७.१	३४९.२	३४४.७
१. कपड़ा	४१०.९	४०१.८	३७५	४०६	४०६	४०४	३९७
जूट की निर्मित वस्तुएं	५०६	५२५	४८८	४७२	४४९	४४१	४८५
सूती निर्मित वस्तुएं	३६६	३७१	३३८	३८७	३८९	३८९	३७९
रेयन और सिल्क	७६०	४९८	५६७	५०६	५२६	५१६	४३२
ऊनी कपड़े की वस्तुएं	२७७	२८१	२८२	२८२	२८२	२७९	२७७
२. धातुवित वस्तुएं	२४१.७	४६६.५	२४७	२५२	२५५	२६९	२६९
३. अन्य निर्मित वस्तुएं	२६७.७	२६९.३	२७२	२७२	२७०	२७०	२६८
५–विविध	५२५.२	५७०.७	५१५.२	५२८.५	५२६.१	५०२.३	५३५.१
सभी वस्तुएं	३७६.२	३८५.४	३७०.२	३७६.१	३७७.१	३७८.३	३८०.६

भारत में विभिन्न वस्तुओं के थोक दरों के सूचकों की विस्तृत तालिका
(अगस्त १९४९ से मार्च १९५० तक)

आधार—अगस्त १९३९—१००

समूह और उप-समूह	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
१—खाद्यान्न	४१०.६	४०३.१	४०६.८	४०५.१	३७४.१	३७९.१	३९५.३	३९६.२
१. आवश्यक खाद्य	४७४	४६४	४६५	४६०	४३५	४३१	४४४	४५४
२. दालें	४६१	४३१	४०२	३९८	३८२	४१०	४२६	४४०
३. अन्य वस्तुएं	३०९	३०९	३२२	३२४	२८४	२९५	३१५	३०३
२—औद्योगिक कच्चा माल	४६०.५	४६८.५	४७७.९	४७२.४	४७७.६	४८६.१	४९३.३	४९०.१
१. रेशे	४२३	४३५	४५१	४५७	४६०	४६२	४६३	४६९
२. तेलहन	६३३	६४४	६४४	५९७	६०१	६३०	६६५	६४२
३. खनिज पदार्थ	३३६	३३१	३२९	३३६	३४१	३४४	३४०	३३७
४. अन्य वस्तुएं	३४७	३४२	३५२	३६१	३८१	३८४	३७८	३६६
३— अर्ध-निर्मित वस्तुएं	३३०.८	३३५.०	३३२.३	३३३.९	३३४.१	३३५.५	३३८.१	३३८.२

१. चमड़ा	३०६	३१६	३२२	३३२	३४८	३४७	३५७	३६१
२. खनिज तेल	१८३	१८३	१८३	१९५	२०१	२०१	२०१	१९९
३. वनस्पति तेल	६४१	६७१	६६८	६५०	६४६	६६३	६६३	६७८
४. सूत	४३५	४३५	४२३	४१२	४१३	४१६	४११	४१३
५. धातुएं	१७४	१७५	१७६	१८१	१७५	१७२	१७२	१७२
६. खलि	४०६	४१८	४१७	४१७	४१२	४००	४०८	४२४
७. अन्य वस्तुएं	२४५	२५६	२५४	२७०	२७१	२८३	२९०	२९०
४—निर्मित वस्तुएं	३४८.६	३५१.४	३५२.६	३४४.२	३४३.८	३४४.६	३४६.५	३४७.४
१. कपड़ा	४०३	४०७	४०६	३९३	३९५	३९८	४०२	४०२
जूट की निर्मित वस्तुएं	५४३	५७५	५६१	५६१	५६१	५६१	५६१	५६१
सूती निर्मित वस्तुएं	३७६	३७५	३७३	३५८	३५८	३५८	३५७	३५७
रेयन और सिल्क	४४६	४५६	४६४	४६१	४८६	५२४	५८९	६०६
ऊनी कपड़े की वस्तुएं	२७७	२८३	२८३	२८२	२८२	२८२	२८२	२८२
२. धातुवित वस्तुएं	२७२	२७२	२७२	२७२	२६७	२६४	२६५	२६५
३. अन्य निर्मित वस्तुएं	२६७	२६८	२७०	२७१	२६९	२७०	२६७	२७०
५—विविध	५४१.६	५४७.१	५८८.८	६१२.०	६०९.८	६१४.९	६३२.३	६३०.६
सभी वस्तुएं	३८९.०	३८९.८	३९३.३	३९०.२	३८१.३	३८४.७	३९२.३	३९२.४

भारत के प्रमुख शहरों में मजदूरों का जीवन-निर्वाहांक

शहर	१९४८ की औसत	१९४९ जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
			आधार—अगस्त १९३९—१००							
१. अहमदाबाद	३३३	३२३	३२९	३३२	३३३	३४१	३४०	३५१	३४८	३४५
२. बम्बई	२८८	३०१	२९२	२९६	२९०	२९१	२८६	२८८	२९१	२९१
३. शोलापुर	४००	४५८	४४१	३९१	४१२	४२२	४२४	४१७	४२२	४२५
४. नागपुर	३७२	३८०	३७४	३७४	३७६	३७७	३७९	३७८	३७८	३८१
५. जब्बलपुर	३८४	३९३	३९१	३९३	—	—	—	—	—	—
६. मद्रास शहर	३१५	३३१	३३१	३३३	३२७	३२७	३२९	३२७	३२७	३२७
७. कानपुर	४७१	५०६	५१५	४७९	४६८	४८२	४८३	४८६	४८८	४८४
८. पटना	५२८	४४४	४५४	४९९	४९९	५१२	५१०	५२५	५०९	४९३
९. रांची	४७९	३९४	३८६	३९७	३९३	४१३	४४९	४४७	४५९	४३७
१०. कलकत्ता	—	३३६	३२३	३३२	३४३	३४३	३५२	३५४	३५४	३६१
			आधार—जुलाई ३१, १९३९—१००							
११. लखनऊ	५२५	५६१	५८५	५७६	५६२	५६९	५७७	५७२	५७१	५४२
१२. बनारस	४५८	४८१	५२१	५१३	४७९	४८८	४९१	५२१	५२८	५३३

१३. आगरा	४८६	५३७	५७८	५६२	५०७	५२९	५२५	५२२	५०८	४५२
१४. इलाहाबाद	४७३	५२७	५५०	५५०	५२०	५२०	५५९	५७८	५९३	५८५
१५. झांसी	५१७	५५०	५७५	५४६	५७०	५३८	५४२	५४७	५३२	५२१
रियासतें			आधार—अगस्त १९३९—१००							
त्रिचूर										
(कोचीन)	३४६	३५३	३५५	३५३	३६२	३५९	३५०	३५२	३५७	३५९
			आधार—जून १९३६—१००							
२. मैसूर	२८९	३०३	३०३	३०३	२९७	३०१	३०४	३०२	३०१	३०६
३. बंगलोर	२८७	३००	२९७	३००	२९७	३००	३०२	३०३	३०२	२९६
			आधार—जुलाई १९४४—१००							
४. हैदराबाद										
(शहर)	१४७	१५७	१५४	१५३	१५४	१५४	१५७	१५८	१५३	१४८

भारत सरकार के लेवर-ब्यूरो द्वारा प्रकाशित मजदूरों का जीवन-निर्वाहांक

(आधार—औसत कीमतें १६४४—१००)

शहर	१६४५	१६४६	१६४७	१६४८	१६४९
१. दिल्ली	१०३	१०७	१२२	१३२	१३२
२. अजमेर	११०	११८	१५२	१६२	१६१
३. झरिया	९७	१२२	१३९	१५३	१५९
४. जमशेदपुर	१००	१०३	१२३	१३६	१३८
५. कटक	१०२	१०६	११७	१३४	१४७
६. गोहाटी	९०	८६	९७	११७	१२८
७. जब्बलपुर	९५	१०१	१२३	१४६	१५१
८. लुधियाना	१०५	११९	१४२	१६८	१६४
९. खडगपुर	९७	१००	१११	१३२	१३७

विदेशों में जीवन-निर्वाहांक

(आधार—१९३७—१००)

वर्ष	इंगलैण्ड	अमरीका	कैनेडा	आस्ट्रेलिया	टर्की (इस्तंबूल)	लंका (कोलम्बो) (ख)
१९३८	१०१	९८	१०१	१०३	१००	—
१९३९	१०३	९७	१००	१०५	१०१	१०८ (ग)
१९४०	११९	९८	१०४	११०	११२	११२
१९४१	१२९	१०२	११०	११५	१३८	१२२
१९४२	१३०	११३	११६	१२५	२३२	१६४
१९४३	१२९	१२०	११७	१२९	३४६	१९५
१९४४	१३०	१२२	११७	१२९	३३८	२००
१९४५	१३२	१२५	११८	१२९	३५३	२२१

१६४६	१३२	१३६	१२२	१३१	३४१	२२६
१६४७	—	१५५	१३४	१३६	३४३	२५२
१६४८	१०८(क)	१५७	१५३	१४८	३४५	२६०
१६४६	१११	१६५	१५६	—	३७८	—

(क) जुलाई १६४७ से सूचकांकों की एक नई शृंखला प्रारम्भ हुई है।
इसका आधार—१७ जून, १६४७—१००

(ख) आधार—नवम्बर १६३८ से अप्रैल १६३६—१००

(ग) अगस्त—दिसम्बर।

सहकारिता आन्दोलन

सहकारिता व्यवस्था के लिए भारत में सबसे पहले १६०४ में एक कानून पास किया गया। किन्तु कुछ समय बाद ज्ञात हुआ कि भारत की स्थिति को देखते हुए इस कानून में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। फलतः १६१२ में सहकारिता समिति कानून पास हुआ। इस कानून के अन्तर्गत रुपया उधार देने के अतिरिक्त अन्य क्रियात्मक कार्य भी समितियों को सौंपा गया, जैसे कृषि-पदार्थों का वितरण और उनकी हाट-व्यवस्था।

भारत सरकार ने १६१६ में एक सुधार कानून पास किया, जिसके अन्तर्गत सहकारिता आन्दोलन का विषय प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिया गया। इस निर्णय से यह आन्दोलन जन-साधारण के अधिक निकट आ गया। कुछ समय पश्चात् वस्तुओं के वितरण और प्राप्ति के लिए, सुधरे हुए ढंग से खेती करने और स्वास्थ्य में उन्नति करने आदि के लिए बहुत-सी समितियां स्थापित हो गईं। १६१६ से १६२६ तक भारत में सहकारिता आन्दोलन ने बहुत प्रगति की। यह आन्दोलन इस

अवधि में ग्राम्यबैंक, हाट-व्यवस्था बैंक के रूप से देहात-सुधार व्यवस्था के रूप में पहुँच गया। इसी समय द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया।

१६३६ से १६४७ तक का समय इस आन्दोलन के लिए कठिन परीक्षा का समय रहा। किन्तु इस अवधि में इसने देहात में काम भी बहुत किया और उन्नति भी की जो निम्न आंकड़ों से प्रकट होती है—

	१६२०–२१ प्रथम महायुद्ध के अन्त में	१६३८–३६ द्वितीय महायुद्ध से पूर्व	१६४५–४७ स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व
समितियां	४८,०००	१,२२,०००	१,७२,०००
सदस्यों की संख्या	२१,५०,०००	५३,७०,०००	६१,६०,०००
पूंजी	२६,२६,००,००० रु०	१,०६,४७,००,००० रु०	१,६४,००,००,००० रु०

कृषि के लिए उधार रुपया

कृषि-कार्य के लिए उधार रुपया देनेवाली समितियों का विधान ज्वाइंट-स्टाक कम्पनियों के विधान से भिन्न है। ज्वाइंट-स्टाक कम्पनियों में शेयरहोल्डर का दायित्व उसके शेयर के अनुसार सीमित है। किन्तु इन समितियों के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात् समिति के कुल ऋण की अदायगी के लिए समिति के सब सदस्य संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं। इन समितियों से उधार रुपया केवल कृषि-सम्बन्धी कार्यों के लिए ही मिलता है। ३० जून १६४६ को इन समितियों की स्थिति इस प्रकार थी—

	हजार रुपयों में
शेयरों की पूंजी	५,८८,५०
सुरक्षित तथा अन्य कोष	१०,५७,११
जमा रकम	२,८४,२६
ऋण	१३,७१,३६
कुल पूंजी	३३,०१,२६

इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि इन समितियों की अपनी पूंजी १६ करोड़ रुपया है और ऋण लेकर लगाई हुई पूंजी १४ करोड़ रुपया है। कुल लागत पूंजी में उनका रुपया केवल ५८ प्रतिशत है। यह रकम अब धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है।

कृषि-कार्य के लिए देहात में रुपया उधार देनेवाली समितियों की अपनी पूंजी बहुत सीमित होती है। अतः उनके लिए रुपये की व्यवस्था करने के उद्देश्य से केन्द्रीय बैंकों की स्थापना की गई। १६४५-४६ में ऐसे बैंकों की संख्या ६०१ थी और इनमें उस समय ४५ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी।

प्रान्तीय सहकारिता बैंक

केन्द्रीय बैंकों के एकीकरण के लिए प्रान्तीय सहकारिता बैंक स्थापित किये गए। १६४५-४६ में इनकी संख्या १२ थी और इनके कारोबार का विवरण इस प्रकार था—

	हजार रुपयों में
कुल पूंजी—	
शेयरों की पूंजी	१,००,६४
सुरक्षित तथा अन्य कोष	२,०१,७४
जमा और ऋण—	
जनता से	१०,६०,७५
प्रान्तीय और केन्द्रीय बैंकों से	६,६६,७०
सहकारिता समितियों से	४,०२,३४
सरकार से	२४,५०
जोड़	२४,८६,६७

अनुभव से ज्ञात हुआ है कि कृषि सहकारिता समितियों से किसान जो ऋण प्राप्त करते हैं उसे वे किसी दीर्घ-कालीन योजना में नहीं लगा सकते हैं और न उससे पुराने ऋण से मुक्त होने में सहायता ही

भूमि पर उधार रुपया

मिलती है। अतः यह सोचा गया कि दीर्घकालीन उत्पादन-योजनाओं के लिए सहकारिता के आधार पर ऐसे बैंक स्थापित किये जायँ जो जमीन को गिरवी रखकर लम्बी अवधि के लिए किसानों को ऋण दें। फलतः लैंड मार्टगेज बैंक स्थापित किये गए। १९४४-४५ में इन बैंकों के आंकड़े इस प्रकार थे—

बैंकों की संख्या	२८६	
सदस्यों की संख्या	१,४१,६०६	
शेयरों की पूंजी	५४,०४,००४	रु०
लोगों से ऋण	३,६८,१५,०४३	,,
सरकार से ऋण	६,६७,०००	,,
जमा	२५,४८,५७०	,,
सुरक्षित तथा अन्य कोष	३३,२२,१६७	,,
ऋण	३,१६,४५,५५५	,,

ऋण न देनेवाली समितियां

देहाती लोगों के कल्याण की दृष्टि से गत कुछ वर्षों से सहकारिता आन्दोलन के कार्य ने अन्य दिशाओं में भी प्रगति दिखाई है। सिंचाई, छोटे-छोटे खेतों का समूहीकरण, गाँवों में सफाई, पशुओं का बीमा, कृषि-साधनों की उपलब्धि, कृषि-पदार्थों की हाट-व्यवस्था आदि समस्याओं को हल करने के लिए सहकारिता समितियां स्थापित हुई हैं। ३० जून १९४६ को ऐसी समितियों की कुल संख्या २२,७८८, इस प्रकार थी—

क्रय और विक्रय	उत्पादन	उत्पादन और बिक्री	अन्य कार्य	जोड़
११८८	२४६२	६६३४	६२०४	२२,७८८

शहरी समितियां

यद्यपि आरम्भ से ही सहकारिता आन्दोलन का उद्देश्य देहात की सेवा करना था, फिर भी १९०४ के कानून में, देहाती और शहरी, दोनों प्रकार की सहकारिता की व्यवस्था की गई थी। इस समय शहरी

सहकारिता समितियों की संख्या २३,८३८ है और उनके २४,२९,४९२ सदस्य हैं। इनमें से ७,९९४ समितियां अपने सदस्यों को उधार रुपया देने का कार्य करती हैं।

बहुत-सी समितियां सदस्यों को रुपया बचाने की आदत सिखाती हैं। ये समितियां प्रतिमास अपने सदस्यों से एक निश्चित संख्या में बचत का रुपया एकत्रित करती हैं और उसे बिना जोखम के व्यापार में लगाती हैं। जो लाभ होता है वह सदस्यों में बांट दिया जाता है। युद्ध-काल में उपभोक्ताओं की समितियां भी कितनी ही संख्या में स्थापित हुई हैं। बहुत-सी समितियां अपने सदस्यों को सस्ते मूल्य पर मकान बनाकर देती हैं, उनका बीमा और उनकी मोटरों का बीमा करती हैं।

सहकारिता आन्दोलन के इतिहास में सहकारिता योजना समिति की रिपोर्ट उल्लेखनीय है। यह रिपोर्ट १९४६ के अन्त में प्रकाशित की गई थी। इसमें बताया गया है कि आगामी ५०-६० वर्षों में सहकारिता आन्दोलन को किन दिशाओं में विशिष्ट ध्यान देना चाहिए।

रहन-सहन का अच्छा ढंग सिखानेवाली सहकारिता समितियों ने गाँवों में टूटे-फूटे मकानों की मरम्मत की है,

सहकारिता का कार्य

सड़कों और गलियों को साफ रखा है, पानी पीने के कुँओं की मरम्मत की है और खाद तैयार करने के ढंग सिखाये हैं। बंगाल में मलेरिया-निवारक १००० समितियों ने मच्छर पैदा करनेवाले स्थानों को साफ किया है और गाँवों में कुनीन वितरित की है। पंजाब में लगभग १००० स्वास्थ्य-समितियों ने देहात-क्षेत्रों में चिकित्सालय स्थापित किये हैं। लगभग २ हजार समितियां पंजाब में समाज-विरोधी कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने का कार्य कर रही हैं। मद्रास राज्य में १९४९ में ९४० ग्राम-समितियां शराबबंदी आन्दोलन में, ३९१ समितियां स्वास्थ्य-सुधार कार्य में, ४१२ समितियां सफाई के काम में, ५७१ समितियां शिक्षा-कार्य में और २०५ समितियां कृषि-सुधार कार्य में संलग्न थीं।

इस समय देश में कृषि के सम्बन्ध में जो समितियां कार्य कर रही हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है—

कृषि-उत्पादन	उत्पादन-वृद्धि	अन्य कृषिकार्य
२३३५	६५०६	७६६०

देहात क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण कार्य छोटे-छोटे खेतों का समूहीकरण है। अकेले पंजाब में इस कार्य में सहायता करनेवाली समितियों की संख्या लगभग २००० है। इन्होंने १५००००० एकड़ भूमि की चकबन्दी की है, ११५१ नए कुंए बनवाये हैं और ५१२ पुराने कुंओं की मरम्मत की है। मध्य प्रदेश में११,२३,००० एकड़ क्षेत्र-फल के २४,३३,००० छोटे-छोटे खेतों को, (जिनके लगभग १ लाख किसान स्वामी थे) ३,६१,००० खेतों में विभाजित किया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में ७५,०५८ छोटे-छोटे खेतों को १७,६४८ बड़े खेतों का रूप दे दिया गया है।

मद्रास राज्य में ५ करोड़ २५ लाख रुपये का अनाज सहकारिता समितियों द्वारा बेचा जाता है। बम्बई राज्य में अनाज के २६०० लाख रुपये के व्यापार में से सहकारिता समितियों ने १२३४ लाख रुपये का व्यापार किया। पूर्वी पंजाब में अनाज तथा आवश्यक वस्तुएं वितरित करनेवाली १६१४ समितियां हैं। मध्यप्रदेश में ऐसी समितियों की संख्या ७६० है।

दूध के वितरण में भी सहकारिता समितियों ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इस समय देश में ५६७ समितियां अपने ३६,८७१ सदस्यों को १३५ लाख रु० के मूल्य का दूध वितरित करती हैं। घी वितरित करनेवाली ८७० समितियों ने १६४६ में ४ लाख रु० का कारोबार किया। बम्बई में बीज वितरित करनेवाली समितियों को अच्छी सफलता मिली है।

१६४७-४८ से भारत में सहकारिता आन्दोलन में उत्साहजनक प्रगति हुई है। सहकारी समितियों में कृषि सम्बन्धी समितियों की

संख्या अब भी सबसे अधिक है और ऐसी संस्थाओं में ऋण देनेवाली संस्थाओं के अलावा दूसरी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

अस्थायी आधार पर संग्रहीत आंकड़ों के आधार पर पता चला है कि १९४६-४७ की अपेक्षा १९४७-४८ में सहकारी समितियों की संख्या, उनके सदस्यों की संख्या और लगी हुई पूंजी में क्रमशः ३.९, १९.६ और ७.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस समय जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनमें लगभग ७४ प्रतिशत ऋण देनेवाली संस्थाएं हैं। इनमें ६० करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई है। अधिकांश राज्यों में सहकारी वित्त का संगठन किया गया है। १९४७-४८ में १४ प्रान्तीय सहकारी बैंक कार्य कर रहे थे।

हाट-व्यवस्था और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ताओं की सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में भी प्रगति हुई है। बहु-उद्देशीय समितियां भी स्थापित की गई हैं। उत्तरप्रदेश और बम्बई में हाट-व्यवस्था सम्बन्धी सहकारी समितियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार चकबन्दी, सिंचाई, भूमि-सुधार और उत्तम कृषि आदि के लिए बनाई गई कृषि-सम्बन्धी सहकारी समितियों ने भी प्रगति की है।

सहकारी प्रयत्न के लिए बनाई गई समितियों में से सहकारी कृषि-सम्बन्धी समितियां सबसे नई हैं। १९४७-४८ के अन्त में भारत के विभिन्न भागों में २०० से अधिक ऐसी समितियां थीं। इन समितियों को आर्थिक सहायता, अनुदान, शैल्पिक कर्मचारी और कृषि-सम्बन्धी आवश्यक सामान देने की व्यवस्था के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। १९४८-४९ में भारत में कुल ४०,००० एकड़ भूमि में सहकारी खेती की जा रही थी।

राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त होने पर भारत के सहकारिता आन्दोलन ने विकास की एक नई दिशा ग्रहण की है और सरकार ने सहकारी

समितियों को देश के आर्थिक विकास के कार्य के साथ अधिकाधिक रूप में सम्बद्ध करना प्रारम्भ कर दिया है।

हमारी खाद्य और उत्पादन-समस्या

सरकार की खाद्य-नीति

यद्यपि प्रशासन सम्बन्धी सुविधा के लिए भारत सरकार के खाद्य और कृषि मन्त्रालय अलग-अलग हैं, देश को खिलाने की समस्या वास्तव में एक है, और उसको एक दूसरे से असम्बद्ध पृथक्-पृथक् विभागों में नहीं बांटा जा सकता। खेत में फसल के बोने से लेकर जनता द्वारा अन्न के अंतिम उपयोग तक एक ही क्रम चलता है। भारत की खाद्य-समस्या को भली-भांति समझने के लिए इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

युद्ध से पहले भारत १५ लाख टन से २० लाख टन तक खाद्यान्न का आयात करता था, जिसमें अधिकतर बर्मा का चावल होता था। उस क्षेत्र से, जो आजकल पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता है, लगभग ७ लाख ५० हजार टन खाद्यान्न मिलता था, जिसमें अधिकतर गेहूँ होता था। इसमें उस बर्मी चावल के लिए गुंजाइश रखी गई है, जो वर्तमान पूर्वी बंगाल को जाता था, क्योंकि लगभग इतना ही चावल वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान से भी प्राप्त होता था। अतः यह आसानी से कहा जा सकता है कि विभाजन के फलस्वरूप, युद्ध से पूर्ववर्ती औसत उत्पादन और जनसंख्या के आधार पर, लगभग २२ लाख ५० हजार टन अन्न की कमी हुई है। परन्तु युद्ध के बाद जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है और इस समय जनसंख्या अनुमानतः ३२ करोड़ ७० लाख है।

इसीलिए सरकार को १९४३ से कड़े नियंत्रण लगाने पड़े हैं। केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्नों की सप्लाई, वितरण और व्यापार एवं वाणिज्य के नियंत्रण के लिए पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। नियंत्रण-प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(१) विदेशों से आयात (२) केवल सरकारी खाद्यान्न का स्थानान्तरण (३) समस्त अन्न-व्यापारियों को लाइसेंस देना (४) मूल्य-नियंत्रण (५) सरकार द्वारा किसानों से अन्न की प्राप्ति तथा (६) राशन प्रणाली द्वारा अन्न का समान वितरण।

इस सम्बन्ध में निम्न तालिकाएं विशेष रूप से सहायक होंगी—

आयातित खाद्यान्न की मात्रा और मूल्य

	मात्रा (हजार टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
१९४७	२३३०	९३.७९
१९४८	२८४०	१२९.५९
१९४९	३७०७	१४४.६६

१९५० में लगभग ७० करोड़ मूल्य के लगभग २० लाख टन खाद्यान्न के मंगाये जाने की आशा है।

प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा

(हजार टनों में)

	चावल	गेहूँ	अन्य अन्न	योग
१९४७	३१८२	४५१	५०२	४१३५
१९४८*	२३५१	५८	१६६	२५७५
१९४९	२९३९	५०५	७४०	४१८४
१९५० (१ जून तक)	—	—	—	३२१४

* अनियन्त्रण का वर्ष

भारत दरिद्र किसानों और अनुत्पादकों का देश है और राशन-

अन्न-प्राप्ति

क्षेत्रों की जनता को लाखों किसानों से थोड़ा-थोड़ा बचत का अन्न प्राप्त करके खिलाना पड़ता है। जो अन्न प्राप्त किया जाता है वह कुल उत्पादन का अति सूक्ष्म अंश होता है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार अन्न-प्राप्ति का कार्य करती है। कमीवाले राज्यों की प्रशासन और अर्थ-व्यवस्था भिन्न-भिन्न है। कुछ क्षेत्रों में खपत से अधिक अन्न पैदा होता है, कुछ क्षेत्र आत्म-निर्भर हैं और कुछ में अन्न की कमी रहती है। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। यद्यपि प्रत्येक राज्य को अपने यहां विशेष स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल अन्न-प्राप्ति का रूप और मात्रा निर्धारित करने में पर्याप्त स्वतन्त्रता है, केन्द्रीय सरकार प्रत्येक राज्य से स्वीकृत मानदण्ड का पालन करने के लिए निर्देशन, एकीकरण और निरीक्षण अधिकारों का प्रयोग करती है।

केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस बात की देख-भाल रखे कि प्रत्येक इकाई के अन्तर्देशीय साधनों का अधिक-से-अधिक सदुपयोग हो, जिससे उसकी माँग कम-से-कम रहे। देश के भीतर अन्न का उत्पादन और प्राप्ति तथा बचतवाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को अन्न की अधिक-से-अधिक सहायता देने के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यीय सरकारों को प्राप्त अन्न पर आठ आना प्रति मन और निर्यातित अन्न पर भी आठ आना प्रति मन बोनस दिया जाता है।

राज्यीय सरकारों को १९४८–४९ में ४ करोड़ ७० लाख रुपया और १९४९–५० में ५ करोड़ ६० लाख रुपया बोनस के रूप में दिया गया। १९५०–५१ में अधिक प्राप्ति के कारण लगभग ८ करोड़ रुपया बोनस के रूप में दिये जाने का अनुमान है।

विभिन्न राज्यों में प्राप्ति और वितरण की प्रणालियों की जाँच-पड़ताल करने के लिए और कमीवाले क्षेत्रों में आयात में कमी तथा बचतवाले क्षेत्रों में बचत में वृद्धि करने के उपाय सुझाने के लिए, सरकार ने एक

विशेषज्ञ-समिति बनाई थी। इस समिति की सिफारिशें, जो हाल ही में प्रकाशित हुई हैं, इस प्रकार हैं—

(१) जब तक सुदृढ़ और समुचित मूल्य-स्तर स्थापित न हो जाय, तब तक खाद्यानों पर से नियन्त्रण न हटाने चाहिएँ।

(२) अन्न-प्राप्ति की एकाधिकार-प्रणाली सर्वत्र समान होनी चाहिए।

(३) ५०,००० या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में राशन-व्यवस्था होनी चाहिए।

(४) केन्द्र में और राज्यों में एक सुदृढ़ खाद्य-नीति की घोषणा होनी चाहिए और उसे दृढ़ता से पालन करना चाहिए।

आयात

विदेशों से जो अन्न अधिक परिमाण में मंगाया जाता है, उसका अधिकांश सरकारी स्तर पर प्रायः नकद दाम दे कर खरीदा जाता है। उन समस्त बड़े-बड़े देशों में, जो अधिक परिमाण में अन्न का निर्यात करते हैं, सरकारी निर्यात-एकाधिकार व्यवस्था हो गई है, और भारत सरकार खरीदे जानेवाले अन्न के मूल्य और मात्रा के सम्बन्ध में करार या सौदा कर लेती है। कुछ अन्न वस्तु-विनिमय के आधार पर भी खरीदा जाता है। खाद्यान्नों में निजी व्यापार का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि उनके निर्यात पर निर्यात करनेवाले देशों की सरकारों का नियन्त्रण रहता है।

भारत की खाद्य-समस्या मुख्यतः उसकी चावल की कमी को पूरा करने की समस्या है। परन्तु इस समय संसार में जो चावल उपलब्ध है, वह युद्ध से पहले की उपलब्धि का केवल ५० प्रतिशत ही है। मूल्य अब भी बहुत चढ़े हुए हैं। बर्मा या स्याम से जो चावल आता है, वह भारत में आकर लगभग २२ रुपये मन पड़ता है। इसलिए भारत अपने चावल के आयात में धीरे-धीरे कमी कर रहा है। १९५० में २ लाख टन से अधिक चावल आयात होने की आशा नहीं है। १९४८ में ८ लाख टन और १९४९ में ८ लाख ६० हजार टन चावल आयात हुआ था। चावल की कमी अन्य अन्नों के आयात द्वारा पूरी की जा रही है। इन

अन्नों की अब कमी नहीं है। केवल विदेशी मुद्रा की कमी है।

राशन-व्यवस्था

सब प्रकार की राशन-व्यवस्था के अन्तर्गत कुल लगभग ११ करोड़ ३० लाख व्यक्ति या जनसंख्या का लगभग एक-तिहाई भाग है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि ये सब ११ करोड़ ३० लाख व्यक्ति अपने भोजन के सम्बन्ध में साल-भर तक सरकार पर निर्भर रहते हैं। इसमें अधिक संख्या उन व्यक्तियों की है, जो वर्ष के केवल थोड़े-से भाग में राशन लेते हैं, और शेष भाग में अपने उत्पादन पर निर्भर रहते हैं। सरसरी तौर पर यह कहा जा सकता है कि लगभग ४ करोड़ ५० लाख व्यक्तियों को राशन-प्रणाली के और ६ करोड़ ८० लाख व्यक्तियों को किसी-न-किसी प्रकार की नियन्त्रित वितरण प्रणाली के अधीन रहना पड़ता है।

नागरिक जनसमुदाय के अतिरिक्त, जो अन्न का उत्पादन बिलकुल नहीं करता, कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं, जो व्यापारिक फसलें पैदा करते हैं। इनको देश के अन्य भागों से अथवा विदेशों से अन्न मंगाकर खिलाना पड़ता है। भूमिहीन मजदूरों और उन लोगों के भोजन की व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ती है, जो साल-भर में अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त अन्न पैदा नहीं कर पाते।

१९४५ के अन्त तक राशन में १६ औंस अन्न दिया जाता रहा। अन्न की कमी हो जाने से १९४६ से राशन में केवल १२ औंस अन्न दिया जाने लगा। केवल सख्त शारीरिक परिश्रम करने वालों को ४ औंस अतिरिक्त दिया जाता है।

मूल्य

सरकार की खाद्य-मूल्य-नीति का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऐसे मूल्य पर अन्न देना है, जिससे रहन-सहन का व्यय अधिक न बढ़े तथा किसानों से ऐसे मूल्य पर अन्न प्राप्त करना है, जिससे उनको भी लाभ रहे। इसलिए केन्द्रीय सरकार वह दरें निर्धारित कर देती है,

जिन पर राशनकार्ड वालों को राशन का अन्न दिया जाता है और वह मूल्य भी निश्चित कर देती है, जिस पर किसानों से बचा हुआ अन्न खरीदा जाता है।

'अधिक अन्न उपजाओ'

खाद्य-नियन्त्रण 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन का ही एक अंग है। उत्पादन-वृद्धि के बिना १९५१ के अन्त तक देश को आत्मनिर्भर बनाने का सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए सरकार के इस प्रयत्न की परीक्षा आवश्यक है। वस्तुतः कृषि एक दीर्घकालीन साध्य है, परन्तु देश के सामने जो गंभीर परिस्थितियाँ हैं, उन्होंने ऐसे अल्पकालीन उपायों का किया जाना अनिवार्य बना दिया है, जो वर्तमान पोषण के मानदण्डों की रक्षा करते हुए आवश्यकता और पूर्ति के बीच की खाई को पाटने में समर्थ हो सकें।

गत महायुद्ध में, जब बर्मा-पतन के फलस्वरूप चावल आना बन्द हो गया, तो शीघ्र उत्पादन बढ़ाने के लिए, संकटकालीन उपायों के रूप में सुलभ साधनों से कुछ योजनाएँ तैयार की गईं जिनमें निम्नलिखित मुख्य थीं—(१) सिंचाई के लिए शीतल और नलदार कुँए बनाना (२) पम्प लगाना (३) तालाबों और नालियों को सुधारना (४) नालों, बाँधों और सुधारों द्वारा भूमि की उन्नति (५) खाद का अधिक उपयोग और (६) अच्छे बीजों एवं यन्त्रों का उपयोग। ये उपाय युद्धकाल में आरम्भ किये गए। उस समय प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव था। लोहा, इस्पात, कृषियन्त्र और उर्वरक कठिनाई से मिलते थे। परिवहन की भी कठिनाइयाँ थीं। इसलिए परिणाम सन्तोषजनक न रहा।

नीचे की तालिका में खाद्यान्न और तेलहन की फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के आँकड़े दिये गए हैं—

खाद्यान्न

	क्षेत्रफल (हज़ार एकड़ों में)	उत्पादन (हज़ार टनों में)
१९४६-४७	१, ६५, ८२९	४६, १४३

१९४७-४८	१, ६१, ५३८	४८, २४४
१९४८-४९	१, ६०, २०७	४५, ११०

तेलहन

	क्षेत्रफल (हजार एकड़ों में)	उत्पादन (हजार टनों में)
१९४६-४७	२२, ९१९	५, १४८
१९४७-४८	२४, ०६५	५, ११७
१९४८-४९	२२, ३८१	४, ६४२

विभाजन से भारतीय कृषि की कठिनाइयाँ बढ़ गईं। अनुमान लगाया गया है कि भारत के हिस्से में ७० प्रतिशत चावल का क्षेत्र और ६० प्रतिशत गेहूँ का क्षेत्र आया, जिस पर ७८ प्रतिशत जनसंख्या को जीवन निर्वाह करना पड़ता है।

इसलिए १९४७ में खाद्य-उत्पादन बढ़ाने के आन्दोलन की दिशा बदल दी गई। गत वर्ष सरकार के १९५१ के अन्त तक आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के निश्चय को पूरा करने के लिए, एक खाद्य-उत्पादन आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई। परिणाम संक्षेप में इस प्रकार है—

	लक्ष्य (लाख टनों में)	प्राप्ति (लाख टनों में)
१९४७-४८	९·०९	६·८६
१९४८-४९	८·८६	७·७१
१९४९-५०	९·८५	९·६२

खाद्य-उत्पादन-वृद्धि में सब प्रकार से सुधार हुआ है। वर्तमान वर्ष में निम्न योजनाओं से अच्छे परिणाम निकले हैं—(१) सिंचाई की छोटी योजनाएँ (२) कुँओं की योजनाएँ (३) पम्प योजनाएँ (४) भूमि-सुधार और मशीनी खेती की योजनाएँ (५) भूमि-सुधार की अन्य योजनाएँ और (६) उर्वरक,खाद तथा कूड़ा-करकट-खाद का वितरण।

१९५१ के पश्चात् खाद्य-आयात बन्द करने का निश्चय पक्का है। साथ ही भारतीय मिलों की माँग पूरी करने के लिए सरकार कपास और

जूट का उत्पादन भी अधिक-से-अधिक बढ़ाना चाहती है। इसको ध्यान में रखते हुए १९५०–५१ में कपास का उत्पादन ८ लाख गांठें और जूट का १२ लाख गांठें अधिक बढ़ाने के लिए उपाय किये जा चुके हैं। इसलिए नई कृषि-योजना का उद्देश्य खाद्य, कपास और जूट के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है; परन्तु कपास और जूट के लिए अभी कोई लक्ष्य-तिथि निश्चित नहीं की गई।

गत वर्ष के आंकड़े

१९४९-५० में ९ लाख ३५ हजार टन अतिरिक्त अन्न पैदा हुआ, जो निर्धारित लक्ष्य का ९५ प्रतिशत है। इस वृद्धि के मुख्य कारण भरपूर खेती, सिंचन-सुविधा, और भूमि-सुधार आदि हैं। १९४९-५० में किये गए कार्यों के कुछ आंकड़े नीचे दिये जाते हैं—

कार्य	आंकड़े	
कुंए, जो बनाये गए अथवा सुधारे गए—	९७,१२४	
छोटी सिंचन-योजनाएं—बांध, नालियां, नलदार कुंए आदि, जो पूरी की गईं	१३,५८१	
पानी को ऊपर उठाने वाले यंत्र—रहट, पम्प आदि, जो लगाये गए	१७,३८०	
तालाब, जो बनाये गए अथवा सुधारे गए	३,८६२	
बंजर भूमि, जो राज्यों द्वारा सुधारी गईं	५,७४,०१९	एकड़
बंजर भूमि, जो केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा सुधारी गई	७१,७७१	एकड़
भूमि, जिनमें राज्यों ने मशीनों से खेती की	३,४४,८३०	एकड़
रासायनिक उर्वरक, खली, हरी खाद आदि, जो किसानों को दी गई	३,०६,१०३	टन
शहरी कूड़ा-करकट से बनी खाद, जो किसानों में बांटी गई	८,७६,०००	टन
सुथरे बीज, जो किसानों में बांटे गए	५४,४४६	टन

१९४९–५० में सिंचन-योजनाओं से उत्पादन में ४,३१,७९६ टन की वृद्धि होने का अनुमान है, जो १९४८–४९ के अतिरिक्त उत्पादन से १३२ प्रतिशत अधिक है। आंकड़े इस प्रकार हैं—

१९४७-४८	९४,१८५	टन
१९४८-४९	१,६४,४५१	टन
१९४९-५०	४,३१,७९६	टन

बंजर भूमि में कृषि करने पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। १९-४९-५० में ५,७४,०१९ एकड़ बंजर भूमि राज्यों द्वारा और ७१,७७१ एकड़ केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा सुधारी गई।

भूमि को फिर उपजाऊ बनाने का काम

भारत में खेती की जाने वाली कुल जमीन	२४,३०,००,०००	एकड़
सन् १९४७-४८ में कुल उत्पादन	४,२६,६३,०००	टन
सन् १९४९ में बाहर से मंगाया गया अन्न	३७,०७,०००	टन
इस आयातित अन्न की कीमत	१,४४,६६,००,०००	रु०
खेती के योग्य व्यर्थ पड़ी हुई कुल जमीन	८,७०,००,०००	एकड़
पुनः उर्वरा बनाने का लक्ष्य	६२,००,०००	एकड़
योजना-पूर्ति की अवधि	७	वर्ष
इस पुनः उर्वराकृत भूमि से उत्पादन में वृद्धि	२०,००,०००	टन
भूमि को पुनः उर्वरा बनाने की योजना पर कुल व्यय	१,२१,३६,००,०००	रुपये
सरकार द्वारा उर्वराकृत भूमि		
१९४७-४८ में	३२,५३१	एकड़
१९४८-४९ में	७१,४६७	,,
१९४९-५० में	१,००,०००	,,

मार्च १९५२ तक का लक्ष्य	८,००,००० एकड़
उर्वरा बनाने के काम में लगे हुए सरकारी ट्रैक्टर	१८०

इनके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने १,००,००,००० डालर प्रदान किए हैं, जिनसे ३७५ ट्रैक्टर आयंगे। इनमें से कुछ ट्रैक्टर भारत आ चुके हैं और उनसे भूमि को उर्वरा बनाने का काम शुरू हो गया है।

सन् १९४९ में १,३५,६३५ टन रासायनिक खाद (अमोनियम-सल्फेट) विदेशों से मंगाई गई और ६४,००० टन भारत में बनाई गई।

विभिन्न राज्यों में पुनः उपजाऊ बनाई गई जमीन

राज्य	नई भूमि, जो कृषि-योग्य बनाई जायगी	खराब हुई जमीन, जो उपजाऊ बनाई जायगी
पूर्वी पञ्जाब	५००,००० एकड़	×
पूर्वी पञ्जाब की रियासतें	२,००,००० ,,	×
उड़ीसा	५,००,००० ,,	×
मध्य प्रदेश	×	६,००,००० एकड़
उत्तर प्रदेश	५,००,००० एकड़	३,००,००० ,,
बिहार	२,००,००० ,,	१,५०,००० ,,
मध्य भारत	×	१४,००,००० ,,
बम्बई	३,००,००० एकड़	८,००,००० ,,
भोपाल	×	४,००,००० ,,
जयपुर और विन्ध्यप्रदेश	×	१,१०,००० ,,
कुल	२२,००,००० एकड़	३७,६०,००० एकड़

पटसन व रुई के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता

पटसन का उत्पादन बढ़ाने की तीन-वर्षीय योजना को बड़े उत्साह

से कार्यान्वित किया गया है। सन् १९४९–५० में पटसन का उत्पादन २६,००,००० गाँठ हुआ है, जबकि सन् १९४८–४९ में २०,३०,००० गाँठ पटसन पैदा हुआ था। पटसन बोए जानेवाली कुछ जमीन पर दुहरी फसल करके तथा उसकी खेती के योग्य नई जमीन ढूँढकर पटसन की खेती का क्षेत्र ३,२०,००० एकड़ अधिक बढ़ाने की आशा की जा रही है। मार्च सन् १९५२ तक भारत पटसन की ६१ प्रतिशत आवश्यकताएँ पूरी कर लेगा।

पटसन

सन् १९४९–५० में भारत ने २१,५२,००० गाँठ रुई पैदा की, जबकि सन् १९४८–४९ में उसकी पैदावार १६,९७,००० गाँठ थी। आशा है कि मार्च १९५२ तक भारत अपनी ४०,०००,०० गाँठों की रुई की अपनी कुल आवश्यकता पूरी कर लेगा।

रुई

उत्पादन के स्तर में कमी और उसके उपाय

यद्यपि भारत में खेती से तरह-तरह की चीजें पैदा की जाती हैं तथापि उनकी औसत पैदावार की मात्रा बहुत कम है। भारत में एक एकड़ जमीन में ६६० पौण्ड गेहूँ पैदा होता है जबकि मिश्र में १९१८ पौंड, जापान में १७१३ पौंड और चीन में ८९८ पौंड होता है। इटली में भारत की अपेक्षा चावल की प्रति एकड़ पैदावार ४ गुना और जापान में तीन गुना होती है। भारत में जावा की बनिस्बत उतनी ही जमीन में एक-चौथाई अन्न पैदा होता है।

एकड़ प्रति पौण्ड

	गेहूँ	चावल	मक्का	गन्ना	कपास	तम्बाकू
मिश्र	१९१८	२९९८	१८९१	७०३०२	५३५	...
जापान	१७१३	३४४४	१३५२	४७५३४	१९६	१६६५
चीन	८८९	२४३३	१२८४	....	२०४	१२८८
जावा	....	...	....	१,१३,५७०	...	....

अमरीका	८१२	२१८९	१९७१	४३,२७०	२६८	८८२
भारत	६६०	१२४०	८०३	३४६४४	८६	६८७

उत्पादन की कमी होने से ही हिन्दुस्तान को भारी क्षति उठानी पड़ रही है। अगर भारत में गेहूँ की पैदावार की मात्रा मिश्र जितनी हो जाय तो उससे न केवल खाद्य-पदार्थों की सब कमी दूर हो जायगी, अपितु प्रतिवर्ष ४० लाख की आबादी बढ़ते रहने पर भी वह आगामी कई वर्षों तक आत्मनिर्भर हो जायगा।

कम उत्पादन के कारण और उनको दूर करने के प्रयत्न

भारत में अनाज कम पैदा होने के अनेक कारण हैं—गरीबी, निम्न कोटि के बीज, भूमि की उर्वरा-शक्ति में कमी, बाढ़ों से उपजाऊ मिट्टी का बह जाना, सिंचाई के साधनों की कमी तथा चूहों और जानवरों द्वारा फसलों का विनाश।

भारत का किसान बहुत गरीब है, इसलिए वह खेती में आधुनिक-तम कृषि-यन्त्रों और वैज्ञानिक गवेषणाओं का प्रयोग नहीं कर सकता। बीजों की किस्म को उन्नत करने के लिए भारत में अनेक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

किसानों में गोबर को न जलाने का प्रचार करके शहरों की गन्दगी का खाद बनाकर, फसलों की अदल-बदल से तथा रासायनिक खाद अधिक पैदा करके भूमि की उर्वरा-शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

कृत्रिम सिंचाई के क्षेत्र में यद्यपि भारत ने बड़ी प्रगति की है किन्तु अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। इसके लिए नदियों पर अनेक बहुदेशीय योजनाएँ बनाई गई हैं, किन्तु उनके पूरा होने में समय लगेगा।

बाढ़ों से जमीन की उपजाऊ मिट्टी न बह जाय और नियमित समय पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो, इसके लिए जंगल सुरक्षित रखे जा रहे हैं और वृक्षों की तादाद बढ़ाई जा रही है। इसी उद्देश्य से १९५० के जुलाई मास में वन-महोत्सव मनाया गया।

खेत में फसलों को जो कीड़े लग जाते हैं उनको नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रतिवर्ष १० लाख टन अनाज चूहे खा जाते हैं। बन्दर तथा अन्य जानवर भी प्रतिवर्ष बहुत-सा अनाज खा जाते हैं। इनके उन्मूलन के आन्दोलन चालू हैं, किन्तु इस आन्दोलन में जनता की धार्मिक और कोमल भावनाएँ बड़ा व्याघात पहुँचा रही हैं।

अनाज जिन गोदामों में जमा किया जाता है, उनकी खराबी से अथवा गोदामों की कमी से बहुत-सा अनाज मनुष्य के खाने लायक नहीं रहता। इस दोष को दूर करने के लिए अन्न-संग्रह की वैज्ञानिक विधियां काम में लाई जा रही हैं।

राज्यों की प्रगति

आसाम

आसाम की सरकार ने खाद्य-उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। आसाम में आवश्यकता से फालतू अनाज होता है। प्रतिवर्ष वह लगभग १ लाख टन चावल कमीवाले प्रदेशों को देता था, किन्तु इस वर्ष स्वाधीनता दिवस के दिन वहां ऐसा भूचाल आया कि उसका नक्शा ही बदल गया और उसे देने-के-लेने पड़ गए। अब आसाम के लिए ही बाहर से अन्न मँगाना पड़ रहा है।

भोपाल

सरकार आगामी ५-६ वर्षों में ६,००,००० एकड़ अतिरिक्त जमीन को खेती लायक बनाने का इरादा रखती है। १९४९-५० में एक खाद-उन्नति योजना की मंजूरी दी गई। गांवों में आजकल ६,००,००० टन खाद पैदा होती है। इसके ५० प्रतिशत बढ़ जाने की आशा है।

बिहार

सिंचाई की योजनाओं से भूमि को उर्वरा बनाने और खाद का प्रयोग करने से बिहार में ९५००० टन अन्न का उत्पादन बढ़ गया। सन् १९४९-५० में बिहार में २८,७०२·४३ एकड़ जमीन को फिर उपजाऊ

बनाया गया। राजस्व विभाग ने ७,७१० छोटे सिंचाई के कामों को पूरा किया।

धान, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, नागली, चना और मकई के १,६६,३१० मन उत्तम बीज ६,७४,६१५ एकड़ में बुवाई के लिए प्रदान किये गए।

बम्बई

१९४९-५० में १८४० बाँध बनाये गए, जो १६,२६२ एकड़ जमीन को सींचते हैं। ११,१३१ एकड़ अधिक जमीन पर शकरकन्दी और ६६३१ एकड़ अधिक जमीन पर सब्जियां बोई गईं।

सरकार ने १४ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की मंजूरी दी, जिनसे २१३३२ एकड़ की सिंचाई होने की आशा है। पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत ११,००० कुंए बनवाये गए तथा ५००० पुराने कुंओं की मरम्मत कराई गई।

कुर्ग

अगस्त, १९४९ के वृक्षारोपण सप्ताह में १०,००० फल, इमारती लकड़ी और ईंधन के पेड़ बोये गए। १३७५ एकड़ जमीन को फिर उपजाऊ बनाया गया। ४० तालाब या १६ बांध बनाये गए या उनकी मरम्मत की गई। १०२००० टन खाद बनाई गई।

हिमाचल प्रदेश

राज्य के बगीचों को सुधारा गया तथा २००० से अधिक पौध वितरित किये गए। आलू की खेती को उन्नत करने के लिए १ टन ८० पौण्ड उत्तम आलू स्काटलैण्ड से मंगाये गए।

हैदराबाद

सरकार ने ३०३२८८ एकड़ में बुवाई के लिए २९१६ टन उत्तम प्रकार के बीज तथा १२००९५ एकड़ जमीन के लिए ३४७६५ टन खाद वितरित की। इससे अनाज की पैदावार १९७२२ टन बढ़ जाने की आशा है, जो ११८३३२ व्यक्तियों के लिए एक वर्ष के लिए काफी है। १८६८ एकड़ खराब जमीन जोती गई। तीन कृषि अनुसन्धानशालाओं

में किसान लड़कों को खेती की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया है।

काश्मीर

वर्षा ऋतु से पहले तक काश्मीर की खाद्य-स्थिति में सन्तोषजनक प्रगति थी, किन्तु काश्मीर घाटी में बाढ़ आ जाने से उसको बहुत धक्का पहुँचा है। सन् १९४९-५० में ६१९३ एकड़ बेकार पड़ी हुई सरकारी जमीन किसानों को खेती के लिए दी गई, जिसमें १७८७ टन अनाज पैदा होने की आशा है। कई सिंचाई योजनाओं पर काम प्रारम्भ किया गया है, जिनमें प्रमुख सिन्ध घाटी जल-विद्युत्-सिंचाई योजना है, जिससे १२००० किलोवाट बिजली पैदा होने और १५०० एकड़ जमीन की सिंचाई होने की आशा है।

मध्यभारत

लगभग १,२५,००० एकड़ नई जमीन जोती गई है। किसानों को बैलों, पम्पों, कुंओं, बीज और खाद के लिए ३० लाख रुपया दिया गया। सिंचाई के कामों और मछली के उत्पादन में सरकार ने १०,८३,००० रु० खर्च किये। अनुमान किया जाता है कि अब ९,५०,००० एकड़ सींची जाती हुई जमीन पर खेती की जायगी। पिछले साल ५००० एकड़ कांस लगी हुई जमीन को उपजाऊ बनाया गया। इस वर्ष ४०,००० एकड़ जमीन को उपजाऊ बनाया जायगा।

मध्यप्रदेश

घनी पैदावार योजना के अन्तर्गत सन् १९४९ में मध्य प्रदेश में ९२९९० टन अनाज अधिक पैदा हुआ। १९४९-५० में उसके पास २,१६,२८९ टन अन्न फालतू था।

सरकार ने १,११,३९० एकड़ में बुवाई के लिए ४९७६ टन उत्तम बीज तथा ५३५८२ एकड़ जमीन में बुवाई के लिए मूंगफली के २३९२ टन बीज बांटे। सन् १९४९-५० में ७५१ टन तेल की खली बाँटी गई, जिससे ९७३७ टन अधिक अनाज पैदा हुआ। ५३५० टन खाद बाँटी गई।

सन् १९४९–५० में ६००० कुंए बनाये गए, जिनसे २७००० एकड़ की सिंचाई और ५४०० टन अन्न की पैदावार हुई। सन् १९४४ के बाद से ५०२० कुंओं की मरम्मत कराई गई।

मद्रास

मद्रास में सरकार की ओर से तेल-इंजन और विद्युत्-पम्प इकट्ठे किये जाते हैं। इससे १००८५ एकड़ ज़मीन को लाभ पहुँचा है और ५०४२ टन उत्पादन बढ़ा है। ट्रैक्टरों से ४३२५० एकड़ व्यर्थ पड़ी हुई और बंजर जमीन जोती गई, जिससे १०८१३ टन अन्न पैदा होने की आशा है। सन् १९४९–५० में १८,१०,००० एकड़ ज़मीन के लिए ५८८७७ टन खाद बाँटी गई। वर्ष में ३५७२३ टन चावल अधिक पैदा हुआ। ५१,३२२ टन शहरी और ३५४२५ टन ग्रामीण खाद बाँटी गई।

५,४१,१२,७७४ रुपये की लागत से १०७४०१ कुँए खोदे गए। इन कुँओं से १,२८,४१८ एकड़ की सिंचाई होती है और ६४५६० टन अतिरिक्त अनाज पैदा होता है। सरकार ने ५ वर्षों में १० करोड़ रुपये से ३५००० सिंचाई के तालाबों को ठीक करने तथा ५३,७६,००० रुपये ३७ सिंचाई योजनाओं के लिए मंजूर किए हैं।

उड़ीसा

उड़ीसा की सरकार ने बेकार पड़ी हुई जमीन पर खेती करने के लिए किसान को प्रति एकड़ २५ रुपये का बोनस दिया। २६०० एकड़ बेकार जमीन को फिर उपजाऊ बनाया गया। कृषि विभाग ने अधिक उपजवाले चावल का आविष्कार किया। अगले तीन वर्षों में गन्ना ५५०० एकड़ अधिक जमीन पर बोने की योजना है। फलों के विषय में भी उड़ीसा को आत्मनिर्भर करने की योजना बनाई गई है।

पटियाला राज्य-संघ

६००००० एकड़ कृषि योग्य व्यर्थ पड़ी हुई जमीन में से २,००,००० एकड़ जमीन जोती जायगी। प्रतिमास ५०० एकड़ नई जमीन जोती जा रही है। खेती की उन्नति के लिए ५ वर्षों में

१,६०,००,००० रुपया और सिंचाई के कामों पर १,५०,००,००० रुपया खर्च किया जायगा ।

पंजाब

विभिन्न फ़सलों की उत्तम किस्में ईजाद की गई हैं । बीज के खेतों के लिए ५०,००० एकड़ जमीन अलग निश्चित कर दी गई है । ७१४२ टन शुद्ध गेहूँ के बीज तथा शुद्ध ज्वार, मकई, चावल और बाजरे के बीज वितरित किये गए हैं ।

बंटवारे के बाद से १२३५ कुँए बनाये गए हैं तथा ५५७ बनाये जा रहे हैं । इस वर्ष ५० ट्यूबवेल लगाने की भी योजना है । अनाज की पैदावार बढ़ाने में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति एकड़ जमीन में सबसे अधिक फसल पैदा करनेवालों को पुरस्कार के लिए ४ लाख रुपये मंजूर किये गए हैं ।

राजस्थान

किसानों के लिए बीज, खाद, बैलों तथा कुँओं की व्यवस्था की जा रही है । बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में कृषि स्कूल खोले गए हैं । सिंचाई के लिए २० लाख रुपये मंजूर किये गए थे, जिनसे २० हजार टन खाद्य का उत्पादन बढ़ा । अनुमान है कि १९५०–५१ की रबी की फसल में ६०००० एकड़ पर और सिंचाई की जायगी । राज्य में लगभग १७५ सिंचाई योजनाओं पर काम हो रहा है, जिनके पूरा होने पर सन् १९५१–५२ के अन्त तक खाद्य का उत्पादन २५,००० टन और बढ़ जाने की आशा है ।

त्रावंकोर कोचीन

३२८०० एकड़ जमीन और जोती गई । इससे ११,००० टन अनाज और पैदा होने की आशा है । १९५०–५१ में ५१,३०० एकड़ और जमीन जोतने का इरादा है । व्यापक क्षेत्र में फसलों में लगनेवाले कीड़ों को डी० डी० टी० छिड़क कर मारा गया । सरकार रैयत को जो खाद मुहैया कर रही है उससे पैदावार के २०–३० % बढ़ जाने की आशा है ।

सन् १९४९–५० में सिंचाई के ७०० छोटे काम-काज पूरे किये गए। इतने ही १९५०–५१ में पूर्ण किये जाने की आशा है। इस कार्य पर ३,५०,००० रुपया व्यय होगा, किन्तु इससे १,००,००० एकड़ धान की जमीन को पानी मिलेगा, सिंचाई की बड़ी योजनाओं से १,८०,००० एकड़ जमीन के सींचे जाने और ३५,००० टन पैदावार बढ़ने की आशा है।

उत्तर प्रदेश

पिछले वर्ष खेती और उससे सम्बन्धित कामों के लिए १०,५०,००,००० रुपया व्यय किया गया। ४८ लाख रुपये के तकावी ऋण दिये गए और १२ लाख रुपये नई जमीनें जोतने तथा बैलों, औज़ारों व कुंओं के लिए दिये गए। सरकार ने तहसीलों में २२७ बीजों के स्टोर स्थापित किये, जिनसे १७६५७ टन अच्छे बीज इकट्ठे किये गए।

उद्यान विभाग ने २०,००,००० पौध लगाए। ९००० एकड़ नई जमीन में बाग लगाये गए और ८००० एकड़ में लगे हुए बागों को फिर हरा-भरा किया गया।

उत्तर प्रदेश के पास अब ४७१ ट्रैक्टर हैं। सन् १९३६--३७ में केवल २० ट्रैक्टर थे। इनसे गंगा खादर में ११००० एकड़ जमीन तथा तराई में २०,००० एकड़ जमीन फिर से जोती गई है।

विन्ध्यप्रदेश

गन्ने की फसल सन्तोषजनक है। चावल काफी है। १२००० टन फालतू चावल यहां से बम्बई और मद्रास भेजा गया।

पश्चिमी बंगाल

जनवरी से १८ जुलाई १९५० तक कुल ३,७८,४७० टन अनाज एकत्र हुआ। सन् १९४९–५० में ९१,५०० टन अधिक अनाज पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु वस्तुतः १०७,६८५ टन अधिक अन्न पैदा हुआ। २४५ छोटी सिंचन योजनाओं से १,१०,००० एकड़ जमीन को लाभ हुआ, तथा ३४,००० टन अधिक फसल हुई।

४६८ तालाबों की फिर खुदाई करने से ६,७०० टन अधिक अनजा पैदा हुआ। ट्रैक्टरों से ८३२८ एकड़ नई जमीन जोती गई। फसल की रक्षा के विशेष उपाय करने से २५००० मन चांवल के बीज नष्ट होने से बचा लिये गए। ७३० निजी तालाबों को सुधारा गया। मयूराक्षी ताल योजना बंगाल की सबसे बड़ी योजना है जिस पर १५,५०,००,००० रुपये लागत आएगी, ६,००,००० एकड़ जमीन की सिंचाई होगी तथा प्रतिवर्ष ३,५०,००० टन अधिक अन्न पैदा होगा, जिसकी कीमत ४,६०,००,००० रुपये होगी।

छोटी सिंचन योजनाओं में से ३६ पूरी की जा चुकी हैं; इनसे १६,३०० टन अधिक अनाज पैदा होने की आशा है।

भारत में खेतीबारी

भारत में खेती का व्यवसाय सबसे उत्तम समझा जाता है। भारत के ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। उनके लिए खेती न केवल एक आजीविका का साधन है, अपितु एक परिपाटी, रहन-सहन का एक तरीका है।

कृषि राष्ट्रीय सम्पत्ति का प्रधान स्रोत है। सन् १९४८—४९ में भारत ने ३६, ४२, १०, ००, ००० रुपये की सम्पत्ति पैदा की। इसमें खेती से २१, ९३, २०, ००, ००० रुपये, उद्योगों से ६, ८०, ००, ००, ००० रुपये, तथा अन्य स्रोतों से ८, २३, ६०, ००, ००० रुपये की सम्पत्ति पैदा होती है।

भारत के निर्यात कर का अधिकांश भी खेती से ही प्राप्त होता है। रुई, पटसन, लाख, चाय, तम्बाकू तिलहन का निर्यात कर हम विदेशी मुद्रा कमाते हैं; उससे अपनी आर्थिक उन्नति की योजनाओं को

कार्यान्वित करते हैं। हमारे दो बड़े उद्योग चीनी और कपड़ा खेती पर ही निर्भर हैं।

खेती से ही भारत के ३४ करोड़ लोगों का पेट भरता है। १८ वीं सदी के मध्य से भारत की आबादी निरन्तर बढ़ रही है। सन् १९३० तक तो कृषि का उत्पादन भी आबादी के साथ-साथ बढ़ता रहा किन्तु उसके बाद देश में अनाज की कमी रहने लगी।

पिछले विश्वयुद्ध और उसके बाद देश के बंटवारे से हमारी कठिनाइयां और बढ़ गई हैं। हम विलास सामग्री तथा अन्य आवश्यक चीज़ों के बिना भी जीते रह सकते हैं, किन्तु भोजन के बिना नहीं। सन् १९४७ में ९३,८०,००,००० रुपये का अनाज बाहर से मंगाया गया तथा सन् १९४८ में १,२९,००,००,००० रुपये का अनाज मंगाया गया। सन् १९४९ में आयातित अनाज का मूल्य और भी बढ़ गया।

किन्तु इतनी भारी कीमत पर अनाज का आयात अधिक देर तक जारी नहीं रह सकता। देश की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थ मंगवाने में खर्च हो जाता है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति रुकी हुई है। खाद्य पदार्थों की कमी हमारी बहुत-सी समस्याओं की जड़ है।

देश में अनाज की कितनी कमी है? सन् १९४८ में ४,२२,००,००० टन अनाज देश में मौजूद था और २८ लाख टन अन्न बाहर से मंगाया गया। इस प्रकार सन् १९४८ में कुल ४ करोड़ ५१ लाख टन अन्न खाया गया। सन् १९५१ तक हमें ४० लाख टन अनाज की कमी पूरी करनी पड़ेगी।

खाद्य-समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने सन् १९५२ के मार्च मास तक खाद्य के विषय में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य सामने रक्खा है।

भारत में ७८,१०,००,००० एकड़ जमीन है। जिसमें कुछ पर नगर-गांव बसे हैं तथा सड़कें व रेलें बिछी हुई हैं। कुछ पर जंगल हैं, कुछ पहाड़ी-दलदल वाले या रेगिस्तानी इलाके हैं। फिर भी कुल जमीन

का दो तिहाई हिस्सा ऐसा है, जिसको कुछ-न-कुछ बोने लायक बनाया जा सकता है।

लगभग २३,६०,००,००० आदमी कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए भारत के काफी विशाल होते हुए भी एक परिवार के हिस्से में ९ एकड़ कृषि योग्य जमीन पड़ती है। इसलिए वह बहुत छोटे-छोटे हिस्सों में बंटी हुई है। अमरीका और रूस के खेतों के सदृश बड़े खेत विरले ही मिलते हैं।

कृषि में विविधता

हमारे देश में कहीं कोई फसल बोई जाती है कहीं कोई। खेती और सिंचाई के तरीके भी भिन्न-भिन्न हैं। इसका कारण यह है कि इस विशाल देश की जलवायु और मिट्टी सब जगह भिन्न-भिन्न है और वर्षा कहीं कितनी होती है और कहीं कितनी।

भारत में जून से अक्तूबर तक मानसून हवाओं से व्यापक वर्षा होती है। दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर अक्तूबर-दिसम्बर में भी वर्षा होती है। देश में औसत वर्षा ४९ इन्च होती है, जो बहुत काफी है। किन्तु यह कहीं बहुत अधिक होती है और कहीं बहुत कम; किसी साल अधिक होती है किसी साल कम; और कभी अनुकूल समय पर होती है और कभी प्रतिकूल समय पर। इसलिए देश के किसी हिस्से में बाढ़ें आ जाती हैं और कहीं सूखा पड़ जाता है; कभी खड़ी-की-खड़ी फसलें बरबाद हो जाती हैं। इसलिए भारत में खेती करने को दूसरे शब्दों में 'जुआ खेलना' कहा जाता रहा है।

इन प्राकृतिक विषमताओं का सामना करने के लिए कुँए खोदकर नल-कूप लगाकर, वर्षा के पानी को तालाबों में रोककर तथा नदियों से नहरें निकालकर कृत्रिम रूप से सिंचाई की जाती है। कृत्रिम साधनों से सिंचाई की व्यवस्था करने में भारत ने बड़ी उन्नति की है। बंटवारे से पहले भारत में ७० लाख एकड़ से अधिक जमीन सींची जाती थी, जो अमरीका में, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सिंचाई करने वाला देश है,

सींची जाती हुई जमीन का तीन गुना है, जब कि अमरीका विस्तार में भारत से दुगना बड़ा है। कुल ८० हजार मील लम्बी नहरें भारत में थीं। उनका पानी समस्त दिल्ली राज्य को २४ घंटे के अन्दर २ फुट की गहराई तक डुबा सकता है। विभाजन के बाद ७० प्रतिशत नहरें भारत में रह गई हैं, किन्तु इससे सन्तुष्ट न होकर भारत सरकार ने परती जमीन पर खेती करने के लिए अनेक बहु-उद्देशीय योजनाएँ बनाई हैं। इनके पूर्ण होने पर ५ करोड़ एकड़ सींची जाती हुई जमीन में २॥ करोड़ एकड़ की वृद्धि हो जायगी और ५ लाख किलोवाट के बजाय ४० लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी।

विविध पैदावार

भारत में दो मुख्य फसलें होती हैं—खरीफ और रबी। खरीफ की फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, मकई और कपास पैदा होती है। ये वर्षा ऋतु के आरम्भ में बोई जाकर शरद ऋतु में काटी जाती हैं। रबी की मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, अलसी और सरसों हैं, जो शरत्-काल में बोई जाकर वसन्त ऋतु में काटी जाती हैं।

भारत दुनिया में व्यावसायिक फसलों का एक बड़ा उत्पादक है। भारत तिलहन और चाय का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। तम्बाकू में उसका दूसरा नम्बर है। कपास, पटसन, काँफी और रबड़ भी वह काफी पैदा करता है। लाख और पटसन का तो उसके पास एकाधिकार-सा है।

खाने योग्य फसलें

खाने के काम आने वाली फसलें कुल कृषि योग्य जमीन के ४/५ हिस्से पर बोई जाती हैं। चावल मुख्यतः मद्रास, बम्बई, बंगाल और बिहार में बोया जाता है। चावल का उत्पादन आवश्यकता से कम होता है; इस कमी को पूरा करने के लिए चावल बाहर से मंगाना पड़ता है। गेहूँ पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोया जाता है।

चीन और अफ्रीका के अलावा भारत भी ज्वार और बाजरे का एक बड़ा उत्पादक देश है।

अनाज के साथ-साथ दालें भी बोई जाती हैं। चीनी तथा गुड़ के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और बम्बई में गन्ना भी बोया जाता है।

मुख्य पैदावार

हिन्दुस्तान में पैदा होने वाली विभिन्न प्रमुख उपजों का ब्योरा इस प्रकार है—

चावल	चावल बहुतायत से पश्चिमी बंगाल के सभी जिलों में, उड़ीसा के कटक और पुरी जिले में साम्बलपुर, मद्रास में गोदावरी के पश्चिमी किनारे, चिंगलपुट, तंजोर और कनारा में होता है।

मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, बम्बई, उत्तर प्रदेश और आसाम के उत्तरी प्रदेश में भी इसकी पैदावार होती है।

हैदराबाद, मैसूर, काश्मीर और ग्वालियर में भी यह पैदा होता है।

चावल हिन्दुस्तान के पूर्वी व दक्षिणी प्रदेशों में रहने वालों और अधिकांश हिन्दुस्तानियों की मूल खुराक है। देश में चावल का उत्पादन इतनी मात्रा में नहीं हो पाता कि देश की कुल आवश्यकता पूरी हो सके। इस चावल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

अन्तिम अनुमान के अनुसार १९४९-५० में हिन्दुस्तान में चावल की ७,१६,६०,००० एकड़ों में खेती हुई। ४७-४८ में ७,०२,७५,००० एकड़ों पर कृषि हुई। ४९-५० में उपज का अनुमान २,१९,१२,००० टन है, जब कि ४८-४९ में २,१७,२५,००० टन की पैदावार थी। इस प्रकार पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र में २% और उत्पादन में ८% वृद्धि हुई।

चावल की खेती और पैदावार की तालिका

	क्षेत्र		पैदावार	
	(एकड़)	(एकड़)	(टन)	(टन)
	१९४८–४९	१९४७–४८	१९४८–४९	१९४७–४८
पश्चिमी बंगाल	९२१२०००	९३२५०००	३३६८०००	३३१६०००
मद्रास	८९५४०००	९४१७०००	४१४८०००	४१३९०००
बिहार	९५४४०००	९५८९०००	२३७१०००	२६२९०००
मध्य प्रदेश	८६६७०००	८६०९०००	२०६२०००	२३०४०००
उत्तर प्रदेश	८१६५०००	७४१०००	×	×
उड़ीसा	५३६६०००	५३०८०००	१३१७०००	१३२०००
आसाम	३६२४०००	३५५१०००	१५१७०००	१४०००००
बम्बई	२४६९०००	२६१८०००	८७१०००	९८००००
पञ्जाब	३७६०००	४२९०००	×	×
सौराष्ट्र	१९०००	२९०००	६०००	१३०००
हैदराबाद	८०८०००	९०५०००	×	×
रामपुर	६७०००	९६०००	१४०००	१४०००
बड़ौदा	२२०००	२०२०००	×	×
भोपाल	३९०००	३६०००	७०००	३०००
जूनागढ़	८०००	२१०००	१०००	४०००
हिमाचल प्रदेश	११६५३४	५७४३३	×	×
मध्य भारत	५५१७८	५४४२६	×	×
मत्स्य (धौलपुर)	२५५५	३५२८	×	×
विन्ध्य प्रदेश	९८९१३५	७२९०१७	×	×
बनारस	७८५६१	१०३८१०	×	×
जयपुर	१४०४	८८६	×	×
	५८७८३३६७	५८४९४१००	×	×

विभाजन के पहले पंजाब ही हिन्दुस्तान में गेहूँ का सबसे बड़ा

गेहूँ

उत्पादन केन्द्र था, अब यह स्थान उत्तर प्रदेश ने ले लिया है। पूर्वी पंजाब, मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कुछ हद तक राजपूताना की रियासतों और हैदराबाद में इसकी पैदावार होती है।

गेहूँ की पैदावार और खपत में पिछले युद्ध के दिनों में सन्तुलन नहीं रहा था। विभाजन के कारण इस सम्बन्ध में कठिनाइयां और बढ़ गई हैं।

अन्तिम अनुमान के अनुसार १९४९-५० में हिन्दुस्तान में २,३६,२७,००० एकड़ भूमि पर गेहूँ की खेती हुई। ४८-४९ में यह क्षेत्र २,१३,६७,००० एकड़ था। ४९-५० में उपज का अनुमान ६१,१०,००० टन है जब कि ४८-४९ में ५४,७२,००० टन पैदावार थी। इस प्रकार गेहूँ के क्षेत्र में ४·५% और उत्पादन में १२% की वृद्धि हुई।

हिन्दुस्तान के प्रान्तों में प्रति व्यक्ति पीछे गेहूँ की खपत (१९३३ से १९३६ तक के आंकड़ों के अनुसार) इस प्रकार है—

दिल्ली	२५४	मध्य प्रदेश	६७	बंगाल	१२
पंजाब	२१०	बम्बई	५७	मद्रास	३.४
उत्तर प्रदेश	१०३	बिहार-उड़ीसा	२९	आसाम	४
				कुर्ग	४

सन् १९४९-५० और १९४८-४९ में गेहूँ कहां-कहां और कितने इलाके में बोया गया, यह नीचे की तालिका दरशाती है—

(इलाका हजार एकड़ों में)

	१९४९-५०	१९४८-४९
बिहार	१३८८	१७११
बम्बई	१८८५	१८८५
मध्यप्रदेश	२१५७	१८२२
उड़ीसा	१२	११
पंजाब	२६९१	२५३९
उत्तर प्रदेश	८२८६	८००४

पश्चिमी बंगाल	७६	८८
हैदराबाद	३७७	२६३
मध्यभारत	१७४१	१७१७
मैसूर	१	१
पटियाला राज्यसंघ	७७६	५५६
राजस्थान	१२१४	१२८७
सौराष्ट्र	२६४	२२७
विन्ध्यप्रदेश	६२१	५८८
अजमेर	२६	२०
भोपाल	४१८	२६६
बिलासपुर	४३	४३
दिल्ली	६३	४६
हिमाचल प्रदेश	२६६	२६८
कच्छ	१६	१६
कुल योग	२२३३२	२१३६७

जौ

गेहूँ की तरह जौ की पैदावार भी हिन्दुस्तान में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब के कांगड़ा जिले के पहाड़ी इलाके में, जयपुर व मत्स्य-संघ में होती है। देश में इसकी काफी खपत है।

ज्वार

बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में ज्वार की पैदावार बहुतायत से होती है। ग्वालियर व मध्यभारत और राजपूताना की रियासतों में भी इसकी उपज होती है।

इस अनाज की हिन्दुस्तान के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम की जनता की ही अधिक माँग रहती है। जानवरों के खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।

१९४९-५० के अनुमान के अनुसार ३,७४,३८,००० एकड़ भूमि पर ज्वार की खेती हुई जबकि ४८-४९ में इस खेती का क्षेत्र ३,६५,२५,००० एकड़ था। ४९-५० में उपज का अनुमान ५७,६०,००० टन था जबकि ४८-४९ में ५०,१३,००० टन ज्वार पैदा हुई थी। इस प्रकार पिछले वर्ष क्षेत्र में २·५% और उत्पादन में १४·९% की वृद्धि हुई।

विभिन्न राज्यों में जौ की खेती का क्षेत्र और पैदावार

	इलाका एकड़ों में (००० जोड़ लें)		उपज टनों में (००० जोड़ लें)	
	१९४९–५०	१९४८–४९	१९४९–५०	१९४८–४९
बिहार	११	७८	२	१६
बम्बई	१०१६०	९७७०	७३०	५५८
मध्य प्रदेश	४७९८	५०६५	८९२	६५२
मद्रास	३८६२	३८१६	८७५	८८३
उड़ीसा	६४	६५	१३	१२
पञ्जाब	५२३	४५६	५८	६१
उत्तर प्रदेश	२०४९	२०५२	४००	२६४
पश्चिमी बंगाल	५	२	२	ब
हैदराबाद	६३३०	६१०५	२८९	२४५
मध्य भारत	२८९३	२९१३	३८२	३२९
मैसूर	५५०	४८४	७८	७६
पटियाला राज्य-संघ	१४३	८२	१२	७
राजस्थान	१५८७	१६३३	१३९	१३५
सौराष्ट्र	१७८४	११५५	९०	•५०
विन्ध्य प्रदेश	३१७	३९७	२८	३६
अजमेर	१०४	११६	२	४
भोपाल	१६१	२००	२८	२७

दिल्ली	३४	३५	५	४
कच्छ	१५३	५०	६	ब
कुल योग	३५५२८	३४४७४	४०३१	३३५६

(ब) ५०० टन से कम

बाजरा

मद्रास, पूर्वी पंजाब के हिसार व रोहतक के जिलों में, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद व राजस्थान में बाजरे की उपज होती है। सौराष्ट्र की रियासत भावनगर में बाजरा बहुतायत से पैदा होता है। मध्य प्रदेश, बिहार व उड़ीसा में भी इसकी बहुत थोड़ी पैदावार होती है।

अन्तिम अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान में १९४९-५० में बाजरा की खेती २,१४,६६,००० एकड़ भूमि पर हुई। ४८-४९ में यह क्षेत्रफल १,९९,१४,००० एकड़ था। ४९-५० में उपज का अनुमान २५,५४,००० टन था जबकि ४८-४९ में २१,२९,००० टन बाजरा पैदा हुआ था।

इस प्रकार पिछले वर्ष से क्षेत्र में ७.८ प्रतिशत की वृद्धि तथा उत्पादन में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विभिन्न राज्यों में बाजरे की खेती का क्षेत्र और पैदावार

	(हजार एकड़ों में)		(हजार टनों में)	
	१९४९-५९	१९४८-४९	१९४९-५०	१९४८-४९
बिहार	७	७१	२	२१
बम्बई	५८८१	५३४४	७४१	५६३
मध्यप्रदेश	१०१	१०३	१५	१४
मद्रास	२३२२	२३५९	४८०	५०२
उड़ीसा	११	१०	१	१
पंजाब	१९७६	२०९२	३०७	२२६
उत्तर प्रदेश	२४५०	२५४३	४२०	३३४

पश्चिमी बंगाल	१	२	अ	अ
हैदराबाद	६०८	८६८	६८	५२
मध्य भारत	३६७	३८३	४८	३३
मैसूर	८७	७८	६	६
पटियाला राज्यसंघ	६४०	४८५	६५	४८
राजस्थान	४३७७	३८४३	२३८	२६४
सौराष्ट्र	१६७३	१५८४	१३२	५४
विन्ध्य प्रदेश	१३	११	१	१
अजमेर	२८	२५	१	१
दिल्ली	४७	३८	६	५
कच्छ	२४२	४५	१७	४
कुलयोग	२१४६१	१६६१४	२५५४	२१२६

(अ) ५०० टन से कम

मकई

मकई की पैदावार बहुतायत से उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब के पहाड़ी इलाकों और हिमाचल प्रदेश में, कुछ मध्य प्रदेश, मद्रास व पश्चिमी बंगाल में होती है। हैदराबाद और काश्मीर में भी इसकी उपज होती है।

१६४६-५० के अन्तिम अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान में मकई की खेती ७८३७००० एकड़ में की गई जबकि ४८-४६ में इसकी कृषि का क्षेत्रफल ७५२०००० एकड़ था। ४६-५० में उपज का अनुमान १६५६००० टन है जबकि ४८-४६ में मकई की पैदावार १७१६००० टन थी।

इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में ४.१% और उपज में १४% की वृद्धि हुई।

विभिन्न राज्यों में मकई की खेती का क्षेत्र और पैदावार

	इलाका (एकड़ों में) (००० जोड़ लें)		उपज (टनों में) (००० जोड़ लें)	
	१९४९-५०	१९४८-४९	१९४९-५०	१९४८-४९
बिहार	१८३९	१६५२	४१२	३६०
बम्बई	५१०	४२३	१६२	११४
मध्य प्रदेश	२७६	२७३	६८	६५
मद्रास	४९	६७	२०	२८
उड़ीसा	५५	५६	११	१०
पंजाब	७९६	७६१	३०३	२५३
उत्तर प्रदेश	२०९२	२०६७	५८६	४७०
पश्चिम बंगाल	११७	८८	४२	३०
हैदराबाद	३४१	३४८	२९	३४
मध्य भारत	५५५	५४७	८८	८८
मैसूर	अ	अ	ब	ब
पटियाला राज्यसंघ	१७५	२२२	६०	५७
राजस्थान	५८०	५८३	९८	१२१
विन्ध्य प्रदेश	८१	६९	९	६
अजमेर	७७	७०	७	८
भोपाल	१६	१६	२	२
बिलासपुर	४२	४२	४	४
दिल्ली	१	२	ब	ब
हिमाचल प्रदेश	२३५	२४४	५८	६९
कुल योग	७८३७	७५३०	१९५९	१७१९

(अ) ५०० एकड़ से कम (ब) ५०० टन से कम

चनों की अधिक उपज उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, बिहार और मध्य-प्रदेश में होती है। हैदराबाद में भी इसकी काफी पैदावार होती है। मैसूर व राजस्थान में भी चना बहुतायत से होता है।

चने

सन् १९४९-५० में चना २,०१,७८,००० एकड़ जमीन में बोया गया था, जब कि सन् १९४८-४९ में उसकी २,०१,६७,००० एकड़ में खेती की गई थी। इस प्रकार क्षेत्र में ·१% की वृद्धि हुई। उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

रागी

१९४९-५० के सरकारी अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान में रागी (मन्डुआ) की कृषि का क्षेत्र ५४,१६,००० एकड़ है जबकि सन् १९४८-४९ में ५१,३३,००० एकड़ था। उपज ४९-५० में १४३८००० टन हुई। सन् १९४८-४९ की पैदावार १४४५००० टन थी। इस प्रकार पिछले वर्ष से क्षेत्र में ५·५% वृद्धि हुई किन्तु पैदावार ·५% घट गई।

ईख

ईख की उपज का सबसे बड़ा केन्द्र उत्तर प्रदेश है। बिहार, पूर्वी-पंजाब, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, मैसूर व हैदराबाद में भी इसकी पैदावार होती है।

गन्ना सन् १९४९-५० में ३६४१००० एकड़ जमीन में बोया गया। सन् १९४८-४९ में ३७९१००० एकड़ में बोया गया था। इससे १९४९-५० में ४९०४००० टन गुड़ पैदा हुआ। सन् ४८-४९ की पैदावार ४९९३००० टन थी। इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा इसके क्षेत्र में ४% की कमी और उपज में १·८% की कमी हुई।

चीनी का उत्पादन

सन् १९४७-४८ में हिन्दुस्तान में चीनी बनाने के १३४ कारखाने थे। सन् १९४९-५० में ९·६८ लाख टन चीनी बनाई गई, जबकि सन् १९४८-४९ में ९·५४ लाख टन चीनी बनी थी।

भारत युद्ध से पहले विदेशों से चीनी मंगाता था। युद्धकाल में

उसका चीनी का उत्पादन इतना बढ़ गया कि उसे बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं रही। किन्तु युद्ध के बाद चीनी की खपत बढ़ जाने से फिर उसकी कमी पड़ने लगी है और सन् १९५० में ३०,००० टन चीनी बाहर से मंगाई गई है।

पिछले कुछ वर्षों से चीनी के उत्पादन की मात्रा इस प्रकार रही है—

	निर्माण (०००)	आयात (०००)
१९३८-३९	१२४०४ हंड्रवेट	३५.७ टन
१९४२-४३	२१७५१ ,,	०.५ ,,
४३-४४	२२५०७ ,,	....
४४-४५	२१६३७ ,,	....
४५-४६	१६९३१ क	...
१९४८-४९	९,५४००० टन	....
१९४९-५०	९,६८००० टन	...
१९५०	....	३०,००० टन

(क) सिर्फ नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी के आंकड़े

यह तैल-बीज बहुतायत से उत्तरप्रदेश, पूर्वी पंजाब व बिहार में पैदा होते हैं। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आसाम, बड़ौदा, बम्बई, मध्यभारत, मद्रास व राजस्थान, ग्वालियर, काश्मीर और हैदराबाद की रियासतों में भी इसकी उपज होती है।

तोरिया व सरसों

४९-५० में अन्तिम अनुमान के अनुसार १५९३००० एकड़ भूमि पर इनकी खेती की गई जबकि ४८-४९ में १६३२००० एकड़ भूमि पर खेती हुई थी। इस प्रकार इसकी खेती में २.४ प्रतिशत की कमी हुई।

विभिन्न प्रान्तों में बुवाई का व्यौरा

इलाका (हज़ार एकड़ों में)

	१९४९-५०	१९४८-४९
आसाम	२८०	२६९
बिहार	३३७	३२८
बम्बई	२१	११
मध्यप्रदेश	....	....
उड़ीसा	७४	५९
पंजाब	२३१	२९०
उत्तर प्रदेश	१८४	२२८
पश्चिमी बंगाल	१७०	१३४
हैदराबाद	५	७
मध्यभारत	६२	६२
मैसूर	३	४
पटियाला राज्य-संघ	७४	७४
राजस्थान	१००	९८
विन्ध्यप्रदेश	३०	४४
दिल्ली	२	२
हिमाचल प्रदेश	१९	२१
कच्छ	१	१
कुलयोग	१५९३	१६३२

इस बीज की सर्वाधिक उत्पत्ति उत्तरप्रदेश में होती है। बम्बई, मद्रास, मध्यभारत, हैदराबाद, पश्चिमी बंगाल, बिहार व राजस्थान व ग्वालियर की रियासतों में भी यह पैदा होता है।

तिल

तिल की खेती अनुमान के अनुसार ४९–५० में ४५४९००० एकड़ भूमि पर हुई जबकि इसकी ४८–४९ में ४५०२००० एकड़ पर खेती हुई

थी। इसकी उपज का अनुमान ४९–५० में ३६७००० टन था जबकि पैदावार ४८–४९ में ३२३००० टन थी।

इस प्रकार तिल की खेती के क्षेत्र में १ प्रतिशत की वृद्धि और उपज में १३·६ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सन् १९४७–४८ और १९४८–४९ में पैदावार की निम्न स्थिति रही—

इलाके	(हजार एकड़ों में)		उत्पादन (हजार टनों में)	
	१९४८--४९	१९४७--४८	१९४८--४९	१९४७--४८
उत्तर प्रदेश	१०८००००	११८९०००	७२०००	९६०००
मध्य प्रदेश	४२३०००	४६६०००	३००००	३५०००
मद्रास	५०९०००	५०९०००	५९०००	५९०००
बम्बई	१७७०००	२२४०००	१५०००	२३०००
बिहार	८४०००	८४०००	११०००	११०००
उड़ीसा	६८०००	७४०००	८०००	९०००
पंजाब	४६०००	५८०००	४०००	६०००
पश्चिमी बंगाल	२५०००	२२०००	५०००	४०००
अजमेर मारवाड़	१३०००	२००००	ब	१०००
कच्छ	३०००	६०००	ब	ब
राजस्थान	१३२०००	९७०००	९०००	८०००
सौराष्ट्र	१०९०००	२३८०००	९०००	२५०००
हैदराबाद	६६४०००	७८४०००	५१०००	५६०००
भोपाल	५३०००	४००००	३०००	२०००
बड़ौदा	२८०००	३००००	१०००	२०००
जूनागढ़	१००००	१००००	१०००	१०००
हिमाचल प्रदेश	५५६	अ	२	अ
मध्यभारत	१९८५५६	२२४४१०	१८२८४	२३२१६
विन्ध्य प्रदेश	२७९५९३	२६१४६०	३८५१	...

मत्स्यसंघ	३२७२३	३७७३८	३४४२	३०९२
बनारस	०९७	१९४	११	२१
सिरोही	२४०८५	२४०००	८८३	५५०
कुलयोग	३९६००८५	४३९८८०२	३०४४६५	३६४८७०

उपरोक्त तालिका के अनुसार सन् १९४७--४८ में जितने एकड़ में तिल बोया गया सन् १९४८–४९ में उससे ११·१ प्रतिशत कम क्षेत्र में बोया गया और पैदावार १७·६ प्रतिशत कम हुई।

(अ) आंकड़े उपलब्ध नहीं

(ब) ५०० टन से कम

मूंगफली बहुतायत से मद्रास, हैदराबाद, बम्बई और मैसूर के मध्यप्रदेश में पैदा होती है। पूर्वी पंजाब के रियासती इलाके, राजस्थान की रियासतों व ग्वालियर में भी कुछ हद तक इसकी उपज होती है।

मूंगफली

इससे निर्मित तेल व घी का प्रयोग हिन्दुस्तान में बढ़ गया है। मूंगफली का निर्यात भी होता है।

अन्तिम अनुमान के अनुसार १९४९-५० में मूंगफली की खेती का क्षेत्र ९६७२००० एकड़ था जबकि ४८-४९ में यह कृषि क्षेत्र ९१४५००० एकड़ था। ४९–५० में पैदावार का अनुमान ३३९९००० टन है जब कि ४८-४९ में इसकी उपज २८९६००० टन थी।

इस प्रकार इसकी खेती के क्षेत्र में पिछले वर्ष से ५·८ प्रतिशत की और उपज में १७.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मूंगफली की खेती और पैदावार का ब्यौरा—

	क्षेत्र (हजार एकड़ों में)		पैदावार (हजार टनों में)	
	१९४८-४९	१९४७-४८	१९४८-४९	१९४७-४८
मद्रास	३९७०	४०६७	१६१४	१६०१

बम्बई	१८४३	१६८०	५६५	६८६
मध्यप्रदेश	६१५	६०४	१५४	१४६
उत्तर प्रदेश	२८४	२६२	११८०	१४३
पंजाब	७१	६५	२२	२०
उड़ीसा	३०	३०	१२	१३
सौराष्ट्र	३१६	५२१	५६	६१
हैदराबाद	१५१३	२०३३	४७२	५५५
मैसूर	२४५	२१४	३२	३६
बड़ौदा	७८	११६	६	२५
जूनागढ़	११०	१५७	१६	६२
कुलयोग	६०७८	१००७६	३०७३	३४११

अलसी. इस बीज के मुख्य उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश हैदराबाद व राजस्थान, बम्बई, पूर्वी पञ्जाब के पहाड़ी इलाके व काश्मीर हैं।

४६–५० में अन्तिम अनुमान के अनुसार ३०,८८,००० एकड़ भूमि में इसकी खेती की गई। ४८-४६ में यह खेती ३१२५००० एकड़ पर की गई थी, अर्थात् १·२ प्रतिशत की कमी हुई।

सन् १६४८–४६ और १६४६–५० में इतने एकड़ अलसी बोई गई

इलाका (हजार एकड़ों में)

	१६४६–५०	१६४८–४६
बिहार	२७५	३७४
बम्बई	५४	५१
मध्य प्रदेश	११३४	१११६
उड़ीसा	१६	२०

पञ्जाब	२३	२३
उत्तर प्रदेश	१८५	१७७
पश्चिमी बंगाल	६८	२६
हैदराबाद	५४७	४७४
मध्य भारत	३३१	३६७
मैसूर	१	१
पटियाला राज्य-संघ	२	२
राजस्थान	१८७	२२१
भोपाल	५३	७०
हिमाचल प्रदेश	२	२
विन्ध्य प्रदेश	१८७	१६८
कुल योग	३०८८	३१२५

एरंड

एरंड की सर्वाधिक खेती हैदराबाद, मद्रास, बम्बई, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मैसूर व बड़ौदा में होती है। दक्षिण के दूसरे राज्यों में भी इसकी पैदावार होती है।

पर्याप्त मात्रा में एरंड बीज और एरंड के तेल का हिन्दुस्तान से निर्यात होता है।

एरंड के बीज सन् १९४९-५० में १३,९१,००० एकड़ में बोये गए जबकि १९४८-४९ में १३,८३,००० एकड़ में बोये गए थे। पैदावार सन् १९४८-४९ में १,०८,००० टन के मुकाबले सन् १९४९-५० में १,१८,००० टन हुई। इस प्रकार इसके खेती के क्षेत्र में ०.६ प्रतिशत और उपज में ७.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तम्बाकू

तम्बाकू अधिकतर मद्रास में, बिहार व पश्चिमी बंगाल के उत्तरी प्रदेश में, बम्बई के कैरा जिले में, बड़ौदा व दक्षिण स्थित राज्यों में होता है और कुछ हद तक काश्मीर जम्मू प्रांत, जयपुर, उत्तर

प्रदेश और आसाम में इसकी पैदावार होती है।

सन् १९४९-५० में तम्बाकू ७,५१,००० एकड़ जमीन में बोया गया जबकि सन् १९४८-४९ में ७,७७,००० एकड़ में बोया गया था। इस प्रकार इस साल पिछले साल की अपेक्षा ३.३ प्रतिशत कम क्षेत्र में तम्बाकू की खेती हुई।

तम्बाकू की खेती का इलाका (हजार एकड़ों में)

	१९४९-५०	१९४८-४९
आसाम	२०	२०
बिहार	६४	६१
बम्बई	१८७	१८७
मध्य प्रदेश	८	८
मद्रास	२९३	३२१
उड़ीसा	३०	३०
पंजाब	६	७
उत्तर प्रदेश	२५	२५
पश्चिमी बंगाल	४५	५०
हैदराबाद	३१	३१
मध्य भारत	७	६
मैसूर	२१	२१
पटियाला राज्य-संघ	१	१
राजस्थान	८	५
विन्ध्य प्रदेश	३	३
अजमेर	अ	अ
कुर्ग	अ	अ
दिल्ली	१	१
त्रिपुरा	अ	अ
कुलयोग	७५१	७७७

(अ) ५०० एकड़ से कम

कॉफी उत्पादन के क्षेत्र हिन्दुस्तान के दक्षिण में स्थित हैं—केवल मैसूर, कुर्ग और मद्रास में ही इसकी पैदावार होती है।

कॉफी

धीरे-धीरे चाय की तरह कॉफी-पान का अभ्यास देश में बढ़ रहा है। कॉफी का निर्यात भी होता है। सन् १९४७-४८ में यह १,९८,००० एकड़ जमीन में बोई गई, जबकि सन् १९४६-४७ में २,०२,००० एकड़ में बोई गई थी। पैदावार सन् १९४७-४८ में ३,३९,२७,००० पौण्ड और १९४६-४७ में ३,८६,२५,००० पौण्ड हुई। सन् १९४८-४९ में २,८८,००० बोरे कॉफी पैदा हुई, जो दुनिया की पैदावार का ·६% है। इनमें से ५०,००० बोरे कॉफी निर्यात कर दी जाती है।

भारत के कृषक को पैसा देने वाली पैदावारों में से कपास बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग, सूती कपड़े का बुनना व सूत कातना भी इसी उपज पर निर्भर है। पश्चिमी बङ्गाल व बिहार के कुछ जिलों, कुर्ग, बंगलोर और मद्रास के दक्षिण में स्थित राज्यों को छोड़कर कपास थोड़ी-बहुत मात्रा में सारे हिन्दुस्तान में पैदा होती है।

कपास

बहुतायत से इसकी उपज मध्यप्रदेश, बम्बई, सौराष्ट्र, हैदराबाद, पूर्वी पञ्जाब के जिलों व राज्यों, मद्रास, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में होती है।

पञ्जाब के विभाजन से भारत के बढ़िया कपास पैदा करने वाले कुछ क्षेत्र कट गए हैं।

भारत में चतुर्थ अनुमान के अनुसार १९४९-५० में कपास की कृषि का कुल क्षेत्र १,१४,९८,००० एकड़ था। इसकी खेती ४८-४९ में १०८,७९,००० एकड़ पर हुई थी। ४९-५० में उपज का अनुमान २१,५२,००० गांठें हैं जबकि ४८-४९ में १६,९७,००० गांठें पैदा हुई थीं।

विभिन्न राज्यों में बुवाई और पैदावार का व्यौरा

	इलाका (हजार एकड़ों में)		उपज (हजार गाँठों में)	
	१९४९–५०	१९४८–४९	१९४९–५०	१९४८–४९
आसाम	२७	३१	८	१०
बिहार	९	४४	२	६
बम्बई	२२५५	२०६५	४६६	२५१
मध्य प्रदेश	२८५०	३००२	२९१	३४२
मद्रास	१५६३	१३७९	३३२	३०२
उड़ीसा	२४	२७	२	२
पञ्जाब	२९९	२२८	१४३	७८
उत्तर प्रदेश	१११	११९	३१	२४
पश्चिमी बङ्गाल	अ	अ	ब	ब
हैदराबाद	२०९९	२०४८	२५९	२३८
मध्य भारत	१०३३	१०४५	२१६	१९८
मैसूर	६९	६३	१९	१९
पटियाला राज्य-संघ	१८५	१३८	६७	३९
राजस्थान	२८२	१६७	९९	७५
सौराष्ट्र	६०६	४३३	१९०	८९
विन्ध्य प्रदेश	४	४	ब	ब
अजमेर	१३	११	५	४
भोपाल	२१	२६	९	६
दिल्ली	अ	अ	ब	ब
हिमाचल प्रदेश	अ	अ	ब	ब
कच्छ	२५	२४	५	५
त्रिपुरा	२३	२५	५	३
कुल योग	११४९८	१०८७९	२१५२	१६६७

(अ) ५०० एकड़ से कम (ब) ५०० गाँठों से कम

चाय

भारत में चाय की उत्पत्ति का सबसे बड़ा केन्द्र आसाम है। त्रावंकोर राज्य, मद्रास, पूर्वी पञ्जाब के पहाड़ी इलाकों, त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार व उड़ीसा में भी इसकी पैदावार होती है। पश्चिमी बङ्गाल के दार्जिलिंग और जलपाइगुरी जिलों में इसकी पैदावार बहुतायत से है।

भारत से निर्यात होने वाली कृषि उपजों में चाय का महत्वपूर्ण स्थान है।

चाय का उत्पादन व निर्यात

उत्पादन	(दस लाख पौंड)	निर्यात	(००० पौंड)
१९३८	३७०.६६	१९३८-३९	३४८०५०
१९४२	४७५.३९	४२-४३	३२२९११
१९४३	४५२.३३	४३-४४	४०८१६२
१९४४	४०७.५६	४४-४५	४१३७५३
१९४५	४३४.७१	४५-४६	३६८६९९
१९४६	४८४.१२	१९४६	२३४७६६

सन् १९४७ में दिसम्बर के अन्त तक उत्तर भारत में ४४,५९,१८,००० पौंड चाय हुई और १९४८ में दिसम्बर तक ४४६१६३२६० पौंड चाय हुई। दक्षिण भारत में सन् १९४८ में १०,५१,६२,५७६ पौंड चाय हुई, जो सन् ४७ के उत्पादन से १८·१४ प्रतिशत अधिक थी।

पाकिस्तान ने सन् १९४८ में ४,५६,८९,६८० पौंड चाय पैदा की और लङ्का में २५,४८,७६,१११ पौंड चाय पैदा हुई।

भारत अपने चाय-उत्पादन का ७५ प्रतिशत अंश निर्यात करता है, जिससे काफ़ी कमाई होती है।

पटसन

विभाजन के पहले भारत के पास पटसन के उत्पादन का एकाधिकार था। अब पश्चिमी बंगाल के कुछ जिलों में, बिहार के उत्तरी प्रदेश में, आसाम,

उड़ीसा और कुछ उत्तर प्रदेशमें इसकी पैदावार रह गई है। कलकत्ता के पटसन के बड़े उद्योग के लिए भारत को अब पाकिस्तान के निर्यात पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

१९४९–५० में अन्तिम अनुमान के अनुसार पटसन की खेती का क्षेत्र पश्चिमीबंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम (सिल्हट को छोड़कर) कूच बिहार, त्रिपुरा की रियासतों में ११,५८,००० एकड़ है। ४८-४९ में इस खेती का क्षेत्र ८,३४,००० एकड़ था। ४९-५० में कुल उपज का अनुमान ३१,१७,००० गांठें हैं जबकि ४८-४९ में २०,५५,००० गांठों की पैदावार हुई थी।

इस प्रकार पिछले वर्ष पटसन की खेती में ३९%की और उपज में ५१·७% की वृद्धि हुई।

भारत में प्रति एकड़ से औसतन १०२७ पौंड (१९४७-४८) पटसन पैदा होता है।

दुनिया में पटसन की खपत कम होती जा रही है, इसका ब्यौरा इस प्रकार है

वर्ष	खपत (लाख गाँठों में)
१९३९-४०	११२.७
१९४०-४१	७९.०
१९४१-४२	८८.१
४२-४३	८८.४
४३-४४	७७.१
४४-४५	७७.१

इसका कारण यह है कि पटसन की स्थानापन्न वस्तुएँ भी निकल आई हैं, जिनका प्रयोग होने लगा है।

सिंचाई व बिजली की योजनाएँ

भारतवर्ष में अनाज की पैदावार आवश्यकता से बहुत कम होने लगी है। कभी सूखा पड़ने से अकाल पड़ने लगता है और कभी अति-वृष्टि से तबाही मच जाती है। किसान को अपनी उपज के लिए वर्षा पर निर्भर न रहना पड़े, इसलिए नदियों को बांध कर कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। इससे नदियों की उच्छृंखलता भी वश में हो जायगी और हर साल बाढ़ों से होने वाली हानि भी नहीं होगी। इसके अलावा अतुल विद्युत् शक्ति भी प्राप्त हो सकेगी, जिससे कल-कारखानों, रेलों और ग्रामोद्योगों के विकास व प्रसार को सहायता मिलेगी।

देश में जलीय साधनों की तो कमी नहीं है, लेकिन उनका उपयोग अब तक बहुत सीमित मात्रा में हुआ है। अनुमान लगाया गया है कि देश की नदियों व स्रोतों में जितना पानी है उसके केवल ६ प्रतिशत भाग का अब तक उपयोग किया गया है। जो योजनाएँ इस समय देश की केन्द्रीय, राज्य व रियासती सरकारों के सम्मुख प्रस्तुत हैं उनके सम्पूर्ण होने पर देश की नहरी सिंचाई के आज के ४ करोड़ ८० लाख एकड़ क्षेत्र में २ करोड़ ७० लाख की वृद्धि हो जायगी और बिजली का उत्पादन ५ लाख किलोवाट से ६५ लाख किलोवाट हो जायगा।

भारत सरकार की छोटी-बड़ी २५७ सिंचाई योजनाएँ हैं। राष्ट्रीय योजना-आयोग का अनुमान है कि इन पर १६ अरब रुपया खर्च होगा और ये आगामी १५ वर्षों में पूरी की जा सकती हैं।

१३५ योजनाओं पर तो, जिन पर ५६० करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है, काम प्रारम्भ किया जा चुका है। इनमें से १२ बड़ी योज-नाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक पर १० करोड़ रुपये से ज्यादा ख़र्च होगा और कुल मिला कर ४३६ करोड़ रुपया ख़र्च होगा।

२४ मध्यम दर्जे की योजनाएँ हैं, जो २ करोड़ से १० करोड़ के बीच तक की लागत की हैं और उन सब पर १०३ करोड़ रुपये व्यय होने का

अनुमान है। ६६ छोटी योजनाएँ हैं जिन पर ४८ करोड़ रुपया खर्च होगा।

६ से १० वर्ष तक इन योजनाओं के पूरा होने में लगेंगे और उसके बाद सिंचाई की पूरी व्यवस्था होने में कुछ समय लगेगा। बिजली के अधिक-से-अधिक उत्पादन में और भी समय लगेगा।

सन् १९५९-६० तक इन योजनाओं से ९२ लाख एकड़ भूमि अधिक सींची जायगी, ३१ लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा होगा तथा ९,१०,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी। अन्ततोगत्वा इनसे १ करोड़ २९ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी, ४३ लाख टन अनाज पैदा होगा, तथा १९,९६,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी।

उक्त योजनाओं से प्रतिवर्ष लाभ मिलने का ब्यौरा

वर्ष	अतिरिक्त एकड़ भूमि की सिंचाई	अतिरिक्त अनाज का उत्पादन	अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किलोवाट
१९५१-५२	६ लाख एकड़	२ लाख टन	—
१९५२-५३	११ ,, ,,	४ ,, ,,	३,५१,०००
१९५३-५४	२० ,, ,,	७ ,, ,,	५,५४,०००
१९५४-५५	४३ ,, ,,	१४ ,, टन	५,५६,०००
१९५५-५६	५५ ,, ,,	१८ ,, ,,	६,३६,०००
१९५६-५७	६७ ,, ,,	२२ ,, ,,	७,०८,०००
१९५७-५८	७५ ,, ,,	२५ ,, ,,	७,९१,०००
१९५८-५९	८५ ,, ,,	२८ ,, ,,	८,१७,०००
१९५९-६०	९२ ,, ,,	३१ ,, ,,	९,१०,०००
अन्तिम	१२९ ,, ,,	४३ ,, ,,	१९,९६,०००

१२ बड़ी योजनाएँ निम्न हैं—दामोदर (६८ करोड़) बिहार और पश्चिमी बंगाल के लिए; काकर पाड़ा (१२ करोड़) बम्बई के लिए; मध्य भारत के लिए बिजली योजनाएँ (१२·६३ करोड़) माचकुण्ड

(१७ करोड़) मद्रास और उड़ीसा के लिए; तुंगभद्रा (६६·६६ करोड़) मद्रास और हैदराबाद के लिए; हीराकुड (४७·८१ करोड़) उड़ीसा के लिए; भाखरा नांगल (१३२·६१ करोड़) पंजाब, पटियाला राज्यसंघ और बीकानेर के लिए; हरिके (१८·८ करोड़) पंजाब के लिए; शारदा पावर हाउस (११·२१ करोड़) उत्तरप्रदेश के लिए; मोर योजना (१५·५० करोड़) पश्चिमी बंगाल के लिए; चम्बल (२८ करोड़) मध्यभारत और राजस्थान के लिए तथा लखावल्ली (१८ करोड़) मैसूर के लिए। सन् १९५९-६० तक इन १२ योजनाओं से ७०,४६,००० एकड़ ज़मीन सींची जाने लगेगी तथा ७,६३,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी।

१२२ योजनाओं की, जिन पर काम शुरू नहीं किया गया है, छान-बीन की जा रही है। इन पर १२०० करोड़ रुपये लागत आयगी, तथा ४२ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी।

१६०० करोड़ रुपया कहां से लाया जाय, इस समस्या के समाधान के लिए योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य में एक सिंचाई-उन्नति-उपाय-कोष स्थापित करने का सुझाव दिया है, जिसमें प्रतिवर्ष विभिन्न राज्य अपना-अपना निम्न योग दिया करें—

बिहार—१३ करोड़; बम्बई—१४ करोड़; मध्यप्रदेश—११ करोड़; मद्रास—२४ करोड़; उड़ीसा—४ करोड़; उत्तरप्रदेश—६ करोड़; पश्चिमी बंगाल—८ करोड़; हैदराबाद—८ करोड़; मध्यभारत—३ करोड़; मैसूर—२ करोड़; राजस्थान—५ करोड़; पटियाला राज्य-संघ—१ करोड़; त्रावंकोर-कोचीन—५ करोड़।

इन आंकड़ों में दामोदर घाटी, हीराकुड, भाखरा और हरिके योजनाओं की लागत शामिल नहीं है, क्योंकि इनका सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार देगी।

योजना आयोग ने खर्चा पूरा करने के लिए योजनाओं से फायदा उठाने वालों पर उन्नति-कर (Betterment fee) लगाने का भी सुझाव दिया है।

विभिन्न योजनाएँ

भाखरा-नांगल योजना

इस योजना से पंजाब, पटियाला राज्यसंघ तथा बीकानेर की ४२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। सतलुज नदी पर भाखरा (विलासपुर) पर ६८० फुट ऊँचा बाँध बनेगा। इस योजना से अन्ततोगत्वा ७ लाख किलोवाट बिजली पैदा की जा सकेगी। इस समस्त योजना पर १३२·९२ करोड़ रुपया व्यय होगा।

इसका प्रारम्भ सन् १९४६ में किया गया था। सब योजनाओं में इसके निर्माण पर सबसे अधिक प्रगति की गई है। इस पर १२ करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है और इस वर्ष १०·६ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। सन् १९५२-५३ में इस योजना से बिजली मिलने लगेगी और सिंचाई सन् १९५२ से प्रारम्भ होकर १९५३-५४ में काफी हो जायगी। यह योजना सन् १९५६ में पूरी हो जायगी।

दामोदर घाटी योजना

बंगाल व बिहार राज्यों में कलकत्ता के उत्तर-पश्चिम में दामोदर घाटी स्थित है। दामोदर नदी ८५०० वर्ग मील क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। इस योजना से लगभग ८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और ३॥ लाख किलोवाट बिजली तैयार होगी। इस योजना से ५० लाख ग्रामीणों व २० लाख शहर में रहने वालों को लाभ पहुँचेगा। घाटी में कोयला, अभरक, चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी आदि अनेक बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं। बिजली मिलने और बांध बन जाने पर इस इलाके की औद्योगिक समृद्धि अत्यधिक बढ़ जायगी। इस योजना से हुगली में रानीगंज की कोयले की खानों तक नौकाओं का चलना आसान हो जायगा।

योजना को कार्यान्वित करने के लए 'दामोदर वैली कार्पोरेशन' का निर्माण हुआ है; बंगाल, बिहार तथा केन्द्र की सरकारें इसकी हिस्सेदार हैं।

इस योजना से विनाशकारी बाढ़ों का खतरा सदा के लिए टल जायगा।

इस योजना के अन्तर्गत बांधों में ४० लाख एकड़ फुट पानी जमा हो सकेगा। ४ बांध बांधे जा चुके हैं जिनमें सबसे बड़ा २५० एकड़ ज़मीन सींच सकता है। इससे भी बड़े बांध बनाये जायँगे जिनमें सबसे बड़ा १० हज़ार एकड़ जमीन को सींच सकेगा। सिंचाई की योजनाएँ पूरी होने पर साल में दो फसलें होने लगेंगी तथा परती व ऊँची जमीनों पर बाग लहलहायंगे।

इस योजना पर कुल ६८ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। ६ करोड़ रुपये सन् १९४९-५० में खर्च किये गए तथा ६ करोड़ २७ लाख रुपये १९५०-५१ में खर्च किये जायँगे। दामोदर घाटी योजना का पहला चरण सन् १९५२ तक समाप्त हो जायगा, तथा उसी वर्ष बोकारो थर्मल स्टेशन से बिजली भी मिलने लगेगी।

कोयाना योजना

महाराष्ट्र की कोयाना नदी योजना के लिए सांगली, ऐनापुर, और शंकर शेही में इन्जीनियरों ने परिनिरीक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। बम्बई की सरकार ने यह काम बहुत देर से शुरू किया है। १२ दिन में हवाई जहाजों से १००० वर्गमील क्षेत्र के १००० फोटो लिए गए।

कोयाना योजना के अन्तर्गत पूना से १०० मील दूर कोयाना नदी पर ३०० फुट ऊँचा एक बांध बनाया जायगा। बिजली पैदा करने और सिंचाई के लिए इसमें ३० लाख घन फुट पानी एकत्र किया जा सकेगा। यह ३ लाख किलोवाट बिजली पैदा करेगा। पूरा हो जाने पर यह भारत का एक बड़ा बांध होगा। इस पर अनुमानतः ३० करोड़ रुपये की लागत आयगी। इसके सन् १९५६ तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

कोसी नदी में बरसात में हर साल बाढ़ आती है, जिससे बिहार को बड़ा नुकसान पहुँचता है। इसीलिए इसको "आपन्नदी" भी कहा जाता है। अगर कोसी नदी के पानी का सदुपयोग हो सके, तो उससे उत्तरी भारत के अधिकांश में अनाज की कमी नहीं रहेगी। कोसी नदी की कुल योजना १ अरब रुपये से ऊपर की है, किन्तु उसके प्रथम चरण में केवल कोसी नदी के पानी को रोकने की व्यवस्था करना है, जिससे बाढ़ न आए। इसमें १८ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है।

कोसी योजना

नेपाल में छत्रा के मुख पर, बराह क्षेत्र स्थान पर एक ७५० फुट ऊँचा बांध बांधा जायगा। बांध पर बिजली बनाने का एक बड़ा कारखाना लगाया जायगा। यह कारखाना १३ लाख किलोवाट बिजली तैयार करेगा। कोसी के बंधे पानी से गंगा तक नौकायें चलाने की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। इससे ३० लाख एकड़ से अधिक नई भूमि की सिंचाई सम्भव हो सकेगी।

इसके अलावा बिहार की दो अन्य सिंचाई योजनाएँ हैं। एक योजना से मुंगेर जिले की ३० हजार एकड़ जमीन को सिंचाई योग्य बनाया जायगा, जिस पर ६,६८,१७४ रुपये लागत आयगी तथा दूसरी योजना से दरभंगा जिले में ४,१४५ रुपये की लागत से १६० एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। दोनों योजनाओं से अनाज की पैदावार ४,२८५ टन बढ़ जायगी।

राजस्थान में १४ करोड़ रुपये की लागत पर चम्बल नदी-घाटी योजना का निर्माण किया जा रहा है, जो ७,७५,००० किलोवाट बिजली पैदा करेगी, तथा प्रति वर्ष १ लाख टन अधिक अनाज पैदा करेगी।

चम्बल-घाटी योजना

योजना के अन्तर्गत ३ बिजली पैदा करने के बांध बनाए जायंगे तथा एक पानी रोकने का। चम्बल नदी जो मध्यभारत और राजस्थान

में ६०० मील तक बहकर यमुना में जा मिलती है, दोनों ओर नहरें होंगी।

सबसे ऊपर का गांधी सागर बांध मध्यभारत में होगा और अगले दो बांध रावत भाटा और कोटा राजस्थान में होंगे। इन बांधों से मध्यभारत और राजस्थान दोनों में ३-३ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी।

अमरावती जलागार योजना

मद्रास में अमरावती जलागार योजना की प्रारम्भिक जांच-पड़ताल पूर्ण हो चुकी है। इस योजना से ऊधमल्पेठ ताल्लुके के १३ गाँवों की ७,४३३ एकड़ जमीन को तथा धर्मपुरम् ताल्लुके की ७५६७ एकड़ जमीन को लाभ होगा तथा प्रति वर्ष ३९,२५० टन अनाज अधिक पैदा होगा। मद्रास की सरकार इस वर्ष सिंचाई और बिजली की योजनाओं पर १२ करोड़ रुपया खर्च करेगी। इसमें से ३ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने दिया है। उन्नति योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने ५ वर्षों में १०७ करोड़ रुपया देने का निश्चय किया है और आर्थिक तंगी के कारण यह हिदायत की है, कि जब तक पुरानी योजनाएँ पूरी न हो जायं कोई नई योजना न बनाई जाय।

मद्रास में बिजली की योजनाएँ

मद्रास में बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए अनेक योजनायें बनाई गई हैं, जिनमें से एक नेल्लोर थर्मल योजना है। इस पर पहले ५९,७१,००० रुपये व्यय होने का अनुमान है और १० वर्षों में इस पर कुल १०१,००,००० रुपया व्यय होगा। इस पावर हाऊस में २५०० किलोवाट बिजली पैदा करने के दो सेट होंगे। यह स्टेशन नेल्लोर जिले की सब आवश्यकताएँ पूरी करेगा। इससे १० वर्ष बाद ६,२०० किलोवाट बिजली पैदा होगी। माचकुण्ड और मेयर नदियों पर दो बड़ी जलविद्युत् योजनाएँ पूरी की जायंगी। बाद में इनके साथ नेल्लोर स्टेशन को भी जोड़ दिया जायगा। बिजली का उत्पादन

बढ़ाने की मद्रास सरकार की एक पञ्चवर्षीय योजना है, जो १६५३ तक पूरी होगी। इन योजनाओं के पूरा होने पर मद्रास में १,७५,००० किलो-वाट बिजली अधिक पैदा होगी अर्थात् दुगनी बढ़ जायगी। इस पर ३०,००,००,००० रुपया व्यय होगा। अभी यह पञ्चवर्षीय योजना पूरी भी नहीं हुई है कि दो लाख किलोवाट बिजली और पैदा करने की एक और पञ्चवर्षीय योजना बनाई गई है।

तुंगभद्रा योजना

तुंगभद्रा योजना से मद्रास और हैदराबाद के कुछ इलाकों को राहत मिलेगी जिनमें प्रायः प्रतिवर्ष अकाल पड़ता रहता है। इसके निर्माण में लगभग ७० करोड़ रुपया व्यय होगा। तुंगभद्रा पर ६०८० फुट लम्बा बांध बनाया गया है। मद्रास की तरफ मुख्य नहर २२५ मील लम्बी होगी जिससे ३ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकेगी। १२६ मील तक तो नहर खोदी जा चुकी है और उसके आगे ४१ मील अभी और खोदी जा रही है। छोटी-बड़ी सब मिलाकर १७०० मील लम्बी नहरें खोदी जायँगी। इस योजना के सन् १६५३ तक पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है। इसके अलावा सिंचाई की ४ करोड़ की दो और योजनाएँ हैं—मणिमाथुर योजना और कल्याण द्रुग योजना। इनसे २८००० एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी।

काकरपाड़ा योजना

इस योजना पर अनुमानतः सबसे कम खर्च आयगा। ताप्ती नदी पर जहां बांध बंधेगा वह बहुत अच्छा स्थान है। यह ३१ करोड़ की योजना है। योजना के अन्तर्गत नीचे २८०० फुट लम्बा और १३० फुट चौड़ा एक कंक्रीट का बांध बनाया जायगा। इसके ऊपर काकर-पाड़ा में २८५ फुट की ऊँचाई पर एक और कंक्रीट का बांध बनाया जायगा। इनके दोनों ओर मिट्टी के बांध बनाए जायँगे। इन सब बांधों की लम्बाई ८ मील होगी। ७०,००० एकड़ जमीन पर जिसमें से ३०,००० कृषि-योग्य होगी, ५० मील लम्बी एक झील बन जायगी,

जिसमें नावें चल सकेंगी। योजना के पूर्ण होने पर २ लाख किलोवाट बिजली पैदा हो सकेगी और ८ लाख एकड़ जमीन को सींचा जा सकेगा। दो १००-१०० मील लम्बी नहरें नदी के पानी को दक्षिणी गुजरात के ताल्लुकों में ले जायँगी। इसके अलावा ८५८ मील लम्बी छोटी-बड़ी नहरों का जाल-सा बिछा दिया जायगा।

योजना की सब प्रारम्भिक बातें पूर्ण हो चुकी हैं। मार्च, १९५१ में बांध बनना शुरू हो जायगा। माधी और काकर पाड़ा के बीच रेलवे लाइन तथा सड़क बननी शुरू हो गई है।

बिहार के सन्थाल परगना प्रदेश में मोर दरिया पर एक बड़ा बांध बांधा जायगा। बंगाल में सूरी नदी पर भी

मोर बांध की योजना

बांध बंधेगा, और द्वारका ब्रह्मणी, वक्रेश्वर और कोपाई इन छोटी-छोटी नदियों को इस बांध से सम्बन्धित करेगा। इनसे जो नहरें निकाली जायँगी, वे वीरभूम जिले की ६ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करेंगी।

इस योजना से मुख्यतया बंगाल को ही लाभ पहुँचेगा, लेकिन योजना का मुख्य बांध बिहार में बनेगा। योजना के दो भाग हैं—पहला भाग जो बिहार में पूरा होगा, और दूसरा जो बंगाल में बनेगा।

बंगाल में बनने वाले भाग पर ४ करोड़ ३८ लाख रुपया खर्च होगा। जो हिस्सा बिहार में बनेगा, उससे १ लाख २० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई और १६ लाख २० हजार मन अधिक चावल की पैदावार होगी। सारी योजना के पूरा होने पर बंगाल प्रान्त में ८८ लाख मन चावल की अधिक पैदावार होगी। यह १५॥ करोड़ रुपये की योजना है।

यह उड़ीसा के लिए ४८ करोड़ की योजना है। उड़ीसा में सम्बल-

महानदी योजना

पुर शहर से ९ मील ऊपर हीराकुड स्थान पर महानदी दरिया पर एक बांध बंधेगा जिससे ५० लाख एकड़ फुट पानी जमा किया जा सकेगा।

नदी के दोनों तरफ बांध से दो नहरें निकलेंगी जो ११ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेंगी।

सारी योजना की तीन इकाइयां होंगी—हीराकुड, टिकरपारा, और नरज पर बांधों की योजनाएँ। बांधों की तीनों योजनाओं से अलग-अलग नहरें निकलेंगी और तीनों पर अलग-अलग बिजली-घर बनेंगे। सबसे पहले हीराकुड योजना पर काम आरम्भ हुआ है। महानदी पर रेल और मोटर का एक विशाल पुल बन चुका है, जो सन् १९४८ में बनना प्रारम्भ हुआ था।

रामपद सागर योजना

यह मद्रास में ४०,००,००० एकड़ ज़मीन को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी और १,२०,००० किलोवाट बिजली पैदा करेगी। यह योजना १२ वर्षों में ८६ करोड़ रुपये से पूरी की जायगी।

इनके अलावा पश्चिमी बंगाल में मयूराक्षी योजना बड़ौदा में २ करोड़ की साबरमती सिंचाई योजना, बिहार में ३ करोड़ की गण्डक घाटी योजना, ४ करोड़ की लोअर भवानी योजना तथा उत्तर प्रदेश में १४ करोड़ की रामगंगा योजना भी बनाई गई है।

बिजली का उत्पादन और खपत

सन् १९४९ की समाप्ति तक के पिछले १० वर्षों में भारत में बिजली का उत्पादन दुगना हो गया है। सन् १९३९ में २,४४,००,००,००० किलोवाट-अवर्स से सन् १९४९ में ४,९०,००,००,००० किलोवाट-अवर्स हो गई। बिजली पैदा करनेवाले भारत के सब स्टेशनों से १९४९ में १५,४०,००० किलोवाट बिजली पैदा हुई।

गाँवों में बिजली

मद्रास, मैसूर, उत्तरप्रदेश और पञ्जाब के गाँवों में बिजली लगाने में विशेष प्रगति की गई। सन् १९४७ में ५००० से कम आबादी के १२९५ गाँवों में बिजली थी। सन् १९४९ में ऐसे गाँवों की संख्या २११८ होगई। इस प्रकार ६३·६ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

किन्तु अगर सारे देश के गाँवों को लिया जाय तो सन् १९४९ में ५००० से कम आबादी के केवल ·३८ प्रतिशत गाँवों में बिजली पहुँची है।

विभिन्न आबादी वाले नगरों और गाँवों में से कितने प्रतिशत में बिजली लगी हुई है, इसको दरशाने वाली तालिका—

आबादी	कुल शहर या गाँव	कितने प्रतिशत में बिजली है
१,००,००० से ऊपर	४९	१०० प्रतिशत
५०,००० से १,००,०००	८७	९८·९ ,,
२०,००० से ५०,०००	२७७	८४·१ ,,
१०,००० से २०,०००	६०७	३८·० ,,
५,००० से १०,०००	२३६७	९·३ ,,
५००० से नीचे	५,५९,०६२	०·३८ ,,

सन् १९४९ में बेची गई बिजली का २/३ हिस्सा उद्योगों में खपा।

बिजली की अधिकाधिक खपत

इसके बाद घरेलू कामों में, परिवहन में, व्यापारिक कार्यों में, वाटरवर्क्स में, सिंचाई और सड़कों को प्रकाशित करने में उत्तरोत्तर क्रम के कम बिजली खर्च हुई। सड़कों व गलियों में रोशनी करने में कुल १·४ प्रतिशत बिजली खर्च हुई। सिंचाई में सन् १९४८ की अपेक्षा २४ प्रतिशत अधिक बिजली खर्च हुई। उद्योगों में कपड़े और पटसन की मिलों ने सबसे अधिक बिजली खरीदी।

राज्यों में बिजली का खर्च

भारत में सन् १९४९ में प्रति व्यक्ति पर बिजली का खर्च ११·६४ किलोवाट व ऑवर्स था। विभिन्न राज्यों की खपत निम्न है—दिल्ली (१०५), बम्बई (४७·७), पश्चिमी बङ्गाल (४०·७), मैसूर (३९), मध्यभारत, बिहार, हैदराबाद, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा पटियाला राज्य-संघ में प्रतिव्यक्ति खपत की मात्रा सिर्फ २-३ किलोवाट-ऑवर्स ही है। आसाम और उड़ीसा में बिलकुल ही कम

(½ और ¾) किलोवाट-ऑवर्स की खपत है।

सन् १९४९ में ९ नये विद्युत् स्टेशन बनाये गए, जिनमें ७ राज्य द्वारा संचालित और दो कम्पनियों के हैं। इनसे देश में बिजली के अधिकृत स्टेशनों की संख्या ४८६ हो गई है। इनमें से१९० का राज्य स्वामी है। इनसे कुल हिस्से की ४० प्रतिशत बिजली पैदा होती है। ४८६ स्टेशनों में से सब बिजली पैदा करने वाले नहीं हैं; ३४७ बिजली पैदा करने वाले हैं और शेष भारी तादाद में बिजली खरीद कर उसका परचून विक्रय करते हैं।

जलविद्युत् स्टेशनों की उत्कृष्टता

सन् १९४९ के उत्पादन के आंकड़ों से भाप या तेल से बनने वाली बिजली की अपेक्षा पानी की शक्ति से बनाई जानेवाली बिजली की श्रेष्ठता सिद्ध है।

यद्यपि भाप से चलने वाले बिजली के स्टेशनों की उत्पादन क्षमता कुल का ५५.५ प्रतिशत है, किन्तु वे कुल ४५.७ प्रतिशत बिजली पैदा करते हैं। इसके मुकाबले में जलविद्युत् स्टेशनों की उत्पादन-क्षमता कुल की यद्यपि ३६.४ प्रतिशत है, तथापि वे ५०.७ प्रतिशत बिजली पैदा करते हैं, कुल पैदावार का केवल ३.६ प्रतिशत भाग तेल की मशीनों से प्राप्त हुआ। कुल में से ९९ प्रतिशत बिजली ए० सी० मशीनों से पैदा की गई।

सन् १९४८ के अन्त में बिजली पैदा करने के समस्त उद्योग में

पूंजी

१,१८,६०,००,००० रुपये की पूंजी लगी हुई थी। इसमें से ५६,२०,००,००० राज्यों की और ६२,३०,००,००० कम्पनियों की है।

औसत मूल्य

समस्त भारत की दृष्टि से बिजली का औसत मूल्य ०.९६ आना फी इकाई रहा।

पशुधन

पशु मनुष्य के बहुत काम आते हैं; उसके जीवन-यापन को सुगम बनाते हैं। तिस पर हमारे देश में तो उनका बड़ा महत्त्व है। वे पीने को दूध देते हैं, बोझा ढोते हैं, खेती के लिए जमीन जोतते हैं, उनके गोबर से हम खाद बनाते हैं और मरने के बाद भी उनकी चमड़ी के जूते बनाकर पहनते हैं। भारत में पशु-पालन पर चिरकाल से जोर दिया जाता रहा है, और उसका इतिहास भी बहुत पुराना है। किन्तु आज उनकी बड़ी दुर्दशा है।

भारत में पशुओं की संख्या काफी बड़ी है, लेकिन आबादी के प्रति १०० व्यक्तियों के पीछे पशुओं की संख्या दूसरे देशों से काफी कम है। इसका हिसाब इस प्रकार है—

	वर्ग मील में पशु	प्रति १०० व्यक्तियों के पीछे पशुओं की संख्या
अर्जेन्टीन	३१	२५६
आस्ट्रेलिया	४	१६१
कैनाडा	२	७७
डैन्मार्क	१६५	८६
इंगलैंड	११७	१७
फ्रांस	७३	३७
जर्मनी	११०	२६
अमरीका	२२	५२
न्यूज़ीलैंड	४४	२८१
भारत	१३५	५५

देश के पशुधन में तरक्की हो रही है या अवनति, यह जानने के लिए पर्याप्त रूप में आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। अब तक जो पांच पशु-गणनाएँ हुई हैं उन सबमें जिन प्रदेशों में हर बार पशुगणना हुई है वहां

की पशु संख्या का हिसाब इस प्रकार है—

इन आंकड़ों में देश के केवल ४४ प्रतिशत गाय बैल व ५५ प्रतिशत भैंसों का हिसाब है; लेकिन ये आंकड़े देश में इस ओर की प्रवृत्ति की तरफ इशारा कर सकते हैं—

(००० जोड़ लें)	१९१९-२०	१९२४-२५	१९२९-३०	१९३५	१९४०
गाय-बैल	६५५२९	७०४२८	७४२८	७७८०१	७२९४०
१९१९-२० से अनुपात	१००	१०१.३	१०७.८	१११.९	१०४.९
भैंसें	२०३४४	२११८६	२२८८५	२४९२९	२४१४५
१९१९-२० से अनुपात	१००	१०४.१	११२.५	१२२.५	११८.७

देश में विविध कार्यों के लिए पशुओं का इस प्रकार प्रयोग होता है—

कृषि के लिए	६,९८,४६,०००
शहरों व कस्बों में	
गाड़ियाँ खींचने के लिए	११,२०,०००
बोझ उठाने के लिए	७१,०००
तेल की घानियाँ चलाने के लिए	३,७४,०००
	७,१४,११,०००

१९४० में देश में प्रति वर्ष मारे जा रहे जानवरों की संख्या ६६ लाख थी जिसमें ८० प्रतिशत गाय-बैल और २० प्रतिशत भैंसें थीं।

देश में बच्चा पैदा करने वाली व दूध देने वाली गायों और भैंसों की संख्या क्रमशः ४,८९,८८,००० और २,१४,३६,००० है। शहरों में इनका अनुपात क्रमशः केवल ४ और ६ प्रतिशत है। बाकी संख्या गाँवों में रहती है।

दूध देने वाली गायों और भैंसों की संख्या में १९२० से १९३० व १९४० में क्रमशः ६.०३ प्रतिशत और ५.३० प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि इन्हीं वर्षों में देश की आबादी की वृद्धि १९२० से क्रमशः १०.०७ प्रतिशत और २७.२३ प्रतिशत हुई। इस तरह बीस वर्षों में दूध के

साधनों में ५.३० और उसकी मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या में २७.२३ प्रतिशत वृद्धि हुई।

प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में पशु बीमारियों से मारे जाते हैं। अन्दाजा लगाया गया है कि देश को इस कारण से प्रतिवर्ष ३ करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होता है। वर्षा के अभाव से, चारे की फसल खराब होने पर व विविध प्रदेशों में बाढ़ आ जाने पर भी पर्याप्त संख्या में पशुहानि होती है।

पशुओं की संख्या
सन् १९४७-४८ (हजारों में)

देश	गाय-बैल	भेड़	सूअर	घोड़े
अर्जेन्टीन	४१२६८	५३०००	३५००	७४७३
आस्ट्रेलिया	१३७८५	९६३९६	१२५५	१२६५
ब्राजील	४५०००	१३२८३	५०००	६५२२
कैनाडा	८९४३	२९४२	५३८१	२२००
चीन	१८२००	८०८७	५९५१०	२०५५
डेन्मार्क	२८३१	१७८	१४६२	६५१
फ्रांस	१४९२२	७१९७	५६७८	२३५१
जर्मनी	१३२५०	३४७५	७८००	२२०८
भारत	१,३६,७३९	३७७२८	३७०९	१३९८
इटली	७२६३	७४००	३८९१	५८०
न्यूज़ीलैण्ड	४७००	३३९७५	५४५	२१६
पाकिस्तान	२३१४२	५९३१	९६	४४१
स्पेन	३८०८	२२,०००	ब	क
तुर्की	८०१६	२३५२८	२	१०३८
ब्रिटेन	९२१८	२०३५८	१७९३	ब
अमरीका	७८५६४	३८५७१	५५०३८	७२५१
रूस	ब	७२,०००	७२००	ब

उरूग्वे	ब	२५,०००	ब	ब

(ब) उपलब्ध नहीं है

भारत में विभिन्न प्रकार के पशुओं की कुल संख्या

सन् १९४५

गाय-बैल	१३,६७,३९,०००
भैंस	४,०७,३२,०००
भेड़	३,७७,२८,०००
बकरी	४,६३,०२,०००
घोड़े व खच्चर	१३,९८,०००
टट्टू	४५,०००
गधे	११,३१,०००
ऊँट	६,५६,०००
सूअर	३७,०९,०००
मुर्गियाँ	५,८२,४८,०००

विभिन्न राज्यों में पशुओं की संख्या (००० जोड़ लें)

	गाय-बैल	भैंस	भेड़	बकरी	मुर्गी	घोड़े व खच्चर	गधे	ऊँट	सूअर
अजमेर-मेरवाड़ा	२६३	८३	३७९	२२५	१६	२	५	२	४
आसाम	४४३०	४७०	२७	७४४	....	१४	क	....	२९२
भोपाल	७००	१५७	१५	४५	....	१०	३	क	....
बिहार	११२८९	२८६३	७३७	३२९९	५९१६	....	....	....	४०९
विलासपुर	६२	४४	९	२९	३	क	क	क	....
बम्बई	६९२३	२३५४	१८१६	२५९५	४७४८	१११	५४	२	५६
मध्यप्रदेश	११३९९	२१६९	३५६	१९८०	३८७५	१०९	२५	१	१३५
कुर्ग	११५	२५	....	२	१२३	क	क	....	२२
कच्छ	२५१	५७	४३०	३००	११	३	६	१७	....
दिल्ली	१०९	७२	९	४२	३५	१०	८	क	६
पञ्जाब	४११६	२८९७	९४८	१६५२	८८७	९०	१४४	११६	५४
हिमाचल प्रदेश	९९७	१५५	५८७	५४७	३२	६	२	क	३
मद्रास	१६३३५	६२८९	१०५६९	६०८८	१४७७५	५०	१५५	क	७४४
उड़ीसा	४६१४	३७४	२८३	६०६	१४१३	२	क	क	६६
पन्थपीपलोदा	३	१	....	१	१	....	....	....	....
रामपुर	२०५	१०८	५	४२	२१	५	१	क	२

उत्तरप्रदेश	२१०६८	८५२३	१८७४	५४७३	१५०५	३८१	२२२	६१	१२२७
पश्चिमी बङ्गाल	७८४८	६१६	३३६	२६४७	६४६६	२७	१	...	७५
कुल योग	८८५६२	२६७३६	१७३३७	२५३५४	३६७६३	७६६	६१४	१५२	३०६३
ख	११५१३	३१३६	२६१८	४१२३	५३६६	८७	८०	४६	१०५

(ख)—जो इलाके राज्यों में मिल गए हैं।
(क)—५०० से कम

भूतपूर्व भारतीय रियासतों में सन् १९४५ की पशु संख्या (००० जोड़ लें)

	गाय-बैल	भैंस	भेड़	बकरी	सूअर	मुर्गी	घोड़े व खच्चर	गधे	ऊँट
बनारस	१५५	६०	३३	२१	७	६	१	१	क
कोचीन	१८०	५७	१	७५	२	३०१	क	क	....
कूचबिहार	६०६	२२	२	१२७	१	२२६	१	क	क
हैदराबाद	८६७५	२६५०	५३०४	३६२३	१६१	४७४५	६६	६७	२
काश्मीर	२०८३	५६३	१५१३	११००	क	११३८	८७	२४	४
मणिपुर	१४४	१७	क	५	३४	....	१	....	....
मैसूर	४०६४	८६७	२२६५	१२८६	४७	२५११	११	३७	क
टिहरी गढ़वाल	२३८	१०१	६५	६१	१	५	१	क	....
त्रावंकोर	६८७	६३	३७३	१३	८३	२१३७	क	१	....
त्रिपुरा	१५८	३०	१	४४	१२	४३१	१	....	....

मध्यभारत	५२२७	१७०५	७००५	७२५१	६९	३२४	१३८	२०९	३८१
पटियाला राज्य संघ	१३९७	८४९	३६३	२१५	६	७५९	११४	३४	७
राजस्थान	८६६६	२९०१	३३८	१३८१	१२	२४५	१६	४९	६३
सौराष्ट्र	५९०	२३५	२९२	६५४	...	४१	१०	११	१
विन्ध्यप्रदेश	३४६१	६४७	१८८	६३६	४६	२१७	३५	४	क
कुलयोग	३६६६४	१०,८५७	१७,७७३	१६,८२५	५११	१३०८९	५१५	४३७	४५८

(क)— ५०० से कम

गाय-बैलों की कितनी ही नस्लें देश में पाई जाती हैं। प्रदेश अनुसार उनमें मुख्य नस्लों का ब्यौरा इस प्रकार है—

	उत्तरी भारत
हरियाना	दूध प्रतिदिन ६ से १२ सेर, वर्ष में २००० से ३००० पाउंड। रोहतक, गुड़गांव व हिसार में पाए जाने वाले पशु।
हिसार	इस नस्ल के बैल सन्तानोत्पादन के लिए बढ़िया समझे जाते हैं। गौएं अच्छी मात्रा में दूध देती हैं।
	दक्षिणी भारत
अलम्बड़ी	इस नस्ल के बैल बढ़िया होते हैं। गौओं का दूध कम होता है। मद्रास व मैसूर के कुछ जिलों में पाए जाने वाला पशु।
अमृत मदल	मुख्यतः मैसूर में। बहुत बढ़िया व परिश्रमी बैल; गौएं दूध देने में घटिया।
बगौर	मद्रास के कोइम्बटोर जिले में। पहाड़ी प्रदेशों के लिए बढ़िया बैल। गौएं घटिया।
दयोनी	हैदराबाद के मध्य में। अच्छी नस्ल। बढ़िया बैल व अच्छी गौएं।
हल्लीकर	सड़क व खेतों में बखूबी काम करने वाले बैल। गौओं का दूध बहुत कम होता है। मैसूर, मद्रास व बम्बई में। पाए जाने वाले पशु।
करयंम	मद्रास के कोइम्बटोर जिले में बढ़िया बैल; गौएं दो से ढाई सेर दूध देती हैं।
कृष्णा घाटी	हैदराबाद व बेलगाम जिले में कृष्णा व घाटप्रभा नदियों के किनारे के गांवों में। बैल काम

	करने में तेज़ होते हैं। गौएं प्रतिदिन २ से ३ सेर दूध देती हैं।
ओंगोल	मद्रास प्रान्त। बैल भारी काम करने के लिए उपयुक्त होते हैं लेकिन तेज नहीं चलते। गौएं ५ से ६ सेर दूध प्रतिदिन देती हैं। वर्ष-भर में ३५०० पौंड तक दूध देती हैं।
	बम्बई व सौराष्ट्र
डांगी	इस नस्ल के बैल अच्छे होते हैं,लेकिन गौए कम दूध देती हैं।
गीर	घटिया बैल, गौएं काफी दूध देने वाली। वर्ष में ३५०० पौंड तक दूध देती हैं।
कांक्रेज	बैल व गौएँ दोनों बढ़िया। रोज़ का दूध ४ से ५ सेर, वर्ष में ३४०० पाउंड।
खिल्लरी	बढ़िया बैल। गौएं घटिया।
	राजपूताना
नागोरी	इस नस्ल के बैल बढ़िया गिने जाते हैं और प्रसिद्ध हैं। गांवों में तांगा, रथ आदि खींचते हैं। गौए रोज़ का ४ सेर दूध देती हैं।
संचोर	नागोरी बैलों से कुछ घटिया किस्म के बैल। गौए ६ सेर तक प्रतिदिन दूध देती हैं।
	अलवर
रठ	बढ़िया बैलों की बढ़िया नस्ल।
खेरीगढ़	बैल अच्छे, गौए कम दूध देने वाली।
मेवाती	मथुरा, अलवर व भरतपुर में पाए जाने वाली नस्ल। अच्छे बैल व अच्छी गौए। दूध प्रति दिन ५ सेर।

पोंवर — बढ़िया बैल। गौएं रोज़ का २ सेर दूध देती हैं।

बिहार

बचौर — बिहार के बैलों की बढ़िया नस्ल। गौएं सिर्फ १ से २ सेर प्रतिदिन दूध देती हैं।

पुनिया — यह तथा शाहाबादी नस्लें भी मिलती हैं।

मध्य भारत व मध्य प्रदेश

गाओलाओ — बैल अच्छे, गौएं २ सेर दूध रोज़ देती हैं।

मालवा — हर काम व जलवायु के लिए बढ़िया बैल। कम खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं।

निमारी — अच्छे बैल। गौएं १॥ से २ सेर तक दूध देती हैं।

गोशालाओं और पिंजरापोलों की संख्या

१.	गोशाला और पिंजरापोल	३०००
२.	उनमें पशुओं की संख्या	
	(१) अच्छे दुधारु पशु	१,२०,०००
	(२) संतति के योग्य पशु	१,२०,०००
	(३) वृद्ध, दुर्बल और सन्तति के अयोग्य	३,६०,०००
	कुल	६,००,०००

दूध का कुल उत्पादन (लाख मनों में) सन् १९४५

	गाय का दूध	भैंस का दूध	बकरी का दूध	कुल दूध
आसाम	१९·९४	५·६७	०·८७	२६·४८
बिहार	२२२·७१	२१७·४६	२·७४	४४२·९१
बम्बई	५९·३५	२४९·५२	९·९९	३१८·८६
मध्यप्रदेश	३७·८८	६६·७५	४·३०	१०८·९३
दिल्ली	४·३८	९·५०	०·२०	१४·०८
पंजाब	१८८·६५	३९१·८९	१७·७९	५९८·३३

	गाय का दूध	भैंस का दूध	बकरी का दूध	कुल दूध
हिमालय प्रदेश	४०.२३	१६.८१	२.६५	६२.६६
मद्रास	२७८.६०	२८६.१२	१२.१८	५७६.६०
उड़ीसा	७२.६५	१६.६६	०.४३	६२.७७
उत्तरप्रदेश	४१७.१२	६८४.७४	१७.४०	११११.२६
पश्चिमी बंगाल	१४५.६०	१६.०७	३.२६	१६५.२६
हैदराबाद	३६.८६	११६.०६	५.६६	१६४.६१
काश्मीर	२४.६६	२४.६४	०.६६	५०.५६
मैसूर	४२.२०	४०.१६	५.६४	८८.०३
त्रावंकोर	२०.०१	२.४७	०.०३	२२.५१
मध्यभारत	६८.३७	७२.८२	२.३६	१४३.५८
पटियाला राज्य-संघ	४०.६७	८२.४३	८.२५	१३१.६५
राजस्थान	१३८.६५	६२.२५	८.८१	२४०.०१
सौराष्ट्र	६१.८७	११३.५०	७.६१	१८३.२८
विन्ध्य प्रदेश	१०.४१	२१.४६	१.३२	३३.२२
अन्य राज्य	१२७.७३	८३.२१	१६.६४	२३०.६८
योग	२०६२.४४	२६१६.७१	१३३.३५	४८१५.५०

राज्यवार पशु एक साल में औसतन कितना दूध देते हैं
(उत्पादन पौण्डों में)

	प्रति गाय	प्रति भैंस	प्रति बकरी
आसाम	१४०	३१५	८०
बिहार	६२०	१५२६	३४०
बम्बई	१४०	८४०	११५
मध्यप्रदेश	६५	५४५	११०
दिल्ली	१२७०	२०००	११०
पंजाब	१४४५	२३२०	४४०
हिमाचल प्रदेश	६००	१२००	२००

मद्रास	४५०	८००	१८०
उड़ीसा	२४५	६००	२००
उत्तर प्रदेश	६२५	१२४०	१२५
पश्चिमी बंगाल	४२०	६६०	८०
बड़ौदा	३४५	१८१०	१३०
हैदराबाद	१३०	८२५	५०
काश्मीर	२८०	५७०	६०
मैसूर	२४०	५६०	१८०
ट्रावंकोर	४१०	६१०	६५
राजस्थान	७३०	६००	१००
मध्यभारत	३२०	६४५	१००
पटियाला राज्य-संघ	६००	१६६७	२२५
सौराष्ट्र	१०००	२५००	२००
विन्ध्य प्रदेश	६५	४४५	१००
अन्य क्षेत्र	४८१	८२६	१०७
कुलयोग औसत	४१३	११०१	१३४

औसत वार्षिक उत्पादन

देश	अण्डे प्रति मुर्गी संख्या में	दूध प्रति गौ पौंड में
आस्ट्रेलिया	क	३,४६३
आस्ट्रिया	६५	४,६२६
बेल्जियम	१३७	६,८८६
कैनाडा	११६	३१६५
चेकोस्लोवाकिया	६५	४०६०
डेन्मार्क	१२०	७००५
फ्रांस	६०	३७७५
जर्मनी	१०७	५३०५

हंगरी	क	४०७६
भारत	५३	४१३
आयरलैण्ड	१३०	४५७६
जापान	क	५८५७
फिलस्तीन	६५	क
हालैण्ड	१००	७५५६
न्यूजीलैण्ड	क	५११८
नार्वे	क	३७२३
पोलैण्ड	क	३०२१
स्वीडन	क	३४३१
स्विट्ज़रलैण्ड	८६	६४६८
तुर्की	८०	२२२५
ब्रिटेन	१०२	५५७६
अमरीका	११७	४१२६

(क)—आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत
(औंस प्रतिदिन)

आसाम	१.२३
बिहार	४.३७
बम्बई	३.०२
मध्य प्रदेश	२.००
दिल्ली	५.५३
पंजाब	१६.८६
मद्रास	४.१८
उड़ीसा	२.६४
उत्तर प्रदेश	७.१६

पश्चिमी बंगाल	२.७७
बड़ौदा	१३.५७
हैदराबाद	३.६४
काश्मीर	४.५४
मैसूर	४.३३
त्रावंकोर	१.३४
मध्यभारत	७.३४
मत्स्य संघ	११.०२
पटियाला राज्य-संघ	३.६७
राजस्थान	१५.७२
सौराष्ट्र	१८.७८
विन्ध्य प्रदेश	३.२६
अन्य राज्य	५.८७
भारत यूनियन	५.४५

अन्य देशों में प्रति व्यक्ति खपत (सन् १९४६-४७)
(औंस प्रतिदिन)

देश	दूध	मक्खन	पनीर	अण्डे	मांस
अर्जण्टीन	क	०.२२	०.४५	०.६७	११.८६
आस्ट्रेलिया	४५	१.११	०.२७	१.२६	८.७०
कैनाडा	३५	१.१२	०.१८	०.५४	५.५१
डेन्मार्क	४०	१.३६	०.७६	०.०६	४.८३
फ्रांस	३०	०.३३	०.४६	०.७५	३.४८
भारत	५	०.१८	क	०.११	क
आयरलैण्ड	क	१.७६	०.११	१.८५	४.३५
न्यूज़ीलैण्ड	५६	१.३१	क	१.२०	१३.५३
पाकिस्तान	७	क	क	क	क
स्वीडन	६१	क	क	१.०३	४.०६

स्विट्जरलैण्ड	४१	०.४६	०.८७	०.६७	३.०१
ब्रिटेन	३१	०.४८	०.४४	०.९३	४.९३
अमरीका	.३५	०.४५	०.३०	२.०६	७.४४

(क) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दूध की उत्पत्ति व उसमें वृद्धि की योजनाएं

हर भारतवासी का स्वास्थ्य उचित तल पर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक को प्रतिदिन १ पौंड दूध अवश्य मिले। इस हिसाब से देश में प्रतिवर्ष १ अरब ३० लाख मन दूध पैदा होना चाहिए। देश के ९ राज्यों के लिए एक पञ्चवर्षीय योजना बनाई गई है जिससे दूध की उत्पत्ति में निम्न अनुपात से प्रतिवर्ष वृद्धि होगी :

राज्य	आजकल की दूध की उत्पत्ति (लाख मन)	पञ्चवर्षीय योजनानुसार वृद्धि १ वर्ष	२ वर्ष	३ वर्ष	४ वर्ष	५ वर्ष
आसाम	२६	०.३७	०.९४	१.७०	२.७१	४.०५
उड़ीसा	७५.५	०.७४	१.८९	३.४६	५.४८	८.०६
पश्चिमी बङ्गाल	१४३	१.५०	३.८०	६.५७	११.४२	१६.९२
पूर्वी पञ्जाब	५२५	२.३७	६.३०	११.९४	१९.१८	२८.२०
बम्बई	१६१	१.६९	४.२९	८.१०	१३.०३	१९.१३
बिहार	४५७	३.९१	१०.१०	१८.८३	३०.००	४३.८८
मद्रास	५६१	६.४७	१६.७१	३१.१०	४९.८९	७३.५९
मध्यप्रदेश	८७.५	०.९९	२.५८	४.८	७.६५	११.२९
उत्तर प्रदेश	११२६	९.६८	२४.९१	४६.१४	७३.६४	१०८.०२
जोड़	३१६२	२७.७२	७१.५२	१३२.६४	२१३.०	३१३.१४

कुल पशुधन

	मक्खन (टनों में)	घी (टनों में)	मांस (टनों में)	अंडे लड़ाई से पहले (लाखों में)	खाल (लाखों की संख्या में)	ऊन (पौंडों में)
आसाम	३२०	१२१२	९५५४	३९९.६	५.०६	नगण्य
बिहार	७७९	४०८१६	८४९२१	२६३१.६	५३.५	७,३४,२८२
बम्बई	२३२५	३३१३८	३९८९७	२८९३.१	४८.४	४८,३५,६६०
मध्यप्रदेश	१६४२	१६०१८	२१३४२	१०८५.८	३२.९	४,४०,७४१
कुर्ग	....	....	....	९.२	....	नगण्य
दिल्ली	७०	५१४	....	६.३	....	१,२३,८१७
पञ्जाब	३८१५३	४१२२०	२१७५८	६७६.३	१४.८९	४३,०००,२५
हिमाचल प्रदेश	....	४४४५	....	....	....	१,७३०,१९८
मद्रास	२६५	४६८४०	१७२५५०	५५२३.८	११३.५	४५,०३,१८०
पश्चिमी बंगाल	२५६	८३७६	७१७०६	१८८५.८	३०.९२	३,२५,२३२
कोचीन	....	....	....	२००.२	....	१७०
हैदराबाद	५०३	२४०६३	४७८७९	२३७२.९	४८.८	४२,४६,१७७

काश्मीर	२२	३४६०	....	५०३.७	६.५	१६,६२,४६१
मैसूर	४४१६	५६२१	३४७६०	१०७८.६	१३.२	२०,६६,३७०
त्रावंकोर	....	१६४७	....	१४२६.६	२.१	८४,५५०
मध्य भारत	....	५६६४	....	....	....	७,२५,६७२
पटियाला राज्य-संघ	....	२४२५	....	६६.६	....	६,१६,०७६
राजस्थान	....	३३५४१	....	....	४३.५	१,७३,७४,३१६
सौराष्ट्र	....	१७७०८	....	....	... .	२६,७३,४३१
विन्ध्य प्रदेश	....	२५७२	....	....	....	५,३३,१५२
उड़ीसा	नगण्य	८८५४	....	४५७.४	१०	१३०२
उत्तर प्रदेश	६६२३	७४२४७	११८०१८	४६०२.२	६१.८	५२,७४,५१६
अन्य	५११७	३६,६२७	१७७१६४	१७६६.६	६३.६	१६,४६,२२५
योग	६३,४६१	४,०६,३६८	७,६६,५७६	२७६१६.६	२२६.२	५,४५,३३,५८६

शिक्षा

हमारे देश का संविधान प्रजातन्त्री है, किन्तु सच्चे अर्थों में प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए देश के सब नागरिकों का शिक्षित होना आवश्यक है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश की उन्नति वहाँ के नागरिकों की की शिक्षा से नापी जाती है। प्रजातन्त्र का अस्तित्व अच्छे नागरिकों पर निर्भर करता है और अच्छे नागरिकों का निर्माण शिक्षा से होता है। देश को समृद्ध बनाने के लिए भी अधिकाधिक वैज्ञानिक और टैकनिकल शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि पैसा और दिमाग़ मिलकर ही सम्पत्ति पैदा करते हैं।

स्वतन्त्र भारत को अंग्रेजी राज्य से जो विरासत मिली थी, उसमें ८५ प्रतिशत भारतीय अज्ञानान्धकार में डूबे हुए थे। उनको ज्ञान का आलोक दिखाना स्वाधीन भारत का सबसे महान् और पुण्य कर्तव्य है।

केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारें अपने इस कर्तव्य को लक्ष्य कर उसको पूरा करने के लिए अभी कदम भी नहीं बढ़ा पाई थीं कि स्वाधीन होने के तुरन्त बाद अनेक विपदाओं ने देश को आ घेरा। उन विपत्तियों को दूर करने में ही उनकी अधिकांश शक्ति और पैसा लगा रहा और वे शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पाईं।

सन् १९४४ में सार्जेण्ट शिक्षा समिति ने जो रिपोर्ट पेश की थी, उसमें ४० वर्षों में सबको शिक्षित किए जाने की योजना थी, किन्तु स्वाधीन भारत इतने वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। इसलिए सन् १९४८ के आरम्भ में एक और खेर समिति नियुक्त की गई। उसने अपनी रिपोर्ट में यह योजना पेश की कि पहले दो पञ्चवर्षीय योजनाओं में ६ से ११ वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाय और उसके बाद ५ वर्षों में यह अनिवार्य शिक्षा ६ से १६ वर्ष तक के बच्चों में जारी कर दी जाय। इस प्रकार कुल १६ वर्षों में अर्थात् सन् १९६४-६५ के वर्ष तक भारत में अनिवार्य शिक्षा हो जाय।

खेर समिति की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सन् १९६४-६५ में अनिवार्य शिक्षा योजना के पूरा हो जाने पर हाई स्कूल तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या १०,२८,२५,००० होगी, जिन पर प्रतिवर्ष ३,८४,६४,०२,००० रुपया व्यय हुआ करेगा। समिति ने ३० विद्यार्थियों के लिए एक अध्यापक के हिसाब से अनुमान लगाया है कि सन् १९६४-६५ के अन्त में अनिवार्य शिक्षा के काम को चलाने के लिए ३४,२७,५०० अध्यापकों की आवश्यकता होगी, जिनको तैयार करने के लिए प्रतिवर्ष ८,८६,२९,२०० रुपयों की आवश्यकता होगी।

केन्द्रीय सरकार का सन् १९५०-५१ का कुल बजट (रेलवे बजट को छोड़ कर) लगभग ३ अरब रुपये का था, जिसमें से उसने शिक्षा पर सिर्फ ६ करोड़ रुपया व्यय करने का निश्चय किया है। भूतपूर्व रियासतों को छोड़कर शेष भारत ने सन् १९४६-४७ में शिक्षा पर ४४, ८२, १५,००० रुपये खर्च किए। भारत की आर्थिक स्थिति सन् १९४६-४७ की अपेक्षा आज कुछ अधिक अच्छी नहीं है, इसलिए यह अनुमान है कि वर्तमान समय में शिक्षा पर ६० करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं हो हो रहा है। अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य के स्वप्नों को देखते हुए यह सहज ही आंका जा सकता है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में कितना अधिक काम करना है।

इस आर्थिक तंगी के बावजूद देश शनैः-शनैः शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। स्कूलों में तथा उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत के स्वाधीन होने के बाद काश्मीर, पूना, सागर, गोहाटी व राजपूताना विश्वविद्यालय कायम हो चुके हैं। मध्यभारत व सौराष्ट्र में शीघ्र ही विश्वविद्यालय स्थापित होने की आशा है। इसके अलावा टैकनिकल व वैज्ञानिक क्षेत्र में भी प्रगति की गई है। वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए ११ प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं। विदेशों से सांस्कृतिक और शैक्षणिक सम्बन्ध बढ़ाये जा रहे हैं।

छात्रवृत्तियाँ

सन् १९४५ में भारत सरकार ने चुने हुए विद्यार्थियों को समुद्र पार जाकर विशिष्ट अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में ८६१ विद्यार्थी समुद्र पार भेजे गए, जिनमें से ३१ मई १९५० तक ३७६ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके आए।

हरिजन और पिछड़ी जाति के १४९८ विद्यार्थियों को इस वर्ष छात्र-वृत्ति प्रदान की गई। यह योजना सन् १९४४-४५ में प्रारम्भ की गई थी, उसके बाद इस मद में निम्न व्यय किया गया।

वर्ष	अर्जियों की संख्या	प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या	व्यय (स्वीकृत) रुपये
१९४४-४५	१३०	११४	६३,४९९
१९४५-४६	३५०	२९२	१,७२,८९५
१९४६-४७	९१०	५२७	३,५२,८०३
१९४७-४८	१४५०	६५१	४,३४,३८२

इस योजना की अवधि ५ वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है तथा उसका बजट भी बढ़ा कर १० लाख रुपया कर दिया गया है।

अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ७० विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं तथा ४५ अनु-सन्धान छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं।

इनके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में बहुत दिलचस्पी लेता है, और उसने इस वर्ष अपने हिस्से के रूप में उसे १४ लाख रुपये दिए हैं।

शिक्षामंत्रालय ने बुनियादी शिक्षा की उन्नति के लिए सन् १९४९-५० में राज्यों को १३,५०,००० रुपये दिए और सामाजिक शिक्षा के लिए ५०,९६,००० रुपये प्रदान किए।

शिल्प शिक्षा

उद्योग, कृषि, परिवहन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि की उन्नति के लिए बनाई गई योजनाओं की पूर्ति के लिए काफी संख्या में चतुर शिल्पी चाहिएँ। भारत में इनकी बहुत कमी है।

शिल्प विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी समिति की सिफारिश पर चार उच्च शिक्षणालय स्थापित करने का निश्चय किया है। प्रत्येक शिक्षणालय में लगभग २००० स्नातकाधर और १००० स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण और गवेषणा की व्यवस्था होगी। इस समय बंगलोर में एक उत्तम शिल्प शिक्षणालय है, जिसे और भी उन्नत किया जा रहा है। शिल्प सम्बन्धी गवेषणा के लिए सन् १९४९-५० में केन्द्रीय सरकार ने कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों को २०॥ लाख रुपये की ग्रान्ट दी और २०० रुपये मासिक की ५० तथा १०० रुपये मासिक की १५० गवेषणा छात्रवृत्तियां प्रदान कीं।

शिल्पियों और वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की योजना भी भारत सरकार ने चालू कर रखी है, जिसके अन्तर्गत १००० व्यक्तियों को विदेश भेजा गया, जिनमें से ६० प्रतिशत वापस लौट आये हैं।

भारत में साक्षरता

सन् १९४९ में भारत में १८ प्रतिशत आदमी साक्षर थे। सन् १९४१ के आंकड़ों से इसमें ३·४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि १४·६ प्रतिशत लोग साक्षर थे।

विभिन्न राज्यों में साक्षरता निम्न प्रकार है—दिल्ली में ३१·६%, कुर्ग में ३०·५%, बिहार में ११%, उत्तरप्रदेश में ११·१%, आसाम में १७·९%, पश्चिमी बंगाल में २२·५%, बम्बई में २९·५%, मध्यप्रदेश में १४·७%, मद्रास में २१·५%, उड़ीसा में १४·१%, पंजाब में १७% और अजमेर-मेरवाड़ा में २०·४%।

भूतपूर्व भारतीय रियासतों में सबके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

मध्यभारत में साक्षरता सबसे कम ४·८% है। त्रावंकोर में सबसे अधिक ५६·१% साक्षरता है; दूसरे नम्बर पर कोचीन में ४१·७% लोग साक्षर हैं। इनके बाद बड़ौदा का नम्बर आता है, जहाँ साक्षरता २७·१% है।

सन् १९४९-५० में राज्यों की प्रगति

आसाम — ८२८ गांवों और ८ शहरों में अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रम को लागू किया गया। ८००० अतिरिक्त अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई। कबायली जातियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। गोहाटी विश्वविद्यालय की इमारतों के लिए ५,००,००० रुपया दिया गया।

भोपाल — गांवों में २० प्राइमरी स्कूल खोले गए। पांचवीं और छठी जमात में हिन्दी आवश्यक कर दी गई।

बिहार — बुनियादी शिक्षा पर बिहार में सन् १९४९-५० में ८८ लाख रुपया व्यय किया गया। ६ बुनियादी ट्रेनिंग स्कूल तथा ४३५ बुनियादी स्कूल खोले गए। ६ बुनियादी ट्रेनिंग स्कूल प्रतिवर्ष ६०० अध्यापकों को ट्रेनिंग दिया करेंगे। नेशनल कैडट कोर संगठन के मातहत ४४६५ विद्यार्थियों को प्रारम्भिक सैनिक शिक्षा दी गई। अध्यापकों की वेतन वृद्धि की गई, जिस कारण सरकार को शिक्षा पर १,२०,००,००० रुपया अधिक खर्च करना पड़ा।

बम्बई — बम्बई की सरकार ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली के विस्तार के लिए तीन बुनियादी ट्रेनिंग कालेज स्थापित किए। गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं को ६ लाख से अधिक रुपये की ग्रान्ट दी गई। वैज्ञानिक और टैकनिकल ट्रेनिंग के लिए २३ छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं। सरकार ने सर्वोदय के तीन केन्द्र खोलने का निर्णय किया है।

वयस्कों को नागरिक कर्त्तव्यों व स्वास्थ्य आदि की ट्रेनिंग दी जाने लगी है।

कुर्ग जून, १९४९ में मरकाश में पहला कालेज खोला गया। हिन्दी पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की गईं।

हैदराबाद सन् १९४९–५० में शिक्षा का पुनर्गठन किया गया। कुछ मिडल तथा प्राइमरी स्कूल स्थापित किये गए तथा कुछ प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूल तथा मिडल स्कूलों को हाई स्कूल बनाया गया। सरकार ने रैयतवारी छात्रवृत्तियों के लिए २ लाख रुपया दिया। ४५,००० रुपया उन छात्रों को दिया गया जो पुलिस कार्रवाई के बाद निराश्रय हो गए।

जम्मू और काश्मीर प्राइमरी और मिडल स्कूलों की समस्त पाठ-विधि को बदल दिया गया। नई पाठ्यपुस्तकें बनाई गईं। प्रारम्भिक शिक्षा के लिए काश्मीरी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। काश्मीरी लिपि में काफी सुधार किया गया। समस्त राज्यों में समाज शिक्षा के केन्द्र खोले गए। ६० स्थानों पर प्राइमरी स्कूल खोले गए। सितम्बर १९४९ में काश्मीर विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षान्त भाषण हुआ।

मध्य भारत ९८६ प्राइमरी स्कूल खोले गए, १६३ प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूल बनाया गया। उज्जैन में विश्वविद्यालय तथा इन्दौर में इञ्जिनियरिंग कालेज तथा ग्वालियर में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय किया गया है। समाज-शिक्षा के २०० केन्द्र खोले गए। शिक्षा-संस्थाओं में अनिवार्य शारीरिक और सैनिक ट्रेनिंग जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में समाज शिक्षा मई १९४८ में प्रारम्भ की गई थी। तब से अब तक ४८४ कैम्पों में ५ लाख आदमी समाज-शिक्षा पा चुके हैं। सन् १९५०–५१ में ३०० प्राइमरी स्कूल खोलने का निश्चय किया गया है। जबलपुर में एक टैकनिकल हाई स्कूल और इञ्जिनियरिंग कालेज की स्थापना की गई है।

मद्रास

बुनियादी शिक्षा, ट्रेनिंग और वयस्क-शिक्षा के अनेक स्कूल खोले गए। निजी रूप से स्कूल बनाने वाले व्यक्तियों को १० लाख रुपये की मदद दी गई। सैकण्डरी शिक्षा तक आदिवासी छात्रों तथा शरणार्थी छात्रों की फीस माफ की गई। एक लाख रुपया सार्वजनिक पुस्तकालयों को दिया गया। लड़कियों के स्कूलों में घरेलू विज्ञान तथा लड़कों के स्कूलों में दस्तकारी सिखाने का बन्दोबस्त किया गया। हाईस्कूलों में हिन्दी अनिवार्य कर दी गई है।

उड़ीसा

अध्यापकों की तनख्वाहें बढ़ाई गईं। सन् १९५०–५१ में शिक्षा पर १,५१,७७,००० रुपया व्यय करने का निश्चय किया गया है। छठी से नवीं जमात तक हिन्दी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। कुछ छात्र ललित कलाओं की शिक्षा के लिए शान्तिनिकेतन भेजे गए।

पटियाला राज्य-संघ

इस वर्ष के बजट में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। लड़कियों का एक महाविद्यालय खोला गया है। प्राइमरी स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में सहशिक्षा की व्यवस्था की गई है। लड़कों को चौथी जमात तक, तथा लड़कियों को और हरिजन छात्रों को दसवीं तक शिक्षा मुफ्त दी जाती है। शिक्षा का माध्यम पञ्जाबी और हिन्दी है।

पञ्जाब की सरकार ने सब शिक्षा संस्थाओं को पुनर्वासित कर एक

पञ्जाब

नया विश्वविद्यालय कायम किया है। लोगों को समाज-शिक्षा देने के लिए १०८ केन्द्र खोले गए हैं। पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। उनके लिए ८ आश्रम स्कूल खोले गए, जिनमें उन्हें दस्तकारी की शिक्षा दी जाती है। उनके खान-पान, कपड़े और फीस का सारा खर्च सरकार देती है। सरकार ने ५८ वाचनालय खोले।

राजस्थान

राजस्थान का शिक्षा-बजट पिछले साल से ३० लाख रुपये अधिक है। सामाजिक शिक्षा व साधारण विज्ञान को आवश्यक कर दिया गया है। पहले से ८ वीं जमात तक दस्तकारियाँ सीखना अनिवार्य कर दिया जायगा। बीच की (मिडल) श्रेणियों में अंग्रेजी ऐच्छिक विषय कर दिया गया है।

राजस्थान की सरकार इस वर्ष ५०० नये प्राइमरी स्कूल खोलने, ५० प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूल बनाने, २० मिडल स्कूलों को हाई स्कूल बनाने व एक हाई स्कूल को कालेज बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। गरमी की छुट्टियों में २००० अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई है।

त्रावंकोर-कोचीन

सरकार ने चेरपू में सेवाग्राम की ही तरह का एक बुनियादी शिक्षा-केन्द्र खोलने का निश्चय किया है। दो और ताल्लुकों में अनिवार्य शिक्षा जारी कर दी गई।

उत्तर प्रदेश

सन् १९४७ से १९५० तक ११,१३५ नये स्कूल खोले गए, जो ८ से अधिक बच्चों को शिक्षा देते हैं। शहरों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। सन् १९४९–५० में २१,६०८ स्कूल थे जिनमें ३ लाख से अधिक बच्चे पढ़ते थे। केन्द्रीय सरकार से ११ लाख की सहायता से समाज-शिक्षा का प्रचार किया गया। सैनिक-शिक्षा तीन और जिलों में जारी की गई।

विन्ध्य प्रदेश में १०० नये स्कूल खोले गए। छतरपुर के महाराजा

विन्ध्य प्रदेश — इन्टर कालेज को डिग्री कालेज तथा टीकमगढ़ हाई स्कूल को इन्टर कालेज बना दिया।

सरकार ने प्राइमरी शिक्षा पर ८५ लाख रुपया खर्च किया। शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाया गया। सब प्राइमरी

पश्चिमी बङ्गाल — स्कूलों को शनैः-शनैः बुनियादी स्कूल बना देना सरकार की नीति है। सरकार ने ४२ जूनियर बेसिक स्कूल खोले। बेसिक शिक्षा पर ७॥ लाख रुपया खर्च किया गया। सैकण्डरी शिक्षा के विकास के लिए एक सैकण्डरी शिक्षा बोर्ड स्थापित किया गया। स्त्रियों के लिए एक नया कालेज खोला गया। पिछड़े हुए वर्गों को उच्च शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की गईं। बंगाल इन्जिनियरिंग कालेज में अब १२०० विद्यार्थी पढ़ सकते हैं।

वयस्क शिक्षा के ५०८ केन्द्र खोले गए जिनमें एक तिमाही में १२०० वयस्क शिक्षा पाते हैं। निजी संगठनों ने ४०० बुनियादी वयस्क शिक्षा केन्द्र खोले।

सन १९४६-४७ में प्रान्तों का शिक्षा पर व्यय

प्रान्त	कुल व्यय (रुपये लाखों में)	व्यय प्रतिव्यक्ति रुपये
आसाम	१२४·५०	१·१
पश्चिमी बंगाल	४४७·५४	०·६
बिहार	२६६·१२	०·७
बम्बई	९६०·११	४·१
मध्यप्रदेश	२१५·२८	१·२
मद्रास	१२९५·८६	२·५
उड़ीसा	९१·५४	१·०
पूर्वी पंजाब	२२५·९८	०·७
उत्तर प्रदेश	७१०·४६	१·२

अजमेर-मेरवाड़ा	२३·५२	४·१
कुर्ग	४·५५	३·०
दिल्ली	८३·६६	६·२
कुल योग	४४८२·१५	औसत—१·४

खेर समिति की रिपोर्ट के अनुसार सन् १९४९-५० से सन् ५६-५७ तक पढ़ने जाने वाले बच्चों की आनुमानिक संख्या (लाखों में)

आयु वर्ग	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	५५-५६	५६-५७
६-७	८८·६७	८९·९१	९१·१७	९२·४४	९३·७३	९५·०५	९६·३८	९७·७२
७-८		८७·०७	८८·२९	८९·५३	९०·७८	९२·०५	९३·३४	९४·६५
८-९			८५·५०	८६·७०	८७·९१	८९·१५	९०·३९	९१·६६
९-१०				८३·९७	८५·१४	८६·३३	८७·५४	८८·७७
१०-११					८२·४५	८३·६०	८४·७८	८५·९६
११-१२						८०·९७	८२·१०	८३·२५
१२-१३							७९ १५	८०·६२
१३-१४								७८·०८
१४-१५								
१५-१६								
१६-१७								
योग	८८·६७	१७६·९८	२६४·९६	३५२·६४	४४०·०१	५२७·१५	६१४·०४	७००·७१

खेर समिति की रिपोर्ट के अनुसार सन् १९५७-५८ से सन् १९६४-६५ तक पढ़ने जाने वाले बच्चों की आनुमानिक संख्या (लाखों में)

आयु वर्ग	१९५७-५८	५८-५९	५९-६०	६०-६१	६१-६२	६२-६३	६३-६४	६४-६५
६-७	९९·१०	१००·४८	१०१·८९	१०३·३२	१०४·७७	१०६·२२	१०७·७२	१०९·२२
७-८	९५·९७	९७·३१	९८·६८	१००·०५	१०१·४६	१०२·८८	१०४·३१	१०५·७८
८-९	९२·९४	९४·२४	९५·५६	९६·९०	९८·२५	९९·६३	१००·९३	१०२·४४
९.१०	९०·२४	९१·२७	९२·५४	९३·८४	९५·१५	९६·४९	९७·८३	९९·२१
१०-११	८७·३९	८८·३९	८९·६३	९०·८८	९२·१५	९३·४४	९४·७५	९६·०८
११-१२	८४·४२	८५·६१	८६·८०	८८·०१	८९·१५	९०·५०	९१·७६	९३·०४
१२-१३	८१·७५	८२·९०	८४·०६	८५·२३	८६·४३	८७·६४	८८·८७	९०·१०
१३-१४	७९·१७	८०·२८	८१·४१	८२·५५	८३·७०	८४·८७	८६·०६	८७·२६
१४-१५	७६·६८	७७·७५	७८·८३	७९·९४	८१·०६	८२·१९	८३·३४	८४·५१
१५-१६		७५·२९	७६·३५	७७·४१	७८·५०	७९·६१	८०·७१	८१·८५
१६-१७			७३·९४	७४·९८	७६·८९	७७·०८	७८·१७	७९·२६
योग	७८७·२१	७७३·५१	९५९·६९	९७३·११	९८६·७४	१०००·५५	१०१४·५५	१०२८·२५

खेर समिति की रिपोर्ट के अनुसार अनिवार्य शिक्षा पर (जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक और हाई स्कूलों के जूनियर विभाग) सन् १९४९-५० से लेकर सन् १९५४-५५ तक का आनुमानिक व्यय (रुपये लाखों में)

राज्य	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५
आसाम	३१·३६	६४·१४	९८·४६	१३३·८९	१७०·८७	२५९·६९
पश्चिमी बंगाल	९३·७१	१९१·६३	२९३·७५	४००·०२	५१०·१३	७७५·५१
बिहार	१५१·०२	३०९·२१	४७४·३८	६४६·१६	८२४·७१	१२५३·६०
बम्बई	१०३·८७	२०७·९६	३२५·५६	४४३·७४	५६६·१३	८६०·३०
मध्य प्रदेश	६५·९६	१३२·७७	२०६·७५	२८१·५५	३५७·७४	५४४·५४
मद्रास	१८०·८५	३६९·८२	५६६·८६	७७२·००	९८५·२४	१४९७·३८
उड़ीसा	४७·८६	९७·८७	१५०·००	२०४·२८	२६०·७०	३९६·२२
पूर्वी पंजाब	५५·१०	११२·६६	१७२·७०	२३५·१२	३००·०६	४५६·०८
उत्तर प्रदेश	१९०·५१	३८९·४५	५९६·९६	८१२·८८	१०३७·१५	१५६३·७२
अजमेर-मेरवाड़ा	२·११	४·३२	६·६१	९·०२	११·५०	१७·४८
अंडेमान और निकोबार द्वीप	७·०८	०·१७	०·२६	०·३५	७·४५	०·७१

कुर्ग	०'४९	०'९९	१'५२	२'०७	२'६४	४'०२
दिल्ली	४'३७	८'९०	१३'६८	१८'६२	२३'७६	३६'२०
हिमाचल प्रदेश	४'२७	८'७४	१३'४०	१८'२४	२३'२९	३५'३८
कच्छ	१'८०	३'६६	५'६१	७'६३	९'७७	१४'८६
पंथ पीपलोदा	०'०२	०'०५	०'०७	०'०९	०'११	०'१९
भारत (रियासतों को छोड़ कर)	९३८'३८	१९०३'३४	२९२६'५७	३९८५'६६	५०८४'२५	७७१५'८८
रियासतें	२०९'७२	४२८'९०	६५७'४१	८९५'३३	११३१'५३	१७२५'८३
कुलयोग	११४८'१०	२३३२'२४	३५८३'९८	४८८०'९९	६२१५'७८	९४४१'७१

खेर समिति की रिपोर्ट के अनुसार अनिवार्य शिक्षा पर (जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक और हाई स्कूलों के जूनियर विभाग) सन् १९५५-५६ से लेकर सन् १९६१-६२ तक का आनुमानिक व्यय

(रुपये लाखों में)

राज्य	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०	१९६०-६१	१९६१-६२
आसाम	३५२'१४	४४८'२५	५२०'९०	५९३'४१	६७१'२९	७५१'३६	८३३'९६
पश्चिमी बंगाल	१०५१'७९	१३३८;९१	१५५६'३२	१७८१'०२	२२९०'३३	२५२९'६४	२७७५'६५
बिहार	१७००'१८	२१६४'११	२५०८'८४	२८६७'१९	३२४०'५७	३६२८'९८	४०२७'८८
बम्बई	११६६'४८	१४८६'४७	१७२७'४९	१९७६'४९	२२३३'८३	२४९८'९९	२८११'६७

मध्य प्रदेश	७३८'९६	९४१'०७	१०९४'२४	१२५२'३९	१४१२'८१	१५८४'०३	१७५७'७४
मद्रास	२०२१'१७	२५७५'२१	२९९४'८७	३४८८'७६	३९३६'७१	४३९८'३९	४८७४'५८
उड़ीसा	५३७'३१	६८३'९४	७९४'८८	९०९'७०	१०२८'२५	११५०'४५	१२७६'४७
पूर्वी पंजाब	६१८'३९	७८७'१८	९१४'५७	१०४६'९१	१०८४'६७	१२२४'८५	१३७०'६०
उत्तर प्रदेश	२१३९'७८	२७२३'३२	३१६५'१८	३६२१'८०	४०८३'३१	४५५१'५७	५०४७'१२
अजमेर-मेरवाड़ा	२३'७५	३०'१९	३५'०९	४०'२२	४५'३७	५०'७८	५६'३४
अण्डमान और निकोबार द्वीप	०'९४	१'२०	१'३९	१'५८	१'८०	२'०२	२'२४
कुर्ग	५'४८	६'९३	८'०६	९'३३	१०'४९३	११'६६	१२'९४
दिल्ली	४८'७५	६२'१३	७२'२५	८२'७२	९३'४९	१०४'६३	११५'८५
हिमाचल प्रदेश	४७'९७	६१'०८	७०'९९	८१'२२	९१'८२	१०२'७४	११३'९७
कच्छ	२०'११	२५'६०	२९'७५	३४'०६	३८'४८	४३'०९	४७'८०
पंथ पीपलोदा	०'२४	०'३१	०'३६	०'४१	०'४७	०'५२	०'५७
भारत (रियासतों को छोड़कर)	१०४७३'४४	१३३३५'९०	१५४५'५८	१७७८७'२१	२०२६३'६३	२२६३४'००	२५१२५'३८
रियासतें	२३४४'४८	२९८७'५४	३४७४'२६	३९७७'२१	४४९६'६४	५०३२'३०	५५८५'३२
कुलयोग	१२८१७'९२	१६३२३'४४	१८९९९'८४	२१७६४'४३	२४७६०'२७	२७६६६'३०	३०७१०'७०

विश्वविद्यालय की शिक्षा

भारत में इस समय २१ विश्वविद्यालय हैं। सन् १९४७-४८ में भारतीय विश्वविद्यालयों में १,२०,००० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। प्रत्येक विद्यार्थी पर शिक्षा का खर्च लगभग ४०० रुपये बैठता है।

खेर समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष अध्यापकों की आवश्यकता

वर्ष	१९४९-५०	१,१८,११२
,,	१९५०-५१	१,१७,६२१
,,	१९५१-५२	१,१७,२०२
,,	१९५२-५३	१,१६,७४९
,,	१९५३-५४	१,१६,३७६
,,	१९५४-५५	३,०६,०२०
,,	१९५५-५६	३,०४,८८३
,,	१९५६-५७	३,०३,८४०
,,	१९५७-५८	२,३२,१५१
,,	१९५८-५९	२,२१,४६६
,,	१९५९-६०	२,२१,३७३
,,	१९६०-६१	२,११,७३६
,,	१९६१-६२	२,०१,५१९
,,	१९६२-६३	८७,८२३
,,	१९६३-६४	८८,१५७
,,	१९६४-६५	८८,४६९

अगर इतने अध्यापक १० वर्षों में ट्रेण्ड किये जायं तो उनकी ट्रेनिंग पर प्रतिवर्ष ८,८६,२९,००० रुपया व्यय करना पड़ेगा।

खेर समिति की रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर आनुमानिक व्यय

	१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६५-६६
विद्यार्थियों की आनुमानिक संख्या स्नातक श्रेणियां						
प्रथम वर्ष	४६,४६८	४७,१२१	४७,७८१	४८,४५०	४९,१२८	१,२४,५४०
द्वितीय वर्ष		४५,६३२	४६,२७३	४०,९७१	४७,५७८	४८,२४४
तृतीय वर्ष			४४,८११	४५,४४०	४६,०७६	४६,७२२
स्नातकोत्तर श्रेणियां						
प्रथम वर्ष				८,८०१	८,९२४	९,०४९
द्वितीय वर्ष					८,६४३	८,७६३
योग	४६,४६८	९२,७५३	१,३८,८६५	१,४९,६१२	१,६०,३४९	२,३७,३१८
			(रुपये लाखों में)			
सार्वजनिक कोष से आनुमानिक व्यय	१३०'११	२५९'७१	३८८'८२	४१८'९१	४४८'९८	६६४'४९

व्यय का अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि कुल व्यय का ७० प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक कोष से तथा ३० प्रतिशत हिस्सा विद्यार्थियों की फीस से प्राप्त होता है।

खेर समिति की रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर आनुमानिक व्यय

	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९	१९६९-७०
स्नातक श्रेणियाँ				
प्रथम वर्ष	१,२६,२८४	१,२८,०५२	१,२९,८४५	१,३१,६६३
द्वितीय वर्ष	१,२२,२९८	१,२४,०११	१,२५,७४७	१,२७,५०८
तृतीय वर्ष	४७,३७६	१,२०,०९७	१,२१,७७९	१,२३,४८४
स्नातकोत्तर श्रेणियाँ				
प्रथम वर्ष	९१७६	९३०५	२३,५८७	२३,९१७
द्वितीय वर्ष	८८८६	९०११	९१३८	२३,१६२
योग	३,१४,०२०	३,९०,४७६	४,१०,०९६	४,२९,७३४
		(रुपये लाखों में)		
सार्वजनिक कोष से आनुमानिक व्यय	८७९'२६	१०९३'३३	११४८'२७	१२०३.२६

व्यय का अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि कुल व्यय का ७० प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक कोष से तथा ३० प्रतिशत हिस्सा विद्यार्थियों की फीस से प्राप्त होता है।

	सन् १९४९ में कुल आनुमानिक जन संख्या	खेर समिति की रिपोर्ट के अनुसार १५-२० वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की संख्या	१५-२० वर्ष तक की आयु के लोगों में अशिक्षितों की संख्या
भूतपूर्व रियासतों को छोड़कर शेष भारत	२७,४४,६९,५७२	७,४६,५८,६०६	६,३४,५९,८१५
भूतपूर्व रियासतें	६,१३,७७,६९२	१,६६,९५,३७७	१,४१,९१,०७०

ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती जायगी, त्यों-त्यों प्रतिवर्ष समाज
जायगा। इस हिसाब से १० वर्षों में ५० प्रतिशत अशि-
रुपया व्यय करना पड़ेगा।

समाज शिक्षा पर आनुमानिक व्यय

प्रथम १० वर्ष में साक्षर किये जाने• वाले व्यक्ति अशिक्षितों के कुल ५० प्रतिशत	प्रतिवर्ष शिक्षित किये जानेवाले व्यक्तियों की संख्या	एक व्यक्ति को शिक्षित बनाने का वार्षिक खर्च	कुल वार्षिक व्यय
		रुपये	रुपये
३,१७,२८,१०८	३१,७२,८११	५	१,५८,६४,४५५
७०,६५,५३५	७,०६,५५४	५	३५,४७,७७०
		कुल	१,६४,१२,२२५

शिक्षा का व्यय पिछले व्यय से १·५% अधिक बढ़ता
क्षित लोगों को शिक्षित बनाने के लिए १६,७७,६३,६४१

स्वास्थ्य

देश में उन बीमारियों की कमी नहीं है जो कि कोशिश करने से फैलने से पहले ही रोकी जा सकती हैं अथवा शुरू हो जाने पर जिन पर तुरन्त काबू पाया जा सकता है। अगस्त १९४८ के पहले सप्ताह में सब भारतीय प्रान्तों व रियासतों के स्वास्थ्य मंत्रियों की सभा नई दिल्ली में सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करने के लिए हुई। भोर कमेटी ने जिस केन्द्रीय बोर्ड आफ हेल्थ के निर्माण की योजना पेश की थी वह अब तक नहीं बनाया जा सका। देश में धन की व उचित शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञों की कमी है। देश की जनता का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उन्हें रक्षक-तत्वमय आहार कैसे सुलभ हों; देश में बढ़ रहे तपेदिक, कोढ़ आदि रोगों की कैसे रोक-थाम हो; मलेरिया-जैसे व्यापी रोग का किस तरह मुकाबला किया जाय; गांवों में डाक्टरी सहायता पहुँचाने का क्या प्रबन्ध बने; दवाइयाँ व विटामिन देश में ही तैयार करने के अधिकाधिक कारखाने खुलें; हस्पतालों के औजार व डाक्टरी साजो-समान भारत में ही बनें; स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक आंकड़े इकट्ठे करने के साधन खोजे व चालू किये जायं—इस तरह की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का तो अन्त ही नहीं है। इस कान्फ्रेंस ने इन्हीं प्रश्नों पर विचार किया।

देश में एक एनवायरनमेंट हाईजीन कमेटी (भिन्न-भिन्न दशाओं में स्वास्थ्य किस तरह बना रह सकता है इस विषय पर विचार करने वाली समिति) काम कर रही है जो इस विषय में सिफारिशें पेश करेगी कि गांवों में स्वास्थ्य का तल किस प्रकार ऊँचा हो। विशिष्ट डाक्टरी शिक्षा देने के प्रबन्धों पर रिपोर्ट करने के लिए एक दूसरी समिति काम कर रही है। प्लेग, बच्चों का लकवा, तपेदिक, मलेरिया, हैजा व कोढ़ के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न समितियों का अन्वेषण जारी है ताकि देश से इन रोगों को निर्मूल किया जा सके।

स्वास्थ्य साधनों पर व्यय

भिन्न-भिन्न प्रान्त स्वास्थ्य के महकमे पर अपनी-अपनी आय का क्या प्रतिशत भाग खर्च करते रहे व कर रहे हैं, इसका हिसाब इस प्रकार है–

	१९३९-४०	१९४४-४५	१९४७-४८
मद्रास	५.८	३.७	४.२
बम्बई	३.६	२.७	३.२
बिहार	४.४	२.६	३.२
उत्तर प्रदेश	२.७	३.५	२.६
मध्यप्रदेश	३.१	२.२	२.६
उड़ीसा	४.६	४.५	४.४
आसाम	४.६	३.१	३.३

प्रत्याशित आयु

भिन्न-भिन्न देशों में जन्म के समय औसतन कितनी लम्बी आयु की आशा की जा सकती है व वहां जन्म के समय बच्चों की मृत्यु का क्या अनुपात है इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है—

देश	बच्चों की मृत्यु का अनुपात (१९३७)	पुरुष	स्त्री
न्यूजीलैंड	३१	६५.०४	६७.८८ (१९३१)
आस्ट्रेलिया	३८	६३.४८	६७.१४ (१९३२-३४)
दक्षिणी अफ्रीका	३७	५७.७८	६१.४८ (१९२५-२७)
कैनाडा	७६	५९.३२	६१.५९ (१९२९-३१)
अमरीका	५४	५९.१२	६२.६७ (१९२९-३१)
,, नीग्रोज़		४७.५५	४९.५१ (१९२९-३१)
जर्मनी	६४	५९.८६	६२.७५ (१९३२-३४)
इंगलैंड व वेल्स	५८	५८.७४	६२.८८ (१९३०-३२)
इटली	१०९	५३.७६	५६.०० (१९३०-३२)
फ्रांस	६५	५४.३०	५९.०२ (१९२८-३३)

जापान	१०६	४४.८२	४६.५४ (१६२६-३०)
ब्रिटिश भारत	१६२	२६.६१	२६.५६ (१६२१-३०)
	(=१५८-१६४१)		

जीवन की विभिन्न उम्रों में मौतों का सब उम्र की मौतों से अनुपात का ब्यौरा इस प्रकार है—

	एक वर्ष से कम	१-५ वर्ष	५-१० वर्ष	१० वर्ष तक का योग
ब्रिटिश भारत (१६३५-३६)	२४.३	१८.६	५.५	४८.४
इङ्गलैंड वा वेल्स (१६३८)	६.८	२.१	१.१	१०.०

सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ हेल्थ की एक समिति (१६३८) ने अनुसन्धान के बाद कहा है कि देश में प्रति १००० में २० के लगभग स्त्रियों की प्रसूताकाल में मृत्यु हो जाती है।

१६३२ से १६४१ तक प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न बीमारियों से ब्रिटिश भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसका ब्यौरा इस प्रकार है—इसमें जो मौतें बुखारों के कारण दिखाई गई हैं उनमें अधिकांश मलेरिया से, व जो सांस व फेफड़ों की बीमारियों से दिखाई गई हैं उनमें तपेदिक का बड़ा हिस्सा है। चौकीदार ही गांवों में मौतों का हिसाब रखता है, लेकिन वह इन बीमारियों के अन्वेषण की योग्यता नहीं रखता जो मौत का कारण बनीं—

हैजा	चेचक	प्लेग	बुखार
१,४४,६२४	६६,४७४	३०,६३२	३६,२२,८६६
२.४	१.१	०.५	५८.४

दस्त व मरोड़	सांस व फेफड़ों की बीमारियाँ	विविध कारण	जोड़
२,६१,२४	४,७१,८०२	१५,६६,४६०	६२,०१,४३६
४.२	७.६	२५.८	१००

देश का साधारण स्वास्थ्य इतनी गिरी दशा में क्यों है इसके कारण ये हैं—

(१) सब ओर आम गन्दगी की हालत। देश की अधिकांश जनता गाँवों में रहती है लेकिन कहीं भी पीने के पानी को ढककर रखने का, गन्दे पानी को बहाने के लिए नालियों का व गाँव की गन्दगी को गाँव से बाहर फेंकने का उचित इन्तजाम नहीं है। पंजाब के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने १९३६ में प्रान्त के १ प्रतिशत गाँवों में ही यह इन्तजाम पाए। १९४३ तक इस ओर लगातार प्रयत्न करने के बाद यह संख्या प्रान्त के १५·२ प्रतिशत गाँवों तक पहुँची।

(२) आहार मूल्य के भोजन का अभाव। देश की अधिकांश जनता केवल अनाज खाकर ही ज़िन्दा रहती है। यह अनाज भी पूरी मात्रा में नहीं मिलता। भोजन में आहार-मूल्य की चीजों के इस्तेमाल का नितान्त अभाव है। भारत सरकार की फूड ग्रेन्स पालिसी कमेटी ने अंदाजा लगाया था कि १९३९ से १९४३ तक सब अनाजों का उत्पादन देश की जनता की जरूरत के हिसाब से २२ प्रतिशत कम रहा। देश की गरीब जनता सब्जियों, फल, दूध, मांस, मछली व अंडों के प्रयोग की बात तो सोच भी नहीं सकती।

(३) स्वास्थ्य व चिकित्सा सम्बन्धी संस्थाओं की अपर्याप्तता। देश में डाक्टरों, नर्सों, दाइयों वगैरह की संख्या जरूरत से कहीं कम है। हिसाब लगाया गया है कि देश की जनता के प्रति ६३०० व्यक्तियों के लिए १ डाक्टर व प्रति ४३,००० के लिए १ नर्स है। एक चिकित्सा संस्था (हस्पताल व डिस्पेन्सरी) को भिन्न-भिन्न प्रान्तों में कितनी जनता के स्वास्थ्य व औषधि का ख़याल रखना पड़ता है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है—

प्रान्त	एक संस्था के पीछे जनता की संख्या	
	ग्रामीण	शहरी
अविभाजित पंजाब	३०,९२५	१५,१८८

अविभाजित आसाम	४४,५६२	१,७२,९६२
,, बंगाल	३७,९९६	१९,७३०
मद्रास	४२,६७२	३८,४९६
उड़ीसा	५२,५४८	१५,२७६
बम्बई	३४,९२७	१७,१२७
बिहार	६२,७४४	१८,६३०
मध्य प्रान्त	६६,००८	११,३७९
युक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश)	१,०५,६२६	१७,६६८

ब्रिटिश भारत (१९४२-४३) के हस्पतालों में कुल ७३,००० चारपाइयाँ है जो देश में प्रति ४००० व्यक्तियों के लिए १ चारपाई के हिसाब से हैं। विदेशों से इस अनुपात की तुलना इस प्रकार होगी—

अमरीका	(१९४२)	१०'४८ चारपाइयाँ प्रति १००० जनता के लिए
जर्मनी	(१९२७)	८'३२ चारपाइयां प्रति १००० जनता के लिए
इंगलैंड वा वेल्स	(१९३३)	७'१४ चारपाइयां प्रति १००० जनता के लिए
रूस	(१९४०)	४'६६ चारपाइयां प्रति १०००के लिए
ब्रिटिश भारत		०'२४ चारपाइयां प्रति १००० के लिए

(४) स्वास्थ्य सम्बन्धी व साधारण जनता के लिए शिक्षा का अभाव। साधारण शिक्षा का बहुत कम जनता तक सीमित होना भी हमारे स्वास्थ्य की गिरी दशा का एक बड़ा कारण है। १९४१ में देश में पढ़े-लिखों का अनुपात केवल १२'५ प्रतिशत था।

(५) पिछड़ी हुई समाजिक अवस्था। देश में बेकारी, गरीबी व कई सामाजिक रीति-रिवाज भी हमारे स्वास्थ्य को नीचा रखने में सहायक होते हैं। छोटी उम्र में विवाह होना स्वास्थ्य को नहीं बने रहने देता। हमारा रहन-सहन भी उचित तल पर, उचित अवस्थाओं में नहीं होता।

खाद्यों का आहार मूल्य (फूड वैल्यू)

इस सम्बन्ध में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के मातहत कुनूर की न्यूट्रिशन रिसर्च लैबारेटरीज़ में अन्वेषण होता है। यहां देश में बरते जाने वाले सब तरह के खाने-पीने के सामान के आहार-मूल्यों की छानबीन होती है।

देश में बड़ी-बड़ी बीमारियाँ

तपेदिक

देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्याओं में तपेदिक एक बड़ी समस्या बन गई है। यह बीमारी कितनी फैली हुई है व इससे प्रतिवर्ष कितनी मौतें होती हैं, इसका अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है। अनुमान है कि ५,००,००० भारतवासी प्रतिवर्ष तपेदिक के रोग से मरते हैं। जो लोग खुले, हवादार मकानों में नहीं रहते व अच्छा स्वास्थ्यकर भोजन नहीं खाते उन पर तपेदिक के कीटाणु हावी हो सकते हैं। मनुष्यों, जानवरों व पक्षियों में तपेदिक होता है। गौओं को भी तपेदिक का रोग दबा लेता है; बिना उबला दूध पीने से रोग के कीटाणु मनुष्यों तक पहुँच सकते हैं। भारत के जानवरों में तपेदिक फैला है। अभी इसकी साक्षी प्राप्य आंकड़ों से नहीं मिल पाती।

यूरोप व अमेरिका में तपेदिक बहुतायत से फैला है और भारत के बड़े-बड़े शहरों में भी इसका प्रभाव काफी स्पष्ट हो चुका है। इंडियन मेडिकल गज़ट के अक्टूबर १६४१ के अंक में तपेदिक से दुनिया के भिन्न-भिन्न शहरों में प्रति १ लाख जनता की मौतों का हिसाब इस प्रकार बताया गया था—

पैरिस	१७७	कानपुर	४३२
मैक्सिको	१७०	लखनऊ	४१६
न्यूयार्क	१२८	मद्रास	२६०
बर्लिन	१२०	कलकत्ता	२३०
लंदन	६६	बम्बई	१४०

फरवरी १६३६ में ट्यूबरक्युलोसिस एसोसिएशन ग्राफ इन्डिया का संगठन हुआ। इस संस्था का केन्द्र दिल्ली में व शाखाएँ प्रान्तों व रियासतों में हैं। केन्द्रीय समिति रोग के सम्बन्ध में विशिष्ट मन्त्रणा देती रहती है।

विश्व स्वास्थ्य संघ तथा संयुक्त राष्ट्रीय शिशु संकट कोष की सहायता से भारत में व्यापक पैमाने पर तपेदिक की रोक-थाम करने वाली बी० सी० जी० के टीकों का लगाया जाना जारी है। अनुमान है कि भारत के ८० करोड़ लोगों को बी० सी० जी० के टीके लगाये जाने की आवश्यकता है। अगर उनमें से आगामी ५ वर्षों में कम-से-कम ८० प्रतिशत को टीके लगा दिये जायं, और आगे आने वाली सन्ततियों की निरन्तर परख कर उन्हें टीके लगाये जाते रहें, तो १५-२० वर्षों में तपेदिक से होने वाली मौतों की संख्या घटाई जा सकती है। बी० सी० जी० के टीकों से मौतों की संख्या प्रतिवर्ष ५,००,००० से घटा कर १,००,००० की जा सकती है।

देश की तीन बड़ी फैलनेवाली बीमारियों में से चेचक एक है।

चेचक

चेचक से १८८० से १९४० तक प्रति १००० व्यक्तियों के पीछे मौतों का अनुपात ०·१ प्रतिशत से ०·८ प्रतिशत तक रहा है। यह कहा जा सकता है कि देश में इस रोग से मृत्युओं की संख्या कम होती गई है। फिर भी १९३२ से १९४१ तक प्रतिवर्ष इस रोग से मौतों की संख्या ७० हजार के लगभग रही है। इस सम्बन्ध में दुनिया के जिन-जिन देशों के आंकड़े मिलते हैं, उन सबमें हिन्दुस्तान की मृत्यु-संख्या सबसे अधिक है। चेचक से मृत्यु बचपन में एक वर्ष से पहले और दस वर्ष के अन्दर-अन्दर अधिक अनुपात में होती है। चेचक के आक्रमण से जो बच भी जाते हैं वह आंखों की दृष्टि को आंशिक रूप में या पूर्णतया गंवा बैठते हैं।

चेचक से बचने के लिए टीके का प्रयोग सबसे पहले १८३० में बम्बई में शुरू हुआ। १८५८ में वैक्सिनेशन डिपार्टमेंट का आयोजन हुआ।

इसके बाद बाकी प्रान्तों में भी टीका विभाग खुले। इस वक्त बचपन में देश के ८१ प्रतिशत शहरों में तथा ६१ प्रतिशत गांवों में टीका कराना आवश्यक है। बम्बई प्रान्त में केवल ४·९ प्रतिशत गांवों में ही टीका लाज़मी है। उत्तर प्रदेश, कुर्ग व अजमेर-मारवाड़ (१९४२-४३) के किसी गांव में भी टीका लगाना जरूरी नहीं है। चेचक के टीके का दुबारा लगाना केवल मद्रास में ही आवश्यक है; बाकी भारत में बीमारी फैलने पर विशिष्ट आज्ञाओं द्वारा ही इसे जरूरी घोषित किया जाता है।

टीके का निर्माण रांची, नागपुर, गुइंडी, कलकत्ता, पटना डंगर व बेलगांव में होता है।

हैज़ा

हैजे से १९३७ से १९४१ तक ब्रिटिश भारत में प्रतिवर्ष १,४७,४२३ मौतें हुईं। पिछले कुछ वर्षों में हैजे से मौतों का ब्यौरा इस प्रकार रहा है—

१९१२-१६	३,२८,९९३	प्रतिवर्ष
१९१७-२१	३,९२,०७०	
१९२२-२६	१,४३,८९०	”
१९२७-३१	२,६७,७५६	”
१९३२-३६	१,४०,४४०	”
१९३७-४१	१,४७,४२३	”
		”

हैजे की बीमारी को वश में करना कठिन नहीं है, लेकिन अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। एक तो पीने के पानी को ढककर रखने के प्रबन्ध नहीं हैं, न गन्दगी को शहरों व गाँवों से इतना दूर फेंकने का और इस प्रकार फेंकने के इन्तजाम हैं कि लोगों के खाने-पीने का सामान दूषित न हो सके। खाने के उत्पादन, वितरण व बिक्री पर भी नियन्त्रण का अच्छा प्रबन्ध नहीं है।

हैजा फैल जाने पर रोगी को लोगों से अलग रखने के, कीटाणुओं से दूषित हो गए सामान को कीटाणु-रहित करने व लोगों को टीका लगाने के प्रबन्ध अधिक मात्रा में सुलभ होने चाहिएं।

देश में बड़े-बड़े मेलों व जन समूहों के इकट्ठा होने पर हैजा आम-तौर पर टूट पड़ता है। प्रान्तीय सरकारों के हैल्थ डिपार्टमेंट मेलों की सफाई के विषय पर अधिक सतर्क रहते हैं और फलस्वरूप बीमारी की रोकथाम रहती है।

बंगाल व मद्रास के कावेरी-डेल्टा में हैजा निश्चित समयों व ऋतु पर खुद ही फूट उठता है। इन प्रदेशों से हैजे के कारणों को निर्मूल करने के विशेष प्रयत्न जारी हैं।

प्लेग

१८९६ में बम्बई की बन्दरगाह की राह से भारत में चीन से प्लेग के रोग का आना हुआ। बीमारी शीघ्र ही भारत के दूसरे हिस्सों में फैल गई। १९०४ में भारत में प्लेग से ११,४०,००० मौतें हुईं। तब से इस रोग से मौतों की संख्या लगातार घटती गई है। १९३९ से १९४१ तक प्रतिवर्ष प्लेग के कारण भारत में केवल १९,३४७ मौतें हुईं।

हिन्दुस्तान में प्लेग का कारण चूहे हैं। प्लेग से आक्रांत चूहे के शरीर पर रहने वाली मक्खी के काटने पर यह रोग इन्सानों में फैलता है। अलग-अलग देशों में अलग-अलग जानवरों से प्लेग फैला करती है।

प्लेग का रोग गिल्टियों के सूजन या न्यूमोनिया के आक्रमण में स्पष्ट होता है। गिल्टियों की प्लेग में ६० से ७० प्रतिशत प्रभावित लोग मर जाते हैं; न्यूमोनिया के रूप में प्रकट होने वाली प्लेग से प्रायः कोई भी नहीं बच पाता।

इंडियन प्लेग कमीशन ने रोग की, इसके कारणों व निदान की छानबीन की है। इसके एक कार्यकर्ता, डा० हैफकीन ने प्लेग से बचने के लिए लगाए जाने वाली वैक्सीन की ईजाद की जिसका इस्तेमाल आजकल आम होता है। बम्बई में "हैफकीन इन्स्टीट्यूट" प्लेग सम्बन्धी अन्वेषण करती रहती है।

जिन प्रदेशों में प्लेग का आक्रमण आम तौर पर हो जाया करता है, वहाँ पर चूहों की आबादी को कम रखने या हटा देने से प्लेग का निवारण हो सकता है। गिल्टियों की प्लेग का आक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुँचता।

कोढ़

दुनिया के ५० लाख कोढ़ियों में से १० लाख कोढ़ से आक्रान्त व्यक्ति भारत में रहते हैं। कोढ़ का रोग मुख्यतया अफ्रीका, भारत, दक्षिणी चीन और दक्षिणी अमरीका में है। भारत में प्रायः द्वीप के पूर्वी किनारे व दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी बिहार, उड़ीसा, मद्रास, त्रावंकोर व कोचीन में इसका कोप विशेषतया अधिक है। हिमालय की तराई का भी कुछ हिस्सा रोगाविष्ट है।

कोढ़ के रोग के विरुद्ध उन्नीसवीं सदी के प्रायः शुरू में ही कलकत्ता में एक चिकित्सालय खुला। १८७५ में चम्बा में "वेलेज़ली-वेली-मिशन-टु-लेपर्स" नाम की संस्था शुरू हुई। १९३७ में इस संस्था की ३२ शाखाएं भिन्न-भिन्न स्थानों पर काम कर रही थीं, जिनमें कुल ८००० रोगियों को आश्रय मिल सकता था। यह मिशन १७ दूसरी ऐसी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देता है जो कुल मिलाकर २६०० रोगियों का इलाज कर सकती हैं।

देश में कोढ़ सम्बन्धी संस्थाओं की कुल संख्या ९५ है और कुल १४,००० रोगियों के लिए इनमें जगह है—(१९४२-१९४३)।

१९२५ से 'इंडियन कौंसिल आफ दि ब्रिटिश एम्पायर लेप्रसी रिलीफ एसोसिएशन' भी देश के कोढ़ के निवारण की दिशा में प्रयत्न-शील है।

इसके अतिरिक्त राज्यों में अलहदा काम हो रहा है। बम्बई, उड़ीसा बिहार, मध्यप्रदेश व मद्रास में कोढ़ के रोग से सम्बन्धित विशेष संस्थाएं सक्रिय हैं।

देश के लगभग १० लाख कोढ़ियों में से ७० से ८० प्रतिशत ऐसी

अवस्था में समझे जाते हैं जो रोग को दूसरों तक फैला नहीं सकते।

इस तरह देश में लगभग अढ़ाई लाख ऐसे रोगी हैं जिन्हें आम जनता से दूर रखना आवश्यक है।

देश में ऐसे भिखारी भी हैं जो इस रोग से पीड़ित हैं।

देश में कोढ़ के रोग से पीड़ितों के सम्बन्ध में २ कानून बने हुए हैं जो रोगियों द्वारा खाने-पीने की चीजें तैयार करने व बेचने, सार्वजनिक कुँओं व तालाबों और यातायात के सार्वजनिक साधनों के प्रयोग का निषेध करते हैं।

लैंगिक बीमारियाँ

भारत में लैंगिक रोगों (सूजाक व आतशिक) के विस्तार का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इंडियन मेडिकल सर्विस के डाइरेक्टर-जनरल सर जान मंगा ने १९३३ में इसका अनुमान लगाने की कोशिश की थी। उनके अन्वेषण के अनुसार बंगाल व मद्रास में यह रोग अधिक फैले हैं। इन रोगों के निदान व उपचार करने की शिक्षा के साधन केवल मद्रास व बम्बई में ही हैं।

आंतड़ियों के कीड़े

१९२५-२७ में चैंडलर ने हिन्दुस्तान में आंतड़ियों में कीड़े पड़ने के रोग की विस्तृत छानबीन की। उसके अनुसार आसाम, दार्जिलिंग, त्रावंकोर, दक्षिणी कैनाडा और कुर्ग में यह रोग बहुतायत से फैला है। मध्य भारत, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और हिमालय की तराई में भी इसका प्रकोप कम नहीं है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, पंजाब के कुछ हिस्सों और मद्रास के पूर्वी किनारे पर भी यह रोग फैला है, लेकिन रोगी की आंतड़ियों में औसत कीड़ों की संख्या ज्यादा नहीं होती।

आँतड़ियों में कीड़े पैदा हो जाने से शरीर में खून की कमी, पेट की पाचन-शक्ति का ह्रास व चोट लगने पर अधिक खून बहने का रोग पैदा हो जाता है।

केन्सर किस हद तक फैला हुआ है, इसके कोई आंकड़े या अनुमान प्राप्त नहीं हैं और प्रायः यह खयाल किया जाता है कि भारत में कैन्सर बहुत कम पाया जाता है। इस ओर कुछ देशी व विदेशी डाक्टरों ने छानबीन की है। देश-भर में केवल बम्बई में टाटा मेमोरियल हस्पताल इस रोग के निदान व उपचार की छानबीन कर रहा है।

नासूर भगन्दर वगैरह

स्वास्थ्य के लिए देखभाल

पानी का प्रबन्ध

सुरक्षित पानी का प्रबन्ध जनता के लिए हो, यह सिद्धान्त सब अर्वाचीन देश मानते हैं। सुरक्षित पानी का प्रबन्ध स्वास्थ्य के लिए एक जरूरी और मौलिक आवश्यकता है। दूषित पानी के प्रयोग से कितने ही रोग फैलते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए ढके व साफ पानी का इन्तजाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

ग्रामीण व शहरी जनता के जिस हिस्से को सुरक्षित पानी मिलता है उसका अनुपात मद्रास में ६.६ प्रतिशत, बंगाल में ७.३ प्रतिशत और उत्तरप्रदेश में ४.१ प्रतिशत है। उड़ीसा में केवल २ ऐसे शहर हैं जहाँ सुरक्षित पानी का प्रबन्ध है। अविभाजित पंजाब के ४७.४ प्रतिशत शहरों में सुरक्षित पानी का प्रबन्ध था, लेकिन इस प्रान्त के गाँवों के सिर्फ ०.८ प्रतिशत भाग में ही ऐसे प्रबन्ध थे।

कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और पूना में नल के पानी के परीक्षण के इन्तजाम हैं। उत्तरप्रदेश में पांच बड़े शहरों के पानी का परीक्षण हुआ करता है। हैदराबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ, अलाहाबाद, कलकत्ता व मद्रास में पानी को रेत से गुजार कर उसे सफा करने का तरीका बरता जाता है।

पानी के प्रबन्ध का भार राज्यों की सरकारों पर है। कई शहरों में

नलों के इस्तेमाल पर मीटर नहीं लगाए जाते, फलस्वरूप पानी का बहुतायत से नुकसान होता है।

गाँवों में पानी आमतौर पर कुँओं, तालाबों, नदियों व नालों से लिया जाता है। कुछ राज्यों में बिजली के नल खुदवा कर इस अवस्था को सुधारने की कोशिशें की गई हैं।

डाक्टरी शिक्षा

देश के भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में डाक्टरी शिक्षा देने का इन्तजाम है; यहाँ प्रायः यूरोपियन चिकित्सा पद्धति की शिक्षा ही दी जाती है। अतः कई राज्यों में यूनानी व आयुर्वैदिक शिक्षा की सुविधा की योजनाएँ भी बनाई गई हैं। देश में एक ऑल इंडिया मेडिकल कौंसिल है जो सम्बन्धित शिक्षा का तल निर्धारित करती है।

भारत में १९ मेडिकल कालेज है; केवल लड़कियों के लिए एक कालेज दिल्ली में है, एक-एक कालेज हैदराबाद व मैसूर में हैं। इन कालेजों में १००० के लगभग विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा पाते हैं। डाक्टरी शिक्षा की अवधि प्रायः सभी जगह पाँच वर्ष है।

प्रति विद्यार्थी के पीछे कालेजों के हस्पतालों में रोगियों की कितनी चारपाइयों का प्रबन्ध है, उसका व्यौरा इस प्रकार है—

ग्रान्ट मेडिकल कालेज बम्बई	५
स्टेनले मेडिकल कालेज मद्रास	६
किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ	४
कारमाइकेल मेडिकल कालेज कलकत्ता	५

दान्तों सम्बन्धी डाक्टरी शिक्षा

देश में केवल तीन कालेज दांतों सम्बन्धी डाक्टरी शिक्षा देते हैं—कलकत्ता डेंटल कालेज, नायर डेंटल कालेज, बम्बई व करीमभाई इब्राहीम डेंटल कालेज,बम्बई। इन तीनों में से कोई भी कालेज किसी भी यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित नहीं है।

रोग चिकित्सा से सम्बन्धित खोज

देश में रोग निदान व चिकित्सा से सम्बन्धित सब खोज मुख्यतया दो संस्थाओं द्वारा होती है—(१) केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के परीक्षणालय व मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट और (२) इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन।

केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के परीक्षणालयों के लिए विशिष्ट अफसरों की नियुक्ति का विशेष प्रबन्ध है।

इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न रोगों के सम्बन्ध में छानबीन जारी करती व तत्सम्बन्धी शिक्षा प्रसार करती है। यह एक गैर-सरकारी संस्था है, लेकिन सरकार से इसका गहरा सम्पर्क रहता है।

इनके अलावा अपने-अपने क्षेत्र में स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसन, कलकत्ता, पैश्चर इन्स्टिट्यूट एसोसिएशन इन इंडिया और इंडियन कौंसिल आफ़ ब्रिटिश एम्पायर लेप्रसी रिलीफ एसोसिएशन भी अन्वेषण करती रहती हैं।

छानबीन की जो संस्थाएं केन्द्रीय सरकार के अनुशासन में हैं, उन का ब्यौरा निम्न है—

मलेरिया इन्स्टिट्यूट आफ़ इंडिया	मलेरिया सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर यह संस्था ध्यान देती व इस सम्बन्ध में सक्रिय रहती है। इस संस्था ने अपने २२ वर्ष के समय में भारत की इस सर्वव्यापी बीमारी के बारे में बहुत साहित्य प्रचारित किया है।
बायोकेमिकल स्टेंडर्डाइजेशन लेबारटरी	देश में बनी दवाइयों के विश्लेषण की विशिष्ट शिक्षा देने वाली इस संस्था का १९३७ में आयोजन हुआ था।

इसका दफ्तर कलकत्ता के स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसन की इमारत

इम्पीरियल सीरोलोजिस्ट	में है। कार्यक्षेत्र टीकों के सम्बन्ध में छानबीन करते रहना व सम्बन्धित शिक्षा का प्रसार करना है।

राज्यों व सरकारी परीक्षणालयों की सूची यह है—

मद्रास	किंग इन्स्टिट्यूट आफ़ प्रिवेन्टिव मेडिसन, गुइन्डी।
बम्बई	हैफकीन इन्स्टिट्यूट, बम्बई।
	पब्लिक हैल्थ लेबारटरी, पूना।
	वैक्सीन लिम्फ डिपो, बेलगाम।
बंगाल	वैक्सीन लिम्फ डिपो, कलकत्ता।
	कालरा वैक्सीन लेबारेटरी, कलकत्ता।
	पैश्चर इन्स्टिट्यूट, कलकत्ता।
	बंगाल पब्लिक हैल्थ लेबारेटरी, कलकत्ता।
उत्तर प्रदेश	प्राविंशल हाइजीन इंस्टिट्यूट, लखनऊ।
	केमिकल एक्जामिनर्स लैबारेटरी, आगरा।
	पब्लिक एनैलिस्टस लेबारेटरी, लखनऊ।
	प्राविंशल ब्लड बैंक, लखनऊ।
आसाम	पैश्चर इंस्टिट्यूट और मेडिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट शिलांग।
	प्राविंशल पब्लिक हैल्थ लेबारेटरी शिलांग।

भारत सरकार के कार्य

चूंकि आल इण्डिया मैडिकल इन्स्टिट्यूट कायम नहीं हो सकी, इसलिए चिकित्सा की वर्तमान संस्थाओं को ही बढ़ावा दिया गया। सन् १९४९-५० में तीन लाख रुपये टाटा मैमोरियल अस्पताल को कैन्सर (नासूर) पर खोज करने के लिए प्रदान किये गए। १ लाख रुपये दिल्ली विश्वविद्यालय को तपेदिक इन्स्टिट्यूट के होस्टल के लिए दिये

गए। टाटा मैमोरियल अस्पताल को व बम्बई को ६ अन्य संस्थाओं को और भी उन्नत करने के लिए सन् १९५०-५१ में ६,७५,००० रुपया देने का निश्चय किया गया है।

भारत सरकार की प्रार्थना पर विश्व-स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त-राष्ट्रीय शिशु संकट कोष ने १९४९ में भारतीयों को उच्च चिकित्सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ३५ छात्रवृत्तियां प्रदान कीं। सन् १९५० में ३० छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।

दिल्ली के लेडी हार्डिङ्ग मैडिकल कालेज और अस्पताल को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और उसकी उन्नति के लिए सन् १९५०-५१ में १६, २५,००० रुपया व्यय करने का निश्चय किया गया है।

रानीगंज और झरिया की कोयला खानों में मलेरिया की रोकथाम करने की योजनाओं की प्रगति को तेज करने का निश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त खर्च के लिए खानों के सुख-सुविधा कोष ने १९४९-५० में २,००,००० रुपये दिए।

सिनकोना की खेती

सन् १९४२-४३ में बंगाल और मद्रास में सिनकोना की खेती जारी की गई थी। बंगाल में तो वह छोड़ दी गई है किन्तु मद्रास में सन् १९५२-५३ तक उसकी ३१८६ एकड़ जमीन में ६८,००,००० रुपये की लागत से खेती की जायगी।

मैडिकल डिपो

मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में बड़े मैडिकल डिपो हैं। इनके अतिरिक्त करनाल, रायपुर और नई दिल्ली में तीन अस्थायी मैडिकल डिपो हैं जो अस्पताल और औषधालयों की आवश्यकताएँ पूर्ण करते हैं।

विश्व-स्वास्थ्य संघ ने मलेरिया, तपेदिक, लैंगिक व्याधियों तथा माता

विश्व-स्वास्थ्य संघ की सहायता

व शिशु के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सलाह दी और परीक्षण करके बताये। उसके इन रोगों के निरोधक दल देश के विभिन्न भागों में वैज्ञानिक प्रयोगों की सफलता का दिग्दर्शन करा रहे हैं। सन् १९५० में भारत ने हैजा और प्लेग के उन्मूलन में विश्व-स्वास्थ्य संघ से सहायता प्रदान करने के लिए कहा है।

मई १९५० में जिनेवा में हुई तीसरी विश्व-स्वास्थ्य परिषद् में स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृतकौर उसकी प्रधान चुनी गईं।

अन्तर्राष्ट्रीय शिशु संकट कोष

अन्तर्राष्ट्रीय शिशु संकट कोष ने सन् १९४९ में कुछ स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए ७॥ लाख डालर प्रदान किए हैं। इसमें ४,४३,००० से नई दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में तपेदिक विरोधी केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। इस नियमित भाग के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय शिशु संकट कोष ने विश्व-स्वास्थ्य संघ की तीन मलेरिया टीमों के लिए १,५०,००० डालर प्रदान किए हैं।

कलकत्ता की अखिल भारतीय स्वास्थ्य शाला में शिशुपालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए शिशु संकट कोष ने ९,३०,००० डालर प्रदान किए हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों का केन्द्र होगा।

नर्सिंग (परिचर्या)

भारत में नर्सिंग को हेय काम समझा जाता रहा है, इसलिए नर्सों की भारत में बहुत कमी है। किन्तु लोगों की यह भ्रान्त धारणा अब कुछ-कुछ दूर हो रही है और अब इसको भी एक अच्छा व्यवसाय समझा जाता है। भारत में लगभग १५० विद्यालय रोगी-परिचर्या-प्रशिक्षण के लिए और १५० प्रसव-विज्ञान-प्रशिक्षण के लिए हैं। इनमें प्रतिवर्ष लगभग १,००० परिचारिकाएँ और १,२०० प्रसाविकाएँ प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। परन्तु भारत में परिचारिकाओं और प्रसा-

विकाओं की संख्या बहुत कम है, इसलिए सरकार अन्य प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रही है। १६४६ में दो परिचर्या-महाविद्यालय स्थापित भी किये जा चुके हैं—एक नई दिल्ली में और दूसरा वेलोर के क्रिश्चियन मेडिकल कालेज में। इन महाविद्यालयों में परिचर्या विषय में 'बी० एस० सी०' की उपाधि दी जाती है।

डेन्मार्क में ४० लाख की जनसंख्या के लिए लगभग १८ हजार और ब्रिटेन में चार करोड़ की जनसंख्या के लिए लगभग १ लाख ३० हजार परिचारिकाएँ हैं। पर भारत में ३० करोड़ से भी अधिक जनसंख्या के लिए केवल ७-८ हजार परिचारिकाएँ हैं। इंग्लैण्ड के अनुपात से भारत को १०,००,००० नर्सों की आवश्यकता है। इतनी नर्सें कई वर्षों में भी तैयार नहीं की जा सकतीं। इसलिए सरकार सहायक-परिचर्या-कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अल्पकालीन योजनाएँ बना रही है। ये योजनाएँ कई स्थानों पर आरम्भ भी हो गई हैं।

भारत की आवश्यकता

स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों की प्रगति

आसाम

दो सार्वजनिक औषधालय, दो कालाजार ट्रेनिंग केन्द्र और दो मलेरिया विरोधी केन्द्र खोले गए। मलेरिया-बहुल क्षेत्रों में मलेरिया की छानबीन की गई। एक आयुर्वैदिक कालेज स्थापित किया गया। हैजे की रोकथाम के लिए लोगों को टीके लगाये गए। १० शहरों में बी० सी० जी० के टीके लगाने का कार्यक्रम पूरा किया गया।

बिहार

सन् १६४५–४६ में स्वास्थ्य का बजट ४७,५२,८५७ रुपये था जो सन् १६४६–५० में ६७,००,००० रु० कर दिया गया। अस्पतालों के राज्यीकरण और राज्यीकृत अस्पतालों की उन्नति में स्थिर प्रगति की गई। तपेदिक के विरुद्ध एक नियमित आन्दोलन प्रारम्भ किया गया।

एक आयुर्वैदिक सैनिटोरयम खोलने का निश्चय किया गया। संक्रामक रोगों की रोकथाम करने वाले डाक्टरों की तादाद बढ़ाकर ८० और टीके लगाने वालों की तादाद ४०० कर दी गई।

कुर्ग चेचक, हैजा और प्लेग की रोकथाम के लिए टीके लगाये गए, व डी० डी० टी० छिड़का गया। ३८४ गांवों में मलेरिया के विरुद्ध सावधानी बरती गई, जिसके फलस्वरूप तिल्ली के केस १० प्रतिशत से भी कम हो गए और प्रति हजार व्यक्तियों में पहले २०७ के स्थान पर केवल ४६ को मलेरिया हुआ।

हिमाचल प्रदेश औषधालय और अस्पताल सुधारे गए व उन्नत किये गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से एक लैंगिक व्याधि चिकित्सा संगठन की स्थापना की गई, जिसका सदर मुकाम शिमला में है। प्रत्येक जिला अस्पताल में एक-एक तपेदिक क्लिनिक खोले जाने की भी योजना है।

हैदराबाद आठ स्थायी प्लेग विरोधी टुकड़ियों के अलावा, १० अस्थायी टुकड़ियों की तथा ४ अस्थायी अस्पतालों की मंजूरी दी गई। तपेदिक की रोकथाम के लिए एक तपेदिक ब्यूरो की स्थापना की गई और बी० सी० जी० के टीके लगाने के लिए कदम उठाये गए। सरकार ने हैदराबाद और सिकन्दराबाद के कुष्ठ औषधालयों को अपने हाथ में ले लिया।

जम्मू और काश्मीर दो लाख व्यक्तियों को हैजे और टाइफस के टीके लगाये गए। तपेदिक के सब केसों को रजिस्टर करने का एक आन्दोलन जारी किया गया। तपेदिक के १०,००० रोगियों का इलाज किया जा रहा है। श्रीनगर और बारामूला में एक्सरे के उपकरण लगाये गए।

२,००,००० रुपये की दवाइयाँ मंगाई गईं। तीन डाक्टरों को चिकित्सा विज्ञान की ट्रेनिंग के लिए इंग्लैण्ड भेजा गया।

मध्यभारत

मध्यभारत में सन् १९४९ में १०० नये आयुर्वैदिक औषधालय खोले गए। ग्वालियर के आयुर्वैदिक विद्यालय को कालेज बना दिया गया है। चलते-फिरते औषधालय स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। बी०सी०जी० के टीकों के लिए सरकार ने ३३,२४५ रुपये दिए।

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का मलेरिया के विरुद्ध सफल आन्दोलन जारी है। कोढ़, तपेदिक, हैजा, प्लेग और चेचक के खिलाफ भी संघर्ष जारी है। ४ चलते-फिरते औषधालय स्थापित किये गए हैं।

मद्रास

सन् १९४९–५० में मद्रास सरकार ने गांवों के वैद्यों को चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रेनिंग देने के लिए 'ग्राम-वैद्य योजना'' को कार्यान्वित किया। विभिन्न स्थानों पर देसी दवाइयों के औषधालय खोले गए हैं। दन्तचिकित्सा की भी उन्नति की जा रही है। पिछड़ी हुई जाति के लोगों को डाक्टरी सीखने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं।

मैसूर

तपेदिक की जाँच की गई। विक्टोरिया अस्पताल में रेडियोग्राफी का यन्त्र लगाया गया। तीन चलते-फिरते औषधालय स्थापित किये गए। कृष्णराजनगर ताल्लुके में मलेरिया की रोकथाम के उपाय किये गए।

उड़ीसा

उड़ीसा की सरकार ने बिरहामपुर में एक मिडवाइफरी ट्रेनिंग स्कूल खोला और कटक, बिरहामपुर, बारगढ़ तथा रसेल कोण्डा में जच्चा घर व शिशु हितकारी केन्द्र खोले।

जिला-सदर मुकामों के अस्पतालों को अस्थायी रूप से सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और उन्हें उन्नत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। पुरी में एक संक्रामक रोगों का तथा उदितनारायणपुर में एक तपेदिक का अस्पताल खोला गया है। कोढ़ और लैंगिक रोगों के नियन्त्रण के लिए भी काफी ग्रान्ट दी गई। सुन्दरगढ़ और कियोंझर में दो चलते-फिरते दस्ते स्थापित किये गए। स्थानीय संस्थाओं के स्वास्थ्य संगठनों को अस्थायी रूप से सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। गर्भवती स्त्रियों व दूध पिलाने वाली माताओं को दुग्ध-चूर्ण और विटामिनों की गोलियां मुहैय्या की गईं। कटक, सम्बलपुर और बिरहामपुर के विद्यार्थियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गए।

राज्य के विभिन्न चिकित्सा विभाग मिलाकर एक कर दिये गए।

पटियाला राज्य-संघ

दो जिलों में एक सिविलसर्जन रक्खा गया है। आयुर्वैदिक चिकित्सा की उन्नति के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। पटियाला में एक आयुर्वैदिक कालेज स्थापित किया गया है।

अमृतसर के ग्लैन्सी मैडिकल कालेज को आधुनिकतम उपकरणों

पंजाब

से सुसज्जित कर दिया गया है। गुज्जरमल केसरदेवी तपेदिक अस्पताल को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, जहां तपेदिक का इलाज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। सरकार के चार दलों को बी० सी० जी० के टीके लगाने की विद्या सिखाई गई है। गांवों में शीघ्र ही ३० औषधालय खोले जायंगे। सरकार का लक्ष्य है कि प्रति १०० वर्ग मील और ३०,००० की आबादी के लिए एक सरकारी औषधालय हो।

विभिन्न राज्यों के एकीकरण के बाद उनके स्वास्थ्य व चिकित्सा

राजस्थान

विभाग मिलाकर एक किये गए। आयुर्वैदिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जा रहा

है। नये आयुर्वैदिक औषधालय खोलने के लिए ६०,००० रुपये प्रदान किये गए।

त्रावंकोर-कोचीन

त्रिवेन्द्रम में एक मैडिकल कालेज स्थापित करने के लिए कदम उठाये गए हैं। बी० सी० जी० के टीके लगाने प्रारम्भ किये गए हैं। त्रिवेन्द्रम में तपेदिक का एक उत्तम अस्पताल स्थापित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए त्रावंकोर विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की फैकल्टी बना दी गई है। एक स्थायी स्वास्थ्य बोर्ड की स्थापना की गई।

उत्तर प्रदेश

१९४९-५० में ५० नये ऐलोपैथिक औषधालय खोले गए। स्त्रियों के १८ अस्पतालों तथा अन्य ४ अस्पतालों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। गांवों में ३५ देसी औषधालय खोले गए। लखनऊ में एक आयुर्वैदिक फारमेसी स्थापित की गई और लखनऊ विश्वविद्यालय में एक आयुर्वैदिक कालेज खोला गया। इस वर्ष सरकार का २० आयुर्वैदिक और १६ यूनानी औषधालय खोलने का एक नया तपेदिक सैनिटोरियम, जिसमें १०० शाखाएँ होंगी, खोलने का इरादा है। विश्व-स्वास्थ्य संघ की सहायता से तराई भाभर इलाके में मलेरिया के उन्मूलन के लिए कार्रवाई की गई।

विन्ध्यप्रदेश

दो और अस्पताल तथा ६ औषधालय इस वर्ष खोले जायेंगे। कम्पाउण्डरों की ट्रेनिंग के लिए एक योजना भी मंजूर की गई है।

पश्चिमी बंगाल

राज्य में ३५ देहाती स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए, २८ के शीघ्र ही खोले जाने की आशा है तथा अन्य ६० के लिए अभी इमारतें बन रही हैं। अस्पतालों में और शय्याएँ मुहैय्या की गईं। ४०० शय्याओं का नया तपेदिक का अस्पताल खोला गया। गौरीपुर में ५०० शय्याओं

का एक कुष्ठ अस्पताल बनाया गया है। सात टीमों ने लोगों को बी० सी० जी० के टीके लगाए। डाक्टरी शिक्षा देने वाली वर्तमान संस्थाओं को उन्नत किया गया।

बम्बई

बम्बई की सरकार ने औंध में १२५ शय्याओं का एक अस्पताल खोला। तपेदिक के टीके भी लोगों को लगाए जा रहे हैं।

जिला स्थानीय बोर्डों तथा म्यूनिसिपैलिटियों के आयुर्वैदिक और यूनानी औषधालयों को ग्रान्ट दी गई। सरकार के पूना, रत्नगिरि, पुई, बड़ौदा और अहमदाबाद के कुष्ठ अस्पतालों के अलावा निजी संस्थाओं के ७ अस्पतालों को ग्रान्ट दी गई। राज्य की नर्सिंग सर्विस को सुधारा गया।

सरकार ने दिल्ली के तिब्बिया कालेज में यूनानी चिकित्सा पद्धति के अध्ययन के लिए ४ छात्रवृत्तियां प्रदान कीं। देसी चिकित्सा पद्धति पर शोध समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित किया गया। तीन चलती-फिरती अस्पताली टुकड़ियां स्थापित करने की मंजूरी दी गई। जच्चा घरों और शिशु हितकारी केन्द्रों की भी उन्नति की गई।

रेडियो

पूर्व इतिहास

भारत में ब्राडकास्टिंग का सूत्रपात सर्वप्रथम सन् १९२४ में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थानीय क्लबों के रूप में हुआ। इन क्लबों द्वारा प्रायः स्थानीय महत्व के ही कार्यक्रम प्रसारित होते थे। ये क्लबें थोड़े ही समय में काफी लोकप्रिय हो गईं। रेडियो के विकास में दूसरा उल्लेखनीय कदम १९२७ में उठाया गया, जबकि

इण्डियन ब्राडकास्टिंग नाम से एक संस्था की नींव रखी गई और उसे बम्बई में १½ किलोवाट का एक स्टेशन खुलवाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार भारत में सबसे पहला रेडियो स्टेशन जुलाई १९२७ में बम्बई में खोला गया। इसके कुछ समय बाद ही कलकत्ता और मद्रास में भी रेडियो स्टेशन स्थापित हो गए। सरकारी संरक्षण के रहते हुए भी १९३० में ही यह कंपनी दीवालिया हो गई।

इसके बाद अप्रैल १९३० में सरकार ने ब्राडकास्टिंग की जिम्मेदारी स्वयं संभाल ली। इस समय इस विभाग की स्थापना उद्योग तथा श्रम विभाग की एक मुख्य शाखा के रूप में हुई। परन्तु स्वयं सरकारी देख-रेख और संरक्षण में भी इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी। सरकार को इसमें काफी घाटा उठाना पड़ा, इसलिए एक वर्ष बाद ही उसे रेडियो विभाग को बन्द कर देना पड़ा। सरकार के इस निर्णय के परिणामस्वरूप देश के शिक्षित वर्ग में क्षोभ और असन्तोष की लहर दौड़ गई। फलतः जनता की माँग के आगे सरकार को झुकना पड़ा और दो वर्ष बाद ही १९३२ में सरकार को पुनः रेडियो विभाग खोलना पड़ा। इस बार रेडियो शाखा भारत सरकार के याता-यात विभाग के अन्तर्गत रखी गई। १९३४ में सरकार ने पहली बार रेडियो के विकास और विस्तार की एक योजना बनाई, जिसके अन्त-र्गत देश के विभिन्न भागों में रेडियो स्थापित करने का निर्णय किया गया। १९४२ के अन्त तक निम्न स्टेशन खुल चुके थे—दिल्ली, पेशा-वर, लाहौर, लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, त्रिचनापली और ढाका।

युद्ध का प्रभाव

वास्तव में भारत में रेडियो के विकास और विस्तार को विशेष प्रोत्साहन द्वितीय महायुद्ध के कारण मिला। फलतः १९४४ में बृटिश सरकार के सुझाव पर दिल्ली में १०० किलोवाट का ट्रान्समिटर लगाया गया। इस प्रकार आल इण्डिया रेडियो एशिया का सबसे अधिक शक्ति-शाली रेडियो-केन्द्र बन गया।

युद्धकालीन यह प्रगति निरन्तर जारी रही। अप्रैल १९४७ में रेडियो तथा सूचना विभाग के मंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल ने रेडियो विस्तार की एक अष्टवर्षीय योजना की घोषणा की। इस योजना के अनुसार १९४७-४८ में निम्न नये स्टेशन खोले गए—पटना, कटक, जालंधर, अमृतसर, शिलांग, गोहाटी, नागपुर, जम्मू तथा श्रीनगर। १९४९-५० में निम्न स्टेशन खोले गए—विजय वाड़ा, अहमदाबाद, धारवाड, हुबली तथा कालीकट।

भारत की स्वाधीनता के तीसरे वर्ष में, भारतीय ब्राडकास्टिंग की सबसे अधिक उल्लेखनीय बात, उसकी 'पाइ-लट' (अग्रिम) योजना की पूर्ति है, जो १४ मई १९५० को अखिल भारतीय रेडियो के कालीकट स्टेशन के खुल जाने से पूरी हुई। भारत में प्रसारण के विकास के लिए जो अष्टवर्षीय आयोजन किया गया, यह पाइलट योजना उसी का एक अंग थी, जिसके पूर्ण हो जाने से अब देश के प्रायः हर महत्वपूर्ण भाषा-क्षेत्र को प्रसारण का स्वयं अपना केन्द्र स्टेशन प्राप्त है, और श्रोता मध्यम लहर (मीडियम वेव) के किसी सस्ते रेडियो पर स्वयं अपनी भाषा में कार्यक्रम सुन सकते हैं।

अष्टवर्षीय योजना की प्रगति

इस समय देश के कुल क्षेत्र के बारहवें भाग तथा जन-संख्या के षष्टमांश के लिए प्रोग्राम सुनाये जाते हैं, किन्तु आशा है कि मूल अष्ट-वर्षीय योजना के फलस्वरूप भारतीय संघ के एक-तिहाई क्षेत्र और आधी जन-संख्या की सेवा की जा सकेगी। तब वर्तमान अग्रिम स्टेशनों की जगह नियमित स्टेशन काम करने लगेंगे और मद्रास, बम्बई, कल-कत्ता तथा दिल्ली के स्टेशन और अधिक शक्तिशाली बनाये जायंगे। उस समय मध्यम लहर का सेवा-क्षेत्र का दस गुना बढ़ जायगा और ८०,००० गाँव रेडियो से लाभान्वित होने लगेंगे।

इस वर्ष २६ जनवरी को भारत के नये संविधान के लागू होने और हिन्दी के राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अखिल

हिन्दी को महत्व भारतीय रेडियो की भाषा-सम्बन्धी नीति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और हिन्दी-प्रधान क्षेत्रों के स्टेशनों में हिन्दी के प्रसारणों (ब्राडकास्ट्स) की संख्या एवं विविधता में वृद्धि हुई है। संविधान के ३५१ वें अनुच्छेद के प्रकाश में रेडियो ने हिन्दी की सरल शैली अपनाई है, ताकि वह अधिक-से-अधिक लोगों द्वारा समझी जा सके। अहिन्दी क्षेत्रों के स्टेशनों से, रेडियो द्वारा हिन्दी की पढ़ाई की भी व्यवस्था हुई है और कुछ समाचार भी हिन्दी में सुनाये जाते हैं। इस प्रकार, यद्यपि एक क्षैत्रिक स्टेशन मुख्यतः अपने क्षेत्र की भाषा में ही प्रसारण करता है, पर सभी स्टेशनों को राष्ट्र-भाषा में कुछ-न-कुछ चीजें प्रसारित करनी होती हैं।

प्रोग्राम पहली अप्रैल से भारतीय संघ के साथ भूतपूर्व देसी रियासतों के वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप हैदराबाद, औरंगाबाद, मैसूर तथा त्रिवांड्रम के चार और स्टेशन अखिल भारतीय रेडियो के अधिकार-क्षेत्र में आ गए। प्रोग्राम में, 'फार्म फोरम' और 'इण्डो यू० के० रेडियो डिसकशन' नामक दो नई चीजें विशेष उल्लेखनीय हैं। 'फार्म फोरम' प्रोग्राम पिछले सितम्बर से शुरू किये गए हैं और उनके द्वारा खाद्योत्पादन विषयक प्रचार किया जाता है। 'रेडियो डिसकशन' के द्वारा, जो भारत और ब्रिटेन के बीच रेडियो से वादविवाद कराये जाते हैं, भारत के लिए एक नई वस्तु हैं। औसतन, अखिल भारतीय रेडियो के आधे प्रोग्राम सांस्कृतिक विषयों के होते हैं, और एक क्षेत्र के श्रोताओं को दूसरे क्षेत्र का संगीत एवं साहित्य सुनाने का प्रयत्न किया जाता है। अखिल भारतीय रेडियो के देहाती प्रोग्राम प्रसारण जगत् की एक अनोखी वस्तु है। सम्भवतः रूस को छोड़कर और कहीं की भी प्रसारण व्यवस्था द्वारा वयस्क शिक्षण का इतना बड़ा प्रयास नहीं किया गया। देश के अनेक कस्बों और गाँवों में इस समय लगभग ३,५०० रेडियो सेट आम

जनता के सुनने के लिए लगे हैं और १,८०० से अधिक स्कूलों में भी रेडियो की व्यवस्था है तथा स्कूली छात्रों के लिए विशेष प्रसारण होता है।

समाचार विभाग

अखिल भारतीय रेडियो के समाचार विभाग की गणना संसार के बड़े-से-बड़े संवाद-संघटनों में की जाती है। इन दिनों इस विभाग के द्वारा नित्यप्रति २४ भाषाओं में समाचारों की ६५ बुलेटिनें सुनाई जाती हैं। अखिल भारतीय रेडियो के स्वयं अपने संवाददाता भी हैं और विदेशों के रेडियो स्टेशनों से प्रसारित होने वाली सामग्री को संकलित करके प्रतिवेदन रूप में उपस्थित करने (मानिटरिंग) की भी व्यवस्था है। अखिल भारतीय रेडियो से विदेशों के लिए भी प्रसारण होता है। यह प्रसारण मुख्यतः पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका तथा मध्यपूर्व के देशों के लिए अंग्रेजी, बर्मी, क्योयू, केंटोनी, इंडोनीशियाई, पश्तो, अफगानी, फारसी तथा अरबी में होता है। प्रवासी भारतीयों के लिए भी हिन्दी, तामिल तथा गुजराती में प्रसारण किया जाता है।

जन सम्पर्क

प्रोग्राम सम्बन्धी नीति में जनमत के विचार से परिवर्तन कर सकने के लिए अनेक प्रकार की मंत्रणादात्री समितियों की व्यवस्था की गई है, जो विभिन्न विषयों पर स्टेशनों को परामर्श देती रहती हैं। 'लिसनर रिसर्च यूनिट' भी समय-समय पर प्रश्नावली निकाल कर, प्रसारित प्रोग्रामों के विषय में श्रोताओं का मत जानने की कोशिश करता रहता है। कर्मचारियों को प्रोग्राम सम्बन्धी तथा इंजीनियरी सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल' है; और भारत की प्रसारण-सेवा के सम्बन्ध में समुचित अनुसन्धान करने के लिए एक 'गवेषणा शाखा' भी काम करती है। अखिल भारतीय रेडियो ने वृन्दवादन के लिए अर्थात् वाद्य यंत्रों पर सरलता से बजाई जा सकने वाली गत भी तैयार कराई है। यह गत विश्वभारती की प्रचलित धुन पर आधारित

है और इसकी बन्दिश ब्रिटिश स्वरकार श्री हर्बर्ट म्यूरिल ने की है।

नवम्बर १९४२ में केन्द्रीय सरकार ने रेडियो और सूचना विभाग को मिलाकर सूचना और ब्राडकास्टिंग नाम से एक नये विभाग की स्थापना की। इस विभाग के प्रथम मंत्री स्वर्गीय सर अकबर हैदरी थे। उनके बाद कुछ समय के लिए सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर इस विभाग के अध्यक्ष रहे। उनके उत्तराधिकारी सर सुलतान अहमद ने १९४६ तक इस विभाग की बागडोर संभाले रखी। सितम्बर १९४६ में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होने पर यह विभाग सरदार पटेल को दिया गया। दिसम्बर १९४८ से इस विभाग के राज्य मंत्री श्री आर० आर० दिवाकर हैं। अखिल भारतीय रेडियो के डाइरेक्टर जनरल श्री एन० ए० एस० लक्ष्मणन हैं।

संगठन और नीति

यह प्रश्न कई बार उठाया गया है कि क्या रेडियो विभाग का संचालन केवल सरकार ही करती रहे अथवा उसे अमरीका की सैकड़ों रेडियो संस्थाओं की भांति अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं के रूप में पनपने दिया जाय। कुछ लोगों का विचार है कि इसका संचालन इंगलैण्ड के बी० बी० सी० के आधार पर हो। परन्तु अभी तक यह प्रश्न विवादास्पद ही बना हुआ है। इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है।

भारत में रेडियो सेटों की कुल संख्या अगस्त, १९५० में ४,६२,०२३ थी।

इसके विपरीत भिन्न-भिन्न देशों में रेडियो की संख्या इस प्रकार है—

अमरीका	५,६०,००,०००
बृटेन	१,१८,९८,४००
स्वीडन	१,९०,००,१५६
रूस	१,०५,००,०००
चेकोस्लोवेकिया	१६,२१,५११

डेन्मार्क	११,०८,७५२
जर्मनी	३०,१२,३३१
फ्रांस	५७,२८,६३३
आस्ट्रेलिया	१७,२५,३६०
कैनेडा	१७,५४,३५१

इस समय विदेशों से भारत के लिए निम्न प्रोग्राम ब्राडकास्ट किये जाते हैं—

केरन (बर्मा)—१६'४५ बजे इतवार के सिवाय हर रोज हिन्दुस्तानी में १६'५५ से १७'३० बजे तक रोज पंजाबी में ४०'६६ और ७२'७५ मीटरों पर।

काबुल (अफगानिस्तान)—१८'१० बजे मंगलवार, वीरवार और शनिवार उर्दू और पंजाबी में ४४५'१ मीटर पर।

जकार्टा (इण्डोनेशिया)—१६'३० बजे रोज हिन्दुस्तानी में १६'८० और १६'११० मीटरों पर।

मास्को (रूस)—२०'१५ बजे हिन्दी में रोज़ २५'२१,३०'७५, ४१'२४ और ५०'३० मीटरों पर।

बी० बी० सी० (इंगलैंड)—८'३० से ६'०० बजे हिन्दी में इतवार, सोमवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार ३१'८८ और १६'६१ मीटरों पर।

यू० एन० (लेक सक्सेस)—१८'१५ बजे हर शनिवार हिन्दुस्तानी में और १८'३० बजे हिन्दी में १३'८६ और १६'८६ मीटरों पर।

हिन्दी पत्र और पत्रकारिता

हिन्दी पत्रों तथा पत्रकारिता का इतिहास लगभग पचास साल पुराना है। यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भी कलकत्ता तथा उत्तर प्रदेश में दो-चार दर्जन पत्रिकाएँ चल रही थीं, फिर भी यह कहना

ठीक होगा कि वास्तव में हिन्दी पत्रकारिता का जन्म वर्तमान शताब्दी में ही हुआ है। १९वीं सदी में स्थापित निम्न पत्रिकाएं उल्लेखनीय हैं—

आर्य-मित्र, काशी (१८९० ई०); आर्य विनय, मुरादाबाद (१८९४ ई०); आर्य सिद्धान्त, प्रयाग (१८८७ ई०); आर्य सेवक, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश (१९०० ई०); आर्यावृत्त, दीनापुर, राँची तथा भागलपुर (१८९७ ई०); सरस्वती, प्रयाग (१९०० ई०); सरकारी अखबार, नागपुर (१८७० ई०); सरस्वती विलास, काशी (१८९० ई०); सर्वहितकारक, आगरा (१८५५ई०); भारत मित्र (दैनिक), कलकत्ता (१८७५ ई०); भारत भूषण, बम्बई (१८९२ ई०); ग्वालियर गजट, ग्वालियर (१८६१ ई०); उदंत मार्तण्ड (पहला हिन्दी समाचार पत्र), कलकत्ता (१८२६ ई०)।

इन उन्नीसवीं शताब्दी के पत्रों में से अभी तक जीवित केवल दो ही पत्र हैं—आर्यमित्र और सरस्वती। शेष सब पत्र-पत्रिकाएँ कुछ समय चलने के बाद बन्द हो गईं। पुराने हिन्दी समाचार पत्रों की सूची पर दृष्टि डालने पर दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास हिन्दी भाषा के विकास से बँधा हुआ है। कलकत्ते से ही पहले हिन्दी समाचार-पत्र "उदंत मार्तण्ड" का निकलना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि फोर्ट विलियम कालेज में वहाँ ही लल्लूजीलाल के प्रयत्नों से हिन्दी भाषा को व्यवस्थित रूप मिला। दूसरे, हिन्दी पत्रिकाओं को जन्म देने और जनसाधारण में उनका प्रचार करने में आर्य समाज का बड़ा हाथ रहा है। १९१० तक उत्तर-प्रदेश के विभिन्न नगरों में आर्य समाज ने एक दर्जन के करीब साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्रिकाएँ चला दी थीं। ये पत्रिकाएँ काशी, प्रयाग, मुरादाबाद, आगरा, बस्ती, झाँसी आदि शहरों से आर्यमित्र, आर्यावृत्त, आर्य प्रचार आदि नामों से निकली थीं।

पचास साल पहले के पत्रों में और आज के पत्रों में बहुत अन्तर है। न केवल पत्रों का स्वरूप ही बदला है, बल्कि पत्रों की सामग्री, उनके उद्देश्य, प्रकाशन विधि तथा कार्यप्रणाली सभी कुछ बदल गया है।

पहले के वृत्त-पत्र विचार पत्र थे और आज के वस्तुतः समाचार पत्र हैं। पहले पत्रों का महत्व उनके सम्पादकीय से आँका जाता था। सम्पादकीय का महत्व अब भी है, किन्तु सामाचारों और दूसरी पठन सामग्री की अपेक्षा कम। खासकर दैनिक पत्रों में स्वतंत्र लेखकों द्वारा लिखित विशेष लेखों का महत्व बहुत बढ़ गया है। बाहर के लेखों में वैचित्र्य, सूक्ष्म विश्लेषण और पृष्ठभूमि के रूप में उनका महत्व आदि बातें इतनी बढ़ गई हैं कि उनके आगे सम्पादकीय का स्थान गौण माना जाने लगा हैं। यह विशेषता हिन्दी के ही पत्रों की नहीं, बल्कि अंग्रेजी तथा दूसरी भाषाओं में निकलने वाले पत्रों की भी हैं।

हिन्दी पत्रकारिता में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले के समाचार पत्र व्यक्तिगत मत को अभिव्यक्त करते थे। पाठकों को उन दिनों व्यक्तिविशेष के विचार पढ़ने का शौक था। पत्रों में प्रायः उन दिनों व्यक्तिगत विवाद छपा करते थे। जैसे-जैसे समाचार बढ़ते गए और सामयिक लेखों का छपना शुरू हुआ, पत्रों में व्यक्तिगत विचार देने की प्रथा कम हो गई। राजनीतिक आन्दोलन और दलगत विचार-धारा के कारण भी व्यक्तिगत विचारों का महत्व घट गया। १९४८ में गांधी जी का "हरिजन सेवक" ही एकमात्र ऐसा पत्र था जिसमें व्यक्तिगत विचार होते थे और जिन्हें लोग उत्सुकता तथा आदर से पढ़ते थे। शेष समाचार पत्रों की विचारधारा व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत हो गई थी। विशेषकर दैनिक तथा प्रमुख साप्ताहिक राजनीतिक दल-विशेष के प्रतिनिधि के रूप में ही चलने लगे। १९२० के बाद से ही राजनीति देश के सार्वजनिक जीवन पर छा गई। धार्मिक तथा सम्प्रदाय-विशेष की पत्रिकाओं को छोड़कर शेष सभी समाचार पत्रों के लिए यह आवश्यक-सा हो गया कि वे किसी-न-किसी राजनीतिक दल के साथ नाता जोड़ें।

तीन-चौथाई हिन्दी दैनिक वर्षों से कांग्रेस के समर्थक रहे हैं। हिन्दू महासभा, समाजवादी दल तथा साम्यवादियों के पत्र भी गत

१५ वर्षों से हिन्दी में प्रकाशित हो रहे हैं। दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही देश की राजनीति ने पलटा खाया और छोटे-मोटे अन्य दल अस्तित्व में आये, उन्होंने भी अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए हिंदी पत्र निकाले। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में जमीदारों का अस्तित्व खतरे में था, इसलिए अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए जमीदारों की ओर से दो हिंदी दैनिक प्रकट हुए। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी नागपुर, लखनऊ, दिल्ली, जालन्धर आदि स्थानों से पत्र निकाले। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में एक भी ऐसा राजनीतिक अथवा अर्ध-राजनीतिक दल नहीं है, जिसने अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए या जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए हिंदी पत्रों का आश्रय न लिया हो।

१९३० तक बहुत-से हिन्दी पत्रों के मालिक व्यक्ति विशेष थे। पत्र उन्हीं की सम्पत्ति माने जाते थे। उन दिनों पत्र निकालने के लिए दस-बीस हजार रुपया ही पर्याप्त पूंजी मानी जाती थी। जो भी इतना धन जुड़ा पाता था, पत्र निकाल सकता था। धीरे-धीरे पत्रों की आवश्यकताएँ बढ़ने लगीं; मुद्रण, सम्पादन आदि में सुधार हुआ और विस्तार भी। युद्धजन्य तथा युद्धोत्तर परिस्थितियों ने मुद्रण के साधनों में आशातीत सुधार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें व्यय-साध्य भी बना दिया। इस परिवर्तन के कारण अनेक पत्र बन्द हो गए; केवल वे ही जीवित रह सके जिनके पास इतनी पूंजी थी कि वे मुद्रण सम्पादन आदि में सुधार कर सकें। इसलिए अधिकतर पत्रों का प्रबन्ध सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों के हाथों में चला गया है। इसी के कारण पहली बार हिन्दी पत्रों का व्यापारीकरण हुआ। इससे पहले संचालक लोग देशभक्ति का सहारा लेकर और बलिदान की भावना से प्रेरित होकर पत्र निकालते थे। हिन्दी पत्रकार यह सोच-समझकर इस वृत्ति को अपनाते थे कि उन्हें बलिदान तथा तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करना है। लौकिकता अथवा व्यापार की भावना उनके लिए निषिद्ध थी। यह दृष्टिकोण आज

की परिस्थितियों में एकदम दकियानूसी और यथार्थताशून्य माना जाता है। हिन्दी पत्र अब व्यापारिक संस्थाएं हैं; व्यापारिक ढंग पर उनका संचालन होता है। उनमें काम करने वाले पत्रकारों के दिलों में अब बलिदान या तपस्या के लिए कोई स्थान नहीं है। दृष्टिकोण के इस परिवर्तन के फलस्वरूप ही अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि हिंदी पत्र कल्पना-जगत से निकल कर आधुनिकता के प्रांगण में प्रविष्ट हो गए हैं।

हिन्दी पत्रों की समस्याएं

यद्यपि अर्थाभाव से मुक्त होने के लिए ही हिन्दी पत्रों ने आधुनिकता की शरण ली, फिर भी वह अभाव अधिकतर पत्रों के लिए बराबर बना हुआ है। मंहगाई और पारस्परिक प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई हैं। उसी अनुपात से आय के साधनों में वृद्धि नहीं हो पाई। समाचार पत्रों के लिए आय का प्रमुख साधन विज्ञापन है। अभी तक हिन्दी पत्रों को उतने विज्ञापन नहीं मिलते जितने प्रचार और महत्व की दृष्टि से उन्हें मिलने चाहिएं। विज्ञापन कम मिलने के अतिरिक्त हिंदी पत्रों में विज्ञापन दर बहुत ही कम है। जहाँ अंग्रेजी के पत्रों की औसत दर बारह रुपया प्रति इंच है हिंदी पत्रों की औसत विज्ञापन दर २—३ रुपये प्रति इंच ही है। विज्ञापन से होने वाली आय पर इन बातों का घातक प्रभाव पड़ा है। हिंदी पत्रों का अपना कोई संगठन नहीं जो औसत विज्ञापन दर निर्धारित कर सके और जो सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं से बलपूर्वक विज्ञापन की मांग कर सके। यह स्पष्ट है कि संगठन के बिना इस दिशा में सुधार होना असम्भव है।

हिन्दी पत्रों की दूसरी समस्या अनुवाद की है। सभी समाचार एजन्सियां समाचार अंग्रेजी में भेजती हैं। राज्यीय तथा केन्द्रीय सरकारों से भी मूल समाचार अंग्रेजी ही में निकलते हैं। यद्यपि सभी प्रकाशन विभागों ने प्रमुख समाचार हिन्दी में भेजने का प्रबन्ध कर रखा है, किन्तु यह व्यवस्था कहीं भी संतोषजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश और

बिहार जैसी सरकारें भी जो हिन्दी को राज्यभाषा घोषित कर चुकी हैं, कभी-कभी हिन्दी पत्रों की अवहेलना करती हैं। अधिकांश उच्चाधिकारी हिन्दी से अनभिज्ञ हैं। सभी लिखा-पढ़ी अंग्रेजी में होती है, इसलिए अंग्रेजी में लिखित मूल समाचार पत्रों को पहले प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि समाचार पत्रों के लिए समय का बहुत अधिक महत्व है, देर से मिले समाचारों से उन्हें कोई लाभ नहीं होता।

अतः सम्पादक मण्डल के कर्मचारियों का प्रमुख कार्य अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करना रह जाता है। इसके कारण ठीक से समाचारों का सम्पादन नहीं हो पाता। और फिर ठीक अनुवाद के लिए दोनों भाषाओं में योग्यता होनी भी आवश्यक है। सहायक सम्पादकों को हिन्दी पत्र जो वेतन देते हैं, वह इतना आकर्षक नहीं कि योग्य और अनुभवी व्यक्ति उनके यहां काम करें। यहां फिर अर्थाभाव की अड़चन आ जाती है। यह विचित्र बात है कि अंग्रेजी दैनिक के सम्पादकीय विभाग को औसत शक्ति सोलह कर्मचारी है और हिन्दी दैनिक की आठ या दस, यद्यपि काम हिन्दी दैनिकों में अंग्रेजी दैनिकों की अपेक्षा कहीं अधिक और कर्मचारियों का वेतन कहीं कम होता है। ऐसी दशा में हिन्दी पत्रों में सुधार की आशा करना अपने ही गाल बजाने से बढ़कर और कुछ नहीं।

ऊपर हिन्दी पत्रों के दोषों की चर्चा की गई है, परन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि इन कमियों से जूझते हुए भी हिन्दी पत्र न केवल जीवित हैं, बल्कि प्रगति के प्रयास में बराबर संलग्न हैं। १९४७ से प्रतिवर्ष हिन्दी पत्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हिन्दी राष्ट्र-भाषा घोषित हो जाने से हिन्दी पत्रों को नैतिक बल मिला है। जहां उनके अधिकार तथा प्रचार की परिधि बढ़ी है, वहां उन्होंने अपने दायित्व के भार को भी स्वीकार किया है और निभाया है। सम्पादकीय स्वातंत्र्य, निर्भीक आलोचना और सनसनी के बीच संयम, ये

राष्ट्र भाषा और हिन्दी पत्र

गुण अधिकांश प्रमुख दैनिकों तथा साप्ताहिकों में विद्यमान हैं । यद्यपि बहुत-से हिन्दी पत्र अब भी कांग्रेस के समर्थक हैं, परन्तु वे जनता के प्रति अपने दायित्व को भी अनुभव करते हैं और इसलिए सरकार की आलोचना करने से कभी नहीं डरते। यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि सरकारी गति-विधियों तथा नीतियों के प्रति जनसाधारण की प्रतिक्रिया का जितना यथार्थ प्रतिबिम्ब हिन्दी पत्रों में मिलता है, वैसा शायद किसी दूसरी भाषा के पत्रों में आसानी से नहीं मिल सकेगा । हिन्दी पत्रों के लिए यह श्रेय की बात है ।

विस्तार तथा वृद्धि

अर्थाभाव तथा दूसरी कमियों के रहते हुए भी हिन्दी पत्रों ने गत तीन वर्षों में काफी प्रगति की है । पहले सभी हिन्दी दैनिक चार पृष्ठों के होते थे। अब बहुत से छः पृष्ठ के हैं और कुछ आठ पृष्ठ के हैं। समाचार संकलन की दृष्टि से हिन्दी दैनिकों की तुलना अब अंग्रेजी दैनिकों से की जा सकती है । विशेष लेख, पृष्ठभूमि सामग्री, रविवारीय मैगजीन सैक्शन, व्यापार तथा खेल-कूद के समाचार इन सभी दृष्टियों से हिन्दी पत्र काफी आगे बढ़े हैं।

मद्रास के क्षेत्र में भी हिन्दी पत्रों में सुधार हुआ है। एक दर्जन से ऊपर हिन्दी दैनिक रोटरी मशीनों पर छपते हैं और मोनोटाइप पर कम्पोज होते हैं। लाइनो-टाइप मशीन का भी दो-तीन पत्रों में प्रयोग चल रहा है। छपाई की दृष्टि से यह पत्र प्रथम श्रेणी के हैं। अंग्रेजी के पत्रों की ही तरह हिन्दी पत्र चित्रों और मानचित्रों का प्रयोग करने लगे हैं। प्रमुख शहरों में अपने विशेष सम्वाददाता रखने की प्रथा सभी प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिकों ने अपना ली है । देश की राजधानी में प्रतिनिधित्व को अब ये पत्र विशेष महत्त्व देने लगे हैं।

गत दस वर्षों में हिन्दी पत्रों की संख्या में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। एक समय था जब बिहार जैसे हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्त में एक भी हिन्दी दैनिक नहीं था। कलकत्ता और बनारस के हिन्दी दैनिकों पर ही

बिहार के पाठक सन्तोष कर लेते थे। परन्तु राज्यीय राजनीति और स्थानीय समस्याओं ने स्थानीय दैनिकों को जन्म दिया। अब पटना से ६ दैनिक पत्र निकलते हैं। कुल मिलाकर देश-भर में हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओं की संख्या लगभग १२०० है। इनमें ७० के करीब दैनिक हैं, ४५० के ऊपर साप्ताहिक और शेष पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक तथा त्रैमासिक पत्रिकाएं हैं।

बर्मा, मौरीशस तथा फीजी में वर्षों से हिन्दी दैनिक और साप्ताहिक निकल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से भी कई विदेशों में हिन्दी पत्र हिन्दी साप्ताहिक शुरू हुए जिनमें से अब एक ही जीवित है।

भारतीय पत्र

भारत में सभी भाषाओं के कुल मिलाकर ४,५६० समाचार पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं। राज्यों के अनुसार उनका वितरण इस प्रकार है—

राज्य का नाम	दैनिक	साप्ताहिक	मासिक	अन्य पत्र पत्रिकाएँ	योग
अजमेर	५	१३	१९	—	३७
आसाम	२	१४	—	१	१७
कुर्ग	—	२	१	१	४
भूपाल	२	८	४	१	१५
दिल्ली	३१	७३	१५०	१३	२६७
हिमाचल प्रदेश	—	१	—	१	२
हैदराबाद	२२	२७	१८	५	७२
बिहार	१०	६३	४२	५८	१७३
बम्बई	९३	२९२	११६	८६	५८७
जम्मू-कश्मीर	४	१८	—	१	२३
कच्छ	१	२	१	१	५

मध्य भारत	५	१२	१२	५	३४
मध्य प्रदेश	८	६६	५४	२२	१५०
मद्रास	३५	२४२	४२५	२४४	९४६
मैसूर	२७	२५	४३	२०	११५
उड़ीसा	६	२३	१७	१८	६४
पटियाला पूर्वी पंजाबी रियासती संघ	—	१०	९	६	२५
पंजाब	३६	१०४	९१	२८	२५९
सौराष्ट्र	४	११	२२	९	४६
त्रावंकोर-कोचीन	२३	४१	५०	५५	१६९
राजस्थान	६	६	८	४४	६४
उत्तर प्रदेश	६५	२९३	३०४	१२२	७८४
विंध्य प्रदेश	—	५	—	—	५
पश्चिमी बंगाल	४२	२०७	२३५	२१४	६९८
कुल संख्या	४२७	१५५८	१६२१	९५४	४५६०

भाषाओं के अनुसार पत्रों की संख्या

पत्र अथवा पत्रिकाएँ	दैनिक	साप्ताहिक	मासिक	अन्य पत्र पत्रिकाएँ	योग
अंग्रेजी	५७	२२७	३२९	२६९	८८२
हिन्दी	७७	२९२	३५१	१२४	८४४
उर्दू	११७	२४६	१६७	३०	५६०
तेलगू	५	७१	१०१	३३	२१०
मलायलम	१७	२३	४८	२३	१११
आसामी	१	७	२		१०
कन्नड	२३	५६	४३	११	१३३
बंगाली	१६	१२७	१४४	८७	३७४
गुजराती	३२	९५	४३	३७	२०७

सिन्धी	५	९	५	१	२०
मराठी	३४	१४४	३५	२९	२४२
पंजाबी (गुरमुखी)	८	३७	३०	२	७७
उडिया	३	१४	१३	११	४१
तामिल	१६	९४	१९३	७९	३८२
दो अथवा कई भाषाओं के पत्र	१५	१०२	१०२	२१३	४३२
अन्य भाषाएं	१	१४	१५	५	३५
कुल संख्या	४२७	११५८	१६२१	९५४	४५६०.

हिन्दी भाषा का प्रचार करनेवाली मुख्य संस्थाएँ निम्न हैं—

१—हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग

२—काशी नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस

३—राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा

४—दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, मद्रास

५—अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्, दिल्ली

यातायात

द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने के पहले भारत में तीन देशी और विदेशी कम्पनियों के वायुयान चलते थे।

नागरिक उड्डयन

१९३८ में नागरिक उड्डयन ने विशेष उन्नति की। उस समय देश में ५९९० मील लम्बा हवाई मार्ग स्थापित हो चुका था। उस वर्ष कुल मिलाकर भारत में १५,१४,००० मील की हवाई यात्रा की गई।

युद्ध-काल में उड्डयन क्लबों से बहुत सहायता प्राप्त हुई।

३२० से अधिक चालक तैयार कर सरकार को दिये। १६४२ में बर्मा पर जापान का आक्रमण होने पर लोगों को निकाल लाने में भारतीय हवाई क्लबों ने महत्वपूर्ण भाग लिया।

भारत में इस समय ७ हवाई कम्पनियां हैं और वे २१ मार्गों पर जिनकी कुल लम्बाई १६,०५० मील है, हवाई जहाज चलाती हैं। इन सर्विसों द्वारा ३६ बड़े-बड़े नगरों में परस्पर हवाई सम्पर्क स्थापित हो गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सर्विस के क्षेत्र में भारत अपना स्थान ग्रहण कर रहा है। १६४८ के जून में एयर इंडिया इंटरनेशनल ने अमरीका तक अपना मार्ग बढ़ा लिया है। अप्रैल १६४६ में भारत एयरवेज कम्पनी के वायुयानों ने चीन तक आना-जाना प्रारम्भ कर दिया है। इस वर्ष भारतीय वायुयानों ने आस्ट्रेलिया, लंका, फिलिपाइन्स तथा जावा की यात्रा करनी भी शुरू कर दी है। चीन, स्याम, मिस्र तथा इथियोपिया तक तो ये पहले ही से आ-जा रहे हैं।

भारतीय हवाई सर्विसों की यह कम प्रशंसा नहीं है कि इनके मार्गों पर बहुत कम दुर्घटना हुई हैं। १६४६ में २३ हवाई दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें से एक ही में प्राणहानि हुई।

भारत में इस समय जो उड्डयन क्लब चालू हैं उनके नाम ये हैं—(१) एयरो क्लब आफ इंडिया, (२) एयरोनाटिकल सोसाइटी आफ इंडिया (३) बंगाल फ्लाइंग क्लब, (४) बिहार फ्लाइंग क्लब, (५) बम्बई फ्लाइंग क्लब, (६) मध्यप्रदेश व बरार फ्लाइंग क्लब, (७) दिल्ली फ्लाइंग क्लब, (८) हिन्द प्रोविंशियल फ्लाइंग क्लब, (९) मद्रास फ्लाइंग क्लब (१०) उत्तर भारत फ्लाइंग क्लब, (११) उड़ीसा फ्लाइंग क्लब।

उड्डयन क्लबों में शिक्षार्थियों को प्रतिघंटा इस हिसाब से शुल्क देना पड़ता है—

	प्रवेश से पूर्व	अन्य सदस्य (२८ वर्ष से कम आयु)	अन्य सदस्य (२८ वर्ष से अधिक)	विदेशी
हल्के वायुयान	रु०	रु०	रु०	रु०
दिन	१५	२०	३५	७५
रात	—	४०	६५	७५
भारी वायुयान				
दिन	२०	२५	४५	५
रात	—	४५	६५	७५

सरकार की ओर से उड्डयन क्लबों को प्रतिवर्ष ३० हजार रुपये की सहायता मिलती है।

तीन नवम्बर १९४५ को निम्न मार्गों पर भारतीय कम्पनियों के वायुयान चल रहे थे—

१ एयर इण्डिया, बम्बई	१ बम्बई-कलकत्ता (बिना ठहरे)
	२ बम्बई-अहमदाबाद-जयपुर-दिल्ली
	३ बम्बई-दिल्ली (बिना ठहरे)
	४ बम्बई-कराची (,,)
	५ बम्बई-हैदराबाद-मद्रास-कोलम्बो
	६ बम्बई-मद्रास (बिना ठहरे)
	७ बम्बई-अहमदाबाद-कराची
	८ मद्रास-बंगलौर-कोयम्बटूर-कोचीन त्रावंकोर
	९ बम्बई-बड़ौदा-अहमदाबाद
२ इण्डियन नेशनल एयरवेज, नई दिल्ली	१० दिल्ली-लाहौर
	११ दिल्ली-जोधपुर-कराची
	१२ दिल्ली-कलकत्ता
	१३ कलकत्ता-रंगून

	१४ दिल्ली-अमृतसर-जम्मू-श्रीनगर
	१५ दिल्ली-अमृतसर-श्रीनगर (केवल सामान)
३ इण्डियन ओवरसीज एयर लाइन्स बम्बई	१६ बम्बई-नागपुर-कलकत्ता
४ एयर सर्विसिज़ आफ इंडिया, बम्बई	१७ बम्बई-जामनगर-भुज-करांची
	१८ बम्बई-इन्दौर-ग्वालियर-दिल्ली
	१९ बम्बई-भावनगर-राजकोट
	२० बम्बई-पूना-बंगलौर
	२१ बम्बई-केशोद-पोरबन्दर,जामनगर भुज
५ भारत एयरवेज़, कलकत्ता	२२ कलकत्ता-पटना-बनारस लखनऊ-दिल्ली
	२३ कलकत्ता-इलाहाबाद-कानपुर-दिल्ली
	२४ कलकत्ता-चिटगाँव
	२५ कलकत्ता-अगरताला
	२६ कलकत्ता-बैंकाक
६ दक्खन एयरवेज़ हैदराबाद (दक्षिण)	२७ मद्रास-हैदराबाद-नागपुर-दिल्ली
	२८ हैदराबाद-बंगलौर
	२९ हैदराबाद-बम्बई
७ एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता	३० कलकत्ता-ढाका
	३१ कलकत्ता-भुवनेश्वर-विजगापटम्-मद्रास-बंगलौर
	३२ कलकत्ता-गोहाटी-मोहनबाड़ी
	३३ कलकत्ता-बल्डोगरा
८ कलिंग एयरलाइन्स, कलकत्ता	३४ कलकत्ता-अगरनाला (केवल सामान)

९ हिमालय एवियेशन, कलकत्ता — ३५ कलकत्ता-नागपुर-बम्बई, ३६ दिल्ली-नागपुर-मद्रास } रात्रि हवाई डाक सर्विस

१० एयर इंडिया इंटरनेश्नल, बम्बई — ३७ बम्बई-काहिरा-जनेवा-लन्दन

गत ५ वर्षों के हवाई यातायात के आंकड़े

	उड़ान के घंटे	उड़ान मीलों में	यात्रियों की संख्या	सामान (पौंडों में)	डाक (पौंडों में)
१९४५	२१७८१	३३२०२७७	२४०९९	८५२०६८	४००६१६
१९४६	२९५३९	४५२००४६	१०५२५१	१३१८१५३	१०२६४०३
१९४७	५९३०१	९३६१६७३	२५४९६०	३८६८५४६	१४०५०७३
१९४८	७९९६१	१२६४८७६५	३४११८६	८१५६४७१	१५८२६४५
१९४९	९३०००	१४९०००००	३५८०००	१३३०००००	४९०००००

१ अप्रैल १९४९ से, बिना अतिरिक्त महसूल के, हवाई डाक की व्यवस्था चालू की गई। इस योजना के अन्तर्गत देश की आन्तरिक डाक का २८ प्रतिशत भाग हवाई सर्विसों द्वारा भेजा जाता है। अनुमान है कि हवाई डाक व्यवस्था से १९४९-५० में ६५ लाख रु० की आय होगी।

रेल

अविभाजित भारत में विविध चौड़ाई की रेल की पटरियों की कुल लम्बाई ४०,५२४ मील थी। इसमें से ३३,८६५ मील लम्बाई की रेल भारत के हिस्से में आई।

विभाजन के तुरन्त बाद भारत की रेलों को कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रेलवे के सब तरह के कर्मचारियों को यह आज़ादी दी गई थी कि वह इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में नौकरी कर सकते हैं। रेलवे के कर्मचारियों में से ८३,००० ने पाकि-

स्तान में और ७३,००० ने भारत में नौकरी करना पसन्द किया। फलस्वरूप ड्राइवर, फोरमैन, और कितनी ही विशिष्ट प्रकार की नौकरियों में से एकाएक इतने आदमियों के निकल जाने से भारत की रेलों का पूरी आवश्यकतानुसार चलना कठिन हो गया। उधर ऐसी अवस्था में ही लाखों लोगों को भारत से पाकिस्तान व पाकिस्तान से भारत लाने का उत्तरदायित्व रेलों को निभाना था। विभाजन के बाद के ढाई महीनों में रेलवे ने तीस लाख शरणार्थियों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचाया।

दूसरे महायुद्ध के दिनों में रेलों से उनकी शक्ति से अधिक काम लिया गया। इन दिनों बाहर से आयात न होने के कारण कितने ही जरूरी पुर्जे वा दूसरे सामान हासिल न हो सके। जहां इस तरह रेल के साधनों में ढील आई वहां सफर करने वाले यात्रियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती चली गई। उस वक्त रेलों के पास १९३८-३९ की अपेक्षा १९ प्रतिशत कम मुसाफिर-गाड़ियों का साजोसामान है, जबकि इस घटे हुए साजोसामान में उन्हें १९३८-३९ से दोगुने अधिक यात्रियों को ले जाना पड़ रहा है।

इस तरह कम हुए सामान को पूरा करने की कोशिशें बड़े पैमाने पर जारी हैं। मिहिजाम (आसन्सोल) में रेल के इन्जन बनाने का सरकारी कारखाना लगाया जा रहा है। टाटा का इन्जन बनाने वाला कारखाना और यह सरकारी कारखाना मिलकर देश की इन्जनों की मांग को पूरा कर सकेंगे।

देश की समस्त रेलों को संभवतः अब निम्न ६ मंडलों में विभाजित किया जायगा।

मंडल १—उत्तरी रेल—इसमें पूर्वी पंजाब रेलवे, ई० आई० रेलवे का पश्चिमी भाग (लखनऊ-कानपुर और दिल्ली-सहारनपुर के मध्य) बी० बी० एंड सी० आई० रेलवे की छोटी लाइन (आगरा और कान-

पुर के मध्य) और ओ० टी० रेलवे (छपरा से पश्चिम) सम्मिलित होंगे।

मंडल २—पश्चिमी रेल—इसमें बी०बी० एंड सी० आई० रेलवे की एक छोटी लाइन का भाग (कानपुर-आगरा शाखा को छोड़कर) तथा सौराष्ट्र, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, राजस्थान और कच्छ की राज्यीय रेलें, सम्मिलित होंगी। इस मंडल में कांधला बन्दरगाह की उन्नति सम्बन्धी आवश्यकताओं और राजस्थान के साथ सौराष्ट्र आदि के आर्थिक सम्बन्धों का विशेष ध्यान रखा गया है।

मंडल ३—केन्द्रीय रेल—इसमें बी० बी० एंड सी० आई० रेलवे की छोटी लाइन की शाखाएं, जी० आई० पी० रेलवे का अधिक भाग, तथा सिन्धिया और धौलपुर की सब राज्यीय रेलें सम्मिलित होंगी। इस मंडल में बम्बई के बड़े बन्दरगाह से उत्तरी भारत को जाने वाले केवल वैकल्पिक मार्गों को ही नहीं, बम्बई और उसके आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों के मध्यवर्त्ती संचार-मार्गों को भी एक ही प्रशासन के अधीन कर दिया गया है।

मंडल ४—दक्षिणी रेल (सदर्न रेलवे)—इसमें एस० आई० रेलवे (छोटी और बड़ी दोनों लाइनें) एम० और एस० एम० रेलवे की बड़ी लाइन का अधिक भाग और समस्त छोटी लाइन तथा समस्त मैसूर राज्यीय रेल सम्मिलित होंगी। भौगोलिक तथा रेल संचालन की दृष्टि से दक्षिण की समस्त रेलों का समूहीकरण आदर्श व्यवस्था है।

मंडल ५—पूर्वी रेल (ईस्टर्न रेलवे)—इसमें एन० एस० रेलवे, जी० आई० पी० और एम० और एस० एम० रेलवे के भाग, और बी० एन० रेलवे (बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्र तथा हावड़ा खड़गपुर शाखा को छोड़कर) सम्मिलित होंगी।

मंडल ६—उत्तर पूर्वी रेल (नार्थ ईस्टर्न रेलवे)—इसमें ई० आई० रेलवे (लखनऊ-कानपुर से पूर्व) बी० एन० रेलवे का बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों का भाग, हावडा-खडगपुर शाखा, ओ०

टी० रेलवे (छपरा से पूर्व) और आसाम रेलवे (आसाम रेल की कड़ी और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे सहित) सम्मिलित होंगी।

१९४९-५० में १६ रेल-दुर्घटनाएं हुईं। इनमें १४ यात्री-गाड़ियां तथा २ मालगाड़ियां थीं। यात्री-गाड़ियों में ४ दुर्घटनाएं टकराने से तथा दस दुर्घटनाएं पटरी से गाड़ी उतर जाने के कारण हुईं। गाड़ी के पटरी से उतर जाने की घटनाओं में ५ घटनाएं तोड़-फोड़ करनेवाले उपद्रवियों की कार्रवाइयों से हुईं। दो दुर्घटनाओं के उत्तरदायी रेल अधिकारी थे।

विभाजन से लेकर ३१ जनवरी १९५० तक ४४७ बड़ी लाइन के और ५१ छोटी लाइन के इंजन प्राप्त हुए हैं। १९५० में २०९ बड़ी लाइन के, १५६ छोटी लाइन के और २० संकरी लाइन के इंजन प्राप्त होने की आशा है। चित्तरंजन में इंजन बनाने का जो लक्ष्य स्वीकार किया गया है वह यह है—१९५० में ३ इंजन, १९५१ में ३३, १९५२ में ४५, १९५३ में ६६ और १९५४ में ९०।

सड़कें

दिसम्बर १९४२ में सब प्रान्तों व रियासतों के चीफ इन्जीनियरों का एक सम्मेलन नागपुर में हुआ और इस सम्मेलन ने देश की सड़कों के भविष्य का खाका खींचा। इस सम्मेलन ने फैसला किया कि देश के प्रायः सभी गांवों व शहरों को सड़कों से सम्बन्धित करने के लिए जरूरी है कि देश में सब मौसमों में चालू रहनेवाली सड़कों की लम्बाई ४ लाख मील हो। देश में राष्ट्रीय राजपथों (नेशनल हाइवेज़) का १० से १५ वर्ष की अवधि में एक ऐसा ढांचा बनाया जाय जिससे प्रान्तों जिलों व ग्रामों की सब सड़कें सम्बन्धित की जायं। अन्दाज़ा लगाया गया था कि इस योजना पर कुल खर्च ४५० करोड़ रुपए का होगा। इस सम्मेलन ने सुझाव पेश किया कि सड़कों के निर्माण देख-भाल और उचित प्रयोग आदि के लिए विशिष्ट कानून बनाए जायं।

देश के विभाजन से इस कार्यक्रम व योजना में कुछ परिवर्तन हो

गए। हिन्दुस्तान के लिए जरूरी सड़कों की कुल लम्बाई अब तक ३,११,००० मील रह गई जिस पर कुल खर्च का अनुमान ३७९ करोड़ है।

उपरोक्त सम्मेलन ने राजपथों की लम्बाई का अनुमान २५००० मील लगाया था। आर्थिक राष्ट्रीय अवस्थाओं को देखते हुए अविभाजित भारत के लिए इस लम्बाई को घटाकर १८,००० मील कर दिया गया था। विभाजन के बाद अब हिन्दुस्तान में १४,००० मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण की योजना है।

सितम्बर १९५० में दिल्ली के समीप एक सड़क अनुसंधान शाला की स्थापना की गई है। इसका विचार १९४३ में नागपुर में हुए विभिन्न प्रान्तों और रियासतों के चीफ इंजीनियरों के सम्मेलनों में आया था। सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि विभिन्न स्थानों की भूमि या मिट्टी के वैज्ञानिक परीक्षण पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, अतः मिट्टी की जांच-पड़ताल के लिए विभिन्न भागों में परीक्षणशालाएं खोली जानी चाहिएं।

भारत में मोटर-यातायात में वृद्धि हो जाने पर भी सड़कें तो न काफी हैं और न उनकी प्रगति ही सन्तोषजनक है। भारत में सड़कों की लम्बाई ३,५०,००० मील है। नागपुर सम्मेलन की राय में इसके अतिरिक्त ४,००,००० मील की और सड़कें बननी चाहिएं। इन चार लाख में, २५,००० मील तो देशव्यापी राजमार्ग, ६५,००० मील प्रान्तीय मार्ग तथा ६०,००० मील जिलों की सड़कें तथा डेढ़ लाख मील ग्रामीण सड़कें होनी चाहिएं।

हमारे देश में १० फुट चौड़ी कोलतार की एक मील लम्बी पक्की सड़क बनाने में ३०,००० रु० खर्च होता है। और सीमेंट कंक्रीट की इतनी ही लम्बी सड़क तैयार करने में ५०,००० रु० खर्च होते हैं। कच्ची सड़क बनाने में भी प्रति मील ५,००० रु० की लागत आती है।

सड़क अनुसन्धानशाला में होने वाले अनुसन्धान के फलस्वरूप यदि

सड़क निर्माण के व्यय में १ प्रतिशत भी कमी हो जाय तो लगभग १ करोड़ रुपये की बचत हो जायगी। इसी प्रकार यदि मरम्मत संभाल आदि में भी प्रतिमील १० रु० व्यय कम करना संभव हो सका तो ३५ लाख रु० साल की बचत हो सकेगी।

१ अप्रैल, १९४७ से भारत की केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण समझी जानेवाली सब सड़कों के निर्माण और देख-भाल का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। इन सड़कों पर ५०० बड़े पुल भी बनेंगे जिनमें से २२ पुल लगभग ३००० फुट की लम्बाई के होंगे। सड़कों के विकास के लिए १९५२-५३ में खत्म होनेवाली पञ्चवर्षीय योजना के अनुसार इन सड़कों पर कुल खर्च का अनुमान २३.५० करोड़ रुपए लगाया गया है।

प्रमुख नगर

कलकत्ता

भारत में पटसन के निर्माण का बड़ा औद्योगिक केन्द्र। बंगाल की सारी पटसन मिलें हुगली के किनारे कलकत्ते के आसपास बनी हुई हैं। इस नगर में आटे और कागज, दियासलाई, रसायन उद्योग, चावल छड़ने की मिलें, तेल निकालने की मिलें, लोहा ढालने के उद्योग और चमड़े की पिटाई के उद्योग स्थित हैं। कलकत्ते से ही विदेशों को चाय का अधिकांश निर्यात होता है और साबुन, सुगन्धि, स्नान के सामान, एनामल और चीनी के बर्तन, शीशे का सामान, सींग और सेलुलायड की चीजें, गत्ते के बक्से और टीन के डिब्बे, टोप, वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार होता है।

जबकि पटसन के उद्योग में लगी पूंजी का अधिकांश भारतीय है,

पटसन की ज्यादातर मिलों का प्रबन्ध विदेशियों के हाथों में है।

जहां कलकत्ते की विशिष्टता वहां पटसन के उद्योग का एकाधिकार है, बम्बई की विशिष्टता सूती कपड़े के कारखाने और वस्त्र व्यापार है। इनके अतिरिक्त सूत बनाने, कोरे कपड़े को खारने और लोनवाला और आन्ध्र वैली के बिजली बनाने के बड़े कारखाने भी बम्बई में स्थित हैं। सब तरह के वस्त्र आयात की बिक्री की सबसे बड़ी मंडी बम्बई की है। कपड़े के उद्योग में लगी प्रायः सारी पूंजी ही भारतीय है। तेल बीजों की एक बड़ी मंडी बम्बई में है और तेल निकालने और साफ करने की बड़ी मिलें भी यहां हैं। खल (आयल केक्स) प्रचुर मात्रा में इंगलैंड भेजी जाती है।

बम्बई

औद्योगिक दृष्टि से मद्रास का अधिक महत्व नहीं है, फिर भी भारत की दो बड़ी सूती कपड़े की मिलें यहां हैं। मद्रास से मूंगफली, तम्बाकू और पिटाई की हुई चमड़ी का निर्यात प्रचुर मात्रा में होता है।

मद्रास

औद्योगिक और व्यावसायिक दृष्टि से कानपुर का महत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विदेशों से आये हुए कपड़े और लोहे के सामान की, चमड़े, चमड़े के सामान, गर्म, सूती कपड़े और तम्बुओं की यहां बड़ी मंडी है। यहां आटे की, तेल की व रसायन की मिलें हैं और छोटे परिमाण में कितने ही उद्योग धन्धे चल रहे हैं।

कानपुर

सूती, रेशमी और गर्म कपड़े की पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी मंडी। दिल्ली ६ रेलवे लाइनों का जंकशन है। यहां सूत कातने व कपड़ा बुनने की, बिस्कुट की और आटे की बड़ी मिलें हैं। हाथी दांत का, सोने चांदी के आभूषणों का, फीतों का, मिट्टी के बर्तनों का और कसीदा काढ़ने का यह पुराना केन्द्र है।

दिल्ली

सूत और सूत के कपड़े के निर्माण में बम्बई के बाद अहमदाबाद

अहमदाबाद — का स्थान है। व्यापार की दृष्टि से भी बम्बई के बाद अहमदाबाद की मंडियों का ही महत्व है।

व्यापार की दृष्टि से अमृतसर का बड़ा महत्व है, सर्वाधिक व्यापार सूती, रेशमी और गर्म कपड़े का होता है। यह

अमृतसर — काश्मीर के उपज की भी बड़ी मंडी है, शाल-दुशाले यहां से सारे भारत में जाते हैं। अमृतसर में अनाज की एक बड़ी मंडी है और (हाजिर और मिति के) सट्टों के चैम्बरों में व्यापार होता है। यहां रेलवे की एक बड़ी वर्कशाप रेलवे व फौजी जरूरत का सामान तैयार करती है।

चमड़े और चमड़े के सामान का व्यापार, कालीन और दरियां,

आगरा — कसीदाकारी और पत्थर का काम आगरा में में बहुतायत से होता है।

आसनसोल — भारत में कोयले के उद्योग का एक प्रमुख नगर।

अपने कालीन, सूती, रेशमी व गर्म कपड़े व चमड़े के सामान के लिए बंगलोर (मैसूर की राजधानी) सुप्रसिद्ध

बंगलोर — है। यहां साबुन, चीनी के बर्तन, लाख, लकड़ी के सामान व सफेद सुरमा बनते हैं और सिगरेटों का एक बड़ा कारखाना लगा है।

अपने रेशमी व जरी के कपड़ों के लिए बनारस

बनारस — प्रसिद्ध है। देशी ढंग से बढ़िया तम्बाकू व इत्र तेल तैयार किये जाते हैं।

औद्योगिक दृष्टि से लखनऊ का अधिक महत्व नहीं, लेकिन परचून बिक्री को यह एक अच्छी मंडी है। इसके

लखनऊ — अलावा कृषि की उपज की यह एक थोक मंडी है।

नागपुर में कपड़ा बनाने की, कपास को साफ करने व गांठें बांधने की

नागपुर — मिलें हैं। और नज़दीक की मैंगनीज़ की खानों के कारण इसका महत्व अधिक हो जाता है। यहां के सन्तरे भारत-भर में बिकते हैं।

जब्बलपुर — फौजी सामान के निर्माण के कारखाने के अलावा यहां एक बड़ी कपड़े की मिल, चीनी के बर्तनों का उद्योग केन्द्र और रेलवे वर्कशाप हैं।

मिरजापुर — पीतल के बर्तनों के निर्माण का घरेलू धन्धा बड़े परिमाण पर यहां चलता है। साथ ही इसकी प्रसिद्धि लाख और कालीन के कारखानों के कारण है।

मदुरा — मद्रास प्रान्त के सूती व रेशमी कपड़े के निर्माण व रंगाई का बड़ा केन्द्र।

विशाखापट्टनम — विशाखापट्टनम विशेष रूप से विदेशों को निर्यात के लिए ही प्रसिद्ध है। मैंगनीज़, हरड़, मूंगफली, 'लंका' और पोथी' तम्बाकू का निर्यात होता है।

लश्कर (ग्वालियर) — पत्थर की खान और पत्थर के काम के लिए यह नगर विख्यात है। यहां तम्बाकू की खेती और बीड़ियों का निर्माण बड़े परिमाण पर होता है।

श्रीनगर (काश्मीर) — रेशमी और रेशमी वस्त्र, शालों पर कसीदाकारी और लकड़ी व चांदी पर काम के लिए श्रीनगर सुविख्यात है। यहां के फल, गर्म कपड़े व ऊन की सारे भारत में मांग है। यद्यपि बड़े पैमाने में उद्योग के लिए श्रीनगर (काश्मीर) में कच्चा सामान बहुत मात्रा में मिल सकता है, लेकिन उपयुक्त योजनाओं की अनुपस्थिति में यह रियासत अब तक पिछड़ी हुई है।

जयपुर — राजपूताना का प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र, यहां पर मिट्टी व चांदी व सोने के बर्तनों पर सुन्दर काम होता है। जयपुर असली पत्थरों के व्यापार के लिए भी मशहूर है।

मैसूर — चन्दन का तेल, हाथीदांत और चन्दन की लकड़ी पर काम और धूप अगरबत्ती के निर्माण में मैसूर का महत्वपूर्ण स्थान है।

भारत के बन्दरगाह

प्रकृति ने भारत को यद्यपि एक लम्बे समुद्र तट का वरदान प्रदान किया है, तो भी उसने उसे अच्छे प्राकृतिक बन्दरगाह प्रदान नहीं किये। यही कारण है कि १५०० मील लम्बे समुद्र तट पर केवल कुछ थोड़े से ही अच्छे बन्दरगाह हैं, जिनमें से अधिकांश कृत्रिम रूप से बनाये गए हैं।

पाकिस्तान बनने के बाद एक अत्युत्तम बन्दरगाह कराची और उससे कुछ कम महत्वपूर्ण बन्दरगाह चटगाँव भारत के हाथ से निकल गए। इनके हाथ से चले जाने के कारण बम्बई और कलकत्ता बन्दरगाहों पर सामुद्रिक व्यापार का बड़ा बोझ पड़ गया है। इसलिए स्वाधीन भारत की सरकार कुछ छोटे बन्दरगाहों को विकसित करने और कुछ और बड़े बन्दरगाह बनाने का प्रयत्न कर रही है।

इस समय भारत के मुख्य बन्दरगाह निम्न हैं —

बेदी — सौराष्ट्र की एक रियासत नवानगर का मुख्य बन्दरगाह जो कि जामनगर के शहर से कुछ मील ही दूर है। इस बन्दरगाह में बड़े जहाज नहीं उतर सकते, उन्हें बेदी से कुछ मील दूर कच्छ की खाड़ी में लंगर डालना पड़ता है। बन्दरगाह रेलवे द्वारा सम्बन्धित है, इसलिए व्यापार के लिए सुभीताजनक है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ से आयात-निर्यात होता है।

ओखा — बड़ौदा रियासत की एक अर्वाचीन बन्दरगाह जिसका निर्माण बड़ी किस्म के नये जहाजों को दृष्टिगत रखकर हुआ है। काठियावाड़ प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित होने से सैनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बन्दरगाह सीमेंट की बनी हुई है, रेलें बिछी हुई हैं, ज्वार और भाटा दोनों हालतों में दो बड़े जहाज बन्दरगाह में खड़े रह सकते हैं। रोशनी का अच्छा प्रबन्ध है; रिहायशी इमारतों की व्यवस्था भी ठीक है। लेकिन ओखा घनी आबादी से बहुत दूर है (बधवां जंकशन : २३१ मील)। आयात-निर्यात की मात्रा बेदी से कम है।

आयात चीनी, मिट्टी, रंग, कपड़े की मशीनरी, लोहा व इस्पात, रेलवे मशीनरी, मोटरकार और निशास्ते का होता है। निर्यात बीज व रुई का।

भावनगर — भावनगर की रियासत की राजधानी और बन्दरगाह। बड़े जहाजों को लगभग ८ मील की दूरी पर लंगर डालना होता है; मुख्य बन्दरगाह में छोटे जहाज ही आ सकते हैं। रेल द्वारा भावनगर सारे भारत से सम्बन्धित है। भावनगर से आयात व निर्यात दोनों बड़ी मात्रा में होते हैं।

बम्बई — बम्बई द्वीप की बन्दरगाह। इसकी स्थिति लैटीच्यूड (अक्षांश) १८,०५५ उत्तर और लांगीच्यूड (रेखांश) ७२,०५४ पूर्व है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण प्राकृतिक बन्दरगाह है। उन्नीसवीं सदी के शुरू तक बम्बई का कोई महत्व नहीं था। १८३८ में इंगलैण्ड को नियमित मासिक डाक भेजने के प्रबन्धों के बनने पर इसे महत्व प्राप्त हुआ। बम्बई का १८५० में रेल द्वारा सम्बन्ध रुई की उपज के प्रदेशों से और पंजाब और उत्तर प्रदेश के अनाज उपजाने वाले प्रदेशों से हो गया। अमरीका के घरेलू युद्ध के दिनों में बम्बई की रुई को बहुत महत्व

मिला और बम्बई उन्हीं दिनों में एक बढ़िया बन्दरगाह बन गया।

बम्बई बन्दरगाह की राह आयात होने वाले मुख्य पदार्थ यह हैं—मशीनरी व पुर्जे, कपास, खनिज तेल, धातुएं, मोटर कारें, असली व नकली रेशम का धागा व कपड़ा, रसायन, सूती व गर्म कपड़ा, कागज।

निर्यात की मुख्य चीजें निम्न हैं:

कपास, सूती कपड़ा, बीच, तेल, ऊन, चमड़ा व खालें।

पुनर्नियात की चीजें ये हैं—

शीशे के सामान, नकली रेशम व कपड़ा, बीज सूती कपड़ा।

युद्ध पूर्व की विश्वव्यापी व्यापार क्षीणता के कारण आयात-निर्यात में कमी दिखाई पड़ी, लेकिन व्यापार की दशा के सुधरने के साथ ही आयात-निर्यात की मात्रा में भी वृद्धि हो गई।

उत्तरी भारत और गुजरात से बम्बई, बड़ौदा एंड सैंट्रल इंडियन रेलवे और दक्षिण, मध्य भारत, गंगा से सिंचित प्रदेश, कलकत्ता व मद्रास से ग्रेट इण्डियन पेनिन्सुला रेलवे बम्बई को सम्बन्धित करती है।

इस बन्दरगाह से हज की यात्रा और फारस की खाड़ी से व्यापार होता है। कराची, काठियावाड़, मालाबार प्रदेश और गोआ से तटीय व्यापार पर्याप्त मात्रा में होता है। हजारों की संख्या में जहाज प्रतिवर्ष यहाँ लंगर डालते हैं।

बम्बई की बन्दरगाह का प्रबन्ध-भार बम्बई पोर्ट ट्रस्ट (जो धारा सभा के एक कानून के अनुसार एक सार्वजनिक संस्था है) करता है। वही ट्रस्ट रोशनी, रेलवे, बन्दरगाह की भूसम्पत्ति का और अन्य सम्बन्धित कर्तव्यों का इन्तजाम करता है।

बम्बई का बन्दरगाह दुनिया के सर्वोत्तम और सुरक्षित बन्दरगाहों में से एक है। लगभग ७४ वर्गमील भूमि को यह घेरे हुए है; १४ मील लम्बाई, ४ से ६ मील चौड़ाई और गहराई लगभग २२ से ४० फुट की है। रोशनी का बड़ा अच्छा प्रबन्ध है; तीन बड़े प्रकाश-स्तम्भ (लाइट-हाउस) जहाजों को राह प्रदर्शन करते हैं।

जहाजों की सहायता के लिए बेतार के तार के विशेष प्रबन्ध हैं और दिशा ज्ञान के विशेष यन्त्र भी निर्मित हैं। अन्धेरी और तूफान की सूचना पूना के ऋतु-दर्शक परीक्षणालय (मिटीयरोलोजिकल आफिस) से प्राप्त होने पर तुरन्त प्रचारित कर दी जाती है।

बम्बई बन्दरगाह में तीन पानी के (वेट) और दो सूखे (ड्राई) जहाज ठहरने के स्थान (डेक्स) हैं। प्रति वर्ष ५० लाख टन से अधिक वजन का सामान इन स्थानों पर जहाजों से उतरता-चढ़ता है। सामान हटाने के लिए रेलों और उठाने के लिए क्रेनों का पूरा इन्तजाम है। मिट्टी का तेल पेट्रोल और दूसरे तेलों के बड़ें-बड़े भंडार बने हैं जिनमें लगभग ४ करोड़ ६० लाख गेलन तेल रखा जा सकता है।

बन्दरगाह पर कपास को रखने के विशेष प्रबन्ध हैं। १९२३ में १५ लाख रुपये के खर्च से लगभग १२७ एकड़ भूमि को घेरकर यह भंडार बनाया गया। सीमेंट से बनी पक्की इमारतों में लगभग १० लाख गांठें और इतनी ही गांठें विशेष बनाई गई दहलीजों पर एक साथ रखी जा सकती हैं। इन भंडारों में आग बुझाने के विशेष इन्तजाम हैं।

अनाज और बीज वगैरह के भंडार रखने के लिए ८० एकड़ भूमि पर अलग प्रबन्ध है जहाँ कि दस लाख वर्गफुट भूमि पर छती हुई इमारतें बनाई गई हैं। यहाँ के कमरे ११० फुट चौड़े और ४०० या १००० फुट लम्बे हैं और बिजली तथा पानी का बढ़िया इन्तजाम है। इसके अलावा भूसा, मैंगनीज-मूल, कोयला, इमारत बनाने का सामान, सब के भंडार रखने के विशेष प्रबन्ध हैं।

यह सब प्रबन्ध और जहाज उतरने के स्थान उस भूमि पर हैं जिसे समुद्र तले से उबारा गया है। इस तरह सब मिलाकर लगभग ११०० एकड़ भूमि उबारी जा चुकी है। सब मिलाकर १८०० एकड़ भूमि पर पोर्ट ट्रस्ट का स्वामित्व है।

मंगलोर साउथ इंडियन रेलवे का अन्तिम स्टेशन है। यहाँ पर २००

टन तक के जहाज उतर सकते हैं; बड़े जहाजों को दो मील दूर रुकना पड़ता है। मिर्च, चाय, काजू, काफी और चन्दन का यूरोप को निर्यात होता है। रबड़ टाइलें, चावल, मछली, मेवे और सूखी मछली की खाद लङ्का गोआ और फारस की खाड़ी की ओर भेजी जाती है। काजू का निर्यात अमरीका के लिए भी होता है।

मंगलोर

विदेशों से आयात भी बढ़ रहा है। लक्कादिव और अमीन्दवी द्वीपों से मूँज और खोपे की उपज आती है।

तेल्लीचरी

मंगलोर से ९४ मील दक्षिण को और कन्नानोर से १४ मील दक्षिण को यह बन्दरगाह स्थित है। तट से दो मील दूर तक जहाज आ सकते हैं। बन्दरगाह प्राकृतिक है और बरसात में, जबकि दूसरे कई बन्दरगाह नाकाम हो जाते हैं, तेल्लीचरी खुला रहता है। निर्यात मुख्यतया काफी मिर्च, खोपा, चन्दन, चाय अदरक और इलायची का होता है। आयात में चीनी (जावा से) ताजा खजूरें चावल और मशीनरी आती है।

कोचीन

बम्बई और कोलम्बो के बीच महत्व की एक बन्दरगाह। मद्रास प्रान्त में इससे अधिक व्यापार केवल मद्रास की बन्दरगाह में ही होता है। बन्दरगाह प्राकृतिक है लेकिन सैकड़ों एकड़ भूमि समुद्र से उबार लेने से और जहाज उतरने के स्थानों के निर्माण से इसकी अहमीयत में वृद्धि हुई है। बन्दरगाह के विकास और उन्नति पर व्यय भारत सरकार कोचीन और त्रावंकोर दरबार मिल-जुलकर करते हैं। मद्रास, बंगलोर, त्रिचनापली, उटाकमंड, नीलगिरि, कालीकट, कोयम्बटोर और अनामलइस के जिलों व प्रदेशों से रेल द्वारा सीधा सम्बन्ध है। रोशनी (प्रकाश-स्तम्भों) का बढ़िया प्रबन्ध है।

कोचीन से निर्यात की मुख्य वस्तुएँ मूँज, सूत, काजू, नारियल

गिरी का तेल, चाय, रबड़, और मूँगफली हैं। आने-जाने वाले जहाजों की संख्या में सतत वृद्धि हो रही है।

ऐल्लिप्पी त्रावंकोर का प्रमुख नगर और बन्दरगाह। स्थिति : कोचीन से ३५ मील दक्षिण और किलोन से ४० मील उत्तर को। प्रायः सारा वर्ष ही बन्दरगाह का काम जारी रहता है। मुख्य निर्यात : नारियल गरी मूँज, इलायची, अदरक और मिर्च।

कारीकल यहाँ फ्रांस का आधिपत्य है। क्षेत्रफल : ५३ वर्ग मील, तट १२ मील। तंजोर जिलें से घिरी बन्दरगाह। इस बन्दरगाह में एक प्रकाश-स्तम्भ है। फ्रांस से कोई सीधा व्यापार नहीं है, मुख्यतया लंका और मलाया से चावल का व्यापार होता है। यह ऐसी बन्दरगाह है जहाँ आयात-चुँगी (कस्टम) नहीं लगती, स्टैंडर्ड आयल कम्पनी ने एक बड़ा पेट्रोल भंडार यहाँ खोल रखा है। १९३४ में २७ लाख इम्पीरियल गैलन पेट्रोल का आयात हुआ। मुख्य व्यापार : चावल, पान के पत्ते, दियासलाई, आतिशबाजी का सामान और मिट्टी का तेल।

पांडीचरी भारत में फ्रांस के अधीन प्रदेश की राजधानी। स्थिति : कोरोमंडल तट पर सड़क द्वारा मद्रास से १०४ मील दक्षिण को। यह सड़क चिंगलपुट टिंडिवनम और महिलम होकर आती है। जहाजों को दो-तीन सौ गज की दूरी पर लंगर डालना पड़ता है, वहाँ से किश्तियों में माल उतारा जाता है।

पांडीचरी से फ्रांसीसी भारत और साथ के देशी भारत की मूँगफली का फ्रांस के लिए निर्यात होता है। यहाँ कपड़े की मिलें भी हैं जिनकी उपज के अधिकांश का निर्यात होता है।

मुख्य निर्यात : मूँगफली, कोरा कपड़ा, घी, प्याज, आम और हड्डियों की खाद। मुख्य आयात : कपास, खाने-पीने की चीजें, सीमेंट,

लकड़ी, शराबें, सूती और रेशमी कपड़े, चाँदी, चीनी, सेक्रीन और तिल्ला। पांडीचरी में नाम मात्र की आयात-चुंगी ली जाती है।

मद्रास

मद्रास प्रांत की राजधानी और महत्वपूर्ण बन्दरगाह। कलकत्ता से १०३२ मील। अप्राकृतिक, मनुष्य निर्मित बन्दरगाह। यहाँ रोशनी, रेलों और क्रेनों का अच्छा प्रबन्ध है। आयात व निर्यात के लिए आए सामान को सुरक्षित रखने के लिए बड़े-बड़े भंडार गृह हैं। मद्रास दो रेलों द्वारा सम्बन्धित है।

बन्दरगाह का प्रबन्ध मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (जिसे कि १९०५ के मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ऐक्ट के अनुसार बनाया गया; इस कानून में १९२९ में संशोधन हुआ) के मातहत है।

इस बन्दरगाह से आयात की मुख्य चीजें यह हैं—सूखे-हरे फल, काजू, चावल, अन्य अनाज, मशीनरी, खाद, धातुएँ, खनिज तेल, सूती कपड़ा, कच्चा पटसन, मोटर कारें।

निर्यात के मुख्य सामान निम्न हैं—मूँज, व मूँज का सामान, मछली, काजू, चमड़ी व खालें, धातुएँ, मूँगफली व इसका तेल, काली मिर्च, चाय, सूती कपड़ा, कच्चा पटसन, तम्बाकू।

मार्च ४८ में खत्म होने वाले वर्ष का आयात-निर्यात का ब्यौरा इस प्रकार रहा—

आयात : ७१ करोड़ २६ लाख

निर्यात : ६४ करोड़ ११ लाख

पुनर्निर्यात : ४१ लाख

विजगापट्टम

इसी नाम के जिले की मुख्य और महत्वपूर्ण बन्दरगाह। कलकत्ते से ५४५ मील दक्षिण और कोकोनाडा से १०५ मील उत्तर को। मनुष्य निर्मित बन्दरगाह। रेलों द्वारा देश के भीतरी भाग से अच्छी तरह सम्बन्धित। दो मील दूरी पर वाल्टेयर का बड़ा जंकशन है।

सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी का जहाज बनाने का कारखाना यहीं है। मुख्य निर्यात: मैंगनीज़, तोरिया, खल्ल व हरड़ें।

स्थिति: लैटीच्यूड (अक्षांश) २२°२३ उत्तर, लांगीच्यूड (रेखांश) ३८°२१ पूर्व; हुगली नदी के मुख पर। इस

कलकत्ता

बन्दरगाह से बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के चाय और कोयले के उद्योग-धन्धों को, अनाज और बीज की उपज को और ईस्ट इंडियन, बंगाल नागपुर और ईस्टर्न बंगाल रेलों के कृषि सम्बन्धी उपज को लाभ पहुँचता है। बंगाल और आसाम से रेल और पानी द्वारा सम्बन्धित।

कलकत्ते का प्रबन्ध १८७० में बने एक पोर्ट ट्रस्ट के मातहत है। इसके कर्तव्यों की विवेचना १८६० के कलकत्ता के पोर्ट ऐक्ट और १६२६ के बंगाल ऐक्ट (६) के अनुसार हुई।

इस बन्दरगाह में मुख्य आयात की चीजें यह हैं—

मशीनरी, धातुएँ, सूती कपड़ा, खनिज तेल, लोहा व इस्पात, रसायन, खाद, बिजली का सामान, मोटरकार, नमक, दैनिक प्रयोग की विविध वस्तुएँ, कागज व गत्ता, लकड़ी की चाय पैक करने की पेटियाँ।

निर्यात की चीजें—चाय, कच्चा पटसन, कापोक (बीजों के ऊपर का रोएंदार हिस्सा) माइका, चमड़ी व खालें, ऊनी कपड़ा, कोयला, मोम, मसाले, चमड़ा, पटसन का निर्मित सामान।

सामान उतारने-चढ़ाने का बढ़िया प्रबन्ध है। सूखे (ड्राई) और पानी के (वेट) 'डैक्स' 'जेट्टीज और 'व्हाफ़र्ज' में जहाज उतर सकते हैं। ५ करोड़ गैलन तक पेट्रोल भंडारों में रखा जा सकता है।

बन्दरगाह में चाय के भंडार के लिए लगभग ३ लाख वर्गफुट और अनाज और बीजों के लिए १० लाख वर्ग फुट भूमि पर प्रबन्ध है। सैकड़ों पक्की इमारतें हैं जहां सामान सुरक्षित रखे जा सकते हैं।

मोर्मुगाओ

बम्बई के दक्षिण में कोंकण तट पर स्थित बन्दरगाह। पुर्तगाली भारत के क्षेत्र में, नोवा-

गोआ से ५ मील दूर।

बन्दरगाह पर रोशनी का अच्छा इन्तजाम है। बन्दरगाह सारा वर्ष खुली रहती है। सामान जहाजों से सीधा रेल के डब्बों में डाल दिया जाता है। २ मील दूर वास्कोडगामा में बर्मा शेल और स्टैंडर्ड वैक्यूम के पैट्रोल के भंडार हैं।

मुख्य निर्यात : बम्बई, दक्षिणी हैदराबाद और मैसूर की उपजें; मुख्यतया मेंगनीज, मूँगफली, कपास और गिरी की होती हैं।

मालपे

पश्चिमी तट पर बड़े बन्दरगाहों की विकास समिति ने सिफारिश की है कि माल्पे, को जो मद्रास राज्य के उत्तर में मोमुंगाओ के १६४ मील दक्षिण में छोटा-सा बन्दरगाह है, बड़ा बन्दरगाह बनाया जाय। माल्पे एक छोटी-सी नदी के मुहाने पर स्थित है।

माल्पे सब मौसमों का बन्दरगाह बनाया जा सकता है। समिति ने जांच-पड़ताल करके बताया है कि माल्पे बन्दरगाह के निम्न लाभ हैं—

(१) यह प्रकृति से सुरक्षित बन्दरगाह है।

(२) समुद्र से इस बन्दरगाह में एक अच्छा प्रवेश मार्ग है।

(३) बन्दरगाह के निर्माण में बड़ी-बड़ी चट्टानों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

(४) बन्दरगाह का कुल क्षेत्र ४०० एकड़ होगा, जो एक बहुत बड़े बन्दरगाह के लिए काफी है।

(५) बन्दरगाह में केवल एक छोटी-सी नदी घुसती है, जिसकी दिशा आसानी से बदली जा सकती है।

(६) आन्तरिक प्रदेशों की दृष्टि से इसकी भौगोलिक स्थिति अनुकूल है।

(७) बन्दरगाह की जागीर बढ़ाने के लिए काफी भूमि उपलब्ध है और नये उद्योगों को आकर्षित किया जा सकता है।

(८) माल्पे जोग से, जहाँ जलविद्युत शक्ति उपलब्ध है, केवल ६० मील दूर है ।

दो बातें माल्पे के विरुद्ध हैं : एक तो भाटकल तक नई रेल बनाने का तीन करोड़ रुपये का खर्च और दूसरा यह कि इस बन्दरगाह में सारे साल कुल २,७७,००० टन का व्यापार हो सकेगा ।

किन्तु माल्पे के लाभ हानियों से कहीं अधिक हैं, इसलिए समिति ने नये बन्दरगाह के लिए माल्पे को ही उपयुक्त स्थान चुना है । इसकी उन्नति पर साढ़े तीन करोड़ रुपये की प्रारम्भिक योजना भी समिति ने तैयार की है ।

समिति ने दूसरा बड़ा बन्दरगाह कांडला में बनाने को सिफारिश की है जो कच्छ खाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थित है । यहाँ पानी सारे वर्ष ३० फुट गहरा रहता है । यद्यपि क्रीक के सामने एक रुकावट है, तथापि यह प्रकृति से सुरक्षित बन्दरगाह है और उस रुकावट को हटाया जा सकता है ।

कांडला

क्रीक के सामने बन्द बनाकर पहले-पहल इस बन्दरगाह को २०-३० लाख टन के व्यापार के लायक बनाया जा सकता है ।

कांडला बन्दरगाह के हानि और लाभ यह हैं ।

लाभ

(१) इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह कराची की कमी को बहुत अच्छी तरह पूरा कर सकता है । दिल्ली कराची से ७८३ मील दूर है और कांडला से ६५६ मील ।

(२) गहरे पानी के सुरक्षित बन्दरगाह के पास ही ऊँची जमीन है, इसलिए कांडला को शीघ्र ही और कम खर्च से एक बड़ा बन्दरगाह बनाया जा सकता है ।

(३) कांडला के निर्माण में और उसको कायम रखने में कम खर्च ।

(४) अपेक्षाकृत छोटी रेलवे लाइनें । भटिण्डा और हिसार सीका

की अपेक्षा, जहाँ तक मीटर गेज बनाने की योजना है, क्रमशः ५६ और ७७ मील अधिक नज़दीक है। अहमदाबाद सीका के बजाय कांडला से ४७ मील अधिक नज़दीक पड़ेगा। दिल्ली और आगरा भी ७६ मील अधिक नज़दीक पड़ेंगे।

(५) कच्छ में नमक, सीमेंट, शीशा और मछली उद्योग के पनपने की सम्भावना तथा जिप्सम लिग्नाइट और बाक्साइट आदि खनिज-पदार्थों का मिलना।

(६) बन्दरगाह के क्षेत्र के लिए असीम भूमि उपलब्ध है।

हानियाँ

(१) प्रवेश पर रुकावट।

(२) व्यापारिक सुविधाओं का न होना।

(३) अभी पानी की सप्लाई का काफी न होना।

(४) वर्तमान समय में कांडला का रेलों से सम्बन्ध न होना।

किन्तु समिति की राय है कि ये बाधाएँ आसानी से दूर की जा सकती हैं।

इनके अलावा भारत में पोरबन्दर, सूरत, कालीकट, किलोन ट्यूरीकोरिन, धनुष्कोडी, नेगापट्टम, कुड्डालोर, मसुलीपट्टम, कोकोनाडा, विमलीपट्टम, गोपालपुर, बालासोर, चांदाबाली, कटक तथा पुरी आदि अनेक छोटे बन्दरगाह हैं।

भारत का व्यापार

१९४८-४९ में भारत ने कुल ५२७,२३,३९,८७९ रुपये का माल बाहर से मँगाया और कुल ४२३,३२,०७,७८१ रुपये का माल निर्यात किया। निर्यात में से ७,२८,७३,४५८ रुपये का विदेशी माल और शेष ४१६,०३,३४,३२३ रुपये का स्वदेशी माल का निर्यात हुआ।

१९४९-५० की तालिका नीचे दी जाती है—

भारत का आयात-निर्यात व्यापार (१९४९-५०)

	आयात	विदेशी माल का निर्यात रुपये	स्वदेशी माल का निर्यात रुपये	कुल निर्यात रुपये
अप्रैल	५१,८०,३९,०७२	२,२९,८८,३६०	३२,१५,८८,७९५	३४,४५,७७,१५५
मई	६४,११,९६,६१६	१,८७,४८,३८१	२७,९९,२१,३०५	२९,८६,६९,८६८
जून	५९,९३,३७,३४१	१,१३,९७,६७७	२८,५०,३५,८२२	२९,६४,३३,४९९
जुलाई	५६,९१,६७,८८०	१,८०,९५,३२४	२९,२९,५०,७१३	३१,१०,४६,०३७
अगस्त	५०,९९,७५,१७५	९४,७३,३७२	३३,८९,९०,००९	३४,८४,६३,३८१
सितम्बर	३८,६२,५८,४२९	७५,९०,१३५	३४,०३,८६,८४३	३४,७९,७६,९७८
अक्तूबर	५८,५३,५५,१५६	१०६,५७,५६९	३४,८९,२५,३३५	३५,९५,८२,९०४
नवम्बर	४३,१७,४९,१२०	५४,९३,९४३	५१,५८,६५,११८	५२,१३,५९,०६१
दिसम्बर	३५,७७,९३,०९८	८५,७०,६३७	५१,०१,१३,३१०	५१,८६,८३,९४७
जनवरी	३८,३९,६५,०३७	६८,३२,६९९	४६,८०,६४,६००	४७,४८,९७,२९९
फरवरी	२८,५३,५२,४३६	५७,७९,४१०	४४,५६,९९,९६१	४५,१४,८९,१०१
मार्च	३३,२०,३४,७१९	५९,४४,५२०	४५,६०,५६,९९९	४६,२०,०१,५१९
योग	५,६०,०२,२४,०७९	१३,१५,७२,०२७	४,६०,३५,९८,५४०	४,७३,५१,७०,५६७

आयात की तालिका

	१९४८-४९	१९४९-५०
	रुपये	रुपये
प्रथम श्रेणी—खाद्य, पेय और तम्बाकू		
(१) मछली	१४,८२,१२६	२०,११,९२६
(२) फल और वनस्पति	५,८४,६९,१२९	६,६८,७५,४९७
(३) अनाज, दाल और आटा	७३,२३,३०,८८८	९९,५४,६६,७३२
(४) शराब	१,६७,६५,९३९	१,०७,८८,१९८
(५) प्रोविज़न और आयलमैन्स स्टोर	७,०५,०५,५१५	७,६९,३३,४६८
(६) मसाले	४,४१,६६,२६०	३,५३,५५,६४६
(७) चीनी	६५,८९,८०६	५,२२,५२३
(८) चाय	७,६२,३६७	१,११,९२६
(९) अन्य खाद्य व पेय	२,०३,७४,८८३	१,३६,६२,९६८
(१०) तम्बाकू	३,६३,०७,४४९	२,२३,२२,०७७
योग	९८,७७,५४,३६२	१,२२,३५,५०,९६१
द्वितीय श्रेणी—कच्चा माल		
(१) कोयला	५,४७९	६९,०८३

(२) अधातुक खनिज पदार्थ	२,४७,१२,७२२	२,७०,७१,१८६
(३) चारा और चोकर	४९,७५,१०४	३८,३१,९६५
(४) गोंद, बिरोज़ा और लाख	२,३८,३६,९६५	१,२८,६८,३२२
(५) खालें (कच्ची)	५०,३२,७२६	३३,८३,५८०
(६) धात्वीय खनिज और स्क्रैप लोहा	३८,०९,९१,३२०	५९,१८,९३,८१४
(७) तेल	९०,१४८	१,३२,९९०
(८) तेल की खली	४७,१९,९०२	६४,२४,२६९
(९) कागज बनाने के पदार्थ	१०१,४६,४१३	१७,०४,५५३
(१०) तिलहन	१,२०,३८,९५८	१,९३,९८,९२२
(११) चरबी, स्टीरीन और मोम	५९,३८,२०३	५२,५७,२७५
(१२) कपास, वेस्ट रुई	६४,२३,४५,४६२	६३,२६,०४,५३७
(१३) पटसन (कच्चा)	९,४९,७८३	२,८९,५५७
(१४) रेशम और कदून	१,७०,६६,९४५	२१,०३,७०३
(१५) ऊन	३,१७,०१,०९१	३,०३,४०,६१५
(१६) कपड़े बनाने के अन्य पदार्थ	७,१२,५९२	५०,१२,५६२
(१७) लकड़ी	५,०२,८४,५०४	२,८२,९९,१६७

(१८) विविध	५,६१,६८,५७२	७,०१,६०,४६३
योग	१,२७,५०,२४,६६१	१,४४,२६,५४,१२७
तृतीय श्रेणी—तैयार किये हुए माल		
(१) पोशाकें	३५,०७,८७३	४४,८१,६१८
(२) हथियार, गोला बारूद व मिलिटरी स्टोर	१,०६,६७,३७४	१,२५,१६,०११
(३) रासायनिक पदार्थ और दवाइयाँ	२८,६१,००,२२५	१६,१३,३६,५००
(४) कटलरी, हार्डवेयर और औजार	१६,३४,३२,६०६	१५,८२,१८,५०६
(५) रंग	१५,६७,६६,८०३	११,१०,५४,५१२
(६) बिजली के सामान और उपकरण	११,४०,१२,३०५	१३,०२,१४,०५१
(७) फर्निचर व लकड़ी का अन्य सामान	२३,८४,६८२	३३,२०,६२५
(८) शीशे और मिट्टी के बर्तन	१,६२,२५,६१४	२,५०,६४,२६२
(९) रंगी हुई परिष्कृत खालें व चमड़ा	८३,५७,६६६	७१,८५,६७६
(१०) मशीनरी	८०,६५,८२,०१४	१,०५,५१,८६,०२४
(११) लोहा व इस्पात तथा उनसे बने पदार्थ	१२,१४,०६,३५८	१३,७०,२२,६८०
(१२) अन्य धातुएँ व उनसे बने पदार्थ	२२,२४,७७,६२६	१८,१५,५७,४५१
(१३) कागज़, पेस्टबोर्ड और स्टेशनरी	१५,१६,८१,६८०	६,७०,६३,७८३

(१४) रबड़ का सामान	२५,०८,६५८	३१,४६,०१६
(१५) गाड़ियाँ, वाहन (इञ्जनों को छोड़कर)	३२,७१,७५,०४७	२३,४५,६२,११७
(१६) रुई का सूत और उससे बना सामान	१७,१६,३६,६४०	१८,४०,९३,६१८
(१७) जूट का सूत और उससे बना सामान	५,८५,७७१	४,७२,५७१
(१८) रेशम ,, ,, ,,	५४,६८,४१४	३२,३८,९८२
(१९) ऊन ,, ,, ,,	७,२१,९८,०५४	५,९८,१५,२५४
(२०) अन्य प्रकार के धागे व सूत	१५,१४,४१,९८८	१६,०५,२९,५७५
(२१) विविध	१५,८९,६४,२९६	१५,५६,७०,१७६
योग	२,९६,४०,१५,६७४	२,८८,५७,५४,२२४

चतुर्थ श्रेणी—जीवित पशु

(१) घोड़े	५,४६,४३१	११,३१,०८७
(२) अन्य जीवित पशु	४३,९१८	५३,२९८
योग	५,९०,३४९	११,८४,३८५

पंचम श्रेणी—डाक के सामान व अन्य चीजें		
(१) डाक का सामान	४,१९,२४,७१२	४,३०,८७,७९५
(२) बैगेज के रूप में मंगाया गया सामान	३२,२९,०९१	३६,९२,५८७
योग	४,५१,५३,८०३	४,६७,८०,३८२
कुल आयात	५२७,२५,३८,८७९	५६०,०२,२४,०७९

निर्यात की तालिका

प्रथम श्रेणी—खाद्य पेय व तम्बाकू	सन् १९४८-४९	सन् १९४९-५०
(१) मछली (डिब्बों में बन्द को छोड़कर)	१,४६,७७,६०५	१,८५,७१,३१०
(२) फल और वनस्पति	६,०९,५५,२३५	७,५२,५५,४७६
(३) अनाज, दाल और आटा	५,४४,०१२	३,८८,७७६
(४) शराब	२,६०,५१२	१,२५,३४४
(५) प्रोविज़न और आयलमैन की वस्तुएँ	८६,४६,१४२	६९,०६,८९२
(६) मसाले	५,४६,०८,४२४	१८,१७,६५,२७२
(७) चीनी	१,३२,८०,४९६	४२,७०,४५६
(८) चाय	६३,६९,३१,११५	७२,०५,७२,५०३

(९) अन्य खाद्य व पेय	३,८०,७२६	१,०७,४८,६५७
(१०) तम्बाकू	८,२६,४३,१४२	१०,७६,६०,१३७
योग	८७,२८,२८,४१२	११२,५८,६५,१२३

दूसरी श्रेणी—कच्चा माल व पैदावार

(१) कोयला	३,७७,०२,४६६	४,०३,२८,०७६
(२) अन्य अधात्वीय खनिज	६,१२,६८,२६०	७,१६,३२,६३४
(३) गोंद, बिरोजा व लाख	६,४५,६२,०६०	८,६२,००,२१६
(४) अपरिष्कृत व कच्ची खालें	५,५६,३०,१६१	६,७८,०१,७००
(५) धात्वीय खनिज व स्क्रैप लोहा	२,१७,८५,७०४	६,३८,३६,२२७
(६) तेल	११,३४,८४,८२०	८,०४,५८,४६०
(७) तेल की खली	५,१६,१११	५,६२,७२५
(८) कागज़ बनाने के पदार्थ	३७,१८,७३७	३७,८१,७०६
(९) रबड़	१०,५४७	२३,२८७
(१०) तिलहन	७,०५,०८,८७७	१४,७५,७४,६२४
(११) चरबी, स्टीरीन और मोम	६४,००,८६८	४,४६,१६६
(१२) कपास और वेस्ट काटन	१६,१४,८४,४६२	१६,३४,२५,६५६

(१३) पटसन	२३,६६,६१,३०४	१५,७५,६८,६५६
(१४) रेशम	२,०६,६१३	४,६४,७६२
(१५) ऊन	१,०८,८२,७६७	३,७१,४७,३४२
(१६) टैक्सटाइल का अन्य सामान	३,३८,८३,२६५	१,६५,२२,२६६
(१७) लकड़ी	५३,०१,७०६	५७,३८,६७५
(१८) विविध	३,७१,६८,२८४	३ ८५,६५,४८४
योग	६७,८७,८२,५५०	१०१,५१,४५,२०४
तीसरी श्रेणी—तैयार माल		
(१) पोशाकें	१,७२,५६,०६३	६०,६२,४६६
(२) हथियार, गोलाबारूद व सैनिक स्टोर	४,४००	४,५५०
(३) रासायनिक पदार्थ और दवाइयाँ	१,२७,३३,३०१	१,६४,६८,३५७
(४) कटलरी हार्डवेयर और औजार	१,४७,२१,०८२	१,०२,६१,६०२
(५) रंग	१,४२,६१,०१६	१,४३,०२,०५३
(६) फर्निचर व लकड़ी का सामान	१५,७८,५११	१४,८३,७६३
(७) शीशे व मिट्टी के बर्तन	३७,३४,३७२	१२,००,०६७
(८) परिष्कृत व रंगी हुई खालें तथा चमड़े	१२,६८,६१,८३७	१८,३८,८२,६३६

(९) मशीनरी	२९,२०,४९९	३४,२६,६५७
(१०) लोहा,इस्पात व उससे बना सामान	१,३०,६२,०२७	१,५७,०३,४५२
(११) अन्य धातुएँ व उनसे बना सामान	१,००,२५,३१९	५०,१०,४५५
(१२) कागज़ पेस्टबोर्ड और स्टेशनरी	३६,६२,६५४	२२,८५,५३२
(१३) रबड़ का सामान	१,६०,७२,९१५	९५,९३,७०५
(१४) वाहन (लोको मोटिव को छोड़कर)	३,०१,१९२	१८,९७,९४८
(१५) रुई का सूत और उससे बना हुआ माल	३९,८५,९४,०५०	७२,२२,६१,८८४
(१६) पटसन का सूत व उससे बना हुआ माल	१,४६,५६,०८,८५५	१,२६,९८,३२,७९७
(१७) रेशम ,, ,, ,,	१,०४,४७,२१०	२६,३४,७७९
(१८) ऊन ,, ,, ,,	३,०४,०६,६१४	३,६३,८३,४३३
(१९) अन्य सूत व टैक्सटाइल रेशे	५,७४,१०,२०५	२,३२,६८,७८७
विविध	९,०८,५२,७४८	१९.९१,८०,१६२
योग	२२९,०५,७७,९०३	२४४,१२,०५,७४५

चतुर्थ श्रेणी—जीवित पशु		
(१) घोड़े	४,६१,९५०	३१,२००
(२) गाय भैंस	२२५	×
(३) भेड़-बकरी	१५,२२,८७५	२३,९८,८४८
(४) अन्य पशु	४,५५,६४०	५,७८,२८९
योग	२४,४०,६९०	३०,०८,३३७
डाक सम्बन्धी पदार्थ	१,५७,०४,७७८	१,८३,४४,१३१
कुल निर्यात	४,१६,०३,३४,३३३	४,६०,३५,९८,५४०

उपर लिखित आंकड़े बताते हैं कि भारत ने पिछले वर्ष जितना माल विदेशों को भेजा था उससे एक अरब रुपये का माल अधिक मँगवाया। पिछले वर्षों में भी भारत का आयात निर्यात से कहीं अधिक रहा है। इस कमी को वह अपने पौण्ड पावने से पूरा करता है, जो युद्ध-काल में उसका ब्रिटेन में जमा हो गया था।

भारत-पाकिस्तान व्यापार

सितम्बर, १६४६ में रुपये का अवमूल्यन होने के बाद से भारत और पाकिस्तान का व्यापार बन्द पड़ा है। किन्तु समय-समय पर सरकारी स्तर पर वस्तु-विनियम समझौते होते रहे हैं। ऐसे ही एक समझौते में भारत के कोयले, चीनी और कपड़ों के बदले में पाकिस्तान ने सन् १६४६-५० में पटसन की ४०,००,००० गाँठ देना स्वीकार किया था, किन्तु उसने इस समझौते का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया।

भारत सरकार ने अभी हाल में स्वल्पकाल के लिए कुछ चीजों के बदले में जुलाई १६५० तक ८,००,००० गाँठ पटसन प्रदान किये जाने का समझौता किया था। पाकिस्तान इस समझौते के परिपालन में भी बड़ा पिछड़ा रहा।

रुई की ४,५०,००० गाँठें प्रदान करने के विषय में भी पाकिस्तान समझौते को पूरा नहीं कर सका, इसलिए सरकार ने अन्य देशों से १२,००,००० गाँठ रुई मंगाने की व्यवस्था की है।

निर्यात व्यापार में वृद्धि का प्रयत्न

विदेशी व्यापार में इस भारी घाटे को दृढ़ करने के लिए सरकार निर्यात बढ़ाने का हर सम्भव प्रयत्न कर रही है। निर्यात को बढ़ाने के लिए ही गत वर्ष सितम्बर मास में रुपये की कीमत बढ़ाई गई। रुपये के अवमूल्यन का हमारे निर्यात व्यापार पर अच्छा असर पड़ा है, यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है —

अवमूल्यन से पहले और अवमूल्यन

अवमूल्यन से पहले

अक्तूबर १९४८ से अगस्त १९४९ तक

पदार्थ	दुर्लभ मुद्रा रुपयों में	सुलभ मुद्रा रुपयों में
कच्चा जूट	२,७०,००,०००	१४,३३,००,०००
जूट से बना सामान	५२,२१,००,०००	७०,६०,००,०००
सूती कपड़े	नगण्य	२८,६७,००,०००
कपड़ों के अतिरिक्त अन्य सूती माल	नगण्य	४,०६,००,०००
फल व वनस्पति, मुख्यतः काजू	४,१६,००,०००	१,६८,००,०००
मसाले (मुख्यतः काली मिर्च)	३,२८,००,०००	५,९९,००,०००
चाय	६,२५,००,०००	५४,८२,००,०००
तम्बाकू		८,८२,००,०००
अभरक	३,१५,००,०००	१,३२,००,०००
लाख	२,९७,००,०००	३,८८,००,०००
खालें	१,५८,००,०००	३,६८,००,०००
मैंगनीज़	१,८४,००,०००	१,०४,००,०००
मूंगफली का तेल	२३,००,०००	४,१८,००,०००
अलसी का तेल	२,००,०००	१,०६,००,०००
मूंगफली	१,०८,००,०००	२,६२,००,०००
अलसी	१५,००,०००	२,९९,००,०००
कपास	२,७२,००,०००	६,१८,००,०००
काटन वेस्ट	६६,००,०००	४,७०,००,०००
ऊन	५०,००,०००	१,५३,००,०००
रंगी हुई खालें	३७,००,०००	११,४४,००,०००
अन्य चीजें	५,२५,००,०००	३८,०९,००,०००
योग	८९१२०००००	२७१३८०००००

के बाद भारत का निर्यात व्यापार

	अवमूल्यन के बाद अक्तूबर १९४९ से अगस्त १९५० तक		
योग रुपयों में	दुर्लभ मुद्रा रुपयों में	सुलभ मुद्रा रुपयों में	योग रुपयों में
१७०३०००००	१३७०००००	६८५०००००	८२२०००००
१२२८१०००००	५९६५०००००	५३८५०००००	११३५००००००
२८६७०००००	११०००००	७४६५०००००	७४७६०००००
४०६०००००	१६०००००	१७८७०००००	१८०३०००००
५८४०००००	४९६०००००	३०३०००००	७९९०००००
९२७०००००	१०१३०००००	८३३०००००	१८४६०००००
६१०७०००००	११६६०००००	४९९५०००००	६१६१०००००
८८२०००००	८८२०००००	१७००००००	१३३४०००००
४४७०००००	६८२०००००	१९८०००००	८८००००००
६८५०००००	३४९०००००	४५६०००००	८०५०००००
५२६०००००	३४५०००००	३०७०००००	६५२०००००
२८८०००००	४६८०००००	१२७०००००	५९५०००००
४४१०००००	....	४२३०००००	४२३०००००
१०८०००००	...	११९०००००	११९०००००
३७००००००	१५२०००००	५८७०००००	७३९०००००
२८४०००००	४६०००००	३६३०००००	४०९०००००
८९००००००	५०८०००००	३४८०००००	८५६०००००
५३६०००००	१८५०००००	७२१०००००	९०६०००००
२०३०००००	२२४०००००	२३५०००००	४५९०००००
११८१०००००	२३६०००००	१८८३०००००	२११९०००००
४३३०००००	६७१०००००	४५२०००००	५१९२०००००
३६०५००००००	१२६८८०००००	३३०५७००००००	४५७४५०००००

अनेक देशों के साथ व्यापारिक संधियाँ की गई हैं। इस समय लगभग ३९ देशों में भारत के व्यापारिक प्रतिनिधि हैं जबकि सन् १९४७ में केवल १० थे। इनका काम खोये हुए बाजारों को पुनः प्राप्त करना, नये बाजार ढूंढना, विदेशी व्यवसायियों को भारतीय माल के विषय में जानकारी कराना तथा भारत सरकार को नवीनतम व्यवसायिक प्रगतियों से अभिज्ञ रखना है।

भारत का पौण्ड पावना

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भारत ब्रिटेन का कर्जदार रहा करता था। किन्तु युद्धकाल में ब्रिटेन ने भारत से इतनी सेवाएं लीं कि उसके मेहनताने से न केवल वह कर्जा चुक गया, अपितु ब्रिटेन पर भारत का काफी कर्ज हो गया। भारत का वह पौण्ड पावना निम्न प्रकार से ब्रिटेन में जमा होता गया—

(१) विदेशी व्यापार की बाकी भारत के पक्ष में होती थी।

(क) स्टर्लिङ्ग मुद्रा के प्रयोग करनेवाले देशों को निर्यात अधिक था, उनसे आयात कम।

(ख) डालर और दूसरी दुर्लभ मुद्राओं वाले देशों को निर्यात अधिक थां, उनसे आयात कम।

(२) (क) ब्रिटिश सरकार का भारत में फौजी खर्च।

(ख) अमरीका व दूसरे साथी देशों का भारत में फौजी खर्च।

इस तरह यह स्टर्लिङ्ग पावना भारत की जनता के मेहनत, कष्ट और शोषण के फलस्वरूप जमा हो रहा था।

युद्ध के वर्षों में पौण्ड पावने की निम्न प्रकार वृद्धि हुई—

	(करोड़ रुपये)
२४ अक्तूबर १९४१	२१६
२३ ,, १९४२	४१३

२६ अक्तूबर		१६४३	८१५
२७	,,	१६४४	११६६
२६	,,	१६४५	१५८२
२५	,,	१६४६	१६३१
२० दिसम्बर		१६४६	१६२२

युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में मिली-जुली सरकार के स्थान पर विशुद्ध मजदूर सरकार की स्थापना हुई। अनुदार दलों और विशेषकर उनके नेता श्री चर्चिल भारत की गाढ़े पसीने की कमाई को हजम करने के लिए तभी से चीख-पुकार मचा रहे हैं, किन्तु ब्रिटिश सरकार वैसा नहीं करना चाहती, क्योंकि भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया में जो उसकी काफी पूंजी लगी हुई है, वह खतरे में पड़ जायगी इसके अतिरिक्त आज विश्व के संकट के समय उन्हें भारत जैसे मित्रों की परम आवश्यकता है। अगर कभी ब्रिटेन के मन में पौण्ड पावने में कमी करने का विचार आया भी, जैसा कि उस पर अमरीका रौब डाल रहा है, तो भारत उसका अपनी समस्त शक्ति से विरोध करेगा।

अगस्त १६४७ में भारत के स्टर्लिङ्ग पावने की रकम १ अरब १६ करोड़ पौंड थी। भारत से इसकी अदायगी के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ उसकी शर्तें यह थीं—

(१) बैंक आफ इंगलैंड के एक हिसाब में ३ करोड़ ५० लाख पौंड की रकम भारत के पक्ष में जमा करा दी गई जिसे ३१ दिसम्बर ४७ तक भारत किसी भी मुद्रा में खर्च कर सकता था।

(२) ३ करोड़ पौंड की सब प्रकार की मुद्राओं में परिवर्तित हो सकने वाली एक दूसरी रकम भी भारत के हिसाब में जमा हो गई।

(३) शेष स्टर्लिङ्ग पावने की रकम एक दूसरे हिसाब में जमा कर दी गई जिसका प्रयोग भारत नहीं कर सकता था।

भारत ने वायदा किया कि १६४८ के पहले ६ महीनों में अपने

हिसाब की दुर्लभ मुद्राओं में से वह १ करोड़ पौंड से अधिक रकम खर्च नहीं करेगा।

इस समझौते के जून १९४८ में खत्म होने से पहले भारत के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमण्डल श्री शणमुखम् चेट्टी के नेतृत्व में लंदन गया। फलस्वरूप इंगलैंड से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता हुआ जिसकी मुख्य शर्तें यह थीं—

(१) पिछले हिसाबों की बाकी के अतिरिक्त इंगलैंड ८ करोड़ पौंड की नई रकम भारत के चालू हिसाब में जमा करवायगा।

(२) पहले वर्ष में १ करोड़ ५० लाख पौंड की रकम भारत किसी भी मुद्रा में खर्च कर सकेगा।

(३) पिछले दो वर्षों की विभिन्न मुद्राओं की आवश्यकताओं पर बाद में विचार होगा।

(४) यदि इस वर्ष भारत द्वारा दुर्लभ मुद्राओं का खर्च उपरोक्त रकम से अधिक हो गया तो वह कमी इण्टर्नैश्नल-मानिटरी-फंड (अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-कोष) से उधार लेकर पूरी कर ली जायगी।

(५) स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन की मुद्राएं दुर्लभ नहीं समझी जायंगी।

(६) जापान से व्यापार में भारत के पक्ष में जो बाकी रहती है, उसमें से ३५ लाख पौंड की रकम डालरों में ली जा सकेगी।

(७) भारत स्टर्लिंग क्षेत्रों से अपनी जरूरत का सामान खरीद सके, इस ओर इंगलैंड की सहायता मिलती रहेगी।

(८) भारत में पड़े हुए इंगलैंड के फौजी सामान की कीमत का अनुमान ३७ करोड़ ५० लाख पौंड लगाया गया। इस सामान के लिए १० करोड़ पौंड देकर भारत ने यह हिसाब चुकता कर दिया।

(९) अविभाजित भारत को प्रतिवर्ष पेन्शनों के रूप में जो रकमें अदा करनी पड़ती थीं उनकी अदायगी का उत्तरदायित्व अब भारत पर था। यह रकम प्रतिवर्ष ६२ लाख ५० हजार पौंड होती थी। निश्चय

हुआ कि इंगलैंड को १४ करोड़ ७५ लाख पौंड की रकम दे दी जाय और उससे प्रतिवर्ष क्रमशः कम होती हुई एक रकम खरीद ली जाया करे जो ६० वर्षों में बिलकुल चुक जाय। पहले वर्ष यह रकम ६३ लाख पौंड होगी।

(१०) राज्यीय पेंशनों की रकमों के बारे में भी इसी तरह ब्रिटेन को २ करोड़ ५ लाख पौंड की रकम दे दी गई।

(११) इस तरह भारत के स्टर्लिंग पावने की रकम में कमी करके और पाकिस्तान के हिस्से के स्टर्लिंग पावने की रकम अलहदा करके शेष ८० करोड़ पौंड रह गया है।

इस प्रकार समय-समय पर ब्रिटेन भारत का पौण्ड पावना मुक्त करता आया है। युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बड़ी विषम हो गई थी, इसलिए वह भारत का समस्त १८ अरब रुपये का कर्जा एक-मुश्त अदा नहीं कर सकता था।

अभी हाल में राष्ट्रमण्डल की कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दक्षिण-पूर्वी एशिया की आर्थिक उन्नति के लिए जो ६ वर्ष का विशाल कार्यक्रम तैयार किया गया है उसकी पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने ६ वर्ष तक प्रतिवर्ष भारत का ३॥ करोड़ पौण्ड पावना मुक्त करने का निश्चय किया है।

विदेशों में भारतीय व्यापार दूत

	कार्य क्षेत्र
१. लन्दन—कमर्शियल ऐडवाइज़र टु दि हाई कमिश्नर फार इन्डिया इन दि यू० के०, "इण्डिया हाउस", आल्डविच, लन्दन डब्ल्यू० सी० २। तार का पता—हिको-मिन्द, लन्दन।	ब्रिटेन और आयरलैण्ड

२. पेरिस—कमर्शियल सैक्रेटरी टु दि इण्डियन एम्बेसी ७, एवेन्यू क्लेबर, पेरिस, १६ (ई)। तार का पता—इन्डाट्राकम, पेरिस।	फ्रांस और नार्वे
३. बर्न—कमर्शियल सैक्रेटरी टु द लीगेशन आफ इण्डिया, १८, जंगफ्रास्ट्रासे बर्न। तार का पता—इण्डेलीगेशन, बर्न।	स्विट्जरलैण्ड
४. प्राग—फर्स्ट सैक्रेटरी (कमर्शियल) टु दि एम्बेसी आफ इण्डिया, थुनोवस्का २२ प्राग, III। तार का पता—इण्डेम्बेसी, प्राग।	चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, बल्गेरिया, पोलैण्ड, हंगरी और रूमानिया
५. रोम—कमर्शियल काउन्सलर टु दि एम्बेसी आफ इण्डिया वाया लोवानियो २४, रोम। तार का पता—इण्डेम्बेसी, रोम।	इटली, ग्रीस और युगोस्लाविया
६. ब्रसेल्स—कमर्शियल सैकण्ड सैक्रेटरी टु दि एम्बेसी आफ इण्डिया, ६२ एवेन्यू फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट, ब्रसेल्स। तार का पता—इण्डेम्बेसी, ब्रसेल्स।	बेल्जियम
७. बर्लिन—(१) इकानामिक ऐडवाइजर टु दि इण्डियन मिलिटरी मिशन, ५०३-५०५ रिंम्रकनहाफ, ६०६ हैडक्वार्टर सी० सी० जी० (बी० इ०) हैम्बर्ग, बी० ए० ओ० आर० ३। तार का पता—इयोनिन्डा हैम्बर्ग; और (२) सैकण्ड कमर्शियल अटैची टु दि इण्डियन मिलिटरी मिशन, १०८ औबरलिंडन फ्रैंकफर्ट मेन। तार का पता—इण्डियनमिशन, फ्रैंकफर्ट मेन।	जर्मनी

८. वियेना—इण्डियन वाइस कौन्सल कम अटैची इन आस्ट्रिया, लीगेशन आफ इण्डिया, ६६-स्टर्नवार्टेस्ट्रे सी, वियेना xviii, आस्ट्रिया।	आस्ट्रिया
९. न्यूयार्क—कौंसल जनरल फार इण्डिया, ३ ईस्ट ६४ वीं स्ट्रीट न्यूयार्क, २१, एन० वाई०। तार का पता—कॉन्जेण्डिया, न्यूयार्क।	पूर्वी अमेरिका और क्यूबा
१०. सानफ्रांसिस्को—कौंसल जनरल फार इण्डिया, २५ बीले स्ट्रीट, सानफ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया।	पश्चिमी अमेरिका
११. ब्यूनो एयर्स—कमर्शियल सैकण्ड सैक्रेटरी टु इण्डियन एम्बेसी, लावाले ४६२, ब्यूनो एयर्स, अर्जेण्टाइन। तार का पता—इण्डेम्बेसी, ब्यूनो एयर्स।	अर्जेण्टाइन, बोलिविया, चिली, पेरागुए, उरुग्वे
१२. टोरण्टो—इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर, रायल बैंक बिल्डिंग, टोरण्टो, कनाडा। तार का पता—इण्डिट्राकॉम, टोरण्टो।	कनाडा
१३. रियो डि जनियरो—कमर्शियल सैक्रेटरी टु दि इण्डियन एम्बेसी इन ब्राजील एण्ड इण्डियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर इन पेरू, वेनेज़ुला, कोलम्बिया, इक्वेडोर एण्ड फ्रेंच गायना, "एडिफिशियो मिनिस्टर" रुआ बराओ डो फ्लोमेंगो १६/२२ ऐप्ट १०१-१०२ रियो डि जनियरो। तार का पता—केअर इण्डेम्बेसी, रियो डि जनियरो।	ब्राजील, पेरू, कोलम्बिया, इक्वेडोर, वेनेज़ुला' फ्रेंच गायना और डच गायना।

१४. मोम्बासा—इण्डियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर फार ईस्ट अफ्रीका एण्ड बेल्जियम कांगो, "अफ्रीका हाउस" किलिण्डिनी रोड, पोस्ट बक्स नम्बर ६१४, मोम्बासा (केन्या)। तार का पता—इण्डोकॉम, मोम्बासा	पूर्वी अफ्रीका (केन्या, उगाण्डा और टांगानिका) जंजीबार, बेल्जियन, कांगो, उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया, बृटिश फ्रेंच और इटालियन सोमालीलैंड तथा न्यासालैंड
१५. एलेग्जेण्ड्रया—कमर्शियल सैक्रेटरी टु दि एम्बेसी आफ़ इण्डिया इन ईजिप्ट एण्ड इण्डियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर, अलबसीर बिल्डिंग, ४, रुए अदीब बे, इसाक, पोस्ट-बक्स नं० २८७, एवेन्यूडेला रीने, नजली, अलेग्जेण्ड्रया, ईजिप्ट। तार का पता—इण्डियाकॉम, अलेग्जेण्ड्रया।	सीरिया, ईजिप्ट, जोर्डन इरीट्रिया, सूडान, लेबानान और साइप्रस।
१६. सिडनी—इण्डियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर प्रूडेन्शियल बिल्डिंग, ३९–४९ मार्टन प्लेस, सिडनी, आस्ट्रेलिया। तार का पता—ऑस्ट्रिण्ड, सिडनी।	आस्ट्रेलिया
१७. वेलिंगटन—इण्डियन गवर्नमेंट ट्रेड-कमिश्नर २१, वेडस्टाऊन रोड, वेलिंगटन नं० २, न्यूजीलैण्ड। तार का पता—ट्रकोमिण्ड, वेलिंगटन।	न्यूजीलैण्ड
१८. टोकियो—फर्स्ट सैक्रेटरी टु दि इण्डियन लाएज़न मिशन, एम्पायर हाउस, (नैगल बिल्डिंग) मरूनौची, टोकियो, जापान। तार का पता—इण्डिया, टोकियो।	जापान

१६. कोलम्बो—कमर्शियल सैक्रेटरी टु दि हाई कमिश्नर आफ़ इण्डिया इन सीलोन, गफूर बिल्डिंग, फोर्ट, कोलम्बो। तार का पता —ट्राडिण्ड, कोलम्बो।	लङ्का
२०. रंगून—कमर्शियल सैक्रेटरी टु इण्डियन एम्बेसी, रांडेरिया बिल्डिंग, फायरे स्ट्रीट, रंगून, बर्मा। तार का पता—इण्डेम्बेसी, रंगून।	बर्मा
२१. तेहरान—फर्स्ट सैक्रेटरी टु दि इण्डियन एम्बेसी इन ईरान, एवेन्यू फरदोसी, तेहरान। तार का पता—इण्डियाकॉम, तेहरान।	ईरान
२२. कराची—इण्डियन गवर्नमेंट ट्रेड-कमिश्नर चार्टर्ड बैंक चैम्बर्स बिल्डिंग, मैक्लोड रोड, कराची। तार का पता—इण्ट्राकॉम कराची, पश्चिमी पाकिस्तान।	पाकिस्तान
२३. काबुल—कमर्शियल सैक्रेटरी टु दि ऐम्बेसी आफ इण्डिया, नं० १२, गुजार १, शहरे-नाऊ, काबुल। तार का पता—इण्डे-म्बेसी, काबुल।	अफगानिस्तान
२४. ढाका—इण्डियन गवर्नमेंट ट्रेडकमिश्नर, ८, गोपीकृष्ण लेन, पी० ओ० वारी, ढाका। तार का पता—गुडविल, ढाका।	पूर्वी पाकिस्तान
२५. सिंगापुर—इण्डियन ट्रेड कमिश्नर, इण्डिया हाउस, सिंगापुर। तार का पता—इण्डिट्राकॉम सिंगापुर।	मलाया और हांगकाग

२६. बैंकाक—कमर्शियल सैक्रेटरी टु दि इंडियन लीगेशन, बैंकाक। तार का पता—इण्डेलीगेशन बैंकाक, थाइलैण्ड।	थाइलैंड
२७. बगदाद—कमर्शियल सैक्रेटरी टु दि लीगेशन आफ इण्डिया, बगदाद। तार का पता—इण्डेलीगेशन, बगदाद।	ईराक, कुवैत, बहरीन और अरब शेकडम्स
२८. मनीला—इण्डियन कौन्सल जनरल ४०६-४११ बर्क बिल्डिंग, एस्कोल्टा, मनीला। तार का पता—कांजेनिन्ड, मनीला।	फिलिप्पाइन्स
२९. जकार्टा—दि फर्स्ट (कमर्शियल) सैक्रेटरी, एम्बेसी आफ इण्डिया, पो० ब० नं० १७८, कोनिंग्स्पीन नूर्ड, जकार्टा। तार का पता—इण्डेम्बेसी, जकार्टा।	इण्डोनेशिया
३०. अदन—कमिश्नर आफ दि गवर्नमेंट आफ इण्डिया, अदन। तार का पता—कौमिन्ड, अदन।	अदन

जिन देशों में अब तक व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किये गए हैं उन देशों में भारत के व्यापारिक हितों की देखभाल वहाँ के भारतीय राजदूत या कौंसल जनरल करते हैं।

भारत में विदेशों के व्यापारिक प्रतिनिधि

ब्रिटेन	(१) युनाइटेड किंगडम सीनियर ट्रेड कमिश्नर इन इण्डिया एण्ड सीलोन, ईस्टर्न हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।

(२) युनाइटेड किंगडम ट्रेड कमिश्नर इन इण्डिया, मेंकवा बिल्डिंग, १० आउट्रम रोड, पोस्ट बक्स नं० ८१९, बम्बई ।

(३) यू० के० ट्रेड कमिश्नर इन इण्डिया, ग्राउन्ड फ्लोर, नं० १, हैरिंग्टन स्ट्रीट, पोस्ट बक्स नं० ६८३, कलकत्ता ।

(४) यू० के० ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया, रटलैण्डगेट नमगाम्बक्कम, मद्रास ६ ।

आस्ट्रेलिया (१) सीनियर आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया, मेंकवा बिल्डिंग, आउट्रम रोड, फोर्ट, पोस्ट बक्स २१७, बम्बई १ ।

(२) आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर, २ फेयरली प्लेस, कलकत्ता ।

केनाडा — कमर्शियल सैक्रेटरी टु दि हाई कमिश्नर फार कनाडा इन इंडिया, बर्मा एण्ड सीलोन, ग्रेशम इन्श्युरेन्स हाउस, मिन्टो रोड, पोस्ट बक्स ८८६, बम्बई ।

सीलोन (लंका) — ट्रेड कमिश्नर फार सीलोन इन इंडिया, सीलोन हाउस, हार्नबी रोड, बम्बई ।

न्यूजीलैंड — न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया, सैकण्ड फ्लोर, बोटावाला चैम्बर्स, सर फिरोज शाह मेहता रोड, फोर्ट, बम्बई ।

चेकोस्लोवाकिया — दि कमर्शियल काउंसलर, एम्बेसी आफ दि चेकोस्लोवाक रिपब्लिक इन इंडिया, वेस्ट व्यू, वोड हाउस रोड, बम्बई ५ ।

अमेरिका — काउन्सलर फार इकानामिक अफेयर्स, अमेरिकन

	एम्बेसी इन इंडिया, बहावलपुर हाउस, सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली।
स्विट्जरलैण्ड	स्विस ट्रेड कमिश्नर फार इंडिया, बर्मा एण्ड सीलोन, ग्रेशम अश्योरेंस हाउस, सर फिरोज शाह मेहता रोड, बम्बई।
ईरान	ट्रेड कमिश्नर फार ईरान इन इंडिया, डोर्चेस्टर फ्लैट ४ एच, क्वीन्स रोड, फोर्ट, बम्बई।
नीदरलैण्ड्स ईस्ट इण्डीज़ और हालैण्ड	एन० इ० आई० ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया, पोस्ट-बक्स २६०, बम्बई।
रूस	ट्रेड एजेण्ट आफ यू० एस० एस० आर० इन इंडिया, ४, कामा स्ट्रीट, कलकत्ता।
इटली	कमर्शियल सैक्रेटरी इन दि इटालियन एम्बेसी इन इंडिया १७, यार्क रोड, नई दिल्ली।
तुर्की	(१) टर्किश कौंसल जनरल इन इंडिया, 'फिरदौस' ५० मैरीन ड्राइव बम्बई।
	(२) कौंसल फार दि टर्किश रिपब्लिक, मरकैण्टाइल बिल्डिंग, कलकत्ता।
	(३) कमर्शियल अटैची आफ दि टर्किश एम्बेसी नं० १, तुगलक लेन, नई दिल्ली।
डेन्मार्क	(१) कमर्शियल कौंसलर टु दि रायल डेनिश लीगेशन, पोलोनजी मैन्शन, न्यू कफे परेड, बम्बई।
	(२) डेनिश कौंसल (आनरेरी), मारफत ईस्ट एशियाटिक क० (इंडिया) लिमिटेड एफ—२, क्लाइव बिल्डिंग, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता।
	(३) डेनिश कौंसल (आनरेरी) मारफत ईस्ट

एशियाटिक को० (इंडिया) लिमिटेड, मरकैण्टाइल बैंक बिल्डिंग, फर्स्ट लाइन बीच, मद्रास।

(४) डेनिश कौंसल (आनरेरी) एस्क्वायर, मारफत पियर्स, लेज़ली एण्ड को० लिमिटेड, कोचीन।

फ्रांस (१) दि फ्रेंच कमर्शियल अटैची, २३, थियेटर कम्युनिकेशन, बिल्डिंग, कनाटप्लेस नई दिल्ली।

(२) दि फ्रेंच कौंसलर फार इकानामिक अफेयर्स, अडेल्फी बिल्डिंग, ३,क्वीन्स रोड, फोर्ट, बम्बई।

(३) दि फ्रेंच कमर्शिअल अटैची, १३,पार्क मैन्शन्स, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।

ईजिप्ट कमर्शियल अटैची टु दि गवर्नमेंट आफ ईजिप्ट इन इंडिया, स्विस होटल, दिल्ली।

स्वीडन कमर्शियल सैक्रेटरी टु दि स्वीडिश लीगेशन इण्डियन मरकैण्टाइल चैम्बर्स, निकल रोड, बलार्ड एस्टेट, बम्बई।

नार्वे कमर्शियल कौंसलर टु दि रायल नार्वेजियन लीगेशन इन इण्डिया, मारफत रायल नार्वेजियन कान्सुलेट जनरल, इम्पीरियल चैम्बर्स, विल्सन रोड, बम्बई १।

भारत की विदेश नीति

"जहाँ स्वतंत्रता के लिए खतरा होगा अथवा न्याय पर आघात होगा अथवा किसी पर आक्रमण होगा तो हम तटस्थ नहीं रह सकते और न रहेंगे।" पंडित जवाहरलाल नेहरू के इन्हीं प्रसिद्ध शब्दों पर भारत की विदेश नीति आधारित है।

प्रारम्भिक और राजनीतिक जगत् में पूंजीवाद और साम्यवाद में जो झगड़ा चल रहा है, उसमें भी किसीके साथ भारत का मोह नहीं है। भारत की सरकार अपनी जनता का कल्याण चाहती है, उसे वादों में पड़ने की फुरसत नहीं है।

जनवरी १९५० से दो वर्ष की अवधि के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा-परिषद् में भारत का निर्वाचन उसके बढ़ते हुए गौरव का प्रतीक है। अपनी स्वतंत्रता के तृतीय वर्ष में उसने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण भाग लिया है, उससे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में उसकी बहुमुखी अभिरुचि पर भी प्रकाश पड़ता है। गत वर्ष उसने १६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजे थे, और उनमें जो अमूल्य योग उसने दिया उसकी प्रतिस्वीकृति कुछ भारतीय प्रतिनिधियों के ऊँचे पदों पर निर्वाचन के रूप में की गई।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की ख्याति

इस वर्ष, भारत की स्वास्थ्य-मन्त्री, राजकुमारी अमृतकौर, जिनेवा में तृतीय विश्व-स्वास्थ्य-सम्मेलन की अध्यक्ष चुनी गईं; भारत के श्रम मन्त्री, श्री जगजीवन-राम, जिनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के ३३ वें सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए; श्री सी० डी० देशमुख अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और मुद्राकोष दोनों के निर्देशक-बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए; नवानगर के जामसाहिब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष चुने गए; श्री राम स्वामी मुदालियर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के प्रोपाध्यक्ष चुने गए; श्री एम० आर० मसानी अल्पसंख्यक-भेदभाव-निरोध तथा रक्षा उपायोग के तृतीय सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए; और श्री एस० लाल राष्ट्रसंघीय सचिवालय के सहायक प्रधान सचिव नियुक्त हुए।

भारत का सम्मान

गत वर्ष की नियुक्तियां इस प्रकार हैं—श्री नरसिंह राव, उपाध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय विधि-आयोग; श्री एस० राधाकृष्णन्, अध्यक्ष, व्यवस्थापक

गत वर्ष की नियुक्तियाँ

बोर्ड, राष्ट्रसंघीय शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति-संगठन; श्रीएस० लाल, अध्यक्ष प्रबन्ध समिति, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन; श्री बी० के०आर०बी० राव, अध्यक्ष, आर्थिक उन्नति उपायोग; सरदार एच० एस० मलिक, अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन-संगठन-सम्मेलन ; और डा० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, अध्यक्ष, व्यवस्थापक बोर्ड, विश्व-स्वास्थ्य-संघ ।

इन नियुक्तियों से यह पता चलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का कितना महत्व है और उसके प्रतिनिधियों का कितना आदर किया जाता है ।

लेक सक्सेस में

गत वर्ष, लेक सक्सेस में भी, श्री बी० एन० राव की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने, चतुर्थ महासभा की कार्रवाई में प्रमुख भाग लेकर, भारत की धाक जमा दी थी । इटली के भूतपूर्व उपनिवेशों के सम्बन्ध में महासभा ने जो निर्णय किया, वह भारत की सिफारिशों के आधार पर ही किया गया था ।

ट्रस्टीशिप और अस्वशासित राज्य-क्षेत्रों से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओं के समाधान में भारत ने जो भाग लिया, उसकी भी राष्ट्र-संघ के सदस्यों तथा अन्य लोगों ने बड़ी प्रशंसा की ।

भारत के प्रतिनिधि राष्ट्र-संघ के प्रायः सभी विशेष अभिकरणों, आयोगों और उपायोगों में भी भाग लेते रहे ।

भारत एशिया और सुदूरपूर्व के आर्थिक आयोग के प्रादेशिक आयोग का भी सदस्य है। इसके अतिरिक्त, भारत ने अन्य भी कई अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में, जिन्होंने हाल ही में अपनी गतिविधि फिर से आरम्भ कर दी है, भाग लिया।

सन् १९४९ में जब हालैण्ड ने इण्डोनेशिया में पुलिस कार्रवाई की तब भारत ने नई दिल्ली में इण्डोनेशिया की सहायता करने के लिए समस्त एशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाया था ।

जून में कोरिया में युद्ध होने पर भारत ने आरम्भ से ही यह चेष्टा की कि कोरिया का यह युद्ध कहीं फैल न जाय, इस दृष्टि से यह लड़ाई शीघ्र-से-शीघ्र समाप्त हो जाय। प्रधानमंत्री ने रूस और अमरीका से अपील भी की, किन्तु अमरीका ने उसे ठुकरा दिया। अब कोरिया में युद्ध का पासा पलट जाने पर और चीन के भी लड़ाई में आ कूदने पर भारत एक बार पुनः कोरिया में युद्ध बन्द कराने का प्रयत्न कर रहा है।

विदेशों के साथ सम्बन्ध

स्वाधीन होने के बाद ही भारत ने अनेक देशों के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं। गत वर्ष वैदेशिक मंत्रालय ने विदेशों में एक राज-प्रतिनिधि का कार्यालय और ग्यारह नये उपराज-प्रतिनिधि-आवास और दूतावास खोले।

भारत में विदेशी बस्तियां

यद्यपि भारत की विदेशी बस्तियों के निवासी शीघ्रातिशीघ्र भारत में मिलना चाहते हैं, फिर भी चन्द्रनगर को छोड़कर, फ्रांस और पुर्तगाल वालों की अन्य बस्तियों में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

जुलाई १९४८ में, ब्रिटेन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर ने पेरिस सम्मेलन में पुर्तगाल के विदेश मन्त्री को बताया था कि भारतीय जनता भारत को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए विदेशी शासन को समाप्त करना चाहती है, और विदेश मन्त्री ने यह स्वीकार कर लिया था कि पुर्तगाल को समय के अनुसार चलना पड़ेगा। परन्तु जब फरवरी १९५० में भारत सरकार ने एक स्मृति-पत्र भेजकर पुर्तगाल की सरकार को यह सुझाया कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों के भविष्य के सम्बन्ध में दोनों सरकारों को तुरन्त बातचीत आरम्भ करनी चाहिए, तो पुर्तगाल की सरकार ने इस सम्बन्ध में बातचीत करने से इन्कार कर दिया। पुर्तगाल के इस निषेधात्मक उत्तर से भारत सरकार को सम्पूर्ण स्थिति पर फिर से विचार करना पड़ा है। भारत सरकार का उद्देश्य अब भी इन

प्रदेशों को शान्तिपूर्ण ढंग से भारतीय गणराज्य में मिलाना है। भारत में गोआ, डामन और ड्यू ये तीन स्थान पुर्तगाल के आधिपत्य में हैं। भारत के साथ मिलने के पक्षपातियों पर पुर्तगाल की सरकार बहुत अत्याचार कर रही है। अनेक लोगों को सजाएं दी गई हैं।

फ्रांसीसी राज्य

भारत में फ्रांसीसी राज्य के इतिहास में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण घटना २ मई, १९५० को जनमत के फलस्वरूप चन्द्रनगर का भारतीय गणराज्य में मिलना है। फ्रांस के अन्य प्रदेशों—पांडिचेरी, कारीकल, यूनान, और माही के सम्बन्ध में अभी कोई निश्चय नहीं हुआ।

१५ अगस्त १९४७ के तुरन्त बाद भारत और इन प्रदेशों की जनता इनके भारत में मिलने के पक्ष में मांग उपस्थित करने लगी। विचार विनिमय के बाद फ्रांस की सरकार ने, जून १९४८ में, इस आशय की एक घोषणा की कि भारत की फ्रांसीसी बस्तियों के निवासी स्वयं यह निर्णय करेंगे कि वे फ्रांस के शासन में रहना चाहते हैं अथवा भारत में मिलना चाहते हैं।

फ्रांसीसी भारत की बाद की घटनाओं से पता चला कि फ्रांसीसी सरकार आत्म-निर्णय के उस अधिकार को, जिसे वह पहले स्वीकार कर चुकी थी, विभिन्न प्रकार के दबाव और प्रतिबन्धों से विनष्ट करने पर तुली हुई है। अतएव अब तक भी इनमें जनमत नहीं लिया जा सका है। प्रत्युत इन बस्तियों में भी भारत के साथ मिलने के पक्षपातियों पर बहुत सख्तियां की गई हैं। माही में तो विद्रोह भी हो गया था, जिसको फ्रांसीसी सरकार ने अपनी सेना का आश्रय लेकर दमन किया। जिन लोगों ने विद्रोह में हिस्सा लिया, उनसे बदला लिया गया और बहुतों को बड़ी कठोर और बर्बर सजाएँ दी गईं। भारत सरकार ने इस पर फ्रांसीसी सरकार से अपना तीव्र विरोध प्रकट किया है। भारत सरकार इन फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों को कुछ ही दिन का मेहमान समझती

है, इसलिए अपने स्वाधीन होने के साढ़े तीन वर्ष बाद आज भी वह इस कालिमा को सहन किये हुए है। वे शान्ति से अपना बोरिया-बिस्तर उठा ले जायं इसके लिए ही वह इन प्रदेशों की भारतीय जनता का अब तक गुलाम रहना सह सकी है और आगे भी उसका यही इरादा है कि वह उन्हें स्वयं ही भारत से चले जाने को बाध्य करेगी।

प्रवासी भारतीयों की समस्या

यद्यपि भारत सरकार चाहती है कि जो भारतीय बाहरी देशों में बस गए हैं, वे उन देशों के राष्ट्रजनों और राष्ट्रीय जीवन में घुल-मिल जायँ, किन्तु जब वह देखती है कि रंग या जाति-भेद अथवा अन्य प्रतिबन्धों के कारण उनकी दशा दयनीय हो रही है, तो वह कैसे चुप रह सकती है। इसीलिए भारत सरकार प्रायः ३० लाख प्रवासी भारतीयों की अवस्था के प्रति बराबर चिंतित रहती है। इसमें संदेह नहीं कि दक्षिणी अफ्रीका में पृथक्करण और 'ग्रुप एरिया बिल' (जातीय क्षेत्र विधेयक) द्वारा, बर्मा में भूमि एवं सेवाओं दोनों ही के राष्ट्रीयकरण द्वारा तथा लंका में नागरिकता एवं मुद्रा सम्बन्धी विभेद मूलक विधियों एवं विनियमों द्वारा, प्रवासी भारतीयों की समस्या चिंता का विषय बन गई है।

प्रवासी भारतीयों की संख्या भिन्न-भिन्न देशों में इस प्रकार है—

दक्षिणी अफ्रीका—२,८२,४०७; पूर्वी अफ्रीका—१,८४,०००; मारिशस—२,८५,१११; लंका—८,००,०००; बर्मा—७,००,०००; मलाया—७,००,०००; इंडोनेशिया—३०,०००; फिजी—१,३३,६४१।

भारत में कामनवेल्थ के देशवासियों के अलावा शेष विदेशियों की संख्या १ जनवरी, १९५० को ४५,६६१ थी जिनमें से ३५,५५६ पुरुष थे। इनका विवरण इस प्रकार है—चीनी—१३५३९; रूसी—३३२; अमरीकन—४,१५७; पठान—७,६३०; अफगान—४,९२९: वियटनामी—८; ईथियोपियन—१०; बल्गेरियन—२; कोलम्बियन—२।

विदेशों में भारतीय राजदूत

१. एम्बेसीज़

नाम	पद	देश और नगर
श्री विंगकमांडर रूपचन्द	एम्बेसेडर	अफगानिस्तान, काबुल।
श्री जमशेद बी० वेसुगर	,,	अर्जेनटाइन, (इसके अतिरिक्त आप चिली प्रजातंत्र में भारत के मिनिस्टर हैं।)
श्री बी० एफ० एच० बी० तैय्यबजी, आई० सी० एस०	चार्ज द अफेयर्स	बेल्जियम और लक्सम्बर्ग पता—१११, बुलवर्ड सैंट माइकेल, ब्रसल्स (बेल्जियम)।
श्री आफलाबशम	,,	ब्राजील, पता—रूआ कोस्मे वेल्हो, ३६, रियोडीजनियरो।
श्री डा० एम० ए० रऊफ, बी० सी० एल० (आक्सफोर्ड) एल० एल० डी०, बार-एट ला	एम्बेसेडर	बर्मा, पता—रादेरिया बिल्डिंग ५३३, मर्चेण्ट स्ट्रीट, रंगून।
श्री सरदार के० एम० पनिक्कर	,,	चीन, पीकिंग।
श्री एन० राघवन	,,	चेकोस्लोवाकिया, प्राग।
श्री आसफअली असगर फैय्याजी	,,	ईजिप्ट (मिश्र) केरो (इसके अतिरिक्त आप जार्डन में भी भारतीय मिनिस्टर हैं)।
श्री बी० के० कृष्ण मेनन	,,	आयरलैण्ड।
सरदार एच० एस० मलिक	,,	फ्रांस, पता—३१, रूए डी० ला ब्यूम, पेरिस। (इसके अतिरिक्त आप नार्वे में भी भारत के एन्वाय एक्स्ट्रा आर्डनरी तथा मिनिस्टर प्लेनिपोटेन्शरी हैं)।

श्री डा० सुब्बरायन	एम्बेसेडर	इंडोनेशिया, पता—पोस्ट बक्स नं० १७८ कोमिंग्स्प्लीन नूर्ड, जकार्टा।
श्री सैय्यदअली जहीर, बार०-राट-ला	,,	ईरान, तेहरान। (इसके अलावा आप ईराक में भारत की ओर से मिनिस्टर हैं)।
श्री बी० आर० सेन	,,	इटली, रोम। (इसके अतिरिक्त आप यूगोस्लाविया में भी भारत के एम्बेसेडर हैं)।
श्री सी० पी० नारायणसिंह	,,	नेपाल, काठमंडू।
श्री डा० मोहनसिंह	,,	हालैण्ड।
श्री मुहम्मद यूनस खाँ	चार्ज द अफेयर्स	तुर्की, अंकरा।
श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित	एम्बेसेडर	अमरीका, पता—वाशिंगटन, २१०७, मैसीचुसेट्स एवेन्यू, एन० डब्ल्यू०, वाशिंगटन, ८ डी० सी०।
श्री डा० एस० राधाकृष्णन	,,	रूस, मास्को, पता—होटल मेट्रोपोल, मास्को।

२. लीगेशन्स

श्री जमशेद बी० वेसुगर	एनवाय एक्स्ट्रा आर्डनरी एण्ड मिनिस्टर प्लेनिपोटेन्शरी	चिली।
श्री सैय्यदअली जहीर	,,	ईराक।
श्री आसफअली असगर फैयाजी	,,	जॉर्डन, अमान।
श्री पी० ए० मेनन	,,	पुर्तगाल।
श्री सरदार सन्तसिंह	,,	इथियोपिया।

श्री भगवत् दयाल	,,	स्याम, बैंकाक ।
श्री एच० एस० मलिक	,,	नार्वे ।
श्री आर० के० नेहरू, आई० सी० एस०	,,	स्वीडन, स्टाकहोम । (आप फिनलैण्ड और डेन्मार्क में भी भारत के मिनिस्टर हैं ।)
श्री धीरजलाल भूलाभाई देसाई	,,	स्विटजरलैण्ड, होली सी (बर्न) तथा आस्ट्रिया ।

३. कौंसलेट्स

श्री एस० के० बैनर्जी	कौंसल जनरल	भारत में फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियों के लिए । प्रधान कार्या-लय—पांडेचरी ।
श्री एफ० एम० डी मेलो कामथ	,,	हिन्दचीन, सेगांव ।
श्री नरेन्द्रनाथ	वाइस-कौंसल	जलालाबाद (अफगा-निस्तान ।
(पद खाली है)	कौंसल	जद्दा, साऊदी अरेबिया ।
श्री रामचन्द्र कालरा	कौंसल	कंधार (अफगा-निस्तान)
श्री कप्तान आर० डी० साठे	कौंसल जनरल	काशगर (चीन) ।
श्री गोपालदास सेठ	वाइस कौंसल	मेदान (सुमात्रा) ।
श्री आर० आर० सक्सेना	कौंसल	न्यूयार्क (अमरीका) ।
श्री डी० जी० मुल्हेल्कर	कौंसल जनरल	फिलिपाइंस, मनीला ।
श्री पेस्तन जी	कौंसल	गोआ (भारत में पुर्त-गाली बस्तियों के लिए)

श्री ई० एस० कृष्णमूर्ति	कौंसल जनरल	शंघाई (चीन)।
श्री आर० एस० अय्यर	कौंसल	सौंगखटा (दक्षिण स्याम)।
श्री के० डी० भसीन	कौंसल	खोर्रामशहर (ईरान)।
श्री मुलखराज अहूजा	कौंसल जनरल	सान-फ्रांसिस्को।

४. मिशन

मेजर जनरल खूबचन्द	हेड आफ इंडियन मिलिटरी मिशन	जर्मनी, पता—बी० ओ० ए० आर० २, बर्लिन।
श्री के० के० चेट्टूर	हेड आफ इंडियन लेज़ों मिशन एण्ड पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिव विद एस० सी० ए० पी० (मित्र राष्ट्रीय शक्तियों के सर्वोच्च सेना धिपति के यहां भारत के राजनीतिक प्रतिनिधि)	जापान, टोकियो।
श्री सर बी० एन० राव		राष्ट्र-संघ में भारत के स्थायी न्यूयार्क प्रतिनिधि।
श्री ह्यू रिचर्डसन, आई० सी० एस०	रिप्रेजेन्टेटिव	तिब्बत, ल्हासा।

५. हाई कमिश्नर और अन्य प्रतिनिधि

श्री दलीपसिंह जी	हाईकमिश्नर फार इंडिया	आस्ट्रेलिया, कैन्बरा।
श्री एस० के० कृपलानी	,,	कैनेडा, पता—११४ बि-

		लिंडन स्ट्रीट, ओटावा, ओनटोरियो।
श्री वी० वी० गिरि, बार-एट-ला	हाई कमिश्नर फार इण्डिया	लङ्का, पता—ए० एस० गफूर बिल्डिंग्स, (फर्स्ट फ्लोर), मेन स्ट्रीट, कोलम्बो।
श्री आई० पी० एम० मेनन	भारत सरकार के एजेएट	लङ्का पता—परन्देनिया रोड, पोस्ट ब० ४७, कैंडी।
श्री आपा बी० पन्त	कमिश्नर	ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, नैरोबी।
श्री एस० ए० वेज़	कमिश्नर	फिजी, पता—अमू स्ट्रीट, सूवा, (फिजी आइलैण्ड्स)
श्री जे० ए० थिवी	रिप्रेजेन्टेटिव आफ गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया	मलाया, पता—६८ राबिन्सन रोड, पोस्ट बक्स नं० ८३६, सिंगापुर।
श्री टी० जी० नटराज पिल्ले	एजेंट आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया	मलाया, पता—ओरियण्टल बिल्डिंग (सेकेण्ड-फ्लोर) पोस्ट बक्स नं० २१, कुआलाल्लम्पुर।
(पद खाली है)	हाई कमिश्नर	मारिशस, पोर्टलुई।
श्री डा० सीताराम	हाई कमिश्नर	पाकिस्तान, पता—द्वाक्षोदर महल, कराची।
श्री वाई० के० पुरी	डिप्टी हाई कमिश्नर	पाकिस्तान, १४, अपर माल, लाहौर।
श्री सन्तोषकुमार वसु	,,	पाकिस्तान, ढाका।
श्री के० एल० खन्ना	आफीसर इंचार्ज	पाकिस्तान, पेशावर।
श्री आर० टी० चारी	सेक्रेटरी टु दि हाई	दक्षिणी अफ्रीका, जेहान्स-

	कमिश्नर फार इंडिया इन दि यूनियन आफ़ साउथ अफ्रीका (दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय हाईकमिश्नर के सेक्रेटरी)।	बर्ग। (प्रतिवर्ष जनवरी से जून तक केपटाउन में रहते हैं।)
श्री वी० के० कृष्ण मेनन	हाईकमिश्नर	ब्रिटेन, लन्दन। पता—इंडिया हाउस, आल्डविच डब्ल्यू० सी० २, लन्दन, (इसके अतिरिक्त आयर में भी भारत के एम्बेसेडर हैं।)
श्री सत्यचरण, एम० ए० बी० टी०	कमिश्नर फार इंडिया इन ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़	वेस्ट इंडीज़, पता—पोर्ट-आफ-स्पेन, ट्रिनीडाड।

भारत में विदेशी राजदूत

एम्बेसीज़

देश	पद	पता
अफ़गानिस्तान	एम्बेसेडर एक्स्ट्रा आर्डनरी एण्ड मिनिस्टर प्लेनिपोटेंशरी	२४, रटेन्डन रोड, नई दिल्ली।
अर्जेन्टाइना	,,	इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली।
बेल्जियम	,,	थियेटर कम्युनिकेशन्स बिल्डिंग नई दिल्ली।

ब्राजील	,,	इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली।
बर्मा	,,	कर्जन रोड, नई दिल्ली।
चेकोस्लोवाकिया	,,	२५, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली।
ईजिप्ट	,,	मेडन्स होटल, दिल्ली।
फ्रांस	,,	२, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली।
इंडोनेशिया	,,	१४, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली।
ईरान	,,	४, अल्बुकर्क रोड, नई दिल्ली।
इटली	,,	१७, यार्क रोड, नई दिल्ली।
नेपाल	,,	नेपाली राजदूतावास, १२, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।
नीदरलैण्ड्स (हालैण्ड)	,,	४, रटेण्डन रोड, नई दिल्ली।
तुर्की	,,	इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली।
अमरीका	,,	बहावलपुर हाउस, नई दिल्ली।
रूस	,,	त्रावंकोर हाउस, कर्जन रोड, नई दिल्ली।
यूगोस्लाविया	,,	,,

लीगेशन्स

आस्ट्रिया	चार्ज द अफेयर्स	सिसिल होटल, दिल्ली।
चिली	,,	कांस्टीट्यूशन हाउस, नई दिल्ली।
डेन्मार्क	एनवाय एक्स्ट्रा आर्डनरी व मिनिस्टर प्लेनिपोटेन्शरी	मेडन्स होटल, दिल्ली।
इथियोपिया	,,	इम्पीरियल होटल, दिल्ली।
फिनलैण्ड	,,	सिसिल होटल दिल्ली।
होली सी (पोप)	अपोस्तोलियो इंटरननसियो	८, अलीपुर रोड, दिल्ली।
ईराक	एन्वाय एक्स्ट्रा-	१२६, इम्पीरियल होटल,

	आर्डनरी व मिनिस्टर प्लेनिपोटेन्शरी	नई दिल्ली।
नार्वे	,,	मेडन्स होटल, दिल्ली।
पुर्तगाल	,,	मेडन्स होटल, दिल्ली।
स्वीडन	,,	थियेटर कम्युनिकेशंस बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।
स्विटजरलैण्ड	,,	,,
थाईलैण्ड	,,	१९, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली।
सीरिया	,,	,,

हाई कमिश्नर

आस्ट्रेलिया	हाई कमिश्नर	कनाट प्लेस, नई दिल्ली।
केनाडा	,,	४, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली।
लंका	,,	२, सिंधिया हाउस, नई दिल्ली।
पाकिस्तान	,,	शेरशाह रोड मेस, नई दिल्ली।
ब्रिटेन	,,	२, किंग जार्ज्स एवेन्यू, नई दिल्ली।

हमारे पड़ौसी

भारत को ईश्वर ने संसार में एक अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया है; किन्तु इस गौरवपूर्ण स्थान की महत्ता को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने पड़ौसी देशों के आन्तरिक जीवन का न

केवल परिचय ही प्राप्त करें, अपितु उनसे मित्रतापूर्ण आर्थिक सम्बन्ध बनाने का प्रयत्न करें। पड़ौसी देशों से हमारा प्राचीन सम्बन्ध है। यूरोपीय जातियों की दासता के कारण वह सम्बन्ध कुछ दिनों के लिए टूट गया था, परन्तु अब हमारे देश के स्वाधीन होने के उपरान्त उनसे हमारे सम्बन्ध फिर से होने प्रारम्भ हो गए हैं। नीचे हम अपने कुछ पड़ौसी देशों के विषय में कुछ आवश्यक जानकारी देते हैं।

ईरान

क्षेत्रफल	६२८००० वर्ग मील
जन-संख्या	१६५४६८३७
राजधानी	तेहरान

ईरान और भारत के सम्बन्ध पुराने हैं। आर्य लोगों ने वहाँ से आकर गंगा और सिन्ध के मैदानों में अपनी बस्तियाँ बसाईं। पारसियों का पैतृक देश ईरान ही है। अंग्रेजी राज्य में भी हमारे आर्थिक सम्बन्ध ईरान से बराबर बने रहे। देश के विभाजन से पूर्व भारत की मण्डियाँ ईरान के व्यापारिक केन्द्रों से रेल द्वारा मिली हुई थीं। आजकल भी भारतीय व्यापारी ईरान के प्रत्येक भाग में मौजूद हैं।

ईरान का पूर्वी भाग प्रायः नमकीन मरुस्थल है, जो 'लूत' के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ खेतों की सिंचाई के लिए धरती के नीचे नहरें निकाली गई हैं, जिन्हें 'कारेज़' कहा जाता है। वहाँ की जलवायु प्रायः शुष्क और शीतपूर्ण है, जो मेवों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। अंगूर, अनार और बादाम यहाँ बहुत होते हैं। काला जीरा, मुलहटी और केसर का तो यह घर ही है। ईरान में खनिज पदार्थ, जैसे गन्धक, मिट्टी का तेल आदि, भी बहुत मिलते हैं। यहाँ केवल दो रेल की सड़कें हैं—एक विजर सागर से चलकर तेहरान और हमदान होती हुई शाहपुर के बन्दरगाह तक पहुँचती है और दूसरी तेहरान से तबरेज़ जाती है।

ईरान का बादशाह मुहम्मदरज़ा पहलवी है, जो सितम्बर १९४१

में गद्दी पर बैठा था। वह पार्लमेण्ट द्वारा शासन करता है। यहाँ के निवासी अधिकतर 'शिया' हैं।

अफ़गानिस्तान

क्षेत्रफल	लगभग २५०००० वर्गमील
जन-संख्या	लगभग १००००००
राजधानी	काबुल

अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित है। इस देश से हमारे सम्बन्ध अशोक के समय से चले आते हैं।

यह देश अधिकतर पहाड़ी है। वर्षा इसमें बहुत कम होती है। किन्तु काबुल, हरीरौद और हिलमन्द नदी की घाटियाँ अत्यन्त उपजाऊ हैं। गरमियों में यहाँ पर्याप्त गरमी होती है, किन्तु सरदियों में पहाड़ बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ मेवे बहुत पैदा होते हैं, हींग और अरण्डी के पेड़ यहाँ बहुत पाये जाते हैं।

यहाँ के निवासी सुन्नी मुसलमान हैं, जो प्रायः पश्तो बोलते हैं, किन्तु शिक्षित वर्ग फारसी बोलता है।

भारत और अफ़गानिस्तान के बीच इस वर्ष जो समझौता हुआ है, उसके कारण उनके मैत्री-सम्बन्ध दिन-प्रतिदिन दृढ़ होते जा रहे हैं। भारत से अभी पिछले दिनों बहुत-से प्रोफेसर काबुल गये हैं, जो संस्कृत तथा अन्य विषयों की शिक्षा देंगे। यहाँ का सम्राट मुहम्मद ज़ाहिरशाह है, जिसके शासन-काल में अफ़गानिस्तान ने पर्याप्त उन्नति की है। यहाँ स्कूल और पाठशालाएँ खोली जा रही हैं, शीशे और सीमेण्ट के कारखाने खोले जाने की योजनाओं पर विचार हो रहा है।

तिब्बत

क्षेत्रफल	८०००० वर्गमील
जन-संख्या	४० लाख
राजधानी	ल्हासा

संसार के मानचित्र पर तिब्बत का देश बिलकुल अलग स्थित है।

इसका कोई भी भाग १२००० फीट से कम ऊँचा नहीं है। इसमें जगह-जगह बरफ के पहाड़ पाये जाते हैं, जिनमें से होकर यात्रा करना कठिन है; संकीर्ण और दुर्गम घाटियों में से गुजरना पड़ता है। सड़कें इतनी तंग हैं कि पाँव फिसला नहीं कि गढ़े में गिरे नहीं। बोझ लादने के लिए सुरा गाय नामक पशु को भी काम में लिया जाता है। यहाँ पर वृक्ष बहुत कम होते हैं; ईंधन भी नहीं मिलता; पशुओं का गोबर जलाने के काम में आता है।

यहाँ के लोग बौद्ध मत के अनुयायी हैं। धर्म उनके रोम-रोम में समाया हुआ है। पहले तिब्बत के शासक दलाई लामा और ताशी लामा थे, किन्तु कुछ समय से यहाँ पर कम्युनिस्ट फौजों का अधिकार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर अगणित बौद्ध विहार हैं, जिनमें लगभग दो लाख साधु और साध्वियाँ रहती हैं। प्रत्येक परिवार का सबसे बड़ा लड़का किसी-न-किसी विहार में अवश्य भेजा जाता था। तिब्बत देश की समस्त भूमि का एक-तिहाई भाग इन विहारों के लिए सुरक्षित है। यहाँ के प्रत्येक निवासी के हाथ में एक माला होती है, जो पूजा में काम आने के साथ-साथ मन बहलाने का काम भी देती है।

तिब्बत में ऊन बहुत उत्तम प्रकार की होती है, जो यहाँ से काश्मीर भिजवाई जाती है। इस ऊन से शाल-दुशाले बनते हैं। तिब्बत नाम-मात्र के लिए चीन के अधीन है; आन्तरिक मामलों में यह स्वतन्त्र है। भारत इस प्रयत्न में था कि चीन और तिब्बत के आपसी सम्बन्ध को बातचीत द्वारा अच्छा बनाया जाय और अब भी वह यही प्रयत्न कर रहा है।

बर्मा

क्षेत्रफल	२६१६१० वर्गमील
जन-संख्या	१४६६७१४६
राजधानी	रंगून

बर्मा देश को १ जनवरी सन् १८८६ में भारत में सम्मिलित किया

गया था; परन्तु सन् १९३७ में इसे भारत से पृथक् करके ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया। १९४२ से १९४४ तक इस पर जापानियों का अधिकार रहा। ४ जनवरी १९४८ को इसे पुनः स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया।

बर्मा के दोनों ओर अराकान और पेगू के पहाड़ हैं, जिनके बीच इरावती नदी की घाटी है। रंगून से मांडले तक रेल जाती है। इरावती नदी में ९०० मील तक जहाज भी चल सकते हैं। यहाँ जलवायु उष्ण-आर्द्र है, जो चावल की खेती के लिए अत्यन्त उपयोगी है। शहतूत के वृक्षों पर यहाँ रेशम के कीड़े भी पाले जाते हैं। यहाँ मिट्टी का तेल, कलई, शीशा और चाँदी आदि खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। पर्वतों से लकड़ी काटकर नदियों में बहा दी जाती है, जो मैदान में आने पर निकाल ली जाती है। धान कूटने, लकड़ी चीरने और मिट्टी का तेल साफ करने के वहाँ बहुत-से कारखाने हैं। मिट्टी के तेल से पेट्रोल, वैसलीन तथा मोमबत्तियाँ भी बनाई जाती हैं।

बर्मा के निवासी बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं; इनमें जात-पाँत का कोई भेद-भाव नहीं है। रंग-रूप में ये चीनियों से मिलते-जुलते हैं।

इण्डोनेशिया

क्षेत्रफल	बोर्नियो सहित	७३५०० वर्गमील
जन-संख्या		लगभग ७ करोड़
राजधानी		बटेविया

द्वीपसमूह इण्डोनेशिया एशिया के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। इनमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सिलेबीज बहुत प्रसिद्ध हैं। युद्ध से पूर्व यह निचले प्रदेशों के द्वीप के नाम से प्रसिद्ध थे। युद्ध के दिनों में जापान ने इन पर अधिकार कर लिया था, किन्तु जापान की पराजय के पश्चात् संयुक्त-राष्ट्र-संघ के हस्तक्षेप से १७ जनवरी सन् १९४८ को यह स्वतन्त्र हुआ।

यह बात यहाँ उल्लेखनीय है कि सन् ५०० से १४०० तक इण्डोनेशिया

में बौद्ध धर्म का प्राधान्य रहा। आज भी यहाँ हिन्दू और बौद्ध संस्कृति के प्राचीन चिह्न और ध्वंसावशेष मिलते हैं। इण्डोनेशिया के लोगों के जीवन और रीति-रिवाजों में हिन्दू तथा बौद्ध संस्कृति की छाप स्पष्टतया दृष्टिगत होती है।

यह देश संसार के अत्यन्त उपजाऊ देशों में से है। यहाँ कहवा, चाय, रबर, सिनकोना के वृक्ष और चुकन्दर बहुत होते हैं। सोना और तेल भी यहाँ पर मिलता है। यह प्रदेश वन-प्रान्तों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे विदेशी पूँजी की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि वनों को साफ करके खेती के योग्य भूमि बनाई जा सके। आजकल वहाँ खेतों में बाँस की नालियों या खन्दकों द्वारा सिंचाई की जाती है और पानी प्रायः झरनों या स्रोतों से लिया जाता है।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् यहाँ प्रजातन्त्र-शासन हो गया है। यहाँ के प्रधान डाक्टर सुकार्णो तथा प्रधान मंत्री डाक्टर मुहम्मद हट्टा हैं।

लंका

क्षेत्रफल	२५३३० वर्ग मील
जन-संख्या	७२९७०००
राजधानी	कोलम्बो

लंका द्वीप भारत के दक्षिण में स्थित है। जलडमरू मध्य पाक भारत और लंका को पृथक् करता है। इसके मध्य में मैडरो तुलागला पर्वत स्थित है, जो चारों ओर से समुद्र की ओर ढलवां होता चला गया है। कोलम्बो और त्रिंकोमिली यहाँ के प्रसिद्ध बन्दरगाह हैं। त्रिंकोमिली की गणना संसार के आम बंदरगाहों में की जाती है। लंका के लोग प्रायः खेतीबाड़ी करते हैं। नारियल, चाय, रबड़ और चावल यहाँ प्रचुर मात्रा में होते हैं। इनके अतिरिक्त इलायची और तम्बाकू भी होता है। जो खनिज पदार्थ यहाँ मिलते हैं उनमें ग्राफ्ट, जवाहरात और संगमरमर अधिक प्रसिद्ध हैं।

एक साथ सटे होने के कारण भारत और लंका का भाग भी परस्पर सम्बन्धित है। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यहाँ पर ८६०००० भारतीय तामिल बसते हैं। यहाँ की सरकार ने प्लाईवुड, शीशे, चमड़े का सामान और कागज बनाने के कारखाने भी खोले हैं। यहाँ के निवासी चटाइयाँ, बरतन, फीते, टोकरियाँ और घास-फूस की टोपियाँ भी बनाते हैं।

चीन

क्षेत्रफल	लगभग ४२७८३५२ वर्गमील
जन-संख्या	४६३४९३४१८
राजधानी	पेकिंग

चीन का विशाल देश भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित है। भारत से चीन को स्थल के मार्ग से जाना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि वहाँ जाते हुए मार्ग में रेतीले मैदान और ऊँचे पर्वत पड़ते हैं। चीन के उत्तर में १५०० मील लम्बी २० फुट ऊँची और ६ फुट चौड़ी एक दीवार है, जो प्राचीन काल में आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाई गई थी। यह दीवार संसार की सात अद्भुत वस्तुओं में से एक है।

चीन का पश्चिमी क्षेत्र पथरीला है; किन्तु पूर्वी चीन एक समतल मैदान में स्थित है, जिसमें ह्वांगहू, यांग सीक्यांग तथा सीक्यांग नदियाँ बहती हैं। ह्वांगहू को चीन का संकट कहा जाता है, क्योंकि वह प्रतिवर्ष अपना मार्ग बदलती रहती है और सैकड़ों गाँवों को बरबाद कर देती है। यहाँ चावल, कपास, ज्वार, रेशम, गेहूँ, चाय और पोस्त अधिक उत्पन्न होते हैं।

चीन के निवासी बड़े परिश्रमी होते हैं, किन्तु ये हैं लकीर के फकीर ही। पहले ये विदेशी लोगों से मेल-जोल बढ़ाना पसन्द नहीं करते थे; अफ़ीम खाते थे, जो भारत से जाती थी। अब उसका आयात यहाँ पर रोक दिया गया है। यहाँ की जन-संख्या का दसवाँ भाग मछलियाँ पकड़-कर अपना निर्वाह करता है। चीन के लोग लकड़ी के सामान के

अतिरिक्त हाथी-दाँत और चीनी मिट्टी की वस्तुएँ बनाने में बहुत ही दक्ष हैं। अब नानकिंग और शंघाई में रेशमी कपड़ा बनाने के बड़े-बड़े कारखाने खुल गए हैं। यहाँ पर सूती कपड़ा जापान और भारत से जाता है। चीन में रेलें बहुत कम हैं। यहाँ की सबसे बड़ी रेल पेकिंग से हांग-काँग जाती है, जिसे अब कैन्टन से मिला दिया गया है।

यहाँ के निवासी बौद्ध धर्म से सम्बन्ध रखते हैं, किन्तु कुछ भाग में मुसलमान और ईसाई भी पाये जाते हैं। जात-पात का भेद-भाव इनमें कदापि नहीं होता। यहाँ के प्रत्येक गाँव में एक दुमंजिला मीनार होती है, जहाँ लोग संकट के समय छिप जाते हैं। यहाँ के निवासी पशुओं को नीचे की मंजिल में खड़ा करके आप ऊपर की मंजिल में रहते हैं।

जनरल चांग काई शेक के राष्ट्रीय शासन के स्थान में अब जनरल माओत्सेतुंग ने कम्युनिस्ट सरकार बना ली है, जिसे अब तक अमेरिका ने स्वीकार नहीं किया है। भारत सरकार ने इस सरकार की मान्यता स्वीकार कर ली है।

स्याम

क्षेत्रफल	२००१४८ वर्गमील
जन संख्या	१७२५६८२५
राजधानी	बैंकोक

स्याम का प्रदेश बर्मा के पूर्व में स्थित है। इसका अधिकांश भाग बनों से आच्छादित है। यहाँ पर भारतीय व्यापारी पर्याप्त संख्या में रहते हैं। यहाँ का जलवायु पश्चिमी घाट की भाँति उष्ण आर्द्र है। चावल यहाँ की विशेष उपज है, जो बैंकाक के बन्दरगाह से दूसरे देशों को भेजा जाता है। नदियों की घाटियों में कपास, तम्बाकू और गन्ना भी उत्पन्न होता है। काली मिर्च और सुपारी के वृक्ष भी यहाँ पर बहुत मिलते हैं। यहाँ के दक्षिण-पश्चिमी भाग में रबड़ के वृक्ष भी मिलते हैं।

यहाँ के बनों में सफेद हाथी बहुत मिलते हैं, जिन्हें लोग अत्यन्त

पवित्र समझते हैं। यह हाथी सागवान के स्लीपरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता देते हैं।

बैंकाक यहाँ का एक छोटा-सा बन्दरगाह है, जहाँ पर बहुत-से लोग किश्तियों में रहते हैं। यह रेल द्वारा सिंगापुर, सैगौन और बर्मा से मिला हुआ है। यहाँ से छोटे-छोटे जहाजों में माल भरकर सिंगापुर पहुँचाया जाता है, वहाँ उसे बड़े-बड़े जहाजों पर लाद दिया जाता है।

यहाँ का बादशाह फौमी फौन अडनदत्त है, जो प्रिवी कौन्सिल और पार्लमेंट द्वारा शासन करता है।

नेपाल

क्षेत्रफल	५४००० वर्गमील
जन-संख्या	लगभग ७० लाख
राजधानी	काठमण्डू

नेपाल की स्वतन्त्र पहाड़ी रियासत भारत के उत्तर में स्थित है, जहाँ आना-जाना अत्यन्त कठिन है। यहाँ के निवासी गोरखे बड़े परिश्रमी और वीर होते हैं। लार्ड हेस्टिंग्स के समय में नेपाल-युद्ध के पश्चात् सुगोली सन्धि-पत्र द्वारा नेपाल और अंग्रेजों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुआ था, जो भारत की स्वाधीनता तक बराबर बना रहा। इस वर्ष अर्थात् १६५० में भारत और नेपाल के बीच एक नया समझौता हुआ है, जिसके अनुसार दोनों देशों के बीच स्थायी सम्बन्ध स्थापित हो गए हैं। गोरखा सैनिक एक बड़ी संख्या में भारतीय सेना में सम्मिलित हैं। नेपाल में हाल ही में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। राणाशाही सरकार तथा नेपाल जन-कांग्रेस के बीच बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप नेपाल के महाराजा त्रिभुवन को भारत सरकार की शरण में आना पड़ा। भारत सरकार ने नेपाल में कांग्रेस तथा राणाशाही सरकार के बीच समझौता कराने का प्रयत्न किया, जिसके अनुसार नेपाल में यथासम्भव शीघ्र ही एक जनतन्त्री शासन स्थापित हो जायगा।

मलाया

मलाया भारत के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार है। यह प्रदेश बनों से आच्छादित है। इन बनों को साफ करके चावल और गन्ने की खेती की जा रही है। गरम मसाला यहाँ पर उत्पन्न होता है; कलई भी यहाँ पर बहुत होती है।

स्थानीय लोग हब्शी नसल से हैं। रेल बनने से यहाँ का व्यापार बहुत बढ़ गया है। संसार में सबसे अधिक रबड़ मलाया में होती है।

सिंगापुर को मलाया से जलडमरूमध्य मलाका पृथक् करता है। प्रशान्तसागर और हिन्द महासागर की कुञ्जी के रूप में यह द्वीप अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ हवाई जहाजों का बड़ा अड्डा है। व्यापार का महान केन्द्र है। यहाँ से रबड़, तम्बाकू, नारियल, कहवा, चीनी और कलई बाहर भेजी जाती है। सिंगापुर रेल द्वारा बैंकाक से मिला हुआ है।

पाकिस्तान

इंगलैण्ड की पार्लमेंट ने ३ जून सन् १९४७ को लार्ड माउण्ट-बेटन की योजना के अनुसार भारत का विभाजन करना स्वीकार किया और १५ अगस्त सन् १९४७ को भारत दो भागों में विभक्त हो गया। पाकिस्तान के भी दो भाग हैं—पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान।

पश्चिमी पाकिस्तान में रियासतों के अतिरिक्त सीमाप्रान्त, बलोचिस्तान, पंजाब (पाकिस्तान) और सिन्ध सम्मिलित हैं। बलोचिस्तान एक एजेण्ट गवर्नर जनरल का प्रान्त है, इसके अतिरिक्त और सब प्रान्त गवर्नर के अधीन हैं। पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्रफल ३०६९२० वर्ग-मील और जनसंख्या ३४५४००००० है, तथा राजधानी कराची है।

पश्चिमी पाकिस्तान में गेहूँ, कपास, चावल और गन्ने की उपज अधिक मात्रा में होती है। औद्योगिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान अभी तक पिछड़ा हुआ है। यहाँ कोयला भी उत्तम कोटि का नहीं मिलता, किन्तु अटक में १५०००००० गेलन पैट्रोलियम प्राप्त किया जाता है।

बलोचिस्तान में क्रोमाईट मिलता है। यहाँ से ऊन और चमड़ा भी दूसरे देशों को भेजा जाता है। पहाड़ी नमक अधिकतर भारत में आता है, जिसे लाहौरी या सेंधा नमक भी कहते हैं।

पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल और सिलहट का जिला सम्मिलित है। यह पश्चिमी पाकिस्तान से १००० मील की दूरी पर स्थित है। दोनों भागों में प्रायः समुद्री मार्ग से यातायात होता है। इसका क्षेत्र-फल लगभग ५४०१५ वर्गमील और जनसंख्या ४६७२०००० है। पूर्वी पाकिस्तान पटसन का घर है। यहाँ से ६००००००० पौण्ड कीमत का पटसन भारत को और शेष १७००००० पौंड कीमत का दूसरे देशों को जाता है। चाय और चावल भी उत्पन्न होते हैं। बहुत-से लोग मछ-लियाँ पकड़ते हैं।

देश के विभाजन तथा शरणार्थी समस्या की जटिलता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच कई ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं, जो अभी तक भी नहीं सुलझ सकी हैं। उनमें से काश्मीर, निष्क्रान्त सम्पत्ति, नहरों का पानी, अपहृत स्त्रियाँ और अल्प-संख्यकों की रक्षा आदि प्रमुख हैं। यद्यपि जनवरी सन् १९४९ में एक (प्रतिज्ञा-पत्र) समझौते द्वारा शरणा-र्थियों को अपनी सम्पत्ति बेचने या परिवर्तन करने की सुविधाएँ प्राप्त हो गई थीं, किन्तु वह समझौता सफल नहीं हो सका। १९४८ में कलकत्ता में अल्प-संख्यकों के विषय में जो समझौता हुआ था, वह भी प्रायः अव्यावहारिक रहा। ८ अप्रैल १९५० को नेहरू-लियाकत-समझौता हुआ, जिसको व्यावहारिक रूप देने के लिए दोनों देश समान रूप से प्रयत्नशील हैं।

हमारी सेना

पिछले वर्ष प्रतिरक्षा मंत्रालय और सैनिक हैडक्वार्टर की प्रगति जारी रही।

भारत की अपेक्षाकृत अल्पायु की सशस्त्र सेनाएँ भारत की बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं।

विभाजन और नव-संगठन

द्वितीय महायुद्ध के दौरान में भारत की फौजों के सिपाहियों की कुल संख्या २२ लाख ५० हजार तक पहुँच गई थी। युद्ध के बाद फौज की संख्या को घटाने की नीति के परिणामस्वरूप अगस्त १९४७ के अन्त तक १६,४८,७७२ सिपाहियों को फौज से निकाला जा चुका था।

अगस्त ४७ में देश के विभाजन के साथ-साथ भारत की फौज का भी विभाजन हुआ। जल, स्थल व हवाई सेना का लगभग दो-तिहाई भाग भारत को प्राप्त हुआ। फौजी सामान बनाने वाले कारखानों के बंटवारे की जगह भारत ने पाकिस्तान को ६ करोड़ रुपया देना स्वीकार किया।

अँग्रेजी फौज का प्रस्थान

स्वतन्त्रता-दिवस के दो दिन बाद ही अँग्रेज़ी फौज की टुकड़ियों ने जाना शुरू कर दिया। भारत में ठहरी अँग्रेजी फौज की आखिरी टुकड़ी २८ फरवरी १९४८ को भारत से कूच कर गई।

राष्ट्रीयकरण

शुरू से ही भारत ने राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई है। यह राष्ट्रीयकरण अब लगभग पूर्ण हो चुका है, केवल कुछ टैकनिकल विशेषज्ञ अभी अँग्रेज हैं। भारतीयों के ट्रेन्ड होने पर इनके स्थान पर भी भारतीय ही नियुक्त किये जायँगे। भारतीय सेनाओं के कमाण्डर-इनचीफ कर्नल

करिअप्पा हैं। हवाई सेना के कमाण्डर एयरमार्शल इवेला चैपमैन और नौसेना के कमाण्डर वाइस एडमिरल पैरी हैं।

२६ जनवरी, १९५० के बाद से नये संविधान के लागू होने पर सेनाओं के नाम के पहले से 'रायल' शब्द हटा दिया गया। इसी प्रकार नौसैनिक जहाजों के नाम के आगे से 'हिजमैजस्टीज़ शिप' हटा दिया गया।

अस्त्र-शस्त्र के कारखाने

अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण में भारत आत्म-निर्भर होना चाहता है। तीनों सर्विसों के लिए नये स्टोर बनाने के अनेक परीक्षण किये गए। गोला-बारूद व अस्त्र-शस्त्र बनाने वाले कारखानों की कुल संख्या १९४८ में ६० थी। दो बन्द कारखाने पुनः चालू किये गए हैं और दो नये खोले गए हैं। एक प्रोटो टाइप मशीन टूल फैक्टरी की रचना की गई है।

देश की प्रतिरक्षा-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक रक्षा विज्ञान संगठन की स्थापना की गई है, और प्रतिरक्षा मंत्रालय में एक वैज्ञानिक सलाहकार भी नियुक्त किया जायगा।

इनका काम प्रतिरक्षा विज्ञान के विषय में संसार में जो प्रगतियां हों उनसे लाभ उठाना तथा स्वयं वैज्ञानिक खोज करना है।

दिल्ली की नैशनल फिज़ीकल लेबोरेटरी में एक रक्षाविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

राष्ट्र की दूसरी रक्षापंक्ति

राष्ट्र के संकटकाल में काम आने के लिए रिजर्व फोर्स रखने के हेतु एक प्रादेशिक सेना खड़ी की गई और नैशनल कैडेट कोर का निर्माण किया गया है।

'नैशनल कैडेट कोर'

केन्द्रीय धारासभा में भाषण करते हुए रक्षामंत्री सरदार बलदेव सिंह ने १५ मार्च १९४७ को 'नैशनल कैडेट कोर' की स्थापना की योजना देश के सामने प्रस्तुत की। इस सेना में स्कूलों व कालेजों के

दो लाख के लगभग नवयुवक भरती किये जायंगे। इसके दो भाग होंगे—सीनियर डिवीज़न, जिसकी सदस्य-संख्या ३२,५०० होगी, और जूनियर डिवीज़न जिसकी संख्या १,३५,००० होगी। इसके अलावा लड़कियों की एक डिवीज़न अलग भरती की जायगी।

जून १९५० में सीनियर डिवीजन में ७३६ अफसर और २२९३८ कैडेट थे। जूनियर डिवीजन में १४५५ अफसर और ४३६५० कैडेट थे। लड़कियों की डिवीजन में ९ अफसर और २७३ कैडेट थे। सीनियर डिवीजन में पदाति टुकड़ियों के अलावा ८७ बख्तरबन्द, तोपखाने, इञ्जीनियर, सिगनल, मैडिकल और वैधुतिक टुकड़ियाँ हैं। जूनियर डिवीजन में ४८५ यूनिट हैं। लोगों में अनुशासन का भाव पैदा करने के लिए सेना ने नागरिकों को बिना किसी लागत के सरल सैनिक ट्रेनिंग देनी आरम्भ की है।

प्रादेशिक सेना आपत्काल में घरेलू मोरचे की रक्षा करेगी, सप्लाई और यातायात के भागों को सुरक्षित रखने में तथा आन्तरिक कानून व व्यवस्था की रक्षा करने में मदद देगी।

प्रादेशिक सेना में पदाति टुकड़ियों के अलावा बख्तरबन्द टुकड़ियां, तोपखाने, इञ्जीनियर, सिगनल व वैधुतिक कोर भी होंगे।

प्रादेशिक सेना की भरती गतवर्ष अक्तूबर से शुरू हुई थी। इसमें १,३०,००० आदमी भरती किये जायँगे।

सेनाओं में वृद्धि

स्वतन्त्रता मिलने के समय जितनी सेनाएँ भारत में रह गई थीं वे स्वाधीन भारत की आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर सकती थीं। इसके अलावा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण भी सेनाओं में वृद्धि करनी पड़ रही है।

भारत की नौसेना अभी बहुत छोटी है, किन्तु स्वाधीन होने के बाद इसको उन्नत करने की तरफ भारत सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। नौसेना को बढ़ाने का एक दसवर्षीय कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके

पूरा होने पर तीन क्रूजर, एक विमानवाहक, आठ-नौ विध्वंसक तथा अन्य छोटे जहाज होंगे। 'दिल्ली' क्रूजर तथा तीन विध्वंसक 'राजपूत', 'राणा' और 'रणजीत' जनवरी में ब्रिटेन से खरीदे गए।

बम्बई नौसैना का केन्द्र है। कोचीन और विजगापट्टम भविष्य में भारत के दो बड़े नौसैनिक केन्द्र होंगे। मद्रास और कलकत्ता के नौसैनिक अड्डों का भी विस्तार किया जायगा। विलिंग्डन द्वीप पर तोपखाने, नौसंचालन और पनडुब्बी-विरोधी स्कूल स्थापित किये जायंगे।

नौसैनिक उड्डयन की शिक्षा के लिए कुछ भारतीय अफसर ब्रिटेन भेजे गए हैं। कोचीन में नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का एक केन्द्र बनाया जा रहा है। विजगापट्टम में एक नौसैनिक स्कूल प्रारम्भ किया गया है। कुछ समय बाद नौसैनिकों को सम्पूर्ण ट्रेनिंग भारत में ही मिल जाया करेगी, उन्हें बाहर नहीं भेजना पड़ा करेगा।

जून और जुलाई में नौसेना का स्क्वैड्रन इण्डोनेशिया और मलाया की यात्रा करके आया। सिंगापुर से परे उसने ब्रिटिश नौसेना और हवाई सेना के साथ मिलकर सैनिक अभ्यास किया। प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू 'दिल्ली' में बैठकर इण्डोनेशिया गये।

नौसैनिक अभ्यास

१७ दिसम्बर, १९४९ को स्वाधीन भारत का पहला 'नौसेना-दिवस' मनाया गया था। २६ जनवरी १९५० को जहाजों पर और नौसैनिक अड्डों पर पुराने झण्डों के स्थान पर नये भारतीय झण्डे लगाये गए।

गत वर्ष भारतीय वायुसेना ने भी पर्याप्त प्रगति की। भारत की हवाई सेना यद्यपि छोटी है, किन्तु अपेक्षाकृत उसकी प्रहार-क्षमता कहीं अधिक है। इस वर्ष ब्रिटेन से कुछ वैम्पायर ग्रेट विमान और लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं।

हवाई सेना

अम्बाला और जोधपुर में हवाई उड़ान की शिक्षा देनेवाली नं० १

और नं० २ ऐकेडमी हैं। नं० ३ ऐकेडमी कोयम्बटूर में खोली गई है।

एक राडर स्कूल भी खोला गया है। विशिष्ट सिगनल ट्रेनिंग के लिए अफसरों को ब्रिटेन भेजा जाता है।

बंगलौर के पास जलाहाली में एक टैक्निकल ट्रेनिंग कालेज और जोधपुर में एयर नेविगेटर्स ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है। देश में हवाई सेना के तीन बड़े स्टेशन खोले जायंगे, जिनमें से एक आगरा में होगा। ये स्टेशन २७०० एकड़ जमीन में होंगे, जहाँ आधुनिकतम विशाल हवाई अड्डे होंगे। वायुयानों की मरम्मत आदि के लिए कानपुर में 'बेस रिपेयर डिपो' कायम किया गया है।

स्थल सेना की ट्रेनिंग

स्थल सेना की ट्रेनिंग दुनिया के बड़े राष्ट्रों की सेनाओं की ट्रेनिंग से भिन्न नहीं है। भारतीय अफसर ब्रिटेन और अमरीका की सैनिक संस्थाओं में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। विलिंगटन का स्टाफ कालेज तीनों सर्विसों के लिए स्टाफ अफसर तैयार करता है।

अक्तूबर में पूना के पास खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। प्रधान मन्त्री ने इसका शिलान्यास किया था। इस पर ४,८७,००,००० रुपया व्यय होगा और तीनों सर्विसों के लिए आफीसर कैडेट तैयार करेगा। इसके पूर्ण होने में चूँकि चार वर्ष लगेंगे, इसलिए डेढ़ वर्ष से देहरादून में एक परीक्षणात्मक डिफेंस ऐकेडमी काम कर रही है।

राज्य सेनाओं का विलय

१ अप्रैल, १९४९ से भूतपूर्व रियासतों की सेनाओं का शासनात्मक नियन्त्रण भारतीय सेना ने अपने हाथ में ले लिया। इनको उसी स्तर पर लाया जा रहा है, जो स्तर भारतीय सेना का है। एक साल में उन्हें पूर्णरूप से भारतीय सेना में मिला दिया जायगा।

सैनिकों का चुनाव यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं

सैनिकों का चुनाव

के आधार पर किया जाता है। सैनिकों की भरती में लड़ाकू और गैरलड़ाकू जातियों का भेद हटा दिया गया है। कोई भी आदमी सेना में भरती हो सकता है, अगर वह शारीरिक और अन्य दृष्टियों से उसके योग्य हो।

फौज की सराहनीय सफलताएं

मुख्यतया भारत की सेना पर ही १५ अगस्त १६४७ के बाद भारत की राजनीति को शान्त और संतुलित रहने का उत्तरदायित्व रहा है। हमारी सेना ने अपने कर्तव्यों को बहुत शान से निभाया है। सर्वप्रथम उत्तरदायित्व शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकालने के सम्बन्ध में सेना पर पड़ा। इसके तुरन्त बाद ही सेना को काश्मीर में पाकिस्तानी हमलावरों के मुकाबले में डटना पड़ा। जिन फौजियों ने कभी पहाड़ भी नहीं देखे थे वह अब १० और १५ हजार फुट की बर्फीली ऊँचाइयों पर लड़ने लगे। इसके साथ ही हमारी फौज को काठियावाड़ के तटीय क्षेत्रों पर जूनागढ़ द्वारा पाकिस्तान में मिल जाने की घोषणा के बाद सतर्क खड़े रहना पड़ा। देश की दंगाग्रस्त स्थिति को सुधारने में फौज ने निष्पक्ष होकर सरकार का हाथ बंटाया। इसके बाद हैदराबाद की समस्या को हल करने का बड़ा काम फौज ने सम्पन्न किया।

इस वर्ष आसाम के भीषण भूकम्प पीड़ितों और काश्मीर व पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की स्थल व हवाई सेना ने जो सेवा की है उसे लोग कभी नहीं भूल सकेंगे। शान्तिकाल में भारतीय सेना की समाज सेवा भी प्रतिस्पर्धा की वस्तु है।

आज़ाद भारत की फौज ने देश की आजादी की जिस तरीके और संलग्नता से रक्षा की है, समूचा देश उसके लिए आभारी है। आजादी के दिन से अब तक हमारी फौज के सिपाही आराम की एक सांस भी लिये बिना विभिन्न मोरचों पर डटे रहे हैं।

फौजियों की वीरता की कार्रवाइयों को सार्वजनिक रूप में स्वीकार

वीरता के तमगे

करने के उद्देश्य से २६ जनवरी १९५० से तीन प्रकार के तमगे प्रदान करने की घोषणा की गई है। (१) 'परमवीर चक्र'—यह विक्टोरिया क्रास के बराबर है। (२) 'महावीर चक्र'—डी० एस० ओ० व ऐसे ही दूसरे तमगों के बराबर है। (३) 'वीर चक्र'—एम० सी० व इण्डियन डिफेंस सर्विसिज़ मेडल के बराबर है।

एक चौथा तमगा अशोक चक्र उनको दिया जाता है, जो दुश्मन के साथ लड़ाई में बहादुरी दिखाने के बजाय कानून व व्यवस्था कायम करने आदि में शौर्य दिखाते हैं।

राज्यों की प्रगति

इस अध्याय में सब राज्यों की भिन्न-भिन्न दिशाओं में प्रगति और उनके मन्त्रिमंडल आदि का वर्णन दिया गया है। जिन विषयों का इस अध्याय में वर्णन नहीं है उनके विषय में जानकारी के लिए तत्सम्बन्धी अध्याय देखिए।

आसाम

मन्त्रिमण्डल

मन्त्री	महकमे
१. श्री विष्णुराम मेधी	मुख्य मंत्री, गृह, परिवहन, नियुक्तियाँ, उद्योग, सहकारी संस्थाएं, प्रकाशन, वित्त, राजस्व तथा विधान विभाग।
२. श्री रेवरेण्ड जे० जे० एम० निकलसराय	चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चुंगी और जेल विभाग।
३. श्री रामनाथ दास	सार्वजनिक कार्य, विद्युत्, आदि।

४. श्री रूपनाथ ब्रह्मा	जंगलात, न्याय, रजिस्ट्रेशन तथा ग्राम विभाग।
५. मौ० अब्दुल मतलिब मजूमदार	स्थानीय स्वशासन, पशुचिकित्सा व पशु-विभाग
६. श्री अभियकुमार दास	खाद्य, कृषि, श्रम तथा पिछड़ी हुई जातियों व इलाकों के लिए हितकारी काम।
७. श्री मोतीराम बोशह	सहायता व पुनर्वास, सफ़ाई, अन्नप्राप्ति, उपभोक्ता द्रव्य, शिक्षा तथा अल्पसंख्यक समझौतों को कार्यान्वित करना।

राज्यपाल—श्री जयरामदास दौलतराम

बजट

इस वर्ष आसाम के बजट में ८७ लाख रुपयों का घाटा रहा। आय ६,०१,००,००० रुपये और व्यय ६,८८,००,००० रुपये कूता गया। इस घाटे को पूरा करने के लिए कोई नया कर नहीं लगाया गया। कुछ वर्तमान करों की मात्रा बढ़ा देने से ही ४१ लाख रुपये का घाटा पूरा कर लिया गया है।

कृषि-भूमि सुधार

कृषि तथा भूमि-सम्बन्धी सुधारों के क्षेत्र में इस वर्ष जमींदारियों पर राज्य द्वारा अधिकार करने का बिल (स्टेट एक्वीज़िशन आफ़ जमींदारीज़ बिल १९४८) हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। जमींदार काश्तकारों से लगान के रूप में जो अधिक अन्न लेते हैं, उससे उनकी रक्षा करने के लिए सब जिलों में १९४८ का अधिकांश प्रोटेक्शन एण्ड रेग्युलेशन एक्ट लागू किया गया। सरकार ने चाय बगीचों की फालतू भूमि को बाढ़पीड़ित भूमिहीन और शरणार्थी लोगों के पुनर्वास के लिए ले लिया। काकी के रिज़र्व जंगलात में ऐसे १७०७ व्यक्तियों को १९,६२० एकड़ जमीन दी गई।

व्यापार में सहकारी आन्दोलन ने इस वर्ष और भी उन्नति की। इन संस्थाओं की सदस्य-संख्या, पूंजी और व्यापार के परिमाण में

उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ९१ विद्यार्थियों को सहकारी कार्य में प्रशिक्षित किया गया। मोटर-यातायात का राष्ट्रीयकरण करने की नीति को सन् १९४९ में जोरहाट डिब्रूगढ़ सड़क पर भी लागू किया गया।

आसाम ग्रामीण पंचायत अधिनियम, १९४९ लागू किया गया। १५ पंचायतें स्थापित की गईं, किन्तु पैसे की कमी के कारण इस तरफ अधिक प्रगति नहीं की जा सकी।

आसाम में कबायली, हरिजन व पिछड़ी हुई जातियाँ काफी तादाद में हैं। इसलिए सरकार उन पर अर्थ व शिक्षा की दृष्टि से अधिक ध्यान दे रही है। इस विषय में संविधान की छठी अनुसूचि को कार्यान्वित किया गया। छः पहाड़ी जिलों के लिए एक अतिरिक्त सचिवालय स्थापित किया गया। उत्तरी सीमान्त एजेंसी में सीधे राज्यपाल के उत्तरदायित्व में एक उन्नति योजना जारी की गई है।

शरणार्थी पुनर्वास

आसाम में दो प्रकार के शरणार्थी हैं—पुराने और नये। पुराने शरणार्थियों को नवगाँव और दरंग में जमीनें दी गईं। इनको बसाने का काम अभी जारी ही था कि जनवरी-फरवरी में बंगाल में उपद्रव होने से शरणार्थियों की एक और बाढ़-सी आ गई। १,१०,००० मुसलमान पूर्वी बंगाल चले गए। शरणार्थियों पर ८½ लाख रुपया खर्च किया गया। केवल गोलपाड़ा जिले में ही ३३,००० हिन्दू और १७,००० मुसलमान शरणार्थी बसाये जा चुके हैं। लगभग ३ लाख शरणार्थी आसाम में आये, जिनमें से ५० हजार तो सरकार ने बसाये और इससे कहीं अधिक निजी तरीके से बसाये गए। किन्तु पूर्वी बंगाल के इन शरणार्थियों को बसाते-बसाते आसाम के लोग १५ अगस्त के भारी भूकम्प से स्वयं ही शरणार्थी बन गए। भूकम्प और बाढ़ से ऐसी तबाही मची कि हजारों लोगों के घर ढह गए; सैकड़ों बाढ़ में बह गए; रेलवे लाइनें और सड़कें टूट-फूट गईं; संक्षेप में आसाम का नक्शा ही बदल गया। स्वाधीनता-दिवस के दिन जब अन्यत्र लोग खुशियाँ मना रहे थे, आसाम के लोग आँसू बहा

रहे थे। आसाम पहले भारत के अन्य हिस्सों को चावल भेजता था। भूकम्प से वह खुद भिखारी बन गया। आसाम की सहायता के लिए सारे देश में ४० लाख से अधिक रुपया एकत्र हुआ, जिससे पीड़ितों की मदद की जा रही है।

उड़ीसा

मन्त्रिमण्डल

मन्त्री	महकमे
१. श्री नवकृष्ण चौधरी	मुख्यमंत्री, राहत व पुनर्वासन, वित्त, पुलिस, कृषि, सहकारी संस्थाएँ आदि
२. श्री नित्यानन्द कानूनगो	विधि, गृह व उद्योग
३. पं० लिंगराज मिश्र	शिक्षा व स्वास्थ्य
४. श्री लाल रणजीतसिंह बरिहा	कबीलों व ग्रामीणों का हित-करण
५. श्री सदाशिव त्रिपाठी	राजस्व, सप्लाई व परिवहन
६. श्री राजकृष्णवसु	सार्वजनिक कार्य और सिंचाई
७. श्री पवित्रमोहन प्रधान	वाणिज्य, श्रम व जनसम्पर्क

राज्यपाल—श्री आसफअली

रियासतों के मिलने से उड़ीसा की आर्थिक स्थिति को बड़ा धक्का

बजट पहुँचा। बजट में ७५,६५,००० रुपये का घाटा दिखाया गया। आय १०,६५,८१,००० रुपये और व्यय ११,४१,७६,००० रुपये कूता गया। कोई नया कर नहीं लगाया गया। वर्तमान करों से ही अधिक राजस्व प्राप्त करने और सरकार के खर्चों में कमी करने का निश्चय किया गया।

उड़ीसा में २८,४२,८६५ से अधिक आदिवासी हैं, जो राज्य की

पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति

कुल आबादी का २५·४८ प्रतिशत हैं। सरकार ने इनकी उन्नति के लिए अनेक कार्य किये, यथा नैवासिक (रेजिडेन्श्यल) स्कूल खोले; सेवाश्रम खोले; हितकारी कार्यों की ट्रेनिंग दी गई; बच्चों के रात्रि-स्कूल खोले गए, तथा बहुप्रचलित दवाएँ बांटी गईं। कबीलों से गैरकानूनी रूप से ली गई २००० एकड़ जमीन उन्हें वापस दिलाई गई। बहुत-से जंगलात आदिवासियों को खेती के लिए दे दिये गए। गोथी प्रथा, जिसमें गंजम और कोरापुट जातियों को बहुत कम पैसों पर काम करना पड़ता था, खतम कर दी गई।

शरणार्थी पुनर्वासन

उड़ीसा को पूर्वी बंगाल के २५,००० शरणार्थियों को बसाने के लिए कहा गया। इनमें से १३८२४ उड़ीसा पहुँच गए, जिन्हें कैम्पों में रखा गया। यहाँ पर कुछ समय तक उन्हें मुफ्त खाना दिया गया। बढ़ईगीरी, सीने-पिरोने व बुनाई के कार्य-केन्द्र खोले गए। छः जिलों में से प्रत्येक में सौ-सौ परिवारों तथा दो जिलों में ८५-८५ परिवारों को बसाने के लिए जमीन चुनी जा रही है। विस्थापित शिल्पियों को अपने-अपने अध्यवसायों में लगा दिया गया। सरकारी नौकरियों में उनके लिए आयु की सीमा में ढिलाई कर दी गई। विद्यार्थियों को शिक्षा-सम्बन्धी रियायतें तथा कैम्पों में चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान की गईं।

अन्य प्रवृत्तियां

हीराकुड और माचकुड में पानी से बिजली उत्पन्न करने की दो बड़ी योजनाएँ पूरी की जा रही हैं और अन्य चार स्थानों पर अतिरिक्त कारखाने खोले गए हैं।

जोबड़ा (जिला कटक) में सरकार ने एक कारखाना सात सौ किलोवाट का लगाया है। चौड़वार में एक कारखाना पांच हजार किलोवाट का बन रहा है।

बौध चर्मालय में पेड़ों की छाल से चमड़ा तैयार करने का काम सिखाया जाता है। यह महकमा छोटे पैमाने पर हड्डियों का चूरा, चरबी और गोंद तैयार करता है। प्राइवेट कारीगरों द्वारा लकड़ी और बेंत का फर्नीचर, गोटा, किनारी और तिलहन का काम आदि उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन के काम को संगठित करने का यत्न किया जा रहा है। जहां आवश्यकता होती है, वहां टैकनिकल और आर्थिक सहायता दी जाती है।

उत्तरप्रदेश

मन्त्रिमण्डल

मन्त्री	महकमे
१. पं० गोविन्दवल्लभ पन्त	मुख्य मंत्री, आम शासन, न्याय व सूचना
२. श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम	संचार साधन और सार्वजनिक कार्य
३. श्री सम्पूर्णानन्द	शिक्षा, वित्त व श्रम
४. श्री हुकुमसिंह	राजस्व व जंगलात
५. श्री निसार अहमद शेरवानी	कृषि व पशुपालन
६. श्री गिरधारीलाल	आबकारी व रजिस्ट्रेशन
७. श्री ए० जी० खेर	स्थानीय स्वशासन
८. श्री चन्द्रभानु गुप्त	सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य व सिविल सप्लाईज़
९. श्री लालबहादुर शास्त्री	पुलिस व परिवहन
१०. श्री केशवदेव मालवीय	उन्नति व उद्योग

राज्यपाल—श्री होमी मोदी

बजट

उत्तरप्रदेश के सन् १९४९–५० के बजट में १५ लाख रुपये की बचत दिखाई गई, किन्तु वस्तुतः केवल ३ लाख रुपये बचे। सन् १९५०–५१ के बजट

में आय ५२,२६,००,००० तथा व्यय ५२,२१,००,००० रुपये दिखाया गया। इस प्रकार ५ लाख रुपये की बचत दिखाई गई। बजट की मुख्य बातें ये थीं—खाद्य उत्पादन आन्दोलन को प्राथमिकता देना, शिक्षा को प्रथम स्थान देना, तीन और जिलों में सैनिक शिक्षा का विस्तार करना तथा १०-१२ जिलों में न्याय और शासन को पृथक् करना। सन् १९४५-४६ में ६·७७ करोड़ रुपये के बजाय १६·९८ करोड़ रुपये उन्नति योजनाओं पर खर्च करने का निश्चय किया गया।

मद्यनिषेध

उत्तरप्रदेश में पहले सन् १९४७ में मद्यनिषेध बदायूँ, एटा, फर्रुखाबाद, जौनपुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़ और सुलतानपुर में जारी किया गया; अगले वर्ष कानपुर और उन्नाव में भी जारी कर दिया गया। पिछले वर्ष फतहपुर और रायबरेली जिलों में भी दारुबन्दी की गई। हरद्वार, हृषिकेश तथा वृन्दावन तीर्थों में भी मद्य पीने की मनाही कर दी गई। गैर कानूनी रूप से शराब बनाने व बाहर से शराब के आगमन की रोकथाम करने की व्यवस्था की गई व शराब की लत को रोकने के लिए प्रचार किया गया।

स्वशासन व ग्रामोन्नति

उत्तरप्रदेश में १५ अगस्त, १९४९ को पंचायत-राज जारी किया गया। गांव वालों के हाथ में सत्तायें सौंपी गईं। छोटे-मोटे झगड़े ८,१०९ पंचायती अदालतों में निबटाये गए। ये पंचायतें ग्राम परिषदों से, जिनमें गांव के सब वयस्क आदमियों का प्रतिनिधित्व होता है, सत्ता प्राप्त करती हैं और अन्ततोगत्वा गांव के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं।

इस वर्ष सरकार ने प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में एक के हिसाब से २०७ नमूने की ग्राम-परिषदें स्थापित कीं। प्रत्येक ग्राम-परिषद के लिए एक १६ सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम बनाया गया। एक पंचायत

घर भी स्थापित करने का इन्तजाम किया गया, जिसमें एक वाचनालय एक पुस्तकालय तथा दैनिक प्रयोग की दवाइयां होंगी। एक पाक्षिक पत्र भी निकालने का निश्चय किया गया, जिसे प्रत्येक ग्राम-परिषद् और प्रत्येक पंचायती अदालत को खरीदना लाज़मी होगा। सरकार की पंचायत योजना सन्तोषजनक और सफल रही। देहरादून की एक पंचायत ने ४ मील लम्बी नहर निकाल कर अपनी मदद अपने आप करने का एक सुन्दर उदाहरण सामने रखा। यह नहर २००० एकड़ जमीन को सींचती है।

उत्तरप्रदेश की सरकार ने इटावा जिले में एक प्रमुख उन्नति योजना प्रारम्भ कर ग्रामीण-पुनर्निर्माण की समस्या को एक नये सिरे से हल करने का प्रयत्न किया। यह परीक्षण ६७ गांवों के एक लाख लोगों पर किया गया। गांव वालों के मानसिक कल्याण व उन्हें दुनियादारी की चीजें मुहैया करने का प्रयत्न किया गया। खेती व पशुपालन के तरीकों में उन्नति करना सिखाया गया; सार्वजनिक स्वास्थ्य व शिक्षा की योजना जारी की गई। इलाकों में विद्यमान ग्रामोद्योगों को उन्नत करने का प्रयत्न किया गया। इटावा की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने इस योजना को गोरखपुर और देवरिया जिलों में भी कार्यान्वित किया। सहकारी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दिया गया। सहकारी संस्थाओं की संख्या सन् १९४६ में २१८७५ से बढ़कर १९५० में ३७,१०० हो गई जिनके २५ लाख से अधिक सदस्य थे।

पिछड़े हुए लोगों की उन्नति

पिछड़े हुए लोगों की उन्नति करने पर उत्तरप्रदेश की सरकार का सदा विशेष ध्यान रहा है। सन् १९४५-४६ में इस मद में सिर्फ ६,७०,००० रुपया खर्च किया गया। यह राशि इसके बाद से बराबर बढ़ रही है। इस वर्ष कालेजों और टैकनिकल स्कूलों में हरिजन छात्रों को १५७ नई छात्रवृत्तियां दी गईं। पाठ्य पुस्तकों व पढ़ाई-लिखाई के सामान पर २१,००० रुपये अधिक खर्च

किये गए। हरिजनों के लिए एक टैकनिकल ट्रेनिंग केन्द्र खोला गया, जिसमें छोटी-छोटी दस्तकारियों व उद्योगों की शिक्षा दी जाती है। अपराध करने की अभ्यस्त जातियों के विषय में सरकार सन् १६२४ के कानून के स्थान पर एक नया कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

हरिजनों व पिछड़े हुए वर्गों पर समाज की परम्परागत पाबन्दियों को दूर किया जा रहा है। राज्य में एक हरिजन सेवक बोर्ड की स्थापना की गई है, और जिलों में हरिजन सहायक एसोसियेशनों की स्थापना की गई है, जिनका काम पिछड़े हुए वर्गों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान में सहायता करना है। प्रत्येक जिले में हरिजन हितकारी सुपरवाइज़र नियुक्त किये गए जो हरिजनों के हित के कामों में सामञ्जस्य स्थापित करते हैं।

सड़कों के निर्माण की योजनाओं में इस वर्ष अच्छी प्रगति की गई।

परिवहन

राष्ट्रीकृत परिवहन संगठन ने भी अच्छी प्रगति की। २०० मार्गों पर १२५० बसें चल रही हैं। इनके अतिरिक्त गवर्नमेंट रोडवेज़ के पास ५६४ ट्रक और टैक्सीकैब हैं। प्रादेशिक कारखाने स्थापित करने में तथा कानपुर के केन्द्रीय कारखाने को उन्नत करने के विशेष प्रयत्न किये गए। सब मार्गों पर सर्विस स्टेशन व डिपो भी बनाये गए।

श्रम सम्बन्ध

उत्तरप्रदेश में औद्योगिक झगड़ों तथा औद्योगिक अशान्ति को दूर करने के प्रश्न को विशेष महत्व दिया गया। काम-समितियां स्थापित करने की योजना ने अच्छी प्रगति की, जिसके फलस्वरूप अधिकांश झगड़े आपस की बातचीत से ही तय हो गए, और उन्हें समझौता बोर्डों को नहीं भेजना पड़ा। सन् १६४८ में १४८ काम-समितियां थीं। सन् १६४६ में उनकी संख्या १६१ हो गई। इस वर्ष इन समितियों के पास ६८४२ झगड़े आये जिनमें से केवल ६५६ समझौता बोर्डों को भेजने पड़े। ४ औद्यो-

गिक अदालतों में इस वर्ष १९९ केस गये, जबकि पिछले वर्ष २४८ गए थे।

आर्थिक तंगी के कारण कारखानों में छंटनी करनी पड़ी, जिससे सरकार के सामने एक विषम समस्या खड़ी हो गई। इसका मुकाबला करने के लिए सरकार ने उनको अन्य कामों में खपाया है। मजदूरों के लिए हितकारी कामों पर भी अधिक ध्यान दिया गया। विभिन्न औद्योगिक शहरों में ३३ हितकारी केन्द्र काम कर रहे हैं। इन केन्द्रों में मुख्यतः चिकित्सा और मनोरञ्जन की सुविधाएँ दी जाती हैं। कानपुर में मजदूरों के लिए एक तपेदिक का अस्पताल बनाने के हेतु सरकार ने ५०,००० रुपये दिये। गृह निर्माण के कार्य में सरकार इस वर्ष कोई प्रगति नहीं कर सकी। चीनी उद्योग में कर्मचारियों के वेतन का स्टैण्डर्ड कायम करने की योजना के लिए एक स्टैण्डर्डाइजेशन कमेटी स्थापित की गई। सरकार कपड़ा उद्योग में भी स्टैण्डर्डाइजेशन की सम्भावना पर विचार कर रही है। कपड़ा, विद्युत् व अन्य उद्योगों में न्यूनतम वेतन निर्धारित किये गए। महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने के लिए सरकारी स्तर पर त्रिवर्गीय सम्मेलन किये गए, जिनसे मजदूरों, मिलमालिकों व सरकार में अच्छे सम्बन्ध कायम करने में मदद मिली।

शरणार्थी पुनर्वासन

उत्तरप्रदेश में ४,२१,२४० शरणार्थी हैं। कैम्पों में धीरे-धीरे शरणार्थियों की संख्या घटाई गई। सितम्बर, १९४९ के बाद से केवल अनाथ स्त्रियों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। गंगा खादर और तराई में शरणार्थियों की बस्तियां बसाने की योजना ने अच्छी प्रगति की। अप्रैल १९५० तक गंगा खादर में ९१८ परिवारों को २१८० एकड़ जमीन, और तराई में ४०८ परिवारों को ५००० एकड़ जमीन दी गई। इन पर २,६२५ शरणार्थी बस जायंगे। लखनऊ, देहरादून, मेरठ, इलाहाबाद में औद्योगिक बस्तियों की योजना प्रगति कर रही है। मोदी नगर में एक शहर बनाया जा रहा है। मेरठ में खेल-उद्योग स्थापित

किया गया है। पी० डब्ल्यू० डी० ने ३,८४७ ऐसे मकान किराये पर देने के लिए बनाये हैं, जो घर और दुकान दोनों का काम करते हैं। कानपुर के उन्नति बोर्ड ने और इलाहाबाद के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने क्रमशः १२०० और ८० क्वार्टर बनवाये। घर व दुकानों के निर्माण के लिए स्थानीय संस्थाओं को ५० लाख रुपये के ऋण दिये गए। शरणार्थी बच्चों की शिक्षा के लिए अनेक प्राइमरी और अपर स्कूल खोले गए। विद्यार्थियों, व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को ऋण दिये गए। मार्च, १९५० तक उनको ८२,४०,४४५ रुपये और खेतिहरों को ६,१७,१९० रुपये ऋण में दिये गए। शरणार्थियों को सरकारी नौकरियों में भी खपाया गया।

भूमि-सुधार

उत्तर प्रदेश की सरकार ने १९४८ में जमींदारी समाप्त करने के सम्बन्ध में जमींदारी उन्मूलन व भूमि-सुधार बिल विधान सभा में पेश किया। इस बिल का उद्देश्य ऐसी सरल तथा सर्वत्र एक-सी नवीन भूमि पद्धति को आरम्भ करना है, जिसमें स्वशासनकारी ग्राम पंचायतों के विकास के साथ-साथ किसानों को मालिक बनाने की सब अच्छी बातें शामिल होंगी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जमीन के संबन्ध में बिचवालियों के सब अधिकारों को उन्हें मुआवजा देकर उनसे ले लिया जायगा। आर्थिक और कानूनी कठिनाइयों को हल करने के लिए काश्तकारों से कहा गया है कि वे अपने वार्षिक लगान का १० गुना मूल्य स्वेच्छापूर्वक अदा कर दें। जो काश्तकार यह मूल्य अदा कर देंगे वे भूमिधर कहलायेंगे और उन्हें अपनी जमीनें बेचने-खरीदने का और वर्तमान लगान का केवल आधा अदा करने का अधिकार प्राप्त हो जायगा। इस अदायगी का संग्रह २ अक्तूबर, १९४९ से प्रारम्भ किया गया। जो काश्तकार यह १० गुना लगान नहीं देंगे वे सीरदार कहलायेंगे। उन्हें अपनी भूमियों पर अस्थायी वंश परम्परागत अधिकार रहेगा।

जमीदारी उन्मूलन बिल लम्बी बहस के बाद १६ जनवरी, १९५१

को पास हो गया और २४ जनवरी, १९५१ को राष्ट्रपति ने उसे लागू करने की स्वीकृति दे दी।

अन्य कार्य

जर्मन विशेषज्ञों के एक दल को नौकर रखा गया है और उन्होंने लखनऊ की टैकनिकल इन्स्टिट्यूट की इमारतों में एक छोटा-सा कारखाना शुरू किया है। पीपरी में सीमेंट का कारखाना खोलने के लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है और आवश्यक यन्त्रों का आर्डर दिया गया है। उद्योग विभाग गृहोद्योगों को उत्साहित करने के लिए बहुत काम कर रहा है।

सरकार की दीर्घकालीन योजना यह है कि बिजली के लगे हुए कारखानों की क्षमता १॥ लाख किलोवाट से बढ़ाकर १० लाख किलोवाट कर दी जाय।

पश्चिमी बंगाल

मंत्रिमंडल

मंत्री	महकमे
१. डा० विधानचन्द राय	मुख्य मंत्री, गृह, चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य
२. श्री नलिनीरंजन सरकार	वित्त, वाणिज्य व उद्योग
३. श्री राय हरेन्द्रनाथ चौधरी	शिक्षा
४. श्री जे० एन० पंजा	स्थानीय स्वशासन
५. श्री पी० सी० सेन	खाद्य, कृषि व पशु चिकित्सा आदि
६. श्री निकुञ्जबिहारी मैती	सप्लाई
७. श्री विमलचन्द्र सिन्हा	राजस्व, कार्य व इमारतें
८. श्री नीहारेन्दु दत्त मजूमदार	न्याय, विधि व पिछड़े हुए लोग
९. श्री कालीपद मुखर्जी	श्रम
१०. श्री भूपति मजूमदार	सिंचाई व जलमार्ग

११. श्री हेमचन्द्र नास्कर	जंगलात व मछलीपालन
१२. श्री श्यामाप्रसाद वर्मन	आबकारी
१३. डा० आर० अहमद	सहकारिता, ऋण, राहत व पुनर्वासन।

राज्यपाल—डा० कैलाशनाथ काटजू

बजट

पश्चिमी बंगाल का बजट घाटे का बजट रहा। ३३,६०,००,००० रुपये की आय और ३४,२३,००,००० रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया। इस प्रकार १,३३,००,००० रुपये का घाटा दिखाया गया। घाटे की पूर्ति के लिए न तो कोई नया कर लगाया गया और न ऋण लेने की व्यवस्था की गई। बजट में से ४६१ लाख रुपया दामोदर वैली प्रॉजेक्ट पर, २०० लाख रुपया मयूराक्षी प्रॉजेक्ट पर तथा २५४ लाख रुपया सड़कों की उन्नति पर खर्च करने का निश्चय किया गया।

स्वशासन और ग्रामोन्नति

पश्चिमी बंगाल में इस वर्ष ३५ पंचायतें स्थापित की गईं। १९५०-५१ में ५०० पंचायतें स्थापित करने की योजना बनाई गई। ये पंचायतें वयस्क-शिक्षा, सड़कों का निर्माण तथा तालाब आदि खोदने का काम करेंगी। सरकार ने जाँच कमीशन की सिफारिशों पर कलकत्ता कार्पोरेशन के संविधान में वाञ्छित परिवर्तन करने तथा शीघ्र चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाये।

सहकारी संस्थाओं की संख्या ५० से १५०० हो गई। सरकार ने इन संस्थाओं को १,२०,००० रुपये दिये। २१ संस्थाओं को जिलों में अन्न-प्राप्ति की एजेंट नियुक्त किया गया। उन्हें १०,६३,००० रुपये व्यापारिक ऋणों के लिए तथा २,६७,००० रुपये घर बनाने के लिए ऋण दिये गए। सरकार ने गृह-उद्योगों, बुनकरों की सहकारी संस्थाओं, ऊन की सहकारी संस्थाओं तथा शरणार्थियों की शिल्पी सहकारी संस्थाओं को ऋण देकर सहायता दी।

इस वर्ष सरकार ने आदिवासियों और पिछड़े हुए लोगों की सामा-

पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति

जिक तथा आर्थिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया। पश्चिमी बंगाल में सन् १९४१ की जनगणना के अनुसार १३,५६,३०० कबीले अर्थात् कुल आबादी के ६·४ प्रतिशत थे। जून १९४९ में इनकी उन्नति के लिए एक अलग महकमा स्थापित किया गया। पिछड़े हुए वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नति के लिए सरकार ने एक सर्वाङ्गीण कार्यक्रम तैयार किया, जिसे कार्यान्वित करने के लिए एक अलग मन्त्रालय स्थापित किया गया।

इन लोगों में शिक्षा-विस्तार के लिए ११,५८,००० रुपये दिये गए और उस खर्च से मुफ्त प्राइमरी स्कूल खोले गए तथा योग्य व गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गईं। अनेक समाज-शिक्षा-केन्द्र स्थापित किये गए। ग्रामोद्योगों तथा हलों, बैल व बीज आदि के लिए ऋण दिये गए। इन लोगों को पुलिस और सेना में तथा सरकारी नौकरियों में भरती होने की अधिक सुविधाएं प्रदान की गईं। विशेष मंत्रालय ने सामाजिक पाबन्दियां दूर करने की तरफ विशेष ध्यान दिया।

परिवहन

पश्चिमी बंगाल में सड़कों की उन्नति की पञ्चवर्षीय योजना है, जिसके अन्तर्गत २७ करोड़ की लागत से २२०० मील सड़कों का निर्माण व सुधार किया जायगा। इस वर्ष स्थानीय संस्थाओं की ५०० मील लम्बी सड़कों की ११·२८ लाख रुपयों की लागत से मरम्मत की गई। कलकत्ता की राजकीय बस सर्विस ने तीव्र प्रगति की।

श्रम-सम्बन्ध

पश्चिमी बंगाल में श्रम-सम्बन्धों में विशेष सुधार हुआ; कम झगड़े हुए, कम तालाबन्दियां हुईं और कम मनुष्य-दिवस खोये गए। समझौता बोर्डों ने १७५ फैसले दिए। इस वर्ष १९२ वर्क्स कमेटियां तथा २५६ ट्रेडयूनियन काम कर रहे थे। कर्मचारियों को प्रारम्भिक शिक्षा, मनोरंजन व चिकित्सा की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए १७ हितकारी केन्द्र चलाये

जा रहे हैं। वेतन अदायगी अधिनियम चाय के बगीचों पर भी लागू किया गया।

भूमि-सुधार

जमीन के मालिकों तथा बर्गादारों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पश्चिमी बंगाल बर्गादार्स अधिनियम पास किया गया। इसके अनुसार उत्पादित द्रव्य को सहयोगात्मक सिद्धान्त और न्यायपूर्ण आधार पर बांटा जाता है। इसमें बर्गादार के जमीन जोतते रहने का अधिकार स्वीकार किया गया है। जमीनों के मालिक जब मरजी हो, तब बर्गादारों को हटा नहीं सकते। झगड़ों को तय करने के लिए एक समझौता बोर्ड स्थापित किया गया है। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने वेस्ट बंगाल प्रेमिसिज़ रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट, १९५० पास करके किसानों को पर्याप्त संरक्षण दिया और किसानों व जमींदारों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की व्यवस्था की।

शरणार्थी पुनर्वासन

पश्चिमी बंगाल में शरणार्थी पुनर्वासन विभाग ने विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल से आये हुए १५ लाख शरणार्थियों की देखभाल जारी रखी। दिसम्बर १९४९ में सब कैम्प बंद कर दिये गए थे और केवल अपंग लोगों व अनाथ स्त्री-बच्चों की देखभाल की जाती रही। किन्तु जनवरी, १९५० से पूर्वी बंगाल में फिर उपद्रव होने से शरणार्थियों की एक नई बाढ़ आई और जुलाई तक १८ लाख शरणार्थी और आ चुके थे। इनको तुरन्त संभालने का काम बड़ी तत्परता से किया गया। शरणार्थी कैम्पों के लिए सैनिक छावनियां हस्तगत की गईं और उनके लिए अस्थायी घर बनाये गए। इस समय २५ कैम्प पश्चिमी बंगाल की सरकार के नियन्त्रण में हैं। इनमें १,७०,००० शरणार्थी हैं। ३५,००० शरणार्थी बंगाल से बाहर के स्थानों पर भेजे गए। ३५,००० राणाघाट कैम्प में हैं, १,२६,६४९ आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। जुलाई, १९५० के मध्य तक पुनर्वासन पर ५ करोड़ रुपया खर्च किया गया।

शरणार्थी नगरों में ४००० मकान बनाने की योजना है, जिनमें से १००० बनाये जा चुके हैं। गांवों में ४००० कच्चे घर बनाने की भी योजना है, जिनमें से २,५०० बनाये जा चुके हैं। मुसलमानों द्वारा ३५,००० एकड़ छोड़ी गई सिंचाई योग्य जमीन को पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों ने जोता। उनको फसल में हिस्सेदारी के आधार पर हल, पशु, औजार खाद व बीज मुहैया किये गए; हाथकरघे स्थापित किये गए। स्त्रियों के काम के केन्द्र भी स्थापित किये गए।

अन्य कार्य

इस वर्ष कलकत्ता में राजकीय बस सर्विस आरम्भ की गई। बसों की मरम्मत आदि के लिए दो पूर्णतया सज्जित कारखाने भी खोले गए।

कलकत्ता के उत्तर में ७५० वर्गमील के इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती बिजली पहुँचाने के लिए उत्तरी कलकत्ता देहाती बिजली योजना बनाई गई थी। उसने सन्तोषजनक उन्नति की। दक्षिणी और पूर्वी कलकत्ता बिजली योजनाएँ क्रमशः ४०० और ५६० वर्गमील में देहाती क्षेत्रों में सस्ती बिजली पहुँचाने के लिए बनाई गई हैं। राज्य में २६ महत्वपूर्ण म्युनिसिपल इलाकों को प्राइवेट कम्पनियों द्वारा बिजली देने के लिए आवश्यक उपाय किये गए।

वर्तमान वस्त्रमिलों का सुधार करने के लिए और १५ नई मिलें खोलने के लिए ३,२०,००० तकुए बांटे गए।

राज्य में इस समय १,७०,८५७ टन नमक की कमी रहती है। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने कौन्टाई के समुद्र तट पर नमक का एक आधुनिक कारखाना खोलने की योजना बनाई है। अन्दाजा है कि उसमें १,९६,००० टन नमक बन सकेगा।

बिजली से कलई करने, चमड़ा कमाने, अर्क खींचने, रासायनिक उद्योगों, चीनी के बर्तन और खपरैल बनाने और फीते, बटन और बिस्कुट बनाने आदि के उद्योगों को २,९३,३७५ रुपये की आर्थिक सहा-

यता दी गई। २१ औद्योगिक संस्थाओं को ३,३३,८३१ रुपये की सहायता दी गई।

रेशम के व्यवसाय को राज्य और केन्द्र दोनों सरकारों की ओर से सहायता देकर विशेषरुप से प्रोत्साहित किया गया।

खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने एक स्वतन्त्र खादी-बोर्ड का संगठन किया है। इस वर्ष ३६६२ कार्यकर्ताओं को सुशिक्षित करके २३८ गांवों में भेजा गया।

पंजाब

मंत्रिमण्डल

मंत्री	महकमे
१. डा० गोपीचन्द भार्गव	मुख्य मंत्री, आम शासन, कानून व व्यवस्था, वित्त तथा सिंचाई, चिकित्सा व स्वास्थ्य, आबकारी व टैक्स
२. श्री पृथ्वीसिंह आज़ाद	श्रम
३. सरदार ईशरसिंह मझैल	पुनर्वासन, सिविल सप्लाईज़ और उद्योग
४. स० नरोत्तमसिंह	शिक्षा, उन्नति, सहकारी संस्थाएँ
५. ज्ञानी कर्तार सिंह	भूराजस्व, व परिवहन
६. कप्तान रणजीतसिंह	सार्वजनिक कार्य, विद्युत्, स्थानीय स्वशासन

राज्यपाल—श्री चन्दूलाल त्रिवेदी

पंजाब में ४ लाख रुपये की स्वच्छ बचत का बजट दिखाया गया।

बजट

आय १६,१८,००,००० रुपये और व्यय १६,१४,००,००० रुपये कूता गया। इसमें से १,८०,००,००० रुपये खाद्य उत्पादन आन्दोलन के लिए प्रदान किये गए, जबकि पिछले साल १,४८,००,००० रुपये प्रदान किये गए थे।

मार्च में अर्धस्थायी आधार पर जमीनों का अलाटमेंट पूरा हो गया। १०५० शरणार्थियों को बाग के लिए २२,००० एकड़ जमीन दी गई। सरकार को शहरी शरणार्थियों को बसाने में मुख्य कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस श्रेणी के मुस्लिम निष्क्रान्तों और शरणार्थियों की हैसियत में बड़ा फर्क था। तो भी जब अक्तूबर १९५० में राहत कैम्प खतम कर दिये गए, तो कैम्प के लोगों को लाभकारी काम दिलाने के लिए काम-केन्द्र खोले गए। इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने ५० लाख रुपया ऋण दिया। २७ लाख रुपया राज्य की सरकार ने शरणार्थियों को घर बनाने के लिए दिया। ४००० घर तथा ६,८०० प्लाट किश्तों में अदायगी के आधार पर प्रदान किये गए। नये शहरों में कारखानों के लिए उद्योगपतियों को १०४२ प्लाट दिये गए। ५ कारखाने बन रहे हैं। पुनर्वासन वित्त प्रशासन ने कारखानों के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपया देना तय किया है। मध्यम श्रेणी के लोगों को ऋण, विधवाओं को ग्रान्ट तथा विद्यार्थियों को रियायतें दी गईं।

शरणार्थी पुनर्वासन

गत दो वर्षों में कारखानों की संख्या ५४७ से बढ़कर ८०० हो गई। लगभग २६० नई कम्पनियाँ ८ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से संगठित की गईं और १३३९ फार्मों की भारतीय साझेदारी कानून के अनुसार रजिस्ट्री हुई।

अन्य कार्य

सरकार ने राज्य में काम के कोई नये केन्द्र खोलने का निश्चय किया है और १० नगरों में शेड बनाये जा चुके हैं। ४ लाख रुपये कच्चा सामान खरीदने पर खर्च किये जा चुके हैं। २५११ आदमियों को काम पर लगाया जा चुका है। ६५० आदमी काम सीख रहे हैं। इनके अतिरिक्त उद्योग विभाग ने १० केन्द्र और १८ उपकेन्द्र कपास कातने और बुनने के लिए और ४ केन्द्र तथा २ उपकेन्द्र ऊन कातने और

बुनने के लिए खोले हैं। इन केन्द्रों में १५,३५५ व्यक्तियों को कातने और १५६१ व्यक्तियों को बुनने का काम दिया गया है।

पंजाब औद्योगिक झगड़ों से मुक्त रहा। सरकार ने हाल में ६७ कारखानों में से ४६ में वर्क्स कमेटियाँ संगठित करने का निश्चय किया है।

बम्बई

मंत्रिमण्डल

मंत्री	महकमे
१. श्री बी० जी० खेर	मुख्य मन्त्री, राजनीतिक सर्विस और शिक्षा
२. श्री मुरारजी देसाई	गृह और राजस्व
३. श्री एम० डी०डी० गिल्डर	स्वास्थ्य
४. श्री दिनकरराव एन० देसाई	भूमि और सिविल सप्लाइज़
५. श्री वी० एल० मेहता	वित्त, सहकारी संस्थायें तथा ग्रामोद्योग
६. श्री एल० एम० पाटिल	आबकारी व पुनर्निर्माण
७. श्री एम० पी० पाटिल	जंगलात व कृषि
८. श्री जी० डी० बर्टक	स्थानीय स्वशासन
९. श्री जी० डी० तापसे	पुनर्वास, मछलीघर व पिछड़े हुए वर्ग
१०. डा० जीवराज एन० मेहता	सार्वजनिक कार्य व गृह-निर्माण
११. श्री एम० एम० नायक निम्बालकर	उद्योग व श्रम

राज्यपाल—श्री महाराजसिंह

बजट

इस वर्ष बम्बई के बजट में १,९८,००० रुपये की थोड़ी सी बचत दिखाई गई। आय का अनुमान ६१,३९,०६-००० रुपये तथा व्यय का अनुमान ६१,३७,-०८,००० रुपये रहा। यह बचत सरकार के

बचत आंदोलन के फलस्वरूप हुई है। सरकार ने ४॥ करोड़ रुपये की बचत करने का निश्चय किया।

मद्य-निषेध

अप्रैल, १९५० से समस्त बम्बई में पूर्णरूप से मद्य-निषेध लागू कर दिया गया है। मद्य-निषेध कानून को लागू करने के लिए जिलों में मद्य-निषेध समितियां तथा मद्य-निषेध होमगार्ड स्थापित किये गए हैं। सरकार ने इस विषय में अच्छी प्रगति की है।

स्वशासन व ग्रामोन्नति

सरकार ने १००० या इससे अधिक आबादी के प्रत्येक गांव में एक पंचायत स्थापित करने का निश्चय किया है। ऐसी ३,५०० पंचायतें स्थापित की जा चुकी हैं। पूना तथा अहमदाबाद में कार्पोरेशन बना दिये गए हैं। बृहत्तर बम्बई की योजना को कार्यान्वित किया गया।

गांवों में मार्च १९५० तक ५९१ औद्योगिक सहकारी संस्थायें स्थापित कर बम्बई की सरकार ने मछलीपालन, मधुमक्खी पालन, तेल की घानी, गन्ना व बांस के कामों, तथा चमड़े व चमड़े की रंगाई आदि के कामों में सहायता दी। ५ सालों में ११२ कृषि समाज स्थापित करने की भी योजना बनाई गई। १३ जिलों में सर्वोदय की योजना जारी की गई।

पिछड़े हुए लोगों की उन्नति

अछूतपन को दूर करने के लिए बम्बई में २५ सितम्बर १९४९ को हरिजन दिवस मनाया गया। जो राज्य बम्बई में मिले हैं, उनमें पिछड़े हुए लोग बहुत थे। उनके मिलने से नई कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। इन इलाकों के पिछड़े हुए लोगों की दशा पर रिपोर्ट पेश करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। सैकण्डरी स्कूलों में छात्र वृत्तियों की संख्या २७० से बढ़ाकर ३४२ कर दी गई।

बम्बई पहला राज्य है, जिसमें ऐसा राज्य परिवहन कार्पोरेशन

परिवहन

कायम किया गया है, जिसको केन्द्र व बम्बई की सरकार दोनों पैसा देती हैं। दोनों सरकारों ने यह तय किया है कि डिविडेण्ड केवल ५ प्रतिशत दिया जाय और शेष मुनाफे को, मुसाफिरों को अधिक सुविधायें प्रदान करने, कर्मचारियों के हित के कामों में, तथा सड़कों की उन्नति के लिए खर्च किया जाय।

छोटे व बड़े पैमाने दोनों प्रकार के उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने एक औद्योगिक क्रेडिट कार्पोरेशन स्थापित करने का निश्चय किया है।

श्रम

मजदूरों के कार्य की अवस्थाओं, काम की हिफाज़त तथा उनके अधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की गई। सन् १९४९ के अन्त में बम्बई में ७०५४ कारखाने थे, जिनमें ७,८९,४६३ कर्मचारी काम कर रहे थे, जबकि उससे पिछले साल ५२५४ कारखानों में में ७,३७,४६० कर्मचारी काम कर रहे थे। ७१४ ट्रेड यूनियनों और उनके सदस्यों की ५,९६,५९९ संख्या बढ़कर क्रमशः ८२० और ६,७६,६०२ हो गई। सन् १९४८ में १८,१०,७९३ मनुष्य-दिवसों का नुकसान हुआ, और सन् १९४९ में १७,८५,५८५ मनुष्य दिवसों का नुकसान हुआ किन्तु सन् १९५० के अगस्त-सितम्बर मास में बम्बई की लगभग सभी कपड़ा-मिलों में २ मास तक हड़ताल रहने से काफी क्षति हुई। मजदूरों, मिल-मालिकों तथा उपभोक्ताओं के श्रम सलाहकार बोर्ड ने बेकारी, मिलों के बन्द होने आदि अनेक समस्याओं के समाधान में मदद दी। सन् १९४९ में ५६ श्रमिक हितकारी केन्द्र थे। ऐसे १४ और केन्द्र स्थापित किये गए हैं।

कृषि सुधार

सन् १९४९ में रैयतों के कारतकारी अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक कानून पास किये गए, और उनसे विविध प्रकार के ऐसे जमीन-मालिकों के विशेषाधि-

कर दिये गए, जिन्होंने जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर अब इन इलाकों में काश्त की एक-सी पद्धति जारी कर दी ानों तथा कुलकर्णी वतनों को समाप्त करने के लिए भी ार किया गया है।

र्थियों के पुनर्वासन में काफी प्रगति की गई। जनवरी १९५० में २६२१७ व्यक्ति मुफ्त राशन ले रहे थे, जबकि जनवरी १९४९ में इनकी संख्या २,०७,८६८ थी। १४०० से अधिक परिवारों को भूमि के साया गया। कल्याण में ५ लाख की लागत से अनेक ी ट्रेनिंग का स्कूल खोला गया। एक विशेष काम-दिलाऊ ़जारों को काम दिया गया और हजारों को सरकार ने ों में खपा लिया। २० प्रतिशत नौकरियां शरणार्थियों के । शरणार्थियों के लिए जगह-जगह नये शहर बनाये गए। बनाये गए।

नर्वासन

यार करने और वितरण करने की ग्रिड योजना के अनुसार सरकार ने पेंगुवरला, रत्नागिरि और चिपलून नगरों को बिजली दी। सरकार ने सहकारी गृह-निर्माण समाज को औद्योगिक सहायता देने आरम्भ किया है। इस वर्ष ५३४४ मकान बन चुके र हो रहे हैं। पार्क और उद्यान लगाने वाला विभाग ार्क का विकास कर रहा है। जंगल विभाग ने इस गाने का काम किया। प्लाईवुड बनाने, लकड़ियों से ौर लाख तैयार करने आदि जंगल के उद्योगों को प्रोत्सा-

में राज्य में सब प्रकार की सहकारी संस्थाओं की संख्या इस वर्ष तक बढ़कर ८२३५ हो गई। इन सहकारी

संस्थाओं के जरिये कपड़े, नमक, चीनी तथा कुछ इलाकों में अन्न आदि नियन्त्रित वस्तुएँ भी वितरित की गईं। फरवरी १९५० में सहकारी संस्थाओं की संख्या ५५२५ और इनके सदस्यों की संख्या १,६४,५२९ थी।

गृह उद्योगों को अधिक आर्थिक सहायता देने का अधिनियम पास किया गया। एक खादी उत्पादन योजना स्वीकार की गई, और खादी समिति के लिए १२ लाख रुपये मंजूर किये गए। सरकार ने १० हजार एकड़ निजी जंगलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया।

बिहार

मंत्रिमण्डल

मंत्री	महकमे
१. श्री कृष्णसिंह	मुख्यमंत्री, गृहमंत्री
२. श्री अनुग्रहनारायणसिंह	वित्त, श्रम, सप्लाई तथा मूल्य नियन्त्रण
३. डा० सैयद महमूद	उन्नति और परिवहन
४. श्री जगलाल चौधरी	सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा हरिजन कल्याण
५. श्री रामचरित्रसिंह	सिंचाई, विद्युत् और विधान
६. आचार्य बद्रीनाथ वर्मा	शिक्षा व सूचना
७. श्री कृष्णवल्लभसहाय	राजस्व, जंगलात व चुंगी
८. श्री विनोदानन्द झा	स्थानीय स्वशासन व चिकित्सा
९. श्री अब्दुलकय्यूम अंसारी	सार्वजनिक कार्य तथा गृह-उद्योग

राज्यपाल—श्री एम० एस० अणे

इस वर्ष बिहार के बजट में ३७ लाख रुपये का घाटा दिखाया गया।

बजट आय २५,९०,००,००० रुपये तथा व्यय २६,-२७,००,००० रुपये कूता गया। इस घाटे को

मोटरों तथा ट्रकों से ढोये जानेवाले मुसाफिरों व माल के किराये तथा भाड़े पर दो आना प्रति रुपया टैक्स लगाकर पूरा करने की आशा की गई है।

स्वशासन तथा ग्रामोन्नति

पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया। पिछले दो वर्षों में १८६५ पंचायतें संगठित की गईं, जिनमें से ३६५ में चुनाव कराये जा चुके हैं। वर्तमान म्युनिसिपल ऐक्टों को बिलकुल बदल डालने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। म्युनिसिपैलिटियों को पानी की सप्लाई, नाली प्रणाली आदि सुधारों तथा सड़कों की मरम्मत व हरिजनों के वास्ते घर बनाने के लिए काफी आर्थिक सहायता दी गई।

पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति

पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति के लिए विशेष कार्यों पर ७५ लाख रुपये व्यय किये गए। उनको महाजनों के शोषण से बचाने की योजना जारी रखी गई। १०० कालेज छात्रवृत्तियां तथा १५६५ स्कूल छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इनके लिए १२ होस्टल बनाये गए तथा ३५ किराये पर लिये गए। पिछड़ी हुई जातियों के इलाकों में बहुत-से स्कूल खोले गए। सरकार के अलावा आदिम-जाति सेवामण्डल तथा सन्थाल पहाड़िया सेवामण्डल श्री ठक्करबापा की योजना के अनुसार बहुमूल्य कार्य कर रहे हैं। इन्होंने उनके लिए २४१ स्कूल तथा १६ होस्टल बनाये। इनको सरकार ने २,८५,६६८ रुपये की सहायता दी।

इनके अलावा ४ डिवीजनल हरिजन हितकारी अफसर तथा १८ जिला हरिजन हितकारी अफसर हरिजनों की उन्नति का काम कर रहे हैं। सरकार ने हरिजन छात्रों को २,३५,१७० रुपये की शिक्षा सुविधाएँ प्रदान कीं। म्युनिसिपैलिटियों के हरिजनों व भंगियों के ऋण खतम कर दिये गए। सरकार ने श्री ए० वी० ठक्कर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त

की, जिसने हरिजनों के पञ्चवर्षीय उत्थान की एक रिपोर्ट पेश की है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। पिछड़े हुए मुसलमानों को भी शिक्षा की और आर्थिक सुविधाएँ प्रदान की गईं।

परिवहन

७५० मील लम्बी सड़कें सरकार ने स्थानीय संस्थाओं से अपने हाथ में ले लीं। सड़कों की उन्नति व मरम्मत पर क्रमशः ४८,३८,६७७ तथा २२,८०,११४ रुपये खर्च किये गए। सरकार ने धीरे-धीरे मोटर परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया है।

श्रम

सन् १९४५-४६ में ७८ ट्रेड यूनियनें थीं जो इस वर्ष तक ४१५ हो गई हैं। मिल-मालिकों व मजदूरों के झगड़े में समझौते तथा पंच-फैसले के लिए मशीनरी स्थापित की गई जिसका फल यह हुआ है कि जबकि सन् १९४६ में ९,४१,६०९ मनुष्य-दिन खोये गए इस वर्ष कुल ३ लाख मनुष्य-दिन खोये गए। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए जमशेदपुर में एक हितकारी केन्द्र खोला गया है तथा कुछ उद्योगों में उनके न्यूनतम वेतन निश्चित कर दिये गए हैं।

कृषि-भूमि सुधार

जमींदारी समाप्ति बिल के स्थान पर एक अधिक विस्तृत कानून बिहार भूमि-सुधार बिल के नाम से बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य न केवल जमींदारियों को समाप्त करना है, अपितु उनमें से कुछ भूमियों की व्यवस्था ग्राम-पंचायतों के सुपुर्द भी करना है। इस बीच सरकार ने कुछ बड़ी जमींदारियों के नियन्त्रण और प्रबन्ध का काम अपने हाथ में ले लिया है।

शरणार्थी पुनर्वासन

बिहार में ४६,००० शरणार्थी हैं, जिनमें ३१,००० रजिस्टर्ड हैं। इनमें से अधिकांश फिर से बसाये जा चुके हैं।

कई शहरों व गांवों में बिजली लगाने का कार्यक्रम स्वीकार करके

अन्य प्रवृत्तियाँ उस पर अमल आरम्भ हो चुका है। एक पशु-पालन विभाग पृथक् संगठित किया गया है। दो फार्म बैलों और दूध के उत्पादन के लिए, एक फार्म भेड़ों और बकरियों के लिए और एक केन्द्रीय फार्म मुर्गियों के पालने के लिए आरम्भ किये गए हैं।

फरवरी १९५० में गन्ना बोनेवालों की सहकारी संस्थाओं की संख्या ५५२५ और इनके सदस्यों की संख्या १,६४,५२९ थी।

कारखानों को सरकारी सहायता देने के सन् १९३० के कानून में इस प्रकार संशोधन कर दिया गया कि छोटे गृह-उद्योगों को भी आर्थिक सहायता दी जा सके। सरकार ने एक खादी-उत्पादन योजना स्वीकार की, और खादी समिति के लिए १२ लाख रुपये मंजूर किये। यह संस्था ९ महीनों में २५० व्यक्तियों को कातने व बुनने और समाज-सेवा का काम सिखायगी।

मध्यप्रदेश

मन्त्रिमण्डल

मन्त्री	महकमे
१. पं० रविशङ्कर शुक्ल	मुख्य मन्त्री, आम शासन, श्रम, राजनीतिक व सैनिक कार्य
२. पं० द्वारिकाप्रसाद मिश्र	गृह, स्थानीय स्वशासन
३. श्री डी० डी० के० मेहता	वाणिज्य, उद्योग, कृषि
४. श्री एस० वी० गोखले	वित्त व विधि
५. श्री डब्ल्यू० एस० बारलिंगे	सार्वजनिक स्वास्थ्य व चिकित्सा
६. श्री आर० अग्निभोज	सार्वजनिक कार्य, जंगलात, पुनर्वास
७. श्री पी० के० देशमुख	शिक्षा, राजस्व
८. श्री जी० एन० काले	खाद्य, सिविल सप्लाई तथा सहकारी संस्थाएँ

९. श्री ए० एम० माकाडे आबकारी, रजिस्ट्रेशन

राज्यपाल—श्री मंगल दास पकवासा

बजट

मध्यप्रदेश की सरकार ने अपने १९५०–५१ के बजट में १,४०,६८,००० रुपये की बचत दिखाई। आर्थिक स्थिति अच्छी है। आय १७·५८ करोड़ रुपये और व्यय १६·१७ करोड़ रुपये दिखाया गया। आय में इस ८ प्रतिशत बचत के बावजूद करों में कोई छूट नहीं दी गई और न ही कोई अतिरिक्त व्यय का कार्यक्रम बनाया गया।

स्वशासन व ग्रामोन्नति

विकेन्द्रित स्थानीय शासन-पद्धति ने इस वर्ष काफी प्रगति की। जनपद तहसील शासनतन्त्र के केन्द्र बना दिये गए। १ जुलाई, १९५० को ५७ बड़े जनपदों को जिला शासन के अधिकार सौंप दिये गए। पिछले दो वर्षों में ५११४ पंचायतें स्थापित की गईं तथा ४,५०० शीघ्र स्थापित की जायंगी। पंचों को रचनात्मक कार्य की शिक्षा देने की योजना बनाई गई। इस कार्य के लिए १०० व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई, जो पंचों को सफाई के ढंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य की बातें तथा कृषि के प्रयोग आदि चीजें सिखायंगे।

सरकार ने सहकारी और ग्रामोद्योग योजनाओं को प्रोत्साहन दिया। इस समय १५६१ प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटियाँ हैं। इनके अलावा अनेक काम-काज करनेवाली सोसाइटियाँ, सहकारी खेती सोसाइटियाँ, पुनर्वास बस्ती सोसाइटियाँ आदि स्थापित की गईं। सरकार ने तेलघानी, खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगों को सहायता दी।

पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति

मध्यप्रदेश में ४५ लाख आदिवासी हैं, जो राज्य की कुल आबादी का पाँचवाँ हिस्सा तथा देश के कुल आदिवासियों का आठवाँ हिस्सा है। चिकित्सा, संचार साधनों, जल सप्लाई, शिक्षा व आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में पिछड़े हुए क्षेत्रों की हितकारी

योजना को कार्यान्वित कर संतोषप्रद परिणाम हासिल किये गए। लगभग ३६३ प्राइमरी स्कूल खोले गए, जिनमें ३६६०५ विद्यार्थी पढ़ते हैं। ७७ अनेक काम-काज करनेवाली सहकारी संस्थाएँ खोली गईं; लोक-शाला और खादी केन्द्र स्थापित किये गए, जहाँ कातना, बुनना, सीना, बढ़ई का काम, तेल निकालना आदि सिखाया जाता है। ४३८ केन्द्रों से घरेलू रोगों के लिए दवाइयों के बक्स बांटे गए। चलती-फिरती फिल्मों से स्वास्थ्य के नियम बताये गए।

उद्योग

राज्य की दो बड़ी कागज मिलों को इस वर्ष पुनर्संगठित कर उनकी नींव दृढ़ कर दी गई। हिन्दुस्तान कोल्ड-स्टोरेज कम्पनी, गोंडवाना पेंट्स तथा सदनगढ़ी तेल योजना को भी सरकार ने सहायता दी।

श्रम

मध्यप्रदेश की सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम १९४८ के अनुसार तेल की मिलों, परिवहन, सीमेंट और मिट्टी के कामों में न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिये। बोनस, चिकित्सा-सम्बन्धी हितकारी काम तथा एक गृहनिर्माण बोर्ड के प्रश्न पर विचार करने के लिए नवम्बर १९४९ में श्रम सलाहकार समिति की बैठकें हुईं। सरकार ने अनेक श्रम हितकारी योजनाएँ भी कार्यान्वित कीं।

कृषि-सुधार

मध्यप्रदेश में किसानों और रैयत को 'मालिक मकबूजा' अधिकार प्रदान किये गए और उनकी बेदखली से रक्षा करने के लिए कानून बनाये गए।

शरणार्थी पुनर्वासन

राज्य में शरणार्थियों के लिए जो ९ सहायता केन्द्र थे, वे बन्द कर दिये गए। शरणार्थियों को या तो खेती की ज़मीन पर या शहरों में बसा दिया गया। शरणार्थियों को मकान बनाने के लिए कर्जे दिये गए व मकान का सामान मुहैया किया गया। ४ कैम्पों को छोटे शहरों का रूप दिया गया। कृषि सहकारी बस्तियों के रूप में सहकारी जीवन

का एक अद्वितीय प्रयोग किया जा रहा है। नागपुर में अनाथ स्त्रियों व बच्चों के लिए एक अनाथालय भी खोला गया है।

अन्य प्रवृत्तियाँ

राज्य में उत्कृष्ट कोयले और बढ़िया बाक्साइट की बड़ी-बड़ी खानें हैं। इसलिए सरकार ने कामटी और कोरबा की कोयला की खानों को स्वयं चलाने का और कोरबा में एल्यूमीनियम का एक कारखाना खोलने का निश्चय किया है। अन्य जिन उद्योगों को सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं विकसित करने का निश्चय किया है, उनमें कपड़ा, लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुएँ, रूसा घास का तेल और हड्डियों का चूरा बनाना आदि हैं। छत्तीसगढ़ और मकडाई में सड़कों के सुधार का अल्पकालिक कार्यक्रम बनाया गया और इन इलाकों में सड़कों का जाल विस्तृत किया जा रहा है।

मद्रास

मन्त्रिमण्डल

मन्त्री	महकमे
१. श्री कुमारस्वामी राजा	मुख्यमंत्री, सार्वजनिक कार्य और पुलिस
२. डा० टी० एस० एस० राजन्	सार्वजनिक स्वास्थ्य
३. श्री एम० भक्तवत्सलम्	सार्वजनिक कार्य और सूचना
४. श्री बी० गोपाल रेड्डी	वित्त, परिवहन आदि
५. श्री के० माधव मेनन	शिक्षा, अदालतें और जेल
६. श्री एच० सीताराम रेड्डी	राजस्व और श्रम
७. श्री ए० बी० शेट्टी	पशुचिकित्सा और कृषि
८. श्री के० चन्द्रमौलि	स्थानीय शासन और सहकारिता
९. श्री बी० परमेश्वरम्	फिरका उन्नति, ग्रामोद्योग, हरिजनोत्थान आदि

१०. श्री एन० संजीव रेड्डी — मद्यनिषेध, गृह-निर्माण और जंगलात
११. श्री सी० पेरुमलस्वामी रेड्डी — उद्योग, खानें व खनिज पदार्थ
१२. श्री जे० एल० पी० रोशे विक्टोरिया — खाद्य व मछली पालन

राज्यपाल—महाराजा भावनगर

बजट

मद्रास के बजट में ३६ लाख रुपये का घाटा दिखाया गया। आय और व्यय का अनुमान क्रमशः ५५,२१,२५,००० और ५५,५७,२३,००० रहा। इस वर्ष सरकार ने १० करोड़ रुपया शिक्षा पर, ४ करोड़ रुपया चिकित्सा व स्वास्थ्य पर, ९३ लाख रुपया हरिजनों के हितकारी कामों में, १,२०,००,००० रुपया गृह-निर्माण संस्थाओं के लिए, ५,४०,००,००० रुपया युद्धोत्तर उन्नति योजनाओं के लिए तथा २,२६,००,००० रुपया खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए खर्च करने का निश्चय किया। घाटे के बावजूद कोई नया कर नहीं लगाया गया।

मद्यनिषेध

मद्रास भारत में पहला राज्य है जिसमें पूर्ण रूप से मद्य-निषेध जारी कर दिया गया है। इस वर्ष के परिणामों से विदित होता है कि गरीबों को मद्य-निषेध से कितना फायदा हुआ है और गांव वालों ने इसे कितना पसन्द किया है। इससे उनकी सुख-समृद्धि बढ़ी है।

स्वशासन और ग्रामोन्नति

मद्रास में ग्राम पंचायत अधिनियम पास किया गया। इसमें ५०० या इससे अधिक की आबादी के प्रत्येक गांव में १९५१ की समाप्ति तक एक पंचायत स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। ये पंचायतें गुप्त चुनाव पद्धति से चुनी जायंगी। इनका काम सड़कों का निर्माण व उनकी देखभाल, उन पर बिजली लगाना, नालियों व सफाई का इन्तजाम करना तथा चिकित्सा की सुविधाएँ प्रदान करना

होगा। इनको कागजात को दर्ज करने तथा दीवानी व फौजदारी न्याय करने का हक होगा।

सरकार ने ग्राम पुनर्निर्माण योजना को कार्यान्वित किया। तेल निकालने व चावल कूटने के खतम होते हुए उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने की योजना प्रारम्भ की गई, फिरका-उन्नति योजना सफल रही, इसलिए उसे और गांवों में भी विस्तृत किया गया। गाँवों में बिजली लगाने की योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें ४० लाख रुपया व्यय होगा। सहकारी संस्थाओं की संख्या बढ़ी।

पिछड़े हुए लोगों की उन्नति

मद्रास की सरकार हरिजनों के उत्थान पर अधिकाधिक व्यय कर रही है। सन् १९४९-५० में राज्य में निम्न प्राथमिक श्रम स्कूलों की संख्या १२३२ थी। इन स्कूलों में ८७२२४ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे। १३९७८ विद्यार्थियों को ५,४०,००० रुपये की छात्रवृत्तियां दी गईं। हरिजन विद्यार्थियों के लिए ३२५ निजी होस्टल हैं और १३ सरकार चला रही है। इन होस्टलों के चलाने में ११,३९,००० रुपया खर्च किया गया।

मद्रास में प्रत्येक महीने को ३० वीं तारीख को हरिजन-दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हरिजनों की उन्नति पर लोगों का सतत ध्यान खींचते रहना है। स्त्रियों में स्त्रियां ही सामाजिक कार्य करती हैं। एक स्त्री-हितकारी-विभाग की स्थापना की गई है, जो भारत में अपनी किस्म का एक ही है।

परिवहन

मद्रास सरकार की ट्रान्स्पोर्ट सर्विस, जिसकी तीन सहायक संस्थाएँ हैं—गवर्नमेंट औटोमोबाइल वर्कशाप, गवर्नमेंट कोच बिल्डिंग फैक्टरी तथा सैन्ट्रल स्टोर्स—जनता की अच्छी सेवा कर रही हैं। सरकार की ५६ मार्गों पर ३२२ बसें चलती हैं। इनमें ५३,७४,००० रुपया लगा हुआ है। मद्रास में प्रतिदिन २ लाख मुसाफिर ले जाये जाते हैं।

उद्योग

मद्रास सरकार ने राज्य की खनिज-सम्पत्ति के उद्योगों में उपयोग होने की सम्भावना की जांच कराई। सरकार ने कपड़ा, चीनी, सीमेंट, बनस्पति, रासायनिक पदार्थ तथा ऑटोमोबाइल आदि बड़े उद्योगों की उन्नति के लिए सक्रिय कदम उठाये। एक पेण्ट फैक्टरी और एक सुरेश फैक्टरी शीघ्र स्थापित की जानेवाली है। सरकार ने मद्रास के पास मोटरकारों का संकलन करने के दो कारखाने बनाने की इजाजत दी है। साइकलें बनाने के भी दो कारखाने खुलेंगे। लुगदी, कागज, पेण्ट और वार्निश, साबुन, कपड़ा, बनावटी रेशम, रासायनिक पदार्थ औरद वाइयां, शीशा, मिट्टी के पदार्थ तथा कमाया हुआ चमड़ा बनाने में काफी प्रगति की गई। मद्रास औद्योगिक विनियोग कार्पोरेशन को एक ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी के रूप में दर्ज किया गया। इसकी अधिकृत पूंजी २ करोड़ रुपये है, जिसमें से १,०२,००,००० मद्रास सरकार की है।

भूमि-सुधार

मद्रास में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को धीरे-धीरे कार्यान्वित किया जा रहा है। कुछ जमींदारियां ले ली गई हैं और अन्यों को लेने की योजना बनाई गई है। सरकार ने एक प्रगतिशील भूमिप्रदान नीति आरम्भ की है। इसके अनुसार भूमि देने में निम्न क्रम से प्राथमिकता बरती जायगी—(१) राजनीतिक पीड़ित, (२) भूतपूर्व सैनिक, जिनमें आजाद हिन्द फौज के आदमी भी शामिल हैं,(३)गरीब भूमिहीन व्यक्ति जिनमें हरिजन और पिछड़े हुए वर्ग भी शामिल हैं।

अन्य-कार्य

कुरनूल में सरकार जो केन्द्रीय थर्मल स्टीम इलेक्ट्रिक स्टेशन बना रही है, उसे अन्ततोगत्वा तुंगभद्रा के हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्टेशन में मिला दिया जायगा और जिस मौसम में सिंचाई का काम नहीं होगा, उसमें वह तुंगभद्रा योजना की सहायता करेगा।

४,४८,००० रुपये खर्च करके अनन्तपुर के बिजली के म्युनिसिपल

कारखाने को अपने हाथ में लेने और इस इलाके में बिजली उत्पन्न करने के अतिरिक्त कारखाने खोलकर बिजली की सप्लाई को सुधारने की एक नई योजना बनाई गई है। इस वर्ष रेडियो प्रोग्रामों को सामूहिक रूप से सुनने के लिए १३०० से ऊपर केन्द्र खोले गए।

केन्द्रशासित प्रदेश

हिमाचल प्रदेश

बुशहर और अपर सतलज घाटियों में पूर्वी पंजाब को ठेके पर दिये हुए जंगलों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।

गंगा में जूनियर फारेस्ट आफिसरों के परीक्षण के लिए एक स्कूल खोला गया। राल और बरोजा तैयार करने का काम एक बड़े इलाके में विस्तृत किया गया और नाहन में एक बरोजा का कारखाना खोला गया। व्यापारिक और चिकित्सा के काम की वनस्पतियों को उत्पन्न करने के लिए ६० नर्सरियां खोली गईं।

भारत-तिब्बत सड़क और मशोबरा-नालदेरा-सूनी सड़क का प्रबन्ध पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में ले लिया।

हिमाचल प्रदेश में कोआपरेटिव सोसाइटियों का एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया। इस विभाग का पुनर्गठन करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। डा० स्टाफेल नामक एक खान इंजीनियर ने रिपोर्ट दी है कि जब खानों में नमक बनाने का प्लान्ट लगा दिया जायगा, तब लगभग ६० वर्ष तक निरंतर प्रतिवर्ष ७० हजार टन नमक उत्पन्न हो सकेगा।

हिमाचल प्रदेश में परिवहन की सर्विस का राष्ट्रीयकरण करके भारत तिब्बत सड़क पर एक नियमित सर्विस आरम्भ कर दी गई है। कालका-शिमला सड़क पर और मण्डी में भी एक सर्विस आरम्भ की गई।

बेगार-सरीखी जागीरदारों द्वारा वसूल की जाने वाली लागें राज्य-भर में समाप्त कर दी गईं। उनके स्थान पर सर्वत्र समान रूप से

जमीन लगान का २५ प्रतिशत स्थानीय दर के रूप में और ५ प्रतिशत पंचोत्तरा के रूप में लगाया गया है। राज्य की सरकार ने बेठू काश्तकारों को मौरूसी अधिकार दे दिये हैं और अब उन्हें जमींदारों की निजी सेवा नहीं करनी पड़ती। जिन जमीनों पर वे तीन पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, उनके लगान और सैस का दस गुना मूल्य देकर वे उन भूमियों पर स्वामित्व के अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार की आज्ञाएं जारी की गई हैं कि बन्दोबस्त के कागजात में राजाओं को आलामालिक न लिखा जाय। एक ही जिले के निवासियों पर जमीन खरीदने व बेचने के विषय में लागू होनेवाली पाबन्दियां उठा दी गई हैं। २३ मार्च १९४९ से सन् १९१३ का रहन रखी हुई जमीनों को छुड़ाने का कानून और सन् १९३८ का पंजाब रेस्टिट्यूशन आफ मोरगेज़ लैण्ड्स ऐक्ट राज्य में लागू कर दिये गए हैं।

राज्य में काश्तकारों की अवस्था सुधारने पर विचार करने के लिए एक समिति नियत कर दी गई है।

कुर्ग

कुर्ग में इस समय ३६० सहकारी संस्थाएं हैं, जिसके सदस्य ५० हजार और पूँजी लगभग ५० लाख रुपये है। ये संस्थायें राज्य की प्रायः सभी आवश्यकताएं पूरी करती हैं। २०० विविध काम करनेवाली संस्थाएं हैं और ९ महिला समाज हैं, जिनमें से तीन 'नर्सरियां' और हिन्दी तथा दर्जीगीरी के वर्ग चलाती हैं। तीन हरिजन सुधार संस्थायें और आठ बचत तथा जीवन सुधार संस्थाएं हैं। शहद, सन्तरों और दालचीनी को बेचने की संस्थाएं एक बिलकुल नया परीक्षण हैं। सहकारी विभाग सहकारिता के सिद्धान्त और अन्य सम्बद्ध विषयों का प्रशिक्षण देने के लिए कक्षाएं लगाता है। ३० नवम्बर, १९४९ को कुर्ग प्रान्तीय सहकारी व्यवसाय संस्थान को रजिस्टर किया गया था। इसका प्रधान काम खेती के औजार और फर्निचर बनाना है।

कुर्ग में केन्द्रीय सरकार के श्रम सम्बन्धी सब कानूनों पर अमल

किया जाता है। इस वर्ष सन् १९४९ के इण्डस्ट्रियल एम्प्लायमेंट स्टैंडिंग आर्डर्स ऐक्ट के अनुसार २८ अस्थायी आज्ञाओं को संशोधित किया गया।

मजदूरों द्वारा व्यक्तिशः दायर की गई ६३ शिकायतों में से ४३ का फैसला आपसदारी द्वारा तय कराया गया।

विन्ध्यप्रदेश

विन्ध्यप्रदेश की हीरे की खानों का १५ मार्च १९५० से पन्ना में नीलाम किया जा रहा है।

खानों और पत्थर की खानों में मालिक मजदूरों के सम्बन्ध और मजदूरों के सुख-स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने अपने सिर ले लिया। जब राज्य का शासन चीफ कमिश्नर को दिया गया तब चूना बनानेवाले कारखानों को सलाह दी गई कि वे दुर्घटनाएं रोकने के लिए चौकीदारों को आवश्यक संख्या में बढ़ा दें। उमरिया की कोयला खानों में जो हड़ताल हुई थी, उसे भारत सरकार के समझौता अधिकारी ने सुलझाया।

भोपाल

फिशरी आर्डिनेन्स के मातहत बड़े तालाब के एक भाग और कुलान्स नदी में दो महीने के लिए मछली पकड़ना बन्द कर दिया गया। बड़े तालाबों में मछली पकड़ने के लिए कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गए। दो तालाबों में नर्सरियां आरम्भ की गईं। इन नर्सरी तालाबों में मछलियों के अण्डे और छोटी मछलियां आठ हजार तैयार की गईं।

राज्य में लाख तैयार करने के इलाके की पैमाइश करके उसमें लाख तैयार करने का काम आरम्भ हो चुका है। लगभग १५ हजार वृक्षों में लाख लगाने के लिए उनकी कलमें ली गईं। बुदनी में २५ एकड़ जमीन में

चीड़ के वृक्ष लगाये गए। १९४९-५० में जंगलात महकमे की आमदनी गत वर्ष की अपेक्षा २,९०,७५९ रुपये अधिक हुई। सिहोर में ताड़ से गुड़ बनाने का काम नया आरम्भ किया गया है।

कपड़े, चीनी और गत्ते आदि के बड़े कारखानों में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरियां निश्चित करके मंहगाई के भत्ते का परिमाण भी तय कर दिया गया। आसपास के इलाकों में जो भत्ता दिया जाता है, उसकी अपेक्षा यह अधिक है। श्रम विभाग को परस्पर बातचीत और समझौतों द्वारा हड़तालें रोकने में सफलता हुई। कारखानों के मजदूरों की अनेक मांगें आपसदारी से पूरी कर दी गईं और चीनी तथा कार्डबोर्ड के कारखानों में काम की कमेटियां संगठित कर दो गईं।

केन्द्रीय सरकार

राष्ट्रपति—डा० राजेन्द्रप्रसाद

मन्त्रिमण्डल

मन्त्री	महकमे
१. श्री जवाहरलाल नेहरू	प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य
२. श्री सी० राजगोपालाचारी	गृह
३. मौलाना अबुल कलाम आजाद	शिक्षा
४. सरदार बलदेवसिंह	रक्षा
५. श्री जगजीवन राम	श्रम
६. श्री रफी अहमद किदवई	संचार
७. श्री अमृत कौर	स्वास्थ्य
८. डा० बी० आर० अम्बेदकर	कानून
९. श्री एन० वी० गैडगिल	निर्माण, उत्पादन और रसद
१०. श्री एन० गोपालास्वामी आयंगर	रेलवे, परिवहन और रियासतें
११. श्री हरे कृष्ण महताब	वाणिज्य और उद्योग
१२. श्री के० एम० मुन्शी	खाद्य और कृषि
१३. श्री श्रीप्रकाश	प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक गवेषणा
१४. श्री चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख	वित्त

राज्यमंत्री

१५. श्री सी० सी० बिश्वास	अल्पसंख्यक समझौता परिपालन
१६. श्री के० सन्तानम्	परिवहन और रेलवे

१७. श्री आर० आर० दिवाकर	सूचना और रेडियो
१८. श्री सत्यनारायण सिन्हा	संसदीय कार्य
१९. श्री अजितप्रसाद जैन	पुनस्संस्थापन

उपमन्त्री

२०. श्री खुरशीद लाल	संचार
२१. डा० बी० वी० केसकर	वैदेशिक कार्य
२२. श्री डी० पी० कर्मारकर	वाणिज्य और उद्योग
२३. मेजर जनरल हिम्मतसिंह जी	रक्षा
२४. श्री एस० एन० बुरागोईं	निर्माण, उत्पादन और रसद
२५. श्री थीरूमल राव	खाद्य और कृषि